एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

IndianOil

स्प्रिंट गति से

मूल आधार व
ऊर्जा परिवर्तन का सशक्तिकरण

स्प्रिंट गति से

स्प्रिंट गति से: मूल आधार व ऊर्जा परिवर्तन का सशक्तिकरण

इंडियनऑयल की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 का मुख्य पृष्ठ हमारी यात्रा के एक निर्णायक अध्याय को दर्शाता है, जिसमें हमारी विरासत आने वाले सस्टेनेबल कल के वादे के साथ जा मिली है। इसका शीर्षक 'स्प्रिंट गति से: मूल आधार व ऊर्जा परिवर्तन का सशक्तिकरण' हमारी दोहरी प्रतिबद्धता का बिंब है। यह हमारे मुख्य व्यवसायों में उत्कृष्टता को तो सुदृढ़ करती ही है, भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाले तथा भविष्य के लिए तैयार एनर्जी इकोसिस्टम की ओर भी अग्रसर करती है।

इस डिज़ाइन का प्रत्येक तत्व इस बात में रचा बसा है कि हम कौन हैं और कहां जा रहे हैं। इस डिज़ाइन के केंद्र में आगे की ओर अति तेज गति से दौड़ते एक व्यक्ति की छवि है, जो चुस्ती, इच्छाशक्ति और प्रगति का दमदार प्रतीक है। यह इंडियनऑयल के रणनीतिक परिवर्तन और तेज़ी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य में अनुकरणीय नेतृत्व करने की तत्परता का द्योतक है। यह छवि हमारी परिवर्तनकारी विकास पहल 'स्प्रिंट' यानी 'अति तेज गति की दौड़' की भावना को दर्शाती ही है, अधिक सुदृढ़, विविधतापूर्ण ऊर्जा पोर्टफोलियो की ओर हमारी छलांग का संकेत भी है।

इंडियनऑयल की ब्रांड आइडेंटिटी के रंग हमारे इस नैरेटिव को और पुष्ट करते हैं। नीला रंग विश्वास, तकनीकी गहनता और रणनीतिक स्पष्टता का प्रतीक है। सूर्य की ऊर्जा से सजीव नारंगी रंग गतिशीलता, आशाओं और एक अरब से अधिक लोगों की आकांक्षाओं की सामूहिक गति का द्योतक है। साथ मिलकर ये रंग एक ऐसे ब्रांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक विरासत को आगे ले जाता है लेकिन परिवर्तन के लिए भी उतना ही तत्पर है।

यहां चित्रित 'स्प्रिंट' शब्द इंडियनऑयल के तीन 'सी' (कोर, कॉस्ट, कस्टमर) और तीन 'टी' (टेक्नोलॉजी, टेलेंट, ट्रांज़ीशन) के स्तंभों पर खड़े एजेंडे को पुष्ट करता है। यह गति, उद्देश्य और भविष्य की तैयारी के साथ हमारी रणनीतिक दिशा को बल देता है। यह भारत के ऊर्जा भविष्य को आकार देने वाले नवाचार, डिजिटलीकरण और सस्टेनेबल पद्धतियों में हमारे निवेश को दर्शाता है।

आप जिसे महज एक रिपोर्ट के कवर के रूप में देख रहे हैं, वह असल में एक इरादे की घोषणा है। यह एक अडिग उद्देश्य, विकासात्मक स्पष्टता और गर्व के साथ आगे बढ़ती कंपनी का प्रतीक है। हर स्टेकहोल्डर के लिए यह इंडियनऑयल के उस कायापलट को देखने का न्यौता है जो अपनी महत्वाकांक्षा में साहसी, प्रतिबद्धता में दृढ़ और राष्ट्र के ऊर्जा लक्ष्यों के साथ गहनता से जुड़ा है।

यह 'स्प्रिंट' बदलाव के **छह स्तंभों** का संगम है। इसमें मुख्य क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ प्रचालन दक्षता, उच्च-तकनीकी नवाचार, ग्राहक-केंद्रीयता, सस्टेनेबल और प्रतिभा विकास के नए दायरे खोलने पर बल दिया गया है।

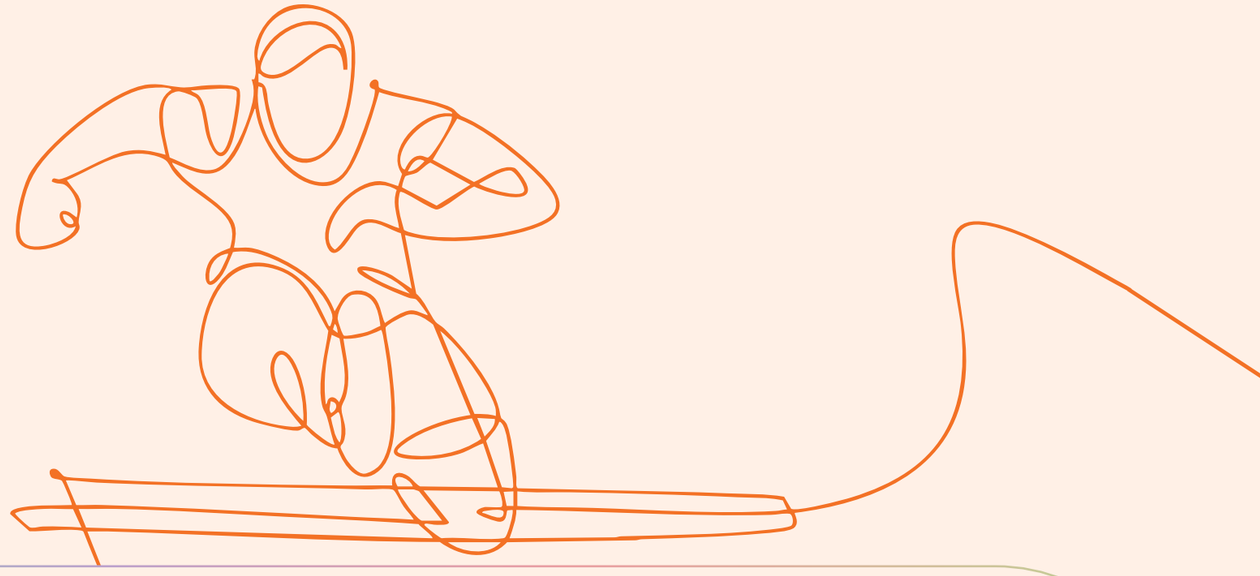

S P R I N T

मूल व्यवसाय का सशक्तिकरण

इंडियनऑयल के नेतृत्त्व को आधारभूत क्षेत्रों में बनाए रखना और फैलाना :

- ↗ भारत के सबसे बड़े रिफाइनर के रूप में अग्रणी स्थिति बनाए रखना
- ↗ नेटवर्क विस्तार और ग्राहक केंद्रीयता से खुदरा ईंधन की बिक्री में बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाना
- ↗ सभी संस्थागत बिजनेस सेगमेंट (व्यावसायिक खंडों) में नेतृत्व सुदृढ़ करना
- ↗ उभरते बाज़ारों में अग्रता के लिए पेट्रोकेमिकल और विशेष रसायन उत्पादन में वृद्धि

लागत अनुकूलन

लागत दक्षता ही दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता की चाबी है :

- ↗ सभी वर्टिकल्स की प्रचालन दक्षता में वृद्धि
- ↗ एलपीजी बॉटलिंग, सिविल एएफएस और लॉजिस्टिक्स जैसे उच्च-लागत क्षेत्रों में व्यय कम करना
- ↗ सर्वोत्तम परिसंपत्ति उपयोग और लाभांश के लिए रणनीतिक लागत प्रबंधन

ग्राहक-सेवा मजबूतीकरण

हर पहल के केंद्र में ग्राहक को रखकर चलना :

- ↗ खुदरा और संस्थागत दोनों ग्राहकों के लिए पहली पसंद बनकर उभरना
- ↗ नए ग्राहक वर्गों तक पहुंच बनाकर उत्पाद पोर्टफोलियो को व्यापक बनाना
- ↗ अद्वितीय और आकर्षक अनुभव प्रदान कर ग्राहक निष्ठा व बाज़ार उपस्थिति गहरी करना

टेक्नोलॉजी व नवाचार एकीकरण

डिजिटल और नवाचार की शक्ति से व्यवसाय को भविष्य के अनुकूल बनाना :

- ↗ उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं में नवाचार बढ़ाना
- ↗ व्यवसाय में स्पष्ट परिणाम लाने वाले जांचे-परखे उच्च-प्रभाव वाले डिजिटल समाधान लागू करना
- ↗ चपलता, सुरक्षा और विस्तार क्षमता बढ़ाने वाली अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना

नेतृत्व व प्रतिभा पोषण

परिवर्तन को गति देने के लिए लोगों में निवेश करना :

- ↗ उभरती प्राथमिकताओं के अनुरूप संभावनाशील नेतृत्व की पूरी श्रृंखला तैयार करना
- ↗ नई ऊर्जा, डिजिटल और अग्रणी व्यवसायों के लिए प्रतिभाओं को लुभाना और जोड़े रखना
- ↗ चपलता, गति और सहयोग को बढ़ावा देते हुए इंडियनऑयल के कोर मूल्यों को सुदृढ़ करना

परिवर्तन तत्परता

कम कार्बन उत्सर्जन वाले डिजिटल भविष्य के लिए कंपनी को तैयार करना :

- ↗ यथास्थिति को चुनौती देना
- ↗ भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व
- ↗ नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) और हरित हाइड्रोजन पहलों का विस्तार करना
- ↗ दीर्घकालिक सस्टेनेबिलिटी और विकास को बढ़ावा देने के लिए ईएसजी सिद्धांतों और नए व्यावसाय मॉडलों को अपनाना

रिपोर्ट के बारे में

हमारी रिपोर्टिंग संरचना

वर्ष 2024-25 की यह एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट हितधारकों के साथ इंडियनऑयल के महत्वपूर्ण संपर्क को प्रदर्शित करती है। यह संबंधित वर्ष के लिए कंपनी के निष्पादन का विवरण देती है और दीर्घावधि सतत मूल्य सृजन के लिए रोडमैप तैयार करती है।

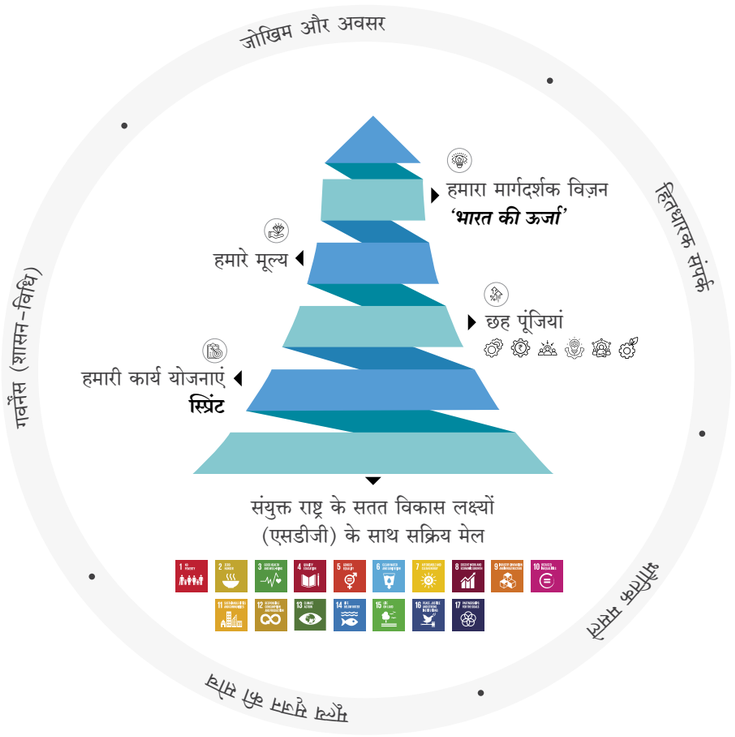

एकीकृत एवं सतत सोच

हम मूल्य सृजन को परस्पर संबद्ध मानते हैं और सभी छह पूँजीगत संस्थाओं का एकीकृत प्रबंधन करके, हम ऐसे रणनीतिक विकल्प चुनते हैं जो अल्पावधि, मध्यमावधि और दीर्घावधि में मूल्य प्रदान करते हैं।

रिपोर्टिंग अवधि एवं सीमा

- **रिपोर्टिंग अवधि:** यह एकीकृत रिपोर्ट मुख्यतः 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक 12 महीने की अवधि को दिखाती है। हालाँकि, इस रिपोर्ट के कुछ भाग पिछले वर्षों के तथ्यों और आंकड़ों को भी दर्शाते हैं।
- **कवर की गई संस्था:** इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (स्वतंत्र आधार पर, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो)

मुख्य विनियामकीय और रिपोर्टिंग ढांचा

हमारे वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों पहलू भारतीय गणराज्य के नियत कानूनों, विनियमों और मानकों के अनुरूप हैं।

- कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियम
- भारतीय लेखा मानक
- सचिवीय मानक
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्त्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015
- राष्ट्रीय उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) पर आधारित व्यावसायिक उत्तरदायित्त्व एवं संधारणीयता सूचना (सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग- बीआरएसआर)
- अंतरराष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (आईआईआरसी) फ्रेमवर्क
- वैश्विक रिपोर्टिंग पहल मानक, 2021
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सिद्धांत (यूएनएसडीजी)

भावी विवरण

हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने में अत्यधिक सावधानी बरती है। इसमें पूर्वानुमान और/या पूर्वानुमानों से संबंधित सूचनाएं भी शामिल हो सकती हैं। तथ्य, अपेक्षाएं और पिछला डेटा, ये सब पूर्वानुमानों पर आधारित हैं। जैसा कि सभी भावी विवरणों के संबंध में होता है, वास्तविक परिणाम पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं। इसलिए हम, अपने भावी विवरणों या घोषित रूप से तीसरे पक्ष से प्राप्त विवरणों में सटीकता, पूर्णता और समयबद्धता की गारंटी नहीं दे सकते। इसी कारण पाठकों को सलाह दी जाती है कि इसे पढ़ते हुए वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हम किसी भी भावी विवरण तथा नई जानकारी को भविष्य की घटनाओं या अन्य स्थिति में सार्वजनिक रूप से अद्यतित (अपडेट) करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।

वेबसाइट:
www.iocl.com

कंपनी के बारे में अधिक जानने के लिए QR कोड स्कैन करें

रिपोर्ट में क्या है

01 कॉर्पोरेट अवलोकन

हमारे बारे में	06
हमारे व्यवसाय	08
प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त	10
अध्यक्ष की कलम से	20
गवर्नेंस (शासन-विधि)	32
नेतृत्व मंडल	34
निदेशकों का परिचय	36
जोखिम प्रबंधन	38
हितधारक संपर्क	42
तथ्यपरक मूल्यांकन	46
इंडियनऑयल का मूल्यसृजन मॉडल	48
सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा	50
विनिर्मित पूंजी	52
वित्तीय पूंजी	60
सामाजिक और संबंधों की पूंजी	64
बौद्धिक पूंजी	70
मानव पूंजी	78
प्राकृतिक पूंजी	84
पुरस्कार और सम्मान	92
निदेशक मंडल	98
वरिष्ठ प्रबंधन टीम	99
प्रमुख कार्यालय और प्रमुख इकाईयाँ	102
लेखा परीक्षक, बैंकर, आरटीए इत्यादि	103
समूह की कंपनियां	104
निष्पादन - एक नज़र में	106

02 सांविधिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट	110
अनुबंध-I : अ.जा. /अ.ज.जा./अ.पि.व. रिपोर्ट	128
अनुबंध-II - सीएसआर रिपोर्ट	130
अनुबंध-III - सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	141
अनुबंध-IV - फॉर्म संख्या एओसी 2	144
अनुबंध-V - ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन पर रिपोर्ट	145
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट	148
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	169

03 वित्तीय विवरण

एकल

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	186
तुलन पत्र	204
लाभ और हानि विवरण	206
नकदी प्रवाह विवरण	208
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	210
वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां	212
आय और व्यय खाता-टाउनशिप, आदि	313

समेकित

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	314
तुलन पत्र	324
लाभ और हानि विवरण	326
नकदी प्रवाह विवरण	328
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	330
वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां	332

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	438
सूचना	442

हमारे बारे में

जुनून से लैस, प्रतिबद्धता से परिभाषित

भारत की सबसे बड़ी एकीकृत और विविधीकृत ऊर्जा कंपनी के रूप में इंडियनऑयल उत्कृष्टता के बेजोड़ जुनून और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की अनथक प्रतिबद्धता से प्रेरित है।

भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली महारत्न कंपनी इंडियनऑयल की हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत उपस्थिति है। इस श्रृंखला में शोधन और पाइपलाइन परिवहन से लेकर विपणन, अन्वेषण और उत्पादन, पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस और वैकल्पिक ऊर्जा तक शामिल हैं।

इंडियनऑयल 80.75 एमएमटीपीए की ग्रुप रिफाइनिंग क्षमता, 20,000 किलोमीटर से अधिक के पाइपलाइन नेटवर्क और 63,000 से अधिक ग्राहक संपर्क बिंदुओं के साथ पूरे देश में ऊर्जा की विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करती है। कंपनी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और एविएशन टर्बाइन ईंधन सहित पेट्रोलियम उत्पादों में सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी के साथ ईंधन विपणन में लगातार अग्रणी स्थान पर है।

इंडियनऑयल लगभग सात दशकों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और विशिष्ट ईंधनों में ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। अग्रणी आरएंडडी, एक विशाल वितरण अवसंरचना और गहन कॉर्पोरेट नागरिकता के बल पर इंडियनऑयल भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को महत्वपूर्ण ढंग से आकार देती है।

इंडियनऑयल 'भारत की ऊर्जा' बनने के अपने विज़न से प्रेरित रहते हुए भविष्य के लिए तैयार एनर्जी इकोसिस्टम (ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र) को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने जैव ईंधन, हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर यूटिलाइज़ेशन और भंडारण (सीसीयूएस) और अगली पीढ़ी के मोबिलिटी सॉल्यूशंस में लगतार निवेश किए हैं। ये सब हमारे सभी हितधारकों को टिकाऊ महत्व प्रदान करते हुए भारत के ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के हमारे संकल्प को पुष्ट करते हैं।

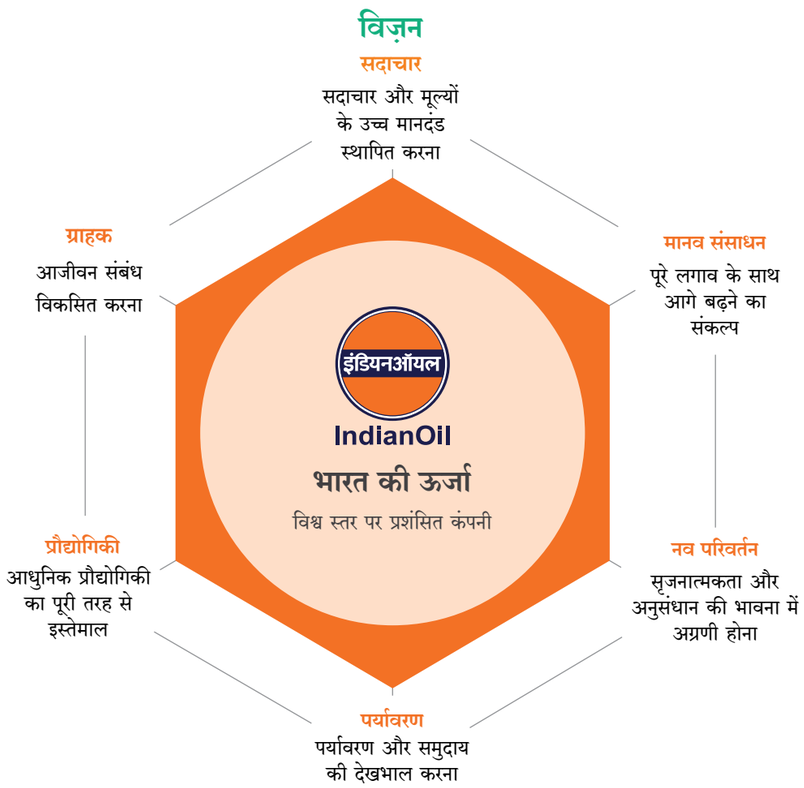

इंडियनऑयल मूल्य – हमारी सोच तथा कार्यों के मार्गदर्शक

राष्ट्र को ऊर्जावान बनाएँ

भारत की विकास गाथा में योगदान; राष्ट्र और नागरिकों को समय, ऊर्जा और संसाधन समर्पित करें।

अनवरत ड्यूटी पर

देशभक्ति की भावना के साथ कठिन परिस्थितियों में भी '24x7 ड्यूटी' पर रहकर सेवाएँ दें।

बिजनेस विजन को दें गति

गहरे संबंध बनाएं और उसे निभाएँ; सामूहिक उद्देश्य और जिम्मेदारी की भावना के साथ इंडियनऑयल को लाए अपने विज़न के करीब।

संवेदनशील नेतृत्व

लोगों को उनकी जरूरतों को समझने और उसे पूरा करने के लिए उन्हें हर परिस्थिति (आंतरिक या बाहरी) में प्राथमिकता दें।

भविष्य के लिए समाधान

भविष्योन्मुख मानसिकता को अपनाते हुये संगठन और पृथ्वी के लिए अभिनव एवं स्थायी समाधानों के लिए प्रयास करें।

त्वरित प्रतिक्रिया

शीघ्र निर्णय लेने के लिए सभी को सशक्त बनाएं, परिवर्तनशील वातावरण में सक्रिय रहें।

निर्णय लेने में साहस

सहूलियत के दायरे से बाहर निकलें। सोचा समझा दांव लगाएं। साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ महत्वाकांक्षी प्रयासों को आगे बढ़ाएं।

एक्स्ट्रा माइल जाएं

समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ निर्धारित कर्तव्य सीमा से आगे बढ़कर अपेक्षाओं को पूरा करें।

सेवा हेतु प्रतिबद्ध

वादों को पूरा करके इंडियनऑयल ब्रांड को कायम रखें; हमेशा सही फैसले लेकर भरोसे को मजबूत बनाएं।

ईकोसिस्टम का विकास

सभी हितधारकों को साथ लेकर चलें और परस्पर जीत का माहौल बनाएं। सकारात्मक प्रभाव और सभी के विकास के लिए तालमेल का लाभ उठाएं।

हमारे व्यवसाय

पोर्टफोलियो पर एक विहंगम दृष्टि

इंडियनऑयल अपनी प्रमुख शक्तियों को बढ़ाकर और नए ऊर्जा क्षेत्रों में अवसरों का लाभ लेकर एक प्रमुख एकीकृत ऊर्जा कंपनी बनने की यात्रा को गति दे रही है।

हमने राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, संधारणीयता (सस्टेनेबिलिटी) और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बल पर अपनी पारंपरिक परिसंपत्तियों को सुदृढ़ करने से लेकर अपने वैकल्पिक ऊर्जा फुटप्रिंट के विस्तार तक सभी व्यवसायों में मजबूत प्रगति की है। हमारा विविधिकृत पोर्टफोलियो एक भविष्य अनुकूल रणनीति को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य भारत और उसके बाहर विश्वसनीय, स्वच्छ और ग्राहक-केंद्रित ऊर्जा समाधान प्रस्तुत करना है।

रिफाइनिंग, पाइपलाइन्स और मार्केटिंग

भारत की एक अग्रणी डाउनस्ट्रीम ऊर्जा कंपनी होने के नाते हमने विश्वसनीय, कुशल और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा समाधान देने के अपने मिशन को आगे बढ़ाया है। हमने उत्पाद सुदृढ़ता और पर्यावरणीय अनुपालन बढ़ाने के लिए 2024-25 के दौरान रिफाइनरी में कुछ प्रमुख अपग्रेड किए। हमारे पाइपलाइन्स प्रभाग ने क्षमता उपयोग, सुरक्षा और डिजिटलीकरण में नए मानक छुए। हमने प्रीमियम ईंधन, ऑटोमेशन और ग्राहक अनुभव पर विशेष ध्यान देते हुए अपने मार्केटिंग और वितरण नेटवर्क का भी विस्तार किया। इससे पेट्रोलियम मूल्य श्रृंखला में हमारी अग्रणी स्थिति और सुदृढ़ हुई।

पारादीप रिफाइनरी में एथिलीन रिकवरी यूनिट

एन्नोर एलएनजी टर्मिनल का हवाई दृश्य

प्राकृतिक गैस

भारत जब गैस-आधारित अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, तब इंडियनऑयल ने एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ की है। हमने 2024-25 में स्वच्छ ऊर्जा की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए एलएनजी टर्मिनल, पाइपलाइन कनेक्टिविटी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क में अपना निवेश बढ़ाया है। इस दौरान आपूर्ति विश्वसनीयता बढ़ाने, गैस लॉजिस्टिक्स को बेहतर करने और औद्योगिक व रिटेल सेगमेंट (खुदरा परिखंड) में एक स्वच्छ ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने पर हमने ध्यान केंद्रित किया है।

पेट्रोकेमिकल

पेट्रोकेमिकल पावरहाउस बनने की हमारी यात्रा में वर्ष 2024-25 एक और छलांग का साक्षी रहा है। एकीकृत रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और नई परियोजनाओं की घोषणाओं के साथ हम मौजूदा ऊर्जा धाराओं से मूल्य प्राप्त करने की अपनी योजनाओं पर आगे बढ़े हैं। विशेष रसायनों, आयात प्रतिस्थापन और वैश्विक पहुंच को लेकर हमारा आग्रह हमें दक्षिण पूर्व एशिया में एक क्षेत्रीय पेट्रोकेमिकल लीडर बनने में सहायता कर रहा है।

पीएडीसी, पानीपत में पॉलीप्रोपाइलीन कास्ट फिल्म एक्सट्रूडर

कुआं XN-76, ऑनशोर ब्लॉक 1, अबू धाबी - इंडियनऑयल की एक अपस्ट्रीम संपत्ति

अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी)

हमने भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता लक्ष्यों के अनुरूप एक संतुलित और मजबूत पोर्टफोलियो निर्मित करने के लिए अपनी अपस्ट्रीम गतिविधियों को तेज किया है। वर्ष 2024-25 में प्रमुख घरेलू और विदेशी खंडों में रणनीतिक साझेदारियां, प्रौद्योगिकी उपयोग और उत्पादन तीव्रता देखने को मिली हैं। इनसे दीर्घावधि हाइड्रोकार्बन आपूर्ति सुनिश्चित करने के हमारे लक्ष्य में मदद मिली।

वैकल्पिक ऊर्जा और अन्य व्यवसाय

भारत जब शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने की ओर बढ़ रहा है, तब इंडियनऑयल नवीकरणीय ऊर्जा, जैवईंधन (बायोफ्यूल), हरित हाइड्रोजन (ग्रीन हाइड्रोजन), सतत विमानन ईंधन और अपशिष्ट-से-ऊर्जा इत्यादि में विविधता लाकर इस परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। हमने 2024-25 में रणनीतिक प्रगति करते हुए पायलट परियोजनाओं को कमीशन किया, मौजूदा हरित परिसंपत्तियों का विस्तार किया और अपनी वैकल्पिक ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नवप्रवर्तकों के साथ साझेदारी की। ये सभी पहलें एक सतत ऊर्जा भविष्य को ढालने में हमारे बढ़ते महत्व का द्योतक हैं।

इंडियनऑयल - हरित हाइड्रोजन गतिशीलता में अग्रणी

प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त

'हाई-ऑक्टेन' प्रदर्शन के साथ विस्तार

इंडियनऑयल ने व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद 2024-25 में मजबूत प्रचालन प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड बिक्री, अधिकतम पाइपलाइन थ्रूपुट और डिस्टिलेट उत्पादन का अब तक का एक सर्वोत्तम स्तर प्राप्त किया। ये उपलब्धियां हमारे प्रचालन मॉडल की सुदृढ़ता, तेज नवाचार और अत्यधिक कुशल वितरण नेटवर्क को दर्शाती हैं।

इंडियनऑयल एक ऊर्जा
महारत्न क्यों है?

इंडियनऑयल देश की बदलती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए एक अनुपम स्थिति में है। अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति, अद्वितीय अवसंरचना, विविधतापूर्ण ऊर्जा पोर्टफोलियो और महत्वाकांक्षी स्थिरता लक्ष्यों के साथ हम देश की आर्थिक प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने और हितधारकों को स्थायी मूल्य प्रदान को तैयार हैं।

भारत की **सबसे बड़ी** रिफाइनर कंपनी

भारत की **दूसरी सबसे बड़ी** पेट्रोकेमिकल कंपनी

भारत की **दूसरी सबसे बड़ी** ईएंडपी कंपनी

उपलब्धियां और माइलस्टोन (2024-25)

- **सभी सेगमेंट में ऐतिहासिक बिक्रियां:** कंपनी ने 2024-25 में पहली बार 100 एमएमटी का आंकड़ा पार करते हुए अब तक की सबसे अधिक बिक्री की। सभी क्षेत्रों (गैस, पेट्रोकेमिकल और विस्फोटक सहित) में बिक्रियां 100.29 एमएमटी तक पहुंचीं। यह पिछले वर्ष की 97.5 एमएमटी की बिक्री के मुकाबले उल्लेखनीय बढ़ोतरी है।
- **रिकॉर्ड पाइपलाइन थ्रूपुट और रणनीतिक विस्तार:** कंपनी के इतिहास में पहली बार, पाइपलाइन थ्रूपुट 100.5 एमएमटी को पार कर गया। हमने देश में पाइपलाइन नेटवर्क का 261 किलोमीटर तक विस्तार किया। इससे हमारा कुल नेटवर्क 20,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। यह भारत की कुल पाइपलाइन अवसंरचना के आधे से ज्यादा के बराबर है।
- **एकीकृत पूंजीगत व्यय:** रिफाइनिंग, विपणन, पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल और हरित ऊर्जा परखंड (सैगमेंट) में क्षमता विस्तार, डिजिटलीकरण, डीकार्बनाइजेशन और अवसंरचना विकास में सहायता हेतु पूंजीगत व्यय में ₹40,374 करोड़ का निवेश किया गया है।
- **रिफाइनरी का निरंतर निष्पादन और विकास पथ:** सुदृढ़ डिस्टिलेट उत्पादन स्तरों और आपूर्ति श्रृंखला में अनुशासन के साथ पूरे वर्ष ऊंचा रिफाइनरी थ्रूपुट बनाए रखा गया। कंपनी भविष्य की ऊर्जा मांग के अनुरूप 2026-27 तक कुल रिफाइनिंग क्षमता को 80.75 से 98.4 एमएमटीपीए तक बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है।
- **वैश्विक चुनौतियों के बीच पेट्रोकेमिकल विकास:** वैश्विक बाजार में सुस्ती के बावजूद उत्पाद विविधीकरण और मुख्य रिफाइनिंग प्रचालनों के साथ बेहतर एकीकरण के चलते इंडियनऑयल की बिक्री बढ़कर 3.24 एमएमटी हुई।

रणनीतिक लाभ और विकास के स्तंभ

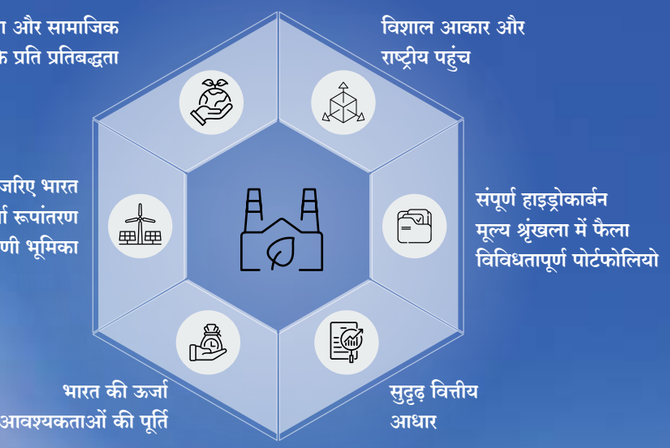

बेजोड़ दायरा और पहुंच

इंडियनऑयल अपने विशाल, सबसे लंबे पाइपलाइन नेटवर्क और देशव्यापी कस्टमर टचप्वाइंट्स (ग्राहक संपर्क बिंदु) के साथ भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक अद्वितीय उपस्थिति रखती है। साथ ही देश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर पहुंच सुनिश्चित करती है।

10 ग्रुप रिफाइनरियां
80.75 एमएमटीपीए क्षमता के साथ

63 देशों में
निर्यात उपस्थिति

40,200+
रीटेल आउटलेट

3.5 करोड़
ग्राहकों को प्रतिदिन सेवाएं

15.46 करोड़
सक्रिय एलपीजी ग्राहक

बढ़ता अंतर्देशीय और निर्यात मिश्रण

अंतर्देशीय
बिक्री (एमएमटी)

95.4

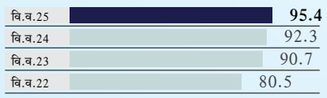

निर्यात
बिक्री (एमएमटी)

4.9

अपस्ट्रीम

14 घरेलू और 11 विदेशी सक्रिय ब्लॉक में अन्वेषण, विकास और उत्पादन कार्य जारी

अपस्ट्रीम उत्पादन
(एमएमटीओई)

4.45

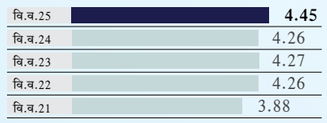

मिडस्ट्रीम

भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनर

लगभग 31%
बाजार हिस्सेदारी

रिफाइनरी थ्रूपुट
(एमएमटी)

71.56

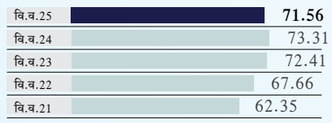

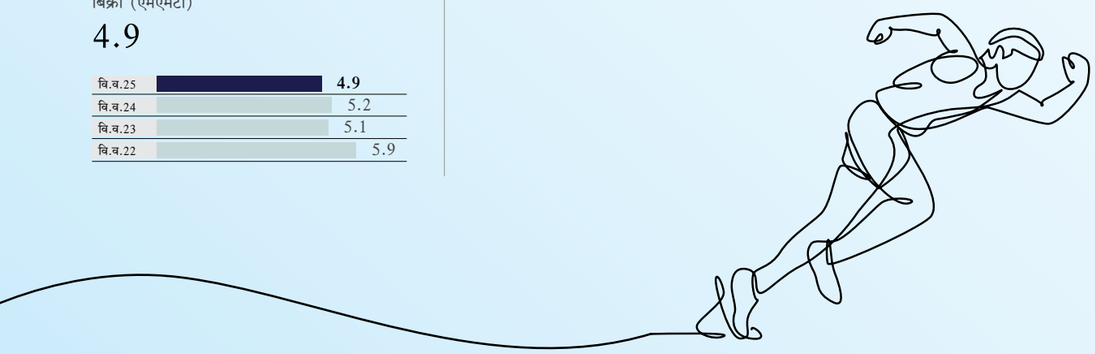

डाउनस्ट्रीम

भारत में 63,000 से ज़्यादा कस्टमर टचप्वाइंट (ग्राहक संपर्क बिंदु) वाला सबसे बड़ा फ्यूल रीटेलर (खुदरा ईंधन विक्रेता)

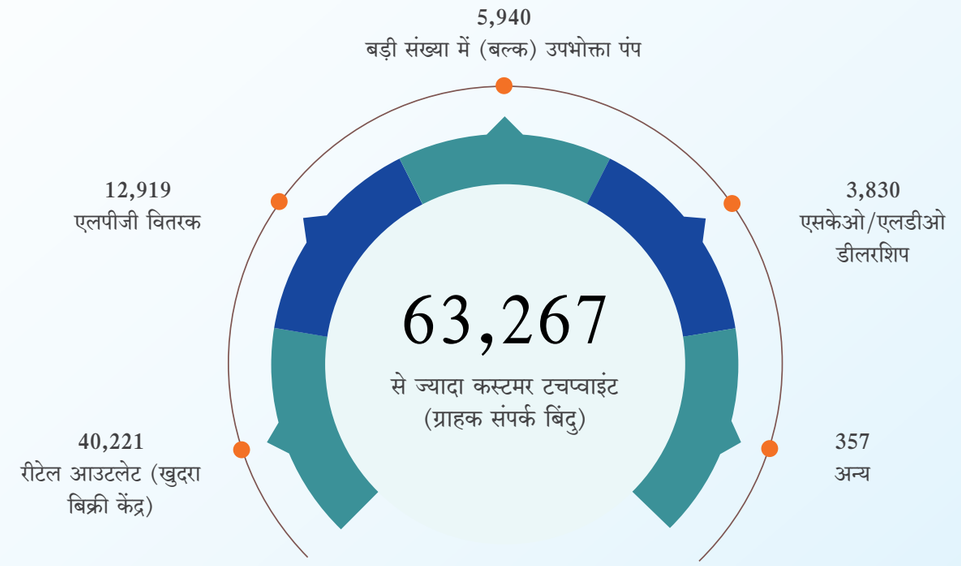

सबसे बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क
लंबाई (किलोमीटर)

5,324
क्रूड पाइपलाइन

13,344
उत्पाद पाइपलाइन

1,337
गैस पाइपलाइन

बाजार अवसरंचना में अग्रणी[1]
इंडियनऑयल की हिस्सेदारी

41.58%
रीटेल आउटलेट (खुदरा बिक्री केंद्र)

51%
एलपीजी वितरक

47.3%
विमानन ईंधन स्टेशन

([1]पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ)

पूरी हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में फैला विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो

इंडियनऑयल रणनीतिक रूप से एक विविधतापूर्ण ऊर्जा समाधान प्रदाता के रूप में स्वयं को स्थापित कर रही है और पारंपरिक अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम प्रचालनों से आगे जाते हुए पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस और वैकल्पिक ऊर्जा में प्रगति के ऊंचे अवसरों का लाभ उठा रही है।

पेट्रोकेमिकल

रणनीतिक विस्तार से तेज मूल्य सृजन

हमने पेट्रोकेमिकल को भविष्य के विकास की आधारशिला पाते हुए एक रिफाइनिंग-केंद्रित कंपनी से एक एकीकृत ऊर्जा और रसायन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के रूप में उल्लेखनीय बदलाव हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

13.2 एमएमपीटीए

पेट्रोकेमिकल क्षमता विस्तार का लक्ष्य
2030 तक

हमने पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करते हुए 2030 तक अपने पेट्रोकेमिकल तीव्रता सूचकांक (पीआईआई) को 6.1% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। पारादीप स्थित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, पानीपत स्थित पॉली बूटाडीन रबर संयंत्र और भद्रक, ओडिशा स्थित कपड़ा परियोजना सहित हमारी प्रमुख परियोजनाओं का उद्देश्य अधिक मूल्य सृजन, मजबूत क्षेत्रीय मांग की पूर्ति और *'आत्मनिर्भरता'* के विज़न के अनुरूप आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना है।

पारादीप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स

₹61,077 करोड़ का पारादीप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इंडियनऑयल का किसी एक जगह पर अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जो एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी विकास का मंच तैयार करता है।

- ↗ विश्व-स्तरीय अवसंरचना : इस कॉम्प्लेक्स में 1.5 एमएमटीपीए क्षमता का नेफ्था क्रैकर होगा। साथ ही, पॉलीप्रोपाइलीन, उच्च-घनत्त्व के पॉलीएथिलीन, लीनियर लो-डेंसिटी पॉलीएथिलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड का उत्पादन करने वाली डाउनस्ट्रीम यूनिट होंगी।
- ↗ विशिष्ट रसायन : हम फिनोल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और बूटाडीन के विशेष उत्पादन के साथ उच्च-मूल्य वाले बाजार क्षेत्रों में भी बढ़ रहे हैं।

उद्योगों को ईंधन देना, भविष्य को आकार देना - इंडियनऑयल पेट्रोकेमिकल्स

प्राकृतिक गैस

भारत की गैस-आधारित अर्थव्यवस्था का अवसंरचना निर्माण

हम भारत के प्राकृतिक गैस पारिस्थितिक तंत्र में एक अग्रणी कंपनी हैं और देश के गैस-आधारित अर्थव्यवस्था के विज़न का लाभ उठाने के लिए विशेष स्थिति में हैं।

विकास रणनीति और विस्तार योजनाएं

- ↗ महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य - बढ़ती पाइपलाइन अवसंरचना और शहरी गैस वितरण नेटवर्क की मदद से 2030 तक प्राकृतिक गैस बिक्री को तीन गुना करना।
- ↗ अवसंरचना विकास - कार्याधीन परियोजनाओं में हज़ारीबाग-रांची प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और मौजूदा प्रणालियों की क्षमता वृद्धि शामिल है।
- ↗ रणनीतिक खरीद - एडीएनओसी, टोटल एनर्जीज़ के साथ 3 एमएमटीपीए से अधिक की एलएनजी खरीद के लिए दीर्घावधि समझौते और कतर एनर्जी के साथ अनुबंध का नवीनीकरण।

भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

आयातित प्राकृतिक गैस व्यवसाय में

13.18 एमएमटीपीए

की कुल एलएनजी टर्मिनल क्षमता कई रणनीतिक स्थानों पर

वैकल्पिक ऊर्जा : भारत के स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण का नेतृत्त्व

नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और संपोषी प्रौद्योगिकियों में व्यापक निवेश करते हुए हम भारत के ऊर्जा रूपांतरण का नेतृत्व कर रहे हैं। इसका लक्ष्य 2046 तक शून्य प्रचालन कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना है। यह अवधि इस मामले में भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य से भी 24 वर्ष पहले की है।

नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार

- ↗ वर्तमान पोर्टफोलियो : 252.1 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जिसमें 167.6 मेगावॉट पवन और 84.5 मेगावॉट सौर ऊर्जा शामिल।
- ↗ परिवर्तनकारी लक्ष्य : 2030 तक 31 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पाना।
- ↗ सहायक कंपनी टेरा क्लीन : 1 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर काम जारी, जिसे आने वाले वर्षों में 5.3 गीगावॉट तक बढ़ाया जाना।

ग्रीन हाइड्रोजन में नेतृत्व

- ↗ हम देश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए भारत के ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम का नेतृत्व कर रहे हैं :
- ↗ प्रमुख परियोजना : पानीपत रिफाइनरी में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र दिसंबर 2027 तक चालू होने वाला है।
- ↗ रणनीतिक विज़न : वर्ष 2030 तक वर्तमान हाइड्रोजन उपभोग के 50% को हरित ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य। इससे तेल शोधन, इस्पात निर्माण और भारी परिवहन जैसे कार्बन-मुक्ति में मुश्किल क्षेत्रों को सहयोग मिलेगा।
- ↗ प्रौद्योगिकी एकीकरण : इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सौर, पवन या जल स्रोतों से प्राप्त नवीकरणीय बिजली का उपयोग। यह धीरे-धीरे रिफाइनरी प्रचालनों में जीवाश्म ईंधन आधारित हाइड्रोजन की जगह ले रही है।

पवन ऊर्जा को वाट में बदलना - नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इंडियनऑयल की 167.6 मेगावाट की प्रगति

सुदृढ़ वित्तीय स्थिति

इंडियनऑयल ने निष्पादन में एक बुलंद ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वित्तीय लचीलेपन की भी मिसाल पेश की है। लगातार लाभांश भुगतान और विकास व नवाचार में रणनीतिक निवेश शेयरधारकों के मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो इंडियनऑयल को एक भरोसेमंद विकल्प बनाता है।

कुल संपत्ति

करोड़ रुपए में

1,78,677

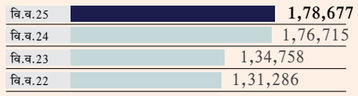

₹99,892.92 करोड़
कुल सृजित आर्थिक मूल्य

7.10%
लगाई गई पूंजी पर औसत रिटर्न

₹33,170 करोड़
की प्रचालित नकदी प्रवाह क्षमता

भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर ऊंची बने रहने की उम्मीद है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग बढ़ेगी और इंडियनऑयल के लिए बाजार अवसर बढ़ेंगे।

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती खपत

(एमएमटी)[3]

239.2

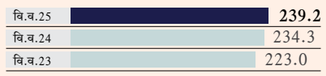

तेल की मांग को पूरा करने के लिए कंपनियों की अनुमानित क्षमता वृद्धि

(एमबीपीडी)[4]

- **6.8** – 2030
- **5.2** – 2022

चौथी सबसे बड़ी

अर्थव्यवस्था दुनिया की (आईएमएफ के अनुसार भारत 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा)

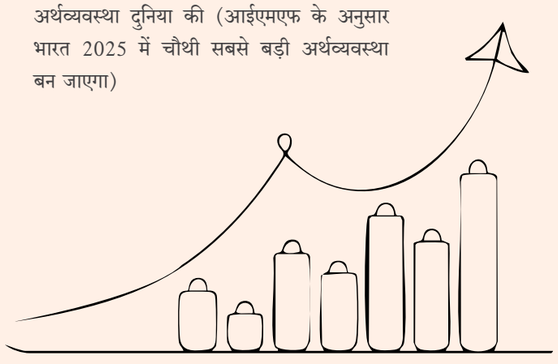

[3] भारत के तेल एवं गैस आंकड़ों का एक संक्षिप्त विवरण, मासिक रेडी रेकनर तालिका, सितंबर-2024
[4] इंडियनऑयल की बाजार रिपोर्ट

तेज गति से नवाचार

अनुसंधान एवं विकास की दमदार पाइपलाइन

इंडियनऑयल ने 1,689 सक्रिय पेटेंटों के साथ लगभग सात वर्षों में अपने पेटेंट दोगुने किए हैं और उन्नत प्रौद्योगिकियों के जरिए भविष्य के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया है।

₹1,067 करोड़
का व्यय विभिन्न प्रभागों में अनुसंधान एवं विकास और प्रमुख नवाचार पहलों पर हुआ

हाइड्रोजन और जैव ईंधन में अग्रणी

इंडियनऑयल ने भारत का पहला

3जी इथेनॉल संयंत्र

स्थापित किया है।

उभरती प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक निवेश

कार्बन कैप्चर और नेक्स्ट जनरेशन बैटरी टेक्नोलॉजी (लिथियम-आयन और एल्युमीनियम-एयर) जैसे उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम वैकल्पिक ऊर्जा समाधानों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी भूमिका निभाने की स्थिति में हैं।

ग्रीन परिसंपत्तियां

नवीकरणीय ऊर्जा

252.1 मेगावॉट
कुल ऊर्जा क्षमता

167.6 मेगावॉट
पवन

84.5 मेगावॉट
सौर

इथेनॉल

~100 केएलपीडी
2जी इथेनॉल संयंत्र

~128 केएलपीडी
3जी इथेनॉल संयंत्र

कंप्रैस्ड बायो गैस

44
संयंत्र

125
सीबीजी स्टेशन

प्राप्त परिणाम

↗ 4,656 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन वित्तीय वर्ष 2025 में चालू किए। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 13,614 हो गई।

↗ 37 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन वित्तीय वर्ष 2025 में शुरू किए गए। कुल संख्या 128 हुई।

↗ 10 केटीए का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र पानीपत में लगने वाला है। इसके साथ भारत के ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को आगे बढ़ाया गया।

↗ भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें शुरू की गईं जो देश की ग्रीन परिवहन पहलों में बड़ी उपलब्धि सिद्ध होंगी।

सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा

इंडियनऑयल एक सतत भविष्य के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण, प्रभावी सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों को लगातार प्राथमिकता दी जाती है। हम अपनी पहलों को वैश्विक पर्यावरण, सामाजिक और शासन-विधि (ईएसजी) मानकों के अनुरूप रखते हुए भारत के ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान दे रहे हैं। साथ ही समुदायों व पारिस्थितिक तंत्रों (इकोसिस्टम) में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।

2046 तक शून्य प्रचालनगत कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन (बायो फ्यूल), नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों पर ध्यान।

31 गीगावॉट
नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य 2030 तक

100%
डीकार्बनाइजेशन 2046 तक

1.36+ करोड़
लाभार्थियों तक पहुंच 2024-25 के दौरान सीएसआर कार्यक्रमों के जरिए

रिफाइनरी इकोपार्क के माध्यम से डिगबोई रिफाइनरी की एक झलक

इंडियनऑयल
IndianOil

SPRINT
A Transformational Project

भविष्य की ओर एक बड़ा कदम

बदलती दुनिया संग, बदलता इंडियनऑयल

1. **मूल व्यवसाय सशक्तिकरण**
   देश का सबसे बड़ा रिफ़ाइनर बने रहना, फ्यूल रिटेल बाज़ार में हिस्सेदारी बढ़ाना, संस्थानों संबंधित व्यवसाय में सबसे आगे रहना, और विशेष रसायनों सहित पेट्रोकेमिकल क्षमता का विस्तार करना।
2. **लागत अनुकूलन**
   ऊर्जा उत्पादों की आपूर्ति में सर्वश्रेष्ठ और कम लागत वाली कंपनी बनना, मार्केटिंग व्यवसाय में सबसे कम खर्च में अच्छा काम करना, रखरखाव पर खर्च अनुकूलन, और समयपूर्वक परियोजनाएं संपूर्ण करना।
3. **ग्राहक सेवा मज़बूतीकरण**
   लोगों की पहली पसंद बनना, नए ग्राहकों तक पहुँच बढ़ाना और ऐसे नए प्रस्ताव देना जो ग्राहकों का अनुभव बेहतर और यादगार बनाए।
4. **टेक्नोलॉजी व नवाचार एकीकरण**
   मौजूदा और नए व्यवसायों के लिए नए उत्पाद तैयार करना, बेहतर कमाई के लिए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करना और भविष्य के लिए सही तकनीकी विकल्प चुनना।
5. **नेतृत्व व प्रतिभा पोषण**
   अच्छे लीडर तैयार करना, नए व्यवसायों के लिए योग्य लोगों को तैयार करना और भर्ती करना।
6. **परिवर्तन तत्परता**
   हरित ऊर्जा में निवेश तेज करना, नए विकास के रास्ते बनाना और Net-Zero लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना।

स्प्रिंट केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक वादा है।

बदलाव लाना, जिम्मेदारी से नेतृत्व करना, ग्राहकों को ध्यान में रखकर भारत के विकास को गति देना।

अध्यक्ष की कलम से

66

इंडियनऑयल ने उत्पाद बिक्री, रिफाइनिंग और पाइपलाइन्स प्रचालनों में वर्ष 2024-25 में रिकार्ड ऊँचाई को प्राप्त किया। साथ ही, ग्रीन एनर्जी की ओर भी कदम बढ़ाए। कंपनी कई साहसिक निवेशों, नए ज़माने के ईंधनों और 'प्रोजेक्ट स्प्रिंट' के साथ खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। साथ ही साथ, स्वयं को विविधीकृत ऊर्जा में अग्रणी कंपनी के रूप में ढाल रही है।

99

श्री अरविंदर सिंह साहनी
अध्यक्ष, इंडियनऑयल

प्रिय शेयरधारकों,

इंडियनऑयल ने वैश्विक उथल-पुथल, आर्थिक पुनर्संतुलन और ऊर्जा क्षेत्र में बदलावों से ओत-पोत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया। हमें 2024-25 के लिए इंडियनऑयल की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने रखते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उपलब्धियों से भरे एक और वर्ष के दौरान हमारी यात्रा को अपना अटूट समर्थन देने के लिए सभी का धन्यवाद।

भारत की प्रमुख ऊर्जा कंपनी के रूप में इंडियनऑयल देश के ऊर्जा सुरक्षा ढांचे की मेरुदंड बनी हुई है। दूरदराज के गांवों की ईंधन संबंधी जरूरतों को पूरा करने से लेकर उच्च विकास वाले औद्योगिक कॉरिडोर को ऊर्जा पहुंचाने तक हम राष्ट्र की प्रगति के केंद्र में रहे हैं। गत वित्तीय वर्ष में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य लगातार जटिल होता गया। कच्चे तेल की कीमतें 75 से 95 डॉलर प्रति बैरल के बीच उतरती चढ़ती रहीं। रिफाइनिंग मार्जिन ने दबाव झेला। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन में तेजी आई। इन सबके बीच इंडियनऑयल ने अपनी स्थिति सुदृढ़ रखी। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, प्रमुख ईंधन उत्पादों में घटते मार्जिन और बाजार में बढ़ती अस्थिरता, आदि सबने मिलकर वर्ष के दौरान लाभप्रदता पर असर डाला। लेकिन फिर भी अपने संपर्क में आए हर व्यक्ति को ऊर्जान्वित करने की हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ रही और इसने हर संपर्क बिन्दु (टच प्वाइंट) पर हमारे प्रयासों को सही दिशा दिखाई।

हमारे प्रयासों को राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों मंचों पर मान्यता मिली है। इंडियनऑयल ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में 127वें पायदान पर अपना प्रतिष्ठित स्थान बनाए रखा। हमें डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स (डीजेएसआई) में भारतीय तेल और गैस की शीर्ष कंपनी का दर्जा दिया गया। क्लेरिवेट के 2024 के टॉप 100 ग्लोबल इनोवेटर्स में हमें शामिल किया गया। यह उपलब्धि किसी भी भारतीय ऊर्जा कंपनी ने पहली बार प्राप्त की है। बिज़नेस वर्ल्ड द्वारा भारत की सबसे सम्मानित तेल और गैस कंपनी के रूप में हमें मान्यता दी गई। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार, हमें 2024 तथा उससे पूर्व दो वर्षों में देश के शीर्ष तेल एवं गैस (पीएसयू) ब्रांड का दर्जा भी मिला है। ये सम्मान इंडियनऑयल की प्रचालन उत्कृष्टता ही नहीं, बल्कि इस ब्रांड में सबके स्थायी विश्वास और इसकी सुदृढ़ता को भी दर्शाते हैं।

अब मैं इंडियनऑयल की यात्रा में एक नए युग की नींव रखने वाले वर्ष, 2024-25 के दौरान हमारे प्रदर्शन की प्रमुख बातें साझा करना चाहूंगा।

पारादीप रिफाइनरी, ओडिशा में मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल (एमईजी) यूनिट

प्रगति को बल, नींव का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2024-25 इंडियनऑयल की यात्रा में कोई सामान्य अध्याय नहीं था, अपितु यह पैमाने, तालमेल और रणनीतिक विकासक्रम का एक ऐतिहासिक वर्ष था। आपकी कंपनी की उत्पाद बिक्री पहली बार 100 मिलियन मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गई। इससे भारत के ऊर्जा इको सिस्टम में इंडियनऑयल की बेजोड़ पहुंच की पुष्टि हुई। हमने अपने विशाल पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए रिकॉर्ड 100 एमएमटी हाइड्रोकार्बन भी पहुंचाया और हमारा ग्रुप रिफाइनिंग थ्रूपुट रिकॉर्ड 82.02 एमएमटी तक पहुंच गया। इससे हमारा क्षमता उपयोग 100% से अधिक रहा। डिस्टिलेट उत्पादन 80.6% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। ईंधन एवं हानि गिरकर पांच वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 8.8% पर आ गया, जो प्रचालन अनुशासन और दक्षता का प्रमाण है।

पाइपलाइन सेगमेंट में 261 किलोमीटर का नया नेटवर्क चालू किया गया। इससे हमारे भूमिगत ऊर्जा राजमार्गों का विस्तार 20,000 किलोमीटर से अधिक हो गया। कच्चे तेल और उत्पाद पाइपलाइन थ्रूपुट ने जहां रिकॉर्ड स्तर छुआ, वहीं गैस पाइपलाइनों में वर्ष-दर-वर्ष 25% से अधिक की वृद्धि हुई।

पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना के हिस्से के रूप में विजयवाड़ा में मुख्य लाइन को नीचे करने का कार्य प्रगति पर है

कंपनी का पेट्रोकेमिकल सेगमेंट भी 3.23 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन और 3.24 मिलियन मीट्रिक टन बिक्री (निर्यात सहित) के अब तक के सर्वोच्च स्तर के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। पैकेजिंग, ऑटोमोटिव और घरेलू उपकरण संबंधी उपयोगों के लिए नए और बेहतर पॉलिमर ग्रेड लाए गए, जिन्हें क्रॉम्पटन, पीएंडजी, और पैनासोनिक जैसे प्रमुख ब्रांडों से 16 ओईएम अनुमोदन मिले हैं। गुजरात में 90 केटीए के नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल संयंत्र के चालू होने और नेपाल को रिकॉर्ड निर्यात ने इस क्षेत्र को और मजबूत किया है। हमारे रिसाइकल पॉलिमर ब्रांड 'साइक्लोप्लास्ट' ने 220 मीट्रिक टन की अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक बिक्री की है।

अपस्ट्रीम क्षेत्र में कंपनी 25 तेल और गैस परिसंपत्तियों का एक विविधितापूर्ण पोर्टफोलियो रखती है। इनमें 14 परिसंपत्तियां भारत में और 11 विदेश में हैं, जिनमें से 9 में उत्पादन जारी है। झारखंड में सीबीएम गैस उत्पादन के आरंभ और कनाडा में विदेशी परिसंपत्तियों से उत्पादन वृद्धि के चलते उत्पादन बढ़कर 4.45 एमएमटी तेल के बराबर हो गया। अबू धाबी के ऑनशोर ब्लॉक-1 में नए हाइड्रोकार्बन भंडार की खोज, लीबिया में 'फोर्स मेजर' की समाप्ति, कैंबे बेसिन में मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण और यूएई तथा रूसी परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी से निरंतर लाभांश आय ने हमारी स्थिति और सुदृढ़ की है।

भारत को प्रतिदिन ऊर्जा आपूर्ति

कंपनी के लिए 2024-25 अद्वितीय पहुंच वाला, नवाचार भरा और प्रभावोत्पादक वर्ष रहा। प्रत्येक ग्राहक के साथ गहरा संबंध स्थापित करते हुए हमने राष्ट्र को ऊर्जा प्रदान की। आपकी कंपनी ने कई नई उपलब्धियों को छुआ। घरेलू स्तर पर 84.96 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों (एलएनजी को छोड़कर) की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज करने से लेकर हमने देश भर में 63,000 से अधिक संपर्क बिन्दुओं (टच प्वाइंट्स) के माध्यम से 41.52% की बाजार हिस्सेदारी हासिल की।

बड़े पैमाने पर नेटवर्क विस्तार के साथ 2,823 नए रिटेल आउटलेट (खुदरा बिक्री केंद्र), 350 सीएनजी स्टेशन और 40 सीबीजी स्टेशन ऑनलाइन हुए। इसके बाद कुल रिटेल आउटलेट 40,221, सीएनजी आउटलेट 2,437 और सीबीजी केंद्र 125 हो गए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सका कि कोई भी क्षेत्र ऑफ-ग्रिड न रह जाए। ग्राहक सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ-साथ सस्टेनेबिलिटी पर भी काम किया गया। वर्ष के दौरान 4,227 अतिरिक्त आउटलेट सौर ऊर्जा युक्त हो गए, जिससे यह कुल संख्या 35,874 (नेटवर्क का 89.2%) हो गई और 222.42 गीगावॉट घंटे से अधिक बिजली का उत्पादन हुआ। इलेक्ट्रिक परिवहन अवसंरचना में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 4,526 तेज तथा 130 धीमे ईवी चार्जर चालू हुए। कुल स्टेशनों और 37 बैटरी-स्वैपिंग स्थानों की संख्या बढ़कर 13,614 हो गई। इससे कम कार्बन वाले परिवहन समाधानों में इंडियनऑयल की अग्रणी स्थिति और सुदृढ़ हुई। ईंधन स्टेशनों को यात्री-अनुकूल स्थलों में बदलने के लिए कंपनी ने 2024-25 में सड़क किनारे की 28 'वे-साइड' सुविधाएं आरंभ कीं। इसके साथ 31.03.2025 तक इनकी कुल संख्या 68 हो गईं। कंपनी की 2025-26 के दौरान ऐसे 35 और स्थल विकसित करने की योजना है।

कंपनी ने राष्ट्रीय इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निर्णायक प्रगति की है और 2024-25 में 17.2% ब्लेंडिंग को प्राप्त किया है। अगले चरण के रूप में दिसंबर 2024 में 'ई20' पेट्रोल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। बायोडीजल सम्मिश्रण (ब्लेंडिंग) भी रिकॉर्ड 0.52% पर पहुंच गया, जो सब तेल विपणन कंपनियों में सर्वाधिक है। इससे स्वच्छ ईंधन विकल्पों के प्रति इंडियनऑयल की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

नई दिल्ली में इंडियन ऑयल कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा संचालित रिटेल आउटलेट

कंपनी ने ग्राहक मूल्य और सुविधा को बेहतर करने के लिए अपने एलपीजी पोर्टफोलियो को समृद्ध किया। उसकी बिक्री 8.6% की वृद्धि के साथ 15.40 एमएमटी (निर्यात सहित) तक पहुंच गई। घरेलू एलपीजी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 45.23% हो गई है। लगभग 37.5 लाख नए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। एलपीजी की थोक बिक्री 594 टीएमटी तक पहुंचने के अलावा आपकी कंपनी ने 'एक्स्ट्रातेज', 'छोटू', 'नैनोकट' जैसे विशेष वेरिएंट के साथ रिकॉर्ड बिक्री की। साथ ही ग्राहक-प्रथम नवाचारों को लॉन्च किया गया। इसमें 'एक्स्ट्राबूस्ट' (नैनो-एडिटाइज्ड ऑटो एलपीजी जो 3% तक अधिक ईंधन दक्षता, 4.5% अधिक शक्ति और तेज एक्सिलरेशन देता है। साथ ही डेली यूज़र्स को सहज, ज्यादा किफायती ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है।), 'प्रोपेन प्लस' (पारंपरिक प्रोपेन का उन्नत वर्ज़न। इसे ज्यादा ऊंची लौ वाले तापमान, स्वच्छ ज्वलन, बेहतर ईंधन दक्षता और ज्यादा हीट आउटपुट देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विशेषकर ऐसे वाणिज्यिक और हल्के-औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए है जो भरोसेमंद, उच्च-निष्पादन वाले ईंधन विकल्प चाहते हैं।) और 'छोटू मास्टर' (आधुनिक, सुविधा-केंद्रित घरों के लिए एक कॉम्पैक्ट सिलेंडर और कुकटॉपयुक्त एकीकृत पैकेज) शामिल हैं।

इंडियन ऑयल द्वारा त्रिवेंद्रम एएफएस में रक्षा विमानों में ईंधन भरना

विमानन ईंधन में कंपनी ने 5.07 एमएमटी एटीएफ की बिक्री और 54.53% बाजार हिस्सेदारी के साथ अपना नेतृत्व बनाए रखा। श्रीनगर और रीवा में विमानन ईंधन स्टेशनों को चालू किया गया और इनकी कुल संख्या 130 हो गई। सभी 120 पात्र विमानन ईंधन स्टेशनों ने 'ग्रीनको' प्रमाणन प्राप्त किया और इनमें से 9 ने गोल्ड स्टेटस हासिल किया है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश को एवीगैस 100 एलएल का निर्यात करने से इंडियनऑयल की वैश्विक उपस्थिति बढ़ी। वायनाड भूस्खलन और उत्तराखंड की बाढ़ के दौरान आपातकालीन राहत में सहायक भूमिकाओं ने भी इंडियनऑयल की प्रचालन गहनता को प्रदर्शित किया।

ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स के मोर्चे पर 'सर्वो' ने 780 टीएमटी की रिकॉर्ड बिक्री के साथ अपना प्रभुत्व जारी रखा, जो कि अब 45 देशों में उपलब्ध है। इस वर्ष ईवी-विशिष्ट लुब्रिकेंट्स की पूरी श्रृंखला लाई गई। कंपनी ने 'स्टॉर्म' और 'स्टॉर्म एक्स' भारत के पहले एफआईएम कैटेगरी-2 के रेसिंग फ्यूल लॉन्च किए। साथ ही, 2026 तक लगातार तीन वर्षों के लिए इन रेसिंग आयोजनों की 'ऑफिशियल फ्यूल पार्टनर' बनी। इस कदम ने भारत को वैश्विक मोटरस्पोर्ट मैप पर एक सशक्त पहचान दिलाई।

प्राकृतिक गैस व्यवसाय ने भी 20% वृद्धि के साथ 9.45 एमएमटीपीए बिक्री से नई ऊंचाइयों को छुआ। स्पॉट एलएनजी वॉल्यूम में 69% की वृद्धि और छोटे स्तर की एलएनजी बिक्री में 186 टीएमटी की वृद्धि हुई। अपने सीजीडी फुटप्रिंट का विस्तार करते हुए कंपनी अब 115 जिलों के 49 इलाकों में सेवाएं दे रही है। देश की लगभग 21% आबादी और 12% भौगोलिक क्षेत्र को वह कवर कर रही है। भारत की गैस सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए कंपनी ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की रुवैस रिफाइनरी से (1 एमएमपीटीए) से 15 वर्षीय आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, गत वर्ष किए गए दीर्घावधि एलएनजी समझौतों को भी अंतिम रूप दिया गया है, जिनमें टोटल एनर्जीज (0.8 एमएमपीटीए) के साथ 10 वर्षीय समझौता और अबू धाबी गैस लिक्विफैक्शन (1.2 एमएमपीटीए) के साथ 14 वर्षीय समझौता प्रमुख है।

बढ़ता नवाचार, बेहतर ग्राहक मूल्य

इंडियनऑयल में अनुसंधान और नवाचार कोरी अमूर्त गतिविधियां नहीं हैं, अपितु ये प्रचालन उत्कृष्टता, रणनीतिक विशिष्टता और दीर्घावधि शेयरधारक मूल्य के शक्तिशाली प्रवर्तक हैं। अपनी प्रगति के व्यापक आकार और व्यवसाय पर ठोस प्रभाव के लिहाज से कंपनी के अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए 2024-25 एक ऐतिहासिक वर्ष सिद्ध हुआ।

वर्ष के दौरान कंपनी ने 73 नई फाइलिंग की और 129 नए पेटेंट प्राप्त किए। इससे प्रभावी पेटेंट संख्या 1,689 और संचयी फाइलिंग 1,809 हो गई। यह हमारी पाइपलाइन नवाचार की गहनता और प्रासंगिकता का प्रमाण है।

इन नवाचारों का प्रभाव पूरी मूल्य श्रृंखला में महसूस किया गया। रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल से लेकर स्वच्छ ईंधन और पाइपलाइनों तक प्रचालन दक्षता, सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन और स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया गया। इंडियनऑयल की अपनी कैटेलिस्ट तकनीक को कई रिफाइनरियों में सफलतापूर्वक लागू किया गया। इनमें बोंगाईगांव स्थित IV-IZOMaxCat® और पारादीप स्थित i-ZN22® कैटेलिस्ट तकनीक शामिल हैं। इन तकनीकों ने पॉलीप्रोपाइलीन उत्पादन में व्यावसायिक मानकों (बेंचमार्क) को पार कर लिया। वर्ष के दौरान 3,800 मीट्रिक टन से अधिक इन-हाउस कैटेलिस्ट की आपूर्ति की गई। इससे आयात निर्भरता कम हुई और किफायती रिफाइनिंग कार्यों को समर्थन मिला।

गुजरात के अंजार में इंडियनऑयल के हेरिटेज रिटेल आउटलेट पर ईवी चार्जिंग स्टेशन

आपकी कंपनी के आरएंडडी ने परिवहन समाधानों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी उन्नत ईवी लुब्रिकेंट लेकर आई, उसने 58 नए ओईएम अनुमोदन प्राप्त किए और 169 से अधिक नए लुब्रिकेंट फॉर्मूलेशन जारी किए। परिणामतः उभरते ऑटोमोटिव परिदृश्य में इंडियनऑयल का नेतृत्त्व सुदृढ़ हुआ। इन-हाउस नैनोटेक्नोलॉजी अनुसंधान से विकसित प्रोपेन प्लस® और एक्स्ट्राबूस्ट® जैसे नवाचारों ने ग्राहकों को उच्च ईंधन दक्षता, कम उत्सर्जन और बढ़े हुए प्रदर्शन से लाभान्वित किया।

पाइपलाइन प्रचालनों में इंडियनऑयल के आरएंडडी ने परिसंपत्ति अखंडता और सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। INDScan® iPIG उपकरणों ने वर्ष के दौरान 4,500 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन के निरीक्षण को सुगम किया। इससे पूर्वानुमानित रखरखाव और प्रचालन निरंतरता संभव हुई। इस बीच कैप्टिव उपयोग के लिए विकसित ड्रैग रिड्यूसिंग एजेंट XtraFlo® ने ऊर्जा की खपत कम करते हुए प्रवाह दर बढ़ाने की अपनी क्षमता के लिए उद्योग जगत में लोकप्रियता पाई है।

भारत के हरित बदलावों का समर्थन करने के लिए हमारे इन आरएंडडी प्रयासों ने ग्रीन हाइड्रोजन, ईंधन सेल प्रौद्योगिकी, 2जी इथेनॉल, सतत विमानन ईंधन (एसएएफ), और कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) पर ध्यान केंद्रित किया। हमने पेटेंटशुदा कार्बन कैप्चर समाधान eCO2Sorb विकसित किया, जो एंजाइमों का उपयोग करते हुए दक्षता बढ़ाता है। लागत भी कम करता है। इस नवोन्मेषी तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा चुका है। अब इसका पायलट स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इंडियनऑयल ने जैव ईंधन, परिशोधित यीस्ट प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए नीडल कोक पर भी काम जारी रखा है। ये ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं, जो भारत के ऊर्जा भविष्य को बल देंगी और राजस्व के नए स्रोत और मार्जिन क्षमता प्रदान करेंगी।

लंबी अवधि की सोच के साथ कंपनी फरीदाबाद में एक नया ऊर्जा केंद्र स्थापित कर रही है, जो वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा, संक्षारण विज्ञान, सिंथेटिक जीव विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी में अनुसंधान को समर्पित होगा। यह मौजूदा आरएंडडी केंद्र के पूरक का काम करेगा और एक एकीकृत ऊर्जा कंपनी के रूप में इंडियनऑयल के रूपांतरण को और बढ़ावा देगा।

इंडियनऑयल अनुसंधान एवं विकास केंद्र में चल रहा अनुसंधान

नए युग के ईंधन : भविष्य के लिए तैयार पोर्टफोलियो का निर्माण

आपकी कंपनी बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के साथ कदम मिलाते हुए एक पारंपरिक तेल और गैस इकाई से एक विविधतापूर्ण, एकीकृत ऊर्जा कंपनी के रूप में बदल रही है। यह बदलाव नए युग के उन ईंधन समाधानों के विकास पर आधारित है, जो परिवहन और उद्योग के भविष्य को आकार देंगे।

गोरखपुर में सीबीजी संयंत्र का हवाई दृश्य

इस दिशा में एक बड़ा कदम है भारत का पहला व्यावसायिक सतत विमानन ईंधन (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल- एसएएफ) संयंत्र, जिसे पानीपत में स्थापित करने की योजना है। इसकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 86.8 टीएमटी प्रति वर्ष होगी। यह संयंत्र अल्कोहल-टू-जेट तकनीक का उपयोग करेगा, जो कम कार्बन उत्सर्जन वाले, सर्कुलर विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए इथेनॉल इस्तेमाल करेगी। पानीपत रिफाइनरी में एक सहयोगी प्रॉसेसिंग एसएएफ यूनिट भी निर्माणाधीन है। यह 735 केटीपीए एसएएफ-मिश्रित एटीएफ ईंधन का उत्पादन करेगी, जिससे विमानन क्षेत्र में डीकार्बनाइजेशन प्रयासों को समर्थन मिलेगा। रणनीतिक गठबंधनों के जरिए कंपनी हेफा (हाइड्रो-प्रॉसेस्ड एस्टर और फैटी एसिड अम्ल), एटीजे और चीनी आधारित ईंधन उत्पादन सरीखे एसएएफ विकल्प तलाश रही है। पारदर्शी कार्बन ट्रैकिंग सुनिश्चित करने हेतु कंपनी ने एसएएफ रजिस्ट्री के निर्माण में सहायता हेतु आईएटीए के साथ साझेदारी की है। कंपनी प्रयुक्त खाद्य तेल (यूसीओ) से एसएएफ उत्पादन के विकल्प पर भी आगे बढ़ रही है। वह मिश्रित एटीएफ के लिए पानीपत में एक को - प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर रही है। चीनी से बनने वाले एसएएफ और ग्रीन आइसोप्रीन की दिशा में भी वह कार्यरत है। ये सभी अग्रणी पहल मिलकर न केवल भारत के पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करती हैं, बल्कि कार्बन-सचेत अर्थव्यवस्था में दीर्घावधि हितधारक मूल्य भी सुनिश्चित करती हैं।

कंप्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी) की बिक्री 8.9 टीएमटी तक पहुंच गई है, जिसे 'सतत' योजना के अंतर्गत 44 चालू संयंत्रों से समर्थन मिला। ग्वालियर में 100 टीपीडी का एक प्रमुख गोबर-से-सीबीजी संयंत्र चालू किया गया और गोरखपुर में 200 टीपीडी इकाई अब 'इंडीग्रीन' ब्रांड के अंतर्गत कार्यरत है।

इस परिवर्तन की आधारशिला हाइड्रोजन के क्षेत्र में इंडियनऑयल का अग्रणी होना है। कंपनी पानीपत में 10 केटीए क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रोलाइज़र, हाइड्रोजन परिवहन की पायलट परियोजनाएं और फ्यूल सेल एकीकरण के लिए साझेदारियों सहित संपूर्ण हाइड्रोजन अवसंरचना को विकसित करने का काम जारी है। कंपनी राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में सक्रिय योगदान दे रही है और आगामी वर्षों में भारत की हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

कंपनी ने विविधीकरण पहलों को संस्थागत करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी गैस वितरण, बैटरी भंडारण, रसायन और पोत अधिग्रहण सहित विकास के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों के लिए विलय और अधिग्रहण सेल बनाया है।

आपकी कंपनी का नवीकरणीय ऊर्जा फुटप्रिंट अब 252.1 मेगावॉट हो चुका है। इसमें 167.6 मेगावॉट पवन और 84.5 मेगावॉट सौर क्षमता शामिल है। इनसे एक वर्ष में 365.72 गीगावॉट घंटा बिजली पैदा होती है। यही हमारे प्रचालनों में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की आधारशिला होंगे। इस ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए कंपनी ने टेरा क्लीन लिमिटेड (टीसीएल) को निगमित किया है। यह एक पूर्ण स्वामित्व वाली हरित ऊर्जा कंपनी है, जिसे इंडियनऑयल के नवीकरणीय पोर्टफोलियो के भविष्य को आकार देने का जिम्मा दिया गया है। टीसीएल 1 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ शुरुआत कर रही है। आने वाले वर्षों में 5.3 गीगावॉट तक विस्तार करने का लक्ष्य है। यह केवल क्षमता बढ़ाने में ही निवेश नहीं है, अपितु बड़े पैमाने पर सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता है। इस गति को और बल देने के लिए कंपनी शीर्ष सौर डेवलपर्स और पावर ट्रांसमिशन भागीदारों के साथ रणनीतिक गठजोड़ कर रही है और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर और साझेदारियां निर्मित हो रही हैं।

सौर ऊर्जा चालित इंडेन बॉटलिंग प्लांट, लेह

इन पहलों को मजबूत सस्टेनेबल पद्धतियों का सहारा प्राप्त है। इंडियनऑयल ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत सात लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव 2.0 परियोजना शुरू की है, जो भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट जैव विविधता पहलों में से एक है। पारिस्थितिक पुनर्स्थापन में ₹ 56 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। सभी रिफाइनरियों में वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग अब 89% हो चुका है, जिससे साफ़ पानी के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आई है। ग्रीनको और ग्रीन बिल्डिंग मानकों के तहत 5,000 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन और 370 से अधिक प्रचालन स्थल प्रमाणित हुए हैं।

वर्ष 2046 तक नेट-जीरो प्रचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के लिए कंपनी ने ₹ 2.5 लाख करोड़ की निवेश योजना के साथ एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है। पर्यावरण के प्रति जागरूक संगठन के रूप में आपकी कंपनी अपने कार्बन उत्सर्जन को मापती है, प्रबंधित करती है और इसकी जानकारी देती है। वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के स्कोप 1 और 2 का उत्सर्जन लगभग ~22.53 MMTCO2e समतुल्य है। कंपनी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इसके अतंर्गत ग्रीन हाइड्रोजन, सीबीजी, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वृक्षारोपण, कार्बन कैप्चर उपयोग और स्टोरेज इत्यादि पर ध्यान दिया जा रहा है।

पारादीप रिफाइनरी में आईओसियन्स के साथ अध्यक्ष

आगे की राह : विस्तार, परियोजनाएं और रणनीतिक गठजोड़

तेजी से बदलते ऊर्जा इको सिस्टम में आगे बढ़ रही इंडियनऑयल भविष्य के लिए तैयार होने को लेकर दृढ़ संकल्पित है। उसकी यह तैयारी विस्तार, एकीकरण और रणनीतिक गठबंधनों पर आधारित है, जिन्हें दीर्घकालिक हितधारक मूल्य सुनिश्चित करने के हिसाब से आकार दिया गया है।

अपनी मुख्य रिफाइनिंग क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए हम प्रमुख क्षमता वृद्धि परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। पानीपत रिफाइनरी के 25 एमएमटीपीए तक विस्तार और एक पेट्रोकेमिकल एकीकरण योजना पर काम जारी है। वर्ष 2025-26 में चरणबद्ध ढंग से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसी तरह गुजरात रिफाइनरी का 18 एमएमटीपीए तक विस्तार होगा, जिसमें एक पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट और एक कैटेलिटिक डीवैक्सिंग यूनिट को एकीकृत किया गया है। इससे घरेलू मांग के अनुरूप मूल्यवर्धन होगा। बरौनी में 9 एमएमटीपीए तक विस्तार कार्य उन्नत चरणों में है। ये सभी उन्नयन रिफाइनिंग क्षमताओं को बढ़ाएंगे और हमारे पेट्रोकेमिकल फुटप्रिंट को भी तेज करेंगे। इससे आगे के एकीकरण और आयात प्रतिस्थापन को बल मिलेगा।

हरियाणा के असावटी में ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट

पाइपलाइन क्षेत्र में ₹ 23,000 करोड़ से अधिक लागत वाली 15 नई पाइपलाइन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स के लिए कच्चे तेल, उत्पाद, गैस और डेडिकेटेड फीडस्टॉक की पाइपलाइन शामिल हैं। इनमें नई मुंद्रा-पानीपत क्रूड ऑयल पाइपलाइन और कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन आदि शामिल हैं। ये नई पाइपलाइनें लॉजिस्टिक दक्षता को सुदृढ़ करेंगी, बहु-उत्पाद प्रवाह सक्षम करेंगी और भारत की ईंधन आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ को भविष्य के लिए तैयार करेंगी, मजबूत करेंगी।

आपकी कंपनी ने अपने क्षेत्रीय और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को भी सुदृढ़ किया है। नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ दो ऐतिहासिक B2B फ्रेमवर्क समझौते सीमा पार अवसंरचना को सुगम करेंगे। इसमें मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन का चितवन तक विस्तार, सिलीगुड़ी से झापा तक एक नई पाइपलाइन और नेपाल में चितवन और झापा में ग्रीनफील्ड पेट्रोलियम टर्मिनल निर्माण शामिल हैं। बांग्लादेश में हमें 140 टीएमटी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि अनुबंध मिले हैं, जिससे इंडियनऑयल इस उपमहाद्वीप में एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार के रूप में और सुदृढ़ हुआ।

हर विस्तार और गठबंधन के साथ कंपनी एक चुस्त, विविधतापूर्ण और 'फ्यूचर-रेडी' इंडियनऑयल की नींव रख रही है।

पूंजी निवेश और परिसंपत्ति अनुकूलन

आपकी कंपनी ने 2024-25 के दौरान परियोजनाओं में ₹ 40,374 करोड़ का निवेश किया। इसमें एकल आधार पर ₹ 39,195 करोड़ और समूह की कंपनियों में इक्विटी के रूप में ₹ 1,179 करोड़ का निवेश शामिल है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए गए कुल पूंजीगत व्यय के एक-चौथाई से ज्यादा है।

इंडियनऑयल वर्तमान में ₹ 2.6 लाख करोड़ से अधिक के कुल परिव्यय के साथ 160 से अधिक परियोजनाओं (प्रत्येक ₹ 5 करोड़ से अधिक) पर काम कर रही है। ये परियोजनाएं एकल प्रचालनों और समूह संस्थाओं में फैली हुई हैं। ये उभरते और मुख्य क्षेत्रों में नेतृत्व को सुदृढ़ करने के दीर्घकालिक विजन को दर्शाती हैं।

देश की बढ़ती ऑटो ईंधन मांग के साथ वैश्विक ऊर्जा के बढ़ते रूपांतरण को संतुलित करने के लिए कंपनी ने अगले पांच वर्षों में ₹ 1.66 लाख करोड़ (लगभग) से अधिक के निवेश पर प्रतिबद्धता जताई है। ये निवेश पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा में होंगे, जो विविधीकरण और भविष्य के लिए तैयारी को बढ़ावा देंगे।

इस निवेश महत्वाकांक्षा के विशाल आकार को देखते हुए इंडियनऑयल आंतरिक स्रोतों और ऋणों से परे भी नए फंडिंग विकल्प ढूंढ़ रही है। कंपनी ने डार्क ऑप्टिकल फाइबर केबल लीज पर देने और सर्विस स्टेशन लाइसेंस शुल्क के प्रतिभूतिकरण जैसी पहलों के जरिए अग्रिम पूंजी जुटाई है। इससे दीर्घाकालिक स्थिरता बनाए रखते हुए मूल्य संवर्धन और नकदी प्रवाह दक्षता में सुधार हुआ है।

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड (आईजीसीएमआईएल) वर्ष 2023 में गिफ्ट सिटी में बनाई गई। यह आज विश्व के ट्रेजरी केंद्र के रूप में काम कर रही है। इसने इंडियनऑयल की समूह संस्थाओं के साथ इस वर्ष 500 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक का वित्तीय लेन-देन करके ऐतिहासिक उपलब्धि पाई है। इंडियनऑयल "ऑफशोर विदेशी संपत्तियों को ऑनशोर लाने" के उद्देश्य से अपने विदेशी निवेशों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए आईजीसीएमआईएल का लाभ ले रही है।

कर्मचारियों को प्राथमिकता : हमारे कार्यबल का सशक्तिकरण

इंडियनऑयल में हमारे हर काम के केंद्र में हमारे कर्मचारी होते हैं। हमने 2024-25 में कर्मचारी कल्याण को सुदृढ़ करने, अपनी प्रतिभाओं को भविष्य के लिए तैयार करने और कार्यबल के सभी स्तरों पर सम्मान बनाए रखने के लिए सार्थक कदम उठाए।

भविष्य अनुकूल क्षमताओं के सृजन हेतु इंडियनऑयल ने कई शिक्षण पहल शुरू कीं। 'नव ऊर्जा निर्माण' पहल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी लोगों को तैयार कर रहा है। वहीं 'सोपान' नए प्रबंधकों के लिए रंगमंच-आधारित प्रशिक्षण का उपयोग करता है। 'एकलव्य' 'मूक (MOOC)' प्लेटफॉर्म के जरिए स्व-संचालित शिक्षण को बढ़ावा देता है।

इंडियनऑयल की शक्ति उसके 5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों में निहित है। वे ही पूरे भारत में ईंधन पहुंचाने, घरों तक एलपीजी पहुंचाने और जमीनी स्तर पर ग्राहकों की सेवा करने वाले हमारे ब्रांड का चेहरा हैं। उनकी अनथक सेवा इंडियनऑयल के सिद्धांतों का प्रतीक है। कंपनी उनके कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है, सांविधिक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करती है और सामाजिक सुरक्षा व जीवन की गुणवत्ता संबंधी पहलों को क्रियान्वित करती है।

पूर्णकालिक या संविदात्मक, इंडियनऑयल परिवार का प्रत्येक सदस्य हमारी प्रगति का अभिन्न अंग है। एक परिवर्तनकारी भविष्य को अपनाते हुए अपने कर्मियों को सर्वप्रथम रखने का यह दर्शन सुनिश्चित करता है कि हमारी मानव पूंजी हमारी सबसे बड़ी ताकत हो और हमारा सबसे स्थायी लाभ बनी रहे।

आईओसियन्स - इंडियनऑयल की ऊर्जा

अर्थपूर्ण सामाजिक प्रभाव छोड़ना

"राष्ट्र-प्रथम" के अपने सिद्धांत के अनुरूप आपकी कंपनी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सस्टेनेबिलिटी और सामुदायिक सशक्तिकरण में केंद्रित उपायों के जरिए सार्थक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने का क्रम जारी रखा है। इंडियनऑयल ने 2024-25 में सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 583 करोड़ खर्च किए, जो समावेशी और समतामूलक राष्ट्रीय विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

इंडियनऑयल न्यूट्रीगार्डन्स सीएसआर पहल: समुदायों का पोषण, सतत आजीविका में वृद्धि

आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय क्षय (ट्यूबरकुलोसिस) रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आठ राज्यों में चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच को खासा बढ़ाया है। इससे उन्नत निदान उपकरणों और पोषण संबंधी सहायता के जरिए एक लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। इंडियनऑयल ने कर्नाटक सरकार और आईआईएससी के साथ साझेदारी में दो वर्षीय सिकल सेल एनीमिया जांच की पहल के रूप में "प्रोजेक्ट चंदना" शुरू किया। इसमें 1.95 लाख व्यक्तियों की जांच की गई। इनमें 9,900 से अधिक पॉजिटिव मामलों की पहचान की गई। फिर सुनिश्चित किया गया कि विशिष्ट चिकित्सा आदिवासी और वंचित क्षेत्रों तक पहुंचे। इंडियनऑयल ने टाटा मेडिकल सेंटर और सर गंगा राम अस्पताल जैसे अग्रणी संस्थानों के साथ साझेदारी करके भारत के कैंसर केयर इकोसिस्टम को भी मजबूत किया। उन्नत ऑन्कोलॉजी अवसंरचना को समर्थन दिया गया। इससे प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक रोगियों को लाभ हुआ। कंपनी ने आठ राज्यों में 169 डायलिसिस मशीनें लगाकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम में योगदान दिया। इससे 50,000 से अधिक रोगियों को उपचार की सुविधा मिली है।

आपकी कंपनी बच्चों और दिव्यांगों का समर्थन करने में दृढ़ रही। 'बढ़ते कदम' परियोजना ने असम, ओडिशा और दिल्ली एनसीआर में 'क्लबफुट' से पीड़ित 1,500 बच्चों का उपचार और पुनर्वास करवाया। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगों को स्थायी आजीविका से सशक्त करने के लिए प्रमाणित प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी कौशल पहलों के रूप में सहायता दी गई।

नवजात शिशुओं की हृदय चिकित्सा की तात्कालिकता को समझते हुए इंडियनऑयल ने जेएनएमसीएच, अलीगढ़ में एक समर्पित कार्डियक आईसीयू को वित्तीय सहायता दी। इससे हर साल 300 से अधिक मुफ्त सर्जरी संभव हुई। खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 50 सरकारी स्कूलों में न्यूट्री-गार्डन स्थापित किए गए और 3,750 से अधिक ग्रामीण परिवारों तक इन्हें पहुंचाया गया। इससे स्वस्थ आहार संबंधी पद्धतियों और सामुदायिक स्तर पर संपोषण को बढ़ावा मिला।

ये सब पहलें इंडियनऑयल के इस विश्वास को दर्शाती हैं कि उसकी राष्ट्रीय उपस्थिति न केवल परिवहन और उद्योगों को बढ़ावा देगी, बल्कि जन-जीवन को भी बेहतर करेगी। निरंतर, उच्च-प्रभावी सीएसआर प्रयासों के जरिए आपकी कंपनी भारत की समावेशी विकास यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार बनी हुई है।

चैंपियन्स तैयार करना : खेल और सामाजिक पुन: एकीकरण

इंडियनऑयल स्पोर्ट्स स्कॉलर, अदिति गोपीचंद (तीरंदाज) अर्जुन पुरस्कार 2024 प्राप्त करते हुए

खेलों में बड़ा बदलाव लाने की शक्ति है। आपकी कंपनी ने लंबे समय से उसे अपनाया भी है। कंपनी ने इसे न केवल राष्ट्रीय गौरव के एक साधन के रूप में बल्कि समावेशिता, सुदृढ़ता और निजी जीत के उत्प्रेरक के रूप में भी स्वीकारा है। खेलों में उत्कृष्टता को पोषित करने की इंडियनऑयल की प्रतिबद्धता को 2024-25 में अग्रणी पहलों और हमारे एथलीटों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के जरिए पंख मिले।

इंडियनऑयल के खिलाड़ियों ने प्रमुख घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 239 पदक जीतकर देश और कंपनी को गौरवान्वित किया। इनमें से 85 पदक वैश्विक स्तर पर जीते गए। इन पदकों में एशियाई खेल, विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैम्पियनशिप, राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप, विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप, एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, विश्व बैडमिंटन सीनियर चैम्पियनशिप और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जीते पदक शामिल हैं। ये उपलब्धियां खेल प्रतिभाओं के केंद्र के रूप में इंडियनऑयल की प्रतिष्ठा को साबित करती हैं।

कुछ अद्वितीय उपलब्धियों की बात करें तो दुनिया की पहली बिना बांह वाली तीरंदाज और इंडियनऑयल द्वारा समर्थित पैरा-एथलीट शीतल देवी प्रेरणा की प्रतीक बनकर उभरीं। उन्होंने कई अन्तरराष्ट्रीय पदक जीते। बीबीसी द्वारा उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई। यह न केवल उनकी प्रतिभा को बल्कि इंडियनऑयल द्वारा पोषित समावेशी खेल पारिस्थितिक तंत्र को भी एक आदरांजलि है।

हमारी पहलें वैश्विक मंच पर भी फलीभूत हुईं। 'प्रोजेक्ट शक्ति' की एथलीट ज्योति चौहान ने पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अल्प सुविधा प्राप्त बैकग्राउंड से आने वाली युवा महिला एथलीटों को प्रोत्साहित करने के इंडियनऑयल के मिशन में यह एक गौरवपूर्ण उपलब्धि बनी। 'प्रोजेक्ट शक्ति' प्रतिभाशाली युवा महिला एथलीटों को विश्व स्तरीय कोचिंग, अवसंरचना और अनुभवों तक पहुंच प्रदान कर रही है और उन्हें सशक्त बना रही है। इससे सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में खेलों में हमारी आस्था और दृढ़ हुई है।

इंडियनऑयल 'दिव्यशक्ति' का प्रभावपूर्ण शुभारंभ भी 2024-25 में हुआ। आधी महिला पैरा-एथलीटों सहित कुल 100 होनहार पैरा-एथलीटों को इस पहल ने समर्थन दिया। इससे विविधता और समावेश पर हमारा फोकस और भी दृढ़ हुआ। 'परिवर्तन' और 'नई दिशा' जैसी पहलें खेलों को परिवर्तन, पुनर्वास और उम्मीद का साधन बनाते हुए 220 सुधार गृहों तक पहुंचीं।

ये सब पहलें केवल पदक जीतने के लिए नहीं है बल्कि भविष्य का निर्माण करने, सीमाओं को तोड़ने और एक पीढ़ी को ऊर्जान्वित करने के लिए भी हैं। इंडियनऑयल में खेल केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर एक उद्देश्य हैं।

एशियाई चैम्पियनशिप जीतने वाली इंडियनऑयल महिला हॉकी खिलाड़ियों के साथ अध्यक्ष और कार्यात्मक निदेशक

भविष्य को उद्देश्य देता – प्रोजेक्ट 'स्प्रिंट'

बदलती ऊर्जा आवश्यकताओं से आकार लेते इस विश्व में इंडियनऑयल स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। अपने प्रमुख मूल्यों और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना से ओत-प्रोत हो हम 'प्रोजेक्ट स्प्रिंट' के जरिए अपने भविष्य को बदल रहे हैं। यह पूरी कंपनी में व्याप्त एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसे इस तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य में इंडियनऑयल का नेतृत्व मज़बूत करने के लिए 1 अप्रैल, 2025 से शुरू किया गया है।

'स्प्रिंट' छह रणनीतिक स्तंभों पर टिकी है : हमारे मूल व्यवसाय को सशक्त बनाना, लागत अनुकूलन, ग्राहक सेवा मज़बूतीकरण, टेक्नोलॉजी व नवाचार एकीकरण, नेतृत्व व प्रतिभा पोषण और परिवर्तन तत्परता। ये स्तंभ 3 'सी'कोर, कॉस्ट, कस्टमर और 3 'टी' टेक्नोलॉजी, टैलेंट, ट्रांजीशन के सरल, लेकिन शक्तिशाली फ्रेमवर्क पर खड़े हैं।

'स्प्रिंट' केवल परिवर्तन प्रबंधन का अभ्यास भर नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। यह आज के बदलते माहौल की मांगों के अनुरूप एक सुनियोजित, भविष्योन्मुखी प्रतिक्रिया है और यह अगले 2-3 वर्षों में इंडियनऑयल को नया आकार देने जा रही है।

हम अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं, प्रचालनों का डिजिटलीकरण कर रहे हैं, ग्राहक संपर्क गहरे और मजबूत कर रहे हैं और साथ ही भारत के ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं, इन सब में 'स्प्रिंट' हमारी मार्गदर्शक बनेगी, यह उद्देश्य के साथ हमें दिशा दिखाएगी, लोगों द्वारा संचालित होगी और सभी हितधारकों को दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

सस्टेनेबिलिटी, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग पर टिके भविष्य में हम विनम्रतापूर्वक इस विश्वास के साथ अग्रसर हैं कि इंडियनऑयल सही पथ पर है।

मैं एक बार फिर सभी शेयरधारकों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यही विश्वास हमारी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देता है और हमें सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।

आइए, हम सब मिलकर भारत को ऊर्जान्वित करते रहें – न केवल आज के लिए, बल्कि आने वाली कई-कई पीढ़ियों के लिए भी।

हस्ता/-
ए एस साहनी
अध्यक्ष

IndianOil

एक सतत गतिशील राष्ट्र के लिए हर कदम, हर दिन, समर्पित सेवा

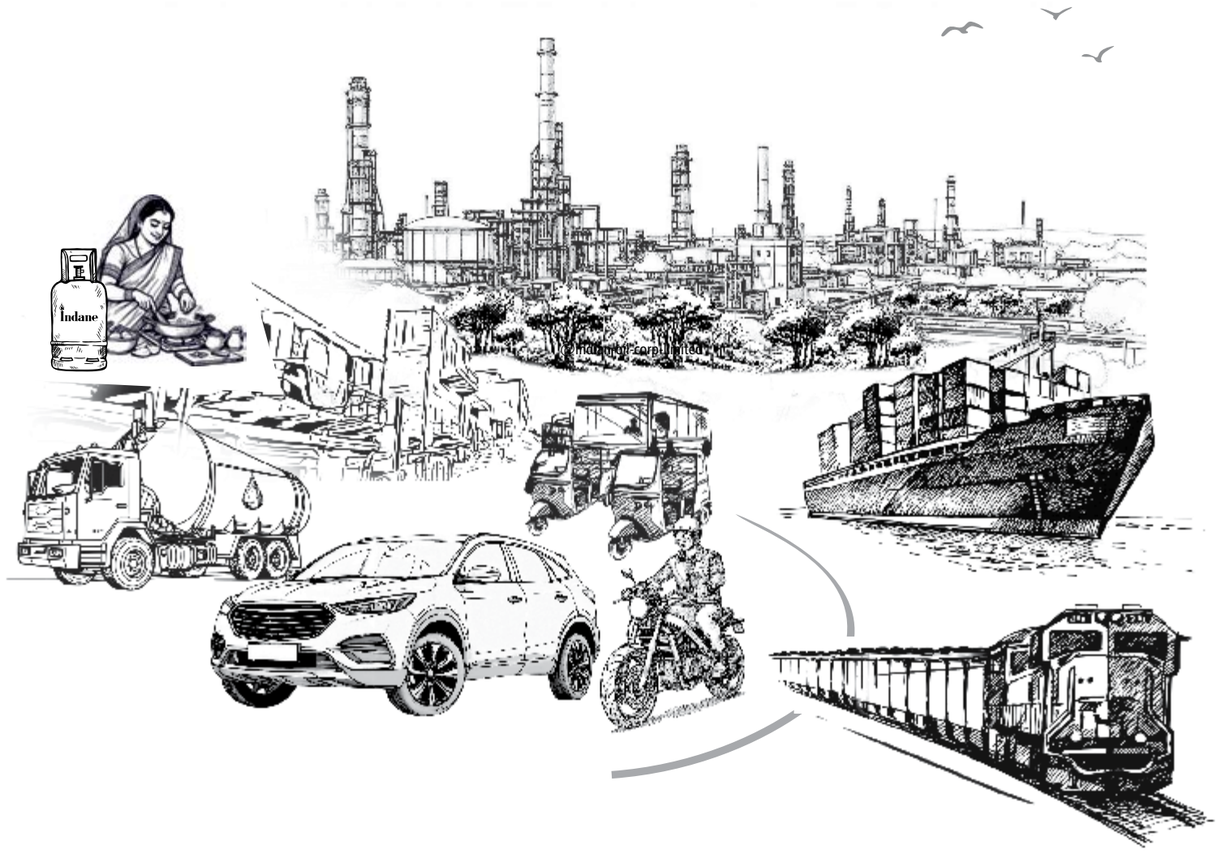

- इंडियनऑयल 80.75 मिलियन मीट्रिक टन की शोधन क्षमता वाली 10 समूह रिफाइनरियों का स्वामित्व और संचालन करता है।
- इंडियनऑयल द्वारा संचालित पाइपलाइन का नेटवर्क 20,000 किलोमीटर से अधिक है।
- पाइपलाइनों का थ्रूपुट प्रति वर्ष 100 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक है।
- 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का संचालन किया जाता है।
- प्रति वर्ष 100 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक उत्पाद बिक्री करता है।
- 40,000 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ देश भर में ईंधन की आपूर्ति कर रहा है।
- भारत भर में 15 करोड़ से अधिक रसोई इंडेन एलपीजी पर निर्भर हैं।

www.iocl.com @IndianOilCorpLimited @indianOilcl @indianoilcorp @IndianOilCorporationLimited @indian-oil-corp-limited

एकीकृत रिपोर्ट

मूल्य सृजन की अपनी यात्रा में इंडियनऑयल स्प्रिंट गति से एकीकृत दृष्टिकोण भी अपनाता जा रहा है। इसमें सुदृढ़ शासन मानक, जोखिम प्रबंधन और न्यूनीकरण, प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान और समाधान के लिए हितधारकों की भागीदारी और सबसे बढ़कर, विवेकपूर्ण पूँजी का आवंटन शामिल है।

फोर्ट कोच्चि में वाटरफ्रंट रिटेल आउटलेट 1963 में स्थापित

शासन

अनुकरणीय शासनविधि के साथ नेतृत्व

हमारा निदेशक मंडल स्पष्ट रणनीतिक दिशा और दृष्टि प्रदान करता है, ताकि प्रबंधन की गतिविधियाँ कंपनी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण, मिशन और मूल्यों के अनुरूप सुनिश्चित हो सकें।

सुस्पष्ट नीतियों, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और नैतिक नेतृत्व के माध्यम से हम जवाबदेही और रेसिलिएंस की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। इससे परिचालन उत्कृष्टता और हमारे ऊर्जा परिवर्तन एजेंडे, दोनों को समर्थन मिलता है।

कमल कुमार ग्वालानी
कंपनी सचिव

66
स्प्रिंट, गति से के माध्यम से इंडियनऑयल अपनी परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। सुस्पष्ट नीतियों और नैतिक एवं जिम्मेदारी भरी व्यावसायिक प्रथाओं के साथ शासन-विधि (गवर्नेंस) के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है। हितधारकों के साथ हमारा विश्वास न केवल हमारे निष्पादन से, बल्कि उन सिद्धांतों से भी मज़बूत हुआ है, जो उसे निर्देशित करते हैं।
99

शासन के स्तंभ

1 दूरदर्शी दृष्टिकोण वाला रणनीतिक नेतृत्व

हमारी रणनीतिक दृष्टि, नैतिक ढाँचे और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को हमारा निदेशक मंडल आकार देता है। हमारे संचालन में रणनीतिक पहलों, जोखिम प्रबंधन, निष्पादन संवर्धन और संपोषी विकास को सफलतापूर्वक समाहित किया गया है। इसके लिए हम लगातार यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय स्वतंत्र हों और मुकम्मल जानकारी तथा गहन वैचारिक प्रक्रिया पर आधारित हों।

2 एक सुदृढ़ संगठनात्मक संस्कृति का पोषण

हम मानते हैं कि एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट संस्कृति ही हमारी सफलता की कुंजी है। लिहाजा, हर समय इसी बात को ध्यान में रखकर निदेशक मंडल हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं, मौलिक मूल्यों, विजन और मिशन को परिभाषित करता है। हमारी यह बुनियाद एक प्रगतिशील व्यावसायिक इकाई के रूप में कार्य करने, उभरते बाजार अवसरों का लाभ लेने और एक ऐसे शासन तंत्र को बनाए रखने की हमारी क्षमता को मजबूत करती है, जो सभी हितधारकों को निरंतर पूरा मूल्य प्रदान करता है।

3 सुदृढ़ शासन प्रथाओं के माध्यम से भरोसा कायम करना

हमने अपने निदेशक मंडल और प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्यों के लिए, खास तौर पर, एक आचार संहिता (सीओसी) बनाई है। यह संहिता हमारे लिए महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। साथ ही, हमारे सभी कार्यों में व्यक्तिगत और व्यावसायिक निष्ठा, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के महत्व पर भी बल देती है।

4 निष्ठा और जवाबदेही को बढ़ावा देना

निष्ठा और जवाबदेही हमारे संगठनात्मक मूल्यों के मूल में हैं। आचरण आग्रह (कंडक्ट अपील), अनुशासन नियम, स्थिति आदेश (स्टैंडिंग ऑर्डर) और भ्रष्ट-आचरण के विरुद्ध 'व्हिसिल ब्लोअर' नीति जैसी हमारी विभिन्न पहलें कर्मचारियों को अपने कार्यों को हमारे मूल सिद्धांतों के अनुरूप करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इनसे उन्हें किसी भी कदाचार की सूचना तुरंत जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाने के लिए सुरक्षित जरिया मिलता है। साथ ही, कदाचरण का खुलासा करने वालों (व्हिसिल ब्लोअर्स) को प्रतिशोध से सुरक्षा मिलती है। इस तरह यह सुनिश्चित होता है कि कदाचरण के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से तथा बिना किसी भय के आवाज उठाई जा सके।

गुजरात रिफाइनरी प्रशासनिक भवन

नेतृत्व-मंडल

दक्ष प्रबंधकों के जरिए प्रगति को गति

बाएं से दाएं क्रम में

श्री सुमन कुमार
निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)

श्री अरविंद कुमार
निदेशक (रिफाइनरीज)

श्री अरविंदर सिंह साहनी
अध्यक्ष

सुश्री रश्मि गोविल
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री एन. सेंथिल कुमार
निदेशक (पाइपलाइन्स)
30.06.2025 तक

श्री वी. सतीश कुमार
निदेशक (विपणन)
31.07.2025 तक

श्री आलोक शर्मा
निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)

श्री अनुज जैन
निदेशक (वित्त)

निदेशकों का परिचय

दूरदर्शी सोच से मार्गदर्शित

हमारा निदेशक मंडल ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ संगठन का संचालन करता है। साथ ही, उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

अध्यक्ष

श्री ए एस साहनी
अध्यक्ष
रासायनिक अभियांत्रिकी (केमिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक

पूर्णकालिक निदेशक

श्री अनुज जैन
निदेशक (वित्त)
वाणिज्य (कॉमर्स) में स्नातक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट

डॉ. आलोक शर्मा
निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)
रासायनिक अभियांत्रिकी (केमिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक एवं स्नातकोत्तर

सुश्री रश्मि गोविल
निदेशक (मानव संसाधन)
विज्ञान में स्नातक एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर

श्री अरविंद कुमार
निदेशक (रिफाइनरीज)
यांत्रिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर

श्री सुमन कुमार
निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)
यांत्रिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर

सरकार द्वारा नामित निदेशक

सुश्री ईशा श्रीवास्तव
राजनीति विज्ञान में स्नातक और भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी (2004)

डॉ. सुजाता शर्मा
कानून में स्नातक और भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी (2006)

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. डी. आर. सिरपुरकर
आयुर्वेदिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर और चिकित्सा में डॉक्टरेट

श्री प्रसेनजीत बिस्वास
वानिकी में स्नातकोत्तर और भारतीय वन सेवा के अधिकारी (1993)

श्री कृष्णन सदगोपन
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्नातक और यांत्रिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में स्नातकोत्तर

ले लेखा परीक्षा समिति
अच अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी (डिलीजिंग) समिति
जो जोखिम प्रबंधन समिति
प परियोजना मूल्यांकन समिति
ए एलएनजी सोर्सिंग समिति
अ अनुबंध समिति
ना नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
हि हितधारक संबंध समिति
वि विपणन (मार्केटिंग) रणनीति समिति
कॉ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति
यो योजना एवं परियोजना समिति

निदेशक मंडल की संरचना और विविधता

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते, निदेशक मंडल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार की देखरेख में एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। साथ ही, इंडियनऑयल के विविधतापूर्ण परिचालनों को देखते हुए इस संदर्भ में निदेशक मंडल के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक मुख्य कौशल और दक्षताओं पर भी चयन प्रक्रिया के दौरान विचार किया जाता है।

संरचना
(%)

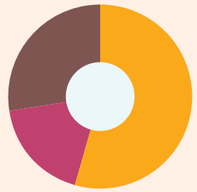

- पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशक – **6** (54.55%)
- सरकार द्वारा नामित निदेशक – **2** (18.18%)
- गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक – **3** (27.27%)

लिंग
(%)

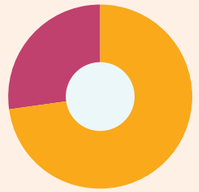

- पुरुष निदेशक – **8** (72.73%)
- महिला निदेशक – **3** (27.27%)

आयु
(%)

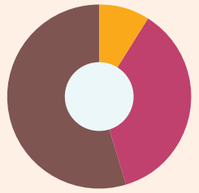

- 35-45 वर्ष – **1** (9.09%)
- 46-55 वर्ष – **4** (36.36%)
- 55 वर्ष और उससे अधिक आयु – **6** (54.55%)

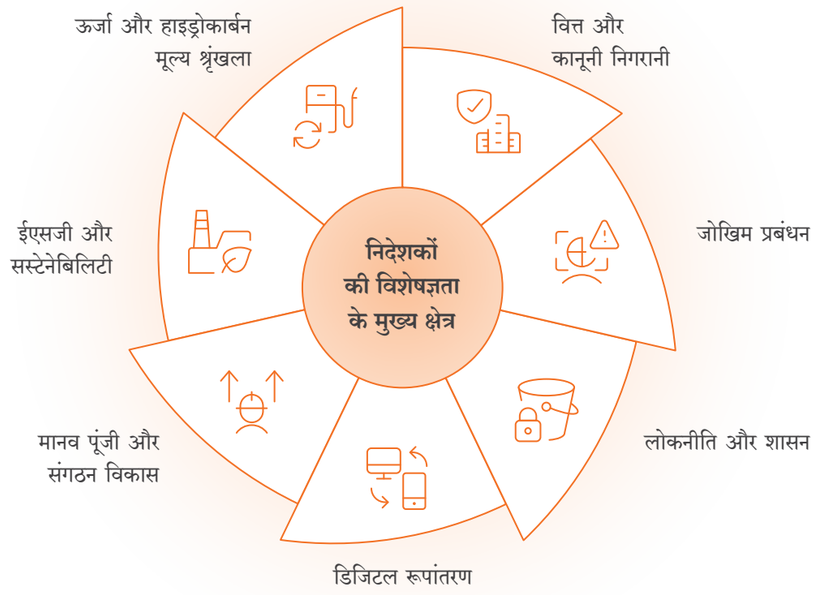

जोखिम प्रबंधन

दूरदर्शिता और दृढ़ता के साथ भविष्य का खाका बनाना

इंडियनऑयल भू-राजनीतिक घटनाओं, बाजार के उतार-चढ़ाव, विनियामकीय बदलावों और तकनीकी बदलावों से प्रभावित एक बदलते परिदृश्य में काम करती है। हमारे व्यवसाय पर इन कारकों के संभावित प्रभाव को समझकर हमने एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। यह नीति संगठन के सभी स्तरों पर जोखिमों के चिन्हिकरण, मूल्यांकन और न्यूनीकरण को सक्षम करती है। यह नीति जागरुक निर्णय लेने में सहायता करती है, प्रचालन सुदृढ़ता को बल देती है और हमारे रणनीतिक उद्देश्यों के साथ मेल सुनिश्चित करती है।

इंडियनऑयल का जोखिम प्रबंधन ढांचा

निदेशक मंडल

लेखा परीक्षा समिति

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

जोखिम प्रबंधन अनुपालन मंडल (आरएमसीबी)

राज्य/इकाई स्तर की समितियां

हमारी पूंजियां

- विनिर्मित
- वित्तीय
- मानव
- बौद्धिक
- सामाजिक और संबंध
- प्राकृतिक

व्यवसाय जोखिम मूल्यांकन

1 व्यवस्थित चिन्हिकरण और मूल्यांकन

- ↗ प्रभाव और संभावना के आधार पर जोखिमों का चिन्हिकरण और वर्गीकरण
- ↗ जोखिमों का चार स्तरों में वर्गीकरण: उच्च, मध्यम, रडार पर और निम्न

2 जोखिम न्यूनीकरण और निगरानी

- ↗ परहेज, न्यूनीकरण, स्थानांतरण और स्वीकार्यता जैसी रणनीतियां अपनाना
- ↗ प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी और समीक्षा

3 निर्णय प्रक्रिया में एकीकरण

- ↗ जोखिम मूल्यांकन जानकारियों के साथ रणनीतिक योजना बनाना और प्रचालन निर्णय लेना
- ↗ सतत विकास के लिए जोखिमों और अवसरों में संतुलन

4 निरंतर सुधार

- ↗ जोखिम प्रबंधन अनुपालन मंडल की नियमित बैठकें
- ↗ उभरती चिंताओं का समाधान और न्यूनीकरण योजनाओं का सक्रिय समायोजन

5 सहयोग और समन्वय

- ↗ सभी व्यवसाय अनुभागों (सेगमेंट) और विभागों में सहयोग को बढ़ावा
- ↗ साझी विशेषज्ञता के जरिए व्यापक जोखिम मूल्यांकन और प्रभावी न्यूनीकरण रणनीतियों की सुनिश्चितता

स्पर्धात्मकता जोखिम

जोखिम का विवरण

बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तेज़ी से आते तकनीकी बदलाव और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं ऐसे जोखिम हैं जो हमारी बाजार हिस्सेदारी, लाभप्रदता और उद्योग में बदलावों के अनुरूप ढलने की क्षमता को खतरे में डालते हैं। अतः अपनी स्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए रणनीतिक पहल आवश्यक हो जाती है।

न्यूनीकरण रणनीति

- ↗ लागत घटाने और तत्परता बढ़ाने के लिए 'लीन मैन्युफैक्चरिंग' और डिजिटल उपकरणों का उपयोग।
- ↗ उभरते बाजार की जरूरतों के अनुरूप अगली पीढ़ी के उत्पादों के लिए आरएंडडी में निवेश।
- ↗ बदलती ग्राहक प्राथमिकताओं का रियल टाइम में पता रखने और अनुरूप कदम उठाने के लिए उन्नत विश्लेषण का उपयोग।
- ↗ बिक्री, सेवा और उत्पाद विकास कार्यों में डिजिटल परिवर्तन को गति देना।
- ↗ नए बाजारों, प्रौद्योगिकियों और नवीन समाधानों तक पहुंच बनाने के लिए रणनीतिक गठजोड़ बनाना।

प्रभावित हितधारक

निवेशक और शेयरधारक, सरकार और विनियामकीय निकाय, व्यावसायिक साझेदार

पूंजियां

मैक्रो-इकॉनॉमिक जोखिम

जोखिम का विवरण

ऊर्जा क्षेत्र में कई मैक्रो-इकॉनॉमिक उतार-चढ़ाव के जोखिम ऐसे हैं, जिनके चलते हमारे प्रचालन और वित्तीय निष्पादन प्रभावित हो सकते हैं। भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति-मांग में उतार-चढ़ाव और बदलती वैश्विक स्थिति जैसे कई आर्थिक पहलू हैं जो कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में अस्थिरता पैदा करते हैं।

न्यूनीकरण रणनीति

- ↗ एकल आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों को कम करने के लिए कच्चे तेल की खरीद के स्रोतों को विविधिकृत करना।
- ↗ बाजार कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति सुदृढ़ होने के लिए प्रचालन दक्षता में वृद्धि।
- ↗ प्रचालन लागत घटाने और प्रचालन सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए प्रक्रियागत नवाचारों और उन्नत तकनीकों का उपयोग।
- ↗ विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति और साझा जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित टीमों और चैनल भागीदारों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित करना।
- ↗ ईंधन, ऊर्जा और प्रचालन खर्चों की लागत पर व्यवस्थित निगरानी और अनुकूलन के जरिए लाभांश मार्जिन को बनाए रखना।

प्रभावित हितधारक

निवेशक और शेयरधारक, सरकार और विनियामकीय निकाय, व्यावसायिक भागीदार, ग्राहक

पूंजियां

गत वर्ष की तुलना में जोखिम स्तर में वृद्धि

मुद्रा विनिमय जोखिम

जोखिम का विवरण

अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी मुद्रा उधार के चलते हम पर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम बना रहता है। विनिमय दरों में बदलाव से आयात/निर्यात की लागत और लाभप्रदता पर असर पड़ता है। रुपए का मूल्य कम होने से विदेशी मुद्रा ऋणों पर पुनर्भुगतान दायित्व भी बढ़ जाता है।

न्यूनीकरण रणनीति

- ↗ जोखिमों का जल्द पता लगाने के लिए वैश्विक और घरेलू आर्थिक संकेतकों की निरंतर निगरानी।
- ↗ विनिमय दर के नियमित मूल्यांकन और अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार सक्रिय हेजिंग (बचाव) स्थितियां लागू करना।
- ↗ घरेलू और कम लागत वाले विदेशी मुद्रा ऋणों में संतुलन बनाकर इस मिश्रित उधार का श्रेष्ठतम उपयोग।
- ↗ मुद्रा में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के बीच भी लाभांश मार्जिन बनाए रखने के लिए लागत नियंत्रण उपाय करना।
- ↗ वित्तीय प्रभाव का आकलन करना और तदनुसार रणनीतियों में बदलाव के लिए नियमित संवेदनशीलता विश्लेषण करना।

प्रभावित हितधारक

कर्मचारी और संविदा कर्मचारी, सरकार और विनियामकीय निकाय

पूंजियां

मानव संसाधन जोखिम

जोखिम का विवरण

हमें प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने, उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल अंतराल को दूर करने और उत्तराधिकार नियोजन सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है - ये सभी चुनौतियां परिचालन, विकास और दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।

न्यूनीकरण रणनीति

- ↗ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना और कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्त कार्यान्वयन करना
- ↗ उभरती तकनीकों और महत्वपूर्ण कार्यों में कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु लक्षित प्रशिक्षण प्रदान करना
- ↗ संरचित उत्तराधिकार नियोजन पहलों के माध्यम से नेतृत्व प्रक्रिया को मज़बूत करना
- ↗ उच्च क्षमता वाली प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिए कर्मचारी विकास और करियर उन्नति कार्यक्रमों में निवेश करना
- ↗ कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना

प्रभावित हितधारक

कर्मचारी और संविदा कर्मचारी, सरकार और नियामक निकाय

पूंजियां

↗ गत वर्ष की तुलना में जोखिम स्तर में वृद्धि
↘ गत वर्ष की तुलना में जोखिम स्तर में कमी

पर्यावरणीय जोखिम

जोखिम का विवरण

अपने व्यापक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल प्रचालनों के कारण हम कार्बन उत्सर्जन और अपशिष्ट से संबंधित पर्यावरणीय जोखिमों का सामना करते हैं। इसके अलावा, हम चरम मौसम की घटनाओं के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर संवेदनशील हैं। इनसे हमारी आपूर्ति श्रृंखला और अवसंरचना में संभावित रुकावटें आती हैं।

न्यूनीकरण रणनीति

- ↗ वाहनों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन में BS-VI के पूर्ण अनुपालन को प्राप्त किया।
- ↗ राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप 2046 तक प्रचालनों में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता।
- ↗ ग्रीन हाइड्रोजन, जैव ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और सीसीयूएस सहित हरित पहलों को आगे बढ़ाना।
- ↗ संधारणीयता संबंधी प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- ↗ जलवायु संबंधी कमियों को दूर करने के लिए इकोसिस्टम (पारिस्थितिक तंत्र) पुनर्स्थापन और मजबूत अवसंरचना में निवेश।

प्रभावित हितधारक

सरकार और विनियामकीय निकाय, समुदाय और समाज

पूंजियां

साइबर सुरक्षा जोखिम

जोखिम का विवरण

हमारे प्रचालनों पर ऐसे साइबर खतरों और डिजिटल कमजोरियों के जोखिम रहते हैं जो महत्वपूर्ण डेटा और प्रणालियों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को खतरे में डाल सकते हैं।

न्यूनीकरण रणनीति

- ↗ एक बहु-स्तरीय (गहन सुरक्षा) साइबर सुरक्षा अवसंरचना का क्रियान्वयन।
- ↗ विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप एक सुदृढ़ डेटा गोपनीयता नीति अपनाई गई।
- ↗ सूचना सुरक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी डेटा केंद्रों के लिए ISO 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त किया।
- ↗ आंतरिक प्रक्रियाओं, ग्राहकों, भागीदारों और कर्मचारियों से संबंधित संवेदनशील डेटा की सुरक्षा।
- ↗ उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए साइबर सुरक्षा अवसंरचना की निरंतर निगरानी, लेखापरीक्षा और उन्नयन।

प्रभावित हितधारक

व्यावसायिक भागीदार, ग्राहक, सरकार और विनियामकीय निकाय

पूंजियां

↗ गत वर्ष की तुलना में जोखिम का स्तर बढ़ा
= गत वर्ष की तुलना में जोखिम का स्तर समान रहा

हितधारक संबंध

हितधारकों से संवाद की सशक्त रणनीति

हितधारक ही हमारी मूल्य सृजन यात्रा को संभव बनाते हैं, ऐसे में उनके साथ निरंतर संपर्क रखने का बड़ा महत्व है। अपने विविध हितधारक समूहों के साथ सार्थक और लगातार संवाद के जरिए हम अपनी नींव सुदृढ़ करते हैं और एक अधिक संपोषी और मूल्य-वर्धक भविष्य की दिशा बनाते हैं।

हल्दिया में ग्राहक परिचारकों के साथ इंडियनऑयल के अध्यक्ष, निदेशक और अधिकारी

निवेशक और शेयरधारक

हमारी सफलता हमारे निवेशकों और शेयरधारकों के निरंतर समर्थन और सक्रिय भागीदारी के दम पर ही है।

हम किसलिए जुड़ते हैं

- ↗ विकास-केंद्रित रणनीति
- ↗ सुदृढ़ वित्तीय स्थिति
- ↗ नैतिक व्यवसाय आचरण
- ↗ पारदर्शी प्रकटन

हम कैसे जुड़ते हैं

वार्षिक आम सभा, वेबसाइट, सोशल मीडिया, मीडिया लेख और साक्षात्कार, शेयरधारकों का संतुष्टि सर्वेक्षण और शिकायत पोर्टल

हमारे जुड़ाव की आवृत्ति

निरंतर

प्रमुख समाधानीकृत विषय

- ↗ नैतिक व्यवसाय आचरण और उत्तरदायित्व
- ↗ भ्रष्टाचार विरोधी आचरण
- ↗ डेटा और साइबर सुरक्षा
- ↗ शिकायत समाधान

परिणाम

- ↗ पूंजी पर 7.10% रिटर्न के साथ 12,962 करोड़ का शुद्ध लाभ
- ↗ 2024-25 के लिए 4,131 करोड़ का कुल प्रस्तावित लाभांश 32% के भुगतान अनुपात के साथ

प्रभावित एसडीजी

प्रभावित पूंजी

ग्राहक

ग्राहक हमारे व्यवसाय की धुरी हैं। वे हमें नवाचार करने और विश्व की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों के उपाय खोजने के लिए प्रेरित करते हैं।

हम किसलिए जुड़ते हैं

- ↗ उच्च-गुणवत्ता वाले, तकनीकी रूप से उन्नत उत्पाद
- ↗ लागत प्रभावी और विस्तार योग्य समाधान
- ↗ तेज और ग्राहक केंद्रित सेवा
- ↗ लगातार फीडबैक तंत्र के जरिए बेहतर संपर्क

हम कैसे जुड़ते हैं

वेबसाइट, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, सोशल मीडिया, मोबाइल एप्लिकेशन, एसएमएस, मीडिया लेख और साक्षात्कार

हमारे जुड़ाव की आवृत्ति

निरंतर

प्रमुख समाधानीकृत विषय

- ↗ नैतिक व्यवसाय आचरण और उत्तरदायित्व
- ↗ डेटा और साइबर सुरक्षा
- ↗ शिकायत समाधान
- ↗ उत्पाद प्रबंधन और ग्राहक संतुष्टि

परिणाम

- ↗ इंडियनऑयल वन ऐप में रिफिल ट्रैकिंग, स्मार्ट नोटिफिकेशन और शिकायत दर्ज करने की सुविधाएं जोड़ी गईं।
- ↗ एलपीजी डिलीवरी में सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक-लिंक्ड डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) की शुरुआत।

प्रभावित एसडीजी

प्रभावित पूंजी

कर्मचारी और संविदाकर्मी

कर्मचारी हमारे संगठन की रीढ़ हैं। हम उनके योगदान और कल्याण को बहुत महत्व देते हैं।

हम किसलिए जुड़ते हैं

- ↗ निरंतर संवाद और सहभागिता
- ↗ समान और प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक
- ↗ समावेशी, पारदर्शी, न्यायसंगत और सुरक्षा भरा कार्य माहौल
- ↗ पेशेवर उन्नति की संभावनाएं

हम कैसे जुड़ते हैं

टीम मीटिंग, प्रशिक्षण और विकास सत्र, ईमेल, नोटिस बोर्ड, ऑनलाइन इंट्रानेट पोर्टल, आंतरिक कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षणों और विभिन्न मंचों के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संचार के खुले चैनलों से फीडबैक।

हमारे जुड़ाव की आवृत्ति

निरंतर

प्रमुख समाधानीकृत विषय

- ↗ स्वास्थ्य और सुरक्षा
- ↗ प्रतिभा प्रबंधन
- ↗ विविधता, समानता, समावेशन और मानवाधिकार
- ↗ परिसंपत्तियों की अखंडता और प्रक्रिया की सुरक्षा

परिणाम

- ↗ 1,080 कर्मचारियों की नियुक्ति
- ↗ 28,867 मानव-दिवसों का सुरक्षा प्रशिक्षण

प्रभावित एसडीजी

प्रभावित पूंजी

सरकारी और विनियामकीय निकाय

ये निकाय हमारे व्यवसाय के निर्बाध प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारी विश्वसनीयता बनाए रखने और हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विनियामकीय नियमों का पालन आवश्यक है।

हम किसलिए जुड़ते हैं

- ↗ कानूनों का पालन, प्रचालन पारदर्शिता और समयबद्ध प्रकटन
- ↗ विनियामकीय विषयों में सहयोग, सुरक्षा व पर्यावरणीय मानकों के प्रति समर्पण और सामुदायिक प्रगति में योगदान
- ↗ सरकारी पहलों और योजनाओं का क्रियान्वयन

हम कैसे जुड़ते हैं

बैठकें, ऑनलाइन सरकारी पोर्टल, आवेदन और रिटर्न की भौतिक दर्जगी

हमारे जुड़ाव की आवृत्ति

आवश्यकता-आधारित

प्रमुख समाधानीकृत विषय

- ↗ पर्यावरणीय प्रभाव
- ↗ नैतिक व्यवसाय आचरण और उत्तरदायित्व
- ↗ भ्रष्टाचार विरोधी आचरण
- ↗ डेटा और साइबर सुरक्षा
- ↗ शिकायत समाधान

परिणाम

- ↗ बीएस-VI ईंधन का पूर्ण अनुपालन किया, 2046 तक शून्य प्रचालनगत कार्बन उत्सर्जन की अपनी प्रतिबद्धता कायम रखी।
- ↗ राष्ट्रीय राजकोष में 2,32,299 करोड़ का योगदान।

प्रभावित एसडीजी

प्रभावित पूंजी

व्यावसायिक साझेदार

अपनी रणनीतियों और लक्ष्यों की समुचित समझ बनाए रखने के लिए हम अपने सेवा प्रदाताओं, विक्रेताओं, डीलरों और चैनल साझेदारों के साथ मज़बूत और सहयोगपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देते हैं।

हम किसलिए जुड़ते हैं

- ↗ रणनीतिक विकास और विस्तार
- ↗ व्यवसाय पद्धतियों में ईमानदारी
- ↗ स्पष्ट और पारदर्शी रिपोर्टिंग
- ↗ शीघ्र और विश्वसनीय भुगतान

हम कैसे जुड़ते हैं

बैठकें, ऑनलाइन बैठकें, ईमेल और फोन कॉल

हमारे जुड़ाव की आवृत्ति

निरंतर

प्रमुख समाधानीकृत विषय

- ↗ नैतिक व्यवसाय आचरण और उत्तरदायित्व
- ↗ भ्रष्टाचार विरोधी आचरण
- ↗ आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
- ↗ डेटा और साइबर सुरक्षा
- ↗ शिकायत समाधान

परिणाम

- ↗ ईएसजी विक्रेता जोखिम मूल्यांकनों का विस्तार और आपूर्तिकर्ता प्रशासन के लिए एसआरएम प्रणाली का उपयोग।
- ↗ डिजिटल मंचों (NIC, GeM²) के जरिए एमएसई का समर्थन और पात्रता मानदंडों में ढ़ील।

प्रभावित एसडीजी

प्रभावित पूंजी

समुदाय और समाज

हमारे असरदार सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम विभिन्न इलाकों के समुदायों के उत्थान में सहायक होते हैं।

हम किसलिए जुड़ते हैं

- ↗ निरंतर संवाद और सहभागिता
- ↗ उचित पारिश्रमिक
- ↗ समावेशी, पारदर्शी और सुरक्षित कार्य माहौल
- ↗ पेशेवर उन्नति की संभावनाएं

हम कैसे जुड़ते हैं

बैठकें, ऑनलाइन बैठकें और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम

हमारे जुड़ाव की आवृत्ति

आवश्यकता-आधारित

प्रमुख समाधानीकृत विषय

- ↗ पर्यावरणीय प्रभाव
- ↗ सामुदायिक विकास

परिणाम

- ↗ सीएसआर गतिविधियों पर 583 करोड़ खर्च किए गए
- ↗ 1.36+ करोड़ लाभार्थी

प्रभावित एसडीजी

प्रभावित पूंजी

तथ्यपरक मूल्यांकन

संधारणीय विकास को समर्पित दृष्टिकोण

तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण विषयों का चिह्नित करना ही सुदृढ़ बनने और भविष्य के लिए तैयार रहने का आधार है। हमारा तथ्यपरकता मूल्यांकन आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस (शासन-विधि) क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कारकों का मूल्यांकन करता है। साथ ही, हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं को हितधारकों की उम्मीदों पर खरा उतारने में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यही अनुशासित दृष्टिकोण दीर्घकालिक, स्थायी मूल्य सृजन को प्रेरित करने वाली चीजों पर हमारा ध्यान केंद्रित रखता है।

वर्ष 2024-25 में किए दोहरे तथ्यपरकता मूल्यांकन ने हमें अपने हितधारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों का मूल्यांकन करने में सहायता की। इस प्रक्रिया ने वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई), संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते (यूएनजीसी) और संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास लक्ष्य (यूएनएसडीजी) जैसे मान्यता प्राप्त वैश्विक मानकों का अनुपालन किया। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए हमने हितधारकों से संवाद के जरिए चिह्नित किए प्रमुख विषयों को मान्य और चयनित करने के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चा की।

तथ्यपरक दृष्टिकोण

- ↗ तेल और गैस क्षेत्र में प्रमुख रुझानों का विश्लेषण
- ↗ प्रमुख जोखिमों और अवसरों का विश्लेषण
- ↗ महत्वपूर्ण विषयों की पहचान के लिए समकक्ष संगठनों के समान बेंचमार्किंग
- ↗ प्रमुख हितधारकों से राय लेना और सत्यापन

संयंत्र संचालन में लगे आईओसियन्स

चिह्नित किए गए प्रमुख विषय

रणनीतिक हरित स्थान जो जैव विविधता का समर्थन करते हैं और इंडियनऑयल के ईएसजी फोकस को दर्शाते हैं

पर्यावरण

- ↗ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
- ↗ वायु उत्सर्जन
- ↗ जल प्रबंधन
- ↗ चक्रीय एकीकरण
- ↗ जलवायु अनुकूलन, सुदृढ़ता और बदलाव
- ↗ पर्यावरणीय प्रभाव
- ↗ उत्पाद प्रबंधन और ग्राहक संतुष्टि

एक साथ मजबूत हो रहे हैं

सामाजिक

- ↗ स्वास्थ्य और सुरक्षा
- ↗ समुदाय विकास
- ↗ प्रतिभा प्रबंधन
- ↗ विविधता, समानता, समावेशन (डीईआई) और मानवाधिकार
- ↗ परिसंपत्ति अखंडता और प्रक्रिया सुरक्षा
- ↗ आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

इंडियनऑयल के बोर्ड ने मीडिया को संबोधित किया

गवर्नेंस (शासन-विधि)

- ↗ व्यापार नैतिकता और जवाबदेही
- ↗ भ्रष्टाचार विरोधी आचरण
- ↗ डेटा और साइबर सुरक्षा
- ↗ शिकायत समाधान

इंडियनऑयल का मूल्य सृजन मॉडल

छह पूंजियों और एक विज़न के साथ 'स्प्रिंट' गति से

हमारी छह पूंजियां

वित्तीय पूंजी

निवल मूल्य (कंपनी अधिनियम के अनुसार) – ₹1,50,863 **करोड़**

बाजार पूंजीकरण – ₹1,80,328 **करोड़**

उद्यम मूल्य – ₹3,14,530 **करोड़**

सामाजिक और संबंधों की पूंजी

850+ सीएसआर परियोजनाएं

42% एमएसई से खरीद

1.36+ **करोड़** लाभार्थी, राज्य और केंद्रीय निकायों के साथ साझेदारी

बौद्धिक पूंजी

आरएंडडी और प्रमुख नवाचार पहलों पर ₹1,067 **करोड़** खर्च

42 स्टार्ट-अप को सहारा दिया (इनक्यूबेट किया)

मानव पूंजी

29,941 कर्मचारी

10+ **लाख** घंटों से ज्यादा प्रशिक्षण दिया

नेतृत्व विकास कार्यक्रम

विविधता, समता और समावेश (डीईआई) पहल

प्राकृतिक पूंजी

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लाभ

जल संरक्षण पहल

कार्बन प्रबंधन पहल

'एनकॉन' पहलें

उत्तरदायित्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन

मूल्य सृजन प्रक्रिया

भरोसा
60 से अधिक वर्षों से विश्वसनीयता और सुदृढ़ता के साथ भारत को ऊर्जान्वित किया

परिवर्तन
नेट-ज़ीरो रोडमैप, चक्रीयता, हरित ईंधन, ई-मोबिलिटी

हमें सक्षम बनाने वाले

प्रौद्योगिकी
डिजिटल रिफाइनरियां, स्मार्ट पाइपलाइन्स, एआई आधारित विश्लेषण

प्रतिभा
भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, नेतृत्व पाइपलाइन, समावेशी संस्कृति

अपस्ट्रीम
अन्वेषण और उत्पादन

मिडस्ट्रीम
कच्चे तेल का आयात और परिवहन | पाइपलाइन्स और मध्य-स्तरीय भंडारण | एलएनजी टर्मिनल और पुनर्गैसीकरण अवसंरचना

डाउनस्ट्रीम
डिजिटल और ग्राहक समाधान (ऑटोमेशन, एआई-अनुकूलित वितरण, ग्रीन लॉयल्टी प्लेटफॉर्म) | रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स | वितरण और विपणन (रिटेल, विमानन, एलपीजी, औद्योगिक ईंधन) | शहरी गैस वितरण | बड़े उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

नव ऊर्जा इको सिस्टम
वैकल्पिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, जैव ईंधन, सीबीजी, ईवी अवसंरचना)

उत्पाद खुदरा बिक्री
स्वचालित ईंधन स्टेशन

पेट्रोल: डीजल
मिश्रित ईंधन: सीएनजी
सीबीजी: इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधाएं

बड़े ग्राहकों के लिए ईंधन
कुशल, उच्च-स्तरीय ईंधन और स्नेहक (लुब्रिकेंट्स)

हवाई जहाज | रेल | शिपिंग | रक्षा क्षेत्र

उत्पादन एवं परिणाम

वित्तीय पूंजी

परिसंपत्ति आधुनिकीकरण, आपूर्ति विश्वसनीयता, डिजिटल अवसंरचना, ईवी अवसंरचना विस्तार

82.02 **एमएमटी** ग्रुप रिफाइनरी थ्रूपुट

100+ **एमएमटी** पाइपलाइनों थ्रूपुट

100+ **एमएमटी** उत्पाद बिक्री

वित्तीय पूंजी

लाभ में निरंतर वृद्धि, मजबूत लिक्विडिटी, निवेशकों का विश्वास

राजस्व ₹8,45,513 **करोड़**

एबिटा ₹38,060 **करोड़**

पीएटी ₹12,962 **करोड़**

आरओसीई 7.10%

औसत निवल मूल्य पर लाभ (%) 8.76%

लाभांश अदायगी अनुपात 32%

सामाजिक और संबंधों की पूंजी

विश्वास-आधारित साझेदारियां, समावेशी विकास, ग्रामीण विकास

₹583.04 **करोड़** सीएसआर खर्च

चिकित्सा, शिक्षा, कौशल विकास और पूरे भारत में टच पॉइंट्स के साथ कई अन्य प्रमुख क्षेत्र

बौद्धिक पूंजी

भविष्य-सक्षम प्रचालन, उन्नत डिजिटल क्षमताएं, आरएंडडी का व्यावसायीकरण

86 बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) स्टार्टअप इनक्यूबेशन के जरिए सृजित

एआई-सक्षम लॉजिस्टिक और परिसंपत्ति निगरानी प्रणालियां

1,809 पेटेंट आवेदन

मानव पूंजी

सीखने की सुदृढ़ संस्कृति के युक्त सुरक्षित, समावेशी, उच्च-प्रदर्शन करने वाला कार्यबल

1% एट्रिशन (संघर्षण)

प्राकृतिक पूंजी

कम कार्बन उत्सर्जन, अपशिष्ट/जल में चक्रीयता (फिर उपयोग के लायक बनाना), ज्यादा ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) मिश्रण

252.1 **मेगावॉट** नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

39.8 **अरब लीटर** अपशिष्ट जल फिर उपयोग लायक बनाया गया

हरित ईंधन अवसंरचना में वृद्धि

एसडीजी

सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा

पूंजी को निष्पादन और उद्देश्य से जोड़कर

'स्प्रिंट' के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमारे लिए वित्तीय, विनिर्मित, बौद्धिक, मानवीय, प्राकृतिक, सामाजिक और संबंधों की पूंजियों का विवेकसम्मत उपयोग जरूरी है। ये पूंजियां मिलकर हमारी मूल्य सृजन सोच के रणनीतिक उत्प्रेरकों का काम करती हैं।

वित्तीय पूंजी

हम नवाचार और नव परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं में धन लगाते हुए अपने लाभ को इष्टतम करने के लिए वित्तीय संसाधनों का रणनीतिक आवंटन करते हैं। रिफाइनिंग, पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क में हमारे मुख्य निवेश प्रचालन उत्कृष्टता सुनिश्चित करते हैं। साथ ही हम नवीकरणीय ऊर्जा उपक्रमों में भी पूंजी लगाते हैं। ऐसा करते हुए हमें तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य में तात्कालिक वित्तीय निष्पादन और दीर्घावधि के संधारणीय विकास के बीच संतुलन बनाना होता है।

मानव पूंजी

अपने हर कार्य के केंद्र में हमारे कर्मचारी होते हैं। हम प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और एक ऐसी संस्कृति निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें सुरक्षा, समावेशन और निरंतर सीखने को प्राथमिकता दी जाती हो। हम मानव पूंजी में निरंतर निवेश कर रहे हैं, ताकि ऊर्जा परिवर्तन के हर चरण में प्रगति को गति देने के लिए हमारा कार्यबल चुस्त, सशक्त और सक्षम बना रहे।

विनिर्मित पूंजी

हमारी सुदृढ़ अवसंरचना ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। इस अवसंरचना को बनाए रखना और उन्नत करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करते हुए हम अपने हर निर्णय पर सजग विचार करते हैं और एक सुविचारित दृष्टिकोण अपनाते हैं। इस दृष्टिकोण में हमारी मुख्य परिसंपत्तियों को मज़बूत बनाना और नए ऊर्जा समाधानों में निवेश करना शामिल है।

सामाजिक और संबंधों की पूंजी

हम समुदायों, ग्राहकों, विनियामकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ टिकाऊ साझेदारियां निर्मित करते हैं। हम जब परिवर्तनकारी ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप प्रचालन करने के लिए सामाजिक अनुमोदन पाने के प्रयास करते हैं, तो उम्मीदों पर खरा उतरने और हितधारकों के हितों का ध्यान रखने के बीच रणनीतिक संतुलन बैठाने की जरूरत पैदा होती है।

बौद्धिक पूंजी

नवाचार हमारे ऊर्जा परिवर्तन के इंजन हैं। स्वच्छ ईंधन और दक्षता में नई सफलताएं रचने के लिए हम गहन अनुसंधान और अनुप्रयोगों में निवेश करते हैं। इस दौरान हम उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हैं जो कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करती ही हैं, प्रचालन में लचीलेपन और हितधारक मूल्य को भी बढ़ाती हैं।

प्राकृतिक पूंजी

पर्यावरण के संरक्षण और पोषण पर इंडियनऑयल के हर निर्णय में ध्यान रखा जाता है। हम कार्बन उत्सर्जन कम करने, संसाधनों का पूरा-पुरा उपयोग करने और नवीकरणीय स्रोतों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा करते हुए संसाधन-गहन पारंपरिक प्रचालनों और स्वच्छ ईंधन विकल्पों के बीच संतुलन करने की आवश्यकता होती है, ताकि वर्तमान ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

IndianOil

उद्देश्यपूर्ण शोधन
नवाचार से रोशन

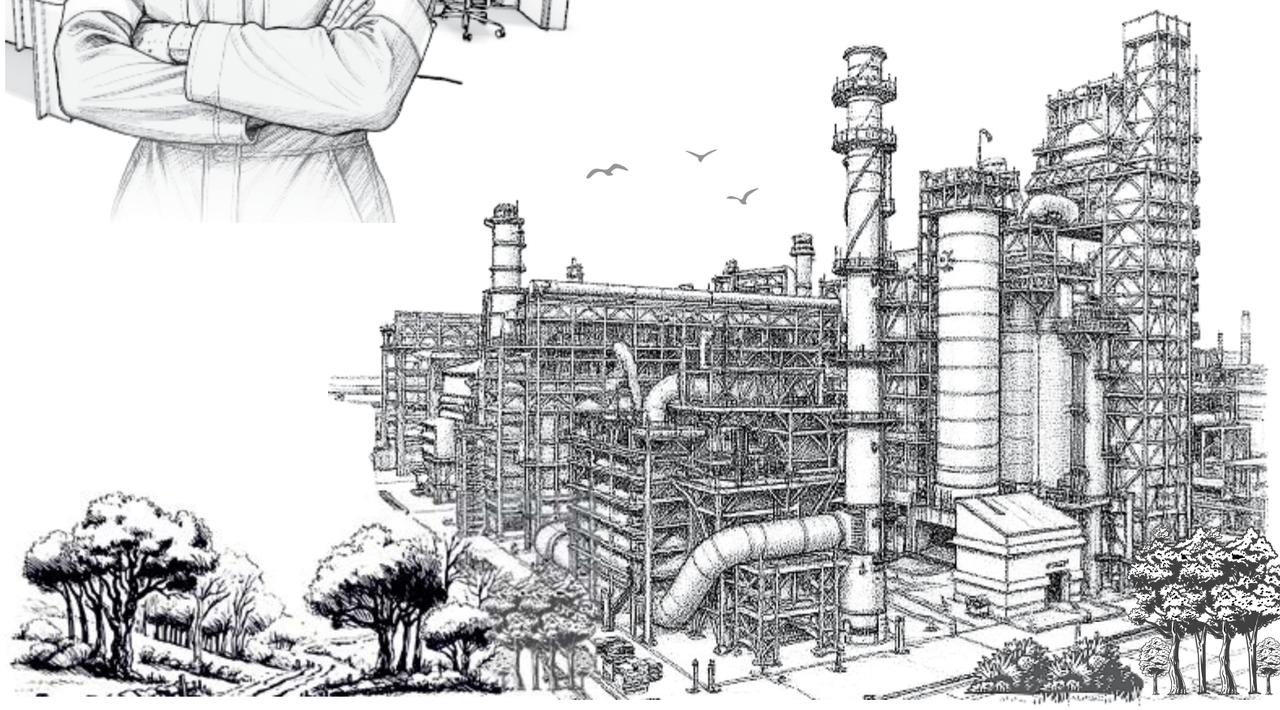

आपकी गाड़ियों में भरने वाले ईंधन से लेकर उद्योगों को चलाने वाली ऊर्जा तक, इंडियनऑयल की रिफाइनरियाँ देश की विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं:

- देश भर में 10 अत्याधुनिक समूह रिफाइनरियों का संचालन करते हुए, इंडियनऑयल यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा भारत के हर कोने तक पहुँचे।
- 80.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की कुल शोधन क्षमता के साथ, इंडियनऑयल देश की ऊर्जा ज़रूरतों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए तैयार है।
- अपनी indDSK® टेक्नोलॉजी से, इंडियनऑयल ने अत्यधिक स्वच्छ केरोसिन तैयार किया है, जो घरों और उद्योगों के लिए सुरक्षित और ज़्यादा असरदार ईंधन का विकल्प प्रदान करता है।
- स्वच्छ हवा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, इंडियनऑयल पानीपत में एक सतत विमानन ईंधन (SAF) संयंत्र स्थापित कर रहा है, ताकि हवाई उड़ानें और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनें।
- इंडियनऑयल हरियाणा की पानीपत रिफाइनरी में भारत का सबसे बड़ा 10 KTA ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने जा रहा है। यह भारत को स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।

www.iocl.com @IndianOilCorpLimited @indianOilcl @indianoilcorp @IndianOilCorporationLimited @indian-oil-corp-limited

समूह रिफाइनरियों का विवरण

रिफाइनरी (स्थान)	क्षमता (एमएमटीपीए में) (31 मार्च, 2025 तक)
डिग्बोई	0.65
गुवाहाटी	1.20
बरौनी	6.00
गुजरात (कोयली)	13.70
हल्दिया	8.00
बोंगईगांव	2.70
मथुरा	8.00
पानीपत	15.00
पारादीप	15.00
आईओसी	70.25
सीपीसीएल	10.50
आईओसी+सीपीसीएल	80.75

परिचालन पाइपलाइन 1 अप्रैल 2025 तक

क्र. सं.	पाइपलाइन		लंबाई (कि.मी.)	स्थापित क्षमता (एमएमटीपीए/ एमएमएससीएमडी)
ए	उत्पाद पाइपलाइन			
ए1	एलपीजी और समर्पित एटीएफ को छोड़कर उत्पाद पाइपलाइन–			
1	केऐपीएल	कोयली अहमदाबाद पाइपलाइन	79	1.10
2	केजेपीपीएल	कोयली जयपुर पानीपत पाइपलाइन	1644	5.00
3	केडीपीएल	कोयली दहेज पाइपलाइन	197	2.60
4	केआरपीएल	कोयली रतलाम पाइपलाइन	265	2.00
5	बीकेपीएल	बरौनी कानपुर पाइपलाइन	1227	5.50
6	एचएमआरपीएल	हल्दिया मौरीग्राम राजबंध पाइपलाइन	277	1.35
7	12" एचबीपीएल	हल्दिया बरौनी पाइपलाइन	526	1.25
8	जीएसपीएल	गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन	435	1.40
9	पीबीपीएल	पानीपत भटिंडा पाइपलाइन	219	3.00
10	पीआरपीएल	पानीपत-रेवाड़ी पाइपलाइन	155	2.10
11	पीएजेपीएल	पानीपत अम्बाला जालंधर पाइपलाइन	495	3.50
12	पीडीपीएल	पानीपत दिल्ली पाइपलाइन	189	3.00
13	एमडीपीएल	मथुरा दिल्ली पाइपलाइन	147	3.70
14	एमएजीपीएल	मथुरा आगरा गौरिया पाइपलाइन	311	4.00
15	एमबीपीएल	मथुरा भटनपुर पाइपलाइन	21	1.20
16	सीटीएमपीएल	चेन्नई त्रिची मदुरै पाइपलाइन	683	3.90
17	सीबीपीएल	चेन्नई बेंगलोर पाइपलाइन	290	2.45
18	पीआरआरपीएल	पारादीप रायपुर रांची पाइपलाइन	1073	5.00
19	पीएचपीएल	पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन	1219	4.50
20	पीएसएचपीएल	पारादीप सोमनाथपुर हल्दिया पाइपलाइन	341	4.60
21	केएएसपीएल	कोयली अहमदनगर सोलापुर पाइपलाइन	752	5.00
22	18" एचबीपीएल	हल्दिया बरौनी पाइपलाइन	519	3.40
	एलपीजी और समर्पित एटीएफ को छोड़कर उत्पाद पाइपलाइनें (कुल)		11064	69.55
ए2	समर्पित एटीएफ पाइपलाइन			
23	पीबीपीएल एटीएफ	पानीपत बिजवासन एटीएफ लाइन	111	1.00
24	चेन्नई एटीएफ	चेन्नई मीनंबक्कम एटीएफ पाइपलाइन	95	0.18
25	बेंगलुरु एटीएफ	देवनहल्ली पाइपलाइन	36	0.66
26	कोलकाता एटीएफ	कोलकाता एटीएफ पाइपलाइन	27	0.20
27	लखनऊ एटीएफ	लखनऊ एटीएफ पाइपलाइन	6	0.21
28	भुवनेश्वर एटीएफ	भुवनेश्वर एटीएफ पाइपलाइन	15	0.12
		कुल (ए2)	290	2.37
ए3	एलपीजी पाइपलाइन			
29	पीजेपीएल	पानीपत जालंधर पाइपलाइन	280	0.70
30	पीएचबीएमपीएल	पारादीप हल्दिया बरौनी मोतिहारी पाइपलाइन	1710	3.50
		कुल (ए3)	1990	4.20
		कुल (ए1+ ए2+ए3)	13345	7612

1 अप्रैल 2025 तक पाइपलाइन परियोजनाएं

क्र. सं.	पाइपलाइन	लंबाई (कि.मी.)	क्षमता (एमएमटीपीए/ एमएमएससीएमडी)
	एलपीजी को छोड़कर चालू उत्पाद पाइपलाइन परियोजनाएं		
1	सीबीआर से असनूर तक उत्पाद पाइपलाइन	139.00	4.50
2	भिलाँपुर में प्रस्तावित टर्मिनल से कनेक्टिविटी के लिए बीकेपीएल का पुनर्मार्गन	12.40	0.00
3	पीआरआरपीएल से मेरा-मंडली सीपूएफ तक शाखा पाइपलाइन	21.51	0.00
4	जेएनपीटी से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एटीएफ पाइपलाइन	22.00	4.45
5	सीटीएमपीएल के असनूर-सेंकरी खंड का इग्गूर तक विस्तार	131.00	0.00
6	देवेगौथी-चित्रदुर्ग पाइपलाइन	234.00	2.60
7	सिलीगुड़ी-झापा पाइपलाइन (भारत में 36 किमी और नेपाल में 14 किमी)	50.00	1.00
8	अमलेखगंज-चितवन पाइपलाइन (नेपाल में पाइपलाइन की कुल लंबाई)	62.00	0.00
9	लखनऊ टर्मिनल से लखनऊ एएफएस तक मौजूदा एटीएफ पाइपलाइन का पुनर्मार्गन	0.45	0.00
	एलपीजी को छोड़कर कुल उत्पाद पाइपलाइनें	672.36	12.55
	चल रही एलपीजी पाइपलाइन परियोजनाएं		
1	जालंधर से गोइंदवाल साहिब बीपी तक पीजेपीएल का विस्तार	85.00	0.50
2	हल्दिया में आईपीपीएल टर्मिनल और पीएचबीएमपीएल हल्दिया के बीच अतिरिक्त स्पर लाइन बिछाना	1.20	–
	कुल एलपीजी पाइपलाइनें	86.20	0.50
	चल रही क्रूड पाइपलाइन परियोजनाएं		
1	जे-18 के लिए एसएमपीएल कच्चे तेल पाइपलाइन सिस्टम का विस्तार	0.00	10.00
2	पी-25 के लिए नई मुंद्रा पानीपत क्रूड ऑयल पाइपलाइन	1033.00	17.50
	कुल कच्ची पाइपलाइनें	1033.00	27.50
	चल रही गैस पाइपलाइन परियोजनाएं		
1	एन्नोर-तूतीकोरिन-बेंगलुरु आर एलएनजी पाइपलाइन	356.00	1.00
2	हज़ारीबाग-रांची आरएलएनजी पाइपलाइन	67.83	1.00
	कुल गैस पाइपलाइन	423.83	2.00

सारांश

	चल रही तरल और गैस पाइपलाइन परियोजनाएं		
1	एलपीजी को छोड़कर कुल उत्पाद पाइपलाइन	672.36	12.55 एमएमटीपीए
2	कुल एलपीजी पाइपलाइन	86.2	0.50 एमएमटीपीए
3	कुल कच्चे तेल की पाइपलाइन	1033.00	27.50 एमएमटीपीए
4	कुल गैस पाइपलाइन	423.83	2 एमएमएससीएमडी
	संचरी	2215.39	40.55 एमएमटीपीए 2 एमएमएससीएमडी

परिचालन पाइपलाइन

क्र. सं.	पाइपलाइन		लंबाई (कि. मी.)	स्थापित क्षमता (एमएमटीपीए/ एमएमएससीएमडी)
बी	कच्चे तेल की पाइपलाइन			
1	एसएमपीएल	सलाया मथुरा पाइपलाइन	2663	25.00
2	एमपीपीएल	मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन	1194	8.40
3	पीएचबीपीएल	पेरादीप हल्दिया बरौनी पाइपलाइन	1467	20.40
	कच्चे तेल की पाइपलाइन कुल		5324	53.80
	संचयी (कच्चा + उत्पाद)		18668	129.92
सी	गैस पाइपलाइन			
1	डीपीपीएल	दादरी पानीपत आर एलएनजी पाइपलाइन	143.3	9.50
2	ईटीबीपीएल	एन्नोर-तूतीकोरिन-बेंगलुरु पाइपलाइन	1087.5	34.67
3	डीकेपीएल	दहेज कोयाली आर एलएनजी पाइपलाइन	106.0	5.23
	गैस पाइपलाइन कुल		1336.8	49.40
	इंडियनऑयल पाइपलाइन नेटवर्क (कच्चा तेल, उत्पाद और गैस)		20005	129.92 एमएमटीपीए[1] और 49.40 एमएमएससीएमडी[2]

मानचित्र पैमाने पर नहीं

स्थान सांकेतिक हैं

SPRINT

मुख्य व्यवसाय का सशक्तिकरण

इंडियनऑयल के नेतृत्व को आधारभूत क्षेत्रों में बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए :

↗ भारत की सबसे बड़ी रिफाइनर के रूप में अग्रणी स्थिति बनाए रखना

↗ नेटवर्क विस्तार और ग्राहक केंद्रीयता से खुदरा ईंधन की बिक्री में बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाना

↗ सभी संस्थागत व्यवसाय अनुभागों (बिजनेस सेगमेंट्स) में नेतृत्व सुदृढ़ करना

↗ उभरते बाज़ारों में अग्रणी स्थिति के लिए पेट्रोकेमिकल्स और विशेष रसायन उत्पादन में वृद्धि

विनिर्मित

पूंजी

श्री अरविंद कुमार
निदेशक (रिफाइनरीज)

66 इंडियनऑयल ने 2024-25 में रिकॉर्ड रिफाइनिंग थ्रूपुट, विस्तृत पाइपलाइन, मार्केटिंग (विपणन) नेटवर्क और अब तक की सबसे अधिक पेट्रोकेमिकल्स और प्राकृतिक गैस की बिक्री के साथ नई ऊंचाइयों को छुआ। बड़े पैमाने पर अवसंरचना उन्नयन, डिजिटलीकृत प्रचालन और स्वच्छ ईंधन वाले लॉजिस्टिक्स के साथ कंपनी कम कार्बन वाले भविष्य के लिए तैयार रहते हुए अपने मुख्य भाग (कोर) को मजबूत कर रही है। 99

'स्प्रिंट गति से' – मूल व्यवसाय सशक्तिकरण, पोर्टफोलियो मिक्स की पुनर्कल्पना

सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना और उन्नत सुविधाएं हमारे प्रचालनों की आधारशिला हैं। ये हमें सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता के साथ ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं। हम रिफाइनिंग, पाइपलाइनों और मार्केटिंग (विपणन) केंद्रों में अपनी परिसंपत्तियों को सुदृढ़ कर रहे हैं। साथ ही कम कार्बन वाले भविष्य की ओर प्रभावी रूप से आगे बढ़ने के लिए बेहतर, स्वच्छ और अधिक कुशल तकनीकों को एकीकृत कर रहे हैं। रिफाइनरियों, पाइपलाइनों और मार्केटिंग (विपणन) केंद्रों का हमारा नेटवर्क एक सुदृढ़, विस्तार करने योग्य और 'फ्यूचर-रेडी' (भविष्य के लिए तैयार) पारिस्थितिक तंत्र का आधार है। ये एक बदलते ऊर्जा परिदृश्य में फलने-फूलने के लिए ठोस आधार है।

प्रभावित हितधारक

- निवेशक और शेयरधारक
- कर्मचारी और संविदा कर्मचारी
- सरकारी और नियामकीय निकाय

महत्व के विषय

↗ उत्पाद प्रबंधन और ग्राहक संतुष्टि

↗ पर्यावरणीय प्रभाव

↗ परिसंपत्ति और प्रक्रिया सुरक्षा

↗ आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

एसडीजी लिंकेज

रिफाइनरीज प्रभाग

भारत की प्रमुख डाउनस्ट्रीम ऊर्जा कंपनी होने के नाते इंडियनऑयल का रिफाइनरी प्रभाग देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वह उभरते सस्टेनेबिलिटी मानकों को पूरा करने के लिए विकसित होते हुए ऐसा कर रही है। हमारी रिफाइनरियों ने 2024–25 में नवाचार, दक्षता और हमारी 'स्प्रिंट' (गति से) रणनीति के अनुरूप डीकार्बनाइजेशन पर स्पष्ट ध्यान रखते हुए प्रचालनों में सुदृढ़ प्रदर्शन किया। हमने वर्ष के दौरान अपनी स्थापित क्षमता के 102% पर प्रचालन करते हुए 71.56 एमएमटी कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया।

अवसंरचना आधुनिकीकरण, क्षमता वृद्धि

गुजरात रिफाइनरी

हमने सिंथेसिस गैस और एनबीए इकाई (ओएक्सओ अल्कोहल परियोजना का केंद्र) शुरू की और 99.97% शुद्ध सामान्य ब्यूटानॉल के उत्पादन में प्रवेश किया, जो रसायन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण फीडस्टॉक है।

मथुरा रिफाइनरी

ईंधन की खपत कम करने, बिजली की लागत में कटौती करने और हरित ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए 220 केवी ग्रिड की बिजली इकाई का उद्घाटन किया गया।

डिगबोई रिफाइनरी

अपने प्रचालन इतिहास की सबसे लंबी 7.5 किलोमीटर लंबी डीएचडीटी फीड पाइपलाइन चालू की। इससे डीज़ल हाइड्रो-प्रॉसेसिंग क्षमताएं मजबूत हुईं।

पानीपत रिफाइनरी

इंडियनऑयल के नेटवर्क में पहली बार दोनों एवीयू में कम विकिरण वाले वैक्यूम प्रीहीटर (एलआरवीपी) चालू किए। इससे भाप की खपत में 6.8 टन प्रति घंटा (टीपीएच) की कमी आई और 13.8 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई।

स्वच्छ और हरित कल के लिए नवाचार और पहल

- ↗ पारादीप रिफाइनरी ने इंडडीएसके (केएचडीएस) इकाई चालू की। ये पाइपलाइन-संगत वितरण के लिए अति-निम्न सल्फर केरोसिन (<8 पीपीएम) का उत्पादन करती है।
- ↗ पारादीप रिफाइनरी द्वारा विशेष रूप से हाई-ऑक्टेन रेसिंग ईंधन 'स्टॉर्म-एक्स' तैयार किया गया। इसका उपयोग एमआरएफ एमएमएससी एफएम एससीआई (MRF MMSC FMSCI) भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैम्पियनशिप में सफलतापूर्वक किया गया।
- ↗ मथुरा रिफाइनरी ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलेसर प्रीवॉश (ईसीपी) पैकेज शुरू किया। इससे एटीएफ उत्पादन के लिए हाई-टैन कच्चे तेलों का प्रसंस्करण संभव हुआ। परिणामतः 'स्पेंट कॉस्टिक' के उत्पादन में कमी आई और एटीएफ उत्पादन बढ़ा।

पाइपलाइन्स प्रभाग

हमारा पाइपलाइन प्रभाग भारत का अग्रणी ऊर्जा वाहक है। इस रूप में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश की ऊर्जा अवसंरचना को दक्षतापूर्वक, सुरक्षित और स्थायी रूप से मजबूत कर रहा है। हमारी 'स्प्रिंट गति से' थीम पर चलते हुए इस प्रभाग ने 2024–25 में क्षमता बढ़ाने, स्वच्छ ईंधनों को एकीकृत करने और प्रचालनों में डिजिटल बुद्धिमत्ता को शामिल करने पर ध्यान दिया है।

हमारा देशव्यापी पाइपलाइन नेटवर्क 20,005 किलोमीटर (261 किलोमीटर की वृद्धि) से अधिक फैला है। अब कच्चे तेल और उत्पादों के लिए इसकी कुल क्षमता 129.92 एमएमटीपीए और गैस के लिए 49.4 एमएमएससीएमडी हो चुकी है। इन भूमिगत ऊर्जा राजमार्गों ने 96.924 एमएमटी तरल उत्पादों और 4,668 एमएमएससीएम गैस की रिकॉर्ड ढुलाई की है। यह बढ़ती राष्ट्रीय मांग और बदलाव संबंधी अनिवार्यताओं के बीच सुदृढ़ता और विश्वसनीयता प्रदर्शित करता है।

- ↗ योजनाबद्ध रिफाइनरी शटडाउन के बावजूद थ्रूपुट में अहम उपलब्धियां हासिल हुईं। उत्पाद और गैस पाइपलाइन थ्रूपुट अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहा। इसमें उत्पाद थ्रूपुट 3% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 45.4 एमएमटी तक पहुंच गया।
- ↗ पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन के अंतर्गत विजयवाड़ा-हैदराबाद खंड और कारवाड़ तथा कांडला-गोरखपुर परियोजनाओं के तहत नए कनेक्शन सहित महत्वपूर्ण खंडों का निर्माण कार्य शुरू हुआ और क्षेत्रीय संपर्क बेहतर हुआ।
- ↗ इनलाइन निरीक्षण (आईएलआई) के जरिए 6,000 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन की जांच पूरी की गई। इसमें 4,500 किलोमीटर के लिए आंतरिक आरएंडडी उपकरणों का उपयोग किया गया।
- ↗ पूरे 610 किमी के महत्वपूर्ण राइट-ऑफ-वे क्षेत्र पर मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) आधारित निगरानी और नैनो ड्रोन तैनात किए गए। इन्हें पाइपलाइन में अनधिकृत प्रवेश की पहचान और चेतावनी प्रणाली (पीआईडीडब्ल्यूएस) के साथ जोड़ा गया है।
- ↗ जैव ईंधन लक्ष्यों के अनुरूप ई-20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल और बी-1 बायोडीजल-मिश्रित डीजल का पाइपलाइन परिवहन शुरू किया गया।
- ↗ पारादीप आयात टर्मिनल से एलपीजी पंपिंग शुरू की गई। साथ ही, मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन के जरिए नेपाल तक एमएस आपूर्ति को फैलाया गया। इससे सीमा पार व्यापार बढ़ा।
- ↗ सीजीडी अवसंरचना का विस्तार 9,300 किलोमीटर से अधिक तक किया गया, 2 लाख नए पीएनजी घरेलू कनेक्शन जोड़े गए, जो कि 75% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि है।
- ↗ नए सीएनजी स्टेशन 92 शुरू किए गए और गैस की बिक्री 4.54 लाख किलोग्राम/प्रतिदिन के चरम पर पहुंची। इससे गैस अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को समर्थन मिला।
- ↗ नई पाइपलाइनों और टर्मिनलों के जरिए बिहार और नेपाल में लॉजिस्टिक्स बढ़ाने के लिए ₹1,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं अनुमोदित हुईं।
- ↗ ईपीएमसी और पीएमसी सेवाएं शुरू की गईं। इससे एंड-टू-एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास क्षमताओं की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया।

इंडियनऑयल का पाइपलाइन प्रभाग भारत के विकसित होते ऊर्जा परिदृश्य में एक रणनीतिक प्रवर्तक बन चुका है। यह प्रभाग मुख्य अवसंरचना का आधुनिकीकरण करके, स्वच्छ ईंधनों को एकीकृत करके और नवाचार की सीमाओं को खोलते हुए 'स्प्रिंट' गति से लगाने जा रहा है। इसके साथ एक अधिक संपोषी और समावेशी ऊर्जा भविष्य की नींव रखी जा रही है।

मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन हब

विपणन प्रभाग

इंडियनऑयल ने 2024-25 में अपने फैलते ईंधन और ऊर्जा वितरण नेटवर्क के समर्थन हेतु भौतिक और डिजिटल दोनों अवसंरचनाओं को सुदृढ़ किया।

- नए रिटेल आउटलेट (खुदरा बिक्री केंद्र) 2,823 शुरू किए गए। इस तरह, कुल 40,221 की संख्या के साथ यह भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया है।
- ईवी चार्जिंग स्टेशन 4,656 और 37 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन शुरू किए गए। अब कुल 13,614 ईवीसीएस और 128 स्वैप स्टेशन हो चुके हैं।
- पहली बार विशेष 'छोटू शॉपी' शुरू की गई और 'उम्मीद - अ होप' पहल के अंतर्गत 68 जेल रिटेल आउटलेट का विस्तार किया गया।
- एक ही दिन में 3,60,708 किलोलीटर ईंधन की रिकॉर्ड ढुलाई की गई। प्रमुख लॉजिस्टिक्स समाधानों में रेल-लोडिंग सुविधाओं की शुरुआत, पाइपलाइन एकीकरण और नेपाल, बांग्लादेश, पोर्ट ब्लेयर जैसे स्थानों पर प्रमुख ईंधनों की पहली बार सफल तटीय और अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट इत्यादि शामिल रहे।
- जटनी-भुवनेश्वर एटीएफ पाइपलाइन और पारादीप में देश की पहली वेपर रिकवरी इकाई, एनर्जी लॉजिस्टिक्स और पर्यावरणीय अनुपालन में नए मानक स्थापित किए।
- मेंगलुरू और हल्दिया में बिटुमेन टर्मिनलों के कुशल प्रचालन और ओमान से पहले बिटुमेन आयात ने इंडियनऑयल की आपूर्ति क्षमताओं को और विविधिकृत किया।
- नए बॉटलिंग संयंत्रों की शुरुआत की गई। 'एक्स्ट्रालाइट' जैसे एलपीजी सिलेंडरों की किस्में लाई गईं। एलपीजी उपकरण गुणवत्ता मैनुअल के जरिए नए सुरक्षा और गुणवत्ता प्रोटोकॉल शुरू किए गए।
- उच्च दक्षता वाले एलपीजी सिलेंडर 'एक्स्ट्रातेज' की मात्रा में 48.9% की वृद्धि हुई।
- इंडियनऑयल को स्नेहक क्षेत्र में 'इनोवेशन के लिए गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड' मिला। कंपनी ने विश्व के 70 बंदरगाहों पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वैश्विक स्नेहक व्यवसाय का 40% हिस्सा प्राप्त करके वैश्विक लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ किया।
- मार्गों के किनारे 72 नई सुविधा परियोजनाओं (डब्ल्यूएसए) ने रिटेल मार्केटिंग को मजबूत किया। इससे राजमार्गों और पारगमन केंद्रों पर ग्राहकों के अनुभव बेहतर हुए। इस संदर्भ में प्रमुख पहलों में 'पीएम1000' के अंतर्गत 'अपना घर' का शुभारंभ, प्रमुख हॉस्पिटैलिटी ब्रांडों के साथ साझेदारी और गैर-ईंधन राजस्व में वृद्धि शामिल है। यह इंडियनऑयल के एकीकृत गतिशीलता सेवा मॉडल को प्रदर्शित करता है।

राजस्थान में इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट, रास्ते के किनारे सुविधाएं उपलब्ध

शुरू की गईं नए दौर की परिसंपत्तियां

मलकापुर पीओएल टर्मिनल

खोरधा (ओडिशा), चितूर (आंध्र प्रदेश) और पूर्णिया (बिहार) में बॉटलिंग संयंत्र

सीएनजी और सीबीजी स्टेशनों में महत्वपूर्ण वृद्धि - कुल 2,437 सीएनजी और 125 सीबीजी आउटलेट।

पेट्रोकेमिकल्स

इंडियनऑयल के पेट्रोकेमिकल्स व्यवसाय ने 2024-25 में ऐतिहासिक उपलब्धि छूते हुए निर्यात सहित 3.24 एमएमटी की अब तक की सर्वाधिक बिक्री की। यह गत वित्तीय वर्ष की 3.1 एमएमटी बिक्री की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। यह अनूठा प्रदर्शन मजबूत घरेलू मांग, पोर्टफोलियो विस्तार, रणनीतिक ओईएम साझेदारियों और संधारणीयता एवं आत्मनिर्भरता पर बल देने से प्रेरित रहा।

पानीपत और पारादीप स्थित उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बेहतर उत्पाद गुणवत्ता और नवीन समाधानों हेतु नई सामग्रियों और अनुप्रयोगों का विकास कर रहे हैं।

क्षमता विस्तार और परियोजना अनुमोदन में अहम प्रगति

- इंडियनऑयल बोर्ड ने भद्रक, ओडिशा में 300 केटीए यार्न परियोजना हेतु एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम समझौते के क्रियान्वयन को मंजूरी दी।
- पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 42-केटीपीए प्रोपलीन रिकवरी इकाई के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति।
- पारादीप में एथिलीन शुद्धिकरण और गैस-चरण रिएक्टरों के लिए निवेश अनुमोदन।
- पारादीप में P1750MN और पानीपत में PP-ICP 5200MG ये दो नए विशिष्ट पीपी ग्रेड लॉन्च किए गए। इसके अतिरिक्त, HDPE ग्रेड 002DB52 को पानीपत संयंत्र से पुनः शुरू किया गया।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 16 पॉलिमर ग्रेडों को विभिन्न ओईएम विक्रेताओं से अनुमोदन मिला।

सभी सेगमेंट (अनुभाग) में असाधारण बिक्री

1,940 टीएमटी
कम्पोजिट पॉलिमर (पीपी और पीई)

483 टीएमटी
ग्लाइकोल

173 केटी
लैब + एचएबी

123 टीएमटी
ब्यूटाडीन

प्राकृतिक गैस

इंडियनऑयल ने 2024-25 में 9.45 एमएमटीपीए की अपनी अब तक की सर्वाधिक प्राकृतिक गैस बिक्री की, जो गत वर्ष के मुकाबले 20% की वृद्धि है। इस प्रदर्शन ने हमारी बाजार हिस्सेदारी को 14.2% तक बढ़ा दिया। यह भारत के गैस-उन्मुख बदलाव में इंडियनऑयल के बढ़ते कद को दर्शाता है।

- कंपनी ने एडीएनओसी (14 वर्षों के लिए 1.2 एमएमटीपीए), टोटल एनर्जीज (10 वर्षों के लिए 0.8 एमएमटीपीए) के साथ दीर्घावधि एलएनजी बिक्री खरीद समझौते (एसपीए) और एडनॉक रुवैस टर्मिनल (15 वर्षों के लिए 1 एमएमटीपीए) के साथ एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए।
- स्पॉट एलएनजी खरीद में 82% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। इसके तहत 34 कार्गो के जरिए 2.11 मिलियन मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई।
- एडनॉक ट्रेडिंग, केओसीएच सप्लाई, बीबी एनर्जी और पीटीटीटीई के साथ नई साझेदारियों ने सुदृढ़ता और व्यापारिक विकल्पों को बढ़ावा दिया।
- नेपाल (योग्या होल्डिंग्स) के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय एलएनजी निर्यात समझौता किया गया।
- छारा टर्मिनल चालू करने के लिए एचपीसीएल को उच्च समुद्र में एलएनजी कार्गो की पहली विक्रेता बनी इंडियनऑयल।
- कॉनकॉर के खाटूवास टर्मिनल पर अपना पहला एलएनजी उपभोक्ता स्टेशन चालू किया। इससे कॉनकॉर की रसद लागत में बचत हुई और स्थिरता को बढ़ावा मिला।
- सीजीडी संयुक्त उद्यम कंपनियों ने 605 एमएमएससीएम की अब तक की सर्वाधिक बिक्री की, 515 सीएनजी स्टेशन चालू किए, 37,000 इंच-किमी पाइपलाइन बिछाई और 5.15 लाख से अधिक घरेलू पीएनजी कनेक्शन जोड़े।
- शेल, एक्सॉनमोबिल, ओएनजीसी और एचपीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन किए गए। इनका उद्देश्य एलएनजी बंकरिंग, गैस मुद्रीकरण, व्यापार और छोटे पैमाने पर एलएनजी तैनाती जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना है।
- इंडियन गैस एक्सचेंज (आईजीएक्स) पर ट्रेडिंग की मात्रा तीन गुना बढ़कर 296 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर हो गई। इस एक्सचेंज पर कुल ट्रेडिंग मात्रा में इंडियनऑयल का हिस्सा 21% रहा।

अन्वेषण और उत्पादन

इंडियनऑयल का अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) व्यवसाय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के जरिए भारत की अपस्ट्रीम ऊर्जा सुरक्षा निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। इस व्यवसाय का 2024-25 में उत्पादन बढ़ा, इसका भंडार आधार विस्तृत हुआ और कोल बेड मीथेन तथा पारंपरिक हाइड्रोकार्बन परिसंपत्तियों में इसने अहम उपलब्धियां हासिल कीं। प्रबंधित जोखिम के साथ वैश्विक भागीदारी और प्रौद्योगिकी उन्मुख अन्वेषण के संतुलित मिश्रण से इंडियनऑयल अपस्ट्रीम क्षेत्र में निरंतर दीर्घावधि मूल्य सृजित कर रही है।

- ↗ वर्ष के लिए अपस्ट्रीम उत्पादन का हिस्सा गत वर्ष के 4.26 मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य से बढ़कर 4.45 मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य हो गया। यह वृद्धि निम्नांकित कारणों से हुई:
  - कनाडा में पीएनडब्ल्यू परियोजना से उत्पादन में वृद्धि।
  - इंडियनऑयल के बीके-सीबीएम-2001/1 ब्लॉक (झारखंड) में गैस उत्पादन की शुरुआत।
- ↗ ब्लॉक एएपी-ओएन-94/1 (डिरोक, असम) में वर्कओवर ऑपरेशन के चलते क्षेत्र में 127 बीसीएफ की अतिरिक्त गैस-इन-प्लेस (2पी) की खोज हुई।
- ↗ कोल बेड मीथेन में सफलता मिलने से बीके-सीबीएम-2001/1 ब्लॉक से गैस उत्पादन शुरू हुआ। इससे बोकारो हब में इंडियन गैस एक्सचेंज के जरिए इंडियनऑयल की पहली सीबीएम गैस बिक्री शुरू हुई।
- ↗ एनसीएलटी के जरिए पहला अधिग्रहण पूरा हुआ, मर्केंटर पेट्रोलियम लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदी और गुजरात के विपुल कैम्बे बेसिन में ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2005/9 का स्वामित्व प्राप्त किया।
- ↗ अबू धाबी के ब्लॉक ऑनशोर-1 में वेल एक्सएन-76 में हाइड्रोफ्रैकिंग के जरिए पहली अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन खोज। निकट भविष्य में उत्पादन शुरू करने में सहायता के लिए रुवैस द्वारा खोज किए जाने के लिए एडनॉक के साथ उत्पादन रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

लोअर ज़ाकुम सेंट्रल सुपरकॉम्प्लेक्स, यूएई - इंडियनऑयल ने इस विशाल तेल क्षेत्र में अल्पसंख्यक भागीदारी हित (पीआई) प्राप्त किया है।

वैश्विक स्तर पर भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार

हमने प्रभावशाली साझेदारियों, सीमा-पार अवसंरचना परियोजनाओं और बाजार विस्तार के जरिए अपनी अंतर्राष्ट्रीयकरण रणनीति को गति दी।

- ↗ नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन का चितवन (नेपाल) तक विस्तार करने और सिलीगुड़ी-झापा (नेपाल) पाइपलाइन के विकास के साथ-साथ नेपाल में दो ग्रीनफ़ील्ड टर्मिनलों के विकास हेतु दो ऐतिहासिक फ्रेमवर्क समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- ↗ श्रीलंका और बांग्लादेश को पहली बार एक्सपी100 और एवीगैस 100 एलएल का निर्यात।
- ↗ बांग्लादेश को 635 टीएमटी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति।
- ↗ नेपाल में एक सर्वो ल्यूब ब्लेंडिंग संयंत्र बनाने के लिए हंसराज हुलासचंद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ 50:50 का संयुक्त उद्यम (आईओएमएल हुलास ल्यूब प्राइवेट लिमिटेड) किया गया।
- ↗ पेट्रोकैमिकल्स, एसएएफ, लॉजिस्टिक्स, कार्बन क्रेडिट और बायोप्लास्टिक में संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन (जापान और भारत) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किया गया।
- ↗ भारत में इंडमैक्स उत्प्रेरकों के संयुक्त निर्माण के लिए सूड-केमी इंडिया प्रा. लि. (एससीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया। इससे स्वदेशी क्षमता और प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग क्षमता में वृद्धि होगी।

नेपाल में पेट्रोलियम अवसंरचना के विकास के लिए नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ B2B फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर

विस्फोटक पदार्थ

इंडियनऑयल ने भारत के थोक विस्फोटक क्षेत्र में अपना नेतृत्व बनाए रखा है। उसने सुरक्षित और विश्वसनीय आपूर्ति समाधानों के जरिए खनन, अवसंरचना और भारी उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सेवाएं दीं।

इस व्यवसाय ने 2024-25 में 319 टीएमटी से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री की। इससे इस उद्योग की कई बड़ी कंपनियों के लिए हम 'पसंदीदा भागीदार' बनकर उभरे।

- ↗ तमिलनाडु के नेवेली में 4,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के लाइसेंसशुदा साइट मिक्स्ड एक्सप्लोसिव्स (एसएमई) संयंत्र की शुरुआत हुई। यह एनएलसी इंडिया लिमिटेड की विस्फोटक पदार्थों की मांग को संतुष्ट करेगा।
- ↗ पूर्वी भारत में अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ करते हुए कंपनी ने देवप्रभा माइनिंग एंड इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के लिए माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर (एम डीओ) के रूप में जोड़ा है।
- ↗ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के माजरी क्षेत्र में एक बल्क एक्सप्लोसिव्स सहायता संयंत्र और तेलंगाना के मंदामरी में 30-केटीए एसएमई संयंत्र का विकास हुआ। इससे क्षमता और कवरेज को सुदृढ़ किया जा सकेगा और इंडियनऑयल को भारत की औद्योगिक ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में और एकीकृत किया जा सकेगा।

खदान स्थल पर भारी मात्रा में विस्फोटक का चार्ज

वैकल्पिक ऊर्जा की ओर झुकाव

अपने 'नेट-जीरो 2046' विजन के अनुरूप हम कंप्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी), संधारणीय विमानन ईंधन (एसएएफ) और समुदाय आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल पर रणनीतिक ध्यान देते हुए अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ा रहे हैं।

इंडियनऑयल - हरित हाइड्रोजन गतिशीलता को सशक्त बनाना

'सतत' (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवॉर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन) पहल के अंतर्गत इंडियनऑयल निजी उद्यमियों को सीबीजी संयंत्र स्थापित करने में सहायता करती है। हम सीबीजी उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मार्च 2025 तक 44 सीबीजी संयंत्र चालू हो चुके हैं। इंडियनऑयल ने इन संयंत्रों के जरिए 125 खुदरा दुकानों और 4 औद्योगिक ग्राहकों को 'इंडीग्रीन' ब्रांड तले सीबीजी बिक्री की सुविधा दी है।

इनमें से इंडियनऑयल ने अपने स्वयं के निवेश से 4 सीबीजी संयंत्र चालू किए हैं। इनमें ग्वालियर की आदर्श गौशाला में 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाला गोबर-आधारित सीबीजी संयंत्र शामिल है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था।

इसके अलावा इंडियनऑयल 30 सीबीजी संयंत्र लगा रहा है। इनमें से 9 परियोजनाओं पर हमारे संयुक्त उद्यम, आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल प्रा. लि. के जरिए कार्य प्रगति पर है। शेष परियोजनाएं भी कार्याधीन हैं।

एसएएफ में हम पानीपत में 86.8 केटीपीए क्षमता वाला भारत का पहला व्यावसायिक संयंत्र विकसित कर रहे हैं। इसे लैंजाजेट इंक. के साथ साझेदारी में उनकी उन्नत अल्कोहल-टू-जेट (एटीजे) तकनीक का लाभ उठाते हुए बनाया जा रहा है।

P R I N T

लागत अनुकूलन को बढ़ावा

लागत दक्षता दीर्घावधि स्पर्धात्मकता के लिए अहम है

- ↗ सभी क्षेत्रों में प्रचालन दक्षता में वृद्धि करना।
- ↗ एलपीजी बॉटलिंग, सिविल एएफएस और लॉजिस्टिक्स जैसे उच्च लागत वाले क्षेत्रों में कमी करना।
- ↗ रणनीतिक लागत नियंत्रण के जरिए सर्वश्रेष्ठ परिसंपत्ति उपयोग और लाभांश मार्जिन अर्जित करना।

वित्तीय पूंजी

श्री अनुज जैन
निदेशक (वित्त)

“इंडियनऑयल ने 2024-25 में भू-राजनीतिक और बाजार की अस्थिरताओं के असर को बखूबी संभालते हुए सुदृढ़ वित्तीय निष्पादन किया। अनुशासित लागत अनुकूलन, रणनीतिक पूंजीगत व्यय और सुदृढ़ शासन-विधि (गवर्नेंस) के साथ कंपनी ने विकास, संधारणीयता और हितधारक मूल्यों में संतुलन बनाए रखा।”

स्प्रिंट गति से- राजकोषीय विवेक के साथ

वृहतब चुनौतियों के बीच भी दशकों से हमारा उत्कृष्ट वित्तीय निष्पादन विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का परिणाम रहा है। हमने यहां विकास की महत्वाकांक्षाओं को लागत अनुकूलन और मूल्य श्रृंखला में सुस्थिरता के लक्ष्यों के साथ संतुलित किया है।

इंडियनऑयल में हम अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने हेतु रणनीतिक विज़न और सक्रिय निवेश के साथ ‘स्प्रिंट’ गति से लगाने को कृत संकल्पित हैं। एक भविष्य-उन्मुख कंपनी के रूप में हम अपने रिफाइनिंग व्यवसाय का विस्तार करने के लिए हाई-इम्पैक्ट अवसंरचना में निवेश कर रहे हैं और विपणन व पाइपलाइन अवसंरचना में भी निवेश कर रहे हैं।

प्रभावित हितधारक

- निवेशक और शेयरधारक
- सरकारी और विनियामकीय निकाय

महत्वपूर्ण विषय

- ↗ नैतिक व्यवसाय आचरण और जवाबदेही

एसडीजी लिंकेज

इनपुट

इक्विटी शेयर पूंजी
₹ 13,772 करोड़

अन्य इक्विटी
₹ 1,64,905 करोड़

कुल उधार
₹ 1,34,466 करोड़

वित्तीय लचीलापन

हम वित्तीय जोखिमों को न्यून करते हैं और लचीलेपन के साथ सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हैं -

- ↗ सक्रिय राजकोषीय प्रचालन और लिक्विडिटी बफर
- ↗ विदेशी मुद्रा और ब्याज दर संबंधी जोखिमों के लिए हेजिंग रणनीतियां
- ↗ बाहरी झटकों के बचने के लिए रोधक नियोजन
- ↗ ऋण पोर्टफोलियो को सतत गियरिंग स्तरों पर इष्टतम करना

स्प्रिंट (गति से) की भावना के अनुरूप ये पद्धतियां लगातार निष्पादन और उत्तरदायित्वपूर्ण बदलाव की हमारी क्षमता सुनिश्चित करती हैं।

कर प्रशासन

इंडियनऑयल के कर प्रशासन की जड़ें एक ऐसी एकीकरण रणनीति में जमी हैं, जो दक्ष कर नियोजन, सक्रिय विवाद समाधान और रियल-टाइम नीतिगत निगरानी को साथ लाती है। हम रोबोटिक प्रॉसेस ऑटोमेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं, कड़े अनुपालन परीक्षण बनाए रखते हैं और कर दक्षता एवं सामंजस्य बढ़ाने के लिए लगातार व्यापार मॉडलों और दस्तावेज की समीक्षा करते हैं।

विवादों का समाधान कानूनी समीक्षा, अग्रिम निर्णयों और कर प्राधिकरणों के साथ निकट सहयोग के जरिए किया जाता है। वहीं उभरते नीतिगत परिवर्तनों का आकलन सीबीआईसी अपडेट, प्रभाव विश्लेषण और आपूर्ति श्रृंखला समीक्षा के जरिए किया जाता है। इससे अनुपालन, जागरुक निर्णय और निरंतर प्रचालन सुदृढ़ता सुनिश्चित होती है।

आउटपुट

प्रचालनों से राजस्व
₹ 8,45,513 करोड़

कर पश्चात लाभ (पीएटी)
₹ 12,962 करोड़

प्रचालनगत नगदी प्रवाह
₹ 33,170 करोड़

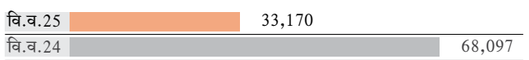

एबिटा
₹ 38.060 करोड़

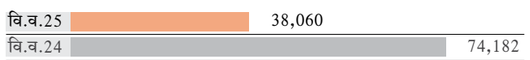

बाजार पूंजीकरण
₹ 1,80,328 करोड़

प्रमुख अनुपात

ऋण-इक्विटी अनुपात
0.75

नियोजित औसत पूंजी पर प्रतिलाभ
(% में)
7.10

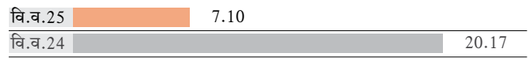

आस्तियों पर प्रतिलाभ
(% में)
2.70

ब्याज सेवा कवरेज अनुपात
(गुणा)
4.02

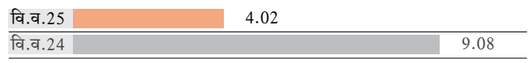

औसत नेटवर्थ पर प्रतिलाभ
(% में)
8.69

साझा मूल्य सृजन

इंडियनऑयल का मानना है कि वित्तीय पूंजी को सभी हितधारकों (कर्मचारियों, निवेशकों, नियामकों, व्यवसाय भागीदारों और समुदायों) के लिए समावेशी मूल्य सृजन करने का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। **'राष्ट्र-प्रथम'** के अपने सिद्धांत के अनुरूप ही हम प्रतिबद्ध हैं कि हमारा वित्तीय प्रदर्शन व्यापक सामाजिक प्रगति को गति दे और हम उद्देश्य और उत्तरदायित्व की भावना के साथ 'स्प्रिंट' (गति से) लगा सकें।

मूल्य वितरण
(करोड़ ₹ में)
₹ 79,785.17 करोड़
कुल वितरित मूल्य

- **₹ 49,056.92 करोड़**
  प्रचालन लागत
- **₹ 10,363.66 करोड़**
  कर्मचारी लाभ
- **₹ 1,409.87 करोड़**
  आय कर
- **₹ 583.04 करोड़**
  सीएसआर व्यय
- **₹ 18,371.68 करोड़**
  पूंजी प्रदाता को भुगतान
  - ₹ 8,731.59 करोड़
    ऋणदाताओं को ब्याज
  - ₹ 9,640.09 करोड़
    2024-25 के दौरान शेयरधारकों को लाभांश भुगतान

सृजित मूल्य
(करोड़ ₹ में)
₹ 99,892.92 करोड़
कुल आर्थिक मूल्य सृजित

संरक्षित मूल्य
(करोड़ ₹ में)
₹ 20,107.75 करोड़
कुल संरक्षित मूल्य

भविष्य उज्ज्वल है

इंडियनऑयल आगे की ओर परिवर्तनकारी छलांग लगाते हुए निम्नांकित बदलवों के लिए प्रतिबद्ध है:

- ↗ पेट्रोकेमिकल्स, प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता समाधानों के उत्पादन के लिए अधिक निवेश करना।
- ↗ ऊर्जा सुरक्षा के मद्देनज़र अपनी अवसंरचना का विस्तार करना।
- ↗ डिजिटल बुद्धिमत्ता और प्रचालन गतिशीलता को सुदृढ़ करना।
- ↗ शेयरधारकों को निरंतर रिटर्न से पुरस्कृत करना

S P R I N T

ग्राहक केंद्रीयता को मजबूत करना

हर पहल में मध्य में ग्राहक को रखना :

- ↗ खुदरा और संस्थागत दोनों ग्राहकों के लिए #1 विकल्प बनकर उभरना।
- ↗ अनछुए ग्राहक अनुभागों (सैगमेंट्स) में विस्तार करना और उत्पाद पोर्टफोलियो विविधिकृत करना।
- ↗ विशिष्ट, आकर्षक अनुभव प्रदान करना, जिससे ग्राहक निष्ठा और बाजार उपस्थिति गहरी हो।

सामाजिक और संबंधों की पूंजी

श्री वी. सतीश कुमार
निदेशक (विपणन)

“इंडियनऑयल ने कस्टमर टच पॉइंट्स (ग्राहक संपर्क बिंदु) के व्यापक नेटवर्क के विस्तार के साथ-साथ ‘वन टीम वन गोल’ जैसी पहलों और ‘विश्लेषण’ एवं ‘वीबा’ चैटबॉट, ‘ईपिक’ एवं ‘इंडियनऑयल वन ऐप’ जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने ग्राहक संपर्क को मजबूत किया है। उद्देश्यपरक सीएसआर पहलों और सुदृढ़ आपूर्तिकर्ता प्रशासन के साथ कंपनी समुदायों के साथ गहरे संबंध बना रही है। साथ ही, दीर्घावधि साझा मूल्यों को भी बढ़ावा दे रही है।”

साझा मूल्यों और स्थायी संबंधों के साथ ‘स्प्रिंट’ (गति से)

हमारी सामाजिक और संबंधों की पूंजी ही निरंतर सफलता और समावेशी विकास का आधार है। इससे सभी हितधारक लाभान्वित होते हैं। भारत की एकीकृत ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी होने के नाते हम सार्थक संवाद, लाभप्रद साझेदारियों और परिवर्तनकारी सामुदायिक असर के जरिए एक अरब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे प्रचालन हितधारकों के एक बड़े व्यापक वर्ग को छूते हैं, जो हमारी मूल्य-सृजन यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रभावित हितधारक

- ग्राहक
- समुदाय और समाज
- सरकारी और विनियामकीय निकाय
- व्यावसायिक साझेदार

महत्वपूर्ण विषय

- ↗ उत्पाद प्रबंधन और ग्राहक संतुष्टि
- ↗ सामुदायिक विकास
- ↗ नैतिक व्यवसाय आचरण और जवाबदेही
- ↗ आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

एसडीजी लिंकेज

ग्राहक

ग्राहकों के साथ हमारा रिश्ता दशकों की विश्वसनीय सेवा और निरंतर नवाचार पर टिका है। हमारे 15.46 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय एलपीजी ग्राहकों, 40,221 ईंधन स्टेशनों और पेट्रोकेमिकल्स एवं वैकल्पिक ईंधनों के बढ़ते आधार के साथ हमारा ग्राहक पारिस्थितिक तंत्र विशाल और विविधिकृत है। उन्हें बेहतर सेवाएं देने के लिए हमने लगातार डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स, कस्टमर केयर फ्रेमवर्क्स और ऐसे सुरक्षित वितरण तंत्रों में निवेश किया है, जो सुरक्षा और संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं।

इंडियनऑयल की ताकत इसका विविध ग्राहक आधार है

वर्ष के दौरान हमने इंडियनऑयल के ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (एपिक) को सुदृढ़ करना जारी रखा। यह हमारा एकीकृत डिजिटल मेरुदंड है, जो धाराप्रवाह लेन-देन, सीआरएम, लॉजिस्टिक्स और स्वयं-सेवा उपकरणों को सक्षम करता है। यह प्लेटफॉर्म अब 30 लाख से ज़्यादा इंडेन एलपीजी सिलेंडरों की दैनिक डिलीवरी की सुविधा देता है। ल्युब्रिकेंट्स के लिए 1,248 लाख से ज़्यादा इनवॉइस बनाता है और प्रतिदिन 6 लाख से ज़्यादा लॉयल्टी रिवॉर्ड प्वाइंट लेन-देन के औसत रीयल-टाइम रिडेम्पशन को सक्षम करता है।

ग्राहकों की यात्राओं को डिजिटलीकृत करने के हमारे प्रयासों में एलपीजी कनेक्शन ट्रांसफर के लिए 'ईजी-गो सुविधा' का विस्तार, पायलट स्थलों पर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड को एकीकृत करना प्रमुख है। साथ ही स्मार्ट नोटिफिकेशन, रीफिल ट्रैकिंग, ग्रिवांस लॉगिंग करते हुए इंडियनऑयल वन ऐप को बेहतर बनाना भी इसमें शामिल है।

इन डिजिटल उपकरणों को एक सुदृढ़ भौतिक इंटरफेस का साथ भी मिला हुआ है। इसमें फील्ड अधिकारी, डीलरशिप सहायता और ग्राहक संपर्क बिंदु जैसे - 1906 आपातकालीन हेल्पलाइन, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल इंटीग्रेशन और स्थानीय फीडबैक प्रणाली शामिल हैं। हर शिकायत को केवल एक शिकायत के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के एक अवसर के रूप में देखा जाता है। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए आयोजित हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम सहानुभूति, उत्तरदायित्व और ग्राहक-केंद्रित समस्या समाधान पर बल देते हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि अंतिम-मील तक हमारा संपर्क हमारी केंद्रीय प्रणालियों जितना ही सुदृढ़ हो।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यवसाय साझेदार

आपूर्तिकर्ताओं और व्यवसाय साझेदारों का हमारा मजबूत नेटवर्क देश में धाराप्रवाह ऊर्जा वितरण सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी खरीद प्रक्रियाएं पारदर्शिता, निष्पक्षता और आत्मनिर्भरता व संधारणीयता जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ सामंजस्य रखती हैं। हमने ईएसजी जोखिम आकलनों का विस्तार अपने विक्रेताओं तक किया है तथा वित्त, गुणवत्ता और पर्यावरण के मानकों की निगरानी के लिए आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन (एसआरएम) प्रणाली का लाभ उठाते हुए आपूर्तिकर्ता प्रशासन को बेहतर किया है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को सहयोग देने के लिए हम खरीद की विशिष्ट वस्तुओं को चिन्हित करते हैं, पात्रता मानदंडों को सरल बनाते हैं और एनआईसी तथा जीईएम जैसे प्लेटफार्म्स के जरिए डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, हम दीर्घावधि अनुबंधों और उद्योग मंचों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, वैश्विक साझेदारियां करते हैं और विकास के नए अवसर खोलते हैं।

निवेशक और शेयरधारक

उत्तरदायित्वपूर्ण प्रबंधन के जरिए समृद्ध आत्मविश्वास

निवेशकों का भरोसा इंडियनऑयल के दीर्घावधि मूल्यों का अभिन्न अंग है। हमारा वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था विवेक, पारदर्शिता और निरंतर लाभप्रदता के सिद्धांतों पर आधारित है। हम निरंतर संवाद, विस्तृत प्रकटन और समयबद्ध लाभांश भुगतान के जरिए अपने प्रबंधन और विजन में शेयरधारकों का विश्वास बनाए रखते हैं।

हमने 2024-25 में लाभप्रदता और दीर्घावधि पूंजीगत आवश्यकताओं के अनुरूप लाभांश भुगतान बनाए रखा। निवेशकों से हमारा संवाद तिमाही आय के फोन कॉल, निवेशकों के रोड शो और निवेशकों की ईएसजी-थीम वाली ब्रीफिंग तक फैला हुआ था, जो पारदर्शिता और दो-तरफा संचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमने सेबी के बीआरएसआर फ्रेमवर्क और जीआरआई और टीसीएफडी जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप ईएसजी प्रकटन को भी सुदृढ़ किया। इससे सामाजिक जागरूकता वाले निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ।

₹4,131 करोड़
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित लाभांश

32%
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश भुगतान अनुपात

सरकारी और विनियामकीय निकाय

इंडियनऑयल की सरकार और विनियामकीय संस्थाओं के साथ गहरी साझेदारी है, जो पारस्परिक विश्वास, नीतिगत सामंजस्य और समावेशी राष्ट्रीय विकास के साझा विज़न पर आधारित है। हम संधारणीय विकास को बढ़ावा देने वाले फ्रेमवर्कों को सह-विकसित करने के लिए नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम करते हैं। अपनी ग्रीन एनर्जी कंपनी टेरा क्लीन लिमिटेड के जरिए हम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के अहम क्षेत्र में नीतिगत लक्ष्यों को जमीनी प्रभाव में बदल रहे हैं।

ये प्रयास सीधे तौर पर भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और 2046 तक हमारे शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करते हैं। विकसित भारत @2047, उज्ज्वला 3.0 और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान देते हुए हम राष्ट्र-निर्माता के रूप में अपनी भूमिका सुदृढ़ कर रहे हैं। सभी के लिए ऊर्जा समानता और तन्यकता सुनिश्चित करते हुए हम एक स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य को आकार दे रहे हैं।

₹2,32,299 करोड़
राजकोष में योगदान

स्थानीय समुदाय

समुदायों के साथ हमारा संबंध सहानुभूति, सशक्तिकरण और दीर्घावधि सामाजिक प्रभाव से परिभाषित होता है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में हम लक्षित, हाई-इम्पैक्ट पहलों के जरिए समुदायों के उत्थान को प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी सीएसआर नीति और संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप हैं।

हम जिन समुदायों को सेवाएं देते हैं, उनके समावेशी राष्ट्र-निर्माण और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान भी देते हैं। अपने संरचित सीएसआर कार्यक्रमों के जरिए हम शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अवसंरचना में व्यापक सहयोग करते हैं। असम ऑयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और आईटीआई व पॉलिटेक्निक शिक्षा के लिए ज्ञानोदय कार्यक्रम जैसी प्रमुख परियोजनाएं समतामूलक विकास पर हमारे ध्यान देने का उदाहरण हैं। हम मूल्य श्रृंखला में स्थानीय स्रोतों, उद्यमिता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का भी समर्थन करते हैं।

₹583.04 करोड़
सीएसआर पहलों में निवेश

1.36+ करोड़
लाभार्थियों तक सीएसआर कार्यक्रमों के जरिए पहुंच

प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर इंडियनऑयल के ऊर्जा और विश्वास के वादे को दर्शाता है

मिशन लाइफ : अनुकरणीय नेतृत्व, सोद्देश्यपूर्ण जीवन

इंडियनऑयल ने 2024-25 के दौरान सुविचारित और संपोषी जीवनशैली को बढ़ावा देने वाले वैश्विक आंदोलन 'मिशन लाइफ' को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। विभिन्न पहलों के जरिए हमने समुदायों, कर्मचारियों और ग्राहकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। जागरूकता अभियानों और जन सहभागिता गतिविधियों से लेकर उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और अपशिष्ट न्यूनीकरण प्रयासों तक हमने पर्यावरणीय सोच को अपने दैनिक कार्यों में शामिल किया है।

3.5 लाख + नागरिक

जलवायु-अनुकूल आदतों और गहन पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने वाले समावेशी, कार्य-उन्मुख कार्यक्रमों के जरिए सीधे जुड़े।

1 लाख + पौधे

रिटेल आउटलेट और ग्राहक आउटरीच कार्यक्रमों के जरिए दिल्ली एनसीआर में वितरित।

मिशन लाइफ (2024-25) के अंतर्गत प्रमुख पहल

जागरूकता फैलाना

- सस्टेनेबल जीवनशैली के संबंध में स्पष्ट संदेश देने के लिए रिटेल आउटलेट्स पर होर्डिंग और स्टैंडी प्रदर्शित किए गए।
- स्थानीय समुदायों को शिक्षित करने और उन्हें साथ जोड़ने के लिए नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया।
- नागरिकों को सीधे जोड़ने के लिए जमीनी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा

- घरों में कार्बन उत्सर्जन कम करने और बिजली का उपयोग घटाने में मदद के लिए एलईडी बल्ब और उच्च दक्षता वाले चूल्हे वितरित किए गए।
- लक्ष्य केंद्रित जागरूकता सत्रों के जरिए बिजली बचाने के व्यावहारिक तरीके बताए गए।

ग्रीन कवर और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन

- ग्रीन कवर और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान और बीज वितरण कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
- नागरिकों के नेतृत्व वाले हरित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ईंधन स्टेशनों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए एनसीआर में 1 लाख से अधिक पौधे वितरित किए गए।

सर्कुलर अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाना

- एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग में कमी करने के लिए अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर रिवर्स वेंडिंग मशीन और कपड़ा बैग वेंडिंग मशीनें लगाई गईं।
- जमीनी अभियानों और दृश्य संकेतों के जरिए अपशिष्ट पृथक्करण और रीसाइकलिंग को बढ़ावा दिया गया।

संरक्षण के लिए सामुदायिक संवाद

- विशेषज्ञों की मेजबानी 'भारत के जल पुरुष' श्री राजेंद्र सिंह द्वारा एक विशेषज्ञ व्याख्यान दिया गया। इसमें विभिन्न मंचों से 1,100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- समुदाय के नेतृत्व में जल संरक्षण और सस्टेनेबल संसाधन प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

नवाचार प्रभाव

- 'सस्टेन-ए-थॉन 2024' के जरिए 35,000 से अधिक प्रतिभागियों को जोड़ा गया और सस्टेनेबिलिटी संबंधी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान जुटाए गए।
- 'स्पीक अप फॉर द प्लैनेट 2.0' जैसे अभियानों के साथ-साथ नारों, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के जरिए युवाओं को संगठित किया गया।

डिजिटल संकल्प आंदोलन

इंडियनऑयल के कर्मचारियों ने अपने निजी और पेशेवर जीवन में संपोषी प्रथाओं को अपनाने और उनकी वकालत करने का डिजिटल संकल्प लिया है। यह सामूहिक ऑनलाइन कार्रवाई धरती के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर इंडियनऑयल की आंतरिक संस्कृति को दर्शाती है।

अध्यक्ष ने इंडियनऑयल के हाइड्रोकार्बन और पेट्रोकेमिकल्स कारोबार पर छात्रों के साथ चर्चा की

IndianOil

अनुसंधान से प्रेरित ऊर्जा से परिभाषित

इंडियनऑयल का अनुसंधान और विकास केंद्र एशिया के प्रमुख ऊर्जा अनुसंधान केंद्रों में से एक है

- सर्वो के साथ-साथ यहाँ 100 से ज़्यादा तरह के लुब्रिकेंट और ग्रीस बनाए गए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं और देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को चलायमान रखते हैं।
- INDMAX, indeDiesel, OCTAMAX और IndDSK जैसी उन्नत तकनीकों के साथ, इंडियनऑयल अपनी रिफ़ाइनरियों के लिए तकनीकी अत्याधुनिक प्रक्रियाओं और कैटेलिस्टों के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
- इंडियनऑयल ने XP95, XP100, STORM, XTraTej और Nanocut जैसे कई खास ईंधन तैयार किए हैं।
- फ्यूल सेल जैसी उन्नत तकनीक के ज़रिए इंडियनऑयल द्वारा भारत की हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा रही है।
- कृषि अपशिष्ट को कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्रौद्योगिकी, कार्बन अवशोषण और उपयोग प्रौद्योगिकी, स्वच्छ खाना पकाने के समाधान, और दूसरी नई खोजों के ज़रिए नेट-ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में काम किया जा रहा है।
- लगभग 1700 सक्रिय पेटेंटों के साथ, इंडियनऑयल के नवाचार सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय है।

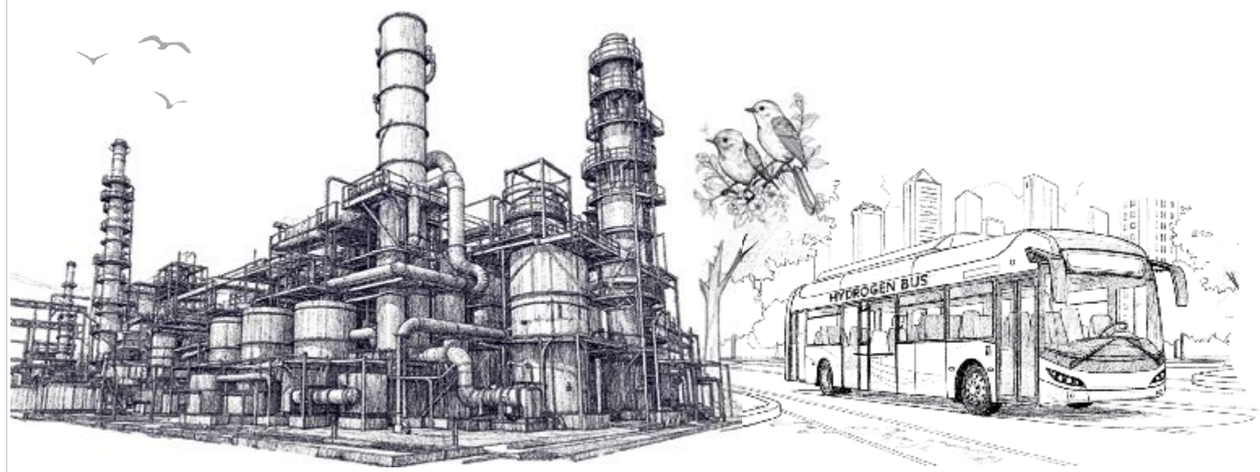

www.iocl.com @IndianOilCorpLimited @indianOilcl @indianoilcorp @IndianOilCorporationLimited @indian-oil-corp-limited

S P R I N T

प्रौद्योगिकी और नवाचार का एकीकरण

व्यवसाय को भविष्य में सुरक्षित बनाने के लिए डिजिटल और नवाचार की शक्ति का उपयोग करना :

- ↗ उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रभागों, अनुभागों में उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देना।
- ↗ ऐसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना जो चपलता, सुरक्षा और विस्तार क्षमता में सुधार करती हैं।

बौद्धिक पूंजी

डॉ. आलोक शर्मा
निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)

66 अग्रणी उत्प्रेरकों, स्वच्छ ईंधनों और कार्बन कैप्चर तकनीक से लेकर एआई-संचालित प्रचालनों और स्वदेशी पाइपलाइन उपकरणों तक इंडियनऑयल का अनुसंधान तथा विकास दक्षता, सुस्थिरता और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित रहा है। रणनीतिक सहयोग और डिजिटल प्रणालियों ने प्रयोगशाला से बाजार तक नवाचार को और तेज किया। 99

बौद्धिक कुशाग्रता के साथ स्प्रिंट, गति से

देश की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी के रूप में इंडियनऑयल की यात्रा बौद्धिक पूंजी के एक मजबूत आधार पर खड़ी है। ये अत्याधुनिक नवाचार, इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और 'फ्यूचर-रेडी' (भविष्य के लिए तैयार) की मानसिकता से प्रेरित है।

हमारा व्यवसाय मॉडल वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलावों के अनुरूप निरंतर अपने आप में बदलाव कर रहा है। एक सशक्त प्रतिभा श्रृंखला (टेलेंट पाइपलाइन) को बढ़ावा देकर तथा निरंतर सीखने एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर इंडियनऑयल अपने ग्राहकों, हितधारकों और राष्ट्र के लिए स्थायी मूल्य सृजन करने वाले चुस्त, ऊर्जा समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रभावित हितधारक

- कर्मचारी
- ग्राहक
- सरकारी और विनियामकीय निकाय

महत्वपूर्ण विषय

- ↗ डेटा और साइबर सुरक्षा
- ↗ उत्पाद प्रबंधन और ग्राहक संतुष्टि

एसडीजी लिंकेज

अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता प्रदान करना

हमारे अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) प्रयासों और प्रमुख नवाचार पहलों ने 2024-25 के दौरान रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइन, विपणन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ठोस परिणाम दिए। हमने कंपनी में कई प्रौद्योगिकियों और समाधानों को विकसित किया। इनमें से प्रत्येक दक्षता बढ़ाने, निर्भरता कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए है। अनुसंधान एवं विकास की प्रमुख गतिविधियों के अलावा सभी प्रभाग प्रचालन दक्षता में सुधार, ऊर्जा उपभोग में कमी और संपोषी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नवाचार पहलों का सक्रिय क्रियान्वयन कर रहे हैं।

हमारे अनुसंधान एवं विकास के प्रयास और प्रमुख नवाचार पहलें तीन स्तंभों पर हैं –

1 ऊर्जा परिवर्तन

वैकल्पिक ईंधनों के लिए स्नेहक (लुब्रिकेंट), उन्नत कार्बन सामग्री, हाइड्रोजन उत्पादन तथा सीओटीसी, ड्रॉप-इन ईंधन और CO_2 रूपांतरण के लिए उत्प्रेरकों का विकास।

2 संधारणीयता

जैव ऊर्जा, जैव प्लास्टिक, रासायनिक पुनर्चक्रण, विशेषीकृत उत्पादों, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा दक्षता और उत्प्रेरकों एवं योजकों के पुन: उपयोग को बढ़ावा देना।

3 प्रचालन सुधार

स्नेहक (लुब्रिकेंट), योजक, रिफाइनिंग एवं पेट्रोकेमिकल्स उत्प्रेरक, विशेष रसायन और ईंधन परिवहन प्रणालियों में नवाचार करना – प्रयोगशाला से बाज़ार की तैयारी पहुँचने तक।

फरीदाबाद, हरियाणा में अनुसंधान एवं विकास केंद्र

नए उत्पादों का लॉन्च

हमारा गहन और व्यापक अनुसंधान एवं विकास लगातार पर्यावरण अनुकूल समाधान देने पर केंद्रित है। हम अत्याधुनिक आरएंडडी सहयोग के जरिए अपने प्रभागों के लिए लाभप्रदता भी बढ़ाते हैं।

PropanePlus
Amplifying Heat, Powering Productivity

प्रोपेनप्लस®

यह एक हरित ईंधन है। इसका फ्लेम (लौ) तापमान अधिक होता है और कार्बन उत्सर्जन कम होता है।

XTRABOOST
New-Age Automotive LPG
Enhanced Engine Power. Greener Ride.

एक्स्ट्राबूस्ट®

बेहतर ईंधन मितव्ययता, बल और त्वरण के लिए उन्नत ऑटोगैस है।

SERVO Futura eV Trans 75W-90

सिंथेटिक ईवी ट्रांसमिशन ऑयल

इलेक्ट्रिक वाहन ड्राइवट्रेन के लिए उच्च निष्पादन वाला तेल है।

SERVO Futura eV Grease

सर्वो फ़्यूचरा ईवी ग्रीस

उच्च निष्पादन वाले योजकों के साथ ईवी मोटरों और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए स्नेहक (ल्युब्रिकेंट) है।

STORM-X
UNLEASH THE WILD BEAST
-INDIANOIL'S WINNING FORMULA

स्टॉर्म-एक्स

प्रमुख मोटरस्पोर्ट आयोजनों के लिए अनुमोदित हाई-ऑक्टेन रेसिंग ईंधन है।

IndianOil
Premium ASA

प्रीमियम एएसए

ईंधन ट्रांसफर के दौरान स्टेटिक डिस्चार्ज को रोकने के लिए एंटीस्टेटिक योजक है।

SURYA NUTAN
Indoor Solar Cooking System

सूर्या नूतन

उच्च तापीय दक्षता और बीआईएस अनुपालन के साथ कॉम्पैक्ट सोलर कुकटॉप।

NANOKOAT-I
Shielding CUI. Creating Thermal Barrier.

नैनोकोट-I®

पाइपलाइनों और ईंधन प्रणालियों के लिए संक्षारण प्रतिरोधी कोटिंग।

IndianOil i-ZN22
High Performance Polypropylene Catalyst

आई-जेडएन22®

प्रोपाइलीन उत्पादन के लिए उच्च दक्षता वाला उत्प्रेरक है।

1,809
पेटेंट 31 मार्च, 2025 तक दायर किए गए

169
नए लुब्रिकेंट फॉर्म्युलेशन

58
ओईएम अनुमोदन

स्व-विकसित प्रौद्योगिकियों के साथ रिफाइनिंग प्रचालनों में बदलाव

हमने पारादीप रिफाइनरी में 300 केटीपीए की indDSK® इकाई शुरू की है। इससे कम सल्फर वाले पाइपलाइन अनुरूप केरोसिन का उत्पादन होगा और सुचारू पाइपलाइन ढुलाई संभव होगी। बोंगाईगांव रिफाइनरी में हमने अपने मिश्रित धातु ऑक्साइड-आधारित IV-IZOMaxCat® उत्प्रेरक को सफलतापूर्वक चालू किया है। इसने 100°C से अधिक के रिएक्टर इनलेट तापमान पर भी आइसोमरेट का उच्च उत्पादन और हाई-ऑक्टेन निष्पादन किया, जो पिछले उत्प्रेरक की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है।

पानीपत रिफाइनरी की उत्प्रेरक निर्माण इकाई (सीएमयू) ने एफसीसी उत्प्रेरक योजकों और हाइड्रोट्रीटिंग उत्प्रेरकों का निरंतर उत्पादन शुरू कर दिया है। ये अब कंपनी की आंतरिक मांग को पूरा कर रहे हैं और महत्त्वपूर्ण रिफाइनिंग इनपुट में हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहे हैं। हमने विफलता विश्लेषण और अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन के लिए उन्नत निदान प्रणालियां भी क्रियान्वित की हैं। इस सबसे रिफाइनरी व पाइपलाइन परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता बढ़ी है।

'इंडमैक्स' उत्प्रेरक के उत्पादन और आपूर्ति के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने हेतु सूड-केमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एससीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

पेट्रोकेमिकल्स और डेरिवेटिव को मजबूती

हमने अपने इन-हाउस i-ZN22 उत्प्रेरक के साथ सर्वोच्च निष्पादन किया है। इसका उपयोग पारादीप रिफ़ाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन उत्पादन में किया जाता है। इस उत्प्रेरक ने दक्षता और उत्प्रेरक माइलेज, दोनों मामलों में अन्य व्यावसायिक किस्मों (वेरिएंट्स) से बेहतर प्रदर्शन किया है।

पाइपलाइन निष्पादन और दक्षता मानक में वृद्धि

हमने 2024-25 के दौरान कंपनी के भीतर विकसित 'इंडस्कैन'® आईपीआईजी उपकरणों का उपयोग करके 4,500 किलोमीटर से अधिक लंबाई में पाइपलाइनों का निरीक्षण किया। किसी भी एक वर्ष में यह अब तक की सर्वोच्च उपलब्धि है। हमने कंपनी के भीतर विकसित 'एक्स्ट्राफ्लो'® ड्रैग रिड्यूसिंग एजेंट (डीआरए) का भी व्यावसायीकरण किया। इससे आयातित डीआरए पर निर्भरता काफी कम हो गई। 'एक्स्ट्राफ्लो'® की आपूर्ति अब एचपीसीएल, बीपीसीएल और एचएमईएल जैसे अन्य पाइपलाइन ऑपरेटरों को भी की जा रही है।

नैनोटेक्नोलॉजी अनुसंधान को प्रोत्साहन

दो स्व-विकसित नैनो-एडिटाइज्ड उत्पाद लॉन्च किए गए। पहला- 'प्रोपेन प्लस' औद्योगिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया। यह एक हरित ईंधन है और दूसरा- 'एक्स्ट्राबूस्ट'® ऑटोगैस का एक उन्नत संस्करण है। इसके अतिरिक्त एक विशेष कोटिंग समाधान 'नैनोकोट-I'® भी लाया गया है, जो बेहतर संक्षारण सुरक्षा देता है तथा तटीय वातावरण में विशेष रूप से प्रभावी है।

जैव ईंधन और कार्बन कैप्चर की दिशा में काम

हमारी अनुसंधान एवं विकास पहलों ने eCo_2Sorb नामक कार्बन कैप्चर तकनीक विकसित की है। इसका प्रायोगिक स्तर पर सत्यापन हो चुका है। एक उर्वरक संयंत्र में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर जारी है। इसके अतिरिक्त, हमने एग्री-एलीट तकनीक का सफल विकास और परीक्षण किया है। ये सीबीजी संयंत्रों में प्रीमियम गुणवत्ता वाली खाद और जैव-उर्वरक पैदा करती है।

हमने एक सूक्ष्मजीव मिश्रण 'स्टबवोरस'® का फील्ड परीक्षण किया है, जो फसली कचरे के यथास्थान निपटान में सहायक है। इन तकनीकों के व्यापक उपयोग और व्यावसायीकरण के प्रयास प्रगति पर हैं।

अनुसंधान एवं विकास केंद्र में प्रभावी समाधान के लिए जटिल अनुसंधान

साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा

हम आईआईटी सहित अग्रणी शैक्षणिक और शोध संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी के जरिए नवोन्मेष को बढ़ावा देते हैं। हम संयुक्त शोध परियोजनाओं पर काम करते हैं, जो सैद्धांतिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया के उपयोग के बीच की खाई को पाटती हैं। कंपनी नवाचार केंद्रों और इन्क्यूबेटर्स का समर्थन करती है। वह स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ तकनीकों के विकास और व्यावसायीकरण के लिए मंच प्रदान करती है। हम लक्षित शोध पहलों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को वित्त और अनुदान भी देते हैं। इससे नवीन समाधानों के विकास और कार्यान्वयन में तेजी आती है।

42
स्टार्टअप इनक्यूबेट किए गए

86
बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) स्टार्टअप्स से निर्मित हुए

रणनीतिक समझौता ज्ञापन

इंडियनऑयल ने नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापन किए हैं। इनमें उत्प्रेरक योग्यता के लिए आईएनईओएस (यूके) के साथ, ED5 ईंधन और ल्युब्रिकेंट विकास के लिए सिम्पसन एंड कंपनी के साथ और विशिष्ट उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास के लिए शिव नाडर विश्वविद्यालय के साथ हुई साझेदारी शामिल है।

उद्योग-अकादमिक सहयोग के लिए मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं अध्ययन संस्थान (एम आरआईआईआरएस), पायरोलिसिस तेल विकास के लिए उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) तथा संयुक्त संधारणीय पहलों के लिए भारतीय बायोगैस एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) में सहयोग के लिए इंडियनऑयल और ऑयल इंडिया के बीच गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन

खरीद में डिजिटलीकरण को बढ़ावा

हम पूरी तरह से डिजिटल, एंड-टू-एंड तंत्र के जरिए अपनी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। निविदाओं के विवरण ई-टेंडरिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन प्रकाशित किए जाते हैं, जहां बोलीदाताओं की भागीदारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती है। प्रक्रिया पूरी हो जाने पर क्रय आदेश या अनुबंध जैसे दस्तावेज़ ऑनलाइन तैयार किए जाते हैं और चयनित विक्रेता को दिए जाते हैं। इन विक्रेताओं को बाद में इंडियनऑयल के ईआरपी सिस्टम (एसएपी) में पंजीकृत किया जाता है। इस सिस्टम में वितरित वस्तुओं, मूल्य निर्धारण, समय-सीमा और भुगतान लेन-देन का विवरण दर्ज होता है। यह डिजिटल एकीकरण आंतरिक गवर्नेंस (शासन-विधि) और मंत्रालय-स्तरीय रिपोर्टिंग का समर्थन करने हेतु व्यापक एमआईएस निर्माण और सुदृढ़ ऑडिट पदचिन्हों को सक्षम करता है।

प्रचालन दक्षता के लिए डेटा और एआई का लाभ

प्रचालनों में लागत दृश्यता और नियंत्रण बेहतर करने के लिए उन्नत डेटा विश्लेषणों का उपयोग हो रहा है। अपनी रिफाइनरियों और प्रचालन स्थलों में हम परिसंपत्ति विश्वसनीयता बढ़ाने और डाउनटाइम कम करने के लिए पूर्वानुमानित रखरखाव हेतु एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग कर रहे हैं।

हम उभरती हुई तकनीकों के मूल्यांकन के लिए एक संरचित, लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं। प्रत्येक पहल तय व्यावसायिक उद्देश्यों और मापनीय मुख्य निष्पादन संकेतकों से शुरू होती है। हम व्यवहार्यता और प्रभाव का आकलन करने के लिए पहले छोटे पैमाने पर पायलट प्रोजेक्ट या कॉन्सेप्ट प्रूफ आयोजित करते हैं। इन परिणामों के आधार पर जब व्यावसायिक सामंजस्य और प्रदर्शन की पुष्टि हो जाती है तभी पूरे पैमाने पर क्रियान्वयन शुरू करते हैं।

उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर करना

समाज में डिजिटल पहुंच में पर्याप्त वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में सूचना तक बहुत बढ़ी हुई पहुंच के चलते भारतीय उपभोक्ता परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है।

बदलते समय के साथ हम पहुंच और संतुष्टि को बेहतर करने के लिए अपने यूज़र इंटरफेस और ग्राहक के उपयोग अनुभव को आधुनिक बना रहे हैं। हमने ओरेकल सीबेल प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए गए अपने मिशन के लिए जरूरी एसडीएमएस-सीआरएम एप्लिकेशन को नवीनतम संस्करण में उन्नत करके अपने ग्राहक-उन्मुख प्रचालनों को सुदृढ़ किया है। इस उन्नयन ने डिलीवरी की गति, प्लेटफॉर्म स्थिरता और सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार किया है। इससे हम बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं को और अधिक कुशलता से पूरा कर पा रहे हैं।

संवेदनशील डेटा का सुरक्षित और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना

इंडियनऑयल में संवेदनशील डेटा का प्रबंधन एक संरचित, बहुस्तरीय दृष्टिकोण से किया जाता है। इसमें डेटा वर्गीकरण, जिम्मेदारी आधारित एक्सेस कंट्रोल और एन्क्रिप्शन दोनों शामिल हैं। यह अवसंरचना नेक्स्ट-जनरेशन फायरवॉल, घुसपैठ रोकथाम प्रणालियों और एंटी-मालवेयर उपकरणों के द्वारा सुरक्षित है। सभी एप्लीकेशनों का मुख्य सिद्धांत डेटा न्यूनीकरण का है। केवल आवश्यक डेटा ही एकत्रित, संसाधित और संग्रहीत किया जाता है, जिससे जोखिम कम होते हैं, दक्षता में सुधार होता है और गोपनीयता बढ़ती है।

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बढ़ाना

अपने डिजिटल इकोसिस्टम (पारिस्थितिक तंत्र) की सुरक्षा के लिए हमने मैनेज्ड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स प्रणाली के क्रियान्वयन के जरिए सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया है। हम संगठन में महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एआई-आधारित साइबर सुरक्षा उपकरण भी क्रियान्वित कर रहे हैं।

हमने डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है। इसे सभी आईटी प्रचालनों में समाहित किया है।

01 **स्पष्ट एवं संक्षिप्त नीतियों और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन**

सभी आईटी कार्यों में डेटा को सुरक्षित ढंग से संभालने के लिए भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है।

02 **सुदृढ़ तकनीकी सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन**

डेटा अवसंरचना की सुरक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा उपकरण, एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियों की तैनाती की गई है।

03 **सुरक्षा-जागरूक संस्कृति को बढ़ावा**

फ़िशिंग, मालवेयर और सोशल इंजीनियरिंग जैसे खतरों के प्रति सतर्कता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से कर्मचारी प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

04 **विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना और नियमित ऑडिट करवाना**

प्रासंगिक डेटा संरक्षण कानूनों और उद्योग मानकों के साथ सामंजस्य बैठाया जाता है। आवधिक आंतरिक और बाह्य सुरक्षा ऑडिटों द्वारा समर्थन दिया जाता।

IndianOil

सतत ऊर्जा अनंत विस्तार

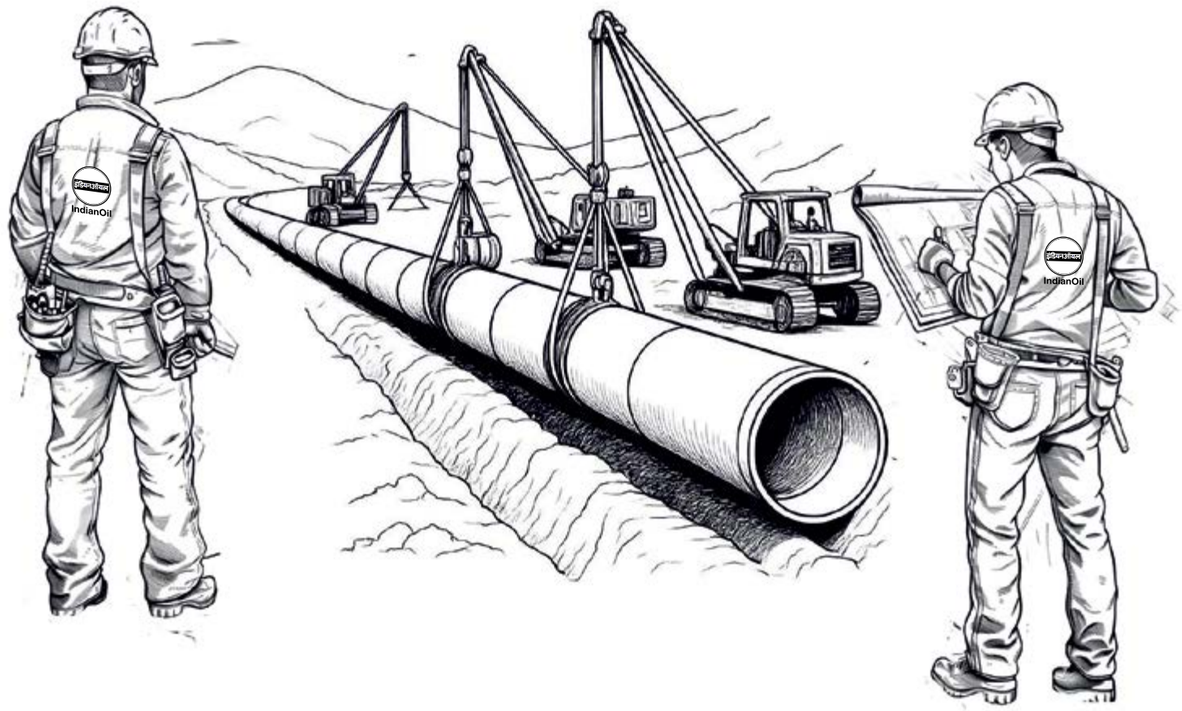

इंडियनऑयल की अदृश्य और अजेय पाइपलाइनें, भारत की ऊर्जा क्रांति का आधार-स्तंभ हैं।

- 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी पाइपलाइन और 100 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा क्षमता वाला यह नेटवर्क पूरे देश में बड़ी सहजता से तेल और गैस पहुँचाता है।
- यह भारत की पहली और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा पाइपलाइन का संचालन करता है, जो नेपाल तक ईंधन पहुँचाती है और सीमाओं के पार संबंधों को मज़बूत करती है।
- इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल और बायोडीज़ल जैसे हरित ईंधन के परिवहन से लेकर स्मार्ट निगरानी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल तक, इंडियनऑयल का पाइपलाइन नेटवर्क न केवल मज़बूत है, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार है।
- सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है।

S P R I N T

नेतृत्व और प्रतिभाओं को बढ़ावा देना

परिवर्तन को गति देने के लिए कार्मिकों में निवेश करना :

↗ उभरती प्राथमिकताओं के अनुरूप उच्च संभावनाओं से भरे अधिकारियों की एक श्रृंखला तैयार करना।

↗ नई ऊर्जा, डिजिटल और अग्रणी व्यवसायों के लिए प्रतिभाओं को लुभाना और उन्हें बनाए रखना।

↗ चपलता, गति और सहयोग को बढ़ावा देते हुए इंडियनऑयल के मूल मूल्यों को सुदृढ़ करना।

मानव

पूंजी

सुश्री रश्मि गोविल
निदेशक (मानव संसाधन)

"इंडियनऑयल की प्रतिभा रणनीति संरचित कार्यक्रमों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए समावेशी भर्ती प्रक्रिया, निरंतर सीखने और नेतृत्त्व विकास पर केंद्रित है। 'स्वाध्याय', 'एकलव्य', 'अभिज्ञान' और 'सारथी' जैसी पहलों के साथ हम स्व-शिक्षण, मार्गदर्शन और अंतर-सांस्कृतिक तैयारी को बढ़ावा देते हैं। हमारा विविधता, समता और समावेशन का डीईआई फ्रेमवर्क और तकनीक-संचालित मानव संसाधन पद्धतियां, दोनों मिलकर एक सहायक, समतामूलक और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल सुनिश्चित करते हैं।"

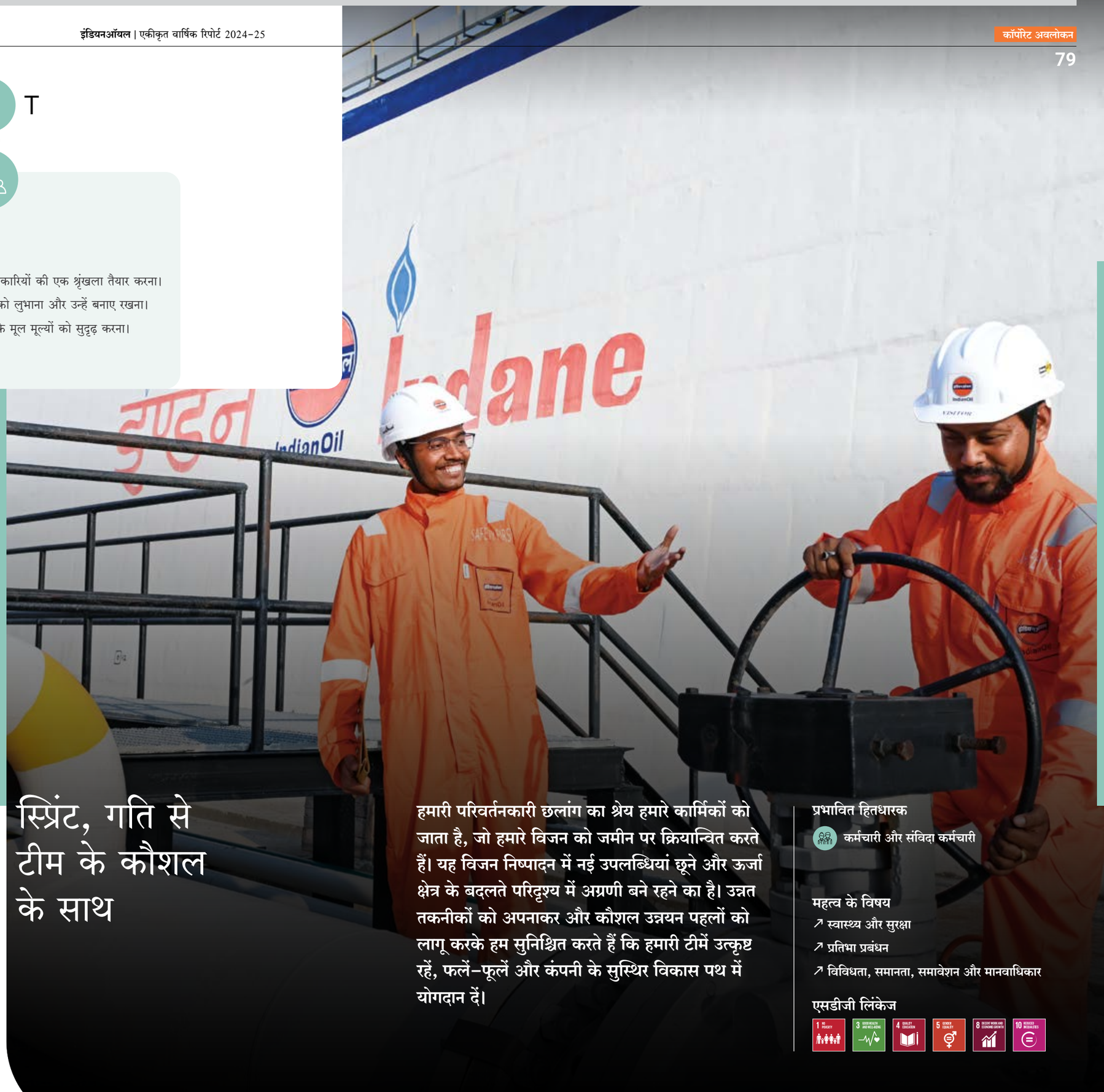

स्प्रिंट, गति से टीम के कौशल के साथ

हमारी परिवर्तनकारी छलांग का श्रेय हमारे कार्मिकों को जाता है, जो हमारे विजन को जमीन पर क्रियान्वित करते हैं। यह विजन निष्पादन में नई उपलब्धियां छूने और ऊर्जा क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में अग्रणी बने रहने का है। उन्नत तकनीकों को अपनाकर और कौशल उन्नयन पहलों को लागू करके हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी टीमें उत्कृष्ट रहें, फलें-फूलें और कंपनी के सुस्थिर विकास पथ में योगदान दें।

प्रभावित हितधारक

कर्मचारी और संविदा कर्मचारी

महत्व के विषय

↗ स्वास्थ्य और सुरक्षा

↗ प्रतिभा प्रबंधन

↗ विविधता, समानता, समावेशन और मानवाधिकार

एसडीजी लिंकेज

प्रतिभा प्रबंधन

हम विविध सांस्कृतिक बैकग्राउंड, अनुभवों और कौशल वाले प्रोफेशनलों का स्वागत करने और उन्हें कंपनी में लेने पर ध्यान देते हैं। एक विस्तृत इंडक्शन (सम्मिलीकरण) कार्यक्रम और जीवन कौशल प्रशिक्षण सहित व्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया के जरिए हम संगठन में कर्मचारियों का निर्बाध स्वागत सुनिश्चित करते हैं। हमारे मूल्यों एवं विजन के साथ उनका सामंजस्य बैठाते हैं।

ये कर्मचारी एक व्यापक इंडक्शन कार्यक्रम के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जो गहन संगठनात्मक परिचय, दायित्व ज्ञान और जरूरी जीवन कौशल प्रशिक्षण देता है। इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ व्यक्तिगत वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण भी शामिल है। इस मजबूत नींव को और भी सुदृढ़ करने के लिए पूरे करियर के दौरान कर्मचारी को सीखने के तकनीकी और व्यवहारिक अवसर निरंतर दिए जाते हैं। ये सारी पहलें इस प्रकार संरचित की गई हैं ताकि कर्मचारी की तैयारी को बढ़ाया जा सके। उसके व्यक्तिगत विकास और कल्याण को निरंतर बढ़ावा दिया जा सके और उसके व्यक्तिगत विकास का सामंजस्य हमारे व्यवसाय की गतिशील आवश्यकताओं के साथ बैठाया जा सके।

1,080
कर्मचारियों की भर्ती 2024-25 के दौरान की गई

प्रशिक्षण और विकास

हम समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए अंतर-सांस्कृतिक दक्षता और वैश्विक तत्परता पर बल देते हैं। ये कार्यक्रम क्षेत्रीय संचार की बारीकियों पर केंद्रित हैं और हमारे अखिल भारतीय प्रचालनों से असल केस स्टडीज को लेते हैं। वैश्विक सहयोग के लिए विशेष कार्यशालाएं कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर पद्धतियों को समझने के कौशल से युक्त करती हैं। नेतृत्व के गुणों को बढ़ावा देने के लिए संरचित किए गए विभिन्न अग्रणी कार्यक्रम हम प्रबंधन के सभी स्तरों पर प्रदान करते हैं।

निरंतर सीखना

हमारा ई-लर्निंग इकोसिस्टम - 'स्वाध्याय' 550 से अधिक तकनीकी दक्षताओं में 1,950 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

1,95,712
कुल शिक्षण दिवस (सभी कर्मचारियों में)

6.53
प्रशिक्षण व्यक्ति-दिवस/कर्मचारी

इंडियनऑयल में स्व-शिक्षण को बढ़ावा देना

'एकलव्य' अधिकारियों के बीच निरंतर सीखने और प्रोफेशनल ग्रोथ की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली कौशल उन्नयन पहल है। इस पहल के जरिए हमारे अधिकारी एमओओसी प्लेटफॉर्म, प्रतिष्ठित संस्थानों और एडटेक कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रमाणपत्रों और डिप्लोमा कार्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।

अनुभवात्मक, सामाजिक और औपचारिक शिक्षा का लाभ

इंडियनऑयल अपने संगठन के रणनीतिक रोडमैप के अनुरूप अपने कर्मचारियों का समग्र विकास सुनिश्चित करता है। कौशल संबंधी कमियों को दूर करने के लिए कक्षा और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से पूरे वर्ष विशेष शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इंडियनऑयल का मेंटरिंग प्लेटफॉर्म *'अभिज्ञान'* और

सोपान कार्यशाला में भाग ले रहे आईओसीआईयन

'सारथी' जैसे व्यक्तिगत कोचिंग कार्यक्रम कर्मचारियों को उनके करियर के दौरान सहयोग प्रदान करते हैं। उन्हें अपने दायित्वों में प्रगति पाने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षण केंद्रों, प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों के जरिए सभी कर्मचारियों को पूरे वर्ष विभिन्न व्यवहारिक और कार्यात्मक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं।

'सोपान' - पहली बार के प्रबंधकों के लिए

↗ साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग पर आधारित थिएटर-आधारित कार्यशाला
↗ सिमुलेशन-आधारित शिक्षा

मानव संसाधन का क्षितिज

भविष्य की व्यावसायिक चुनौतियों के अनुरूप मानव संसाधन अधिकारियों को तैयार करना

नव-ऊर्जा

नवीकरणीय ऊर्जा में भविष्य का निर्माण

↗ कार्यकारियों के लिए सीरीज : वरिष्ठ अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम।
↗ कनिष्ठ (जूनियर) और मध्यम स्तरीय अधिकारियों के लिए 20-दिवसीय कक्षा कार्यक्रम।
↗ वर्चुअल-सीरीज (आभासी श्रृंखला) : मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए वर्चुअल (आभासी), प्रशिक्षक-नेतृत्त्व वाला कार्यक्रम।

मानव संसाधन में प्रौद्योगिकी एकीकरण

कर्मचारी सहभागिता, प्रचालन दक्षता में वृद्धि और डेटा-आधारित निर्णयों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ लेने के लिए इंडियनऑयल निरंतर प्रयासरत है।

कर्मचारियों से संवाद

इंडियनऑयल का लिस्निंग असिस्टेंट 'आइओला' (IOLA) एक एआई प्लेटफॉर्म है। इसे करियर के विभिन्न पड़ावों या क्षणों के दौरान कर्मचारियों के अनुभवों को समझने के लिए लाया गया है।

मानव संसाधन प्रचालन दक्षता

प्रौद्योगिकी-सक्षम केंद्रीकृत मानव संसाधन का सेवा केंद्र।

डेटा संचालित

कर्मचारी केंद्रित प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) की निगरानी और सुधार के लिए कास्केडिंग डैशबोर्ड।

विस्तारित कार्यबल के लिए शिक्षण पहल

पहियों पर पाठशाला
रिटेल आटलेट (खुदरा बिक्री केंद्र) के ग्राहक परिचारकों के लिए 'क्लासरूम ऑन व्हील्स' यानि पहियों पर पाठशाला।

चलते-फिरते सीखना
अग्रिम पंक्ति के कार्यबल के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म 'सम्पर्क'।

विविधता और समावेशन

इंडियनऑयल में हमारा उद्देश्य विविधता को महत्व देने वाली एक समावेशी संस्कृति का निर्माण करना है। विविधता, समानता और समावेशन का हमारा ढांचा उचित वेतन पद्धतियां सुनिश्चित करता है। मापनीय सूचकांकों के जरिए मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और विश्वास को बढ़ावा देता है। साथ ही, वरिष्ठ नेतृत्त्व में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ाता है। यह समावेशी उत्कृष्टता के प्रति हमारे अटूट समर्पण को प्रदर्शित करता है।

8.9%
लैंगिक विविधता अनुपात

महिला सशक्तिकरण

हमने एक अधिक समावेशी कार्य वातावरण निर्मित करने के लिए 'महिला सशक्तिकरण' कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल के अंतर्गत विभिन्न विभागों की वरिष्ठ महिला अधिकारियों ने एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक द्वारा तैयार मेंटरिंग ट्रेनिंग प्राप्त की है। ये सब प्रशिक्षित अधिकारी अब लक्ष्य-केंद्रित कार्यशालाओं के जरिए कनिष्ठ महिला कर्मचारियों को मार्गदर्शन दे रही हैं। इनका उद्देश्य पूरे संगठन में सांस्कृतिक समन्वय और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना है।

कर्मचारी कल्याण

हम मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले एक समग्र दृष्टिकोण के जरिए कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। 'परामर्श' कर्मचारी सहायता कार्यक्रम जैसी पहल कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है। वहीं सभी आयु वर्गों के लिए आवधिक स्वास्थ्य जांच और व्यापक चिकित्सा सुविधाएं शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं।

673

कर्मचारी परामर्श सेवाओं से लाभान्वित हुए

कर्मचारियों के लिए कल्याण पहल

'4आर 4यू' कल्याण पहल ऐसा समग्र कार्यक्रम है, जिसे आज के बदले कार्य वातावरण में कर्मचारियों के सामने आने वाली शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया गया है। सभी विभागों में एक व्यापक वेलनेस कैलेंडर लागू किया गया है। इसमें विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर केंद्रित मासिक थीम (विषय-वस्तु) शामिल हैं। इन थीमों (विषय-वस्तुओं) के साथ-साथ समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लक्षित गतिविधियां और समाधान भी किए जा रहे हैं।

यह पहल कार्य वातावरण से आगे बढ़कर कर्मचारियों के परिवारों तक भी जाती है। इससे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर एक स्वस्थ और मजबूत कार्यबल को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ होती है। स्वास्थ्य पर निरंतर ध्यान एक सहयोगी और उच्च प्रदर्शन वाली संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रमुख स्तंभ है।

बाधाओं को तोड़ना ही नहीं, उन्हें पुनर्परिभाषित करना भी ज़रूरी है

कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा

हम बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्यापक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीति के अंतर्गत कार्य करते हैं। यह नीति सुरक्षा, पेशेवर स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पहलों को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट संरचना प्रदान करती है। यह एचएसई को प्रभावी और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक प्रबंधन के एक प्रमुख घटक के रूप में एकीकृत करती है।

100%

रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल्स संयंत्र ISO 45001:2018 प्रमाणित हैं

100%

प्रचालन स्थलों का सुरक्षा ऑडिट किया गया

सुरक्षा प्रबंधन

हमने अपने सभी कार्य स्थलों पर एक सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली पर दिशानिर्देश मौजूद हैं, जो तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) के मानकों और अन्य वैधानिक नियमों और विनियमों के अनुरूप विभिन्न तत्वों को अपने दायरे में लेते हैं। हमने 'गोल्डेन रुल ऑफ सेफ्टी' (स्वर्णिम नियम) भी बनाए हैं, जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता और व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्य स्थलों पर सभी कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों द्वारा इनका पालन अनिवार्य है। सुरक्षा तत्परता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे कार्य स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन में असुरक्षित पद्धतियों और कमियों को चिन्हित करने के लिए नियमित ऑडिट, निरीक्षण और मॉक ड्रिल इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। चिन्हित कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, चूक की घटनाओं, असुरक्षित कृत्यों और असुरक्षित कार्य स्थितियों की रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए डिजिटल पोर्टल मौजूद हैं। इनसे सुरक्षा सुधार की संस्कृति को निरंतर बढ़ावा मिलता है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र

हमारी आपातकालीन प्रतिक्रिया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) की आपदा प्रबंधन योजना द्वारा निर्देशित है और कॉर्पोरेट एवं विभागीय फ्रेमवर्कों (संरचनाओं) से समर्थित है। कार्य स्थल के अनुरूप सुदृढ़ विशिष्ट आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजनाएं (ईआरडीएमपी) विकसित और क्रियान्वित की जाती हैं। आग, विस्फोट और विषाक्त उत्सर्जन जैसी सभी संभावित आपातकालीन स्थितियों इनके दायरे में आती हैं। ये योजनाएं भूमिकाओं को परिभाषित करती हैं, आपातकालीन सेवाओं से संबंधित प्रतिक्रियाएं तय करती हैं और राहत उपायों की रूपरेखा तैयार करती हैं। उपरोक्त योजनाएं तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित होती हैं। नियमित प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और अधिकारियों के साथ समन्वय, ऑन-साइट और ऑफ-साइट दोनों तरह की आपात स्थितियों के लिए तैयारी सुनिश्चित करते हैं।

व्यापक सुरक्षा प्रशिक्षण और कौशल विकास

हमने तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) और अन्य प्रासंगिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के लिए इंडक्शन और रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें कक्षा के और फील्ड के व्यावहारिक सत्र दोनों शामिल हैं जो खतरे के चिन्हिकरण, जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित संचालन प्रक्रियाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर केंद्रित हैं। इस संदर्भ में सुरक्षा नेतृत्त्व, विद्युत और भवन निर्माण सुरक्षा, संकरे स्थान में प्रवेश, मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन और खतरा एवं संचालन क्षमता अध्ययन (हैज़ऑप), दुर्घटना की जांच और उन्नत चिकित्सा प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, पूरे संगठन में 'सेफ्टी-फर्स्ट' (पहले सुरक्षा) संस्कृति का निर्माण करने के लिए 'नीबॉश' (एनईबीओएसएच) जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन और पिछली घटनाओं से सीख लेकर लक्षित कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित होते हैं।

शिकायत और समाधान

हमने कर्मचारियों की चिंताओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान करने के लिए एक संरचित और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। यह प्रणाली कर्मचारियों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने और उन्हें ट्रैक करने की सुविधा देती है। साथ ही परिणाम से असंतुष्ट होने पर अपील करने का भी प्रावधान करती है। कर्मचारियों और प्रबंधकों में प्रक्रियाओं, अधिकारों और उत्तरदायित्वों की समझ सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह प्रशिक्षण कार्यशालाओं, रोल-प्ले और ई-लर्निंग मॉड्यूल जैसे विविध प्रारूपों से दिया जाता है। इसकी प्रभावशीलता फीडबैक, आकलन और समाधान डेटा से मापी जाती है। इससे एक संवेदनशील और समानुभूतिपूर्ण शिकायत निवारण संस्कृति सुनिश्चित होती है।

20

शिकायतें प्राप्त हुईं और समाधान किया गया
(पिछले वर्ष की 1 लंबित)

कर्मचारी सहभागिता सत्र

हमारी कंपनी जीवंत नगरीय जीवन के जरिए एक सजीव सामुदायिक भावना और सौहार्द को बढ़ावा देती है। इसमें त्योहारों और विशेष अवसरों को उत्साह के साथ मनाया जाता है। फिल्म स्क्रीनिंग, नाटक, प्रदर्शनियां और खेल प्रतियोगिताएं इत्यादि कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक-दूसरे से जुड़ने, आराम करने और संपर्क में रहने के अवसर प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सक्रिय जीवनशैली को प्रोत्साहित करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वॉकथॉन, साइकिलिंग इवेंट और स्वास्थ्य चुनौतियों जैसी फिटनेस पहलें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

S P R I N T

परिवर्तन के लिए तैयार

संगठन को कम कार्बन वाले डिजिटल भविष्य के लिए तैयार करना:

- ↗ यथास्थिति को चुनौती
- ↗ भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करने के लिए तत्परता से कार्य करना।
- ↗ नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन, संधारणीय विमानन ईंधन (एसएएफ) और ग्रीन हाइड्रोजन पहलों का विस्तार करना।
- ↗ दीर्घावधि सुस्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए ईएसजी सिद्धांतों और नए व्यवसाय मॉडलों को शामिल करना।

प्राकृतिक

पूंजी

श्री सुमन कुमार
निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)

"इंडियनऑयल नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ईंधन, कार्बन कैप्चर और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान देते हुए एक बहुआयामी नेट-जीरो रोडमैप के जरिए कम कार्बन उत्सर्जन वाले भविष्य की ओर अग्रसर है। सौर ऊर्जा, धान की पराली से इथेनॉल, 'इंडीग्रीन' के अंतर्गत सीबीजी और ई-मोबिलिटी समाधान जैसी पहलों के साथ हम 2046 तक प्रचालनगत शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रचालन के हर पहलू में सस्टेनेबिलिटी ला रहे हैं।"

स्प्रिंट गति से पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ

इंडियनऑयल में हम ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में अपनी मुख्य परिसंपत्तियों को सुदृढ़ करने और हरित रूपांतरण की दिशा में नए रास्ते खोजने की दो-आयामी रणनीति अपना रहे हैं। यह रणनीति भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लगातार कार्बन-मुक्त करने और नेट-जीरो के लक्ष्य तक पहुंचने के ब्लूप्रिंट के अनुरूप है।

यह लक्ष्य हमें हरित परिसंपत्तियों और प्रौद्योगिकियों में निवेश बढ़ाने का अवसर भी देता है। इससे हमारे नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। हम प्राकृतिक इको सिस्टम का बढ़ावा देते हुए निरंतर प्रगतिशील हैं।

प्रभावित हितधारक

- कर्मचारी
- ग्राहक
- सरकारी और विनियामकीय निकाय

महत्वपूर्ण विषय

- ↗ जीएचजी उत्सर्जन
- ↗ वायु उत्सर्जन
- ↗ जल प्रबंधन
- ↗ सर्कुलैरिटी एकीकरण
- ↗ जलवायु अनुकूलन, रेजिलिएंस और रूपांतरण
- ↗ पर्यावरणीय प्रभाव

एसडीजी लिंकेज

कारगिल में इंडियनऑयल बल्क स्टोरेज डिपो

मुख्य व्यवसाय में पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को एकीकृत करना

प्राकृतिक पूंजी प्रबंधन के प्रति हमारा दृष्टिकोण पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की सोच पर आधारित है। यह पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों सहित वैश्विक सस्टेनेबल फ्रेमवर्कों (संरचनाओं) द्वारा कार्बन पदचिन्हों को पर्याप्त रूप से कम करने के भारत के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। हम अपने पूरे व्यवसाय में पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) सिद्धांतों को लागू करते हैं, ताकि कम कार्बन उत्सर्जन के साथ विकास को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, संसाधनों का दक्ष उपयोग किया जा सके, पर्यावरण की रक्षा की जा सके और दीर्घावधि संपोषी मूल्य सृजित किए जा सकें।

हरित ऊर्जा रोडमैप

ऊर्जा पोर्टफोलियो

जैव ईंधन

4 एमएमटी: वर्ष 2030 तक

7 एमएमटी: वर्ष 2050 तक

बायोगैस

1 एमएमटी: वर्ष 2030 तक

9 एमएमटी: वर्ष 2050 तक

मालोम डिपो, इम्फाल

वैश्विक ईएसजी फ्रेमवर्कों (संरचनाओं) और प्रकटन का अनुपालन

पारदर्शिता और हितधारक विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की व्यवसाय उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) आवश्यकताओं के सुस्थिरता प्रकटीकरण का अनुपालन करते हैं, जो कि तीसरे पक्ष द्वारा आश्वस्त हैं।

वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई)

संधारणीयता लेखांकन मानक बोर्ड (एसएएसबी)

पर्यावरण संबंधी वित्तीय प्रकटनों पर कार्यबल (टास्क फोर्स) (टीएनएफडी)

कार्बन प्रकटीकरण परियोजना (सीडीपी)

अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग पर्यावरण संरक्षण संघ (आईपीआईईसीए)

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता (यूएनजीसी)

जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग

नेट-जीरो महात्वाकांक्षा और डीकार्बोनाइजेशन रणनीति

हम 2046 तक प्रचालनगत शून्य कार्बन उत्सर्जन (स्कोप 1 और 2) पाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे रोडमैप में बहुआयामी रणनीति शामिल है। इसमें ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन (हरित) हाइड्रोजन, स्वच्छ ईंधन उपयोग की तरफ जाना, डिजिटलीकरण, प्रकृति आधारित समाधान और कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण शामिल हैं। हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला को डीकार्बनाइज भी कर रहे हैं। हमने कम सल्फर वाले समुद्री ईंधन और ईंधन-दक्ष लॉजिस्टिक्स को अपनाया है। इसके अलावा, हम ईंधन परिवहन दक्षता बढ़ाने के लिए रिटेल आउटलेट्स को सौर ऊर्जा युक्त करने को बढ़ावा दे रहे हैं, वाष्प पुनर्प्राप्ति प्रणाली (वीआरएस) लगा रहे हैं और पुराने टैंक ट्रकों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटा रहे हैं।

उत्सर्जन

(एमएमटी CO_2e)

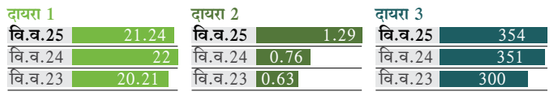

हम पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाकर ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। अपनी कम-कार्बन युक्त विकास रणनीति को और सुदृढ़ करने के लिए हम लीथियम-आयन बैटरी निर्माण क्षमताएं विकसित करने और हाइड्रोजन ईंधन सेल मोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख भागीदारों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

कम कार्बन वाले भविष्य की ओर आत्म विश्वास भरे कदम

हमारी एक अभिनव परियोजना का उद्देश्य धान की पराली से इथेनॉल का उत्पादन करना है। इससे स्वच्छ ईंधन बनाने और पराली जलाने में कमी लाने में मदद मिलेगी। हमने किसान उत्पादक संगठनों, कस्टम हायरिंग सेंटरों (विशेष भर्ती केंद्रों) और किसानों को साथ लेते हुए एक आपूर्ति श्रृंखला भी बनाई है। इससे धान की पराली को बंडल में इकट्ठा किया जा सकेगा। खरीफ के 2023 और 2024 के मौसम के दौरान करनाल और पानीपत के डिपो के जरिए 1.2 लाख मीट्रिक टन से अधिक बायोमॉस (जैविक भार) जुटाया गया। यह पहल न केवल पराली जलाने पर अंकुश लगाती है, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि करती है और इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देती है।

17.20%

इथेनॉल ब्लेंडिंग 2024-25 के दौरान हुई

100 केएलपीडी

का 2जी इथेनॉल संयंत्र पानीपत में

3 करोड़ लीटर

वार्षिक इथेनॉल उत्पादन

नवीकरणीय ऊर्जा पदचिन्ह का विस्तार

देश के ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने और ऊर्जा परिवर्तन से पैदा होते अवसरों का लाभ उठाने के लिए हम अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहे हैं। संपोषी समाधानों में विविधता ला रहे हैं। इस विजन के अंतर्गत 2030 तक हमारे नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार 31 गीगावॉट तक किया जाना है।

मार्च 2025 तक हमारे 35,874 रिटेल आउटलेट सौर ऊर्जा युक्त हो चुके हैं। इससे 175.7 मेगावॉट की विकेन्द्रीकृत सौर क्षमता जुड़ गई है। इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लि. (आईएनजीईएल) के साथ हमारा 50:50 का संयुक्त उद्यम है। उसके जरिए हम 1.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित कर रहे हैं।

252.1 मेगावॉट
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

167.6 मेगावॉट
पवन ऊर्जा क्षमता

84.5 मेगावॉट
सौर ऊर्जा क्षमता

'सतत' के जरिए सस्टेनेबल परिवहन

सस्ते परिवहन के लिए सस्टेनेबल विकल्प ('सतत') की पहल के अंतर्गत इंडियनऑयल निजी उद्यमियों को सीबीजी संयंत्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। हम कंप्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी) का उत्पादन बढ़ा रहे हैं।

मार्च 2025 तक 44 सीबीजी संयंत्र चालू हो चुके हैं। इंडियनऑयल ने इन संयंत्रों के जरिए 125 रिटेल आउटलेट्स (खुदरा बिक्री केंद्रों) और 04 औद्योगिक ग्राहकों को 'इंडीग्रीन' सीबीजी की बिक्री सुविधा दी है।

इनमें से अपने स्वयं के निवेश से इंडियनऑयल ने 4 सीबीजी संयंत्र चालू किए हैं। इनमें से एक ग्वालियर की आदर्श गौशाला में 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाला गोबर आधारित सीबीजी संयंत्र है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया था।

इसके अलावा, इंडियनऑयल 30 सीबीजी संयंत्र स्थापित कर रहा है। इनमें से 9 परियोजनाओं पर हमारे संयुक्त उद्यम 'आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल प्राइवेट लि.' के जरिए काम चल रहा है।

8.9 टीएमटी
सीबीजी की बिक्री 2024-25 में

इंडियनऑयल रेवड़ा सौर परियोजना

पर्यावरणीय समाधान

अपने प्राकृतिक कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए हमने गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान और बिहार में 10 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत ₹56.02 करोड़ आवंटित किए हैं। अपने मैंग्रोव 2.0 कार्यक्रम के जरिए हम 30 लाख मैंग्रोव के पौधे लगाकर 151 हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्जीवित कर रहे हैं। यह भारत में कॉर्पोरेट-नेतृत्व वाली सबसे बड़ी तटीय वनीकरण परियोजनाओं में से एक होने जा रही है।

जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण

हम रणनीतिक साझेदारियों और प्रभावशाली पहलों के जरिए वन्यजीव संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सहयोग से इंडियनऑयल ने ऐतिहासिक चीता पुनर्वास परियोजना में सहयोग किया।

गुजरात में हमने भारत के सबसे बड़े प्रवाल (कोरल) स्थानांतरण अभियान का नेतृत्व किया है। इसमें 16,000 से ज़्यादा प्रवालों को सुरक्षित आवासों में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है। हम एक-सींग वाले ग्रेटर गैंडे, ऑलिव रिडले कछुए और रॉयल बंगाल टाइगर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण में भी सहयोग करते हैं। हम सुंदरबन टाइगर रिज़र्व में गश्त और संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए सुंदरबन टाइगर कंजर्वेशन फ़ाउंडेशन ट्रस्ट को सहायता प्रदान करते हैं।

गुवाहाटी रिफ़ाइनरी के आसपास इंडियनऑयल द्वारा अनुरक्षित ग्रीन बेल्ट का अवलोकन

सुदृढ़ और प्रौद्योगिकी-सक्षम अपशिष्ट प्रबंधन

हमने खतरनाक और गैर-खतरनाक औद्योगिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ और समग्र ढांचा स्थापित किया है। यह लागू पर्यावरणीय नियमों और संधारणीयता मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करता है।

खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन

हमारे सभी प्रचालनों में जो खतरनाक कचरा उत्पन्न होता है, उसका निपटान बहुत सावधानी और जिम्मेदारी से किया जाता है। यह निपटान विनियामकीय समय-सीमाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिर्फ अधिकृत चैनलों के जरिए किया जाता है। इसके नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को और कम करने के लिए हमने कई नवीन अपशिष्ट न्यूनीकरण तकनीक लागू की हैं -

- **तैलीय कीचड़ रिकवरी प्रणालियां:** ये प्रणालियां कीचड़ में से उपयोगी तेल निकालती हैं, अपशिष्ट की मात्रा कम करती हैं और मूल्यवान संसाधनों को फिर हासिल करती हैं।
- **इन-हाउस जैव उपचार:** हम जैविक प्रक्रियाओं के उपयोग से दूषित सामग्रियों का उपचार करते हैं और हानिकारक पदार्थों को गैर-विषैले उप-उत्पादों में बदलते हैं।
- **इस्तेमाल उत्प्रेरकों से धात्विक रिकवरी:** इस्तेमाल हो चुके उत्प्रेरकों से बहुमूल्य और बेस धातुओं को रिकवर किया जाता है। इससे 'रिड्यूस-रीयूज़ रीसायकल' की सोच बढ़ावा मिलता है। इससे संसाधन दक्षता में वृद्धि होती है और कच्ची (वर्जिन) सामग्री के दोहन की आवश्यकता कम होती है।

गैर-खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन

गैर-खतरनाक कचरे के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी उतना ही व्यापक है जो पृथक्करण, पुनर्चक्रण और जिम्मेदार निस्तारण पर केंद्रित है।

- **प्लास्टिक कचरा:** इसका प्रबंधन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) फ्रेमवर्क (संरचना) के जरिए किया जाता है। इस कचरे ढूँढने और पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत रीसाइकलर्स और प्रमाणित निस्तारण भागीदारों के सहयोग से इसका प्रबंधन किया जाता है।
- **रसोई और जैविक कचरा:** हम बायो-डीग्रेडेबल कचरे को बायोगैस और खाद में बदलते हैं, और कचरे को ऊर्जा और मृदा पोषक तत्वों में परिवर्तित करके चक्रीय अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्यों का समर्थन करते हैं।

गवर्नेंस (शासन-विधि) और सहभागिता

अपनी अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों की प्रभावशीलता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जैस –

- **सख्त ऑडिट (लेखा-परीक्षण) और निगरानी प्रणाली:** हमारे नियमित आंतरिक ऑडिट (लेखा-परीक्षण) अनुपालनों की निगरानी करने, सुधार के क्षेत्रों को चिन्हित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
- **कर्मचारी सहभागिता और प्रशिक्षण:** जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को अपशिष्ट पृथक्करण, कमी और रिपोर्टिंग संबंधी पहलों में सशक्त करते हैं।

100%

ईपीआर लक्ष्य प्राप्त किया

71%

कुल अपशिष्ट रिसाइकल/रीयूज़/रिकवर हुआ

अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और सर्कुलर जल प्रबंधन

हमने एक व्यापक और उत्तरदायित्वपूर्ण अपशिष्ट उपचार रणनीति लागू की है। यह जल संरक्षण और पुन: उपयोग को बढ़ावा देते हुए पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया

हमारी उपचार प्रणाली तीन-स्तरीय दृष्टिकोण पर आधारित है –

- **प्राथमिक उपचार:** भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से बड़े ठोस और बारीक कणों को हटाना।
- **द्वितीयक उपचार:** सूक्ष्मजीवी गतिविधि का उपयोग करते हुए कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए बायोलॉजिकल (जीववैज्ञानिक) उपचार।
- **तृतीयक उपचार:** अवशिष्ट प्रदूषकों को हटाने और उच्च गुणवत्ता वाला उपचारित जल पाने के लिए उन्नत शुद्धिकरण तकनीकें।

उपचारित तरल पदार्थ (जल) की शुद्धता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम इन अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं –

- **रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ):** घुले हुए लवणों और अशुद्धियों को हटाने के लिए।
- **अल्ट्राफिल्ट्रेशन:** सूक्ष्म कणों और रोगाणुओं को हटाने की तकनीक, जिससे पानी के पुन: उपयोग के कड़े मानक सुनिश्चित होते हैं।

सुस्थिरता और अनुपालन

हमारे अपशिष्ट प्रबंधन पद्धियों को हमारी स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीति से मार्गदर्शन मिलता है जो रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकल (3आर) के दर्शन पर चलती है। इसे विभिन्न प्रकार से समर्थन मिलता है:

- **24/7 निगरानी प्रणाली:** अपशिष्ट गुणवत्ता और उपचार निष्पादन की रियलटाइम ट्रैकिंग।
- **आवधिक लेखापरीक्षा:** विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने और सुधार के क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए आंतरिक मूल्यांकन।
- **प्रक्रिया अनुकूलन:** उपचार दक्षता बढ़ाने और प्रचालनगत पदचिन्हों को कम करने के लिए निरंतर सुधार पहलें।
- **नियमित प्रशिक्षण:** प्रचालन और सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए कर्मियों में क्षमता निर्माण।

जल पुन: उपयोग और चक्रीयता पहलें

हमने वडोदरा, मथुरा और हल्दिया में नगरपालिका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के साथ दीर्घावधि समझौते किए हैं। इससे हमारी औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपचारित सीवेज का पुनः उपयोग संभव हो सकेगा। इस पहल से मीठे पानी के स्रोतों पर हमारी निर्भरता घटी है।

ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणालियां हमारी रिफाइनरियों में अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करके सस्टेनेबिलिटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करती हैं। साथ ही सुनिश्चित करती हैं कि पर्यावरण में कोई भी तरल अपशिष्ट न छोड़ा जाए।

228

जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्थल

नवोन्मेषी हरित अवसंरचना

हल्दिया संयंत्र में हमने आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से विकसित एकीकृत आर्द्रभूमि प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक हरित सीवेज उपचार संयंत्र शुरू किया है। यह प्रणाली पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल तरीके से 8 घन मीटर प्रति घंटा घरेलू सीवेज का उपचार करती है। यह पर्यावरण आधारित समाधानों और सतत शहरी अवसंरचना के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

39.8 बिलियन लीटर

अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण

पुरस्कार और सम्मान

उपलब्धियों को मान्यता

वैश्विक मान्यता: इंडियनऑयल की प्रतिष्ठा का समर्थन

2024-25 में, इंडियनऑयल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों से कई गौरवमय पुरस्कार अर्जित करके वैश्विक ऊर्जा लीडर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया।

इंडियनऑयल क्लेरिवेट टॉप 100 ग्लोबल इनोवेटर्स 2024 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय ऊर्जा कंपनी बन गई है। क्लेरिवेट एनालिटिक्स यह मान्यता उन्हीं संगठनों को देती है जो बौद्धिक संपदा से निरंतर नवाचार और प्रभावशीलता प्रदर्शित करते हैं।

इकॉनॉमिक टाइम्स ने हमारे ब्रांड की विरासत, राष्ट्रीय प्रभाव और हितधारकों के बीच विश्वास का सम्मान करते हुए इंडियनऑयल को 'ईटी आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ इंडिया 2024' में शामिल किया।

इंडियनऑयल को एसएंडपी डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स (डीजेएसआई) 2024 में भारतीय तेल और गैस कंपनियों में पहला स्थान दिया गया। विश्व का यह बेहद सम्मानित बेंचमार्क आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंडों पर कंपनियों का मूल्यांकन करता है। यह संपोषी विकास के लिए इंडियनऑयल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

ब्रिटेन की ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी कंपनी 'ब्रांड फाइनेंस' के मूल्यांकन के अनुसार, इंडियनऑयल ने भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में 'ब्रांड स्ट्रेंथ' में तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह रैंकिंग उपभोक्ताओं और भागीदारों दोनों के बीच इंडियनऑयल के भरोसे और इक्विटी को मान्यता देती है।

फॉर्च्यून ग्लोबल 500

इंडियनऑयल ने 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 127वां स्थान पाया है। यह सूची फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा राजस्व और व्यवसाय के पैमाने के आधार पर तैयार की गई है। यह उपलब्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कंपनी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है।

ब्लूमबर्ग एनईएफ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजीशन स्कोर ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में इंडियनऑयल के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी है। यह सम्मान कम कार्बन ऊर्जा वाले स्रोतों की ओर वैश्विक बदलाव को गति देने में हमारी अग्रणी भूमिका को दर्शाता है।

इंडियनऑयल को एसोचैम के ब्रांडिंग और मार्केटिंग कॉन्क्लेव में हुए उत्कृष्टता पुरस्कारों में 'ब्रांड ऑफ द डिकेड' श्रेणी में 'गोल्ड विनर' घोषित किया गया। इसमें पिछले दशक में ब्रांड उत्कृष्टता, ग्राहक संवाद और मूल्य-संचालित विपणन पहलों में कंपनी के अनूठे योगदान को मान्यता दी गई।

बिजनेसवर्ल्ड ने लगातार तीसरे वर्ष इंडियनऑयल को बीडब्ल्यू टॉप 500 रैंकिंग में शामिल किया। साथ ही हमारे कॉर्पोरेट नेतृत्व और उत्कृष्टता की सराहना की।

नेतृत्व को मान्यता : दूरदर्शियों और संरक्षकों का सम्मान

इंडियनऑयल की उत्कृष्टता की यात्रा कंपनी के शीर्ष नेतृत्व की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता के कारण रही है। उसने ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन को गति दी। हमारे नेतृत्व को 2024-25 में मिले कई प्रतिष्ठित सम्मानों ने उनके असाधारण योगदान को मान्यता दी है।

इंडियनऑयल के लिए एक गौरवशाली क्षण वह था, जब सेना के फ्लैग डे पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के प्रति कंपनी की दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना की। इसके लिए इंडियनऑयल के अध्यक्ष श्री ए. एस. साहनी को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। कंपनी के विभिन्न प्रभागों में लगभग 10,500 पूर्व सैनिकों काम कर रहे हैं। वर्ष 2022 में अपनी स्थापना के बाद से ही यह सम्मान कॉर्पोरेट क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के सर्वोच्च नियोक्ता के रूप में इंडियनऑयल को ही मिलता रहा है। यह राष्ट्र निर्माण और हमारे राष्ट्र नायकों के समर्थन की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

निदेशक (रिफाइनरीज) श्री अरविंद कुमार को एनर्जी कंसोर्टियम अवार्ड्स 2024 में आईआईटी मद्रास द्वारा 'अनुकरणीय व्यावसायिक नेतृत्व पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार ने रिफाइनरी प्रचालन और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने में उनके रणनीतिक विजन और प्रभावशाली नेतृत्व को मान्यता दी है।

कंपनी सचिव एवं कार्यकारी निदेशक (विधि) श्री कमल कुमार ग्वालानी को एसोचैम ने 'भारत जनरल काउंसल डॉयेन 2024' से सम्मानित किया। यह प्रतिष्ठित सम्मान सार्वजनिक क्षेत्र में कानूनी उत्कृष्टता और विनियामकीय अनुपालन बनाए रखने में उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए दिया गया।

इंडियनऑयल को अमेरिका के एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट (एटीडी) ने 'एटीडी बेस्ट अवॉर्ड 2025' प्रदान किया। कंपनी को यह सम्मान तीसरी बार मिला है। यह वैश्विक सम्मान उन संगठनों को दिया जाता है, जो कर्मचारी के विकास के जरिए पूरे उद्यम में सफलता दिखलाते हैं। इसने इंडियनऑयल को ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख जन-केंद्रित कंपनी के रूप में स्थापित किया।

राष्ट्रीय पुरस्कार : प्रभाव और नवाचार का प्रदर्शन

ऊर्जा, नवाचार, संधारणीयता और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में इंडियनऑयल की परिवर्तनकारी पहलों को प्रतिष्ठित सरकारी निकायों, उद्योग मंचों और स्वतंत्र संस्थानों से राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ये पुरस्कार प्रगति, उत्तरदायित्व और समावेशी विकास के प्रति कंपनी की गहरी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती हैं।

सुश्री शुभ्रा दत्त को FIPI का 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला कार्यकारी' पुरस्कार प्राप्त हुआ

भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित और माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा दिए गए एफआईपीआई तेल एवं गैस पुरस्कार 2023 में इंडियनऑयल की हल्दिया रिफाइनरी को 'वर्ष की सवश्रेष्ठ रिफाइनरी' का पुरस्कार मिला। बोंगाईगांव रिफ़ाइनरी की सुश्री राधा को 'यंग अचीवर ऑफ द ईयर' (विशेष अनुशंसा) का पुरस्कार मिला। सुश्री शुभ्रा दत्त को 15 वर्षों से अधिक के सेवा अनुभव के साथ तेल एवं गैस उद्योग में 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला अधिकारी' का पुरस्कार मिला। इंडियनऑयल ने अपनी स्वदेशी तकनीकों – IZOMaxCAT और XXtraFlo DRA के लिए एफआईपीआई के शीर्ष नवाचार पुरस्कार भी जीते। कंपनी को 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ डिजिटल रूप से उन्नत कंपनी' और 'कंप्रैस्ड बायो–गैस की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी' भी चुना गया।

आईओसियन राधा को एफआईपीआई का 'यंग अचीवर ऑफ द ईयर' पुरस्कार मिला

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने इंडियनऑयल की आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता और सुस्थिरता को मान्यता देते हुए लगातार आठवीं बार कंपनी को 'स्केल अवॉर्ड 2024' से सम्मानित किया।

बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2023-24 में उच्चतम बायोडीजल ब्लेंडिंग प्राप्त करने के लिए इंडियनऑयल को सम्मानित किया। इससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में उसके योगदान को बल मिला।

इंडियनऑयल के एक्सट्रापावर फ्लीट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम ने ग्लोबल रिटेल एक्सिलेंस अवॉर्ड्स 2025 में 'सर्वश्रेष्ठ लॉयल्टी प्रोग्राम' पुरस्कार जीता और डिजिटल परिवर्तन प्रभाव के लिए स्कॉच अवॉर्ड 2025 भी जीता।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा दिए गए ग्रीनफिंच पुरस्कार ने डेटा गवर्नेंस में इंडियनऑयल की उत्कृष्टता को सराहा।

इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड 2025 में इंडियनऑयल के सर्वो ग्रीस मिरेकल को 'नवोन्मेषी उत्पाद/सेवा' श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। यह गैर-लीथियम वाले ग्रीस इनोवेशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इंडियनऑयल मनमाड टर्मिनल

सीआईआई ने ग्रीनको रेटिंग फ्रेमवर्क (संरचना) के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन के लिए ग्रीन क्रूसेडर पुरस्कार 2024 दिया। नाभा बीपी, मनमाड टर्मिनल और विज़ाग बीपी सहित कई प्रतिष्ठानों को प्लेटिनम प्रमाण पत्र दिया गए।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससीआई) ने एनएससीआई सुरक्षा पुरस्कार-2024 में इंडियनऑयल के विभिन्न स्थलों को सम्मानित किया। डिगबोई रिफाइनरी को स्वर्ण ट्रॉफी, एसआरपीएल चेन्नई को रजत, डब्ल्यूआरपीएल विरमगाम को कांस्य और कई टर्मिनलों तथा बॉटलिंग संयंत्रों को 'प्रशंसा पत्र' प्रदान किए गए। इसने कंपनी में सुदृढ़ सुरक्षा संस्कृति को ख्याति मिली।

इंडियनऑयल की विधि टीम को इंडिया लीगल अवॉर्ड्स 2024 में पीएसयू श्रेणी के अंतर्गत 'लीगल टीम ऑफ द ईयर' घोषित किया गया। इससे अनुपालन और कानूनी उत्कृष्टता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता पुष्ट हुई।

सूचना प्रणाली टीम को आईआरएएस क्लाउड माइग्रेशन रिकॉग्निशन पहल के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रचालनों को क्लाउड पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए सम्मानित किया गया।

खेलों से सामाजिक परिवर्तन

समावेशी राष्ट्र निर्माण के प्रति इंडियनऑयल की प्रतिबद्धता खेलों में झलकती है, जहां वह खिलाड़ियों (एथलीट्स) को सशक्त कर रही है और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दे रही है।

इंडियनऑयल को 'चेस फॉर फ्रीडम' पहल में भूमिका निभाने के लिए एफआईडीई विशेष पुरस्कार 2024 दिया गया। इस पहल के तहत जेलों में और वंचित समुदायों के बीच शतरंज कार्यक्रम चलाया गया था।

तिहाड़ जेल से एक प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ। इसमें कैदी सुधार पहल के एक भाग के रूप में संरचित खेल कोचिंग प्रदान करने में इंडियनऑयल के योगदान को मान्यता दी गई।

विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों को समग्र समर्थन देने के लिए फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2024 ने इंडियनऑयल को 'बेस्ट कॉर्पोरेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स (सार्वजनिक क्षेत्र)' के रूप में मान्यता दी।

शीतल देवी को 'बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर 2025' नामित किया गया, जो पैरा स्पोर्ट्स के विकास में इंडियनऑयल के जमीनी स्तर पर किए गए निवेश को रेखांकित करता है।

हॉकी इंडिया अवॉर्ड्स 2024 में इंडियनऑयल के खिलाड़ियों दीपिका और अरिजीत सिंह हुंदल को अंडर-21 श्रेणियों में उभरती प्रतिभाओं के तौर पर क्रमशः असुंता लाकड़ा पुरस्कार और जुगराज सिंह पुरस्कार से नवाजा गया।

इंडियनऑयल के 'क्यू' खिलाड़ी आदित्य मेहता को बिलियर्ड्स और स्नूकर में उत्कृष्टता के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित शिव छत्रपति पुरस्कार 2022-23 दिया गया।

अतिरिक्त मान्यताएँ: नवाचार, पर्यावरण और परिचालन उत्कृष्टता

स्फेरिपोल ग्लोबल बेंचमार्किंग सर्वेक्षण 2023 ने पारादीप रिफाइनरी में इंडियनऑयल की पीपी लाइन-1 और 2 को आंतरिक स्ट्रीम फैक्टर में वैश्विक स्तर पर 'पहला' स्थान दिया, जहां से पॉलीप्रोपाइलीन उत्पादन में नए मानक गढ़े गए।

मथुरा रिफाइनरी को ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण में उत्कृष्ट नवाचार करने के लिए एनईसीए प्रमाणपत्र 2024 मिला।

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा सुरक्षा और अग्नि शमन में उत्कृष्टता के लिए दी जाने वाली एवी ओगले ट्रॉफी 2023-24 के पुरस्कारों में इंडियनऑयल की डिगबोई रिफाइनरी ने स्वर्ण ट्रॉफी और पानीपत रिफाइनरी ने रजत ट्रॉफी जीती।

कंपनी ने पहली बार आईएसओ 41001 और आईएसओ 45001 प्रमाणन प्राप्त किया, जो उसके नई दिल्ली स्थित कोको नीति मार्ग रिटेल आउटलेट को दिया गया। यह उपलब्धि सुविधा प्रबंधन और व्यावसायिक सुरक्षा में कंपनी की अग्रणी स्थिति को पुष्ट करती है।

ग्रीनको सर्टिफिकेशन 2024-25 ने इंडियनऑयल की पाइपलाइनों को मान्यता दी। दाहेज-कोयली आर-एलएनजी पाइपलाइंस के लिए प्लेटिनम प्रमाणन और गुवाहाटी-सिलीगुड़ी, कोयली-रतलाम और कोयली-दाहेज पाइपलाइनों को गोल्ड प्रमाणन के साथ मान्यता मिली।

इंडियनऑयल को सर्वो गियर एक्सल TM 80W-90 LL के सह-विकास के लिए टाटा मोटर्स सप्लायर कॉन्फ्रेंस 2024 में नवाचार और प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

होस्टलेन/एसीपी बेंचमार्क सर्वेक्षण 2023 ने पानीपत नेफ्था क्रैकर स्थित एचडीपीई संयंत्र को सर्वोच्च प्राइम प्रोडक्शन छूने के लिए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया।

महिंद्रा स्वराज ने लागत पुनर्रचना में उपलब्धियों के लिए इंडियनऑयल को आपूर्तिकर्ता पुरस्कार 2024 दिया।

पानीपत रिफाइनरी (श्रेणी I) और डिगबोई रिफाइनरी (श्रेणी II) को पर्यावरण प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों के लिए ग्रीन चैंपियंस पुरस्कार 2023-24 मिला।

निदेशक मंडल

पूर्णकालिक निदेशक

1. श्री ए. एस. साहनी, अध्यक्ष,	13.11.2024 से
2. श्री अनुज जैन, निदेशक (वित्त)	
3. डॉ. आलोक शर्मा, निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)	
4. सुश्री रश्मि गोविल, निदेशक (मानव संसाधन)	
5. श्री अरविंद कुमार, निदेशक (रिफाइनरीज)	17.07.2024 से
6. श्री सुमन कुमार, निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)	26.02.2025 से
7. श्री श्रीकांत माधव वैद्य, अध्यक्ष	31.08.2024 तक
8. श्री सुजय चौधुरी, निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)	31.08.2024 तक
9. श्री एन. सेंथिल कुमार, निदेशक (पाइपलाइंस)	30.06.2025 तक
10. श्री सतीश कुमार वडुगुरी, निदेशक (विपणन)	31.07.2025 तक

सरकार द्वारा नामित निदेशक

11. सुश्री ईशा श्रीवास्तव,	20.06.2025 से
12. डॉ. सुजाता शर्मा,	11.05.2024 से

स्वतंत्र निदेशक

13. डॉ. दत्तात्रेय राव सिरपुरकर,	23.11.2024 तक और 28.03.2025 से पुनर्नियुक्त
14. श्री प्रसेनजित बिस्वास,	23.11.2024 तक और 28.03.2025 से पुनर्नियुक्त
15. श्री कृष्णन सदगोपन,	23.11.2024 तक और 28.03.2025 से पुनर्नियुक्त
16. श्री दिलीप गोगोई लालुंग,	23.11.2024 तक
17. डॉ. (प्रोफेसर) आशुतोष पंत,	23.11.2024 तक
18. श्री सुदीप्त कुमार राय,	23.11.2024 तक
19. डॉ. (प्रोफेसर) राम नरेश सिंह,	07.04.2025 तक

प्रमुख प्रबंधन अधिकारी (केएमपी)

1. श्री कमल कुमार ग्वालानी, कंपनी सचिव

वरिष्ठ प्रबंधन टीम

अनंत कुमार सिंह (आईपीएस)	मुख्य सतर्कता अधिकारी
संदीप जैन	कार्यकारी निदेशक प्रभारी (गैस), व्यवसाय विकास
के. शैलेंद्र	कार्यकारी निदेशक (एलपीजी), विपणन
एम. अन्नादुरई	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (तमिलनाडु राज्य कार्यालय), विपणन
डॉ. मुकेश रंजन दास	कार्यकारी निदेशक प्रभारी (मानव संसाधन), विपणन
डी. पद्मा (सुश्री)	कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट योजना एवं आर्थिक अध्ययन), व्यवसाय विकास
वी. सी. अशोकन	कार्यकारी निदेशक (रिटेल सेल्स), विपणन
के. एस. राव	कार्यकारी निदेशक (संचालन), विपणन
संजय पाराशर	कार्यकारी निदेशक (आपूर्ति), विपणन
गुर प्रसाद	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (महाराष्ट्र राज्य कार्यालय), विपणन
सुबोध कुमार बाजपयी	कार्यकारी निदेशक (स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण), विपणन
जीतेंद्र कुमार	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (पश्चिम बंगाल राज्य कार्यालय), विपणन
शुभजीत सरकार	कार्यकारी निदेशक (संचालन), रिफाइनरीज
राजीव कक्कड़	कार्यकारी निदेशक (सतर्कता), कॉर्पोरेट कार्यालय
एम.एल. डहरिया	कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख (पानीपत रिफाइनरी)
शैलेश तिवारी	कार्यकारी निदेशक प्रभारी पाइपलाइंस
सुब्रत कर	कार्यकारी निदेशक (योजना एवं आर्थिक अध्ययन), विपणन
संजीव कुमार चौधरी	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (बिहार राज्य कार्यालय), विपणन
अरविंद आचार्य	कार्यकारी निदेशक (परियोजना मूल्यांकन समूह), कॉर्पोरेट कार्यालय और मुख्य जोखिम अधिकारी
सौमित्र पी श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट रणनीति), कॉर्पोरेट कार्यालय
मनोज कुमार गुप्ता	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (राजस्थान राज्य कार्यालय), विपणन
हेमंत कुमार राठौर	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय II), विपणन
मैथ्यू वर्गीज	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (दिल्ली राज्य कार्यालय), विपणन
राजेश सिंह	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय I), विपणन
बिभूति रंजन प्रधान	कार्यकारी निदेशक (समन्वय एवं सीएसआर), कॉर्पोरेट कार्यालय
नयन कुमार बरुआ	कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख (बोंगाईगांव रिफाइनरी)
अजय कुमार तिवारी	कार्यकारी निदेशक (अन्वेषण एवं उत्पादन), व्यवसाय विकास
राहुल प्रशांत	कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख (एओडी रिफाइनरी)
मुकेश मोहन	कार्यकारी निदेशक (स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण), रिफाइनरीज
सत्य प्रकाश	कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख (बरौनी रिफाइनरी)
जॉयदीप चौधुरी	कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं), रिफाइनरीज
कौशिक बसु	कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख (पारादीप रिफाइनरी)
आशुतोष कुमार मेहता	कार्यकारी निदेशक (निर्माण), पाइपलाइंस
अमित दासगुप्ता	कार्यकारी निदेशक (संचालन), पाइपलाइंस

मनीष बोटके	कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं), पाइपलाइंस
मनोज कुमार शर्मा	कार्यकारी निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख (पूर्वी क्षेत्र पाइपलाइंस), कोलकाता
डॉ. उमेश श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक (प्रौद्योगिकी संवर्धन एवं पूर्वानुमान), अनुसंधान एवं विकास
हिमांशु रंजन	कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण), विपणन
राजेश नांबियार	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (इंडियनऑयल एओडी राज्य कार्यालय), विपणन
ए. वी. रघुनाधन	कार्यकारी निदेशक (नया व्यवसाय), व्यवसाय विकास
सुरेश पी. नांबियार	कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रणाली), विपणन
सुनीत जोशी	कार्यकारी निदेशक (मूल्य निर्धारण), विपणन
बंकिम बिहारी पात्रा	कार्यकारी निदेशक (ल्यूब्स), विपणन
एन.एम. निमजे	कार्यकारी निदेशक (संस्थागत व्यवसाय), विपणन
एम. सुधाकर	कार्यकारी निदेशक (क्षेत्रीय सेवाएं), दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय, विपणन
जगदीप कुमार राणा	कार्यकारी निदेशक (क्षेत्रीय सेवाएं), उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, विपणन
राजीव मोहन	कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट मामले और विधि), कॉर्पोरेट कार्यालय
सिद्धार्थ अग्रवाल	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (कर्नाटक राज्य कार्यालय), विपणन
संजीब कुमार बेहरा	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (गुजरात राज्य कार्यालय), विपणन
पंकज कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रुप 'I', इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लि.
निखिल दीप माथुर	कार्यकारी निदेशक (गैर-ईंधन राजस्व), विपणन
प्रवीण डोंगरे	कार्यकारी निदेशक (सतत विकास), व्यवसाय विकास
जितेंद्र अगरवाला	कार्यकारी निदेशक (स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण), कॉर्पोरेट कार्यालय
सुनील कांति	कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख (गुवाहाटी रिफाइनरी)
हितेश रमेश शाह	कार्यकारी निदेशक (ऑप्टिमाइजेशन), कॉर्पोरेट कार्यालय
सुब्रत चौधरी	कार्यकारी निदेशक (वित्त), रिफाइनरीज
बिप्लब बिस्वास	कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख (गुजरात रिफाइनरी)
अभिजीत चक्रवर्ती	कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं), रिफाइनरीज
अजय कैला	कार्यकारी निदेशक (कोर ग्रुप), पानीपत रिफाइनरी
डी. एस. राव	कार्यकारी निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख (दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय पाइपलाइंस), भुवनेश्वर
डॉ. अजीत कुमार ठाकुर	कार्यकारी निदेशक (वैकल्पिक ऊर्जा), व्यवसाय विकास
डॉ. एलेक्स सी. पुलिकोटिल	कार्यकारी निदेशक (पेट्रोकेमिकल्स और उत्प्रेरक), अनुसंधान एवं विकास
आर. के. कौशिक सिंघा	कार्यकारी निदेशक (रिफाइनिंग प्रौद्योगिकी), अनुसंधान एवं विकास
अतनु सान्याल	कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख (हल्दिया रिफाइनरी)
एस.एन. विजयकुमार	कार्यकारी निदेशक (क्रायोजेनिक्स), विपणन
के. जॉन प्रसाद	कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट संचार और ब्रांडिंग), विपणन
पी. त्रिपाठी	कार्यकारी निदेशक (क्षेत्रीय सेवाएं), पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय, विपणन
सौरभ दत्त	कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट संचार और ब्रांडिंग), कॉर्पोरेट कार्यालय

अतनु मंडल	कार्यकारी निदेशक (रिटेल ट्रांसफोरमेशन), विपणन
गिरीश जैन	कार्यकारी निदेशक (विस्फोटक पदार्थ), व्यवसाय विकास
अजीत पी. धाक्रस	कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन विकास), विपणन
जी.डी.एस. कोहली	कार्यकारी निदेशक (वित्त), व्यवसाय विकास
मनीष मलिक	कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रणाली), कॉर्पोरेट व्यवसाय प्रौद्योगिकी केंद्र, आईआईपीएम गुड़गांव
उदित जैन	कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन), कॉर्पोरेट कार्यालय
शैलेश धर	कार्यकारी निदेशक (विमानन), विपणन
अजय गर्ग	कार्यकारी निदेशक (गैस), व्यवसाय विकास
चक्रेश कुमार जैन	कार्यकारी निदेशक (वित्त), विपणन
पीयूष मित्तल	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्य कार्यालय), विपणन
आशुतोष गुप्ता	कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख (पंजाब राज्य कार्यालय), विपणन
शुभेंदु पाल	कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग और परियोजनाएं), विपणन
देबाशीष बनर्जी	कार्यकारी निदेशक (ऑटोमेशन), विपणन
जिस्टो नोंगब्री	कार्यकारी निदेशक (क्षेत्रीय सेवाएं), पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, विपणन
देब कुमार सरकार	कार्यकारी निदेशक (सामग्री एवं अनुबंध), विपणन
दीपक दास	प्रबंध निदेशक ग्रेड 'I', लंका आईओसी पीएलसी, कोलंबो
संजय कुमार सिन्हा	कार्यकारी निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार), कॉर्पोरेट कार्यालय
सुनील कुमार सिन्हा	कार्यकारी निदेशक (कोर ग्रुप), गुजरात रिफाइनरी
एसजी वेंकटेश	कार्यकारी निदेशक (पेट्रोकेमिकल्स), व्यवसाय विकास
पी.के. बासुमतारी	कार्यकारी निदेशक (रखरखाव एवं निरीक्षण), रिफाइनरीज
संजय रायजादा	कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं और कोर ग्रुप), बरौनी रिफाइनरी
एन.एम. भालेराव	कार्यकारी निदेशक (वित्त), पाइपलाइंस
पियाली चक्रवर्ती (सुश्री)	कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन), रिफाइनरीज
महुआ एम. बसु (सुश्री)	कार्यकारी निदेशक (सामग्री एवं अनुबंध), पाइपलाइंस
अनुराग सचदेव	कार्यकारी निदेशक (सामग्री एवं अनुबंध और शिपिंग), रिफाइनरीज
मुकुल अग्रवाल	कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख (मथुरा रिफाइनरी)
संजय कुमार पपनेजा	कार्यकारी निदेशक (प्रक्रिया-परियोजनाएं), रिफाइनरीज
प्रसून कुमार मिश्रा	कार्यकारी निदेशक (शहरी गैस वितरण), पाइपलाइंस
ललित कुमार झा	कार्यकारी निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख (दक्षिणी क्षेत्र पाइपलाइंस) चेन्नई मुख्यालय
जी. वेंकटरमणन	कार्यकारी निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख (पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइंस) राजकोट मुख्यालय
श्यामानंद झा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेड 'I', आईएचबी लि.
राजीव रंजन	कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन), पाइपलाइंस
विपिन कुमार जैन	कार्यकारी निदेशक एवं प्रमुख (इंडियनऑयल पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान)
सुशांत कुमार दास	कार्यकारी निदेशक (तकनीकी), हल्दिया रिफाइनरी
संजय कुमार	कार्यकारी निदेशक (आंतरिक लेखा परीक्षा), कॉर्पोरेट कार्यालय

प्रमुख कार्यालय और प्रमुख इकाईयाँ

पंजीकृत कार्यालय
इंडियनऑयल भवन,
जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051,
महाराष्ट्र

कॉर्पोरेट कार्यालय
3079/3, जे बी टीटो मार्ग,
सादिक नगर,
नई दिल्ली - 110 049

रिफाइनरी प्रभाग

प्रधान कार्यालय
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-2,
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003

बरौनी रिफाइनरी
डाकघर - बरौनी रिफाइनरी,
जिला बेगूसराय – 851 114
बिहार

डिगबोई रिफाइनरी
एओडी,
डाकघर, डिगबोई – 786 171
असम

गुजरात रिफाइनरी
डाकघर - जवाहर नगर,
जिला वडोदरा – 391 320
गुजरात

गुवाहाटी रिफाइनरी
डाकघर - नूनमाटी,
गुवाहाटी - 781 020
असम

हल्दिया रिफाइनरी
डाकघर - हल्दिया रिफाइनरी,
जिला मिदनापुर - 721 606
पश्चिम बंगाल

मथुरा रिफाइनरी
डाकघर - मथुरा रिफाइनरी,
मथुरा - 281 005
उत्तर प्रदेश

पानीपत रिफाइनरी
डाकघर - पानीपत रिफाइनरी,
पानीपत - 132 140
हरियाणा

बोंगाईगांव रिफाइनरी
डाकघर - धालीगांव
जिला - चिरांग - 783 385
असम

पारादीप रिफाइनरी
डाकघर - झिमनी, वाया कुजंग,
जिला - जगतसिंहपुर - 754 141
ओडिशा

पाइपलाइंस प्रभाग

मुख्यालय
इंडियनऑयल भवन,
ए-1, उद्योग मार्ग,
सेक्टर-1, नोएडा - 201 301
उत्तर प्रदेश

उत्तरी क्षेत्र
डाकघर - पानीपत रिफाइनरी,
पानीपत - 132 140
हरियाणा

पूर्वी क्षेत्र
14, ली रोड,
कोलकाता - 700 020
पश्चिम बंगाल

पश्चिमी क्षेत्र
पीओ बॉक्स - 1007,
बेड़ीपारा, मोरवी रोड, गौरीदाद,
राजकोट - 360 003
गुजरात

दक्षिणी क्षेत्र
6/13, व्हीटक्राफ्ट्स रोड,
नुंगमबक्कम,
चेन्नई - 600 034
तमिलनाडु

दक्षिण पूर्वी क्षेत्र
ई/3, चौथा तल,
इन्फिनिया टावर, इन्फोसिटी एरिया, पटिया
भुवनेश्वर - 751 024
ओडिशा

विपणन प्रभाग

प्रधान कार्यालय
इंडियनऑयल भवन,
जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051
महाराष्ट्र

उत्तरी क्षेत्र
इंडियनऑयल भवन,
1, श्री अरबिंदो मार्ग,
यूसुफ सराय,
नई दिल्ली - 110 016

पूर्वी क्षेत्र
इंडियनऑयल भवन,
2, गरियाहाट रोड (दक्षिण), ढाकुरिया,
कोलकाता - 700 068
पश्चिम बंगाल

पश्चिमी क्षेत्र
इंडियनऑयल भवन
प्लॉट नं. सी-33, 'जी' ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला परिसर, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051
महाराष्ट्र

दक्षिणी क्षेत्र
इंडियनऑयल भवन,
139, नुंगमबक्कम हाई रोड,
चेन्नई - 600 034
तमिलनाडु

व्यापार समूह क्रायोजेनिक्स
ए-4, एमआईडीसी अंबाड़
नासिक - 422 010
महाराष्ट्र

व्यवसाय विकास समूह

प्रधान कार्यालय
इंडियनऑयल भवन,
1, श्री अरबिंदो मार्ग, यूसुफ सराय,
नई दिल्ली - 110 016

व्यापार समूह विस्फोटक
आईबीपी हाउस,
34ए, निर्मल चंद्र स्ट्रीट
कोलकाता - 700 013
पश्चिम बंगाल

अनुसंधान एवं विकास केंद्र
सेक्टर 13,
फरीदाबाद - 121 007
हरियाणा

वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक/लागत/सचिवीय लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक
1. के. जी. सोमानी एंड कंपनी एलएलपी, नई दिल्ली
2. खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, मुंबई
3. कोमांडूर एंड कंपनी एलएलपी, कोलकाता
4. एम. के. पी. एस. एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कोलकाता

लागत लेखा परीक्षक
1. चंद्रा वाधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली
2. बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोलकाता
3. आर. जे. गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली
4. मणि एंड कंपनी, कोलकाता
5. बलविंदर एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
6. एबीके एंड एसोसिएट्स, मुंबई
7. विवेकानंदन उन्नी एंड एसोसिएट्स, चेन्नई

चन्द्रा वाधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक है।

सचिवीय लेखा परीक्षक
ढोलकिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कंपनी सचिव, मुंबई

बैंकर/स्टॉक एक्सचेंज/पंजीयक एंव अंतरण एजेंट/डिबेंचर ट्रस्टी

बैंकर
भारतीय स्टेट बैंक
एचडीएफसी बैंक लि.

स्टॉक एक्सचेंज

बीएसई लि.
25वां तल, पीजे टावर्स,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट,
मुंबई - 400 001
महाराष्ट्र

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
एक्सचेंज प्लाजा,
5वां तल, प्लॉट सी/1, 'जी' ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला परिसर, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051
महाराष्ट्र

पंजीयक एवं अंतरण एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजीज लि.
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर बी, प्लॉट 31-32,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद - 500 032
तेलंगाना
टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001
ई-मेल एड्रेस: einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

डिबेंचर ट्रस्टी

एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.
मिस्त्री भवन, चौथा तल,
122, दिनशॉ वाचा रोड, चर्चगेट,
मुंबई - 400 020
महाराष्ट्र
वेबसाइट: www.sbicaptrustee.com

बीकन ट्रस्टीशिप लि.
5W, 5वां तल, मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग,
ई-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला परिसर (बीकेसी), बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051
महाराष्ट्र
वेबसाइट: www.beacontrustee.co.in

समूह की कंपनियां

सहायक कंपनियां

नाम	व्यवसाय
भारतीय सहायक कंपनियां	
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	पेट्रोलियम उत्पादों की रिफाइनिंग
आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लि.	वित्तीय सेवाएं
मर्केटर पेट्रोलियम लि.	तेल और गैस की अन्वेषण और उत्पादन
टेरा क्लीन लि.	कम-कार्बन, नवीन, स्वच्छ और हरित ऊर्जा व्यवसाय शुरू करना
विदेशी सहायक कंपनियां	
इंडियनऑयल (मॉरीशस) लि., मॉरीशस	टर्मिनलिंग, रिटेलिंग, एविएशन रिफ्यूलिंग और बंकरिंग
इंडऑयल ग्लोबल बी.वी. नीदरलैंड्स	कनाडा और यूएई में ई एंड पी परिसंपत्तियों की निवेश कंपनी
आईओसीएल सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर	कच्चे तेल का व्यापार, पेट्रोलियम उत्पादों का आयात/निर्यात और ई एंड पी परिसंपत्तियों की निवेश कंपनी और वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनी
आईओसी मिडिल ईस्ट, एफजेडई, यूएई	ल्यूब ब्लेंडिंग और लुब्रिकेंट तथा बेस ऑयल का विपणन
आईओसी स्वीडन एबी, स्वीडन	बेनेजुएला में ई एंड पी परियोजना की निवेश कंपनी और इजराइल में बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनी
आईओसीएल (यूएसए) इंक., यूएसए	शेल गैस परिसंपत्ति परियोजना में प्रतिभागिता
लंका आईओसी पीएलसी, श्रीलंका	रिटेलिंग, टर्मिनलिंग और बंकरिंग

संयुक्त उद्यम

नाम	व्यवसाय	साझेदार
एवी-ऑयल इंडिया प्रा. लि.	विशिष्टता वाले लुब्रिकेंट का निर्माण	नेडेन बी.वी., नीदरलैंड्स, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लि.
कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	नागापट्टिनम, तमिलनाडु में 9 एमएम टीपीए रिफाइनरी की स्थापना	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. एक्सिस बैंक लि. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.. आईसीआईसीआई बैंक लि. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
दिल्ली एविएशन फ्यूल फेसिलिटी प्रा. लि.	दिल्ली हवाईअड्डे पर विमानन ईंधन की सुविधा की स्थापना और प्रचालन	दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
जीएच4इंडिया प्राइवेट लि.	ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परिसंपत्तियों और संबद्ध नवीकरणीय परिसंपत्तियों का विकास	लार्सन एंड टुब्रो लि. रिन्यू पावर प्राइवेट लि.
ग्रीन गैस लि.	शहरी गैस वितरण	गेल (इंडिया) लि.
जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लि.	प्राकृतिक गैस पाइपलाइंस की स्थापना	गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लि. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लि.	प्राकृतिक गैस पाइपलाइंस की स्थापना	गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लि. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि.	सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी में उर्वरक संयंत्र स्थापना करना और प्रचालित करना	कोल इंडिया लि. एनटीपीसी लि. फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि.
आईएचबी लि.	कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (उ.प्र.) तक एलपीजी पाइपलाइंस बिछाना, निर्मित करना, प्रचालन या विस्तारण करना	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लि.	जैविक कचरे को सीबीजी में परिवर्तित करने के लिए एडवांस बायोगैस टेक्नोलॉजी को एकीकृत करना	जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लि.
इंडियनऑयल अडानी वेंचर्स लि. (पूर्व नाम - इंडियनऑयल टैंकिंग लि.)	टर्मिनलिंग, ईपीसी सेवाओं और कंप्रैस्ड बायो-गैस का उत्पादन	अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लि.
इंडियनऑयल अडानी गैस प्राइवेट लि.	शहरी गैस वितरण	अडानी टोटल गैस लि.
इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लि.	एलपीजी की टर्मिनलिंग सेवाएं और समानांतर विपणन	पेट्रोनास, मलेशिया.
इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लि.	एन्नोर में एलएनजी टर्मिनल	मैक्सिमस इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रा. लि. आईसीआईसीआई बैंक लि. तमिलनाडु औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन लि.
इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि.	नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं का विकास	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लि.
इंडियनऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लि.	विमानन ईंधन सुविधा परियोजनाएं और इनटू-प्लेन सेवाएं	स्काईटैंकिंग जीएमबीएच, जर्मनी
इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लि.	पानीपत में स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर का निर्माण	त्रिमूर्ति होल्डिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स
इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लि. (15.07.2024 को निगमित)	भारत में छोटे प्रारूप वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी सेवा का व्यवसाय जारी रखना	सन मोबिलिटी प्राइवेट लि. (अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के जरिए)
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लि.	पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक गैस पाइपलाइंस की स्थापना	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. गेल (इंडिया) लि. ऑयल इंडिया लि.
इंडियनऑयल टोटल प्रा. लि.	बिटुमन व्यवसाय शुरू करना और संचालित करना, एलपीजी सुविधाओं के अनुरूप एलपीजी व्यवसाय करना	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. टोटल मार्केटिंग एंड सर्विसेज एस ए, फ्रांस
आईओसी फिनर्जी प्रा. लि.	भारत में AI-एयर बैटरी प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण	फिनर्जी, इजराइल
कोच्चि सेलम पाइपलाइंस प्रा. लि.	कोच्चि से सेलम तक एलपीजी परिवहन के लिए पाइपलाइंस बिछाना	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
लुब्रिजोल इंडिया प्रा. लि.	ल्यूब एडिटिव का निर्माण	लुब्रिज़ोल कॉर्प., यूएसए
मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्रा. लि.	मुंबई हवाईअड्डे पर सामान्य प्रयोक्ता एकीकृत विमानन ईंधन अवसंरचना की स्थापना	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि.
एनपीसीआईएल - इंडियनऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लि.	परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
पारादीप प्लास्टिक पार्क लि.	पारादीप, ओडिशा में प्लास्टिक पार्क परियोजना का विकास और कार्यान्वयन	ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
पेट्रोनेट एलएनजी लि.	एलएनजी आयात / वितरण और पुनर्गैसीकरण	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. गेल (इंडिया) लि.
पेट्रोनेट वीके लि.	वाडिनार से कांडला तक पीओएल उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइंस का निर्माण और प्रचालन	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. नायरा एनर्जी लि. गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय स्टेट बैंक केनरा बैंक
रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	महाराष्ट्र में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
सनटेरा नाइजीरिया 205 लि.	तेल अन्वेषण संबंधी कार्य	ऑयल इंडिया लि., सनटेरा रिसोर्सेज लि., साइप्रस

निष्पादन – एक नजर में

विवरण	(US$ मिलियन)		(₹ करोड़ में)				
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
वित्तीय							
प्रचालनों से राजस्व	99954	104631	845513	866345	934953	728445	514890
असाधारण मदों, वित्त लागत, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (एबिटा) से पहले का लाभ	4500	8959	38060	74182	28487	47568	42614
असाधारण मदों, वित्त लागत, कर से पहले लाभ (एबिट)	2693	7207	22776	59672	16628	36562	32810
असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ	1660	6322	14044	52344	9698	31733	29716
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	1878	6322	15882	52344	9698	31733	29716
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	1532	4785	12962	39619	8242	24184	21836
अन्य व्यापक आय (निवल कर)	(161)	1613	(1359)	13356	(1464)	6260	4584
कुल व्यापक आय	1372	6398	11602	52975	6778	30444	26420
केंद्र और राज्य के राजकोष में अंशदान	27462	29182	232299	241629	240185	264436	238786
संचयी लाभांश (जारी शेयर पूंजी पर)			111293	107162	90636	86505	74937
उत्पादित मूल्य	11809	15950	99893	132068	87472	99105	88202
वितरित मूल्य							
प्रचालन लागत	5799	5601	49057	46377	49864	40223	34534
सामुदायिक निवेश – सीएसआर	69	55	583	458	264	298	460
कर्मचारी को लाभ	1225	1338	10363	11080	8770	10992	10712
पूंजी प्रदाता							
– वित्तीय लागत	1032	885	8732	7328	6930	4829	3094
– लाभांश	1140	1331	9640	11017	3305	9640	9640
आयकर	167	1403	1410	11615	443	6913	6761
प्रतिधारित अर्जन	2377	5337	20108	44193	17896	26210	23001
निगम के स्वामित्व में क्या है							
निवल अचल परिसंपत्तियां	21742	21685	185851	180867	165485	146889	143400
पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)	8916	7081	76214	59066	48991	44446	33052
निवेश	8296	8523	70917	71088	57519	57787	48619
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	1101	942	9409	7860	6472	6912	5437
अन्य चालू परिसंपत्तियां	15834	16372	135353	136561	139587	129557	101117
कुल	55889	**54603**	477744	**455442**	**418054**	**385591**	**331625**
निगम किसके लिए देनदार है							
इक्विटी							
– शेयर पूंजी	1611	1651	13772	13772	13772	9181	9181
– अन्य इक्विटी	19292	19535	164905	162943	120986	122105	101319
कुल	20903	**21186**	178677	**176715**	**134758**	**131286**	**110500**
उधारी	15730	13967	134466	116496	132495	110798	94413
कर देयता (निवल)	1871	1888	15996	15745	12766	11491	11334
अन्य गैर चालू देयताएं	1436	1406	12274	11728	11433	10838	10809
अन्य चालू देयताएं	15949	16156	136331	134758	126602	121178	104569
कुल	55889	**54603**	477744	**455442**	**418054**	**385591**	**331625**
निवल मूल्य (कंपनी अधिनियम के अनुसार)	17649	17680	150863	147473	118906	114031	100064
बाजार पूंजीकरण	21096	28400	180328	236884	110004	111981	86469
उद्यम मूल्य	36796	42311	314530	352915	242136	222070	180568

विवरण	(US$ मिलियन)		(₹ करोड़ में)				
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
प्रमुख वित्तीय सूचक							
रिपोर्ट किया गया जीआरएम ($/bbl में)			4.80		19.52	11.25	
सामान्यीकृत जीआरएम ($/bbl में)			4.53		20.14	7.61	
सिंगापुर जीआरएम ($/bbl में)#			3.80		10.77	4.99	
प्रति शेयर अर्जन* ($/₹ में)	0.11	0.35	9.41		5.98	17.56	
प्रति शेयर नगद अर्जन* ($/₹ में)	0.24	0.47	20.51		14.60	25.55	
प्रति शेयर बुक वैल्यू* ($/₹ में)	1.52	1.54	129.74		97.85	95.33	
प्रति शेयर बाजार मूल्य (एनएसई) (₹ में)			127.70		77.90	118.95	
मूल्य अर्जन अनुपात			13.57		13.02	6.77	
लाभांश भुगतान अनुपात			32%		50%	48%	
प्रतिधारण अनुपात			68%		50%	52%	
ऋण इक्विटी अनुपात							
– कुल ऋण से इक्विटी (गुणा)			0.75		0.98	0.84	
– दीर्घकालिक ऋण से इक्विटी (गुणा)			0.29		0.43	0.39	
चालू अनुपात (गुणा)			0.67		0.74	0.75	
औसत निवल मूल्य पर प्राप्ति (%)			8.69		7.08	22.59	
औसत नियोजित पूंजी पर प्राप्ति (%)			7.10		6.19	15.44	
कुल परिसंपत्तियों के टर्नओवर का अनुपात (गुणा)			1.81		2.33	2.03	
व्यापार प्राप्तियों के टर्नओवर का अनुपात (गुणा)			54.99		54.43	45.95	
वस्तुसूची टर्नओवर अनुपात (गुणा)			7.71		8.48	7.98	
ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (गुणा)			4.02		3.39	8.25	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुणा)			1.07		1.30	5.10	
एबिटा मार्जिन (%)			4.50		3.05	6.53	
प्रचालनीय लाभ मार्जिन (%)			2.11		1.11	4.42	
निवल लाभ मार्जिन (%)			1.53		0.88	3.32	

नोट: प्रयुक्त मुद्रा-विनिमय दर:-

2024-25 के लिए, यथा 31.03.2025 को औसत दर 1 US$ = ₹ 84.59 और अंतिम दर 1 US$ = ₹ 85.48

2023-24 के लिए, यथा 31.03.2024 को औसत दर 1 US$ = ₹ 82.80 और अंतिम दर 1 US$ = ₹ 83.41

*US$ और ₹ के पूर्ण अंकों को बोनस शेयरों में समायोजित किया गया (1:2 जून 2022 में जारी)

स्रोत रॉयटर्स

1	प्रचालनों से राजस्व	बिक्री (निवल बट्टा) + सेवाओं की बिक्री + अन्य प्रचालनीय राजस्व + एसएससी के निवल दावे / (अभ्यर्पण) + केंद्र / राज्य सरकार से सब्सिडी + सरकार से अनुदान
2	वर्धित मूल्य	कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास एवं परिशोधन + कर्मचारी अनुलाभ व्यय
3	निवेश	गैर-चालू निवेश + चालू निवेश
4	अन्य चालू परिसंपत्तियां	चालू परिसंपत्तियां – चालू निवेश – चालू कर परिसंपत्तियां
5	उधार (कुल ऋण)	अल्पकालिक उधार + दीर्घकालिक उधार
6	कर देयता (निवल)	आस्थगित कर देयताएं + चालू कर देयताएं + आयकर देयताएं – (चालू कर परिसंपत्ति + आय कर परिसंपत्ति)
7	अन्य चालू देयताएं	चालू देयताएं – अल्पकालिक उधार – चालू कर देयताएं
8	उद्यम मूल्य	बाजार का पूंजीकरण + उधार – नगद और नगद समतुल्य
9	इक्विटी	इक्विटी शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी
10	नियोजित पूंजी	इक्विटी + उधार + आस्थगित कर देयता
11	प्रति शेयर अर्जन	कर पश्चात लाभ / इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या
12	प्रति शेयर नकद अर्जन	(कर पश्चात लाभ + मूल्यह्रास) / इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या
13	प्रति इक्विटी शेयर बुक वैल्यू	इक्विटी / इक्विटी शेयरों की संख्या
14	मूल्य अर्जन अनुपात	प्रति शेयर बाजार मूल्य/प्रति शेयर अर्जन

15	लाभांश भुगतान अनुपात	कुल लाभांश (अंतिम लाभांश सहित) / कर पश्चात लाभ
16	प्रतिधारण अनुपात	(कर पश्चात लाभ - कुल लाभांश - कुल लाभांश वितरण कर) / कर पश्चात लाभ
17	कुल ऋण से इक्विटी	उधार / इक्विटी
18	दीर्घकालिक ऋण से इक्विटी	दीर्घकालिक उधार / इक्विटी
19	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियां, चालू देयताएं
20	औसत निवल मूल्य पर प्राप्ति	कर पश्चात लाभ / औसत निवल मूल्य (कंपनी अधिनियम के अनुसार)
21	औसत नियोजित पूंजी पर प्राप्ति	एबिट / औसत नियोजित पूंजी
22	कुल परिसंपत्तियां टर्नओवर अनुपात	कुल आय / औसत कुल परिसंपत्ति
23	व्यापार प्राप्तियों के टर्नओवर का अनुपात	बिक्री (निवल बट्टा) / औसत व्यापार प्राप्य
24	वस्तुसूची टर्नओवर अनुपात	बिक्री (निवल बट्टा) / औसत वस्तुसूची
25	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	(कर पूर्व लाभ + पी एंड एल में वित्त लागत + मूल्यह्रास) / [वित्त लागत (पी एंड एल + पूंजीकृत)]
26	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(कर पश्चात लाभ + पी एंड एल में वित्त लागत + मूल्यह्रास) / [वित्त लागत (पी एंड एल + पूंजीकृत) + पट्टा और मूलधन की चुकौती (दीर्घकालीन)]
27	एबिटा मार्जिन	एबिटा / प्रचालनीय राजस्व
28	प्रचालनीय लाभ मार्जिन	(असाधारण मद और कर पूर्व लाभ + वित्त लागत - अन्य गैर प्रचालनीय आय) / (प्रचालन से राजस्व)
29	निवल लाभ मार्जिन	कर पश्चात लाभ / प्रचालनीय राजस्व

II प्रचालन

मिलियन मीट्रिक टन

प्रचालनीय निष्पादन	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
उत्पादों की बिक्री					
घरेलू					
- पेट्रोलियम उत्पाद	84.963	83.297	83.966	73.743	69.353
- गैस	6.938	5.714	4.145	3.592	3.279
- पेट्रोकैमिकल्स	3.155	2.980	2.202	2.871	2.675
- विस्फोटक पदार्थ	0.319	0.320	0.342	0.287	0.266
कुल घरेलू	95.375	**92.311**	**90.655**	**80.493**	**75.573**
निर्यात	4.917	5.240	5.059	5.914	5.454
कुल	100.292	**97.551**	**95.714**	**86.407**	**81.027**
रिफाइनरी थ्रूपुट	71.564	73.308	72.408	67.665	62.351
पाइपलाइंस थ्रूपुट	100.477	98.626	97.382	85.520	76.019

III जनशक्ति संख्या

	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या	29941	30321	31095	31254	31648

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।

IndianOil

इंडियनऑयल

हर पल, हर कदम
जीवन और विकास के संग

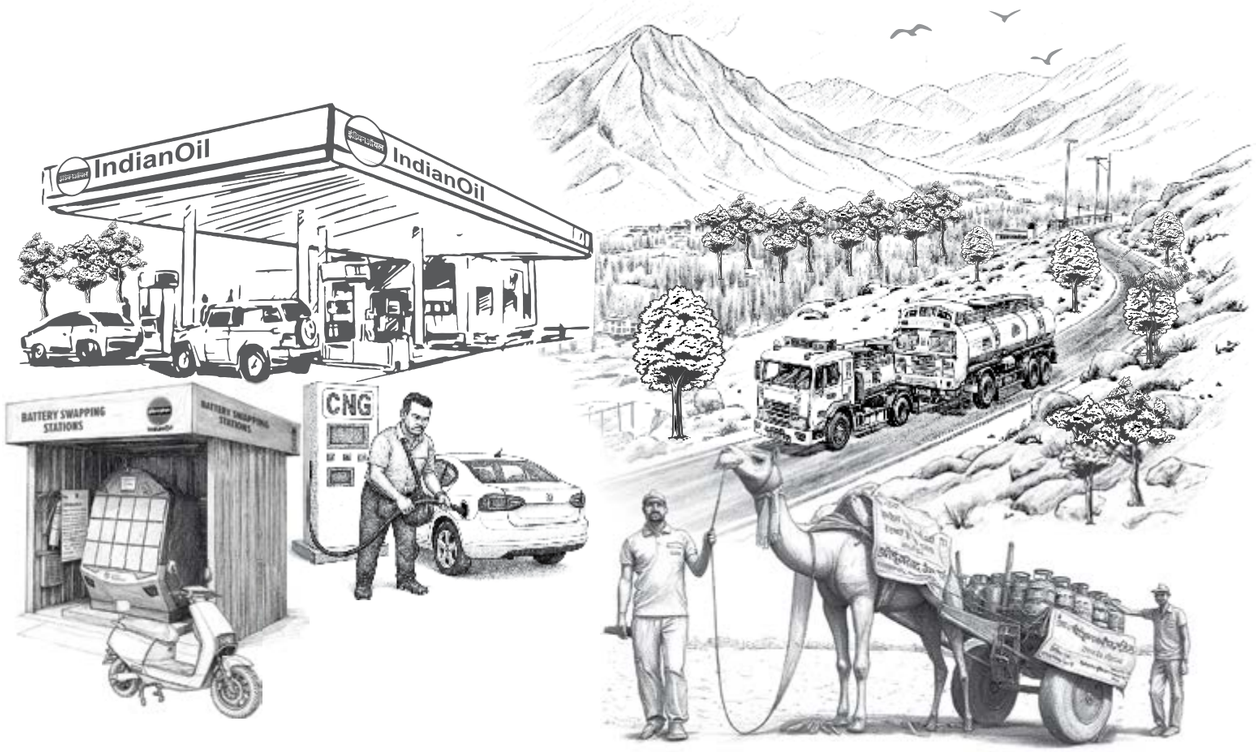

- पूरे देश में इंडियनऑयल के 63,000 से ज़्यादा ग्राहक सेवा केंद्र हैं।
- सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक – 15 करोड़ रसोई घर इंडेन गैस से चलते हैं।
- 'सर्वो' भारत का सबसे पसंदीदा लुब्रिकेंट है, जिस पर 45 देशों के लोग भरोसा करते हैं।
- 130 विमानन ईंधन स्टेशनों के साथ भारत में हवाई उड़ानों को ऊर्जा देने में इंडियनऑयल सबसे आगे है।
- Grease Miracle, STORM-X जैसे नवीन उत्पादों से व्यापारिक गतिवर्धन से इंडियनऑयल इस क्षेत्र को नई दिशा देता है।

www.iocl.com @IndianOilCorpLimited @indianOilcl @indianoilcorp @IndianOilCorporationLimited @indian-oil-corp-limited

हर रिफिल देखभाल, गुणवत्ता और प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित - एमएम नगर कोको, चेन्नई

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 66वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। पूरे वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने मज़बूत परिचालन लचीलापन दिखाया और पाइपलाइन थ्रूपुट और बिक्री मात्रा सहित प्रमुख मानकों पर अपने भौतिक प्रदर्शन में सुधार किया। हालाँकि, वर्ष 2023-24 के असाधारण परिणामों की तुलना में वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण वैश्विक कच्चे तेल की गतिशीलता में बदलाव, उत्पाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मार्जिन पर दबाव था। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, कंपनी ऊर्जा सुरक्षा, ग्राहक सेवा और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्ध रही, जिससे भारत की अग्रणी ऊर्जा कंपनी के रूप में उसकी स्थिति मज़बूत हुई।

कंपनी ने रिफाइनरी विस्तार, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइन अवसंरचना और जैव ईंधन तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास सहित हरित ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश के साथ अपनी विकास रणनीति को जारी रखा। ये प्रयास सभी हितधारकों को मूल्य प्रदान करते हुए भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा प्रणाली बनाने के प्रति इसके समर्पण पर जोर देते हैं।

परिचालन उत्कृष्टता और भविष्य की तत्परता की ओर यात्रा को और तेज करने के लिए, कंपनी ने कंपनी-व्यापी परिवर्तनकारी पहल – स्प्रिंट (मूल व्यवसाय सशक्तिकरण, लागत अनुकूलन, ग्राहक सेवा मज़बूतीकरण, टेक्नोलॉजी व नवाचार एकीकरण, नेतृत्व व प्रतिभा पोषण और परिवर्तन तत्परता, परिवर्तन के लिए तैयार होना) शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य गहन संरचनात्मक दक्षताओं को बढ़ावा देना, डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, नए राजस्व स्रोतों को खोलना और पूरे संगठन में शीघ्रता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी और नवाचार मूल्य सृजन पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, स्प्रिंट का उद्देश्य कंपनी को अधिक सुव्यवस्थित, स्मार्ट और अधिक प्रतिस्पर्धी उद्यम के रूप में ढालना है, जो बदलते ऊर्जा परिदृश्य में बेहतर ढंग से काम करने के लिए सुसज्जित हो। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करते हुए, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर तथा अपने कार्यबल को सशक्त बनाकर, आपकी कंपनी स्वयं को अगली पीढ़ी के ऊर्जा अग्रणी के रूप में स्थापित कर रही है जो सतत और समावेशी विकास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निष्पादन समीक्षा

वित्तीय

वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए संक्षिप्त स्टैंडअलोन निष्पादन और विनियोजन नीचे दिए गए हैं:

विवरण	2024-25		2023-24	
	यूएस डॉलर मिलियन	रु.करोड़	यूएस डॉलर मिलियन	रु.करोड़
परिचालनों से राजस्व (उत्पाद शुल्क और सेवाओं की बिक्री सहित)	99,954	8,45,513	**1,04,631**	**8,66,345**
ईबीआईटीडीए (असाधारण वस्तुओं से पूर्व की आय, वित्त लागत, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन)	4,500	38,060	8,959	74,182
वित्तीय लागत		8,732	885	7,328
मूल्यह्रास और परिशोधन	1,807	15,284	1,752	14,510
असाधारण आय/(व्यय)	217	1,838	-	-
कर पूर्व लाभ	1,878	15,882	**6,322**	**52,344**
कर प्रावधान	346	2,920	1,537	12,725
कर पश्चात लाभ	1,532	12,962	**4,785**	**39,619**
पिछले वर्ष से जारी शेष राशि	3,868	32,719	594	4,916
घटाएं : विनियोजन				
अंतरिम लाभांश का भुगतान	0	0	832	6,886
अंतिम लाभांश भुगतान	1,140	9,640	499	4,132
बीमा रिज़र्व (निवल)	2	14	2	14
सामान्य रिजर्व	2,728	23,079	95	785
शेष राशि अगले वर्ष में ले जाई गई	1,531	12,947	3,952	32,719

शेयर मूल्य

विवरण	2024-25		2023-24	
	यूएस डॉलर	रु.	यूएस डॉलर	रु.
प्रति शेयर नकद आय	0.24	20.51	0.47	39.30
प्रति शेयर आय	0.11	9.41	0.35	28.77
प्रति शेयर बही मूल्य	1.52	129.74	1.54	128.32

नोटः प्रयुक्त विनिमय दर

वर्ष 2024-25 के लिए: औसत दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 84.59; अंतिम दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 85.48; 31.03.2025 तक

वर्ष 2023-24 के लिए: औसत दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 82.80; अंतिम दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 83.41; 31.03.2024 तक

बृहद आर्थिक, भू-राजनीतिक, वित्तीय और उद्योग-विशिष्ट जानकारी और बाजार जिसमें कंपनी संचालित होती है, इस एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण खंड में शामिल किया गया है।

प्रतिभूतियों का निर्गम/शेयर पूंजी में परिवर्तन

वर्ष के दौरान कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कंपनी ने वर्ष के दौरान निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कुल ₹ 5,000 करोड़ मूल्य के प्रतिभूति रहित, रेटेड, सूचीबद्ध, कर योग्य, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी किए। इन एनसीडी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के ऋण खंड में सूचीबद्ध किया गया था। धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए उसे जुटाया गया था, तथा उसके उपयोग में कोई विचलन या भिन्नता नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 5,495 करोड़ मूल्य के एनसीडी भुनाए।

लाभांश

कंपनी के बोर्ड ने एक लाभांश वितरण नीति स्थापित की है, और घोषित या अनुशंसित लाभांश इस नीति के अनुरूप हैं। यह नीति कंपनी की वेबसाइट: https://www.iocl.com/Download/Dividend-Distribution-Policy.pdf पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए ₹ 3/- प्रति शेयर लाभांश की सिफारिश की है, जिसका भुगतान ₹ 4,131.47 करोड़ होगा, जो कि पीएटी के 32% के बराबर है। यह लगातार 58वां वर्ष है जब आपकी कंपनी ने वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित लाभांश सहित ₹ 1,11,293 करोड़ के कुल भुगतान के साथ लाभांश की घोषणा की है।

राजकोष में योगदान

कंपनी शुल्कों, करों और लाभांशों के माध्यम से सरकारी खजाने में सबसे बड़ा योगदान देने वाली कंपनियों में से एक रही है। वर्ष के दौरान, सरकारी खजाने में ₹ 2,32,299 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि पिछले वर्ष ₹ 2,41,629 करोड़ का भुगतान किया गया था। केन्द्रीय राजकोष को ₹ 1,10,313 करोड़ तथा राज्य राजकोष को ₹ 1,21,986 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि पिछले वर्ष क्रमशः ₹ 1,21,171 करोड़ तथा 1,20,458 करोड़ का भुगतान किया गया था।

समेकित वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार, कंपनी ने समूह के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया है, जिसमें सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम इकाइयां और सहयोगी शामिल हैं, जो एकीकृत रिपोर्ट का हिस्सा है। समेकित वित्तीय परिणामों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

विवरण	2024-25		2023-24	
	यूएस डॉलर मिलियन	रु.करोड़	यूएस डॉलर मिलियन	रु.करोड़
परिचालनों से राजस्व (उत्पाद शुल्क और सेवाओं की बिक्री सहित)	**1,01,592**	**8,59,363**	**1,06,429**	**8,81,235**
कर पूर्व लाभ	1,800	15,225	6,919	57,288
कर पश्चात लाभ	1,630	13,789	5,213	43,161
घटाएं: अल्पसंख्यकों का हिस्सा	23	191	173	1,431
मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए लाभ	1,607	13,598	5,040	41,730

नोटः प्रयुक्त विनिमय दर
वर्ष 2024-25 के लिए: औसत दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 84.59
वर्ष 2023-24 के लिए: औसत दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 82.80

परिचालन निष्पादन

वर्ष के दौरान कंपनी का परिचालन निष्पादन निम्नानुसार है:

(एमएमटी में)

विवरण	2024-25	2023-24
रिफाइनरियों का थ्रूपुट	71.564	73.308
पाइपलाइन थ्रूपुट (तरल और गैस पाइपलाइन)	100.477	98.626
उत्पाद बिक्री (गैस, पेट्रोकेमिकल्स और निर्यात सहित)	100.292	97.551

इंडियनऑयल पारादीप रिफाइनरी का अवलोकन

रिफाइनरियां

रिफाइनरी प्रभाग ने निरंतर समर्पण, उल्लेखनीय लचीलेपन और उत्कृष्टता के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ बाजार परिवर्तन और स्थिरता पर बढ़ते ध्यान से आकार लेने वाले गतिशील ऊर्जा परिदृश्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा चुनौतियों से भरे वर्ष को महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरे वर्ष में बदल दिया। रिफाइनरियों ने डिजाइन क्षमता के 102% की क्षमता उपयोग के साथ वर्ष भर में 71.56 एमएमटी कच्चे तेल का प्रोसेस किया। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित समूह की रिफ़ाइनरियों ने वर्ष के दौरान 82.02 एमएमटी का उत्पादन प्राप्त किया।

वर्ष 2018-19 में 80.4 प्रतिशत के पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन से अधिक 80.6 प्रतिशत की रिकॉर्ड डिस्टिलेट यील्ड हासिल की गई और पिछले पांच वर्षों में 8.8 प्रतिशत की दर से ईंधन एवं हानि सबसे कम रही। रिफ़ाइनरियों ने वर्ष 2024-25 के दौरान 98.1% की परिचालन उपलब्धता हासिल की, जबकि पिछले वर्ष यह 97.3% थी। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में, रिफाइनरियों ने वर्ष के दौरान 68.9 का एमबीएन और 96.4 का ऊर्जा तीव्रता सूचकांक (ईआईआई) प्राप्त किया।

विविधीकरण द्वारा क्रूड ऑयल बास्केट को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और वर्ष के दौरान विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से 15 नए कच्चे तेल ग्रेड जोड़े गए। आपकी कंपनी के कच्चे तेल के क्षेत्र में अब अफ्रीका, मध्य पूर्व, अमेरिका, रूस आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से 268 ग्रेड शामिल हैं।

पेट्रोकेमिकल इकाइयों ने 2023-24 में 3.09 एमएमटी के पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन की तुलना में 3.23 एमएमटी के अब तक के उच्चतम उत्पादन के साथ नए मानक स्थापित किए हैं, जो ब्यूटाडाइन (121 टीएमटी), एचडीपीई (339 टीएमटी) और पॉलीप्रोपाइलीन (692 टीएमटी) का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया।

पाइपलाइन

पाइपलाइनें आपकी कंपनी के परिचालन और रणनीतिक ढाँचे का मूल आधार बनी हुई हैं। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को कवर करने वाले एक विस्तृत और लचीले राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ, ये भूमिगत ऊर्जा मार्ग कंपनी की शांत लेकिन महत्वपूर्ण धमनियों के रूप में कार्य करते हैं, जो इसके विकास को समर्थन देने के लिए ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

वर्ष 2024-25 में आपकी कंपनी ने अपने पहले से ही व्यापक नेटवर्क में अतिरिक्त 261 किलोमीटर के साथ पाइपलाइन अवसंरचना का विस्तार करके एक नई उपलब्धि हासिल की है। 31 मार्च, 2025 तक पाइपलाइन की कुल लंबाई 20,005 किलोमीटर थी, जिसमें तरल पाइपलाइन (कच्चा और उत्पाद) के लिए 129.92 एमएमटीपीए और गैस पाइपलाइन के लिए 49.4 एमएमएससीएमडी की क्षमता शामिल थी।

वर्ष के दौरान, तरल (कच्चा और उत्पाद) पाइपलाइन नेटवर्क ने वर्ष 2023-24 में हासिल 95.80 एमएमटी के पिछले उच्च स्तर को पार करते हुए 96.92 एमएमटी का सबसे अधिक प्रवाह हासिल किया। यह उपलब्धि पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर मांग से प्रेरित है। जहाँ कच्चे तेल की पाइपलाइनों ने पिछले वर्ष की तुलना में 51.26 एमएमटी का थोड़ा कम प्रवाह दर्ज किया, वहीं उत्पाद पाइपलाइनों ने 45.66 एमएमटी का रिकॉर्ड-उच्च प्रवाह दर्ज किया, जो वर्ष 2023-24 में प्राप्त 43.99 एमएमटी के पिछले शिखर से भी अधिक है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क ने भी प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो रिकॉर्ड 4,668 एमएमएससीएम तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष के 3,717 एमएमएससीएम के उच्चतम स्तर से 25.6% अधिक है।

रिफ़ाइनरी के हृदय से राष्ट्र की आत्मा तक – इंडियनऑयल पाइपलाइनें ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखती हैं

विपणन

आपकी कंपनी की सबसे स्पष्ट और ग्राहक-केंद्रित शाखा के रूप में, इंडियन ऑयल का विपणन प्रभाग इंडियन ऑयल के चेहरे के रूप में कार्य करता है, जो इसके ब्रांड वादे, अटूट विश्वास और सेवा उत्कृष्टता को मूर्त रूप देता है। देश भर में 63,000 से ज़्यादा ग्राहक संपर्क बिंदुओं के मज़बूत नेटवर्क के साथ, विपणन प्रभाग सबसे दूरदराज और चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी पेट्रोलियम उत्पादों की अंतिम छोर तक सुचारू डिलीवरी की गारंटी देता है। यह प्रभावशाली पहुंच न केवल लाखों लोगों के दैनिक जीवन का समर्थन करती है, बल्कि 'भारत की ऊर्जा' के रूप में इंडियन ऑयल की स्थिति को भी सुदृढ़ करती है।

वर्ष 2024-25 में, आपकी कंपनी ने 41.52% की कुल बाजार हिस्सेदारी के साथ डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र में बाजार में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी और 84.96 मिलियन मीट्रिक टन (एलएनजी को छोड़कर) की घरेलू बिक्री की मात्रा हासिल की, जो कंपनी के इतिहास में सबसे अधिक है। कंपनी की लचीलापन सक्रिय विपणन रणनीतियों, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डिजिटल समाधानों के एकीकरण और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा समर्थित था। ग्राहक भागीदारी में निरंतर नवाचार, सेवा पेशकशों के विविधीकरण और 'राष्ट्र-प्रथम' के अपने मूल मूल्य के प्रति दृढ़ अनुपालन के माध्यम से आपकी कंपनी ने, न केवल अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा है, बल्कि देश भर के ग्राहकों के साथ अपने संबंध को भी मजबूत किया है।

पूरे वर्ष, आपकी कंपनी ने 2,823 खुदरा आउटलेट (आरओ), 350 सीएनजी स्टेशन और 40 सीबीजी स्टेशनों को चालू किया है, जो 31 मार्च, 2025 तक 40,221 आरओ, 2,437 सीएनजी स्टेशन और 125 सीबीजी स्टेशनों के मजबूत बुनियादी ढांचे के नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 72 निविदाएं प्राप्त करने और 28 डब्ल्यूएसए साइटों को चालू करने के साथ वे साइड सुविधाओं (डब्ल्यूएसए) को विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिससे चालू साइटों की कुल संख्या 68 हो गई।

स्थायी ऊर्जा समाधानों की दिशा में अपने रणनीतिक जोर के अनुरूप, आपकी कंपनी ने अपने खुदरा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाना जारी रखा। वर्ष के दौरान, 4,227 आरओ का सौरकरण किया गया, जिससे संचयी संख्या 35,874 हो गई, जो कुल खुदरा नेटवर्क का 89.2 प्रतिशत प्रभावी रहा। 175 मेगावाट से अधिक की संयुक्त स्थापित क्षमता के साथ, ये सौर ऊर्जा संचालित आउटलेट कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण रूप से मदद करते हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में हरित ऊर्जा के उपयोग में कंपनी की अग्रणी स्थिति और मज़बूत होती है। कंपनी के निवल-शून्य लक्ष्य के साथ-साथ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम में भी मज़बूत वृद्धि देखी गई। वर्ष के दौरान, 4,526 तीव्र इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) और 130 धीमे ईवीसीएस स्थापित किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 13,614 हो गई। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान 37 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन जोड़े, जिससे कुल नेटवर्क बढ़कर 128 हो गया। ये प्रयास कम कार्बन उत्सर्जन वाले गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देने और भविष्य के लिए तैयार, सस्टेनेबल ऊर्जा अवसंरचना के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

स्वच्छ, सटीक कटाई के लिए स्मार्ट ईंधन - इंडेन नैनोकट

एलपीजी व्यवसाय ने कुल 15.40 एमएमटी (निर्यात सहित) की बिक्री हासिल की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.60% की वृद्धि दर्शाती है, और घरेलू बाजार में हिस्सेदारी 45.23% रही। पीएमयूवाई योजना के तहत, आपकी कंपनी ने 37.5 लाख कनेक्शन जारी किए। इस वर्ष 594 टीएमटी की रिकॉर्ड तोड़ थोक एलपीजी बिक्री, 462 टीएमटी की अब तक की सर्वाधिक एक्स्ट्रातेज (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए एक विशेष एलपीजी) बिक्री, 33.3 टीएमटी की रिकॉर्ड छोटू (एक छोटा 5 किलोग्राम गैस सिलेंडर) बिक्री, तथा 6.8 टीएमटी की सर्वाधिक नैनोकट बिक्री भी हुई। उत्पाद लाइनअप का विस्तार करते हुए, एक्स्ट्राबूस्ट (ऑटोगैस का एक नए युग का ऑटोमोटिव संस्करण जो इंजन के प्रदर्शन को बढ़ाता है), प्रोपेन प्लस (बेस प्रोपेन की तुलना में उच्च लौ तापमान प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप ईंधन की खपत कम होती है, स्वच्छ दहन होता है, और गर्मी उत्पादन में वृद्धि होती है), और छोटू मास्टर (कुकटॉप के साथ संयुक्त एक छोटू सिलेंडर) वर्ष के दौरान लॉन्च किए गए।

एलपीजी सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए, देश भर में 'सेंस ऑफ ड्यूटी' नामक एक अभियान शुरू किया गया। 25,656 सुरक्षा क्लीनिक और एलपीजी पंचायतों ने 7 लाख से अधिक ग्राहकों तक पहुंच बनाई, 4,475 स्कूल सुरक्षा क्लीनिकों में 3.6 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए, और 380 पाककला प्रतियोगिताओं में 40,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जन जागरूकता के लिए 3,175 सिनेमाघरों में एलपीजी सुरक्षा वीडियो दिखाए गए, 121 रेडियो चैनलों पर जिंगल्स प्रसारित किए गए, 55 चैनलों पर टीवी विज्ञापन दिखाए गए और खुदरा दुकानों तथा एलपीजी वितरकों पर 39,000 होर्डिंग/बैनर प्रदर्शित किए गए। सुरक्षा के प्रति केंद्रित दृष्टिकोण के कारण, ग्राहक परिसरों में घरेलू एलपीजी दुर्घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान 73% की कमी आई।

भारत का इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए और कार्बन उत्सर्जन में कटौती कर पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इथेनॉल मिश्रित मोटर स्पिरिट (ईबीएमएस) कार्यक्रम के अंतर्गत, आपकी कंपनी ने वर्ष 2024-25 के दौरान 17.2% और नवंबर 2024 से मई 2025 तक इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) के आधार पर 19.1% के रिकॉर्ड इथेनॉल मिश्रण स्तर को प्राप्त किया। इसके अलावा, कंपनी ने दिसंबर 2024 से देश भर में 20% इथेनॉल-मिश्रित मोटर स्पिरिट (ई20) की बिक्री शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी 0.52% के अपने उच्चतम बायोडीज़ल मिश्रण स्तर तक पहुँच गई है, जिससे स्वच्छ और हरित ईंधन विकल्पों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।

आपकी कंपनी ने विमानन ईंधन बाजार में अपना नेतृत्व बनाए रखा, जिसमें वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में 54.53% हिस्सेदारी रही और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के 5.07 एमएमटी (निर्यात सहित) की कुल बिक्री दर्ज की गई। यह प्रदर्शन भारत में विमानन क्षेत्र के लिए अग्रणी ईंधन आपूर्तिकर्ता के रूप में कंपनी की रणनीतिक स्थिति की पुष्टि करता है, जो बढ़ते यात्री यातायात और क्षेत्रीय संपर्क के विस्तार के बीच मजबूत दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार है। इस अपेक्षित वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, मार्च 2025 में, आपकी कंपनी ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक और मध्य प्रदेश के रीवा में एक विमानन ईंधन स्टेशन (एएफएस) चालू किया, जिससे कुल संख्या 130 हो गई। इसके अलावा, सभी एएफएसएस मौजूदा आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 प्रमाणन के माध्यम से गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हैं।

अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, आपकी कंपनी ने पर्टामिना (इंडोनेशिया) और पद्मा ऑयल (बांग्लादेश) को एवीजीएएस 100 एलएल के निर्यात के माध्यम से अपने वैश्विक विमानन उपस्थिति का विस्तार किया, जिससे इसकी वैश्विक पहुंच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अपने 'राष्ट्र-प्रथम' लोकाचार को बनाए रखते हुए, आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें वायनाड भूस्खलन के दौरान समय पर सहायता और उत्तराखंड में बाढ़ राहत के लिए महत्वपूर्ण ईंधन भरने के कार्य शामिल हैं।

सर्वो - लुब्रिकेंट्स का सुपरब्रांड, भारत के अग्रणी लुब्रिकेंट्स ब्रांडों में से एक है, जिसकी तैयार लुब्रिकेंट्स बाज़ार में लगभग 27% हिस्सेदारी है। यह ऑटोमोटिव, औद्योगिक, रेलवे, समुद्री और रक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करता है। इसका वितरण नेटवर्क और विश्वसनीय ब्रांड प्रतिष्ठा व्यापक है। सर्वो ने निर्यात सहित 780 टीएमटी की अपनी अब तक की सर्वाधिक बिक्री हासिल की। आपकी कंपनी मोटरसाइकिल और कार रेसिंग के लिए क्रमशः स्टॉर्म और स्टॉर्म-एक्स के रूप में शानदार ब्रांडिंग वाले एफआईएम (फेडरेशन इंटरनेशनेल डी मोटोसाइक्लिज्म) श्रेणी 2 रेसिंग ईंधन विकसित और शुभारंभ करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बढ़ती लोकप्रियता के अनुरूप, ईवी लुब्रिकेंट्स की एक पूरी रेंज मार्च 2025 में लॉन्च की गई थी। इसमें सर्वो फ्यूचरा ईवी ट्रांस 75W 90 (ट्रांसमिशन ऑयल), सर्वो फ्यूचरा ईवी ट्रांस 75W (ट्रांसमिशन ऑयल), सर्वो फ्यूचरा ईवी ग्रीस (इलेक्ट्रिक मोटर बेयरिंग ग्रीस), और सर्वो कूल ईवी रेडी (बैटरी सिस्टम कूलिंग फ्लूइड) शामिल हैं। आपकी कंपनी ईंधन-कुशल स्नेहक विकसित करने के लिए इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के साथ भी कार्य कर रही है और टीआरईएम III/IV/V ट्रैक्टरों पर एक्सट्राग्रीन और वैकल्पिक ईंधन को मान्य किया है। वर्ष के दौरान, बजाज ऑटो, रॉयल एनफील्ड और मारुति से इंजन बिल्डर्स अप्रूवल (ईबीए) प्राप्त हुआ। सर्वो का वैश्विक विस्तार 45 देशों तक हो गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कंपनी की उपस्थिति और मजबूत हुई है।

हल्दिया रिफाइनरी और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में आगामी एलओबीएस उत्पादन क्षमता विस्तार के साथ-साथ गुजरात और पानीपत रिफाइनरियों में नई एलओबीएस उत्पादन सुविधाएं जो ग्रेड III बेस ऑयल का उत्पादन कर सकती हैं, के साथ, कंपनी 2029-30 तक सर्वो लुब्रिकेंट्स के बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने और दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य बना रही है।

31 मार्च, 2025 तक, आपकी कंपनी ने देश भर में 127 आपूर्ति स्थानों (डिपो/टर्मिनलों) का संचालन किया, तथा प्राकृतिक आपदाओं सहित चुनौतीपूर्ण समय में भी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के विपणन ढांचे को और अधिक मजबूत किया गया, जिसमें मलकापुर, तेलंगाना में नए जमीनी स्तर के पीओएल टीओपी और खोरदा, ओडिशा में एक नए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कामराजर पोर्ट, एन्नोर, तमिलनाडु में कैप्टिव जेट्टी और अमुल्लावोयल, चेन्नई, तमिलनाडु में न्यू ल्यूब कॉम्प्लेक्स का यांत्रिक समापन भी हासिल किया गया और 2025-26 में इनके चालू होने की उम्मीद है।

वर्ष 2025 के लिए ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 सूची में, आपकी कंपनी 28 स्थान आगे बढ़ी (वर्ष 2024 में 474 से वर्ष 2025 में 446 तक) और सूची में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र तेल और गैस कंपनी है, जो खुदरा, एलपीजी और स्नेहक में अपने विभिन्न ब्रांडों की मजबूत उपस्थिति को प्रदर्शित करती है।

कंपनी का क्रायोजेनिक्स समूह भारत में अग्रणी क्रायोजेनिक्स उपकरण निर्माताओं में से एक है, जिसके पास एलआईएन, लॉक्स, लार और एलएनजी अनुप्रयोगों के लिए अत्याधुनिक वैक्यूम सुपर-इंसुलेटेड क्रायोजेनिक स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट वेसल्स के डिजाइन और उत्पादन में 44 वर्षों से अधिक का अनुभव है। क्रायोकैंस व्यवसाय में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखते हुए, क्रायोजेनिक समूह ने वर्ष के दौरान 25,000 से अधिक क्रायोकैंस बेचे। वर्ष के दौरान, नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएमआरएल) से क्रायोजेनिक उपकरणों के डिज़ाइन और निर्माण का एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिससे रक्षा क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा और अगले 5 वर्षों के लिए प्रमुख व्यावसायिक संभावनाओं का द्वार खुलेगा। क्रायोजेनिक खंड में, विशेष रूप से एलएनजी और लिक्विड ऑक्सीजन के संबंध में, उच्च विकास क्षमता की आशा करते हुए, कंपनी महाराष्ट्र के डिंडोरी में एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रही है और वर्ष 2025-26 के दौरान नई सुविधा से चुनिंदा उत्पादों का विनिर्माण शुरू हो जाएगा।

अनुसंधान और विकास

सन् 1972 में फरीदाबाद में अपने अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना के बाद से आपकी कंपनी ने अपने मूल मूल्यों में निहित नवाचार की संस्कृति को लगातार बढ़ावा दिया है। अनुसंधान और विकास के प्रयास तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाते हैं जो परिचालन दक्षता में सुधार करते हैं, ऊर्जा खपत को कम करते हैं, निरंतरता को बढ़ावा देते हैं और नवोन्मेषी समाधानों के साथ उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करते हैं। नवाचार के प्रति यह स्थायी प्रतिबद्धता देश को अधिक मूल्य प्रदान करते हुए भविष्य के लिए तैयार रहने के कंपनी के दृष्टिकोण को दर्शाती है।

अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और एकीकृत ऊर्जा कंपनी में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए, आपकी कंपनी फरीदाबाद में एक दूसरा नया ऊर्जा केंद्र स्थापित कर रही है जिसमें वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा, संक्षारण अनुसंधान, नैनो प्रौद्योगिकी और कृत्रिम जीव विज्ञान के लिए अनुसंधान सुविधाएं हैं। आपकी कंपनी विभिन्न भविष्य की वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शन परियोजनाओं को भी वित्त पोषित कर रही है, प्रभागों में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को लागू कर रही है, पेट्रोकेमिकल उद्योग से संबंधित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास सुविधाओं का संचालन और विस्तार कर रही है, कैप्टिव उपयोग के लिए ड्राय-रिड्यूसिंग एजेंटों के रूप में नवाचार आंतरिक विकसित समाधानों से लैस किया गया है, और रेसिंग ईंधन और संदर्भ ईंधन जैसे विशेष और अलग-अलग उत्पादों के उत्पादन के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन पर कार्य कर रही है।

पूरे वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास और प्रमुख नवाचार पहलों पर ₹ 1,067 करोड़ खर्च किए। अनुसंधान प्रयासों के परिणामस्वरूप 73 पेटेंट दाखिल किए गए, जिससे 31 मार्च, 2025 तक दायर पेटेंटों की कुल संख्या 1809 हो गई। इसके अतिरिक्त, कंपनी को वर्ष के दौरान 129 पेटेंट प्रदान किए गए, जिससे कुल पेटेंट पोर्टफोलियो बढ़कर 1689 हो गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान, अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने उत्प्रेरक प्रौद्योगिकी, स्नेहक, पेट्रोकेमिकल्स, नैनो प्रौद्योगिकी, वैकल्पिक ऊर्जा, स्वदेशी उत्प्रेरक परिनियोजन, उन्नत ईवी स्नेहक, पाइपलाइन निरीक्षण उपकरण, कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी, नैनो-ईंधन नवाचारों आदि को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे स्थिरता और आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

वर्ष 2024-25 के दौरान रिफाइनिंग और उत्प्रेरक प्रौद्योगिकी में प्रमुख विकासों में पारादीप रिफाइनरी में पाइपलाइन संगत केरोसिन (पीसीके) के लिए 300 केटीए जमीनी स्तर की इंडडीएसके इकाई को चालू करना, बोंगाईगांव रिफाइनरी में IV-IZOMaxCat® ISOM उत्प्रेरक का शुभारंभ करना और 3820 मीट्रिक टन इन-हाउस विकसित उत्प्रेरक की आपूर्ति करना शामिल है। 169 से अधिक स्नेहक सूत्रीकरणों के शुभारंभ और 58 ओईएम अनुमोदनों के साथ, अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने ईवी स्नेहक पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए ईवी के लिए कुछ विशिष्ट उत्पाद विकसित किए हैं। आपकी कंपनी इंडमैक्स उत्प्रेरक का उत्पादन करने और उत्प्रेरक निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक निर्माता के साथ सहयोग की भी तलाश कर रही है।

पाइपलाइन अनुसंधान ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं, और अनुसंधान एवं विकास ने NDScan® iPIG आईपीआईजी उपकरण विकसित किए, जिनसे 2024-25 के दौरान 4,500 किलोमीटर से ज़्यादा पाइपलाइन निरीक्षण संभव हुआ। आंतरिक ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा, आंतरिक रूप से विकसित XtraFlo® DRA अब एक लोकप्रिय उत्पाद बन गया है। i-ZN22® पीपी उत्प्रेरक का विकास और परीक्षण पारादीप रिफाइनरी में बेहतर प्रदर्शन की पुष्टि की गई। नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, दो विकसित नैनो-योगज उत्पाद, प्रोपेन प्लस ऊ - औद्योगिक उपयोग के लिए हरित ईंधन, और XtraBoost® - ऑटोगैस का एक उन्नत वर्ज़न लॉन्च किए गए।

इंडियनऑयल के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक मजबूत प्रमाण यह है कि स्टार्टअप फंडिंग योजना के तहत 42 आशाजनक स्टार्टअप्स का चयन और इनक्यूबेशन किया गया है, जिन्होंने सामूहिक रूप से प्रभावशाली 86 बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) हासिल किए हैं।

व्यवसाय विकास

कंपनी ने अपने पारंपरिक परिचालनों से आगे बढ़कर रणनीतिक रूप से विविधीकरण किया है और पेट्रोकेमिकल्स, प्राकृतिक गैस, वैकल्पिक ऊर्जा, अन्वेषण एवं उत्पादन, तथा विस्फोटकों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप, कंपनी भारत के ऊर्जा मिश्रण में

अपना योगदान बढ़ाने और 2046 तक निवल-शून्य परिचालन उत्सर्जन तक पहुँचने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। कंपनी अपने सभी प्रभागों में केंद्रित प्रयासों के साथ, अपनी स्थिरता और विकास लक्ष्यों के प्रति समर्पित है।

पेट्रोकेमिकल व्यवसाय

अपने मुख्य हाइड्रोकार्बन पोर्टफोलियो में विविधता लाने और उसे मज़बूत बनाने की दीर्घकालिक योजना के तहत, आपकी कंपनी ने अपने पेट्रोकेमिकल्स व्यवसाय को एक उच्च-विकासशील, मूल्य-वर्धित क्षेत्र के रूप में मज़बूत करना जारी रखा है जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन क्षेत्र का पूरक है। कंपनी ने लागत दक्षता और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए अपनी रिफ़ाइनरियों के साथ एकीकरण तालमेल का उपयोग करते हुए, भारतीय पेट्रोकेमिकल्स बाज़ार में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। वर्ष के दौरान, निर्यात सहित पेट्रोकेमिकल बिक्री बढ़कर 3.24 एमएमटी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो इस क्षेत्र में कंपनी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्शाता है।

वर्ष 2024-25 में, कंपनी ने अपने उत्पाद लाइनअप का विस्तार दो नए विशिष्ट पॉलिमर ग्रेड के साथ किया, जिनमें पतली दीवार वाली पैकेजिंग के लिए पीपी होमोपॉलीमर और ऑटोमोटिव एवं सामान उपयोग के लिए पीपी इम्पैक्ट कोपॉलीमर शामिल हैं। बड़े ब्लो मोल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए एचडीपीई ग्रेड को उन्नत ग्रेड विशेषताओं के साथ पुनः प्रस्तुत किया गया, जो आयात प्रतिस्थापन का समर्थन करता है। कंपनी ने क्रॉम्पटन, पीएंडजी और पैनासोनिक सहित प्रमुख कंपनियों से 16 ओईएम अनुमोदन प्राप्त किए। गुजरात रिफ़ाइनरी में 90 केटीए क्षमता वाला नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल (एनबीए) संयंत्र चालू किया गया, जिससे तीन महीनों के भीतर 1,170 मीट्रिक टन की बिक्री हुई। नेपाल को पॉलिमर निर्यात 53 टीएमटी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पुनर्चक्रित पॉलिमर ब्रांड 'साइक्लोप्लास्ट' ने 220 मीट्रिक टन की अपनी अब तक की सबसे अधिक वार्षिक बिक्री दर्ज की।

पेट्रोरसायन तीव्रता सूचकांक (पीआई) को वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के अपने रणनीतिक लक्ष्य के अनुरूप, आपकी कंपनी पेट्रोकेमिकल मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में विकास अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश रही है। इनमें थोक और विशिष्ट रसायन, औद्योगिक और मध्यवर्ती रसायन, बायोपॉलिमर्स और उपभोक्ताओं के बाद प्लास्टिक पुनर्चक्रण शामिल हैं। विस्तार योजना के तहत कंपनी ने ओडिशा के भद्रक में 300 केटीए यार्न विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पॉलिएस्टर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, पारादीप पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र में उत्पादों की पेशकश में विविधता लाने के लिए कंपनी ने पॉलीप्रोपाइलीन के प्रभाव और यादृच्छिक कोपोलिमर ग्रेड के उत्पादन को सक्षम बनाने के लिए अतिरिक्त इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई है।

प्रोपेल पॉलिमर्स - गुणवत्ता पर आधारित, प्रदर्शन के लिए अनुकूलित

प्राकृतिक गैस व्यवसाय

वर्ष 2024-25 प्राकृतिक गैस व्यवसाय के लिए एक रिकॉर्ड-तोड़ वर्ष रहा, जिसमें सोर्सिंग, बिक्री, बुनियादी ढाँचे और रणनीतिक साझेदारियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। प्राकृतिक गैस की बिक्री 9.45 एमएमटीपीए (आंतरिक खपत सहित) तक पहुँच गई, जो पिछले वर्ष के 7.85 एमएमटीपीए से 20% अधिक है। बिक्री में यह वृद्धि मज़बूत वृद्धि, दीर्घकालिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर और हाजिर बिक्री में 69% की वृद्धि के कारण हुई। लघु एलएनजी (एसएसएलएनजी) की बिक्री भी 186 टीएमटी के नए उच्च स्तर पर पहुँच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। परिणामस्वरूप, इस वर्ष कंपनी की बाज़ार हिस्सेदारी 13% से बढ़कर 14.2% हो गई।

भारतीय गैस एक्सचेंज (आईजीएक्स) के एक प्रमुख भागीदार के रूप में, आपकी कंपनी ने वर्ष 2024-25 में अपने व्यापार की मात्रा को तिगुना बढ़ाकर 296 एमएमएससीएम (0.2 एमएमटी) प्राकृतिक गैस का कारोबार किया। वर्ष के दौरान, लघु द्रवीकरण संयंत्र स्थापित करके और एलएनजी रोड टैंकरों के माध्यम से ग्राहकों को गैस की आपूर्ति करके छोटे और सीमांत क्षेत्रों में अप्रयुक्त प्राकृतिक गैस का पता लगाने और मुद्रीकरण करने के लिए ओएनजीसी के साथ पहली बार सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, नेपाल को एलएनजी के निर्यात के लिए पहले अंतरराष्ट्रीय समझौते पर योग्या होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, नेपाल के साथ हस्ताक्षरित किया गया।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 0.8 एमएमटीपीए एलएनजी के स्रोत के लिए टोटल एनर्जीज गैस एंड पावर लिमिटेड के साथ 10-वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए और 1.2 एमएमटीपीए एलएनजी के लिए अबू धाबी गैस लिक्विफैक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ 14-वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, दोनों समझौते 2026 में शुरू होंगे। इसके अलावा, आगामी रुवाइस एलएनजी टर्मिनल से 15 वर्षों में 1 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति के लिए जुलाई 2025 में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी पीजेएससी के साथ एक बिक्री खरीद समझौते (एसपीए) पर हस्ताक्षर किए गए।

आपकी कंपनी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप और दक्षिण अंडमान में एलएनजी अवसंरचना विकसित करने के लिए नामित एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

शहरी गैस वितरण (सीजीडी)

आपकी कंपनी, अपने 2 संयुक्त उद्यम कंपनियों (इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड और ग्रीन गैस लिमिटेड) के साथ, अब 21 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 115 जिलों को शामिल करते हुए 49 भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करती है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी सीजीडी कंपनियों में से एक बन गई है। स्टैंडअलोन आधार पर, कंपनी के 26 भौगोलिक क्षेत्र के लिए अधिकृत है, जिसमें 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 78 जिले शामिल हैं। कंपनी को प्रदत्त सभी 26 भौगोलिक क्षेत्र चालू हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल बिक्री बढ़कर 112 टीएमटी हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी है।

अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) व्यवसाय

आपकी कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही स्थानों पर अपस्ट्रीम परिसंपत्तियों का एक संतुलित पोर्टफोलियो रखती है। इस पोर्टफोलियो में 25 तेल और गैस परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें से 14 घरेलू और 11 विदेशी सक्रिय हैं। कुल परिसंपत्तियों में से, 9 परिसंपत्तियाँ (7 विदेशी और 2 घरेलू) वर्तमान में उत्पादन कर रही हैं, 6 विकासाधीन हैं, 3 खोज में हैं, 1 का मूल्यांकन किया जा रहा है, और 6 अन्वेषण के अधीन हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ईएंडपी परिसंपत्तियों से उत्पादन बढ़कर 4.45 मीट्रिक टन तेल समतुल्य (MMToe) हो गया, जो पिछले वर्ष 4.26 मीट्रिक टन तेल समतुल्य (MMToe) था। घरेलू स्तर पर, कंपनी ने मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड का अधिग्रहण किया और गुजरात के कैम्बे बेसिन में ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2005/9 का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। झारखंड में, पहले ब्लॉक से सीबीएम गैस का उत्पादन शुरू हुआ, जिसकी बिक्री आईजीएक्स के माध्यम से की गई। झारखंड में दूसरे सीबीएम ब्लॉक में, कैस्केड के माध्यम से गैस उत्पादन और बिक्री शुरू करने के लिए सभी सांविधिक अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं। असम में, हाल ही में किए गए वर्कओवर ऑपरेशनों से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे 5 एमएमएससीएफडी गैस की वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कंपनी और उसके कंसोर्टियम भागीदारों ने अबू धाबी के ऑनशोर ब्लॉक 1 में रुवाइस खोज के लिए एडीएनओसी के साथ उत्पादन रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वर्ष 2026-27 तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, इसी ब्लॉक के भीतर अपरंपरागत शिलाइफ़ फॉर्मेशन में हाइड्रोफ्रैकिंग के माध्यम से एक हाइड्रोकार्बन खोज की गई। लीबिया में अप्रत्याशित घटना की समाप्ति के बाद, मौजूदा खोजों वाली परिसंपत्तियों में अन्वेषण गतिविधियाँ फिर से शुरू की गई हैं। कंपनी को लोअर ज़ाकुम (यूएई) और रूसी परिसंपत्तियों, जैसे तास और वैंकोर, में अपनी हिस्सेदारी से भी लाभांश प्राप्त हुआ है।

आगे बढ़ते हुए, कंपनी की योजना मुख्य रूप से घरेलू परिसंपत्तियों में निवेश करके अपस्ट्रीम उत्पादन को बढ़ावा देने की है, साथ ही विशेष रूप से तेल और गैस ब्लॉकों में उपयुक्त विदेशी अवसरों की भी तलाश है।

वैकल्पिक ऊर्जा

167.6 मेगावाट पवन और 84.5 मेगावाट सौर सहित 252.1 मेगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ, आपकी कंपनी ने 2024-25 के दौरान 365.72 गीगावाट घंटे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न की, जिसके परिणामस्वरूप 276.85 टीएमटी CO_2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी आई।इसके अलावा, उत्सर्जन कम करने में मूल्य श्रृंखला को सहयोग देने के लिए, कंपनी ने 35,874 खुदरा दुकानों पर सौर ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की हैं, जो खुदरा आउटलेट नेटवर्क का 90.5% है। इन इकाइयों की कुल क्षमता लगभग 175.7 मेगावाट है।

परिचालनगत निवल-शून्य लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) का उपयोग करना है। कंपनी ने अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो के विकास की देखरेख के लिए एक समर्पित हरित ऊर्जा सहायक, टेरा क्लीन लिमिटेड (टीसीएल) का गठन किया है। प्रारंभिक चरण में, टीसीएल ने 1 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना बनाई है, जिसे आगे 5.3 गीगावॉट तक बढ़ाया जाएगा।आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए अग्रणी सौर कंपनियों और विद्युत पारेषण उपयोगिताओं के साथ सहयोग की संभावनाएँ तलाश रही है।

जैव ईंधन के मोर्चे पर, आपकी कंपनी भारत सरकार की किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) योजना को लागू करने में अग्रणी है, जिसके तहत कंपनी के आरओ और प्रत्यक्ष ग्राहकों को संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) की आपूर्ति करने वाले संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। 31 मार्च, 2025 तक सीबीजी के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कुल 714 आशय पत्र (एलओआई) थे। वर्ष के दौरान, एसएटीएटी के तहत 13 सीबीजी संयंत्र चालू किए गए, जिससे चालू सीबीजी संयंत्रों की संख्या बढ़कर 44 हो गई। पिछले वर्ष के प्रदर्शन से आगे बढ़कर कंपनी ने लगभग 125 आरओ और 4 औद्योगिक ग्राहकों के माध्यम से सीबीजी के 8.9 टीएमटी की बिक्री दर्ज की।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्वालियर में 100 टीपीडी गोबर-से-सीबीजी संयंत्र चालू किया, जो 'शहरी अपशिष्ट से शहर परिवहन' मॉडल का समर्थन करता है। कंपनी ने गोरखपुर में अपने 200 टीपीडी सीबीजी संयंत्र से आपूर्ति भी शुरू की, जिसमें उत्पाद को 'इंडीग्रीन' ब्रांड के तहत कंपनी के आरओ पर बेचा जा रहा है। आपकी कंपनी अपनी संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से 30 सीबीजी संयंत्र भी स्थापित कर रही है। जीपीएस रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ 'आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड' नामक एक जेवीसी का गठन किया गया है, जबकि अन्य जेवी गठन के विभिन्न चरणों में हैं। 30 प्रतिबद्ध सीबीजी संयंत्रों में से 4 संयंत्र पहले ही चालू हो चुके हैं, 9 संयंत्रों के लिए निर्माण चल रहा है, जबकि शेष चिन्हित स्थलों पर गतिविधियां विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

आपकी कंपनी अपने पानीपत रिफाइनरी में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल (यूसीओ) आधारित सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) सह-प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना कर रही है, जिसे 4 प्रतिशत एसएएफ मिश्रण के साथ एसएएफ-ब्लेंड एटीएफ के 735 केटीपीए का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके वर्ष 2025-26 में चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी रणनीतिक गठजोड़ के माध्यम से एचईएफए और अल्कोहल-टू-जेट (एटीजे) आधारित एसएएफ के संयुक्त विकास की संभावनाएं तलाश रही है। कंपनी वर्ष 2027-28 तक फीडस्टॉक के रूप में इथेनॉल का उपयोग करते हुए भारत का पहला वाणिज्यि स्तर पर एटीजे-एसएएफ संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी चीनी आधारित एसएएफ और ग्रीन आइसोप्रेन के उत्पादन के उद्देश्य से परियोजना पर कार्य कर रही है। एसएएफ विकास को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी ने आईएटीए के साथ साझेदारी की है ताकि सटीक उत्सर्जन में कमी की ट्रैकिंग के लिए एसएएफ रजिस्ट्री स्थापित की जा सके।

आपकी कंपनी भारत के ऊर्जा परिदृश्य को सतत और मापनीय हरित समाधानों के साथ बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

सस्टेनेबल विकास

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप, आपकी कंपनी अपनी व्यावसायिक रणनीतियों और परिचालन संबंधी निर्णयों में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक कारकों को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करते हुए अपने मूल मूल्यों में स्थिरता को शामिल करना जारी रखती है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य पर्यावरण और समाज पर नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य उत्पन्न करना है।

आपकी कंपनी उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग और वर्षा जल संचयन जैसी जल प्रबंधन पहलों के माध्यम से जल की कमी को न्यून करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, जो महत्वपूर्ण जल पुनः उपयोग और संरक्षण में योगदान दे रही है। इसके अलावा, स्थिरता को बढ़ावा देने की कंपनी की दृढ़ प्रतिबद्धता के तहत, मथुरा और गुजरात रिफ़ाइनरियाँ क्रमशः लक्ष्मी नगर और राजीव नगर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग कर रही हैं, जिससे नदियों और नहरों से मीठे पानी की निकासी में कमी आई है। हल्दिया रिफ़ाइनरी में भी इसी तरह की पहल की जा रही है। रिफ़ाइनरी परिचालन के दौरान उत्पन्न होने वाले लगभग 89% अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग किया जाता है।

आपकी कंपनी पारिस्थितिक और पर्यावरण संरक्षण को अपने संरक्षण प्रयासों का एक केंद्रीय हिस्सा मानती है। प्रकृति को वापस देने के लिए, सभी सुविधाओं में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। हरित ग्रह बनाने की हमारी प्रतिबद्धता के तहत, आपकी कंपनी ने वर्ष 2024-25 के दौरान सात लाख से अधिक पौधारोपण किया हैं। आपकी कंपनी ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के तहत चार राज्यों में 21 स्थलों पर वृक्षारोपण परियोजनाओं में लगभग 56 करोड़ रुपये का निवेश किया है। मैंग्रोव 1.0 वृक्षारोपण पहल, जिसमें 20 लाख पेड़ लगाना शामिल था, को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद, कंपनी ने मैंग्रोव 2.0 पहल के तहत पश्चिम बंगाल के तट पर 30 लाख पेड़ लगाने की प्रतिबद्धता जताई है। आपकी कंपनी की रिफ़ाइनरियों में इको-पार्क हैं जो वनस्पतियों, जीवों और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को हाइड्रोजन बस दिखाते हुए

स्थिरता और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता के तहत, कंपनी ने अपने 370 से ज़्यादा स्थानों के लिए ग्रीनको और ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी पाइपलाइनों को ग्रीनको के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने एक बार फिर, डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स (डीजेएसआई) 2024 में भारतीय तेल एवं गैस कंपनियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

कंपनी व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) का प्रकाशन कर रही है, जिसका उद्देश्य ईएसजी निष्पादन के संबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इसके अलावा, कंपनी प्रमुख वैश्विक और राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप वर्ष 2006-07 से अपनी वार्षिक स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है।

निवल-शून्य पहल

आपकी कंपनी ने 2.5 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ, वर्ष 2046 तक निवल-शून्य परिचालन उत्सर्जन प्राप्त करने का एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया है। एक पर्यावरण के प्रति जागरूक संगठन के रूप में, आपकी कंपनी व्यवस्थित रूप से अपने उत्सर्जन को मापती है, प्रबंधित करती है और रिपोर्ट करती है। वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन लगभग 22.53 मिमीटीसीओ2ई है। कंपनी अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए एक व्यापक रणनीति लागू कर रही है, जिसमें हरित हाइड्रोजन, सीबीजी, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वृक्ष रोपण और कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

निवल-शून्य प्रतिबद्धता के अनुरूप, कंपनी ने वर्ष 2030 तक 31 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, 4 एमएमटी जैव ईंधन और 1 एमएमटी बायोगैस सहित एक हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो बनाने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2050 तक 200 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, 7 एमएमटी जैव ईंधन और 9 एमएमटी बायोगैस तक विस्तार करना है। यह सक्रिय दृष्टिकोण कम कार्बन भविष्य की दिशा में उद्योग-व्यापी प्रगति को चलाने और निवल-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके उत्पाद सुरक्षित और टिकाऊ हों, और पर्यावरण तथा समाज में सकारात्मक योगदान दें। अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, आपकी कंपनी निरंतर प्रयासों के माध्यम से कुशल, कम कार्बन वाले उत्पादों का एक पोर्टफोलियो विकसित करते हुए, हरित उत्पाद विकल्पों में विस्तार कर रही है। कंपनी के उत्पाद प्रबंधन प्रयासों की विशेषता मिश्रित ईंधन, प्राकृतिक गैस और उच्च प्रदर्शन वाले स्नेहकों पर मजबूत ध्यान केंद्रित करना है।

नया व्यवसाय

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2023 में नेपाल सरकार के साथ जी2जी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, कंपनी ने अक्टूबर 2024 में नेपाल तेल निगम के साथ दो ऐतिहासिक बी2बी फ्रेमवर्क समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों से मोतीहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का चितवन (नेपाल) तक विस्तार और नई सिलीगुड़ी-झापा (नेपाल) पाइपलाइन के निर्माण के साथ-साथ चितवन और झापा में तेल भंडारण टर्मिनलों के विकास सहित प्रमुख सीमा पार ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।

वर्ष के दौरान, कंपनी की सहायक कंपनी इंडियन ऑयल (मॉरीशस) लिमिटेड और हंसराज हुलासचंद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने काठमांडू में सर्वो ल्यूब ब्लेंडिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम, आईओएमएल हुलास ल्यूब प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया, जो नेपाल में आपकी कंपनी का पहला विनिर्माण उद्यम होगा। इस कदम से आयात आधारित आपूर्ति की तुलना में उत्पाद नियोजन की लागत दक्षता में सुधार होगा, साथ ही कंपनी की ब्रांड उपस्थिति और क्षेत्रीय बाजार की ताकत में भी वृद्धि होगी।

कंपनी क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच जी2जी समझौतों को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कंपनी ने जनवरी 2023 से जून 2025 तक बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसी) को 635 टीएमटी गैसोइल, गैसोलीन, जेट ए1 और ईंधन तेल की आपूर्ति की है, जिससे वितरण समयसीमा और मात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ गुणवत्ता के अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित किया गया है। कंपनी ने जुलाई से दिसंबर 2025 तक 140 टीएमटी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए बीपीसी से एक अनुबंध भी प्राप्त किया है।

वैश्विक मोर्चे पर, रसायन, टिकाऊ ईंधन, लॉजिस्टिक्स, बायोप्लास्टिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए मित्सुबिशी कॉरपोरेशन जापान और मित्सुबिशी कॉरपोरेशन इंडिया के साथ एक त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नवीकरणीय ऊर्जा, सीजीडी, संबद्ध उद्योग, ईवी क्षेत्र, पोत अधिग्रहण आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए अकार्बनिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित एमएंडए सेल की स्थापना की गई।

विस्फोटक व्यवसाय

आपकी कंपनी वर्ष 2024-25 में भारत के थोक विस्फोटकों और विस्फोट-आधारित सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनी रही, जिसमें 13 संयंत्रों में परिचालन और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) सहित एक मजबूत ग्राहक आधार शामिल है। मार्च 2025 में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) में 13वां संयंत्र चालू किया गया। कंपनी ने पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हुए पिछले वर्ष के बराबर 319 टीएमटी की बिक्री दर्ज की।

भविष्य की बात करें तो दो नए संयंत्र, एक सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के अंतर्गत मंडमरी (तेलंगाना) में तथा दूसरा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के माजरी क्षेत्र में विकासाधीन हैं। कंपनी कोयला खनन क्षेत्र में विभिन्न खनन डेवलपर्स सह ऑपरेटरों (एमडीओ) के साथ नए अवसर भी तलाश रही है।

परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने वर्ष 2024-25 के दौरान परियोजनाओं पर 40,374 करोड़ व्यय किए, जिसमें स्टैंडअलोन आधार पर 39,195 करोड़ और संयुक्त उद्यमों (जेवी) और सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश के रूप में 1,179 करोड़ शामिल हैं। कंपनी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए कुल पूंजीगत व्यय में एक-चौथाई से अधिक का योगदान दिया।

वर्तमान में, कंपनी 2.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय के साथ 160 से अधिक परियोजनाओं (प्रत्येक की लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक) को निष्पादित कर रही है, जो अकेले तथा अपने संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के माध्यम से की जा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत करना और बढ़ाना है।

कंपनी के निवेश को मोटे तौर पर दो प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् अन्तर्भाग को मजबूत करना और ऊर्जा परिवर्तन को सशक्त बनाना।

- मुख्य व्यवसाय को मजबूत करना: कंपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइन, मार्केटिंग और अपस्ट्रीम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। पानीपत, गुजरात और बरौनी जैसी प्रमुख रिफाइनरियों में क्षमता विस्तार परियोजनाएँ चल रही हैं। पारादीप स्थित एक प्रमुख पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, पीएक्स-पीटीए संयंत्र, भद्रक स्थित एक यार्न परियोजना और पानीपत स्थित एक पॉलीब्यूटाडाइन रबर परियोजना आदि के माध्यम से पेट्रोकेमिकल तीव्रता सूचकांक (पीआईआई) को वर्ष 2030 तक 15% तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, 2,000 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन विस्तार परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड क्रॉस-कंट्री पाइपलाइन के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के लिए सीमा पार पाइपलाइन शामिल हैं। खुदरा आउटलेट और भंडारण टर्मिनलों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे ग्राहक पहुंच में सुधार हो रहा है। एलपीजी बुनियादी ढांचे का विस्तार पूरे भारत में स्वच्छ रसोई ईंधन तक पहुंच बढ़ा रहा है। अनुसंधान और विकास के मोर्चे पर फरीदाबाद में आने वाला नया प्रौद्योगिकी केंद्र वैकल्पिक ऊर्जा और दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- ऊर्जा परिवर्तन को सशक्त बनाना: कंपनी भारत के निवल-शून्य लक्ष्यों के अनुरूप स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ा रही है। ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लक्ष्य को समर्थन देने के लिए, कंपनी अपने 49 सीजीडी भौगोलिक क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है और रिफाइनरियों में प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रही है। जैव ईंधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, 20% इथेनॉल मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करने से आगे बढ़कर, आपकी कंपनी एक वाणिज्यिक पैमाने पर एसएएफ संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य बना रही है और देश भर में 30 सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। हरित हाइड्रोजन आंदोलन को गति प्रदान करते हुए, आपकी कंपनी पानीपत में 10 केटीपीए क्षमता वाला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रही है। 13,600 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग व विनिर्माण उद्यमों के साथ, कंपनी भविष्य की गतिशीलता में अग्रणी बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, टेरा क्लीन लिमिटेड के माध्यम से वर्ष 2030 तक सुदृढ़ नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो बनाने की योजना बना रही है, जिसमें सौर, पवन, जल, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना और जैव ऊर्जा शामिल हैं।

रणनीतिक विविधीकरण और पारंपरिक तथा हरित दोनों क्षेत्रों में बड़े निवेश के माध्यम से, कंपनी स्वयं को भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा अग्रणी के रूप में स्थापित कर रही है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसएंडई)

पेट्रोलियम उद्योग की स्वाभाविक रूप से खतरनाक प्रकृति को देखते हुए, आपकी कंपनी स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देती है। कंपनी इस सिद्धांत का समर्थन करती है कि ''सुरक्षा व्यावसायिक उद्देश्यों से ऊपर ह'' और व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसएंडई) के प्रबंधन में अग्रणी रहने के लिए समर्पित है। कंपनी में परिचालन की देख-रेख व्यापक और संगठित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली द्वारा की जाती है, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रक्रियाओं और प्रासंगिक पर्यावरण मानकों और विनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करती है। सभी स्तरों पर अनुपालन की निगरानी की जाती है, जिससे जवाबदेही और निरंतर सुधार की संस्कृति को बल मिलता है। निदेशक मंडल समय-समय पर कंपनी के एचएसएंडई प्रदर्शन और पहलों की समीक्षा करता है, जो लोगों, परिसंपत्तियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने संगठन में सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ाने और व्यावसायिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए जागरूकता अभियानों, नीति अपडेट, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता विकास प्रयासों सहित कई एचएसएंडई पहल की। वर्ष के दौरान आयोजित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से परिचालन स्थलों पर कर्मचारियों का कौशल उन्नयन किया गया। वर्ष 2024-25 के लिए सरकार के एमओयू पैरामीटर के तहत अधिदेशित 10,000 कार्य दिवसों के लक्ष्य की तुलना में सुरक्षा प्रशिक्षण के 28,867 कार्य दिवसों को सफलतापूर्वक प्रदान किया गया।

मानव संसाधन

31 मार्च, 2025 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 29,941 थी, जिसमें 18,740 कार्यकारी और 11,201 गैर-कार्यकारी शामिल थे, जिनमें से 2,663 महिला कर्मचारी थीं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 704 कार्यकारियों और 376 गैर-कार्यकारियों को कार्य पर रखा गया। देश भर में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों, जैसे ट्रेड, तकनीशियन, फ्रेशर और कौशल-प्रमाणपत्र धारक, में 1849 प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया, जो कुल कार्यबल का 6.03% है। प्रशिक्षुओं को एक संरचित निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

कंपनी समावेशी विकास को समर्थन देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति), पूर्व सैनिकों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएसएस) के लिए रोजगार में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करती है। निर्देशों के अनुसार

इंडियनऑयल – लोगों द्वारा संचालित। प्रदर्शन द्वारा परिभाषित।

रोस्टर बनाए जाते हैं और उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी संपर्क अधिकारी(यों) के साथ-साथ भारत सरकार के संपर्क अधिकारी द्वारा नियमित रूप से उनकी समीक्षा की जाती है। ओबीसी/एससी/एसटी कर्मचारियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए डिवीजन, क्षेत्र और इकाई स्तर पर शिकायत रजिस्टर भी बनाए जाते हैं और प्राप्त अभ्यावेदनों और शिकायतों का शीघ्र समाधान करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्देश के अनुरूप, निर्धारित प्रारूप में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग प्रतिनिधित्व का विवरण इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

कंपनी ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण के प्रावधान को लागू किया। भर्ती के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को इस संबंध में नियमों का पालन करते हुए आवश्यक रियायतें और छूट दी गई। आपकी कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों का भी अनुपालन करती है।

पूरे वर्ष के दौरान, कंपनी में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बने रहे। कंपनी अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य, उत्पादकता, वित्तीय कल्याण आदि के लिए व्यापक कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान करती है, जिससे उन्हें कार्यस्थल पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। कंपनी भागीदारी प्रबंधन संस्कृति को प्रोत्साहित करती है और समूहों के साथ एक परामर्श दृष्टिकोण अपनाती है, औद्योगिक शांति के लिए एक सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है।

पूरे वर्ष, कंपनी ने अपने प्रतिभा विकास कार्यक्रम-'नव-ऊर्जा निर्माणः नवीकरणीय ऊर्जा में एक भविष्य का निर्माण' को जारी रखा और बढ़ाया- और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की जटिलताओं को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए कनिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों के बीच आंतरिक विशेषज्ञता विकसित करने हेतु देश भर के अग्रणी संस्थानों के साथ साझेदारी की। सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कंपनी ने प्रशिक्षण मंच - एकलव्य का भी शुभारंभ किया, जिससे उसके कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार कौशल विकसित करने हेतु डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रमों के एक विशेष संग्रह तक पहुँच प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को विभिन्न इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने भविष्य की तैयारी के लिए प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया। प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन में सुधार के लिए, पूरे भारत में मानव संसाधन कार्यों को सुव्यवस्थित करने, अतिरेक को कम करने, दक्षता बढ़ाने और निरंतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत मानव संसाधन साझा सेवा केंद्र (एचआर एसएससी) की स्थापना की गई है। कंपनी ने इंडियन ऑयल लिसनिंग एजेंट (आईओएलए) नामक एक एआई-संचालित कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर ताकत को पहचानना और विकास के क्षेत्रों की पहचान करना है, जिसका उद्देश्य समग्र कर्मचारी अनुभव में सुधार करना है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 178(3) के तहत आवश्यक निदेशकों की नियुक्ति और अन्य मामलों पर कंपनी की नीति के बारे में विवरण शामिल नहीं हैं।

इसी तरह, अधिनियम की धारा 197 भी सरकारी कंपनी को छूट देती है। परिणामस्वरूप, औसत कर्मचारी के वेतन या अन्य विवरणों के लिए प्रत्येक निदेशक के मुआवजे के अनुपात का प्रकटन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के नाम और अन्य विशिष्टताओं को सूचीबद्ध करने वाला एक विवरण शामिल है, जो यदि वित्तीय वर्ष के दौरान या उसके किसी भाग में कार्यरत होने पर नियमों में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करता है। ये विवरण कंपनियों (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (1) / (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 197 (12) के अनुसार आवश्यक नहीं हैं।

हिंदी कार्यान्वयन

कंपनी ने वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत अधिसूचित 1976 के नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया। राजभाषा विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न कार्यालयों, स्थानों और इकाइयों में दैनिक कार्यों में राजभाषा का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। हिंदी में लिखित या हस्ताक्षरित किसी भी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन सहित सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाता है। प्रगति की निगरानी और राजभाषा में नई पहलों को बढ़ावा देने के लिए सभी कार्यालयों और इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ (ओएलआईसी) स्थापित की गई हैं। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष के दौरान 23 कार्यालयों, स्थानों और इकाइयों का निरीक्षण किया और पूरे संगठन में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए किये गए प्रयासों की सराहना की।

एसडीआई भुवनेश्वर में छात्राओं के लिए कंप्यूटर डेटा एप्लीकेशन कोर्स

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी समुदायों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के अपने मूल दर्शन के प्रति समर्पित है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को न केवल एक कानूनी आवश्यकता के रूप में देखा जाता है, बल्कि इसे ज़िम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं का एक अनिवार्य हिस्सा भी माना जाता है। यह समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, विशेष रूप से इसके परिचालन क्षेत्रों में और इसके आसपास के समुदायों के लिए, नैतिक रूप से व्यवसाय करने की कंपनी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) केंद्रित क्षेत्रों में 'सुरक्षित पेयजल और जल संसाधनों का संरक्षण', 'स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता', 'शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल', 'ग्रामीण विकास', 'पर्यावरणीय स्थिरता', 'महिलाओं और सामाजिक/आर्थिक रूप से वंचित समूहों का सशक्तिकरण' आदि शामिल है। कंपनी की सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट https://www.iocl.com/download/IOC_S&CSR_Policy.pdf पर देखा जा सकता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने सीएसआर के लिए ₹ 539.17 करोड़ का बजट आवंटित किया, जो पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ (₹ 574.46 करोड़) का 2% है, जिसमें से पिछले वर्ष का अतिरिक्त व्यय (₹ 35.29 करोड़) घटाया गया है। हालाँकि, इसने कई प्रमुख परियोजनाओं सहित चल रही सीएसआर गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए ₹ 583.04 करोड़ की अधिक राशि व्यय की, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य के वर्षों में उपयोग किए जाने वाले 43.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर एक रिपोर्ट, वर्ष के लिए सीएसआर की मुख्य विशेषताओं के साथ, इस रिपोर्ट के **अनुबंध-II** के रूप में शामिल की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का अनुपालन करती है तथा संबंधित मामलों को संभालने के लिए पूरे संगठन में एक व्यापक तंत्र स्थापित किया है। अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने और इसके विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आपकी कंपनी के पास सभी प्रभागों में एक नामित नोडल अधिकारी, 31 प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफ.ए.ए.), 41 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) और 41 सहायक लोक सूचना अधिकारी (ए.पी.आई.ओ.) हैं।

आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के तहत आवश्यक जानकारी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.iocl.com पर पोस्ट की गई है और इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। आपकी कंपनी ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआई. पोर्टल के साथ गठबंधन किया है, और पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों और अपीलों का निपटान केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।

वर्ष के दौरान, 4,347 अनुरोधों और 604 प्रथम अपीलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटारा किया गया। माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा 91 द्वितीय अपीलों का निपटारा किया गया, तथा कंपनी के विरुद्ध कोई दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का अनुपालन

कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करती है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना और संबंधित शिकायतों की रोकथाम और समाधान सुनिश्चित करना है। यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत से निपटने के लिए वरिष्ठ महिला कर्मचारियों के नेतृत्व में प्रत्येक इकाई, क्षेत्रीय और मुख्य कार्यालय स्तर पर आंतरिक समितियों का गठन किया गया है।

1 अप्रैल, 2024 तक, यौन उत्पीड़न की 5 शिकायतें लंबित थीं। वर्ष के दौरान, चार शिकायतें प्राप्त हुईं और छह शिकायतों का निपटारा किया गया। 31 मार्च, 2025 तक, 3 शिकायतें लंबित रहीं, जिनमें से एक 90 दिनों से अधिक समय से लंबित थी।

अधिनियम के प्रावधानों पर जोर देते हुए, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए उनके अधिकारों और कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। पुरुष कर्मचारियों के लिए लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। नए भर्ती कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कंपनी द्वारा अपनाए गए उपायों के बारे में सूचित किया जाता है।

सतर्कता

सतर्कता कार्य का उद्देश्य पूरी कंपनी में उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना है। सतर्कता विभाग न केवल कंपनी और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, बल्कि सतर्कता से संबंधित सभी मामलों पर कंपनी को सलाह भी देता है। सतर्कता विभाग ने रोकथाम, दंडात्मक और भागीदारी पर जोर देते हुए तीन सूत्री दृष्टिकोण अपनाया है। यह प्रणालीगत विफलताओं को कम करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाओं की स्थापना में भी मदद करता है। वर्ष के दौरान, 818 सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 24,000 हितधारकों ने भाग लिया।

कंपनी द्वारा अनियमितताओं/चूक के लिए लागू आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम 1980 और प्रमाणित स्थायी आदेशों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2015 के दौरान, सतर्कता मामलों से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों का निपटारा किया गया और वर्ष के अंत तक 44 मामले लंबित थे। इन मामलों में अनुशासनहीनता, बेईमानी, कर्तव्य में लापरवाही या काम की उपेक्षा जैसी अनियमितताएं शामिल हैं। कंपनी लगातार और नियमित रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग और आंतरिक सतर्कता विभाग के परामर्श से तकनीकी हस्तक्षेप और प्रणाली या प्रक्रिया समीक्षा के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी लेनदेन सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

जनता की जमाराशियां योजना

कंपनी की जनता जमाराशियां योजना 31 अगस्त 2009 से बंद कर दी गई। कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई राशि नहीं मांगी है और 31 मार्च, 2025 तक, कोई भी जमा राशि 55,000 के अलावा बकाया नहीं है, जो अनसुलझे कानूनी या अदालती मामलों के कारण भुगतान नहीं किया गया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

आपकी कंपनी लगातार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों का पालन करने का प्रयास करती है, जो कंपनी के नियंत्रण में हैं। पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के प्रयासों पर एक व्यापक रिपोर्ट को एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग खंड के रूप में शामिल किया गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण (एमडीए) रिपोर्ट को भी एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के भीतर एक अलग खंड के रूप में शामिल किया गया है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

कंपनी अपनी व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रकाशित कर रही है जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रकटन शामिल हैं, और यह जिम्मेदार व्यवसाय आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के 9 सिद्धांतों के अनुरूप है। सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/परि./2023/122 दिनांक 12 जुलाई, 2023 के अनुसार, बीआरएसआर कोर केपीआई को टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यथोचित रूप से आश्वस्त किया गया है। कंपनी जीआरआई मानकों के अनुसार अपनी तृतीय-पक्ष आश्वासित स्थिरता रिपोर्ट भी प्रकाशित करती है। वार्षिक स्थिरता रिपोर्ट, एक स्थायी भविष्य के लक्ष्य के साथ-साथ पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों के समाधान में पारदर्शिता, जवाबदेही और ज़िम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बीआरएसआर कंपनी की वेबसाइट https://www.iocl.com/business-responsibility-report पर उपलब्ध है।

लेखा परीक्षा समिति

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति में 3 सदस्य थे, जिनमें से सभी स्वतंत्र निदेशक थे, सिवाय 24 नवंबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक, जब समिति में केवल 1 स्वतंत्र निदेशक था। बोर्ड में पर्याप्त स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी उस अवधि के दौरान कम से कम दो-तिहाई सदस्यों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में रखने की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रही। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी के रूप में स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है।

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई टिप्पणियों और सिफारिशों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। लेखापरीक्षा समिति के बारे में अन्य विवरण, जैसे कि इसकी संरचना, संदर्भ की शर्तें, आयोजित बैठकें आदि, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल हैं।

अन्य बोर्ड समितियाँ

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में अन्य बोर्ड समितियों, उनकी संरचना और बैठकों के बारे में भी विवरण शामिल है।

आचार संहिता

कंपनी के बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता जारी की है, जिसे सभी संबंधित पक्षों के साथ साझा किया गया है और कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया है। निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 2024-25 के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपने रणनीतिक निर्णय लेने के एक प्रमुख तत्व के रूप में कार्य करता है। मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली न केवल संभावित व्यवधानों और वित्तीय नुकसान को कम करती है बल्कि एक लचीला और अनुकूल संगठनात्मक वातावरण भी बनाती है जो अनिश्चितता के बीच फलता-फूलता है। गवर्नेंस ढांचे के एक बुनियादी हिस्से के रूप में जोखिम प्रबंधन के साथ, कंपनी जिम्मेदार और विवेकपूर्ण व्यापार प्रथाओं के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाती है, स्थायी विकास और दीर्घकालिक मूल्य को बढ़ावा देती है। कंपनी में उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे में जोखिम की पहचान, आकलन और वर्गीकरण, विश्लेषण, शमन और रणनीतिक, परिचालन, विधिक और अनुपालन जोखिमों की निगरानी शामिल है जो आंतरिक रूप से डिजाइन किए गए ईआरएम पोर्टल के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं। कंपनी का मानना है कि प्रभावी जोखिम प्रबंधन विकास और नवाचार के लिए नए अवसर खोलते हुए संगठन को स्थायी सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करने, सक्रिय पहचान, मूल्यांकन और संभावित खतरों के शमन को सुनिश्चित करने के लिए एक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करता है।

कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की स्थापना की है जो जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी करती है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों और मुख्य जोखिम अधिकारी के नेतृत्व में जोखिम प्रबंधन अनुपालन बोर्ड (आरएमसीबी) का गठन कंपनी के व्यवसाय से संबंधित विभिन्न जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए किया गया है।

आरएमसीबी द्वारा सुझाए गए जोखिम रजिस्टर में परिवर्तन, आरएमसी से अनुमोदन के बाद किए जाते हैं। लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने निर्धारित नीतियों के अनुपालन में अपने व्यवसाय के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी, जो कंपनी के संचालन के अनुरूप है।

कंपनी में एक समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसका नेतृत्व कार्यकारी निदेशक करता है, जो सीधे अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में वित्त और तकनीकी विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं जो पूरे वर्ष व्यापक लेखापरीक्षा करते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी जारी करनी होती है। इस पर जारी की गई रिपोर्ट स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

बोर्ड का मानना है कि मौजूदा प्रणालियाँ उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से तैयार किए गए हैं और अपेक्षानुसार कार्य कर रहे हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है। लेखापरीक्षकों ने पुष्टि की है कि वे कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं हैं। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीमित समीक्षा के लिए भी उन्हें शामिल किया था।

वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए ₹3.12 करोड़ और सीमित समीक्षा के लिए ₹ 1.50 करोड़ निर्धारित किया गया था, जिसमें लागू कर और जेब से किए गए उचित व्यय भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रमाणन कार्यों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को शुल्क का भुगतान किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी को प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की गई या देय कुल राशि ₹ 5.77 करोड़ थी।

लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी के संदिग्ध मामलों की रिपोर्टिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार, 2 मामलों का विवरण नीचे दिया गया है, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी की राशि ₹ 1 करोड़ से कम है:

1) फर्जी मेडिकल बिल में बरौनी रिफाइनरी में एक कर्मचारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी की साख का उपयोग करते हुए कुल 10.47 लाख रुपये की राशि और उपस्थिति प्रमाण पत्र का दावा किया गया।

2) कर्नाटक राज्य कार्यालय के एक कर्मचारी द्वारा इंजीनियरिंग कार्य के लिए ठेकेदारों को 99.23 लाख रुपये का धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान किया गया।

इसके अलावा, निम्नलिखित 5 मामलों में, जिनमें संदिग्ध धोखाधड़ी की राशि 1 करोड़ से अधिक है, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को मामलों की रिपोर्ट दी है:

1) मध्य प्रदेश राज्य कार्यालय के कुछ कर्मचारियों द्वारा मौजूदा प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए विक्रेताओं और ठेकेदारों को कुल ₹ 1.46 करोड़ का धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान किया गया।

2) उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय । के अंतर्गत एक पीओएल डिपो में कुछ टीटी चालक दल के सदस्यों के साथ मिलीभगत करके एक कर्मचारी द्वारा टैंक ट्रकों के माध्यम से ₹ 2.08 करोड़ मूल्य के पीओएल उत्पादों की चोरी।

3) तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्य कार्यालय के अंतर्गत एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में कुछ कर्मचारियों द्वारा ₹ 3.98 करोड़ के वास्तविक नुकसान को छिपाने के लिए वास्तविक नुकसान की जानकारी न देना और पोत की डिप में हेरफेर करना।

4) पश्चिम बंगाल राज्य कार्यालय के अंतर्गत मालदा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के कुछ कर्मचारियों द्वारा भरे हुए सिलेंडरों के स्टॉक की झूठी रिपोर्टिंग के कारण ₹ 10 करोड़ का स्टॉक नष्ट हो गया।

5) पूर्वोत्तर एकीकृत राज्य कार्यालय के तहत एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र में कुछ कर्मचारियों द्वारा कुल मिलाकर 86 करोड़ रुपये के ऋण के साथ-साथ स्टॉक लॉस की स्थिति को छिपाने, पारगमन नुकसान की काल्पनिक रिकॉर्डिंग और असामान्य रूप से उच्च बाजार रिटर्न सिलेंडरों की अत्यधिक बुकिंग।

इन मामलों की जाँच की गई और इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई। कुछ मामलों में, जहाँ जाँच पूरी हो गई है, कंपनी के नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जबकि अन्य मामलों में जाँच अभी भी जारी है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) लेखापरीक्षा

वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा: 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण, पूरक लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) को प्रस्तुत किए गए थे। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने लेखापरीक्षा की और शून्य टिप्पणी जारी की। वित्तीय विवरणों के बाद, शून्य टिप्पणी प्रमाण पत्र इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। यह लगातार 19वाँ वर्ष है, जब आपकी कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों के संबंध में शून्य टिप्पणी प्राप्त हुई है।

अन्य लेखापरीक्षाओं से सीएंडएजी पैरा: उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाएं भी करता है, जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, विषयगत लेखापरीक्षा, स्वामित्व लेखापरीक्षा और अन्य शामिल हैं। 31 मार्च, 2025 तक, विभिन्न विषयों पर इक्कीस लंबित लेखापरीक्षा पैरा हैं, जिनमें भूमि के निपटान से कम प्राप्ति, परित्यक्त अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) परियोजनाएं, पेट्रोकेमिकल्स की ग्रेड-वार लागत का रखरखाव, निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी के कारण अतिरिक्त लागत, अपात्र व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), परिहार्य प्रवेश कर, खुदरा दुकानों पर दैनिक मूल्य परिवर्तन पर अपडेट, टर्नओवर कर की वसूली, प्रदूषण मंजूरी आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण व्यय निष्फल होना, स्पेक्ट्रम का उपयोग, एमएसएमई से खरीद, कम हाइड्रोकार्बन और जोखिम भरे ईएंडपी ब्लॉक में भागीदारी के कारण निष्फल व्यय, पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति रसद, और कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी नकदीकरण पर ईपीएफ योगदान, अर्जित अवकाश और बीमारी अवकाश का नकदीकरण, ठहराव, राहत, प्रदर्शन-संबंधित वेतन, स्थानांतरण भत्ता, परियोजना भत्ता, लंबी सेवा पुरस्कार, वाहन चलाने और रखरखाव और पुरस्कारों से संबंधित व्यय शामिल हैं। इन पैरा के जवाब प्रस्तुत किए गए हैं और स्थिति रिपोर्ट भी समय-समय पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

लागत लेखापरीक्षा

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार लागत रिकॉर्ड बनाए रखा है। कंपनी ने वर्ष 2024-25 के लिए रिफाइनरियों, ल्यूब ब्लेंडिंग संयंत्रों और अन्य इकाइयों द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड का लेखापरीक्षा करने के लिए लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किए हैं। बोर्ड द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान हेतु 24.50 लाख का पारिश्रमिक और लागू कर निर्धारित किए गए थे, जिसकी पुष्टि पिछली वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा की गई थी। केंद्रीय लागत लेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रपत्र में केंद्र सरकार के समक्ष लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं।

सचिवीय लेखापरीक्षा

बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने हेतु मेसर्स ढोलकिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को नियुक्त किया था। सचिवीय लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर, अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- दिनांक 24.11.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान कम से कम 50% गैर-कार्यकारी निदेशकों के संबंध में निदेशक मंडल की संरचना।
- दिनांक 01.04.2024 से 07.05.2024 तक, 11.05.2024 से 31.08.2024 तक और 13.11.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में निदेशक मंडल की संरचना।
- वर्ष के दौरान कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक का होना।
- दिनांक 24.11.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संरचना।
- दिनांक 24.11.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना।
- वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई अलग से बैठक नहीं हुई।

इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी के रूप में, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों सहित निदेशकों का चयन और नियुक्ति, साथ ही कार्यात्मक निदेशकों के नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार के पास निहित हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों के संबंध में छूट प्रदान की है, क्योंकि मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

मेसर्स ढोलकिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति (एमएसई) आदेश 2012

भारत सरकार की संशोधित सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार, कंपनी को एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का कम से कम 25% खरीदना होगा, जिसमें 4% एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए और 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए आवंटित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान एमएसई से खरीद (कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस, एपीआई लाइन पाइप, स्वामित्व वाली वस्तुएं और ₹ 50 करोड़ से अधिक मूल्य की एकल लाइन वस्तुओं को छोड़कर) निम्नानुसार थी:

मापदंड	2024-25		2023-24	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
एमएसई से कुल खरीद (सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला)	25%	42.19%	25%	42.64%
एससी/एसटी एमएसई से खरीद	4% (25% में से उप-लक्ष्य)	4.03%	4% (25% में से उप-लक्ष्य)	1.78%
महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद	3% (25% में से उप-लक्ष्य)	3.21%	3% (25% में से उप-लक्ष्य)	0.92%

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमों के स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए उद्यमियों की पहचान करने के लिए कई पहल की गईं, जिनमें 128 विक्रेता विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर एमएसई विक्रेताओं को भुगतान करती है, और वर्ष के दौरान इन समय-सीमाओं से परे कोई भी बिल लंबित या भुगतान नहीं किया गया है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) से खरीद

आपकी कंपनी ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) को अपनाने में सराहनीय तत्परता और दूरदर्शिता दिखाई है, जो सार्वजनिक खरीद में डिजिटल परिवर्तन के लिए कंपनी की रणनीतिक प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

तेल एवं गैस क्षेत्र के लिए नोडल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) के रूप में नामित, आपकी कंपनी को क्षेत्र-विशिष्ट सुविधाओं और कार्यात्मकताओं को शामिल करने में सुविधा प्रदान करने हेतु जेम के साथ समन्वय करने की महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। यह समन्वय सुनिश्चित करता है कि तेल एवं गैस सार्वजनिक उपक्रमों की उभरती हुई खरीद आवश्यकताओं को जेम पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर उचित रूप से संबोधित किया जाए।

जेम के साथ जुड़ाव का स्तर खरीद व्यय में परिलक्षित होता है, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 11,009 करोड़ हो गया, जो वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का 40.34% है। जेम खरीद के लिए आपकी कंपनी को तेल और गैस संस्थाओं में नंबर एक सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा दिया गया है, जो कंपनी द्वारा डिजिटल खरीद को त्वरित और प्रभावी रूप से अपनाने को दर्शाता है।

इंडियनऑयल के अध्यक्ष श्री ए एस साहनी और निदेशक वित्त श्री अनुज जैन की उपस्थिति में लेखापरीक्षित खातों पर हस्ताक्षर

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी

जुलाई 2024 में, सिंगापुर की सन मोबिलिटी के साथ इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य बैटरी और चार्जिंग स्टेशन जैसे उपकरणों के उपयोग द्वारा भारत में छोटे आकार वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस (बीएएएस) व्यवसाय संचालित करना है।

कंपनी की 11 सहायक कंपनियाँ और 30 संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियाँ हैं। उनके व्यवसायों का संक्षिप्त विवरण एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनी और सहयोगी कंपनी के कार्यनिष्पादन और वित्तीय स्थिति का विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है। सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट www.iocl.com पर 'वार्षिक रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत भी अपलोड किए गए हैं।

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी ने महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों की पहचान के लिए एक नीति स्थापित की है, जिसे कंपनी की वेबसाइट https://www.iocl.com/download/Material_Subsidiary_Policy.pdf पर देखा जा सकता है।

संबंधित पक्ष लेनदेन (आरपीटी)

समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अनुरूप, महत्वपूर्ण आरपीटी पर एक नीति तैयार की गई है, जिसे https://www.iocl.com/download/Policies/RPT_Policy.pdf पर देखा जा सकता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ ऐसे लेन-देन किए जिन्हें संबंधित पक्ष लेन-देन की भौतिकता पर कंपनी की नीति के अनुसार महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे महत्वपूर्ण आरपीटी के लिए लेखा परीक्षा समिति और सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आरपीटी से संबंधित प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट-37 में दिए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के तहत निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ निर्धारित प्रपत्र एओसी-2 में संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं (जो स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर नहीं थे) का विवरण रिपोर्ट के **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाने और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आपकी कंपनी अपने सभी परिचालन में ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देती है। प्रत्येक इकाई के प्रदर्शन पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने के माध्यम से सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी की रिफाइनरियों में ऊर्जा दक्षता पहलों की एक श्रृंखला लागू की गई, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा बचत और संबंधित वित्तीय लाभ हुए।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाने और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण रिपोर्ट के **अनुबंध-V** के रूप में संलग्न हैं।

निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी के बोर्ड/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1. श्री एस. एम. वैद्य अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद 01 सितंबर, 2024 से अध्यक्ष पद से मुक्त हो गए।
2. श्री सुजॉय चौधरी अपनी सेवानिवृत्ति के कारण 01 सितंबर, 2024 से निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) के पद से मुक्त हो गए।
3. श्री ए. एस. साहनी को 13 नवंबर, 2024 से अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

4. श्री दिलीप गोगोई लालुंग, डॉ. (प्रोफेसर) आशुतोष पंत, डॉ. दत्तात्रेय राव सिरपुरकर, श्री प्रसेनजीत बिस्वास, श्री सुदीप्त कुमार रे और श्री कृष्णन सदगोपन 24 नवंबर, 2024 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद स्वतंत्र निदेशक पद से मुक्त हो गए।
5. श्री सुमन कुमार को 26 फरवरी, 2025 से निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) नियुक्त किया गया।
6. श्री प्रसेनजीत बिस्वास, श्री कृष्णन सदगोपन और डॉ. दत्तात्रेय राव सिरपुरकर को 28 मार्च, 2025 से बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।
7. डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह 8 अप्रैल, 2025 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर स्वतंत्र निदेशक पद से मुक्त हो गए।
8. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) सुश्री ईशा श्रीवास्तव को 20 जून, 2025 से प्रभावी सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
9. श्री एन. सेंथिल कुमार 01 जुलाई, 2025 से अपनी सेवानिवृत्ति के कारण निदेशक (पाइपलाइन) के पद से मुक्त हो जाएंगे।
10. श्री वी. सतीश कुमार अपनी सेवानिवृत्ति के कारण 1 अगस्त, 2025 से विपणन निदेशक के पद से मुक्त हो गए।

श्री अनुज जैन, निदेशक (वित्त), और डॉ. आलोक शर्मा, निदेशक (अनुसंधान एवं विकास), बारी-बारी से सेवानिवृत्त होने के पात्र हैं और आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी पुनर्नियुक्ति प्रस्तावित है। उनका संक्षिप्त विवरण वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिया गया है।

स्वतंत्र निदेशक

कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों से स्वतंत्रता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है, जो पुष्टि करता है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) द्वारा बनाए गए डेटाबेस में अपने पंजीकरण की पुष्टि की है।

चूँकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है। निदेशकों की नियुक्ति स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार एक निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत की जाती है। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास आवश्यक विशेषज्ञता, अनुभव और निष्ठा है।

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई।

बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 11 बैठकें आयोजित की गईं। प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल किया गया है और दोहराव से बचने के लिए यहां दोहराया नहीं गया है।

बोर्ड मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों के तहत एक सूचीबद्ध इकाई को बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशक के प्रदर्शन के औपचारिक मूल्यांकन के लिए उपयोग की गई विधि का संकेत देते हुए एक बयान शामिल करने की आवश्यकता है। हालाँकि, सरकारी कंपनियों के लिए उक्त प्रावधानों से छूट प्राप्त है, क्योंकि निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।

विनियामकों या न्यायालयों द्वारा जारी भौतिक और महत्वपूर्ण आदेश

वर्ष के दौरान विनियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश जारी नहीं किया गया, जो कंपनी के चालू परिचालनों या कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की उसकी क्षमता को प्रभावित करता हो।

सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है और अवैध या अनैतिक व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कंपनी ने अधिनियम और सूचीबद्ध विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप सुदृढ़ सतर्कता तंत्र और व्हिसल-ब्लोअर नीति लागू की है। व्हिसल-ब्लोअर नीति के तहत, कर्मचारी किसी भी अनुचित गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं जो कानून, नियम, विनियम या आचार संहिता का उल्लंघन करती है, उपयुक्त प्राधिकारी या लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को, जैसा भी लागू हो। प्राप्त किसी भी शिकायत की समीक्षा सक्षम प्राधिकारी या लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जैसा भी मामला हो। किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया गया है। सतर्कता तंत्र/व्हिसल-ब्लोअर संबंधी नीति को कंपनी की वेबसाइट https://www.iocl.com/InvestorCenter/pdf/Whistle_Blower_policy.pdf पर देखा जा सकता है।

ऋण/निवेश/गारंटी का विवरण

कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों को ऋण और गारंटी प्रदान की है, और अधिनियम और उसके तहत अधिसूचित नियमों के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान निवेश किया है। 31 मार्च, 2025 तक किए गए ऐसे निवेशों और प्रदान किए गए ऋणों/गारंटियों का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 4, 36, 37 और 42 में शामिल किया गया है।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न का मसौदा कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है और इसे https://www.iocl.com/annual-return लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का पालन करती है।

प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग

कंपनी के विभिन्न ऋण उपकरणों के लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल की जाती हैं। सेबी (एलओडीआर) की आवश्यकताओं के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति ने मार्च 2025 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ बैठक की।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ को हस्तांतरित अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश और शेयरों का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

कंपनी को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं। कंपनी के व्यावसायिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत दायर आवेदनों या किसी भी कार्यवाही का विवरण, वित्तीय वर्ष के अंत तक उनकी स्थिति के साथ

वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था और 2016 के दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण, जिसमें इन अंतरों के कारण भी शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान एकमुश्त निपटान का कोई मामला सामने नहीं आया।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

(क) वार्षिक लेखा तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था तथा भौतिक विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया, उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया, तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की वित्तीय स्थिति और उस अवधि के लिए उसके लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए उचित और विवेकपूर्ण हैं;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

(घ) निदेशकों ने कार्यशील संस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए है;

(ङ) निदेशकों ने स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी के द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए स्थापित किए और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं;

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली स्थापित की थी और ये प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्यरत थीं।

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल कंपनी के कर्मचारियों, अनुबंध कार्यबल और चैनल भागीदारों के ईमानदार, समर्पित और अथक प्रयासों के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है, जिनके सामूहिक प्रयासों से देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। बोर्ड भारत सरकार, विशेषकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामकों और सांविधिक प्राधिकरणों के प्रति उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है। बोर्ड बैंकरों, निवेशकों, सदस्यों, ग्राहकों, सलाहकारों, प्रौद्योगिकी लाइसेंसधारकों, ठेकेदारों, विक्रेताओं और अन्य लोगों सहित सभी हितधारकों से प्राप्त महत्वपूर्ण समर्थन की ईमानदारी से सराहना करता है, जिन्होंने कंपनी के विकास और संचालन में योगदान दिया है। इसके अलावा, बोर्ड श्री एस.एम. वैद्य, श्री सुजॉय चौधरी, श्री दिलीप जी. लालुंग, डॉ. (प्रो.) आशुतोष पंत, श्री सुदीप्त कुमार रे, डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह, श्री एन. सेंथिल कुमार और श्री वी. सतीश कुमार द्वारा बोर्ड के सदस्यों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई विशिष्ट सेवा, बहुमूल्य मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपनी सर्वोच्च प्रशंसा ज्ञापित करता है।

कृते और मंडल की ओर से,

हस्त./-
(ए एस साहनी)
अध्यक्ष
डीआईएन: 10652030

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 6 अगस्त, 2025

अनुबंध – I

एससी/एसटी/ओबीसी रिपोर्ट – I

1 जनवरी 2025 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक उद्यम का नाम: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ग्रुप	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग का प्रतिनिधित्व (01.01.2025 तक)				कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कार्यपालक अधिकारियों														
ए	18900	3198	1424	5297	800	130	65	287	3494	580	236	0	0	0
गैर–कार्यपालक														
बी	3712	598	374	612	0	0	0	0	274	49	25	0	0	0
सी	7021	1261	554	2473	44	9	4	17	1172	198	93	0	0	0
डी (सफ़ाईवाला छोड़कर)	237	41	20	79	14	4	0	5	0	0	0	0	0	0
डी (सफ़ाईवाला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (कार्यपालक + गैर–कार्यपालक)	**29870**	**5098**	**2372**	**8461**	**858**	**143**	**69**	**309**	**4940**	**827**	**354**	**0**	**0**	**0**

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग रिपोर्ट – II

1 जनवरी 2025 तक विभिन्न समूह ए सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग के प्रतिनिधित्व और पिछले कैलेंडर वर्ष में विभिन्न ग्रेडों में सेवा में की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

वेतनमान (रु. में)	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग का प्रतिनिधित्व (01.01.2025 तक)				कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40000 – 140000	139	25	5	48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50000 –160000	3799	580	261	1220	798	130	65	287	177	33	13	0	0	0
60000 – 180000	475	138	46	233	इस समूह में कोई भर्ती नहीं की गई				329	82	19	0	0	0
70000 – 200000	3460	524	269	1037	इस समूह में कोई भर्ती नहीं की गई				164	15	4	0	0	0
80000 – 220000	4776	760	354	1533	इस समूह में कोई भर्ती नहीं की गई				1571	258	119	0	0	0
90000 – 240000	2517	487	173	585	इस समूह में कोई भर्ती नहीं की गई				528	109	34	0	0	0
100000 – 260000	1377	253	144	296	इस समूह में कोई भर्ती नहीं की गई				265	51	31	0	0	0
120000 – 280000	1270	248	102	250	इस समूह में कोई भर्ती नहीं की गई				199	15	8	0	0	0
120000 – 280000	727	131	54	86	इस समूह में कोई भर्ती नहीं की गई				142	9	7	0	0	0
120000 – 280000	277	44	13	8	इस समूह में कोई भर्ती नहीं की गई				81	5	0	0	0	0
150000 – 300000	83	8	3	1	इस समूह में कोई भर्ती नहीं की गई				38	3	1	0	0	0
कुल योग	**18900**	**3198**	**1424**	**5297**	**800**	**130**	**65**	**287**	**3494**	**580**	**236**	**0**	**0**	**0**

अनुबंध – II

सीएसआर गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं

इंडियन ऑयल ने अपनी स्थिरता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एस एंड सीएसआर) नीति और दिशानिर्देश (अंतिम बार 2021 में संशोधित) के साथ-साथ एस एंड सीएसआर विजन तैयार किया है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक कल्याण में सुधार, पर्यावरणीय प्रभाव को अनुकूलित करना और नैतिक और जिम्मेदार प्रथाओं के माध्यम से समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देकर सतत राष्ट्रीय विकास में योगदान करना है। इंडियन ऑयल अपनी सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम 2013, सीएसआर नियम 2014, कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII, डीपीई दिशानिर्देशों और समय-समय पर किए गए किसी भी संशोधन के अनुसार संचालित करता है। सीएसआर पहलों को स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, कला और संस्कृति, महिलाओं के सशक्तिकरण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इंडियन ऑयल की सीएसआर पहल का मुख्य लक्ष्य, विशेष रूप से हाशिए पर और वंचित समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

इंडियन ऑयल ने लगातार 9वें वर्ष के अपने सीएसआर बजट का 100 प्रतिशत उपयोग करके सीएसआर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जिससे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश भर में हितधारकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, इंडियन ऑयल ने विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सीएसआर के अंतर्गत 850 से अधिक परियोजनाएँ शुरू कीं, जिन पर कुल 583.03 करोड़ का व्यय हुआ। इसके अलावा, डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 'स्वास्थ्य एवं पोषण और पीएम इंटर्नशिप योजना' के विषयगत क्षेत्रों पर 365.20 करोड़ रुपये (अर्थात कुल सीएसआर व्यय का 63 प्रतिशत) व्यय किया गया। नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए इंडियन ऑयल ने वर्ष के दौरान ऐसे 53 जिलों में 61.19 करोड़ रुपये व्यय किए।

वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख सीएसआर पहल

वर्ष 2024-25 के दौरान, ''स्वास्थ्य एवं पोषण तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना'' के अंतर्गत पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष के दौरान की गई नवीन और प्रभावशाली सीएसआर गतिविधियों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

टीबी उन्मूलन कार्यक्रम

भारत में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एक प्रमुख पहल का उद्देश्य वर्ष 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले 2025 तक तपेदिक को खत्म करना है। यह कार्यक्रम टीबी के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए प्रारंभिक निदान, त्वरित उपचार, सक्रिय मामले का पता लगाने, वायुजनित संक्रमण नियंत्रण और एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर जोर देता है। सामुदायिक सहभागिता के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2015 से टीबी के मामलों में 16% की कमी आई है तथा टीबी से संबंधित मृत्यु दर में 18% की कमी आई है।

वर्ष 2022-23 के बाद से, इंडियन ऑयल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू), केंद्रीय टीबी प्रभाग (सीटीडी) और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से परीक्षण

जिला अस्पताल, बेगूसराय, बिहार को टीबी उपकरण सौंपना

अंतराल को कम करते हुए और प्रारंभिक निदान तक पहुंच में सुधार कर टीबी उन्मूलन की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, इंडियन ऑयल ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार राज्यों में 249 आणविक नैदानिक मशीनें प्रदान कीं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत, इंडियन ऑयल ने मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में 102 हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें भी आवंटित कीं। वर्ष 2024-25 में, इंडियन ऑयल ने इस पहल पर ₹ 52.13 करोड़ खर्च किए। मार्च 2025 तक, इंडियन ऑयल ने विभिन्न राज्यों में 688 आणविक नैदानिक मशीनें और 124 हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें उपलब्ध कराईं और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में ₹ 124.95 करोड़ का योगदान दिया। इन मशीनों से 10 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों की जाँच की गई है, जिससे लगभग 60,000 पॉजिटिव मामलों का पता चला है।

इसके अतिरिक्त, ''प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान'' (पीएमटीबीएमबीए) और ''नि-क्षय मित्र'' पहल के तहत, जिसका उद्देश्य टीबी के विरुद्ध लड़ाई में प्रभावी सामुदायिक भागीदारी है, इंडियन ऑयल ने विभिन्न राज्यों में पोषण किट प्रदान किए हैं, जिससे 21,000 से अधिक टीबी रोगियों की मदद की गई है।

व्यापक कैंसर देखभाल

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने वर्ष 2024-25 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत में कैंसर के मामलों और मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया तथा वर्ष 2045 तक इसमें तीव्र वृद्धि का अनुमान लगाया गया। आईसीएमआर द्वारा विश्लेषित आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में लगभग 65% कैंसर रोगी निदान के बाद ही इस बीमारी से मर जाते हैं। रिपोर्ट में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि वैश्विक कैंसर के बोझ में भारत का बड़ा योगदान है।

पिछले कुछ वर्षों में, इंडियन ऑयल ने टाटा मेडिकल सेंटर, टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा ट्रस्ट, सर गंगा राम अस्पताल और अन्य जैसे कई प्रमुख संस्थानों के साथ भागीदारी की है, जो बुनियादी ढांचे और उपकरण सहायता प्रदान करते हैं, और मार्च 2025 तक अपनी कैंसर देखभाल पहल के लिए 216.16 करोड़ का योगदान दिया है।

वर्ष 2024-25 में, इंडियन ऑयल ने देश भर के विभिन्न अस्पतालों में ₹ 53.15 करोड़ मूल्य के एलआईएनएसी मशीन, पीईटी-सीटी मशीन, ब्रैकीथेरेपी उपकरण और रेडियोथेरेपी सीटी प्लानिंग स्कैनर जैसे उपकरण उपलब्ध कराकर कैंसर देखभाल के बुनियादी ढांचे को मज़बूत किया। कुछ प्रमुख अस्पताल जहाँ इंडियन ऑयल ने कैंसर देखभाल उपकरण उपलब्ध कराए है, नीचे सूचीबद्ध हैं:

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर (एमपीएमएमसीसी), वाराणसी में रेडियोथेरेपी मशीन (LINAC) का उद्घाटन

- टाटा चिकित्सा केंद्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
- महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
- होमी भाभा कैंसर अस्पताल, मुजफ्फरपुर, बिहार
- डॉ. बी. बरूआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम
- होमी भाभा कैंसर अस्पताल, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

इंडियनऑयल की कैंसर देखभाल पहल से प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

रेडियोथेरेपी मशीन (LINAC) (MPMMMCC), वाराणसी को प्रदान की गई

परियोजना चंदना: आदिवासियों के लिए सिकल सेल एनीमिया (एससीए) उन्मूलन

सिकल सेल रोग लाल रक्त कोशिकाओं का एक वंशानुगत विकार है जो दर्द, एनीमिया, संक्रमण का बढ़ते जोखिम, स्ट्रोक आदि जैसी जटिलताओं का कारण बनता है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत से सिकल सेल रोग का उन्मूलन करना है।

प्रारंभ में, मिशन ने 0-18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें धीरे-धीरे 40 वर्ष की आयु तक के लोगों को शामिल करने की योजना है। इसका उद्देश्य तीन वर्षों में लगभग 7 करोड़ लोगों की जाँच करना और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से विस्तार के साथ जनजातीय और उच्च-प्राथमिकता वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राथमिकता देना है।

इस मिशन के अनुरूप, इंडियन ऑयल ने भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु और कर्नाटक सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट चंदना (कर्नाटक में एनीमिया और सिकलसेल रोग से ग्रस्त आदिवासियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा) शुरू किया। इस परियोजना के अंतर्गत, आईआईएससी, बेंगलुरु द्वारा विकसित एक अभूतपूर्व अभिनव पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षण उपकरण को आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में तैनात किया गया है। यह उपकरण एससीए जाँच और परीक्षण के लिए एक त्वरित, लागत प्रभावी और कुशल विधि प्रदान करता है। इस परियोजना का उद्देश्य 2024-25 से शुरू होने वाले 2 वर्षों की अवधि में जागरूकता/आईईसी गतिविधियों, आनुवंशिक परामर्श, उपचार और दवा के संचालन के साथ-साथ कर्नाटक में 3 जिलों (मैसूर, चामराजनगर और कोडागु) में लगभग 2.56 लाख आदिवासी लोगों की स्क्रीनिंग और परीक्षण करना है। मार्च 2025 तक, 1.95 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिकल सेल रोग के 9,900 से ज़्यादा सकारात्मक मामले सामने आए हैं। इस अभिनव परियोजना के लिए, इंडियन ऑयल ने वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 11.35 करोड़ का योगदान दिया है।

'प्रोजेक्ट चंदना' के लिए इंडियन ऑयल, कर्नाटक सरकार और आईआईएससी बेंगलुरु के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

'प्रोजेक्ट चंदना' के तहत कर्नाटक के मैसूर में जनजातीय आबादी की एससीए स्क्रीनिंग का कार्य प्रगति पर है

डायलिसिस मशीन के माध्यम से गुर्दे की देखभाल सेवा

भारत में क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) के मामलों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हो रही है, प्रत्येक वर्ष लगभग 2.2 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत 2016 में ''प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम'' (पीएमएनडीपी) शुरू किया ताकि भारत के प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र स्थापित करके गरीबों के लिए गुर्दे की देखभाल सेवाएँ सुलभ और किफायती बनाई जा सकें।

यह कार्यक्रम 36 राज्यों, 749 ज़िलों और 1674 केंद्रों में संचालित होता है, जहाँ 11,757 हेमोडायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं। कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से आठ वर्षों में लगभग 27.86 मिलियन मरीज़ों को डायलिसिस सेवाएँ प्राप्त हुई हैं।

वर्ष 2024-25 में, पीएमएनडीपी को सहयोग देने और गुर्दे की देखभाल तक पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए, इंडियन ऑयल ने 8 राज्यों (7 पूर्वोत्तर राज्यों और छत्तीसगढ़) के राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से, विभिन्न सरकारी डायलिसिस केंद्रों को ₹ 8.93 करोड़ के योगदान से 148 हेमोडायलिसिस मशीनें उपलब्ध कराईं। इस प्रयास से सालाना 50,000 से ज़्यादा डायलिसिस रोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकारी डायलिसिस केंद्रों में एचडी मशीनों के प्रावधान के लिए इंडियन ऑयल और पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

इंडियन ऑयल शक्ति

वर्ष 2024-25 में शुरू की गई इंडियन ऑयल शक्ति का उद्देश्य भारत में युवा महिला एथलेटिक प्रतिभाओं को निखारना है और यह इंडियन ऑयल की एक प्रमुख पहल है। यह परियोजना राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) के साथ साझेदारी में की जा रही है ताकि मध्यम और लंबी दूरी की ट्रैक प्रतिस्पर्धा करने वाली 23 वर्ष से कम आयु की 30 महिला एथलीटों को सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार लाना और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पदक जीतने की उनकी संभावनाओं को बढ़ाना है। एनएसडीएफ, बेंगलुरु स्थित अपने उत्कृष्टता केंद्र में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के माध्यम से इस परियोजना का प्रबंधन कर रहा है। इस पहल के तहत, इंडियन ऑयल ने व्यापक प्रशिक्षण सहायता के लिए 1.34 करोड़ का योगदान दिया है।

इंडियन ऑयल शक्ति के एथलीट, बेंगलुरु स्थित SAI उत्कृष्टता केंद्र में प्रशिक्षण सत्र के दौरान

मार्च 2025 तक, बेंगलुरु में एसएआई केंद्र में 22 महिला एथलीटों को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंडियन ऑयल शक्ति एथलीट, सुश्री अंकिता ध्यानी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया; सुश्री विनीता गुजर, सुश्री प्राची देवकर और सुश्री सीमा ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धाओं में सफलता प्राप्त की।

इंडियन ऑयल शक्ति एथलीट, सुश्री अंकिता ध्यानी, ओलंपियन 2024

परियोजना चीता: कुनो नेशनल पार्क में चीता परिचय परियोजना

सन् 1952 में अत्यधिक दोहन के कारण भारत में चीते विलुप्त हो गए। भारत सरकार के प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने चीता परिचय परियोजना के लिए मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) को प्रथम स्थल के रूप में चुना ताकि इस प्रजाति को उनके पूर्व उत्पत्तिस्थान में वापस लाया जा सके।

वर्ष 2022-23 में, इंडियन ऑयल इस पहल के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) का पहला कॉर्पोरेट भागीदार बन गया। इस परियोजना के तहत, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान लाया गया। वर्तमान में, 12 वयस्क और 19 शावकों सहित 31 चीते इस आवास में फल-फूल रहे हैं, और एनटीसीए अगले 3-4 वर्षों में अफ्रीका से और चीते लाने की योजना बना रहा है। ₹ 50.22 करोड़ की कुल प्रतिबद्ध राशि में से, इंडियन ऑयल ने मार्च 2025 तक इस परियोजना के लिए ₹ 34.00 करोड़ का योगदान दिया है।

अफ़्रीकी महाद्वीप से लाई गई मादा चीता के नवजात शावक कुनो राष्ट्रीय उद्यान में फल-फूल रहे हैं

पीएम इंटर्नशिप योजना

केंद्रीय बजट 2024-25 में, माननीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा चिन्हित शीर्ष 500 कंपनियों में पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं (21 से 24 वर्ष के आयु वर्ग) को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मॉडल पर आधारित है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को 12 महीनों के लिए प्रति माह ₹ 5,000 (कॉर्पोरेट सीएसआर फंड से 500 और शेष सरकार से) प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार इंटर्नशिप स्थान पर इंटर्नशिप शुरू करने पर ₹ 6,000 का एकमुश्त अनुदान प्रदान करती है। प्रशिक्षण व्यय कॉर्पोरेट अपने सीएसआर निधि से वहन करते हैं। इस योजना के अंतर्गत, इंडियन ऑयल ने वर्ष 2024-25 के दौरान अपने विभिन्न स्थानों पर 421 प्रशिक्षुओं को नामांकित किया।

केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा

इंडियन ऑयल एसर्स

इंडियन ऑयल की खेल छात्रवृत्ति योजना इंडियन ऑयल एसर्स भारत भर में 20 खेलों (ओलंपिक खेल और अन्य लोकप्रिय खेल जैसे हॉकी, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज आदि) में खेल प्रतिभाओं को समर्थन और पोषण देती है। इस योजना के तहत, होनहार खेल प्रतिभाओं की पहचान की जाती है और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, 212 खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ मिला, जिनमें से 105 महिला खिलाड़ी थीं। इसकी शुरुआत से अब तक, 1000 से अधिक उभरते हुए खिलाड़ी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। खेल विद्वानों ने पूरे वर्ष देश को अनेक सम्मान दिलाए हैं। इंडियन ऑयल की दो निशानेबाज़, सुश्री रायज़ा ढिल्लों और सुश्री ईशा सिंह (निशानेबाजी) ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जबकि 25 से अधिक इंडियन ऑयल एसर्स ने वर्ष 2024-25 में विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीते।

इंडियन ऑयल के खिलाड़ी पदक जीतने में सफल रहे (ऊपर बाएं से दक्षिणावर्त): सुश्री ईशा सिंह (निशानेबाजी), सुश्री रायजा ढिल्लों (निशानेबाजी), श्री अनीश गौड़ा (तैराक), सुश्री परनीत कौर (तीरंदाजी)।

इंडियन ऑयल एसर्स: सुश्री कनिका, सुश्री साक्षी और सुश्री मनीषा जूनियर एशिया कप 2024 में विजेता भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा होंगी

स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल, मथुरा

स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल (एसजेएसएच), मथुरा, उत्तर प्रदेश, स्थानीय समुदाय को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए इंडियन ऑयल की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। सन् 1999 में स्थापित, यह 50-बिस्तरों वाला अस्पताल (गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों के लिए 5 बिस्तर आरक्षित) मथुरा और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को व्यापक चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। मरीजों को परामर्श और उपचार के लिए मुफ्त या रियायती चिकित्सा सेवाएँ मिलती हैं। इसमें एक सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, उन्नत नैदानिक प्रयोगशाला, आईसीयू और विभिन्न चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए विशेष विभाग हैं। एसजेएसएच आसपास के गाँवों में स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। औसतन, इस अस्पताल से सालाना 50,000 से अधिक मरीज लाभान्वित होते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, अस्पताल के संचालन और रखरखाव के लिए लगभग ₹ 6.61 करोड़ आवंटित किए गए थे।

स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल (एसजेएसएच), मथुरा

इंडियन ऑयल का असम ऑयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डिगबोई, असम

असम ऑयल डिवीजन (एओडी) अस्पताल, डिगबोई

असम ऑयल डिवीजन (एओडी) अस्पताल, डिगबोई, असम, सन् 1906 में स्थापित, 200 बिस्तरों वाला एक तृतीयक देखभाल अस्पताल है जो एक आधुनिक बहु-विशिष्ट सुविधा के रूप में विकसित हुआ है। यह भारत के सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करता है। इस अस्पताल में चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, हड्डी रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, ईएनटी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि सहित कई विशेषज्ञताएँ उपलब्ध हैं। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला बर्न यूनिट भी है, जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा संचालित है।

अपनी मुख्य चिकित्सा सेवाओं के अलावा, एओडी अस्पताल आस-पास के इलाकों में रहने वाले उन ग्रामीणों में जन स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर और लोकसंपर्क कार्यक्रम भी सक्रिय रूप से आयोजित करता है, जिनकी नियमित चिकित्सा देखभाल तक पहुँच नहीं है। सालाना औसतन 6,500 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज करते हुए, यह अस्पताल पूर्वोत्तर भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की अपनी मज़बूत विरासत को आगे बढ़ा रहा है। वर्ष 2024-25 में, अस्पताल के संचालन और रखरखाव के लिए ₹ 6.92 करोड़ आवंटित किए गए थे।

असम ऑयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग (एओसीएन)

असम ऑयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग (एओसीएन), डिगबोई, असम की स्थापना सन् 1986 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए की गई थी। एओसीएन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) में एक व्यापक 3-वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम और 4-वर्षीय बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 30 छात्राओं के वार्षिक प्रवेश के साथ, जीएनएम कार्यक्रम युवा महिलाओं को नर्सिंग में करियर बनाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। सन् 2014 से, संस्थान ने अपने कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम भी शामिल कर लिया है, जिसमें 30 महिला छात्राओं का वार्षिक प्रवेश होता है। एओएसएन का प्रभाव इसके मज़बूत ट्रैक रिकॉर्ड से स्पष्ट है। वर्ष 2024-25 में, जीएनएम और बीएससी (नर्सिंग) दोनों कार्यक्रमों में 30 छात्राओं को इस पहल का लाभ मिला। अपनी शुरुआत से ही, जीएनएम कार्यक्रम से 581 और बीएससी (नर्सिंग) से 202 स्नातकों के साथ, एओएसएन ने 100% प्लेसमेंट दर को बनाए रखा है। वर्ष 2024-25 में, इंडियन ऑयल ने इस पहल पर ₹ 3.63 करोड़ व्यय किए।

इंडियनऑयल के असम ऑयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डिगबोई, असम में प्रशिक्षण जारी है

इंडियन ऑयल न्यूट्री-गार्डन्स

इंडियन ऑयल धुले (महाराष्ट्र), बेगूसराय (बिहार) और जयपुर (राजस्थान) के ग्रामीण क्षेत्रों में 3,750 परिवारों के लिए प्रशिक्षण सत्रों, जागरूकता गतिविधियों और क्षेत्रीय प्रदर्शनों के माध्यम से 50 सरकारी स्कूलों में न्यूट्री गार्डन विकसित कर रहा है और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दे रहा है। इसके अतिरिक्त, न्यूट्री गार्डन को सहयोग देने के लिए इस परियोजना के तहत 6 वर्मीकंपोस्टिंग इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस परियोजना का उद्देश्य ताज़ी सब्जियों के सेवन को बढ़ावा देना और स्वस्थ आहार तथा विविध आहार संबंधी आदतों को प्रोत्साहित करना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा में सुधार करेगा और मध्याह्न भोजन योजना का पूरक बनेगा।

इंडियनऑयल द्वारा विकसित न्यूट्रीगार्डन से लाभार्थियों को ताज़ी सब्ज़ियां मिल रही हैं

कौशल विकास संस्थान, भुवनेश्वर

कौशल विकास संस्थान, भुवनेश्वर (एसडीआई-बी) की स्थापना 9 मई, 2016 को भुवनेश्वर में बेरोजगार और वंचित युवाओं को आजीविका-वर्धक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और उद्योग जगत को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। भुवनेश्वर स्थित एसडीआई-बी के मुख्य परिसर का उद्घाटन माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री द्वारा 24 फरवरी, 2019 को किया गया।

यह बहु-कौशल संस्थान उद्योग विशेषज्ञों द्वारा समर्थित विश्व स्तरीय कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करता है, तथा युवाओं को औद्योगिक इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन), वेल्डर, एचवीएसी तकनीशियन, फिटर फैब्रिकेटर, सोलर पीवी इंस्टॉलर, डिजिटल फोटोग्राफर, औद्योगिक रोबोटिक्स तकनीशियन, सीएनसी प्रोग्रामर आदि के रूप में करियर बनाने के लिए तैयार करता है। पाठ्यक्रम की अवधि 3 से 6 महीने तक होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्योग भागीदारों जैसे श्नाइडर, टाटा स्ट्राइव, एनटीटीएफ, सीमेंस और लिक्सिल आदि के सहयोग से विभिन्न उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, 226 महिलाओं सहित 1395 लाभार्थियों को नियमित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया। स्थापना के बाद से,

कौशल विकास संस्थान, भुवनेश्वर में पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्रगति पर है

एसडीआई-बी में 10547 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 25% महिलाएँ हैं। वर्ष 2024-25 में, इंडियन ऑयल ने इस पहल पर 15.32 करोड़ व्यय किए।

दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम

इंडियन ऑयल ने नई दिल्ली स्थित दिव्यांगजन कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) के सहयोग से 70 दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। गुरुग्राम में एससीपीडब्ल्यूडी से संबद्ध प्रशिक्षण केन्द्र में 12 सप्ताह के इस कार्यक्रम में 20 उम्मीदवारों को लोकोमोटर दिव्यांगता के साथ प्रशिक्षित किया गया और खुदरा बिक्री सहयोगी और खुदरा बिक्री आउटलेट अटेंडेंट जैसी भूमिकाओं के लिए नौकरी-विशिष्ट कौशल में बोलने और सुनने में हानि वाले 50 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

डोमेन प्रशिक्षण के अलावा, प्रतिभागियों को इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट्स पर 60 घंटे का रोजगार कौशल उन्मुखीकरण और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित योग्यता पैकेजों पर आधारित था, जिससे उद्योग-संबंधित कौशल विकास सुनिश्चित हुआ। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उम्मीदवारों को एडेको, इकोज़ कैफ़े, फ्लिपकार्ट वेयरहाउस, मैक्स रिटेल, वन पॉइंट वन सॉल्यूशन, स्टारटेक और रिलायंस फ्रेश जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में रोज़गार प्राप्त हुआ।

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद विभिन्न कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, जिनमें शामिल हैं (ऊपर बाएं से दक्षिणावर्त): वन पॉइंट वन में विवेक कुमार, फ्लिपकार्ट में रॉबिन, वन पॉइंट वन में विकास मिश्रा और स्टारटेक में अंकित कुमार झा

परियोजना बढ़ते कदम: क्लबफुट से होने वाली दिव्यांगता का उपचार और पुनर्वास

क्लबफुट, या जन्मजात टैलिप्स इक्विनोवरस (सीटीईवी), एक जन्मजात विकृति है जिसके कारण एक या दोनों पैर नीचे और अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे चलना मुश्किल या असंभव हो जाता है। इंडियन ऑयल असम, ओडिशा और दिल्ली-एनसीआर में क्लबफुट से पीड़ित 1,500 बच्चों के उपचार और पुनर्वास में सहायता कर रहा है। इस पहल में उपचार के लिए बच्चों की पहचान करना और उनका नामांकन करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में नामित क्लबफुट क्लीनिकों में सहायक उपकरण प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को प्रशिक्षित करने, समर्पित परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने, मासिक जागरूकता अभियान चलाने और देखभाल और सहायता तक पहुंच में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने पर बल देती है।

क्लबफुट से पीड़ित एक बच्चे का सेंट स्टीफंस अस्पताल, नई दिल्ली में बढ़ते कदम परियोजना के तहत उपचार किया जा रहा है

5 पवित्र कुंडों का पर्यावरण-कायाकल्प

इंडियनऑयल की सीएसआर पहल के तहत पुनर्जीवित मथुरा के पवित्र कुंडों में से एक, प्रेम सरोवर की पहले और बाद की तस्वीरें

इंडियन ऑयल ने ब्रज क्षेत्र, मथुरा के बरसाना, नंदगांव और वृन्दावन क्षेत्रों में पांच ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जल निकायों - पवन सरोवर, प्रेम सरोवर, विव्हल कुंड, कृष्ण कुंड और जल विहार कुंड - की बहाली शुरू की है। भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने-बाने में गहराई से समाए ये कुंड, वर्तमान में भीषण प्रदूषण के कारण विकट स्थिति में हैं। आस-पास के जल निकायों से प्रदूषण, शून्य घुलित ऑक्सीजन स्तर, उच्च रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी) और जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के साथ-साथ कुल घुलित ठोस (टीडीएस), सल्फेट और क्लोराइड की बढ़ी हुई मात्रा ने उनके पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से बाधित किया है। इन कुंडों का पुनरुद्धार न केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता है, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आवश्यकता भी है। पुनरुद्धार के लिए जलग्रहण क्षेत्र से पोषक तत्वों के प्रवाह का प्रबंधन और मौजूदा प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से हटाना या विघटित करना आवश्यक होगा। इन पवित्र जल निकायों के जीर्णोद्धार से जैव विविधता को पुनर्जीवित करने और लाखों श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखने वाले विरासत स्थलों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इंडियन ऑयल ने वर्ष 2024-25 से शुरू होकर तीन वर्षों की अवधि में इस परियोजना के लिए 11.20 करोड़ का योगदान देने की योजना बनाई है।

आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य हस्तक्षेप

स्वास्थ्य, बाल कल्याण और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, इंडियन ऑयल ने आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में 116 आंगनवाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण में सहायता करते हुए 10 से 19 वर्ष की आयु की 10,000 से अधिक किशोरियों को हीमोग्लोबिन प्रगति कार्ड वितरित कर एक परिवर्तनकारी पहल शुरू की। आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे कि चटाई, बच्चों के अनुकूल कुर्सियां, बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन, स्कूटर, यूनिकॉर्न खिलौना सेट, दस्ताने वाली कठपुतलियां, पैराशूट और पढ़ने के लिए स्टैंड से सुसज्जित किया गया था - जिससे 2.5 से 5 वर्ष की आयु के लगभग 3,700 बच्चे लाभान्वित हुए। हीमोग्लोबिन प्रगति कार्ड किशोरियों में एनीमिया के स्तर पर नियमित रूप से ट्रैक करने में मदद करेगा, जो एक प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक है जो उनके शारीरिक विकास, शैक्षणिक प्रदर्शन और दीर्घकालिक प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

आंध्र प्रदेश के पालनाडु में आंगनवाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री और किशोरियों को हीमोग्लोबिन कार्ड का वितरण

इंडियन ऑयल फाउंडेशन (आईओएफ) परियोजनाएं

इंडियन ऑयल ने पूरे भारत में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडियन ऑयल फाउंडेशन (आईओएफ) के माध्यम से, इंडियन ऑयल पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर पर्यटन-अनुकूल बुनियादी ढाँचे का विकास करते हुए भारतीय कला और संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। वाराणसी में, नमो घाट के नवीनीकरण और पुनर्विकास ने इसे शहर के सबसे लंबे और सबसे सुलभ घाट में बदल दिया है। सी कैथेड्रल चर्च, बेसिलिका ऑफ़ बोम जीसस, फोर्ट अगुआडा और गोवा में महादेव मंदिर जैसे प्रमुख विरासत स्थलों का भी इंडियन ऑयल द्वारा विकास किया गया है।

इसके अलावा, इंडियन ऑयल ने हैदराबाद के गोलकुंडा किले और चारमीनार सहित कई स्मारकों के अग्रभाग प्रकाश व्यवस्था, मल्टीमीडिया शो और सौर ऊर्जा से चलने वाले समाधानों की स्थापना के माध्यम से उनके पुनरुद्धार में मदद की है। इसी प्रकार, पट्टाडकल के मंदिर समूह, वारंगल किले, लखनऊ रेजीडेंसी और बूंदी के विभिन्न स्मारकों के अग्रभाग प्रकाश व्यवस्था ने उनके रात्रिकालीन आकर्षण को बढ़ाया है और सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान दिया है। इन प्रयासों से प्रतिदिन लगभग 20,000 पर्यटक इन धरोहर स्थलों को देखने आते हैं।

वारंगल किले और लखनऊ रेजीडेंसी के अग्रभाग की रोशनी इंडियनऑयल द्वारा विकसित

अवरोधों को तोड़ना: 100 उभयलिंगी व्यक्तियों का सामाजिक-आर्थिक समावेश

इंडियन ऑयल ने दिल्ली के चुनिंदा इलाकों में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) और सूक्ष्म उद्यम विकास के ज़रिए 100 उभयलिंगी व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दिया है। इस परियोजना के मुख्य भाग में व्यापक प्रशिक्षण शामिल था, जहाँ प्रतिभागियों ने मोमबत्ती बनाने और ब्यूटी सैलून सेवाओं जैसे व्यवसायों में व्यावहारिक और विपणन योग्य कौशल प्राप्त किया, जिन्हें उनकी बाज़ार प्रासंगिकता और आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाने की क्षमता के आधार पर चुना गया था। 20 प्रशिक्षित लाभार्थियों को नई दिल्ली की एक कंपनी में रोज़गार मिला। कई अन्य प्रतिभागियों ने अपने स्वयं के सूक्ष्म उद्यम शुरू करने या स्वतंत्र सेवाएँ देने का आत्मविश्वास हासिल किया है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

एनएसडी के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ियों के बच्चों के लिए रंगमंच कार्यशालाएँ

वर्ष 2024-25 के दौरान, इंडियन ऑयल ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक परियोजना को पूरा करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) के साथ सहयोग किया। इस पहल में दिल्ली एनसीआर के झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों में बच्चों के लिए रंगमंच कार्यशालाओं का आयोजन, तथा उसके बाद एनएसडी, नई दिल्ली में दो दिवसीय रंगमंच महोत्सव का आयोजन शामिल था। इस परियोजना का उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों में सामाजिक, संचार और आत्म-प्रबंधन कौशल के विकास में सहायता करना था। इस पहल के तहत, एनएसडी स्नातकों और रंगमंच के पेशेवरों ने दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों में 30 दिनों की अवधि में आठ कार्यशालाएँ आयोजित कीं, जिनमें 8 से 15 वर्ष की आयु के 274 बच्चों को शामिल किया गया।

IndianOil

जीवन से जुड़ाव सपनों को उड़ान

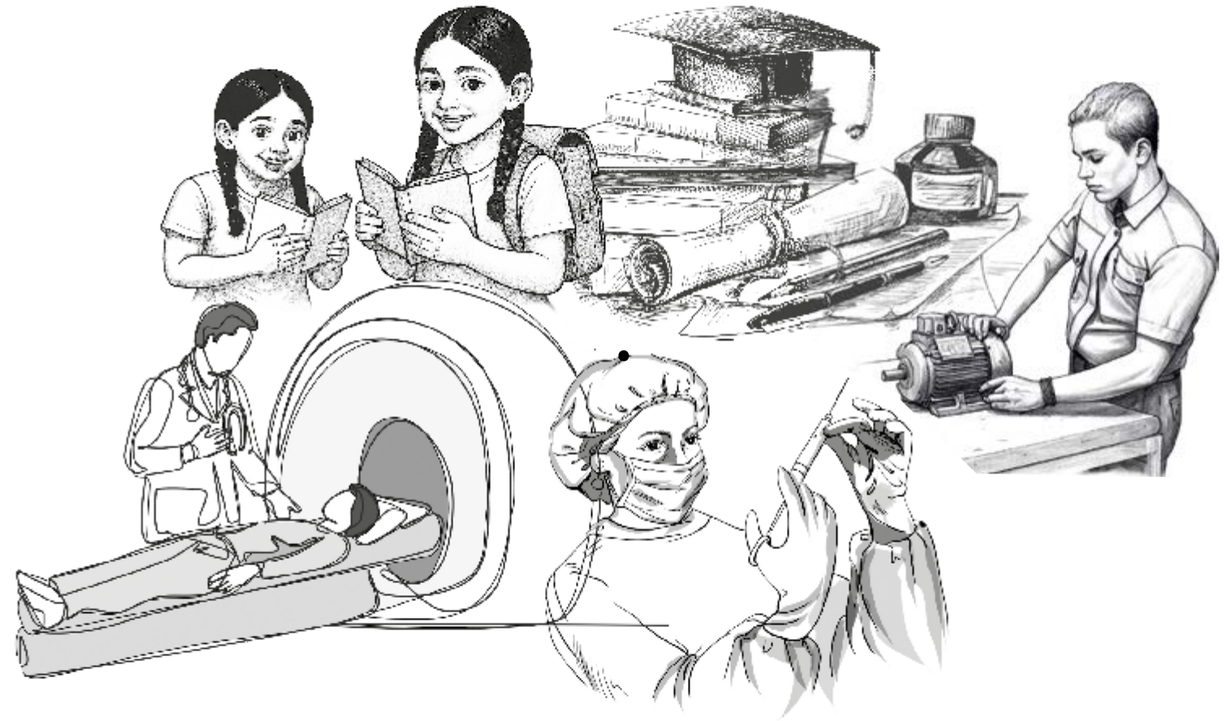

- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, कौशल विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, खेल और सशक्तीकरण से जुड़ी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) प्रयासों से इंडियनऑयल ने 1.36 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है।
- इंडियनऑयल आरोग्यम क्लीनिक और मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से दूरदराज के समुदायों तक व्यापक चिकित्सा सहायता पहुंचाता है और इलाज में आने वाली कमी को दूर करता है।
- युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियनऑयल 15 से ज़्यादा कौशल विकास संस्थानों और कई आईटीआई को सहयोग दे रहा है।
- मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देकर तथा ग्रामीण भारत में स्कूलों और डिजिटल शिक्षा के लिए मदद देकर शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाया जा रहा है।
- ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण प्रतिभाओं और पैरा-एथलीटों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और सहायक उपकरण व सेवाओं के ज़रिए सबके लिए खेलों तक पहुँच आसान बनाई जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

इंडियन ऑयल की स्थिरता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एस एंड सीएसआर) नीति ऊर्जा समाधान प्रदान करने के दृष्टिकोण पर आधारित है जो कुशल, सुरक्षित, नैतिक और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनी का लक्ष्य सतत व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करते हुए सामुदायिक कल्याण में सुधार लाना है। इसका उद्देश्य निर्णय लेने में पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों को शामिल करते हुए हितधारकों के लिए मूल्य सृजन पर केंद्रित है तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन करने के लिए पारदर्शिता, नैतिक प्रथाओं और नवाचार को बनाए रखना है।

2. सीएसआर एवं सतत विकास समिति की संरचना

	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआरएंडएसडी समिति की बैठकों की संख्या (उपस्थित होने के लिए पात्र)	वर्ष के दौरान सीएसआरएंडएसडी समिति की बैठकों की संख्या
1	डॉ. (प्रोफ़ेसर) राम नरेश सिंह (24.11.2024 से प्रभावी)	स्वतंत्र निदेशक/समिति के सदस्य और समिति के अध्यक्ष	3	3
2	डॉ. (प्रोफ़ेसर) आशुतोष पंत (23.11.2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक/समिति के सदस्य और समिति के अध्यक्ष	4	4
3	श्री प्रसेनजीत विश्वास (23.11.2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक/समिति के सदस्य	4	4
4	श्री सतीश कुमार वडुगुरी	निदेशक (विपणन)/समिति के सदस्य	7	3
5	श्री अनुज जैन	निदेशक (वित्त)/समिति के सदस्य	7	7
6	सुश्री रश्मि गोविल	निदेशक (मानव संसाधन)/समिति के सदस्य	7	7
7	श्री सुमन कुमार (26.02.2025 से प्रभावी)	निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)/समिति के सदस्य	2	2
8	श्री एन. सेंथिल कुमार (01.09.2024 से 25.02.2025 तक)	निदेशक (पाइपलाइन) एवं निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं/समिति के सदस्य	2	2
9	श्री सुजय चौधुरी (31.08.2024 तक)	निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)/समिति के सदस्य	3	3

3. कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन करने वाला वेब लिंक नीचे दिया गया है:

सीएसआरएंडएसडी समिति की संरचना:	https://iocl.com/InvestorCenter/PDF/Board-Committees.pdf
स्थिरता और सीएसआर नीति:	https://iocl.com/download/IndianOils_Sustainability_and_CSR_Policy.pdf
बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं:	https://iocl.com/pages/board-approved-csr-projects

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अंतर्गत किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश वेब लिंक सहित नीचे दिया गया है:

प्रभाव मूल्यांकन का कार्यकारी सारांश

इंडियन ऑयल का परिचालन स्पष्ट स्थिरता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एस एंड सीएसआर) दृष्टिकोण का पालन करता है, जो सतत व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करने, पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने और सामुदायिक कल्याण को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण भारत के कई राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पहलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। लाभार्थियों और हितधारकों पर उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए दो सीएसआर परियोजनाओं का चयन प्रभाव मूल्यांकन के लिए किया गया था। मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यान्वयन के दौरान लाभार्थियों द्वारा अनुभव किए गए लाभों को समझना था।

इन दोनों परियोजनाओं का अध्ययन डेवलपमेंट एंड रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (डीआरएस) द्वारा किया गया था। इसमें एक व्यापक पद्धति अपनाई गई जिसमें डेस्क समीक्षा, डेटा संग्रह और विश्लेषण शामिल था। अध्ययन में गहन साक्षात्कार, केंद्रित समूह चर्चाएँ और क्षेत्र भ्रमण शामिल थे। परियोजना के प्रभाव स्तर और तीव्रता की व्याख्या करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त डेटा को तालिकाओं में व्यवस्थित किया गया था। स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्राथमिक डेटा के साथ गुणात्मक प्रतिक्रिया को जोड़ा गया था। इस मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण ने हस्तक्षेपों की व्यापक समझ प्रदान की और विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में भविष्य में सुधार के लिए सूचित सुझाव दिए। प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:

फरीदाबाद में 5 टीपीडी बायो मीथेनेशन संयंत्र का प्रावधान

इंडियन ऑयल ने अपनी सीएसआर पहल के तहत हरियाणा के फरीदाबाद में 5 टन प्रतिदिन (टीपीडी) क्षमता का बायो-मीथेनेशन संयंत्र स्थापित किया है, जिसे जैविक अपशिष्ट के प्रसंस्करण और बायोगैस के उत्पादन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए तैयार किया गया है। मार्च 2019 में फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) के सहयोग से शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न जैविक अपशिष्टों जैसे सब्जी मंडी अपशिष्ट, रसोई अपशिष्ट और बायोमास अवशेष आदि से बायोगैस उत्पन्न करना है। यह संयंत्र प्रभावी रूप से जैविक अपशिष्ट को 82.0% मीथेन सामग्री के साथ बायोगैस में परिवर्तित करता है, तथा उत्पादित बायोगैस को आगे संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) में शोधित किया जाता है। उत्पादित बायोगैस का मुख्य उद्देश्य सेक्टर 7, फरीदाबाद में इस्कॉन फाउंडेशन किचन (निःशुल्क) द्वारा स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए उपयोग करना है। यह संयंत्र पिछले 5 वर्षों से चालू है और भोजन तैयार करने के लिए इस्कॉन रसोई को लगातार गैस की आपूर्ति करता रहा है।

भारत के विभिन्न अस्पतालों में प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र

वर्ष 2021 में, इंडियन ऑयल ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल के तहत, पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर 12 चिकित्सीय ग्रेड ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयां स्थापित कीं। ये इकाइयां तीन राज्यों: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के 10 जिलों के 11 सरकारी अस्पतालों में स्थापित की गईं। इसका मुख्य लक्ष्य कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान चिकित्सीय-ग्रेड ऑक्सीजन की कमी को दूर करना था। इस हस्तक्षेप को पहली लहर के बाद एक समयोचित प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया और दूसरी लहर के दौरान यह आवश्यक साबित हुआ। प्रत्येक संयंत्र की क्षमता 960 लीटर प्रति मिनट (एलपीएम) है और यह आमतौर पर 90% से 96% तक की शुद्धता वाली ऑक्सीजन का उत्पादन करता है।

लाभार्थियों और उनके परिजनों के साथ बातचीत से जुड़े प्रभाव अध्ययन में पाया गया कि यह पहल कई लोगों की जान बचाने में एक ''अनुकरणीय सफलता'' साबित हुई। सभी अस्पतालों के डॉक्टरों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह एक ''बड़ी मदद'' थी और कोविड के इस कठिन दौर में ''कई अमूल्य जानें'' बचाईं। पीएसए संयंत्रों ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) टैंकों और सिलेंडरों का एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान किया है। चूंकि उन्हें चालू किया गया था, इसलिए अस्पताल इन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) के लिए ज़िम्मेदार रहे हैं। आमतौर पर, सामान्य परिस्थितियों में, प्रत्येक संयंत्र ने प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन लगभग 60-65 रोगियों की सेवा की है।

प्रभाव आकलन रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर होस्ट की जाती हैं: https://iocl.com/pages/Impact-Assessment-Reports

5.

(क)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ	₹ 28723.20 करोड़
(ख)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	₹ 574.46 करोड़
(ग)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	शून्य
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो:	₹ 35.29 करोड़
(ङ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व ((बी)+(सी)-(डी)):	₹ 539.17 करोड़

6.

(क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चालू और गैर-चालू दोनों परियोजनाओं सहित): ₹ 555.11 करोड़

(ख) प्रशासनिक शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गई राशि: ₹ 27.76 करोड़

(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: ₹ 0.16 करोड़

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि ((क)+(ख)+(ग)): ₹ 583.03 करोड़

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135(6) के अनुसार अनुपयोग सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरि राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
₹ 583.03 करोड़	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

(च) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	विवरण	राशि
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत (पिछले वित्तीय वर्ष से समायोजन करने के बाद)	₹ 539.17 करोड़
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	₹ 583.03 करोड़
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	₹ 43.86 करोड़
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष या	शून्य
(v)	पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रम या गतिविधियां, यदि कोई हों	₹ 43.86 करोड़

7. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष पर व्यय की गई राशि	धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि, यदि लागू हो।			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि	घाटा, यदि कोई हो
					निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि		
1	2023-24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	2022-23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत व्यय की गई राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित या अर्जित की गई है: **वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की लेखा पुस्तकों में सीएसआर व्यय के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाई गई या अर्जित नहीं की गई।**

यदि हाँ, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें: **लागू नहीं**

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित व्यय राशि का विवरण प्रस्तुत करें: **लागू नहीं**

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं: **लागू नहीं**

हस्त./-
सुश्री रश्मि गोविल
निदेशक (मानव संसाधन) एवं सदस्य, सीएसआरएंडएसडी समिति

हस्त./-
प्रसेनजीत बिस्वास
स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष, सीएसआरएंड एसडी समिति

अनुबंध – III

फॉर्म नं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में जारी]
((प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक)
एमआर-3 में दिए गए प्रारूप के सार को बदले बिना, आवश्यकतानुसार संशोधनों के साथ नियम, 2014]

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए **इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (CIN L23201MH1959GOI011388) (जिसे आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय लेखापरीक्षा की गई है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है कि हमें कंपनी के आचरण और सांविधिक अनुपालन का आकलन करने तथा मामले पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हो सके।

क. सदस्यों को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए:-

i. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।

ii. हमने सचिवीय अभिलेखों की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित किए गए हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

iii. हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

iv. चूंकि कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी इकाई है, इसलिए निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्ति और उनके नियम, शर्तें, पारिश्रमिक और मूल्यांकन का निर्धारण करने का अधिकार भारत सरकार के पास निहित है।

v. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों, घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।

vi. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच केवल परीक्षण प्रक्रियाओं तक ही सीमित थी।

vii. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता या प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन की प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन नहीं देती है।

ख. कंपनी के लेखों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइलिंग, साथ ही कंपनी द्वारा संधारित अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की हमारी समीक्षा के आधार पर, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि, हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं (पूरी तरह से स्थापित) और एक अनुपालन तंत्र है जो सीमा, तरीके और उसमें उल्लिखित रिपोर्टिंग के अधीन है।

ग. हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गए लेखों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल विवरणी के साथ-साथ अन्य अभिलेखों की जांच की है:

I. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

II. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

III. निक्षेप अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;

IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, इसके तहत जारी नियमों और विनियमों के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार पर लागू सीमा तक;

V. क भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत जारी निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के लिए पंजीयक) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ लेन-देन से संबंधित;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021

V. ख कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सेबी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट विनियमों और दिशानिर्देशों में उल्लिखित किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया है, और इसलिए, वे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नहीं हैं;

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर-आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; और

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2018

VI. लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश ('डीपीई दिशानिर्देश')

VII. निम्नलिखित अधिनियम एवं नियम तेल और गैस उद्योग से संबंधित हैं, जो कंपनी पर लागू होते हैं:

(क) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948;

(ख) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934;

(ग) खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957;

(घ) पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (अंतर्देशीय उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962;

(ङ) तेल खान विनियम, 1984;

(च) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 1959;

(छ) पेट्रोलियम नियम, 2002;

(ज) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974;

(झ) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001;

(ञ) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006;

हमने निम्नलिखित प्रासंगिक धाराओं के अनुपालन की भी समीक्षा की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा समय-समय पर संशोधित निदेशक मंडल (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) की बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक जारी किए जाते हैं;

ii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर));

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क) कंपनी के पास निम्नलिखित नहीं थे :

1. समीक्षाधीन अवधि के लिए सेबी विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ए) के प्रावधान के अनुसार बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई।
2. दिनांक 24.11.2024 से 31.03.2025 की अवधि के लिए सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1)(ए) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसार कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन;
3. समीक्षाधीन अवधि अर्थात दिनांक 01.04.2024 से 07.05.2024, 11.05.2024 से 31.08.2024, तथा 13.11.2024 से 31.03.2025 के लिए सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1)(बी) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक इसके बोर्ड में होंगे;

ख) लेखापरीक्षा समिति के पास अधिनियम की धारा 177 (2), सेबी (एलओडीआर) के विनियम 18 (1) (बी) और 24.11.2024 से 31.03.2025 तक डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं थी;

ग) नामांकन और पारिश्रमिक समिति में 24.11.2024 से आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं थे, जैसा कि अधिनियम की धारा 178 (1) द्वारा अपेक्षित है, और 24.11.2024 से 31.03.2025 तक सेबी (एलओडीआर) के विनियम 19 (1) (बी) और (सी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार आवश्यक संरचना आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया;

घ) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अधिनियम की अनुसूची और सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला निदेशक सहित निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है। गैर-कार्यकारी निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी ने प्रत्येक समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की।

घ. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि,

I. कंपनी का निदेशक मंडल, ऊपर उल्लिखित अपवादों को छोड़कर, कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ सुव्यवस्थित रूप से गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

II. बोर्ड की बैठकों की समय-सारणी बनाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है। कार्यसूची और विस्तृत नोट्स काफी पहले भेज दिए जाते हैं, और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की एक प्रणाली मौजूद है, जिससे बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित होती है।

III. बोर्ड कार्यवृत्त के अनुसार, जिसे अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से दर्ज और हस्ताक्षरित किया गया, कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई, तथा बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए, तथा कोई असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किया गया।

ङ. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए, उसके आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

च. I. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान:

क. कंपनी ने 16 जुलाई, 2024 को निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1,00,000 प्रत्येक के 2,50,000, 7.36% असुरक्षित, सूचीबद्ध, रेटेड, कर योग्य, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (श्रृंखला-XXVI) जारी किए हैं, जिनकी कुल कीमत 2,500 करोड़ है, और 6 जनवरी, 2025 को निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1,00,000 प्रत्येक के 2,50,000, 7.25% असुरक्षित, सूचीबद्ध, रेटेड, कर योग्य, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (श्रृंखला-XXVI) जारी किए हैं, जिनकी कुल कीमत 2,500 करोड़ है।

ख. कंपनी ने 16 अप्रैल, 2024 को 10,00,000 प्रत्येक के 25,000, 5.84% असुरक्षित, सूचीबद्ध, रेटेड, कर योग्य, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (श्रृंखला - XXii) का कुल मूल्य 2,500 करोड़, और 6 मार्च, 2025 को एक निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 10,00,000 प्रत्येक के 29,950, 6.39% असुरक्षित, सूचीबद्ध, रेटेड, कर योग्य, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (श्रृंखला - XVi) का कुल मूल्य 2,995 करोड़, का प्रतिदेय किया है।

ग. कंपनी ने 154 करोड़ में मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड (एम पीएल) में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।

II. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऊपर उल्लिखित घटनाओं को छोड़कर, निम्नलिखित में से कोई भी घटना नहीं घटी:

(i) सार्वजनिक/अधिकार/शेयरों का अधिमान्य निर्गम/स्वेट इक्विटी आदि।

(ii) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसार सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय।

(iv) विलय, पुनर्निर्माण, आदि।

(v) विदेशी तकनीकी सहयोग।

कृते **ढोलकिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
(कंपनी सचिव)

हस्त./-
सीएस नृपंग बी. ढोलकिया
प्रबंध साझेदार
एफसीएस-10032 सीपी नं. 12884

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26 जून, 2025
यूडीआईएन: F010032G000667744
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 2404/2022
एफआरएन: P2014MH034700

अनुबंध – IV

फॉर्म नं. एओसी – 2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का विवरण जो कि स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर नहीं हैं:

क्र. सं.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंधी की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	संविदा या व्यवस्थाओं या लेन-देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो मूल्य सहित	ऐसे संविदा, प्रबंधों या संव्यवहारों में प्रवेश करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	अग्रिम के रूप में संदत्त रकम, यदि कोई हो,	वह तिथि जिस दिन धारा 188 के प्रथम परन्तुक के अधीन अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया
1	आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड (आईजीसीएम आईएल), पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस)	इंडियन ऑयल के अधिकारियों को आईजीसीएमआईएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और कंपनी सचिव (सीएस) के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गईं।	नियमित सीईओ और सीएस की नियुक्ति होने तक चालू आधार पर	आईजीसीएमआईएल से किसी भी वेतन या परिलब्धि वसूली के बिना आईजीसीएमआईएल के सीईओ और सीएस के रूप में अतिरिक्त भूमिकाओं के साथ इंडियन ऑयल के अधिकारियों का कार्यभार।	आईजीसीएमआईएल अपने परिचालन के प्रारंभिक चरण में है। पूर्णकालिक सीईओ और सीएस की मानवशक्ति लागत को ध्यान में रखते हुए, पूर्णकालिक नियुक्ति होने तक इंडियन ऑयल के अधिकारियों को सीईओ और सीएस के रूप में अतिरिक्त ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं।	23.11.2024	शून्य	लागू नहीं
2	टेरा क्लीन लिमिटेड (TeCL), एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस)	इंडियन ऑयल के एक अधिकारी को टीईसीएल के कंपनी सचिव (सीएस) के रूप में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।	नियमित सीएस की नियुक्ति होने तक चालू आधार पर	टीईसीएल से वेतन या परिलब्धियों की किसी भी वसूली के बिना टीईसीएल के सीएस के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ इंडियन ऑयल के अधिकारी का कार्यभार।	टीईसीएल अपने परिचालन के प्रारंभिक चरण में है। पूर्णकालिक सीएस की मानवशक्ति लागत के कारण, इंडियन ऑयल के एक अधिकारी को पूर्णकालिक सीएस की नियुक्ति होने तक सीएस के रूप में अतिरिक्त ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं।	27.01.2025	शून्य	लागू नहीं

2. महत्वपूर्ण अनुबंधों, व्यवस्थाओं या लेन-देन का विस्तृत विवरण: शून्य

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 26 जून, 2025

कृते और बोर्ड की ओर से
हस्त./-
(ए. एस. साहनी)
अध्यक्ष
डीआईएन: 10652030

अनुबंध – V

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और उसके तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन पर रिपोर्ट

(क) ऊर्जा संरक्षण:

क. ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव:

वर्ष 2024-25 के दौरान, रिफ़ाइनरियों में 104 ऊर्जा संरक्षण योजनाएँ लागू की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 3,57,788 एसआरएफटी/वर्ष की ऊर्जा बचत हुई, जो ₹ 1,521 करोड़/वर्ष की मौद्रिक बचत के बराबर है और CO_2 उत्सर्जन में लगभग ~1.14 एमएमटीपीए की कमी आई। वर्ष 2024-25 के दौरान लागू की गई कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	योजना विवरण	परिकल्पित बचत (एसआरएफटी/वर्ष)	उपगत व्यय (लाख ₹ में)
1	बरौनी रिफाइनरी में परिचालन ताप दर में सुधार के लिए जीटी 1 (सीआईबीआई) का ओवरहालिंग और एनजी का उपयोग	4692	7870
2	बरौनी रिफाइनरी में जीटी 2 (एमएंडआई) की ओवरहालिंग और परिचालन ताप दर में सुधार के लिए आरएलएनजी का उपयोग	3153	
3	हल्दिया रिफ़ाइनरी में सीडीयू-1 (मुख्य और ट्रिम भट्टियां), सीडीयू-2 (मुख्य), वीडीयू-2, डीसीयू और सीजीओटी के लिए उच्च उत्सर्जन कोटिंग	6500	225
4	हल्दिया रिफाइनरी में सीपीपी उत्पादन छोर पर रिफाइनरी एचपी/एमपी स्टीम लोड में 20 टीपीएच (400 से 380 टीपीएच) की कमी	11852	54
5	हल्दिया रिफाइनरी में एमएंडआई के बाद सीडीयू-1, सीडीयू-2 और वीडीयू-1 भट्टियों के पूर्व-ताप में सुधार	4435	199
6	हल्दिया रिफाइनरी में आरओजी कंप्रेसर स्थापित किया गया	3300	35
7	एवीयू-2, पानीपत रिफाइनरी में तृतीयक इजेक्टर के स्थान पर एलआरवीपी की स्थापना	4850	1631
8	बोंगाईगांव रिफाइनरी में 132 केवी ग्रिड पावर को 8 मेगावाट तक बढ़ाना	7640	345
9	बोंगाईगांव रिफाइनरी में एचआरएसजी में एफजी फायरिंग	4400	160
10	पारादीप रिफाइनरी में एनजी के साथ जीटी-3 का संचालन	4028	4220
11	पारादीप रिफ़ाइनरी में डीएरेटर दबाव (3.3 से 1.9 किग्रा/cm2g) कम करके डीएरेटर में भाप में 45 टीपीएच की कमी	23884	0
12	पारादीप रिफाइनरी में एनजी (दक्षता सुधार) के साथ जीटी-2 संचालन	4027	4250
13	पारादीप रिफाइनरी में डीएचडीटी के बजाय केएचडीएस के माध्यम से 41 टीपीएच केरो को डीजल में अपग्रेड किया गया	8799	0
14	ग्रिड आयात (20 एमवीए/18 मेगावाट): पारादीप रिफाइनरी में स्कोप-1 उत्सर्जन में कमी (ग्रिड पावर माइनस सीपीपी का एनएचआर अंतर)	3658	1284
15	पारादीप रिफ़ाइनरी में एनजी (दक्षता सुधार या स्टैक तापमान में कमी) के साथ जीटी-1 संचालन	4027	4230
16	पारादीप रिफाइनरी में दक्षता सुधार के लिए जीटी-1 में एडवांस गैस पाथ (एजीपी) की स्थापना	3328	10600
17	पारादीप रिफाइनरी में एचएसडी से आरएलएनजी तक जीटी में आरएलएनजी का अधिकतमीकरण	3584	130
18	केंच ऑयल पंप के बंद होने से पानीपत नेफ्था क्रैकर में एलपी स्टीम वेंटिंग में 20 टीपीएच की कमी	6295	0

एसआरएफटी: मानक रिफाइनरी ईंधन समतुल्य टन

(ख) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी के प्रयास:

(i) इंडियन ऑयल के पास 252.1 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का पोर्टफोलियो है, जिसमें 167.60 मेगावाट पवन ऊर्जा और 84.5 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक क्षमता (ऑन-ग्रिड सौर - 26.35 मेगावाट, ऑफ-ग्रिड - 58.15 मेगावाट) शामिल है। वर्ष 2024-25 के दौरान 5.15 मेगावाट अतिरिक्त सौर पीवी क्षमता जोड़ी गई। वर्ष 2024-25 के दौरान इन परियोजनाओं से कुल विद्युत उत्पादन 365.72 गीगावाट घंटा रहा, जिससे 276.85 टीएमटी 2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी आई। इसके अतिरिक्त, रिटेल आउटलेट (35,874 इकाइयों) पर कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 175.7 मेगावाट है, जिससे वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 224.42 गीगावाट घंटे विद्युत उत्पादन हुआ।

(ii) कंपनी ने सभी रिफाइनरियों में फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट और तापदीप्त लैंप को 100% एलईडी प्रकाश व्यवस्था से बदल दिया है।

(iii) कंपनी के पास अनेक रिफाइनरियों में 28.75 मेगावाट क्षमता के सौर पैनल हैं, जिनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 20.52 गीगावाट घंटा है।

(ख) प्रौद्योगिकी अपनाने, अनुकूलन और नवाचार के लिए किए गए प्रयास:

उत्पाद पैटर्न में सुधार, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, विकसित पर्यावरणीय उत्सर्जन मानकों को पूरा करने और लाभ मार्जिन को बढ़ावा देने के हमारे निरंतर प्रयास के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने पेट्रोलियम शोधन और पेट्रोकेमिकल उत्पादन में नवीनतम वैश्विक प्रगति के अनुरूप नवीनतम तकनीकों को अपनाया है।

कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रमुख प्रौद्योगिकियां इस प्रकार हैं:

i) स्वदेशी प्रौद्योगिकी (वर्ष 2024-25 के दौरान अपनाई गई)

- **indDSK® प्रौद्योगिकी:** indDSK® अल्ट्रा-लो-सल्फर पीसीके के उत्पादन के लिए इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र और ईआईएल द्वारा संयुक्त रूप से लाइसेंस प्राप्त एक कम तीव्रता वाली हाइड्रोट्रीटिंग तकनीक है। पारादीप रिफाइनरी में 300 केटीए की क्षमता वाली एक जमीनी इकाई को बीएस- परियोजनाओं के तहत जून 2024 में सफलतापूर्वक चालू किया गया था।
- लाभों में उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, या आयात प्रतिस्थापन शामिल हैं: बेहतर केरोसीन तेल में सल्फर सामग्री की अशुद्धता में कमी।

ii) आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गणना करके पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)

- **पॉलीब्यूटाडाइन रबड़ परियोजना,** पानीपत: गुडइयर टायर एंड रबड़ कॉरपोरेशन, यू.एस.ए. से प्रौद्योगिकी

  आयात का वर्ष: 2021-22

  क्या प्रौद्योगिकी को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया गया है: परियोजना कार्यान्वयन चरण में है - वर्ष 2026-27 तक चालू होने की उम्मीद है।

iii) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा

(क) पूंजी: ₹ 502.40 करोड़

(ख) आवर्ती: ₹ 310.01 करोड़

(ग) कुल: ₹ 812.41 करोड़

अनुसंधान एवं विकास केंद्र व्यय के अलावा, कंपनी भर में अनुसंधान एवं विकास और प्रमुख नवाचार पहलों पर कुल व्यय ₹ 1,067 करोड़ था।

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष के दौरान अर्जित और व्यय कुल विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:

- अर्जित विदेशी मुद्रा: ₹ 36,085.88 करोड़
- विदेशी मुद्रा व्यय: ₹ 4,31,575.45 करोड़

पारादीप रिफाइनरी में आईओसियन्स के साथ अध्यक्ष

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी का दर्शन

इंडियनऑयल का दृढ़ विश्वास है कि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाएं कंपनी के मामलों का पारदर्शी तरीके से नैतिक और कुशल संचालन सुनिश्चित करती हैं और सदस्यों, ग्राहकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, विक्रेताओं और बड़े पैमाने पर समाज जैसे सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने में भी मदद करते हैं। अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाएं सभी घटकों के बीच विश्वास और भरोसे का माहौल बनाने में मदद करती हैं। कंपनी अपने कामकाज में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों और प्रथाओं को बनाए रखने का प्रयास करती है, जो 'भारत की ऊर्जा' और 'विश्व स्तर पर प्रशंसित कंपनी' होने की अपनी दूरदृष्टि को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कंपनी ने अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन करने के लिए व्यवसाय के नैतिक और जिम्मेदार आचरण के उच्च मानक निर्धारित किए हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ सुपरिभाषित नीतियाँ बनाई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता
- इंडियनऑयल की प्रतिभूतियों में भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए संहिता तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए प्रथाएं और प्रक्रिया
- उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति
- व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निष्ठा संधि
- सचेतक नीति
- अधिकारियों के लिए आचरण, अनुशासन और अपील नियम
- संधारणीयता और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति
- संबंधित पक्ष लेनदेन की तथ्यात्मकता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति
- महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति
- महत्वपूर्ण घटना/सूचना के निर्धारण और प्रकटन की नीति
- दस्तावेजों के संरक्षण की नीति
- लाभांश वितरण नीति
- मानव संसाधन पहल
- सूचीबद्ध गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों पर ब्याज/लाभांश/मोचन के लिए दावा न की गई राशि से निपटने की नीति

2. निदेशक मंडल

(क) निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के बोर्ड में पूर्णकालिक/कार्यात्मक निदेशक (कार्यकारी निदेसक) शामिल हैं, जिनमें अध्यक्ष, सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक) और स्वतंत्र निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक) शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशक वे लोग होते हैं, जिनका व्यवसाय, कानून, उद्योग, प्रशासन आदि जैसे विविध क्षेत्रों का प्रामाणिक अनुभव होता है।

बोर्ड में नियुक्त निदेशकों का कार्यकाल निम्नानुसार है-

- कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है;
- सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति पदेन आधार पर या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अगले आदेश के अनुसार, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है;
- स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है

31.03.2025 तक, कंपनी के बोर्ड में 13 (तेरह) निदेशक थे, जिनमें अध्यक्ष सहित 8 (आठ) कार्यात्मक निदेशक, 1 (एक) सरकार द्वारा नामित निदेशक और 4 (चार) स्वतंत्र निदेशक शामिल थे-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	श्रेणी	नियुक्ति तिथि	31.03.2025 को कार्यकाल (वर्षों में)
1	श्री अरविंदर सिंह साहनी	अध्यक्ष	पूर्णकालिक निदेशक	13.11.2024	0.38
2	श्री सतीश कुमार वडुगुरी	निदेशक (विपणन)	पूर्णकालिक निदेशक	28.10.2021	3.42
3	श्री नचिमुत्तु सेंथिल कुमार	निदेशक (पाइपलाइन)	पूर्णकालिक निदेशक	14.08.2023	1.63
4	श्री अनुज जैन	निदेशक (वित्त)	पूर्णकालिक निदेशक	09.10.2023	1.48
5	डॉ. आलोक शर्मा	निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)	पूर्णकालिक निदेशक	16.01.2024	1.21
6	सुश्री रश्मि गोविल	निदेशक (मानव संसाधन)	पूर्णकालिक निदेशक	15.03.2024	1.04
7	श्री अरविंद कुमार	निदेशक (रिफाइनरीज)	पूर्णकालिक निदेशक	17.07.2024	0.70
8	श्री सुमन कुमार	निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)	पूर्णकालिक निदेशक	26.02.2025	0.09
9	डॉ. सुजाता शर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	गैर - कार्यकारी निदेशक	11.05.2024	0.89
10	डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह	स्वतंत्र निदेशक	गैर - कार्यकारी निदेशक	08.04.2022	2.98
11	श्री प्रसेनजीत बिस्वास	स्वतंत्र निदेशक	गैर - कार्यकारी निदेशक	28.03.2025	0.01
12	श्री कृष्णन सदगोपन	स्वतंत्र निदेशक	गैर - कार्यकारी निदेशक	28.03.2025	0.01
13	डॉ. दत्तात्रेय राव सिरपुरकर	स्वतंत्र निदेशक	गैर - कार्यकारी निदेशक	28.03.2025	0.01

स्वतंत्र निदेशकों ने एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों ('अधिनियम') तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 ('सेबी (एलओडीआर)') के विनियमन 16(1)(बी) के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक अधिनियम और सेबी (एलओडीआर) में निर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के निबंधन व शर्तें कंपनी की वेबसाइट www.iocl.com पर उपलब्ध हैं।

सेबी (एलओडीआर) के तहत अपेक्षित, मैसर्स ढोलकिया एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव ने प्रमाणित किया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(ख) निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं

सरकारी कंपनी होने के नाते, मंडल के सभी निदेशकों, यानी कार्यात्मक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का चयन और नियुक्ति सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के निदेशकों के लिए एक सुनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में मंडल को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और योग्यता, निदेशकों के चयन के लिए सरकार की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसके मद्देनजर, कंपनी के मंडल ने सेबी (एलओडीआर) के तहत निदेशक के लिए आवश्यक किसी भी ऐसे मुख्य कौशल या विशेषज्ञता या योग्यता की पहचान नहीं की है।

(ग) बोर्ड मीटिंग

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख करता है और भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, अपने विजन को प्राप्त करने के लिए रणनीति और कार्य योजना तैयार करता है। मंडल कंपनी की नीति निर्धारित करता है और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में इसके कार्यान्वयन की देखरेख करता है। इसने निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू और कुशल प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान मंडल की 11 (ग्यारह) बैठकें आयोजित की गईं। मंडल की बैठकों की तिथियां पहले से ही तय कर दी जाती हैं और मंडल के सदस्यों को सूचित कर दिया जाता है ताकि वे अपने कार्यक्रम की योजना उसी के अनुसार बना सकें। मंडल की बैठकों में विचार-विमर्श और उचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए कार्यसूची मदें व्यापक और सूचनात्मक प्रकृति की होती हैं। कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक और परिचालन क्षेत्रों के साथ-साथ प्रमुख परियोजनाओं, वित्तीय कार्य-निष्पादन आदि पर मंडल के समक्ष प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं।

बोर्ड के समक्ष रखी गई कार्यसूची में अन्य बातों के साथ-साथ सभी सांविधिक, अन्य महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, जिनमें सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची II के भाग ए के साथ विनियम 17(7) में उल्लिखित जानकारी और सरकारी कंपनियों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुलग्नक IV शामिल हैं।

2024-25 के दौरान आयोजित मंडल की बैठकों और ऐसी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण इस प्रकार हैं-

क्र. सं.	दिनांक	मंडल की कुल सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	30.04.2024	16	16
2.	30.05.2024	15	15
3.	29.06.2024	15	15
4.	30.07.2024	16	16
5.	30.08.2024	16	16
6.	30.09.2024	14	14
7.	28.10.2024	14	14
8.	23.11.2024	15	14
9.	20.12.2024	9	9
10.	27.01.2025	9	9
11.	05.03.2025	10	10

(घ) 2024-25 के दौरान आयोजित मंडल बैठकों, पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति और विभिन्न कंपनियों में प्रत्येक निदेशक की अन्य निदेशक पदों और समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता की संख्या निम्नानुसार है -

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से मंडल बैठकों में उपस्थिति	09.08.2024 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	31.03.2025 को अन्य कंपनियों में निदेशकों की संख्या	31.03.2025 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद और निदेशक पद की श्रेणी	31.03.2025 को अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता	31.03.2025 को अन्य कंपनियों में समितियों की अध्यक्षता
पूर्णकालिक निदेशक						
श्री अरविंदर सिंह साहनी (डीआईएन- 10652030) अध्यक्ष	4(4)	लागू नहीं	3	1) चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (गैर-कार्यकारी अध्यक्ष) 2) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (गैर-कार्यकारी निदेशक)	-	-
श्री सतीश कुमार वडुगुरी (डीआईएन - 09322002) निदेशक (विपणन)	11(11)	हां	5	-	-	-
श्री नचिमुत्तु सेंथिल कुमार (डीआईएन - 10230965) निदेशक (पाइपलाइन)	11(11)	हां	3	-	-	-
श्री अनुज जैन (डीआईएन - 10310088) निदेशक (वित्त)	11(11)	हां	7	-	-	-
डॉ आलोक शर्मा (डीआईएन - 10453982) निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)	11(11)	हां	-	-	-	-
सुश्री रश्मि गोविल (डीआईएन - 10531397) निदेशक (मानव संसाधन)	11(11)	हां	-	-	-	-
श्री अरविंद कुमार (डीआईएन - 09224177) निदेशक (रिफाइनरीज) (17.07.2024 से)	8(8)	हां	2	-	-	-
श्री सुमन कुमार (डीआईएन - 09724749) निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) (26.02.2025 से)	1(1)	लागू नहीं	8	-	-	-
श्री श्रीकांत माधव वैद्य (डीआईएन - 06995642) अध्यक्ष (31.08.2024 तक)	5(5)	हां	3	1) चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (गैर-कार्यकारी अध्यक्ष) 2) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (गैर-कार्यकारी निदेशक)	-	-
श्री सुजय चौधुरी (डीआईएन - 09503285) निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) (31.08.2024 तक)	5(5)	हां	3	-	-	-
सुश्री शुक्ला मिस्त्री (डीआईएन - 09309378) निदेशक (रिफाइनरीज) (30.04.2024 तक)	1(1)	लागू नहीं	3	1) चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (गैर-कार्यकारी निदेशक)	-	-
गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)						
डॉ सुजाता शर्मा (डीआईएन - 07775238) (11.05.2024 से)	9(10)	हां	-	-	-	-
श्री सुनील कुमार (डीआईएन - 08467559) (07.05.2024 तक)	1(1)	लागू नहीं	-	-	-	-
गैर-कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)						
डॉ. (प्रोफेसर) राम नरेश सिंह (डीआईएन - 07571840)	11(11)	हां	-	-	-	-
श्री प्रसेनजीत बिस्वास (डीआईएन - 09398565) (01.04.24 से 23.11.2024) तथा (28.03.2025 से)	8(8)	हां	-	-	-	-
श्री कृष्णन सदगोपन (डीआईएन - 09397902) (01.04.24 से 23.11.2024) तथा (28.03.2025 से)	8(8)	हां	-	-	-	-
डॉ. दत्तात्रेय राव सिरपुरकर (डीआईएन - 09400251) (01.04.24 से 23.11.2024) तथा (28.03.2025 से)	8(8)	हां	-	-	-	-
श्री दिलीप गोगोई लालुंग (डीआईएन - 09398549) (23.11.2024 तक)	8(8)	हां	-	-	-	-
डॉ. (प्रोफेसर) आशुतोष पंत (डीआईएन - 03057160) (23.11.2024 तक)	8(8)	हां	-	-	-	-
श्री सुदीप्त कुमार रे (डीआईएन - 02534632) (23.11.2024 तक)	8(8)	हां	-	-	-	-

नोट-

1) अन्य कंपनियों में निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पद में पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और विदेशी कंपनियां शामिल हैं, लेकिन अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियां शामिल नहीं हैं।
2) समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति के लिए विचार किया जाता है।
3) निदेशक पद की कालावधि समाप्त होने की स्थिति में, अन्य कंपनियों के मंडल में निदेशक पद और समिति की स्थिति का विवरण कंपनी के मंडल से कालावधि समाप्ति की तिथि के अनुसार है।

सभी निदेशकों ने आवश्यकतानुसार अन्य कंपनियों के विभिन्न बोर्ड/समितियों में अपनी निदेशक पद और सदस्यता की घोषणा की है। मंडल का कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य या पाँच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वे निदेशक पद धारित करते हैं। इसके अलावा, कोई भी गैर-कार्यकारी निदेशक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में पुनः नियुक्त किए जा रहे निदेशक का संक्षिप्त विवरण वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में दिया गया है।

(ङ) आचार संहिता

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी के मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता सभी संबंधितों को परिचालित की गई है और कंपनी की वेबसाइट www.iocl.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 26(3) के तहत 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है और उनके द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन की सूचना नहीं दी गई है, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है।

(च) उत्तराधिकार योजना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास निहित है। हालांकि, कंपनी ने मंडल के सदस्यों के अलावा अन्य प्रमुख पदों को भरने के लिए कंपनी की दूरदृष्टि और व्यावसायिक रणनीतियों के अनुरूप एक व्यवस्थित विकास योजना सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित उत्तराधिकार नियोजन ढांचा तैयार किया है।

3. बोर्ड की समितियां

(क) लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय जानकारी के प्रकटन की देखरेख करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
- बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा संबंधित पक्ष के लेन-देन, यदि कोई हो, तो उनकी प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या उसके बाद कोई संशोधन।
- अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच।
- जहां भी आवश्यक हो, सूचीबद्ध यूनिट के उपक्रम या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।
- निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामलों की समीक्षा करना जो मंडल रिपोर्ट का हिस्सा हैं।
- प्रबंधन, सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
- वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों और ऐसे मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
- ऐसे मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या तथ्यात्मक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता हो तथा मामले की रिपोर्ट मंडल को देना।
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा, साथ ही चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना।
- सहायक कंपनी में धारक कंपनी द्वारा 100 करोड़ रु. से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, उससे अधिक ऋण और/या अग्रिम राशि के उपयोग/निवेश की समीक्षा करना, जिसमें इस प्रावधान के कार्यान्वित होने की तिथि तक विद्यमान ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल हैं।
- कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों और उन पर प्रबंधन के आश्वासन की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- नसार्वजनिक उपक्रम संबंधी संसदीय समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, यदि कोई हो।
- कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर ध्यान देना तथा सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा शुल्क की सिफारिश करना तथा लेखापरीक्षकों द्वारा अन्य सेवाओं के लिए शुल्क को मंजूरी देना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान को मंजूरी देना।
- कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की सिफारिश करना।
- कंपनी में नैतिकता से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करना, निर्णय लेना और उनसे निपटना।
- सचेतक नीति के कामकाज की समीक्षा करना।
- सेबी (एलओडीआर) और सेबी (पीआईटी) विनियमों के अनुपालन की समीक्षा करना।

31.03.2025 को लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	समिति में पद
1	डॉ.(प्रोफ़ेसर) राम नरेश सिंह	स्वतंत्र निदेशक	
2	श्री सतीश कुमार वडुगुरी	निदेशक (विपणन)	
3	श्री नचिमुत्तु सेंथिल कुमार	निदेशक (पाइपलाइन)	

अध्यक्ष	
सदस्य	

2024-25 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की 8 (आठ) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	30.04.2024	30.05.2024	29.06.2024	30.07.2024	30.08.2024	28.10.2024	27.01.2025	05.03.2025
1.	श्री प्रसेनजीत बिस्वास (23.11.2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.	श्री सुदीप्त कुमार रे (23.11.2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3.	डॉ. दत्तात्रेय राव सिरपुरकर (23.11.2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.	डॉ (प्रो.) राम नरेश सिंह (24.11.2024 से)	स्वतंत्र निदेशक							✓	✓
5.	श्री सतीश कुमार वडुगुरी (24.11.2024 से)	निदेशक (विपणन)							✓	✓
6.	श्री नचिमुत्तु सेंथिल कुमार (24.11.2024 से)	निदेशक (पाइपलाइन)							✓	✓

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त)/सीएफओ और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। तिमाही परिणामों/वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार करते समय और वार्षिक लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे पर चर्चा करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा विचार किए जाने पर लागत लेखापरीक्षकों को भी आमंत्रित किया जाता है।

कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

(ख) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी चूंकि सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति की निबंधन व शर्तें भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। हालांकि, मंडल ने निम्नलिखित के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है-

- पूर्णकालिक निदेशकों और मंडल स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं को मंजूरी देना तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के अधिकारियों को कार्य-निष्पादन-आधारित वेतन को मंजूरी देना;
- पदों का सृजन व अनुमोदन करना तथा ग्रेड 'I' यानी वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के पदों की पदोन्नति पर विचार करना व उसे अनुमोदित करना।

निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) का कार्य निष्पादन मूल्यांकन नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशकों के मूल्यांकन से संबंधित अधिकार भारत सरकार के पास हैं। अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकारी कंपनियों के लिए ऐसे मूल्यांकन से छूट दी गई है।

31.03.2025 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ (प्रो.) राम नरेश सिंह	स्वतंत्र निदेशक	
2.	श्री अरविंदर सिंह साहनी	अध्यक्ष, इंडियनऑयल	
3.	श्री सतीश कुमार वडुगुरी	निदेशक (विपणन)	
4.	सुश्री रश्मि गोविल	निदेशक (मानव संसाधन)	

अध्यक्ष	
सदस्य	

2024-25 के दौरान आयोजित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 1 (एक) बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	06.01.2025
1.	डॉ (प्रो.) राम नरेश सिंह	स्वतंत्र निदेशक	✓
2.	श्री अरविंदर सिंह साहनी	अध्यक्ष, इंडियनऑयल	✓
3.	श्री सतीश कुमार वडुगुरी	निदेशक (विपणन)	✓
4.	सुश्री रश्मि गोविल	निदेशक (मानव संसाधन)	✓

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में कार्यात्मक निदेशक भी आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेते हैं।

कंपनी सचिव नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

निदेशकों का पारिश्रमिक –

2024-25 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है-

(रु.)

नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते	कार्य-निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन	अन्य लाभ एवं सुविधाएं	कुल पारिश्रमिक
श्री अरविंदर सिंह साहनी	अध्यक्ष (13.11.2024 से)	24,51,691	-	98,501	25,50,192
श्री सतीश कुमार वडुगुरी	निदेशक (विपणन)	51,78,761	22,16,255	11,02,296	84,97,312
श्री एन सेंथिल कुमार	निदेशक (पाइपलाइन)	54,99,436	22,66,238	26,16,761	1,03,82,435
श्री अनुज जैन	निदेशक (वित्त)	50,69,542	17,95,608	22,56,582	91,21,732
डॉ आलोक शर्मा	निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)	61,18,983	18,58,908	4,09,146	83,87,037
सुश्री रश्मि गोविल	निदेशक (मानव संसाधन)	60,85,459	19,18,768	24,51,024	1,04,55,251
श्री अरविंद कुमार	निदेशक (रिफाइनरीज) (17.07.2024 से)	40,15,250	5,88,485	17,83,381	63,87,116
श्री सुमन कुमार	निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) (26.02.2025 से)	5,96,895	-	38,490	6,35,385
सुश्री शुक्ला मिस्त्री	निदेशक (रिफाइनरीज) (30.04.2024 तक)	95,98,365	-	32,11,775	1,28,10,140
श्री श्रीकांत माधव वैद्य	अध्यक्ष (31.08.2024 तक)	23,48,371	-	36,96,158	60,44,529
श्री सुजय चौधुरी	निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) (31.08.2024 तक)	1,07,89,959	-	34,43,437	1,42,33,396
	कुल	5,77,52,712	1,06,44,262	2,11,07,551	8,95,04,525

टिप्पणी-

1. कंपनी के सभी अधिकारियों पर लागू नीति के अनुसार, कंपनी के कर्मचारियों के रूप में पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन देय है।
2. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किया गया।
3. भारत सरकार द्वारा जारी पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों में सेवा समाप्ति के लिए तीन महीने की नोटिस अवधि या उसके बदले में वेतन का प्रावधान है।
4. पारिश्रमिक में सेवानिवृत्ति लाभों, दीर्घकालिक योजनाओं और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए अवधि के दौरान किए गए प्रावधान के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पर किए गए प्रावधान का प्रभाव शामिल नहीं है क्योंकि इन्हें अलग-अलग निदेशकों के लिए अलग से पता नहीं लगाया जा सकता।

सरकार द्वारा नामित निदेशक किसी भी पारिश्रमिक, बैठक शुल्क आदि के हकदार नहीं हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को मंडल या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रति बैठक 40,000 रु. के बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

2024-25 के दौरान अदा की गई बैठक शुल्क इस प्रकार है-

क्र. सं.	नाम	बैठक शुल्क (₹)
1.	श्री दिलीप गोगोई लालुंग	3,60,000
2.	डॉ. (प्रो.) आशुतोष पंत	5,20,000
3.	डॉ. दत्तात्रेय राव सिरपुरकर	6,00,000
4.	श्री प्रसेनजीत बिस्वास	8,00,000
5.	श्री सुदीप्त कुमार रे	6,40,000
6.	श्री कृष्णन सदगोपन	5,20,000
7.	डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह	7,20,000
	कुल	41,60,000

नोट- स्वतंत्र निदेशकों का कंपनी के साथ कोई अन्य तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

निदेशकों की शेयरधारिता

31.03.2025 को निदेशकों द्वारा धारित कंपनी के ईक्विटी शेयरों का विवरण नीचे दिया गया है-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	ईक्विटी शेयरों की संख्या
1.	श्री अरविंदर सिंह साहनी	अध्यक्ष	4,650
2.	श्री सतीश कुमार वडुगुरी	निदेशक (विपणन)	900
3.	श्री एन सेंथिल कुमार	निदेशक (पाइपलाइन्स)	11,000
4.	श्री अनुज जैन	निदेशक (वित्त)	450
5.	डॉ आलोक शर्मा	निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)	-
6.	सुश्री रश्मि गोविल	निदेशक (मानव संसाधन)	4,633
7.	श्री अरविंद कुमार	निदेशक (रिफाइनरीज)	2,400
8.	श्री सुमन कुमार	निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)	16,458
9.	डॉ सुजाता शर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	-
10.	डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह	स्वतंत्र निदेशक	-
11.	श्री प्रसेनजीत बिस्वास	स्वतंत्र निदेशक	-
12.	श्री कृष्णन सदगोपन	स्वतंत्र निदेशक	-
13.	डॉ. दत्तात्रेय राव सिरपुरकर	स्वतंत्र निदेशक	-

(ग) हितधारक संबंध समिति

हितधारकों के बीच संबंध समिति का गठन सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 20 और अधिनियम की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

- सूचीबद्ध यूनिट के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना, आम बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
- शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए उठाए गए उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध यूनिट द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
- सूचीबद्ध यूनिट द्वारा दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट, वार्षिक रिपोर्ट और सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

समिति शेयर प्रमाणपत्र/पुष्टिकरण पत्र जारी करने को भी मंजूरी देती है। कंपनी हितधारकों और निवेशकों की शिकायतों/शिकायतों/प्रश्नों को उचित समयावधि के भीतर हल करने का प्रयास करती है।

31.03.2025 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह	स्वतंत्र निदेशक	
2.	श्री अनुज जैन	निदेशक (वित्त)	
3.	सुश्री रश्मि गोविल	निदेशक (मानव संसाधन)	

अध्यक्ष

सदस्य

2024-25 के दौरान आयोजित हितधारक संबंध समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	23.11.2024
1.	श्री कृष्णन सदगोपन (23.11.2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक	✓
2.	श्री दिलीप गोगोई लालुंग (23.11.2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक	✓
3.	श्री अनुज जैन	निदेशक (वित्त)	✓
4.	सुश्री रश्मि गोविल	निदेशक (मानव संसाधन)	✓

श्री कमल कुमार ग्वालानी, कंपनी सचिव, हितधारक संबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं और अनुपालन अधिकारी भी हैं।

2024-25 के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का विवरण-

वर्ष के दौरान 6,131 शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका समाधान किया गया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान पते में बदलाव, नामांकन दर्ज करने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र/लाभांश वारंट जारी करने आदि के लिए 325 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 31.03.2025 तक 8 अनुरोध लंबित थे और बाद में उनका समाधान कर दिया गया।

कंपनी ने निवेशकों के लिए विशेष रूप से एक ई-मेल आईडी investors@indianoil.in बनाई है, ताकि निवेशक अपनी शिकायतें, यदि कोई हों, तो उन्हें दर्ज करा सकें।

(घ) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास समिति

सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित बातें शामिल हैं-

ए) एक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार करना और मंडल को उसकी सिफारिश करना, जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख होगा।

बी) अपने ग्राहकों को कुशल, सुरक्षित और नैतिक तरीके से ऊर्जा समाधान प्रदान करने में अपनी गतिविधियों का संचालन करना, जिससे पर्यावरण पर प्रभाव अनुकूलतम हो और समुदाय के जीवन की गुणता बढ़े, साथ ही व्यवसाय और राष्ट्र का सतत विकास सुनिश्चित हो।

(सी) खंड (ए) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर की जाने वाली व्यय राशि की सिफारिश करना।

(डी) समय-समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की निगरानी करना।

(ई) सीएसआर परियोजनाओं या गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना।

31.03.2025 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह	स्वतंत्र निदेशक	
2.	श्री सतीश कुमार वडुगुरी	निदेशक (विपणन)	
3.	श्री अनुज जैन	निदेशक (वित्त)	
4.	सुश्री रश्मि गोविल	निदेशक (मानव संसाधन)	
5.	श्री सुमन कुमार	निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)	

अध्यक्ष

सदस्य

2024-25 के दौरान आयोजित सीएसआर और एसडी समिति की 7 (सात) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	29.06.2024	09.07.2024	29.08.2024	26.10.2024	24.01.2025	05.03.2025	28.03.2025
1.	डॉ. (प्रो.) आशुतोष पंत (23.11.2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓			
2.	श्री प्रसेनजीत विश्वास (23.11.2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓			
3.	श्री सतीश कुमार वडुगुरी	निदेशक (विपणन)	-	✓	-	-	-	✓	✓
4.	श्री सुजय चौधुरी (31.08.2024 तक)	निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)	✓	✓	✓				
5.	श्री अनुज जैन	निदेशक (वित्त)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	सुश्री रश्मि गोविल	निदेशक (मानव संसाधन)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	श्री नचिमुत्तु सेथिल कुमार	निदेशक (पाइपलाइन्स) निदेशक को (पी एंड बीडी) को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है				✓	✓		
8	डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह (24.11.2024 से)	स्वतंत्र निदेशक					✓	✓	✓
9	श्री सुमन कुमार (26.02.2025 से)	निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)						✓	✓

कंपनी सचिव सीएसआर एवं एसडी समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.iocl.com/download/IOC_S&CSR_Policy.pdf लिंक पर उपलब्ध है। 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम के तहत अपेक्षित सीएसआर रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(ङ) जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रिया से संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की समीक्षा करने तथा 'मार्क टू मार्केट' आधार पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के डेरिवेटिव लेनदेन को मंजूरी देने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। 31.03.2025 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री अरविंदर सिंह साहनी	अध्यक्ष, इंडियनऑयल	
2.	डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह	स्वतंत्र निदेशक	
3.	श्री सतीश कुमार वडुगुरी	निदेशक (विपणन)	
4.	श्री अनुज जैन	निदेशक (वित्त)	
5.	श्री अरविंद कुमार	निदेशक (रिफाइनरीज)	
6.	श्री सुमन कुमार	निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)	
7.	श्री अरविंद आचार्या	मुख्य जोखिम अधिकारी	

अध्यक्ष

सदस्य

2024-25 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	29.07.2024	10.02.2025
1.	श्री श्रीकांत माधव वैद्य (31.08.2024 तक)	अध्यक्ष, इंडियनऑयल	✓	
2.	श्री अरविंदर सिंह साहनी (13.11.2024 से)	अध्यक्ष, इंडियनऑयल		✓
3.	डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह (24.11.2024 से)	स्वतंत्र निदेशक		✓
4.	डॉ. (प्रो.) आशुतोष पंत (23.11.2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक	✓	
5.	श्री सतीश कुमार वडुगुरी	निदेशक (विपणन)	✓	-
6.	श्री अनुज जैन	निदेशक (वित्त)	✓	✓
7.	श्री अरविंद कुमार	निदेशक (रिफाइनरीज)	✓	✓
8.	श्री सुजय चौधुरी (31.08.2024 तक)	निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास)	✓	
9.	श्री नचिमुत्तु सेथिल कुमार	निदेशक (पाइपलाइन्स) निदेशक को (पी एंड बीडी) को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है		✓
10.	श्री टी.सी. शंकर (31.12.2024 तक)	मुख्य जोखिम अधिकारी	✓	
11.	श्री अरविंद आचार्या (01.01.2025 से)	मुख्य जोखिम अधिकारी		✓

(च) अन्य मंडल समितियां -

उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त, मंडल ने विभिन्न मंडल समितियों को अलग-अलग भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियां देते हुए कुछ अधिकार सौंपे हैं जो इस प्रकार हैं -

क्र. सं.	समिति का नाम	भूमिका और जिम्मेदारियां	सदस्यगण
1.	परियोजना मूल्यांकन समिति	बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले 250 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन करना।	- दो स्वतंत्र निदेशक - निदेशक (वित्त) - निदेशक (आर एंड डी) समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक करते हैं।
2.	विपणन रणनीति और सूचना प्रौद्योगिकी निरीक्षण समिति	डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पुनर्गठन सहित निगम की विपणन गतिविधियों से संबंधित सभी मामलों पर रणनीतियां, नीतियां, दिशानिर्देश विकसित करना तथा निर्णय लेना और निगम की आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करना।	- एक स्वतंत्र निदेशक - निदेशक (विपणन) - निदेशक (वित्त) - निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक करते हैं।
3.	अचल संपत्तियों की पट्टा-विमुक्ति समिति	कंपनी द्वारा पट्टे पर दिए गए फ्लैटों/आवासों/ अचल संपत्तियों को पट्टे से विमुक्त करने पर विचार करना।	- अध्यक्ष, इंडियनऑयल - सरकार द्वारा नामित एक निदेशक - निदेशक (विपणन) - निदेशक (वित्त) - निदेशक (मानव संसाधन) समिति की अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष करते हैं।
4.	अनुबंध समिति	निगम के प्राधिकार के प्रत्यायोजन में प्रदत्त कुछ सीमाओं से परे अनुबंधों को अनुमोदित करना।	- अध्यक्ष, इंडियनऑयल - सभी कार्यात्मक निदेशक समिति की अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष करते हैं।
5.	योजना एवं परियोजना समिति	100 करोड़ रु. से अधिक और 250 करोड़ रु. तक के सभी परियोजना प्रस्तावों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।	- अध्यक्ष, इंडियनऑयल - सभी कार्यात्मक निदेशक समिति की अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष करते हैं।
6.	एलएनजी सोर्सिंग समिति	एलएनजी बिक्री और खरीद समझौते की शर्तों की समीक्षा करना तथा दीर्घकालिक आधार पर एलएनजी की खरीद के अनुमोदन के लिए मंडल को सिफारिश करना।	- अध्यक्ष - निदेशक (वित्त) - निदेशक (रिफाइनरीज) - निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) समिति की अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष करते हैं।
7.	विवाद निपटान समिति	कंपनी की सुलह नीति के अनुसार मंडल की मंजूरी के लिए 25 करोड़ रु. से अधिक के वित्तीय असर वाले निपटान प्रस्तावों की जांच करना और सिफारिश देना।	- दो स्वतंत्र निदेशक - निदेशक (वित्त) - संबंधित कार्यात्मक निदेशक - सहयोजित अतिरिक्त निदेशक, यदि कोई हों। समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक करते हैं।

कंपनी सचिव सभी मंडल समितियों का सचिव होता है।

बोर्ड की विभिन्न समितियों की संरचना भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बोर्ड समिति की बैठकों के कार्यवृत्त समिति के सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं। अनुमोदित कार्यवृत्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए कंपनी के सभी संबंधित विभागों को परिचालित किया जाता है और सूचना के लिए मंडल को भी प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जिसमें किसी मंडल समिति द्वारा की गई सिफारिश को कंपनी के मंडल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो।

4. सामान्य बैठकें

कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) अधिनियम और सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित एजीएम का विवरण इस प्रकार है-

	2021-22	2022-23	2023-24
तिथि और समय	25.08.2022 सुबह 10.00 बजे	25.08.2023 सुबह 10.30 बजे	09.08.2024 सुबह 10.00 बजे
स्थल	कोविड महामारी को देखते हुए, वार्षिक सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की गई।	वार्षिक सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की गई।	वार्षिक सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की गई।
पारित विशेष संकल्प (संख्या)	0	(1) अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करना तथा इसके परिणामस्वरूप एमओए और एओए में संशोधन करना	(0)

नोट- ओएवीएम के माध्यम से आयोजित एजीएम के लिए, एजीएम की कार्रवाई कंपनी के मुंबई स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी। 2024-25 के दौरान सदस्यों की कोई असाधारण सामान्य बैठक आयोजित नहीं की गई।

5. डाक मतपत्र

वर्ष 2024-25 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन नहीं मांगा गया।

डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

6. प्रकटन

क. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आयोजित नहीं की गई।

ख. संबंधित पक्ष लेनदेन

कंपनी के पास 'संबंधित पक्ष लेनदेन की महत्ता और संबंधित पक्ष लेनदेन संव्यवहार' पर एक नीति है, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है -

https://www.iocl.com/download/RPT_Policy.pdf

इस नीति के अनुसार, सभी संबंधित पक्ष लेनदेन (आरपीटी) लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा समिति ने अधिनियम, सेबी (एलओडीआर) और के प्रावधानों और आरपीटी पर नीति के अनुरूप वर्ष 2024-25 के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए सर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की थी। इस तरह के लेन-देन पर एक रिपोर्ट तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की गई थी।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी संबंधित पक्ष लेन-देन इसके सामान्य व्यवसाय के क्रम में और स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर थे। इसके अलावा, आवधिक आरपीटी का समेकित आधार पर निर्धारित प्रारूप में प्रकटन, अर्ध-वार्षिक आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया तथा कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला गया था।

सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण आरपीटी के लिए सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

ग. महत्वपूर्ण सहायक कंपनियां

कंपनी के पास 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति' है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर रखा गया है तथा इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है-

https://www.iocl.com/download/Policies/Material_Subsidiary_Policy.pdf

2024-25 के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं थी। गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की मंडल बैठक के कार्यवृत्त समय-समय पर कंपनी के मंडल को प्रस्तुत किए जाते हैं।

घ. पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-अनुपालन/आक्षेप/दंड

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंजों/सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा न तो कोई गैर-अनुपालन का मामला सामने आया, न ही कंपनी पर कोई जुर्माना/आक्षेप लगाया गया।

हालांकि, कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना, लेखापरीक्षा और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना और ऐसे गैर-अनुपालनों के लिए आर्थिक जुर्माना लगाने के संबंध में सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1), विनियम 18(1) और विनियम 19 के प्रावधानों का पालन न करने संबंधी नोटिस प्राप्त हुए हैं। इस नोटिस के जवाब में, कंपनी ने एक्सचेंजों को स्पष्ट किया कि उक्त गैर-अनुपालन कंपनी की किसी लापरवाही/चूक के कारण नहीं हुआ है क्योंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है। एक्सचेंजों ने सूचित किया है कि कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने पर जुर्माना माफ करने के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

ङ. सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम आदि से प्राप्तियां

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ईक्विटी शेयर पूंजी या बॉन्ड/डिबेंचर जारी करके कोई निधि नहीं जुटाई है। हालांकि, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1,00,000/-रु. प्रत्येक के असुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, कर योग्य, मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी किए थे, जिनकी कुल राशि 5,000 करोड़ रु. थी। निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए उसे जुटाया गया था और निधियों के उपयोग में कोई विचलन या बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा, कंपनी ने परिपक्वता पर 5,495 करोड़ रु. मूल्य के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर मोचन किए हैं।

च. सतर्कता तंत्र और सचेतक नीति

कंपनी अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है और अवैध या अनैतिक व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए प्राधिकार का प्रत्यायोजन, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), आचरण, अनुशासन और अपील नियम आदि जैसी प्रक्रियाएं और आंतरिक नियंत्रण निर्धारित किए हैं। सतर्कता विभाग, जो सतर्कता तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रणालीगत विफलताओं को कम करने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए भागीदारीपूर्ण, निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करता है, जिसमें भागीदारीपूर्ण और निवारक पहलुओं पर अधिक जोर दिया जाता है। सरकारी लेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षक भी कंपनी की गतिविधियों की समीक्षा करने और किसी भी कमी या अनियमितताओं पर टिप्पणियों की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं।

कंपनी ने एक व्हिसल-ब्लोअर नीति तैयार की है, जिसके तहत कर्मचारी किसी भी अनुचित गतिविधि की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी या लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को, जैसा भी मामला हो, करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी कर्मचारी द्वारा कानून, नियम, विनियम या आचार संहिता का उल्लंघन होता हो, जिसमें इंडियनऑयल के भेदिया व्यापार कोड का उल्लंघन करते हुए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का लीक/दुरुपयोग शामिल है। प्राप्त किसी भी शिकायत की समीक्षा सक्षम प्राधिकारी या लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नीति में प्रावधान है कि उल्लंघन की रिपोर्ट करने वालों की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी और उनसे किसी भी तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

सचेतक नीति कंपनी की वेबसाइट के लिंक https://www.iocl.com/InvestorCenter/pdf/Whistle_Blower_policy.pdf पर उपलब्ध है।

छ. इंडियनऑयल की प्रतिभूतियों में भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए संहिता तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए प्रथाएं और प्रक्रिया

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित, कंपनी ने कंपनी की सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों में नामित व्यक्तियों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए एक आचार संहिता ('संहिता') अपनाई है। इस संहिता का उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग को संरक्षित करना और रोकना है। अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटन के लिए आचरण संहिता और प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट पर रखी गई है।

ज. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक (वित्त) ने मंडल को 'सीईओ/सीएफओ प्रमाणन' प्रदान कर दिया है।

झ. सत्यनिष्ठा समझौता

कंपनी ने अपनी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, ईमानदारी, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर केंद्रित सत्यनिष्ठा समझौता (आईपी) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 2008 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्तमान में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा कंपनी में 10 करोड़ रु. और उससे अधिक मूल्य की सभी निविदाओं में आईपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तीन स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) नामित किए गए हैं।

वर्ष के दौरान, आईईएम के साथ 12 बैठकें आयोजित की गईं। उपरोक्त मूल्य सीमा के आधार पर, 2024-25 के दौरान 593 निविदाएं आईपी के दायरे में आईं, जिनके खिलाफ 4 शिकायतें प्राप्त हुईं जिन्हें आईईएम को भेजा गया और वर्ष के दौरान उन पर विचार-विमर्श किया गया।

ञ. निदेशकों के बीच संबंध

किसी भी निदेशक का कंपनी के अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

ट. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रमों का विवरण

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए जाने वाले परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे https://iocl.com/download/IDFP2025.pdf लिंक पर देखा जा सकता है।

ठ. बकाया ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदें (जीडीआर)/अमेरिकन डिपोजिटरी रसीदें (एडीआर)/वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज:

कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज जारी नहीं किया है और इसलिए 31.03.2025 तक कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

ड. कमोडिटी मूल्य जोखिम और हेजिंग गतिविधियों के संबंध में प्रकटन

(i) कमोडिटी के संबंध में यूनिट की जोखिम प्रबंधन नीति और उसकी हेजिंग:

कंपनी को अनेक कमोडिटी मूल्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रिफाइनिंग मार्जिन में भिन्नता, अर्थात, रिफाइंड उत्पाद मूल्य और कच्चे तेल की कीमत के बीच का अंतर, कीमतों के कारण इन्वेंट्री में मूल्य क्षरण का जोखिम, रिफाइनिंग प्रणाली में खपत किए गए कच्चे तेल पर उच्च कच्चे तेल की कीमतों का जोखिम, रिफाइनरी खपत पर एलएनजी की कीमतों में बदलाव का जोखिम, विपणन के लिए पेट्रोलियम उत्पादों और एलएनजी के आयात पर मूल्य भिन्नता का जोखिम, आदि।

कंपनी इन जोखिमों का आकलन करती है और इन जोखिमों की संभावना के आधार पर, महत्वपूर्ण जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए भारत में कानूनों के तहत कारोबार करने की अनुमति वाले हेजिंग टूल्स का उपयोग करके उचित हेजिंग पोजीशन अपनाई जाती है।

कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है, जिसमें कमोडिटीज, कमोडिटी जोखिम और हेज्ड एक्सपोजर को शामिल किया गया है।

(ii) वर्ष भर में कमोडिटी के प्रति जोखिम और कमोडिटी जोखिमों का सामना करना –

(क) कंपनी का कमोडिटीज में कुल अनुमानित जोखिम

31.03.2025 को कंपनी की कुल मालसूची का मूल्य 98,665 करोड़ रु. है, जिसमें कच्चा माल, तैयार स्टॉक, तैयार माल और व्यापारगत स्टॉक शामिल है।

(बी) कंपनी का महत्वपूर्ण कमोडिटीज के प्रति जोखिम

कमोडिटी का नाम	विशेष कमोडिटी के लिए भारतीय रूपए में जोखिम#	किसी विशेष कमोडिटी के लिए मात्रा के संदर्भ में जोखिम	कमोडिटी डेरिवेटिव के माध्यम से हेज किए गए ऐसे जोखिम का %				
			घरेलू बाजार		अंतरराष्ट्रीय बाजार		कुल
	रु.करोड़ में	एमएमटी में	ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	
रिफाइनिंग मार्जिन	1,500	65.670	शून्य	शून्य	0.07%	शून्य	0.07%
31.03.2025 को मालसूची							
- कच्चा तेल	3,200	6.529	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- तैयार माल (बिक्री के लिए स्टॉक सहित)	5,500	7.781	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विशेष कमोडिटी के लिए जोखिम में प्रत्येक 10% भिन्नता का अनुमानित प्रभाव दिया गया है

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सामना किया गया कमोडिटी जोखिम और उसका प्रबंधन –

कंपनी द्वारा सामना किया जाने वाला प्राथमिक कमोडिटी जोखिम कच्चे तेल, रिफाइंड उत्पादों और एलएनजी में कीमत में उतार-चढ़ाव का जोखिम है। कमोडिटी की कीमतों में कोई भी प्रतिकूल बदलाव लाभ को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह, कीमतों में कोई भी अनुकूल बदलाव भी लाभ को बढ़ा सकता है। हेजिंग गतिविधियों का लक्ष्य भावी नकदी प्रवाह में अनिश्चितताओं/ अस्थिरताओं को कम करने के लिए मूल्य तय करना है।

ढ. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटन

01.04.2024 तक यौन उत्पीड़न की 5 (पांच) शिकायतें लंबित थीं। वर्ष के दौरान, 4 (चार) शिकायतें प्राप्त हुईं और 6 (छह) शिकायतों का निपटारा किया गया। 31.03.2025 को, 3 (तीन) शिकायतें लंबित थीं।

ण. कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उन फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में 'ऋण और अग्रिम' का प्रकटन, जिनमें निदेशकों की रुचि है, नाम और राशि के अनुसार।

कंपनी ने उन फर्मों या कंपनियों को कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है जिनमें निदेशकों की रुचि हो।

त. सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदा किया गया शुल्क

वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी को उनके द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए 5.77 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया है/देय है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी की सहायक कंपनियों को कोई सेवाएं प्रदान नहीं की।

थ. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट

कंपनी ने निर्धारित समय अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को निर्धारित प्रारूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही / अर्धवार्षिक / वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

द. लोक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा-निर्देश (डीपीई के दिशा-निर्देश)

कंपनी नीचे बताई गई आवश्यकताओं को छोड़कर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करती आ रही है -

कंपनी समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति)/पूर्व सैनिकों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का भी ईमानदारी से पालन करती है।

लेखा बहियों में ऐसे किसी भी व्यय को नामें नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य से न हो। निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो।

2024-25 के दौरान नियमित प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल व्यय का 1.16% था, जबकि पिछले वर्ष यह 0.97% था।

ध. सेबी (एलओडीआर) की गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं और डीपीई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन

कंपनी सेबी सहित विनियामक प्राधिकरणों के कानूनों और दिशा-निर्देशों के प्रावधानों और स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी के साथ समझौतों में निहित नियमों का पालन करती है। कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2)(बी) से 46(2)(आई) में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है -

- 24.11.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के लिए सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(1)(ए) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसार कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन;
- समीक्षाधीन अवधि यानी 01.04.2024 से 07.05.2024, 11.05.2024 से 31.08.2024 और 13.11.2024 से 31.03.2025 के लिए सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक हैं;
- समीक्षाधीन अवधि में सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(1)(ए) के प्रावधान के अनुसार इसके मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक;
- अधिनियम की धारा 177 (2), सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 18 (1) (बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 के अनुसार 24.11.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि में लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी;
- अधिनियम की धारा 178 (1) के अनुसार 24.11.2024 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में स्वतंत्र निदेशकों की आधी संख्या नहीं थी और सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 19 (1) (बी) और (सी) और डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार 24.11.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि में अपेक्षित संख्या नहीं थी;
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम की अनुसूची IV और सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 25 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

कंपनी एमओपी एंड एनजी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्ति और उनके कार्य-निष्पादन मूल्यांकन का अधिकार भारत सरकार के पास निहित है।

कंपनी सेबी (एलओडीआर) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संख्या में निदेशकों की नियुक्ति के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ नियमित आधार पर संपर्क बनाए हुए है।

न. विवेकाधीन अपेक्षाएं

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अपरिवर्तित है।

प. वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तन शामिल हैं

वरिष्ठ प्रबंधन की सूची, उसमें हुए परिवर्तनों सहित, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा स्टॉक एक्सचेंजों में भी दर्ज है जिसे इस लिंक पर देखा जा सकता है - https://iocl.com/download/Particulars18062025.pdf

फ. कंपनी को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के समझौतों का प्रकटन (सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची III के खंड ए के पैराग्राफ ए के खंड 5ए)

कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करने वाला या कंपनी पर कोई प्रतिबंध लगाने वाला या कोई दायित्व उत्पन्न करने वाला कोई समझौता नहीं है।

डब्ल्यू.डीमैट उचंत खाता/अप्रत्याशित उचंत खाते के संबंध में प्रकटन

सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34(3) और अनुसूची V के भाग एफ की आवश्यकता के अनुसार, उचंत खाते में ईक्विटी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है-

विवरण	सदस्यों की संख्या	ईक्विटी शेयरों की संख्या
01.04.2024 तक सदस्यों की कुल संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयर	1	12
वे सदस्य जिनके शेयर वर्ष के दौरान उचंत खाते में हस्तांतरित किए गए थे	-	-
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले सदस्य	-	-
वर्ष के दौरान उचंत खाते से जिन सदस्यों को शेयर हस्तांतरित किए गए	-	-
31.03.2025 तक सदस्यों की कुल संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयर	1	12

31.03.2025 तक उचंत खाते में बकाया शेयरों पर मतदान अधिकार तब तक स्थगित रहेंगे जब तक कि ऐसे शेयरों का वास्तविक स्वामी ऐसे शेयरों पर अपना दावा नहीं करता।

7. संचार के साधन

क. वित्तीय परिणाम

तिमाही लेखापरीक्षित/ लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम सेबी (एलओडीआर) के तहत निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाते हैं। परिणाम द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू बिजनेस लाइन, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट और लोकसत्ता (मराठी समाचार पत्र), हिंदुस्तान हिंदी, दैनिक जागरण और अमर उजाला (हिंदी समाचार पत्र) जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.iocl.com पर रखे जाते हैं। वित्तीय परिणाम सदस्यों को ईमेल के ज़रिए भी भेजे जाते हैं। कंपनी महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट निर्णयों/गतिविधियों पर समाचार विज्ञप्ति जारी करती है और उन्हें अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करती है और साथ ही जब भी आवश्यक हो स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करती है।

ख. निवेशकों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल

कंपनी के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर चर्चा करने के लिए यदि कोई कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, तो इसकी पूर्व सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती है और सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी दी जाती है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित नहीं की गई।

ग. समाचार विज्ञप्ति

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां, मीडिया, विश्लेषकों, संस्थागत निवेशकों आदि के समक्ष प्रस्तुत विस्तृत प्रस्तुतियां कंपनी की वेबसाइट https://iocl.com/news-releases पर प्रदर्शित की जाती हैं।

घ. वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.iocl.com पर निवेशकों के लिए एक अलग खंड है, जहां संबंधित जानकारी उपलब्ध है। कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ङ. एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों और इसके हकदार अन्य लोगों को वितरित की जाती है। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडीए) रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होती है।

च. एजीएम में अध्यक्ष का भाषण

09.08.2024को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष ने अपना भाषण पढ़ा। इसे सदस्यों की जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट https://iocl.com/pages/Annual%20General%20Meeting पर भी डाला गया।

छ. एजीएम कार्रवाई का वेबकास्ट

वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक सामान्य बैठक 09.08.2024 को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की गई। सदस्यों को वार्षिक सामान्य बैठक की कार्रवाई का लाइव वेबकास्ट उपलब्ध कराया गया, साथ ही प्रश्न/शिकायतें पूछने और कंपनी के प्रबंधन से बातचीत करने का विकल्प भी दिया गया।

ज. निवेशक सेवा प्रकोष्ठ

निवेशक सेवा प्रकोष्ठ कंपनी के मुंबई स्थित पंजीकृत कार्यालय और नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ हैदराबाद स्थित केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कार्यालय में सदस्यों/डिबेंचर धारकों की शिकायतों/प्रश्नों के समाधान के लिए मौजूद है।

निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रश्न/शिकायतें उठाने की सुविधा प्रदान करने के लिए अलग-अलग ई-मेल आईडी अर्थात investors@indianoil.in और einward.ris@kfintech.com प्रदान की गई है।

झ. स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली)

सेबी ने स्कोर्स नामक एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान की है, जिसके माध्यम से कोई निवेशक किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है।

ञ. ग्रीन पहल - इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों का वितरण

अधिनियम के प्रावधान सभी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में वितरण करने की अनुमति देकर कागज रहित संचार करने देते हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ-साथ सेबी ने भी अनुमति दी है कि सदस्यों को सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकते हैं। इसके अनुपालन में, कंपनी ने एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट सहित संचार को ईमेल के माध्यम से उन सदस्यों को भेजने की प्रथा अपनाई है जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध है और उन लोगों को भौतिक प्रति भेजी जाती है जो इसके लिए अनुरोध करते हैं।

8. सदस्यों को सामान्य जानकारी

(क) वार्षिक सामान्य बैठक–

वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, समय और मोड	शनिवार, 30.08.2025 को सुबह 10:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से

(ख) वित्तीय वर्ष –

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। वर्ष 2025-26 के लिए तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों को मंजूरी देने का वित्तीय कैलेंडर निम्नानुसार है–

30 जून 2025 को समाप्त तिमाही	14 अगस्त 2025 को या उससे पहले
30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही	14 नवंबर 2025 को या उससे पहले
31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही	14 फरवरी 2026 को या उससे पहले
31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही और वर्ष	30 मई 2026 को या उससे पहले

कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित की जाती है और कंपनी की वेबसाइट पर भी रखी जाती है। ट्रेडिंग विंडो आम तौर पर कंपनी के 'इनसाइडर' के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत से लेकर तिमाही के वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल होने और आम तौर पर उपलब्ध होने के 48 घंटे बाद तक बंद रहती है, जब तक कि कंपनी सचिव द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए।

(ग) लाभांश–

वर्ष 2023-24 के लिए 7.00 रुपये प्रति ईक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश पात्र शेयरधारकों को अगस्त 2024 के महीने में भुगतान किया गया।

इसके अलावा, मंडल ने वर्ष 2024-25 के लिए 3.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है, जो एजीएम में कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी ने लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने हेतु शुक्रवार, 08.08.2025 को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है, यदि एजीएम में लाभांश घोषित किया जाता हो तो उसे पात्र सदस्यों को अधिनियम के तहत बताए गए अनुसार एजीएम के बाद, 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।

(घ) स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की सूचीकरण–

- कंपनी के ईक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हैं। बीएसई और एनएसई का पता एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।
- कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियाँ बीएसई और एनएसई के ऋण खंड में सूचीबद्ध हैं। कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों के लिए एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड और बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड को डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त किया है।
- कंपनी ने वर्ष 2024-25 के लिए दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है।

(ङ) 31.03.2025 को बकाया डिबेंचरों का विवरण

श्रृंखला	आईएसआईएन	जारी करने की तारीख	परिपक्वता	अवधि	ब्याज दर	इशू आकार (रु. करोड़ में)
XIV	INE242A08437	22.10.2019	22.10.2029	10 वर्ष	7.41%	3,000.00
XVIII	INE242A08478	03.08.2020	11.04.2025	4 वर्ष 8 माह 8 दिन	5.40%	1,625.00
XIX	INE242A08486	20.10.2020	20.10.2025	5 वर्ष	5.50%	2,000.00
XX	INE242A08494	25.01.2021	23.01.2026	4 वर्ष 11 माह 29 दिन	5.60%	1,290.20
XXI	INE242A08502	18.02.2022	18.02.2027	5 वर्ष	6.14%	1,500.00
XXIII	INE242A08528	17.06.2022	12.04.2032	9 वर्ष 9 माह 26 दिन	7.79%	2,500.00
XXIV	INE242A08536	06.09.2022	06.09.2027	5 वर्ष	7.14%	2,500.00
XXV	INE242A08544	25.11.2022	25.11.2027	5 वर्ष	7.44%	2,500.00
XXVI	INE242A08551	16.07.2024	16.07.2029	5 वर्ष	7.36%	2,500.00
XXVII	INE242A08569	06.01.2025	06.01.2030	5 वर्ष	7.25%	2,500.00

(च) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)–

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर बी, प्लॉट 31-32,
फाइनेंशियल जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली
हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना
टोल फ्री नंबर - 1800 309 4001
ई-मेल एड्रेस - einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट - www.kfintech.com

(छ) शेयर हस्तांतरण प्रणाली

कंपनी के ईक्विटी शेयरों का कारोबार अमूर्त रूप में किया जाता है। सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शेयरों के फिजिकल हस्तांतरण की अनुमति नहीं है। सेबी के दिनांक 25.01.2022 के परिपत्र के अनुसार, कंपनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोज़िशन आदि के अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल अमूर्त रूप में प्रतिभूतियाँ जारी कर रही है।

(ज) 31.03.2025 को शेयरधारिता का वितरण–

क्र. सं.	ईक्विटी शेयरों का नाममात्र मूल्य (रु.) ईक्विटी शेयरों की संख्या	सदस्यों की संख्या (फ़ोलियो)	सदस्यों का %	राशि (रु.)	राशि का %
1.	1 - 5000	29,49,298	89.72	2,37,40,53,330	1.68
2.	5001 - 10000	1,60,573	4.88	1,20,74,03,020	0.86
3.	10001 - 20000	85,676	2.61	1,23,82,79,430	0.88
4.	20001 - 30000	29,017	0.88	73,56,74,030	0.52
5.	30001 - 40000	14,660	0.45	51,57,26,520	0.37
6.	40001 - 50000	10,108	0.31	46,87,58,590	0.33
7.	50001 - 100000	18,436	0.56	1,32,56,33,710	0.94
8.	100001 - 200000	10,461	0.32	1,48,00,53,030	1.05
9	200001 और ऊपर	8,978	0.27	1,31,86,68,02,170	93.37
	कुल	32,87,207	100.00	1,41,21,23,83,830	100.00

(झ) 31.03.2025 को शेयरधारिता पैटर्न

क्र. सं.	श्रेणी	सदस्य (फ़ोलियो) संख्या	सदस्य (फ़ोलियो) %	ईक्विटी शेयर संख्या	ईक्विटी शेयर %
I	प्रमोटर शेयरहोल्डिंग				
1.	भारत के राष्ट्रपति	1	0.00	727,21,99,767	51.50
II	सार्वजनिक शेयरधारिता				
2.	गुजरात के राज्यपाल	1	0.00	1,62,00,000	0.11
3.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (सरकारी कंपनी)	1	0.00	200,58,22,884	14.20
4.	ऑयल इंडिया लिमिटेड (सरकारी कंपनी)	1	0.00	72,83,85,744	5.16
5.	कॉर्पोरेट निकाय	3,629	0.11	6,17,54,911	0.44
6.	एफआईआई/एनआरआई/एफपीआई	23,877	0.73	1,07,70,81,843	7.63
7.	बैंक/भारतीय वित्तीय संस्थान	24	0.00	9,96,780	0.01
8.	म्यूचुअल फंड्स	135	0.00	38,47,32,072	2.72
9.	बीमा कंपनी	5	0.00	7,28,80,589	0.52
10.	जनता	3259305	99.15	1,17,65,97,874	8.33
11.	न्यास	132	0.00	35,24,00,589	2.50
12.	निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष	1	0.00	81,95,753	0.06
13	योग्य संस्थागत क्रेता	37	0.00	94,74,87,205	6.71
14	अन्य (एनबीएफसी क्लियरिंग सदस्य एआईएफ)	58	0.00	1,65,02,372	0.11
	कुल (I+II)	32,87,207	100.00	1412,12,38,383	100.00

(ञ) 31.03.2025 को शीर्ष 10 सदस्य

क्र. सं.	नाम	ईक्विटी शेयरों की संख्या	ईक्विटी शेयरों का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	727,21,99,767	51.50%
2.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	200,58,22,884	14.20%
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम	90,80,09,660	6.43%
4.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	72,83,85,744	5.16%
5.	आईओसी शेयर ट्रस्ट	34,96,77,684	2.48%
6.	एसबीआई म्यूचुअल फंड	13,89,46,887	0.98%
7.	आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड	11,76,38,082	0.83%
8.	वेनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	5,77,37,503	0.41%
9.	कोटक म्युच्युअल फंड	5,36,97,206	0.38%
10.	वैनगार्ड ईएम स्टॉक इंडेक्स फंड	5,25,47,195	0.37%

(ट) ईक्विटी शेयरों का डीमैटेरियलाइजेशन और चलनिधि–

कंपनी के ईक्विटी शेयरों का कारोबार डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में किया जाता है। सदस्यों को ईक्विटी शेयरों को डीमैटेरियलाइज करने की सुविधा देने के लिए कंपनी ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ समझौता किया है। 31.03.2025 तक फिजिकल और डीमैट सेगमेंट में सदस्यों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है–

शेयरधारिता का प्रकार	सदस्य (फ़ोलियो)		शेयरधारिता	
	संख्या	%	संख्या	%
फिजिकल	2,508	0.08	1,29,83,599	0.09
एनएसडीएल	7,14,814	21.75	11,48,89,31,946	81.36
सीडीएसएल	25,69,885	78.17	2,61,93,22,838	18.55
कुल	32,87,207	100.00	1412,12,38,383	100.00

(ठ) कॉर्पोरेट कार्रवाई

i) लाभांश इतिहास–

कंपनी लगातार लाभांश घोषित करती रही है। पिछले 10 वित्तीय वर्षों के दौरान दिया गया लाभांश नीचे दिया गया है–

वित्तीय वर्ष	दर (%)	टिप्पणी
2014-15	66 %	–
2015-16	140 %	इसमें 55% का अंतरिम लाभांश शामिल है
2016-17	190 %	इसमें 180% का अंतरिम लाभांश शामिल है
2017-18	210%	इसमें 190% का अंतरिम लाभांश शामिल है
2018-19	92.50%	इसमें 82.50% का अंतरिम लाभांश शामिल है
2019-20	42.50%	42.50% का अंतरिम लाभांश। कोई अंतिम लाभांश घोषित नहीं किया गया
2020-21	120%	इसमें 105% का अंतरिम लाभांश शामिल है
2021-22	114%	इसमें 90% का अंतरिम लाभांश शामिल है
2022-23	30%	–
2023-24	120%	इसमें 50% का अंतरिम लाभांश शामिल है

ii) ईक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता के बाद से बोनस जारी–

वित्तीय वर्ष	अनुपात
1999-00	1:1
2003-04	1:2
2009-10	1:1
2016-17	1:1
2017-18	1:1
2022-23	1:2

(ड) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को हस्तांतरित अदावी लाभांश और ईक्विटी शेयर–

अधिनियम की धारा 124 में प्रावधान है कि यदि कोई लाभांश अदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त/अदावी रह गया है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

कंपनी सदस्यों को अनुस्मारक पत्र भेजती है, जिसमें उन्हें ऐसे अदत्त लाभांश के लिए अपना दावा दर्ज करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद अदत्त/अदावी लाभांश नियत तिथि पर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 1,85,32,702/- रु. (2016-17 का दूसरे अंतरिम लाभांश), वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 48,19,930/- रु. (अंतिम लाभांश 2016-17) और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 5,86,11,314/- रु. (अंतरिम लाभांश 2017-18) के अदावी को क्रमशः 06.05.2024, 14.10.2024 और 10.03.2025 को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया।

31.03.2025 को कंपनी के पास अदत्त/अदावाकृत लाभांश का विवरण नीचे दिया गया है–

वर्ष	राशि (रु.)
2017-18 (अंतिम)	1,59,27,062.00
2018-19 (पहला अंतरिम)	3,95,39,508.75
2018-19 (दूसरा अंतरिम)	99,50,102.00
2018-19 (अंतिम)	64,78,624.00
2019-20 (अंतरिम)	2,87,43,638.25
2020-21 (पहला अंतरिम)	3,77,95,654.50
2020-21 (दूसरा अंतरिम)	1,79,88,053.00
2020-21 (अंतिम)	87,50,495.00
2021-22 (पहला अंतरिम)	2,36,76,758.00
2021-22 (दूसरा अंतरिम)	1,98,21,515.00
2021-22 (अंतिम)	1,90,31,928.40
2022-23 (अंतिम)	2,02,90,475.00
2023-24 (अंतरिम)	3,14,29,364.00
2023-24 (अंतिम)	8,33,39,406.00
कुल	36,27,62,583.90

एमसीए द्वारा अधिसूचित आईईपीएफ नियम आगे यह भी प्रावधान करते हैं कि वर्ष के अंत तक सभी अदत्त/अदावाकृत लाभांश का विवरण एमसीए के पास दाखिल किया जाना चाहिए और एजीएम की तारीख से 60 दिनों के भीतर कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाना चाहिए। तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक एमसीए के पास सूचना दाखिल की है और निर्धारित अवधि के भीतर इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला है।

अधिनियम की धारा 124(6) में प्रावधान है कि जिन शेयरों के संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें कंपनी द्वारा आईईपीएफ के नाम पर हस्तांतरित किया जाएगा। धारा 125 में आगे प्रावधान है कि जिस सदस्य की लाभांश राशि/शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिए गए हैं, वे उससे धन वापसी का दावा करने के हकदार होंगे।

आईईपीएफ नियमों के अनुरूप, कंपनी ऐसे सभी सदस्यों को अनुस्मारक पत्र भेजती है, जिनका लाभांश लगातार सात वर्षों की अवधि तक अदत्त/अदावाकृत रहा है, तथा उनसे लाभांश का दावा करने का अनुरोध करती है, अन्यथा ईक्विटी शेयर नियत तिथि पर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

तदनुसार, दूसरे अंतरिम लाभांश 16-17, अंतिम लाभांश 2016-17 और अंतरिम लाभांश 2017-18 से संबंधित ईक्विटी शेयर, जो लगातार सात वर्षों की अवधि तक अदत्त/अदावी रहे थे, क्रमशः 18.05.2024, 23.10.2024 और 25.03.2025 को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिए गए। ऐसे इक्विटी शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

31.03.2025 को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में पड़े ईक्विटी शेयरों का सारांश नीचे दिया गया है–

विवरण	शेयरों की सं.
01.04.2024 तक आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ईक्विटी शेयर	75,76,161
जोड़ें – लगातार सात वर्षों तक अदत्त लाभांश के कारण आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित ईक्विटी शेयर	6,57,806
घटाएं – आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा निवेशक को वापस किए गए ईक्विटी शेयर	38,214
31.03.2025 तक आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ईक्विटी शेयर	81,95,753

आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित अदत्त लाभांश राशि और ईक्विटी शेयरों का दावा करने की प्रक्रिया इस लिंक – http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html पर दी गई है।

(ढ) क्रेडिट रेटिंग

रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न ऋण दस्तावेजों के लिए कंपनी को दी गई क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार है–

विलेख	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
वरिष्ठ असुरक्षित ऋण – विदेशी मुद्रा	मूडीज	बीएए3	स्थिर
वरिष्ठ असुरक्षित ऋण – विदेशी मुद्रा	फिच	बीबीबी–	स्थिर
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	स्थिर
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	इंडिया रेटिंग	इंड एएए	स्थिर
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	आईसीआरए	(आईसीआरए) एएए	स्थिर
बैंक सुविधाएं – दीर्घकालिक	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	स्थिर
बैंक सुविधाएं – दीर्घकालिक	केयर	केयर एएए	स्थिर
बैंक सुविधाएं – अल्पकालिक	क्रिसिल	क्रिसिल ए1+	–
बैंक सुविधाएं – अल्पकालिक	केयर	केयर ए1+	–
वाणिज्यिक पत्र	आईसीआरए	(आईसीआरए) ए1+	–
वाणिज्यिक पत्र	इंडिया रेटिंग	इंड ए1+	–

(ण) संयंत्र स्थान–

प्रमुख संयंत्र स्थानों और कार्यालयों के पते एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(त) पत्राचार के लिए पता–

कंपनी सचिव
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
इंडियन ऑयल भवन
जी-9, अली यावर जंग मार्ग
बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
दूरभाष – (022) 26447327/26447150
ई-मेल आईडी – investors@indianoil.in

सेबी (सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत कार्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन प्रमाण-पत्र

प्रति,
सदस्य,
इंडियनऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड,

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियनऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन: L23201MH1959GOI011388)** ('कंपनी') द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन, विनियम 17 से 27 में निर्धारित, विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (i) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई (सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर) और लोक उद्यम विभाग ('डीपीई के दिशा-निर्देश') द्वारा जारी कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कंपनी द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित के सिवाय, कंपनी ने सेबी एलओडीआर के उक्त प्रावधानों में और डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में बताए गए अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है -

ए) कंपनी में -

1. कंपनी के निदेशक मंडल में समीक्षाधीन अवधि में सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 (1) (ए) के प्रावधानों के अनुसार महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं,
2. दिनांक 24.11.2024 से 31.03.2025 की अवधि के लिए सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 (1) (ए) और डीपीई के दिशा-निर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसार कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं था,
3. कंपनी के निदेशक मंडल में समीक्षाधीन अवधि यानी 01.04.2024 से 07.05.2024, 11.05.2024 से 31.08.2024 और 13.11.2024 से 31.03.2025 में सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 (1) (बी) और डीपीई दिशा-निर्देशों के तहत यथा आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या नहीं थी,

बी) लेखापरीक्षा समिति में अधिनियम की धारा 177 (2), सेबी (एलओडीआर) के विनियम 18 (1) (बी) और डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 4.1.1 के अनुसार दिनांक 24.11.2024 से 31.03.2025 तक स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी,

सी) नामांकन और पारिश्रमिक समिति में दिनांक 24.11.2024 से अधिनियम की धारा 178 (1) और सेबी (एलओडीआर) के विनियम 19 (1) (बी) और (सी) और डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार दिनांक 24.11.2024 से 31.03.2025 तक स्वतंत्र निदेशकों की संरचना का आधा हिस्सा नहीं था।,

डी) समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम की अनुसूची IV और सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

हम यह भी सूचित करते हैं कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्ति की शक्ति और ऐसी नियुक्ति के निबंधन व शर्तें, भारत सरकार के पास होती हैं। स्वतंत्र निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या की नियुक्ति से संबंधित मामला समय-समय पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है।

इसके अलावा, हम सूचित करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों को संचालित किया है।

कृते ढोलकिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी
(कंपनी सचिव)

हस्त/-
सीएस नृपंग बी ढोलकिया
मैनेजिंग पार्टनर
एफसीएस-10032 सीपी नं. 12884

स्थान - मुंबई
दिनांक - 26 जून, 2025

यूडीआईएन - F010032G000667777
विद्वत समीक्षा प्रमाण-पत्र सं. 2404/2022
एफआरएन - P2014MH034700

इंडियनऑयल के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. आर्थिक निष्पादन और दृष्टिकोण

वर्ष 2024 में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के संकेत दिखाई दिए, हालाँकि उसे लगातार गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। वैश्विक विकास दर 2023 के 3.5 प्रतिशत से थोड़ी धीमी होकर 3.3 प्रतिशत पर आ गई, जो उच्च ब्याज दरों, कमज़ोर वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न अनिश्चितता के प्रभाव को दर्शाती है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 1.7 प्रतिशत से 1.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 4.7 प्रतिशत से 4.3 प्रतिशत की मंदी देखी गई।

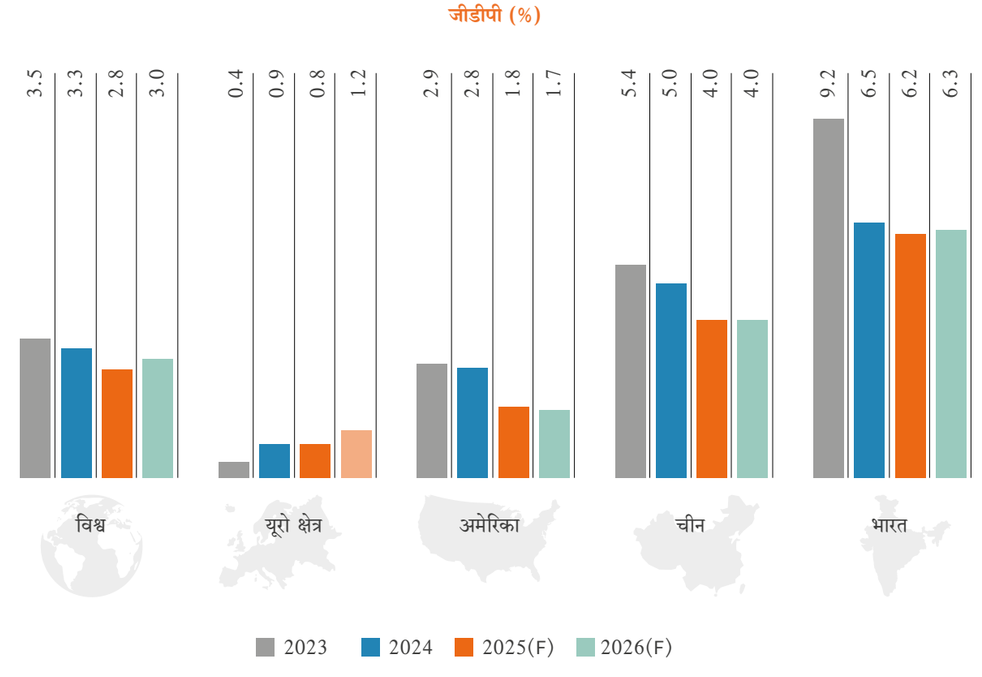

*भारत के लिए जीडीपी वृद्धि दर राजकोषीय वर्ष को संदर्भित करती है। (एफ) पूर्वानुमान को संदर्भित करता है।
स्रोत- विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2025, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, अमेरिकी विकास 2024 में 2.8 प्रतिशत पर स्थिर रहा, जो मजबूत घरेलू मांग से प्रेरित था, निजी खपत 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी, जो इसके ऐतिहासिक औसत 2.4 प्रतिशत को पार कर गया। यूरो क्षेत्र की जीडीपी वृद्धि 0.9 प्रतिशत थी, जो 2023 में 0.4 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, चीन की वृद्धि वर्ष के दौरान 2023 की 5.4 प्रतिशत से धीमी होकर 5.0 प्रतिशत रह गई, जो कमजोर संपत्ति क्षेत्र, कम उपभोक्ता विश्वास और निर्यात में मंदी से प्रभावित थी। इसके अतिरिक्त, बढ़ते व्यापार तनाव और नए टैरिफ ने हाल के वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था को असमान रूप से प्रभावित किया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है, हालांकि इसकी जीडीपी वृद्धि 2023-24 की 9.2 प्रतिशत की तुलना में 2024-25 में 6.5 प्रतिशत तक धीमी हो गई। यह नरमी उच्च आधार प्रभाव और कोविड के बाद आर्थिक विकास दर के स्थिरीकरण से प्रेरित है।

वैश्विक मुद्रास्फीति लगातार दूसरे वर्ष कम हुई है, जो 2023 के 6.6 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.7 प्रतिशत रह गई है। यह सब सख्त मौद्रिक नीतियों और कमोडिटी की कीमतों में नरमी के कारण हुआ है। मुद्रास्फीति में कमी के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड सहित कई केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरों में कटौती करने में मदद मिली है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, श्रम बाजार महामारी-पूर्व स्तर पर पहुँच गए हैं, जिससे बेरोजगारी दर में कमी आई है।

कुछ स्थिरता के बावजूद, कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिम बढ़े हुए हैं, जिससे आर्थिक और वित्तीय स्थिरता दोनों पर उनके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। व्यापार तनाव, विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच, इन अनिश्चितताओं को और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा, बढ़ता वैश्विक ऋण स्तर एक बढ़ती चिंता का विषय है। इन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, आईएमएफ ने अप्रैल 2025 के लिए अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को घटाकर 2025 के लिए 2.8 प्रतिशत और 2026 के लिए 3.0 प्रतिशत कर दिया है - जो जनवरी के अनुमानों से क्रमशः 0.5 और 0.3 प्रतिशत अंक कम है, और लगभग सभी देशों के लिए इसमें कमी की गई है। भारत का आर्थिक दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है, और महामारी के बाद के उच्च स्तर से धीमी गति के बावजूद 2025-26 में विकास दर 6.2 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है। प्रमुख चालकों में डिजिटलीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास से निवेश, उपभोग और उत्पादकता में वृद्धि शामिल है। निरंतर नीतिगत स्थिरता, सामान्य मानसून और जारी संरचनात्मक सुधार इस गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

2. वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र

इस वर्ष वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और नीतिगत बदलावों से प्रभावित हुआ, जिनका ऊर्जा बाजारों और परिवर्तन रणनीतियों पर प्रभाव जारी रहा। पूर्वी यूरोप में जारी संघर्षों और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण अस्थिरता बनी रही। इस पृष्ठभूमि में, प्रमुख तेल और गैस कंपनियों ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया और पारंपरिक तेल और गैस निवेशों की ओर रुख किया, जबकि उनकी नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धताएँ अपरिवर्तित रहीं। लाभप्रदता संबंधी चिंताओं और हितधारकों के दबाव से प्रेरित यह बदलाव, ऊर्जा परिवर्तन की गति और व्यवहार्यता पर सवाल उठाता है। जो कंपनियाँ कभी कार्बन-मुक्ति की पैरवी करती थीं, वे अब शेयरधारकों के प्रतिफल को प्राथमिकता दे रही हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को कम कर रही हैं और जीवाश्म ईंधन पर अपना ध्यान बढ़ा रही हैं। यह वित्तीय अनिवार्यताओं और जलवायु लक्ष्यों के बीच बढ़ते टकराव को रेखांकित करता है, जो संभावित रूप से वैश्विक उत्सर्जन लक्ष्यों में बाधा डाल रहा है। अमेरिका में, पेरिस समझौते से हटने और प्रमुख निम्न कार्बन प्रोत्साहनों को वापस लेने जैसे हालिया नीतिगत बदलावों ने जीवाश्म ईंधन विकास के लिए नए सिरे से समर्थन का संकेत दिया है, जिससे जलवायु प्रतिबद्धताओं के कमजोर होने को लेकर वैश्विक चिंताएँ बढ़ गई हैं।

इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, कई क्षेत्रों - खासकर एशिया और यूरोप - ने धीमी गति से ही सही नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का विस्तार जारी रखा। हालाँकि इस वर्ष ने दीर्घकालिक जलवायु महत्वाकांक्षाओं और अल्पकालिक ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच तनाव को रेखांकित किया, जिसने आगे एक जटिल वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की नींव रखी।

2.1 तेल बाजार

वैश्विक तेल मांग 2024 में रिकॉर्ड 102.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुँच गई, लेकिन वृद्धि की गति तेज़ी से धीमी हो गई। वर्ष के दौरान मांग में केवल 0.83 मिलियन बैरल प्रतिदिन की वृद्धि हुई, जबकि 2023 में यह वृद्धि 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से कहीं अधिक थी। यह गिरावट कोविड-पश्चात कई वर्षों के सुधार के बाद अधिक सामान्यीकृत मांग प्रवृत्तियों की ओर वापसी को दर्शाती है। जबकि ओईसीडी देशों में मांग मोटे तौर पर स्थिर रही, गैर-ओईसीडी क्षेत्रों में लगभग पूरी वृद्धि हुई। वैश्विक वृद्धि में एशिया का योगदान 82 प्रतिशत (या 0.68 एमबीपीडी) रहा; हालाँकि, चीन के अपेक्षा से कमज़ोर आर्थिक निष्पादन ने इसके योगदान को केवल 0.1 एमबीपीडी तक सीमित कर दिया।

भविष्य में, द्रव ईंधन की वैश्विक खपत 2025 में 1.3 एमबीपीडी और 2026 में 1.1 एमबीपीडी बढ़ने का अनुमान है, जिसमें गैर-ओईसीडी एशिया, विशेष रूप से भारत, मांग वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहा है।

तेल की वैश्विक आपूर्ति मांग (एमबीपीडी)

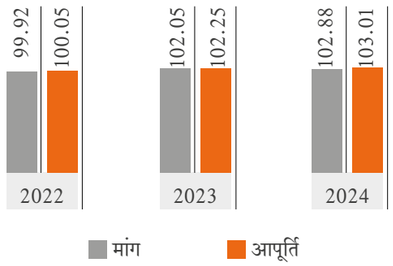

स्रोत: आईईए ओएमआर मार्च 2025

आपूर्ति पक्ष पर, वैश्विक तेल उत्पादन 2023 में 102.25 एमबीपीडी से बढ़कर 103 एमबीपीडी पर मांग के अनुरूप हो गया। मांग में वृद्धि की धीमी गति, गैर-ओपेक+ उत्पादकों के मजबूत उत्पादन के साथ मिलकर, 2024 में ओपेक+ उत्पादन में और अधिक कटौती करने के लिए प्रेरित किया। ओपेक+ आपूर्ति औसतन 49.9 एमबीपीडी रही, जो 2023 के 50.7 एमबीपीडी से कम है। सऊदी अरब ने काफी प्रतिबंध लागू किए, जिससे उत्पादन औसतन 9.1 एमबीपीडी तक कम हो गया, जो 2023 की शुरुआत के स्तर की तुलना में 1.3 एमबीपीडी से अधिक की गिरावट है। इसके विपरीत, गैर-ओपेक+ आपूर्ति 1.5 एमबीपीडी बढ़कर 2024 में 53.1 एमबीपीडी तक पहुंच गई।

2024 में, वैश्विक रिफाइनिंग मार्जिन में गिरावट का रुख जारी रहा, जो वैश्विक रिफाइनिंग क्षमता में वृद्धि और रिफाइंड उत्पादों की मांग में मंदी के संयोजन से प्रेरित था, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति लगातार मांग से आगे निकल गई। मार्जिन कम होने के कारण, ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत तेल कंपनियों की डाउनस्ट्रीम आय 2023 की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत कम हो गई और 2022 की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत कम रही। कई रिफाइनरियों ने बाजार की उम्मीदों से कम निष्पादन किया क्योंकि कमजोर मार्जिन ने पूरे क्षेत्र में लाभप्रदता को कम कर दिया।

वर्ष 2023 की तुलना में इस वर्ष वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी गई। हालाँकि भू-राजनीतिक तनाव और ओपेक+ के आपूर्ति निर्णयों ने कीमतों को प्रभावित करना जारी रखा, लेकिन कम वैश्विक माँग और गैर-ओपेक उत्पादकों के उत्पादन में वृद्धि ने ऊपरी दबाव को कम करने में मदद की। डेटेड ब्रेंट का औसत मूल्य 2023 में $81/ बैरल रहा, जो $83/ बैरल से थोड़ा कम है। हालाँकि, 2025 की शुरुआत में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के कारण बाजार की धारणा में बदलाव आया, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रमुख भागीदारों के बीच व्यापार विवाद और ओपेक+ द्वारा नियोजित उत्पादन वृद्धि में तेजी लाने के संकेत शामिल हैं। इन घटनाक्रमों ने वैश्विक भंडार में वृद्धि की उम्मीदें बढ़ा दीं, जिससे कीमतों पर दबाव कम हुआ।

2.2 गैस बाजार

वर्ष 2024 में, वैश्विक प्राकृतिक गैस की मांग बढ़कर रिकॉर्ड 4,212 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) हो गई, जो साल-दर-साल 2.8 प्रतिशत (115 बीसीएम) की वृद्धि को दर्शाता है, जो 2010 से 2020 तक देखी गई 2 प्रतिशत की औसत वृद्धि से काफी अधिक है। वैश्विक ऊर्जा मांग में कुल वृद्धि में प्राकृतिक गैस का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है, जो किसी भी अन्य ईंधन से अधिक है। 2022-23 के आपूर्ति झटके के बाद, इस पलटाव ने संरचनात्मक विकास की वापसी का संकेत दिया, जो एशिया-प्रशांत बाजारों द्वारा संचालित है, जिसने वैश्विक वृद्धि में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान दिया। हालांकि, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विकास असमान था। हल्की सर्दी और विद्युत (बिजली) की मांग में कमी के कारण यूरोपीय गैस की मांग कमजोर रही, जबकि औद्योगिक गैस की खपत में मामूली सुधार हुआ और यह संकट-पूर्व स्तर से नीचे रही।

कई क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस ने तेल की जगह लेना जारी रखा। उल्लेखनीय बदलावों में मध्य पूर्व के विद्युत क्षेत्र में तेल से गैस की ओर बदलाव और चीन में एलएनजी से चलने वाले ट्रकों का तेज़ी से विकास शामिल है। समुद्री क्षेत्र में उत्सर्जन नियमों को कड़ा करने के बीच एलएनजी बंकरिंग ने भी गति पकड़ी।

आपूर्ति पक्ष की बात करें तो, एलएनजी उत्पादन 2024 में केवल 2.5 प्रतिशत बढ़ा, जो 2016 और 2020 के बीच 8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से काफी कम है, जो विद्युत आपूर्ति में रुकावटों और नई क्षमता वृद्धि में देरी के कारण बाधित है। हालाँकि, 2025 में वृद्धि बढ़कर 5 प्रतिशत (~25 बीसीएम) होने की उम्मीद है, जो कई प्रमुख एलएनजी परियोजनाओं, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में, के अपेक्षित चालू होने और विस्तार से प्रेरित है।

वर्ष 2024 में प्रमुख बाजारों में प्राकृतिक गैस की कीमतों में नरमी आएगी, जो 2022 के रिकॉर्ड उच्च स्तर से गिरावट का रुख बनाए रखेगी। हल्के मौसम के कारण वर्ष की शुरुआत में यूरोपीय और एशियाई गैस की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन मजबूत एशियाई एलएनजी मांग के कारण वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान लगभग 70 प्रतिशत की तेजी से वापसी हुई।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्राकृतिक गैस की कीमतें 2020 के बाद से अपने सबसे निचले वार्षिक औसत स्तर पर पहुँच गईं, जहाँ हेनरी हब (एचएच) की औसत कीमत 2.2 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) रही। 2023 और 2024 में अधिक गर्म सर्दियों के कारण मार्च तक गैस का भंडार पाँच वर्षों के औसत से 40 प्रतिशत अधिक हो गया। उच्च उत्पादन ने भी कीमतों को कम रखा। एशिया में, हाजिर एलएनजी की कीमतों में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई। प्लैट्स जेकेएम बेंचमार्क का औसत 2024 में लगभग 12 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रहा, जो 2023 की तुलना में 14 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है, हालाँकि यह 2016 से 2020 के पाँच वर्षों के औसत से लगभग दोगुना रहा।

2.3 वैश्विक पेट्रोकेमिकल बाजार

वर्ष 2024 में, वैश्विक पेट्रोकेमिकल क्षेत्र लगातार आपूर्ति-मांग असंतुलन और बढ़ती कीमतों की अस्थिरता से जूझ रहा है। तेज़ी से हो रहे क्षमता विस्तार, खासकर एशिया और मध्य पूर्व में, मांग वृद्धि की तुलना में काफी आगे निकल गए, जिससे एथिलीन और प्रोपिलीन जैसे प्रमुख पेट्रोकेमिकल्स के लिए ज़रूरत से ज़्यादा आपूर्ति वाले बाज़ार बन गए। इस असंतुलन के कारण उत्पाद की कीमतें गिर गईं और लाभ मार्जिन कम हो गया, जिसका असर ख़ास तौर पर यूरोप और एशिया के नेफ्था-आधारित उत्पादकों पर पड़ा।

2.4 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार 2024 में मजबूत गति बनाए रखेगा, इलेक्ट्रिक कार की बिक्री 17 मिलियन यूनिट से अधिक हो जाएगी, जो 2023 की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि है, जिससे ईवी दुनिया भर में कुल नई कार बिक्री का 20 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। वैश्विक ईवी बेड़ा 58 मिलियन तक पहुंच गया, जो 2021 से तीन गुना अधिक है और इससे प्रति दिन 1.3 मिलियन बैरल तेल (एमबीपीडी) का उपयोग कम हो रहा है। चीन ने इस बदलाव का नेतृत्व किया, जिसमें 11 मिलियन से अधिक ईवी की बिक्री या देश की सभी कार बिक्री का लगभग आधा हिस्सा शामिल है। यह दुनिया का ईवी विनिर्माण केंद्र भी बना रहा, जो वैश्विक इलेक्ट्रिक कारों का 70 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है। इसके विपरीत, यूरोप में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री स्थिर रही और सब्सिडी और सहायक नीतियों में कमी आने के कारण इसकी बाजार हिस्सेदारी 20 प्रतिशत पर आ गई। अमेरिका में साल-दर-साल 10 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जहाँ नई कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक हो गई।

वैश्विक स्तर पर, महत्वपूर्ण खनिजों की कम लागत और बैटरी निर्माताओं के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में गिरावट आई है। चीन में बैटरी पैक की कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत और यूरोप तथा अमेरिका में 10-15 प्रतिशत की गिरावट आई है, हालाँकि कई बाज़ारों में पारंपरिक कारों की तुलना में खरीद् मूल्य में अंतर अभी भी बना हुआ है। बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, पिछले दो वर्षों में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोगुना हो गया है। नीतिगत और बाज़ार की अनिश्चितताओं के बावजूद, 2030 तक वैश्विक कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है, जो 5 एमबीपीडी से अधिक तेल के उपयोग में कमी आएगी।

2.5 निम्न कार्बन ऊर्जा

भू-राजनीतिक और नीतिगत चुनौतियों के बावजूद, निम्न-कार्बन ऊर्जा परिवर्तन में वैश्विक निवेश 2024 में रिकॉर्ड 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो विद्युतीकृत परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, पावर ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के कारण साल-दर-साल 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हालाँकि, पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि धीमी रही, जो 2021 और 2023 के बीच 24 प्रतिशत से 29 प्रतिशत के बीच रही। हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (सीसीएस) जैसे उभरते स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश में 2023 की तुलना में गिरावट देखी गई।

वर्ष 2024 में, वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि देखी गई, जिसमें 585 गीगावाट की वृद्धि हुई, जो 15.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है और नवीकरणीय ऊर्जा को कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 46 प्रतिशत तक ले गया। सौर ऊर्जा ने इस वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसने रिकॉर्ड 452 गीगावाट के साथ तीन-चौथाई से अधिक नई ऊर्जा क्षमता का योगदान दिया, इसके बाद पवन ऊर्जा का स्थान रहा, जिसने 113 गीगावाट का योगदान दिया। नवीकरणीय ऊर्जा ने नई वैश्विक विद्युत क्षमता का 92.5 प्रतिशत योगदान दिया। हालाँकि, वृद्धि असमान रही - चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने

83 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया, जबकि अफ्रीका ने केवल 0.7 प्रतिशत और भारत ने 4.9 प्रतिशत का योगदान दिया।

वर्ष 2024 में, वैश्विक जैव ईंधन क्षेत्र में नीतिगत समर्थन, तकनीकी प्रगति और स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती माँग के कारण उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2024 में वैश्विक जैव ईंधन की माँग 2.7 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 2.2 मिलियन बैरल तेल समकक्ष प्रतिदिन तक पहुँच गई। एशिया प्रशांत क्षेत्र ने इस वृद्धि का नेतृत्व किया, जिसमें भारत की माँग में 38 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। उत्पादन के मोर्चे पर, वैश्विक उत्पादन में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान सबसे अधिक 37 प्रतिशत रहा। कुल वैश्विक जैव ईंधन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 3.1 प्रतिशत रही, जबकि खपत 3.5 प्रतिशत रही।

3. भारतीय ऊर्जा क्षेत्र

विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश भारत, विद्युत, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा की मांग में लगातार मजबूत वृद्धि का अनुभव कर रहा है।

2024 में भारत की प्राथमिक ऊर्जा मांग साल-दर-साल 4.3 प्रतिशत बढ़ी, जो पिछले दस वर्षों की औसत वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत से अधिक है। यह वृद्धि देश की निरंतर आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में तेज़ी और विद्युत, परिवहन एवं उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऊर्जा पहुँच के विस्तार को दर्शाती है। भविष्य में, भारत की प्राथमिक ऊर्जा मांग 2050 तक लगभग दोगुनी होने का अनुमान है, जो देश को वैश्विक ऊर्जा खपत वृद्धि के एक प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करेगा। इस बढ़ती मांग को पूरा करने में सभी प्रमुख ऊर्जा स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है। हालाँकि, सबसे ज़्यादा वृद्धि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में होने की उम्मीद है, जो घटती तकनीकी लागत, नीतिगत समर्थन और भारत के दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों से प्रेरित है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन पिछले वर्ष के 29.4 एमएमटी से घटकर 28.7 एमएमटी रह गया, जबकि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का आयात साल-दर-साल 3.7 प्रतिशत बढ़कर 243 एमएमटी हो गया, जिससे भारत की आयात निर्भरता लगभग 88 प्रतिशत तक बढ़ गई। रिफाइनरी संचालन में सकारात्मक गति बनी रही। भारत की रिफाइनरी क्षमता 1.3 एमएमटीपीए बढ़कर 258.1 एमएमटीपीए हो गई। थ्रूपुट बढ़कर 267.3 एमएमटी हो गया, जो 2023-24 की तुलना में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि है, जो बेहतर क्षमता उपयोग और पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर मांग को दर्शाता है। पेट्रोलियम उत्पाद (पीओएल) का आयात भी वर्ष के दौरान 2023-24 में 48.7 एमएमटी से बढ़कर 51.3 एमएमटी हो गया, जबकि पीओएल का निर्यात पिछले वर्ष के दौरान पंजीकृत 62.6 एमएमटी से बढ़कर 65.1 एमएमटी हो गया, जो परिष्कृत उत्पाद बाजारों में मजबूत निष्पादन और भारतीय पेट्रोलियम निर्यात के लिए मजबूत बाहरी मांग को दर्शाता है।

भारत में तेल – मांग आपूर्ति का रुझान (एमएमटी में)

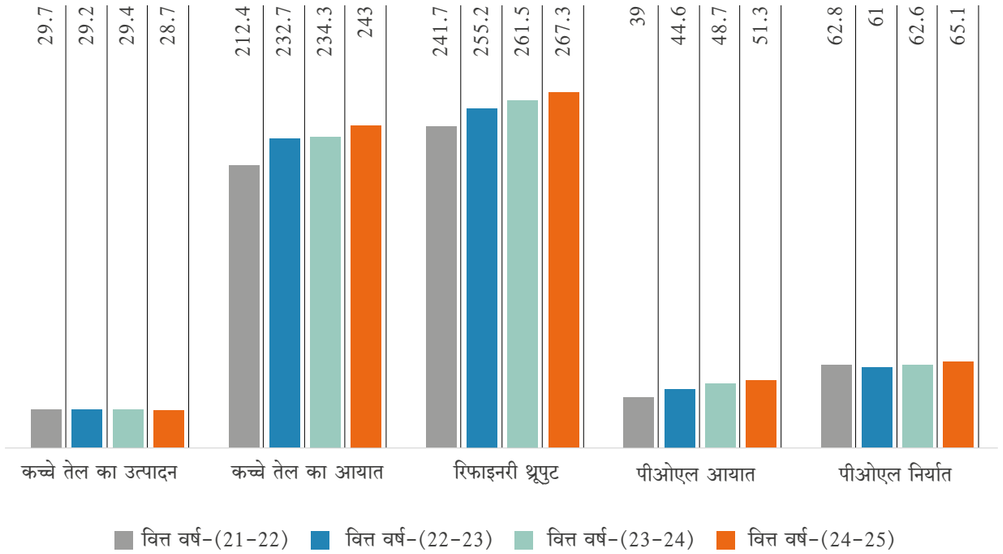

स्रोत- पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

वर्ष 2024-25 में, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 2.1 प्रतिशत बढ़कर 239.2 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) हो गई। यह 2022-23 में 10.6 प्रतिशत और 2023-24 में 5.0 प्रतिशत की मज़बूत वृद्धि दर से कम है।

परिवहन ईंधन खंड में, मोटर स्पिरिट (एमएस) की खपत 7.5 प्रतिशत बढ़कर 40 एमएमटी हो गई, जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की मांग 8.9 प्रतिशत बढ़कर 9 एमएमटी हो गई। इसके विपरीत, हाई-स्पीड डीज़ल (एचएसडी) की मांग में 2.0 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई, जो कुल 91.4 एमएमटी रही, जो पिछले वित्त वर्ष में दर्ज 4.3 प्रतिशत की वृद्धि से कम है।

प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की खपत (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %)

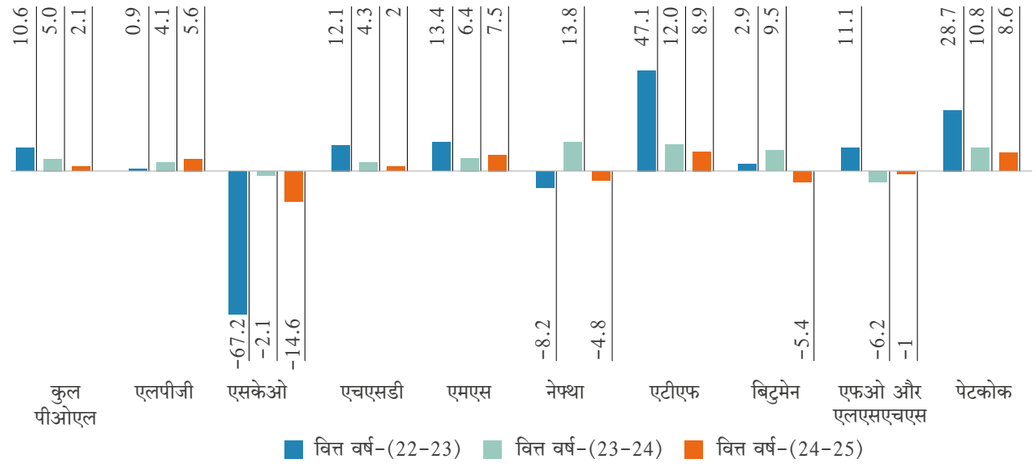

स्रोत- पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

सड़क परिवहन ईंधन की निरंतर मांग को नए वाहनों के पंजीकरण में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि से बल मिला, जबकि भारत के विमानन क्षेत्र ने महामारी के बाद भी मज़बूत सुधार और विस्तार जारी रखा, और एक प्रमुख विकास चालक के रूप में उभरा। विमानन क्षेत्र में, घरेलू हवाई यात्री यातायात 2023-24 के दौरान 7.7 प्रतिशत बढ़ा और 2019-20 में दर्ज कोविड-पूर्व स्तर से 16.8 प्रतिशत अधिक रहा। हवाई माल ढुलाई की मात्रा में भी अच्छी वृद्धि देखी गई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई में 39 प्रतिशत और घरेलू माल ढुलाई में वर्ष के दौरान 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अन्य प्रमुख उत्पादों में, द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) ने अपनी बढ़त का क्रम बनाए रखा और 5.6 प्रतिशत बढ़कर 31.3 एमएमटी हो गई। दूसरी ओर, बिटुमेन की बिक्री में साल-दर-साल 5.4 प्रतिशत की गिरावट आई और कुल बिक्री 8.3 एमएमटी रही, जो सड़क निर्माण गतिविधियों में नरमी को दर्शाता है।

भारत में प्राकृतिक गैस की खपत 2024-25 में 5.6 प्रतिशत बढ़कर 71.3 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) हो गई, जो 2023-24 में 10 प्रतिशत से अधिक की मजबूत वृद्धि के बाद है। हालांकि, घरेलू उत्पादन वर्ष के दौरान 35.6 बीसीएम पर स्थिर रहा, जो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निरंतर निर्भरता को दर्शाता है। भारत का एलएनजी आयात 2024-25 में 12.3 प्रतिशत बढ़कर 35.7 बीसीएम हो गया, जिसे अपेक्षाकृत कम वैश्विक एलएनजी कीमतों का समर्थन प्राप्त था। इस वृद्धि के साथ, भारत ने दुनिया के चौथे सबसे बड़े एलएनजी आयातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जो वैश्विक एलएनजी व्यापार (सीवाई2024) का लगभग 7 प्रतिशत है, जिससे दीर्घकालिक एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है।

भारत का पेट्रोकेमिकल उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जो मजबूत घरेलू मांग में वृद्धि और बढ़ते वैश्विक मार्जिन दबावों से प्रेरित है। 220 बिलियन अमरीकी डॉलर के मूल्य वाला यह क्षेत्र जीडीपी में 6 प्रतिशत का योगदान देता है। वर्ष के दौरान, भारत में प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों की मांग 2023-24 में 38.4 एमएमटीपीए से बढ़कर 40.6 एमएमटीपीए हो गई, जो साल-दर-साल लगभग 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। 8 प्रतिशत औसत वार्षिक मांग वृद्धि के बावजूद, भारत आयात पर निर्भर बना हुआ है, विशेष रूप से सी4 रबर, स्टाइरीन और ऐक्रेलिक जैसे क्षेत्रों में 45 प्रतिशत पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स की सोर्सिंग करता है। हालांकि, रिफाइनरी-आधारित एकीकरण में 25 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक सहित 124 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के नियोजित निवेश से 88.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात बिल में कमी आने की उम्मीद है। प्रति व्यक्ति खपत मात्र 12 किलोग्राम (वैश्विक औसत का एक तिहाई) होने के कारण, भारत को मांग को पूरा करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अगले 15 वर्षों में लगभग 10 नए क्रेकर की आवश्यकता होगी।

भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार 2024-25 में मजबूती से बढ़ा और इसकी बिक्री 20 लाख यूनिट के करीब पहुँच गई, जो 2023-24 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। भारतीय ईवी बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (ई2डब्ल्यू) का दबदबा रहा, जिनकी कुल बिक्री लगभग 12 लाख यूनिट रही, जो साल-दर-साल 21 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों (ईपीवी), जिनमें इलेक्ट्रिक कारें और एसयूवी शामिल हैं, ने एक लाख से अधिक यूनिट की बिक्री के साथ अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन दर्ज किया, जो साल-दर-साल 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हालाँकि, भारत में ईवी चार पहिया वाहनों की पहुँच 2.5 प्रतिशत के मामूली स्तर पर बनी हुई है। इस वर्ष इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री स्थिर रही। फेम II योजना की समाप्ति के बाद, सरकार ने ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-एम्बुलेंस (इलेक्ट्रिक कारों को छोड़कर) को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की, जिसमें ~72,000 चार्जिंग स्टेशनों के लक्ष्य के साथ सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

भारत की अधिकतम विद्युत मांग 250 गीगावाट के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो देश के त्वरित आर्थिक विकास और बढ़ते विद्युतीकरण को रेखांकित करता है। 2024-25 में, कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 34 गीगावाट बढ़कर 475 गीगावाट तक पहुंच गई। इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण चालक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 29.5 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि थी, जिससे कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता 220 गीगावाट (बड़े हाइड्रो सहित) हो गई, जिसमें 105.6 गीगावाट सौर और 50 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। एक प्रमुख विकास में, सरकार ने भारत की पहली अपतटीय पवन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 7,453 करोड़ रुपये मंजूर किए। ग्रिड की सक्षमता को मजबूत करने और आरई एकीकरण का सहयोग करने के लिए, 4,000 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) विकसित करने के लिए 3,760 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए।

सरकार 19,744 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन का विस्तार कर रही है। 4.12 लाख टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और 1,500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए निविदाएँ प्रदान की जा चुकी हैं। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। ऊर्जा संक्रमण आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करने के लिए, सरकार ने 29 जनवरी, 2025 को अपनी मंज़ूरी के बाद 9 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) शुरू किया। 34,300 करोड़ रु. के नियोजित निवेश के साथ, इस मिशन का उद्देश्य अन्वेषण से लेकर पुनर्चक्रण तक, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

जैव ईंधन के मोर्चे पर, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण में उल्लेखनीय प्रगति जारी रही और उद्योग ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2024-25 (24 नवंबर - 25 मई) के दौरान 18.8 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया। उल्लेखनीय है कि इस अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए इथेनॉल का 50 प्रतिशत से अधिक गैर-गन्ना स्रोतों से प्राप्त हुआ, जो विविध फीडस्टॉक की ओर बदलाव को दर्शाता है। ये प्रगति 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त करने की दिशा में भारत की मजबूत गति को रेखांकित करती है।

4. उभरते ऊर्जा परिदृश्य में संचालन- अवसर और चुनौतियाँ

भारत के सामने दोहरी चुनौती है - अपनी विकासात्मक आकांक्षाओं और जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाना। 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम करते हुए, देश को अपनी आबादी के लिए सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय ऊर्जा पहुँच सुनिश्चित करनी होगी। अधिक ऊर्जा और कम कार्बन की यह दोहरी चुनौती पारंपरिक और निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों, दोनों के लिए अनेक अवसर खोलती है। जहाँ तेल और गैस भारत के ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे, वहीं प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल, संपीडित बायोगैस और टिकाऊ विमानन ईंधन सहित जैव ईंधन जैसे निम्न-कार्बन विकल्प परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों को कार्बन-मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

अवसर

वैश्विक मांग चालक के रूप में भारत: भारत 2035 तक तेल मांग में लगभग 2 मिलियन बैरल/दिन की वृद्धि करने के लिए तैयार है, तथा बढ़ती तेल मांग का विश्व का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा।

पेट्रोकेमिकल बाज़ार का विस्तार: भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल बाज़ार 2040 तक तिगुना होकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है, जो वैश्विक विकास का 10 प्रतिशत से अधिक होगा। यह आयात प्रतिस्थापन और घरेलू क्षमता विस्तार की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

गैस प्राप्ति का विस्तार - माँग वृद्धि वैश्विक आपूर्ति के अवसर से मेल खाती है: भारत की बढ़ती प्राकृतिक गैस की माँग-जिसके 2030 तक सालाना 103 बीसीएम तक पहुँचने का अनुमान है-औद्योगिक विकास और विद्युत एवं परिवहन में स्वच्छ ईंधन की ओर नीतिगत बदलाव के कारण एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यह माँग परिदृश्य 2024 और 2029 के बीच अपेक्षित वैश्विक एलएनजी आपूर्ति विस्तार के अनुरूप है, जिससे आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ सकती है और भारतीय खरीदारों के लिए मूल्य निर्धारण और संविदा की शर्तों में सुधार हो सकता है, जिससे अधिक सुरक्षित और किफायती गैस प्राप्ति को बढ़ावा मिल सकता है।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा- राष्ट्रीय विद्युत योजना के तहत, भारत का लक्ष्य 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जो तेल और गैस कंपनियों के लिए स्वच्छ ऊर्जा में विविधता लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। इस वृद्धि को नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ), नवीकरणीय उत्पादन दायित्व (आरजीओ), उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों में छूट जैसे नीतिगत उपायों से समर्थन मिल रहा है-ये सभी निवेश आकर्षित करने और विभिन्न क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

जैव ईंधन और मिश्रण अधिदेश: इथेनॉल मिश्रण अधिदेश, चरणबद्ध एसएएफ मिश्रण (सीओआरएसआईए के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2027 तक 1 प्रतिशत, 2028 तक 2 प्रतिशत और 2030 तक 5 प्रतिशत) और सीजीडी क्षेत्र के सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) खंडों में सीबीजी (2025-26 में 1 प्रतिशत और 2028-29 तक 5 प्रतिशत तक बढ़ाना) अधिदेश और एसएएफ और ग्रीन अमोनिया जैसे हरित ईंधन के लिए निर्यात क्षमता घरेलू उत्पादन, प्रौद्योगिकी परिनियोजन और निम्न-कार्बन ऊर्जा में निवेश के लिए मजबूत अवसर प्रस्तुत करती है।

डिजिटलीकरण और स्मार्ट अवसंरचना- रिफाइनिंग, वितरण और ग्राहक इंटरफेस में एआई, आईओटी और स्वचालन को अपनाने से महत्वपूर्ण दक्षता लाभ और नए राजस्व मॉडल उपलब्ध होते हैं।

ईवी बाजार में वृद्धि - ऊर्जा कंपनियों के लिए नए अवसर- भारत का तेजी से विस्तारित हो रहा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार तेल और गैस कंपनियों के लिए बैटरी विनिर्माण, चार्जिंग अवसंरचना और बैटरी स्वैपिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में विविधता लाने का रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है।

चुनौतियां

आयात निर्भरता और कीमतों में उतार-चढ़ाव- आयातित तेल और गैस पर भारत की बढ़ती निर्भरता ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। कच्चे तेल का आयात, जो अब लगभग 88 प्रतिशत है, एक प्रमुख चुनौती है, जिससे वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति में व्यवधान का जोखिम बढ़ रहा है। 2030 तक घरेलू गैस उत्पादन में मामूली वृद्धि का अनुमान है, जिससे एलएनजी आयात में तीव्र वृद्धि आवश्यक हो जाएगी, जिससे बाहरी निर्भरता और बढ़ेगी।

पेट्रोकेमिकल मार्जिन में कमी: चीन में कमज़ोर माँग और नई वैश्विक क्षमताओं से अधिक आपूर्ति के कारण पेट्रोकेमिकल मार्जिन पर दबाव बना रहने की आशंका है। आयात पर निर्भर भारतीय एकल यूनिटें विशेष रूप से प्रभावित हैं, जबकि घरेलू फीडस्टॉक्स वाली एकीकृत रिफाइनरियाँ बेहतर रूप से सुरक्षित हैं।

ई.वी. व्यवधान: लागत-प्रतिस्पर्धी ई.वी. का उदय, दीर्घकालिक ईंधन मांग के लिए जोखिम प्रस्तुत करता है, यद्यपि अपनाने की गति और पैमाना अनिश्चित बना हुआ है।

अत्यधिक खनिज निर्भरता: स्वच्छ ईंधन, विशेष रूप से बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर और सौर ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा) तक पहुंच की आवश्यकता होती है, जिससे भारत को आयात निर्भरता और मूल्य जोखिमों के नए रूपों का सामना करना पड़ता है।

स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विस्तार - लागत, परिपक्वता और वित्तीय बाधाएँ- कम कार्बन वाले ईंधनों की ओर रुख उच्च लागत, अपरिपक्व प्रौद्योगिकियों और वित्तीय अंतरालों के कारण बाधित है। ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन की तुलना में काफी महंगा है, जिससे इसे शीघ्र अपनाने में बाधा आ रही है। सीसीयूएस, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर और एसएएफ जैसे प्रमुख समाधानों में व्यावसायिक पैमाने और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का अभाव है। भारत के इस बदलाव के लिए तत्काल ग्रिड उन्नयन, तीव्र तैनाती और समान ऊर्जा पहुँच की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, उच्च अग्रिम निवेश आवश्यकताएँ और किफायती वित्तपोषण तक सीमित पहुँच इन प्रौद्योगिकियों के विस्तार में बाधा डालती हैं।

भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को लगातार मज़बूत कर रहा है और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का अपना दर्जा बरकरार रखे हुए है। भारत 2025-26 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, जो मज़बूत घरेलू माँग, संरचनात्मक सुधारों और जनसांख्यिकीय लाभों से प्रेरित एक उपलब्धि है।

ऊर्जा के मोर्चे पर, भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। जैसे-जैसे देश 2047 तक 'विकसित भारत' बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे 2050 तक इसकी ऊर्जा माँग दोगुनी होने का अनुमान है, जिससे वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में इसकी हिस्सेदारी वर्तमान 6.5 प्रतिशत से बढ़कर 2050 तक 12 प्रतिशत हो जाएगी।

इंडियनऑयल जैसी ऊर्जा कंपनियों के लिए, यह परिदृश्य देश की पारंपरिक ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ निम्न-कार्बन और हरित ऊर्जा समाधानों में निवेश बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते हुए भारत के विकास लक्ष्यों को समर्थन देने की क्षमता, देश के भावी ऊर्जा परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक होगी।

5. इंडियनऑयल का रणनीतिक दृष्टिकोण: भारत के ऊर्जा भविष्य को सशक्त बनाना

देश के अग्रणी ऊर्जा प्रदाता के रूप में, इंडियनऑयल 2050 तक भारत की प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में अपनी हिस्सेदारी को वर्तमान 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने के लिए तैयार है, साथ ही 2046 तक अपने परिचालन नेट-ज़ीरो लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। यह विकास प्रक्षेप-पथ न केवल "भारत की ऊर्जा" के रूप में इंडियनऑयल की पहचान को मजबूत करता है, बल्कि कंपनी को भारत के विकसित ऊर्जा परिदृश्य को आकार देने में सबसे आगे रखता है।

बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और साथ ही ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने की चुनौती के जवाब में, इंडियनऑयल ने तीन स्तंभों पर आधारित एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति तैयार की है: कोर को मज़बूत करना, रणनीतिक विविधीकरण और एकीकरण के माध्यम से विस्तार करना, और टिकाऊपन एवं नेट-ज़ीरो की ओर बढ़ना। ये स्तंभ ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने, परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने और भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप टिकाऊ, कम कार्बन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए इंडियनऑयल की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

इंडियनऑयल 160 से अधिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, जिनमें से प्रत्येक की लागत 5 करोड़ रु. से अधिक है, तथा कुल परियोजना लागत 2.6 लाख करोड़ रु. से अधिक है, यह कार्य एकल आधार पर तथा अपने संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के माध्यम से कर रहा है।

5.1 मुख्य व्यवसायों को मजबूत करना

"मुख्य व्यवसायों को मज़बूत करना" स्तंभ के अंतर्गत, 'रिफाइनिंग और मार्केटिंग' क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखने पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसमें भारत की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिफाइनरी क्षमता का विस्तार और राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। भारत में तेल की मांग 2040 तक लगातार बढ़ने की उम्मीद है, जिसे वाहनों के स्वामित्व में वृद्धि, हवाई यात्रा का विस्तार और प्लास्टिक की बढ़ती मांग से बल मिलेगा, जबकि देश विद्युतीकृत परिवहन प्रणालियों को अपनाने में भी प्रगति कर रहा है।

रिफाइनिंग

भारत की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों और दीर्घकालिक तेल मांग परिदृश्य के अनुरूप, इंडियनऑयल ने अपनी कुल रिफाइनिंग क्षमता को वर्तमान 80.75 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 2028 तक 98.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) करने का लक्ष्य रखा है। यह क्षमता विस्तार भारत के मज़बूत आर्थिक बुनियादी ढाँचे, बढ़ती उपभोक्ता आकांक्षाओं और बदलते वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर आधारित है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रमुख परियोजनाएँ चल रही हैं। पानीपत रिफ़ाइनरी का विस्तार, एक प्रमुख पहल है, जिससे क्षमता 15 एमएमटीपीए से बढ़कर 25 एमएमटीपीए हो जाएगी। इसी प्रकार, पश्चिमी भारत में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बढ़ती माँग को पूरा करने के उद्देश्य से गुजरात रिफ़ाइनरी (कोयली) की क्षमता 13.7 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 18 एमएमटीपीए की जा रही है। इसी प्रकार, पूर्वी क्षेत्र में ईंधन आपूर्ति को मज़बूत करने के लिए डिगबोई रिफ़ाइनरी और बरौनी रिफ़ाइनरी का विस्तार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं को 2026-27 तक उत्तरोत्तर पूरा करने की योजना है। साथ ही, कंपनी समर्पित लाभप्रदता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के माध्यम से केंद्रित पहलों को आगे बढ़ाकर अपनी रिफ़ाइनरियों को सोलोमन बेंचमार्किंग सूचकांक पर लाने का प्रयास कर रही है। क्षमता विस्तार से न केवल इंडियनऑयल को लगातार बढ़ती घरेलू माँग को पूरा करके विकास करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह खुद को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातक के रूप में भी स्थापित करेगा।

पेट्रोकेमिकल्स

जैसे-जैसे वैश्विक रिफाइनिंग क्षेत्र बदलती ऊर्जा गतिशीलता के अनुकूल ढल रहा है, पेट्रोकेमिकल एकीकरण प्रतिस्पर्धात्मकता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति बनता जा रहा है। उच्च-मूल्य वाले रासायनिक उत्पादों का उत्पादन करने और बाजार की बदलती ज़रूरतों के अनुकूल ढलने की इसकी क्षमता इसे परिवहन ईंधन की मांग में संभावित गिरावट से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम बनाती है।

वर्तमान पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 4.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष वाली इंडियनऑयल ने इस क्षेत्र में अग्रणी खिलाड़ी बनने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 13 एमएमटीपीए से अधिक पेट्रोकेमिकल क्षमता हासिल करना है। यह पारंपरिक ईंधन-केंद्रित परिचालनों से मूल्यवर्धित रासायनिक उत्पादों की अधिक हिस्सेदारी के साथ अधिक विविध पोर्टफोलियो की ओर एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है।

इस विस्तार का मुख्य फोकस उच्च-मार्जिन वाले विशेष रसायनों का विकास है। इंडियनऑयल 2030 तक अपनी नई पेट्रोकेमिकल क्षमता का 25 प्रतिशत यानी लगभग 3 एमएमटीपीए विशेष रसायनों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। इससे न केवल लाभप्रदता बढ़ेगी, बल्कि महंगे आयातों पर निर्भरता कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप भी होगा। इसके अलावा, इंडियनऑयल खुद को एक टिकाऊपन-केंद्रित पेट्रोकेमिकल कंपनी के रूप में स्थापित कर रहा है। कंपनी ने पॉलिमर रिसाइक्लेट के अपने ब्रांड साइक्लोप्लास्ट को पेश किया है और 2028 तक इस क्षेत्र में 1 एमएमटीपीए की उत्पादन क्षमता बनाने का लक्ष्य रखा है।

इंडियनऑयल कई चालू और नई स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से अपने पेट्रोकेमिकल्स एकीकरण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। 2022-23 में ओडिशा में पारादीप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के चरण 1 अनुमोदन के बाद, कई प्रमुख पहल चल रही हैं जैसे पानीपत, बरौनी और गुजरात में पॉलीप्रोपिलीन यूनिटें, साथ ही गुजरात रिफाइनरी में एक ऐक्रेलिक/ऑक्सो अल्कोहल कॉम्प्लेक्स और पारादीप में एक पीएक्स-पीटीए कॉम्प्लेक्स। भद्रक में कपड़ा-उन्मुख पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स (एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से), हल्दिया में एक प्रोपिलीन रिकवरी यूनिट और पारादीप पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र में गैस चरण रिएक्टर के साथ एक एथिलीन शुद्धिकरण यूनिट जैसी कई नियोजित परियोजनाएँ इस पोर्टफोलियो का और विस्तार करेंगी। जैविक विकास के अलावा, इंडियनऑयल विशेष रसायन व्यवसायों के अधिग्रहण की भी संभावना तलाश रहा है।

पाइपलाइनें

अपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल विस्तार के साथ-साथ, इंडियनऑयल देश भर में उत्पादों की कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अपने पाइपलाइन बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। वर्ष के दौरान, 261 किलोमीटर नई पाइपलाइनें चालू की गईं, जिससे नेटवर्क 20,000 किलोमीटर से अधिक हो गया। 21 परियोजनाओं के चालू होने के साथ, नेटवर्क का विस्तार 22,000 किलोमीटर से अधिक होने वाला है। वर्ष के दौरान, इंडियनऑयल ने नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ दो बी2बी समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे मोतिहारी-चितवन पाइपलाइन विस्तार, एक नई सिलीगुड़ी-झापा पाइपलाइन और भंडारण टर्मिनल जैसी प्रमुख सीमा-पार परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ।

विपणन (मार्केटिंग)

देश की बढ़ती ईंधन मांग को पूरा करने के लिए, इंडियनऑयल भंडारण सुविधाओं और अंतिम-स्थान कनेक्टिविटी का विस्तार करके अपने विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है, साथ ही साथ अपने खुदरा नेटवर्क का आधुनिकीकरण भी कर रहा है। वर्ष के दौरान 2,823 नए रिटेल आउटलेट जोड़े गए, जिससे कुल नेटवर्क 40,000 को पार कर गया। इंडियनऑयल ने तेलंगाना के मलकापुर में पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन (पीएचपीएल) से जुड़ा एक नया ग्रासरूट पीओएल टर्मिनल, तमिलनाडु के एन्नोर के कामराजर पोर्ट में एक कैप्टिव जेटी, तटीय लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाने और बरौनी बिटुमेन प्लांट में एक अतिरिक्त बिटुमेन टैंक सहित प्रमुख परिवर्धन के साथ विपणन बुनियादी ढांचे को बढ़ाया - सभी 2024-25 के दौरान पहुंच और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए पूरे होंगे।

इंडियनऑयल के प्रतिष्ठित सर्वो लुब्रिकेंट्स ने 45 देशों में अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कंपनी की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी का लक्ष्य 2028 तक लुब्रिकेंट्स की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि करना है, जिसमें मूल्यवर्धित सेवाओं, अनुकूलित समाधानों और सभी टचपॉइंट्स पर बेहतर ग्राहक अनुभव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

संस्थागत बिक्री में एक बड़ी सफलता मिली, जहाँ इंडियनऑयल ने ओएनजीसी की मेहसाणा और अहमदाबाद यूनिटों में बहुराष्ट्रीय ब्रांडों के आयातित विकल्पों की जगह हाइड्रोलिक ऑयल सर्वोहाइड्रेक्स टीएच 46 प्लस को सफलतापूर्वक पेश किया। इसी प्रकार, इंडोनेशिया में पर्टामिना और बांग्लादेश में पद्मा ऑयल को एवीजीएएस 100 एलएल के निर्यात ने वैश्विक स्तर पर इंडियनऑयल के विमानन ईंधन क्षेत्र के विस्तार को चिह्नित किया।

हालाँकि, तेज़ी से विकसित हो रहे खुदरा परिदृश्य में, चुस्ती-फुर्ती और लाभप्रदता पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है। इंडियनऑयल प्रमुख क्षेत्रों में बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने, प्रति-पंप थ्रूपुट में सुधार लाने और अपने गैर-ईंधन खुदरा (एनएफआर) व्यवसाय से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि को प्राथमिकता दे रहा है। कंपनी का लक्ष्य अपने बी2बी बिक्री पोर्टफोलियो के तहत बिटुमेन की बिक्री मात्रा में वृद्धि करना भी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का लक्ष्य भारत और विदेश दोनों में साझेदारियों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक्स को मज़बूत करना और 2028 तक समुद्री बंकरिंग में वृद्धि को दोगुना करना है।

ग्राहक फोकस को मजबूत करना

ग्राहक हमेशा से कंपनी की प्राथमिकता रहे हैं। देश के सबसे बड़े ग्राहक-केंद्रित संगठनों में से एक, इंडियनऑयल अपने रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से प्रतिदिन 3.2 करोड़ ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, प्रतिदिन 27 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडर रिफिल करता है और 130 हवाई अड्डों पर प्रतिदिन 2,800 से अधिक उड़ानों में ईंधन भरता है। इंडियनऑयल अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चौबीसों घंटे काम करता रहता है। सेवा टचपॉइंट्स के विस्तार से लेकर मूल्यवर्धित पेशकशों को पेश करने और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाने तक, कंपनी सुविधा, विश्वसनीयता और बेहतर सेवा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इंडियनऑयल तीन व्यापक उद्देश्यों के माध्यम से ग्राहक-केंद्रितता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है: खुदरा और संस्थागत ग्राहकों दोनों के लिए पसंदीदा विकल्प बनना, उभरते और उच्च-संभावित क्षेत्रों में अपने ग्राहक आधार का विस्तार करना और उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप नवीन पेशकशों को बढ़ावा देना।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 'छोटू मास्टर' नामक एक कॉम्पैक्ट, बीआईएस-प्रमाणित एलपीजी कुकटॉप पेश किया, जो सीधे 'छोटू' (5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर) पर लगाया जा सकता है, जिससे रेगुलेटर या नली की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके लॉन्च के बाद से, 48,000 से ज़्यादा यूनिट बिक चुके हैं। इस पहल को और मज़बूत करते हुए, इंडियनऑयल ने अहमदाबाद में भारत का पहला विशिष्ट 'छोटू शॉपी' का उद्घाटन कियाएक छोटा-सा एलपीजी रिटेल आउटलेट, जिसे ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने और ज़्यादा ग्राहकों वाले स्थानों पर अंतिम छोर तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 'एक टीम एक लक्ष्य - ग्राहक वृद्धि - एक्सायर 360°(डिग्री) और 'एकेडमी ऑन व्हील्स' जैसी पहल इंडियनऑयल के समावेशी, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जिसका उद्देश्य ग्राहक परिचारकों को कुशल बनाना और अपने ग्राहक आधार का विस्तार करना है।

एकेडमी ऑन व्हील्स (पहियों पर अकादमी)

इंडियनऑयल ने 22 अप्रैल, 2024 को चार एकेडमी ऑन व्हील्स बसें - प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक-एक - लॉन्च कीं, जो एआर/वीआर, डिजिटल डिस्प्ले और सीसीटीवी से सुसज्जित होंगी, ताकि ग्राहक परिचारकों और चैनल भागीदारों को इमर्सिव, ऑन-साइट प्रशिक्षण दिया जा सके।

अपनी मज़बूत अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, कंपनी ने कई उच्च-मूल्य वाले उत्पाद पेश किए हैं जो गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 2023-24 में बाइकों के लिए भारत का पहला एफआईएम श्रेणी 2 रेसिंग ईंधन स्टॉर्म लॉन्च करने के बाद, कंपनी ने 2024-25 के दौरान चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में मोटरस्पोर्ट्स के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक उच्च-ऑक्टेन ईंधन, स्टॉर्म-द का अनावरण किया। ये पहल न केवल विशिष्ट क्षेत्रों में इंडियनऑयल के ब्रांड को मज़बूत करती हैं, बल्कि प्रीमियम पेशकशों के प्रति उसके नवाचार-आधारित दृष्टिकोण को भी दर्शाती हैं।

एक टीम एक लक्ष्य – ग्राहक वृद्धि – एक्सायर 360°

जनवरी 2025 को शुरू की गई यह पहल ग्राहक आधार विस्तार को बढ़ावा देने के लिए खुदरा बिक्री, एलपीजी, संस्थागत व्यवसाय और ल्यूब्स के प्रयासों को एकीकृत करती है।

इस दूरदर्शी दृष्टिकोण के तहत, कंपनी उत्पाद और सेवाओं की पेशकश का विस्तार करके, वितरण मॉडलों की पुनर्कल्पना करके और निर्बाध, उच्च-गुणवत्तापूर्ण सेवा अनुभव प्रदान करने के लिए अग्रिम पंक्ति की टीमों को सशक्त बनाकर अपनी ग्राहक-केंद्रित पहलों का विस्तार कर रही है। अधिक प्रतिक्रियाशील, कुशल और किफायती ग्राहक टचपॉइंट्स बनाने के लिए उन्नत फीडबैक तंत्र और डिजिटल-प्रथम इंटरैक्शन विकसित किए जा रहे हैं।

लागत नेतृत्व

तेजी से प्रतिस्पर्धी होते ऊर्जा बाजार में, लागत नेतृत्व न केवल लाभप्रदता के लिए, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला में दीर्घकालिक मूल्य सृजन को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

एलपीजी परिचालन और विमानन ईंधन में लागत प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करना इंडियनऑयल की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। कंपनी उत्पादकता में सुधार, सामग्री के उपयोग को युक्तिसंगत बनाकर और संबद्ध सेवाओं के लिए आंतरिक क्षमताओं को सुदृढ़ करके बॉटलिंग परिचालन और विमानन ईंधन में दक्षता बढ़ाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य बॉटलिंग और विमानन ईंधन की लागत में उल्लेखनीय कमी लाना है, साथ ही हमारे हितधारकों को निरंतर विश्वसनीय और किफायती सेवा सुनिश्चित करना है।

इंडियनऑयल का लक्ष्य बेहतर खरीद, लॉजिस्टिक्स अनुकूलन, डेटा-आधारित निर्णय लेने और स्वचालन के माध्यम से अपने मार्केटिंग व्यवसायों में लागत नेतृत्व हासिल करना है। इसमें प्रक्रिया पुनर्रचना, डिजिटलीकरण और ग्राहक संपर्क स्थलों पर इंटरफेस को सुव्यवस्थित करना शामिल है ताकि संव्यवहार और सेवा लागत कम हो सके।

बुनियादी ढाँचे के मोर्चे पर, इंडियनऑयल सभी परिचालनों में मरम्मत और रखरखाव लागत (आर एंड एम) के अनुकूलन को प्राथमिकता दे रहा है। पूर्वानुमानित रखरखाव, बेहतर सामग्री उपयोग और उन्नत प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी प्रणालियों को अपनाकर, कंपनी कठोर लागत अनुशासन बनाए रखते हुए परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

स्वीकृत लागत अनुमानों के भीतर पूंजीगत परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कंपनी का संकल्प भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समय पर और बजट के अनुसार काम करने से न केवल लाभ बढ़ता है, बल्कि बाज़ारों में त्वरित सेवा और बेहतर परिसंपत्ति उपयोग भी सुनिश्चित होता है। ये लागत अनुकूलन प्रयास इंडियनऑयल की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को मज़बूत करने के साथ-साथ इसके सतत और मूल्य-संचालित विकास के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप भी हैं।

5.2 रणनीतिक विविधीकरण और एकीकरण के माध्यम से विस्तार

इंडियनऑयल अपने पोर्टफोलियो में सक्रिय रूप से विविधता ला रहा है ताकि वह उभरते ऊर्जा परिदृश्य के साथ तालमेल बिठा सके, ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाते हुए ऊर्जा सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित कर सके।

अपस्ट्रीम क्षेत्र में, इंडियनऑयल के पास 25 परिसंपत्तियों का एक रणनीतिक पोर्टफोलियो है, जिनमें 14 घरेलू और 11 विदेशी हैं, जिनमें नौ उत्पादक क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2024-25 में, कंपनी का उत्पादन हिस्सा पिछले वर्ष के 4.26 Mtoe से बढ़कर 4.45 Mtoe हो गया, जो झारखंड में बीके-सीबीएम-2001/1 ब्लॉक से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने और कनाडा की पीएनडब्ल्यू परियोजना में तेज़ी से वृद्धि के कारण संभव हुआ। दीर्घावधि में, इंडियनऑयल का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना है और वह भारत और विदेश दोनों में लाइसेंसिंग दौरों और फ़ार्म-इन व्यवस्थाओं के माध्यम से नए अवसरों की सक्रियता से तलाश कर रहा है।

इंडियनऑयल भारत के उच्च-विकासशील प्राकृतिक गैस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है, जिसका लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपनी बाजार हिस्सेदारी और बिक्री की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। कंपनी का लक्ष्य इस दशक के अंत तक उत्साही बुनियादी ढाँचे के विकास और बाजार विस्तार के माध्यम से अपनी प्राकृतिक गैस की बिक्री को 2 से 3 गुना बढ़ाना है। आपूर्ति सुरक्षा और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, इंडियनऑयल वैश्विक कंपनियों के साथ रणनीतिक एलएनजी खरीद समझौते कर रहा है – जिसमें अबू धाबी गैस लिक्विफैक्शन कंपनी से 14 वर्षों के लिए 1.2 एमएमटीपीए, टोटल एनर्जीज़ से 10 वर्षों के लिए 0.8 एमएमटीपीए और एडीएनओसी के साथ 15 वर्षों के लिए प्रस्तावित 1 एमएमटीपीए समझौता शामिल है।

इंडियनऑयल अपने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) व्यवसाय की लाभप्रदता बढ़ाने पर केंद्रित है। अपने संयुक्त उद्यमों, इंडियनऑयल अदाणी गैस प्राइवेट लिमिटेड और ग्रीन गैस लिमिटेड के साथ, कंपनी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 115 जिलों के 49 भौगोलिक क्षेत्रों में मौजूद है, जो इसे भारत की एक अग्रणी सीजीडी कंपनी बनाता है। एकल आधार पर, इंडियनऑयल के पास 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 78 जिलों में फैले 26 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए प्राधिकार हैं, जो सभी वर्तमान में चालू हैं। कंपनी ने 2028 तक अपने सभी सीजीडी भौगोलिक क्षेत्रों को लाभप्रदता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

अपनी दूरदर्शी रणनीति के तहत, इंडियनऑयल एलएनजी बंकरिंग, लघु-स्तरीय एलएनजी अवसंरचना और परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी के प्रचार में भी निवेश कर रहा है। इंडियनऑयल ने छह एलएनजी स्टेशन चालू किए हैं, जिनमें से एक कॉनकॉर के लिए है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोनेट एलएनजी के लिए चार और एलएनजी स्टेशन पूरे हो चुके हैं। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एलएनजी आयात अवसंरचना को बढ़ाने हेतु, इंडियनऑयल का संयुक्त उद्यम, इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड, एन्नोर एलएनजी टर्मिनल की क्षमता को दोगुना करके 10 एमएमटीपीए करने की योजना बना रहा है।

नए क्षितिज में विस्तार

रणनीतिक विकास को गति देने और अकार्बनिक विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए, इंडियनऑयल अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को मज़बूत करने हेतु एक समर्पित विलय एवं अधिग्रहण प्रकोष्ठ और एक ट्रेडिंग डेस्क स्थापित कर रहा है। कंपनी अपने मौजूदा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए डेटा सेंटर क्षेत्र में भी अवसरों की तलाश कर रही है। इसके साथ ही, यह उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने और भविष्य की मूल्य श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में संभावनाओं का मूल्यांकन कर रही है। अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए, इंडियनऑयल भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर आयात-निर्यात के लिए तैयार बुनियादी ढाँचा विकसित करने की योजना बना रहा है, जिसका रणनीतिक उद्देश्य उच्च-संभावित अंतरराष्ट्रीय बाजारों, विशेष रूप से अफ्रीका में, में विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स एकीकरण को मज़बूत करने के लिए शिपिंग व्यवसाय में प्रवेश करना है।

अपने विशिष्ट किंतु बढ़ते पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में, इंडियनऑयल के विस्फोटक और क्रायोजेनिक्स व्यवसाय पैमाने और क्षमता में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विस्फोटक खंड ने तमिलनाडु के नेवेली में एक नए संयंत्र के चालू होने के साथ अपनी उपस्थिति को मजबूत करना जारी रखा है, जबकि तेलंगाना और महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड परियोजनाएं भविष्य के विस्तार का सहयोग करने के लिए चल रही हैं। चूँकि भारत की बढ़ती विद्युत मांग से कोयला उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है, विस्फोटकों की बढ़ती मांग के साथ यह खंड विकास के लिए अच्छी स्थिति में है। इंडियनऑयल के क्रायोजेनिक्स व्यवसाय ने 2024-25 में निर्यात ऑर्डर और एक ऐतिहासिक सरकारी संविदा सहित प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल कीं और अब यह एक संपूर्ण एलएनजी समाधान प्रदाता के रूप में विकसित हो रहा है। डिंडोरी में एक नई विनिर्माण यूनिट के निर्माण के साथ, क्रायोजेनिक व्यवसाय स्वच्छ ईंधन अवसंरचना में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है।

5.3 सस्टेनेबिलिटी और नेट-ज़ीरो की ओर बढ़ना

अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, भारत ने 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी के रूप में, इंडियनऑयल भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2046 तक नेट-ज़ीरो परिचालन उत्सर्जन (स्कोप 1 और 2) प्राप्त करने का लक्ष्य रखकर इस लक्ष्य में योगदान दे रहा है।

हरित विकास का मार्ग प्रशस्त करना

प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता, जैव ईंधन, ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करते हुए, कंपनी भारत के ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर रही है।

इंडियनऑयल अपने नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों को कार्बनिक और अकार्बनिक, दोनों तरीकों से बढ़ा रहा है और 2028 तक 18 गीगावाट और 2030 तक 31 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो के विकास की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी ने एक समर्पित हरित ऊर्जा सहायक कंपनी, टेरा क्लीन लिमिटेड (टीसीएल) की स्थापना की है। शुरुआती चरण में, टीसीएल 1 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करेगी, जिन्हें आगे बढ़ाकर 5.3 गीगावाट किया जाएगा। विकास को और गति देने के लिए, इंडियनऑयल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संयुक्त विकास हेतु अग्रणी सौर ऊर्जा संस्थाओं के साथ-साथ विद्युत पारेषण उपयोगिताओं के साथ सहयोग के अवसरों की भी तलाश कर रहा है।

अपनी दूरदर्शी जैव ईंधन रणनीति के तहत, इंडियनऑयल का लक्ष्य इथेनॉल मिश्रण को बढ़ाकर और अगली पीढ़ी की जैव ईंधन क्षमताओं का विस्तार करके टिकाऊ गतिशीलता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को गहरा करना है। ई20 (20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल) दिसंबर 2024 में देश भर में लॉन्च किया गया था, इस प्रकार ईएसवाई 2024-25 (24 नवंबर - 25 मई) में रिकॉर्ड 19.1 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण हासिल हुआ। पानीपत में कंपनी के 2जी इथेनॉल संयंत्र से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। एसएटीएटी (सस्ते परिवहन के लिए टिकाऊ विकल्प) इंडियनऑयल के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि कंपनी अपनी खुदरा दुकानों और प्रत्यक्ष ग्राहकों को संपीडित बायोगैस की आपूर्ति करने के लिए उद्यमियों द्वारा उइऋ संयंत्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करके भारत सरकार की इस पहल को लागू करने का बीड़ा उठाती है। इसके समानांतर, इंडियनऑयल संयुक्त उद्यमों के माध्यम से 30 सीबीजी संयंत्र स्थापित कर रहा है और इसका लक्ष्य 2028 तक 50 केटीपीए की संपीडित बायोगैस उत्पादन क्षमता हासिल करना है। आगामी 2027 कॉर्सिया अधिदेश के अनुरूप, इंडियनऑयल भारत के सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) रोडमैप का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें देश का पहला वाणिज्यिक पैमाने का एसएएफ संयंत्र (86.8 केटीपीए) पानीपत में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें इथेनॉल फीडस्टॉक और लैंजाजेट की अल्कोहल-टू-जेट तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एसएएफ-मिश्रित एटीएफ उत्पादन की योजना बनाई गई है, जिसका लक्ष्य 30 केटीपीए शुद्ध एसएएफ है, जिसमें 5 प्रतिशत तक प्रयुक्त कुकिंग ऑयल (यूसीओ) का सह-प्रसंस्करण किया जाएगा- जो इंडियनऑयल को हरित विमानन ईंधन में अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा।

इंडियनऑयल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में तेज़ी से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, और इसका ईवी चार्जिंग नेटवर्क देश भर में 13,600 स्टेशनों से अधिक हो चुका है। अपनी दूरदर्शी रणनीति के तहत, कंपनी अब बैटरी-स्वैपिंग तकनीकों में अपने प्रयासों को तेज़ कर रही है। सिंगापुर स्थित सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में, इंडियनऑयल ने अपनी बैटरी-स्वैपिंग पहलों का नेतृत्व करने के लिए जुलाई 2024 में एक 50:50 संयुक्त उद्यम - इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (आईएसईपीएल) की स्थापना की। 2024-25 में 222 क्विक इंटरचेंज स्टेशन (क्यूआईएस) स्थापित करने और मार्च 2025 तक कुल नेटवर्क को 865 क्यूआईएस तक पहुँचाने के बाद, आईएसईपीएल का लक्ष्य 2025-26 में 1,800 अतिरिक्त क्यूआईएस स्थापित करने के लक्ष्य के साथ इस गति को और तेज़ करना है।

अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवाचार

इंडियनऑयल स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने, नए मूल्य प्राप्त करने, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और अपने परिचालनों को भविष्य-सुरक्षित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी एकीकरण और नवाचार को गति दे रहा है। इस प्रयास का केंद्र इंडियनऑयल अनुसंधान एवं विकास केंद्र है, जो ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में उत्पाद और प्रक्रिया नवाचार का एक प्रमुख चालक है, जो मौजूदा क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है और साथ ही उभरते क्षेत्रों में विकास को सक्षम बनाता है। अनुसंधान एवं विकास कार्य को एक रणनीतिक लाभ केंद्र के रूप में भी पुनः स्थापित किया जा रहा है, जो नवाचार-आधारित राजस्व और मूल्य सृजन पर केंद्रित है।

विदेशी लाइसेंसदाताओं पर निर्भरता कम करने के लिए, इंडियनऑयल ने अपनी आंतरिक रिफाइनिंग और उत्प्रेरक प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मज़बूत किया है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में पारादीप रिफ़ाइनरी में i-ZN22 PP उत्प्रेरक के सफल क्षेत्र परीक्षण और एक्स्ट्राफ़्लो डीआरए के लिए बाज़ार में बढ़ती माँग शामिल है, जिससे पाइपलाइन दक्षता में वृद्धि हुई है। आंतरिक रूप से विकसित INDScan iPIG टूल ने 2024 में 4,500 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइनों का मूल्यांकन किया है, जिससे बुनियादी ढांचे की अखंडता को काफी बढ़ावा मिलेगा।

इंडियनऑयल अनुसंधान एवं विकास केंद्र में आइसोमेराइजेशन बेंच स्केल यूनिट

उत्पाद नवाचार भावी गतिशीलता संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सर्वो फ़्यूचरा ईवी ग्रीस और सर्वो फ़्यूचरा ईवी ट्रांस 75W-90 जैसी विशेष पेशकशें शामिल हैं। स्टॉर्म-एक्स जैसे उच्च-प्रदर्शन ईंधन, साथ ही प्रोपेन प्लस और एक्स्ट्राबूस्ट जैसे नैनो-एडिटाइज़्ड उत्पाद, इंडियनऑयल की बदलती उपभोक्ता ज़रूरतों के प्रति अनुकूलनशीलता को दर्शाते हैं। नैनोटेक्नोलॉजी में, नैनोकोट-I कोटिंग तटीय और कठोर वातावरण के लिए मज़बूत संक्षारण सुरक्षा प्रदान करती है।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इंडियनऑयल नवाचार को टिकाऊपन के साथ एकीकृत कर रहा है। सूर्या नूतन सौर चूल्हों का व्यावसायिक रोलआउट पैनलबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से शुरू हो गया है, जिसमें ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी के माध्यम से कार्बन वित्तपोषण सहायता भी शामिल है। दिल्ली-एनसीआर और वडोदरा में निर्धारित मार्गों पर 15 ईंधन सेल बसों का परीक्षण चल रहा है, जो स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन समाधानों की दिशा में एक कदम है।

दीर्घकालिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, इंडियनऑयल अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) फरीदाबाद में एक दूसरा नया ऊर्जा केंद्र स्थापित कर रहा है, जो वैकल्पिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा, संक्षारण अनुसंधान, नैनो प्रौद्योगिकी और सिंथेटिक जीव विज्ञान पर केंद्रित होगा। इसके अतिरिक्त, इसकी स्टार्ट-अप फंडिंग योजना ने अब तक 42 स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेट किया है और 86 आईपीआर उत्पन्न किए हैं, जो एक जीवंत ऊर्जा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए इंडियनऑयल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

परिचालन उत्कृष्टता के लिए डिजिटलीकरण

इंडियनऑयल ने वर्ष के दौरान अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा में महत्वपूर्ण प्रगति जारी रखी, जिससे परिचालन दक्षता, डेटा-संचालित निर्णय लेने, मांग पूर्वानुमान और कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूती मिली।

एक प्रमुख उपलब्धि एकीकृत रिफ़ाइनरी लेखांकन प्रणाली (आईआरएएस) को सार्वजनिक क्लाउड पर स्थानांतरित करना था, जिससे मापनीयता, अपटाइम और डेटा सुरक्षा में सुधार हुआ। आई-पल्स पोर्टल और रीयल-टाइम डैशबोर्ड जैसे उपकरणों ने बेहतर निर्णय लेने में मदद की है। इस बीच, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) के माध्यम से स्वचालन ने एलपीजी, खुदरा, लॉजिस्टिक्स और नेटवर्क विस्तार में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है। ये प्रगति इंडियनऑयल की डिजिटल उत्कृष्टता और परिचालन सक्षमता को रेखांकित करती हैं।

डेटा-संचालित डिजिटल पहलों का एक समूह परिचालनों को नया रूप दे रहा है – जिसमें सुव्यवस्थित इन्वेंट्री और ईंधन प्रबंधन के लिए एआई-आधारित मांग पूर्वानुमान और स्मार्ट टर्मिनल सिस्टम से लेकर बेहतर पाइपलाइन सुरक्षा के लिए ड्रोन-आधारित निगरानी तक शामिल हैं। एकीकृत योजना अनुकूलन प्रबंधन प्रणाली (आईपीओएमएस) जैसे उपकरण उद्यम-व्यापी योजना और परिचालन दक्षता को सक्षम बना रहे हैं।

6. भावी रूपरेखा तैयार करना: रणनीति को कार्यरूप में परिणत करना

तकनीकी व्यवधान, डीकार्बोनाइजेशन की अनिवार्यताओं और बदलती उपभोक्ता अपेक्षाओं की विशेषता वाले वैश्विक ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र की तेज़ी से बदलती गतिशीलता के लिए अधिक चुस्ती और सटीक ध्यान की आवश्यकता है। इन बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, दीर्घकालिक रणनीतियों का नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक है। तदनुसार, इंडियनऑयल ने परियोजना स्प्रिंट शुरू की है, जो एक परिवर्तनकारी मध्यम-अवधि की रणनीति है जो 2028 तक हासिल किए जाने वाले महत्वाकांक्षी, परिणाम-उन्मुख लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

परियोजना स्प्रिंट केवल एक रोडमैप नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए तैयार इंडियनऑयल की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव है। यह छह प्रमुख आयामों पर केंद्रित है: मुख्य व्यवसायों को मज़बूत करना, लाभप्रदता बढ़ाने के लिए लागत अनुकूलन को बढ़ावा देना, ग्राहक-सेवा मजबूत करना, टेक्नोलॉजी और नवाचार का एकीकरण, नेतृत्व और प्रतिभा का पोषण और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण। इस पहल का उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना, दक्षता बढ़ाना, ऊर्जा क्षेत्र में बदलावों के लिए तैयार रहना और एक उच्च-निष्पादन, चुस्त संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण करना है।

इंडियनऑयल, परियोजना स्प्रिंट को आज की वास्तविकताओं और भविष्य की संभावनाओं के बीच एक सेतु के रूप में देखता है। यह कंपनी को अपने मूल सिद्धांत "राष्ट्र-प्रथम" पर अडिग रहते हुए और सभी हितधारकों को मूल्य प्रदान करते हुए एक पारंपरिक तेल कंपनी से एक आधुनिक, एकीकृत ऊर्जा उद्यम के रूप में निर्णायक रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। इंडियनऑयल अपनी स्प्रिंट रणनीति को लागू करने के साथ-साथ, तेज़ी से विकसित हो रहे ऊर्जा परिदृश्य में निरंतर विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रमुख परिचालन चुनौतियों में बड़े पैमाने की परियोजनाओं का प्रबंधन, पूंजी अनुशासन बनाए रखना, लागतों का अनुकूलन, ग्राहक जुड़ाव को मज़बूत करना और बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बाज़ार की अस्थिरता के बीच विकास और लाभप्रदता के बीच संतुलन बनाना शामिल है। पारंपरिक और संक्रमणकालीन ऊर्जा, दोनों क्षेत्रों में बाज़ार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना कंपनी के मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु बना हुआ है।

उभरती चुनौतियों का समाधान करने और स्प्रिंट रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए, इंडियनऑयल ने वित्तीय, परिचालन, मानव पूंजी और तकनीकी क्षेत्रों में उपयुक्त प्रवर्तक स्थापित किए हैं। वित्तीय मोर्चे पर, कंपनी दूरदर्शी निवेश मूल्यांकन ढाँचों के माध्यम से बदलती व्यावसायिक प्राथमिकताओं के साथ पूंजी आवंटन को संयोजित कर रही है और उच्चतम रणनीतिक मूल्य प्रदान करने वाली परियोजनाओं की पहचान कर रही है। कम उपयोग की गई परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त करने और उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में पुनर्निवेश करने के लिए एक संरचित परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मानव पूंजी विकास मुख्य फोकस बना हुआ है, जिसमें भावी चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु कार्यदल को पुनः कौशल प्रदान करने और उन्नत बनाने और जटिल बदलावों को संभालने के लिए नेतृत्व क्षमताओं को मजबूत करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। इंडियनऑयल गतिशील व्यावसायिक वातावरण में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए नए ज़माने की प्रक्रियाओं और कार्य पद्धतियों को अपनाते हुए स्फूर्ति, सशक्तिकरण और जवाबदेही की संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहा है। एक एकीकृत रोडमैप के माध्यम से प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्षमताओं का विस्तार किया जा रहा है, जो परिचालन दक्षता बढ़ाने, विकास में तेजी लाने और ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए आईटी, एआई और स्वचालन को जोड़ता है। रणनीतिक डिजिटल हस्तक्षेप और मजबूत बुनियादी ढाँचे की तैनाती का उद्देश्य निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना और मुख्य कार्यों को सुव्यवस्थित करना है। अनुसंधान एवं विकास में, इंडियनऑयल अनुसंधान एवं विकास को एक रणनीतिक विकास इंजन के रूप में पुनः स्थापित कर रहा है, जिसका ध्यान ठोस व्यावसायिक मूल्य प्रदान करने और अपने निम्न-कार्बन परिवर्तन उद्देश्यों को पूरा करने पर केंद्रित है। नवाचार और व्यापक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी उद्योगों और शिक्षा जगत में तालमेल और साझेदारी के माध्यम से सहयोग को भी मजबूत कर रही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रियाओं के सख्त पालन से इन प्रयासों को और बल मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सुरक्षा हर प्रक्रिया और निर्णय का अभिन्न अंग बनी रहे।

ये सभी कारक मिलकर इंडियनऑयल की परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया, परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक मूल्य को उजागर करने की प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। सशक्त नेतृत्व और सतत विकास के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता के साथ, कंपनी देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में अपनी हिस्सेदारी को वर्तमान 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2050 तक 12.5 प्रतिशत करने की राह पर है, साथ ही 2046 तक नेट-ज़ीरो परिचालन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में भी काम कर रही है।

7. जोखिम और चिंताएँ

आज के अस्थिर वैश्विक परिवेश में, संगठन एक जटिल और परस्पर जुड़े हुए जोखिम परिदृश्य से जूझ रहे हैं। रूस-यूक्रेन संघर्ष, जो अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और कमोडिटी बाजारों को बाधित कर रहा है। इन भू-राजनीतिक तनावों के साथ-साथ मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों और बढ़ती संरक्षणवादी व्यापार नीतियों ने व्यापक मुद्रास्फीति दबाव, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी अस्थिरता और खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को जन्म दिया है।

इसके साथ ही, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम की घटनाएं, कड़े पर्यावरणीय नियमन और नेट-ज़ीरो की ओर बढ़ता कदम वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कंपनियों के परिचालन संदर्भ को नया आकार दे रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में, ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अनिवार्यता के रूप में फिर से उभरी है। भारत के अग्रणी ऊर्जा प्रदाता के रूप में, इंडियनऑयल निर्बाध और विविध ऊर्जा प्राप्ति सुनिश्चित करने में अपनी रणनीतिक ज़िम्मेदारी को समझता है। इसे सुदृढ़ करने के लिए, कंपनी अपने क्रूड बास्केट का विस्तार करके आपूर्ति निर्भरता को कम करते हुए, विभिन्न प्रकार के कच्चे तेलों को संसाधित करने के लिए अपनी रिफाइनिंग सक्षमता को बढ़ा रही है। विविधीकरण द्वारा कच्चे तेल की बास्केट का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और वर्ष के दौरान विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से 15 नए कच्चे तेल ग्रेड जोड़े गए। आपकी कंपनी की क्रूड बास्केट में अब अफ्रीका, मध्य पूर्व, अमेरिका, रूस आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से 268 ग्रेड शामिल हैं।

इस जटिल परिदृश्य से निपटने के लिए, इंडियनऑयल ने उद्यम जोखिम प्रबंधन के लिए एक सक्रिय और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। यह समझते हुए कि जोखिम अब अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए हैं, कंपनी आर्थिक, परिचालन, वित्तीय, पर्यावरणीय

और नियामक क्षेत्रों में गंभीर खतरों की निरंतर पहचान, मूल्यांकन और निवारण करती है। इसका जोखिम प्रबंधन ढाँचा शीर्ष-से-नीचे रणनीतिक निगरानी को निचले स्तर की व्यावसायिक यूनिट सहभागिता के साथ एकीकृत करता है, जो उद्यम-स्तरीय जोखिमों के साथ-साथ कार्यात्मक और परियोजना-विशिष्ट कमजोरियों को भी कवर करता है।

कंपनी के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं-

- कमोडिटी मूल्य अस्थिरता, वैश्विक मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला अस्थिरता से व्यापक आर्थिक जोखिम;
- विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से संबंधित वित्तीय जोखिम जो ऋण दायित्वों को प्रभावित करते हैं;
- स्वच्छ ऊर्जा और विद्युत गतिशीलता में मौजूदा और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों से प्रतिस्पर्धी खतरे;
- संयंत्र में व्यवधान, लॉजिस्टिक्स संबंधी अड़चनें, या श्रमिक अशांति से परिचालन जोखिम;
- साइबर और भौतिक सुरक्षा जोखिम, विशेष रूप से बढ़ते डिजिटलीकरण और भू-राजनीतिक साइबर खतरों के बीच;
- ब्रांड और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम हितधारकों के विश्वास और सार्वजनिक धारणा से जुड़े हैं;
- सख्त उत्सर्जन मानदंडों, संसाधन बाधाओं और अनुपालन लागतों से पर्यावरणीय जोखिम;
- नीतिगत और विनियामक जोखिम, जिनमें कराधान, ईएसजी अधिदेश और निवेश मानदंडों में बदलाव शामिल हैं; और
- ऊर्जा संक्रमण जोखिम, विशेष रूप से अव्यवस्थित बदलावों की संभावना जो आपूर्ति-मांग संतुलन को अस्थिर कर सकती है या कंपनी को फंसी हुए परिसंपत्ति के जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

भारत में संशोधित व्यावसायिक उत्तरदायित्व और टिकाऊपन रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) ढाँचे जैसी पहलों में परिलक्षित टिकाऊपन पर बढ़ते वैश्विक और घरेलू नियामकीय ज़ोर के बीच, इंडियनऑयल ने पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) पहलुओं को एकीकृत करने के लिए अपने जोखिम प्रबंधन ढाँचे का सक्रिय रूप से विस्तार किया है। इसमें स्कोप 1 और स्कोप 2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का परिमाणीकरण, जल उपयोग के पदचिह्नों का आकलन और अधिक कठोर ईएसजी प्रकटन के लिए तत्परता शामिल है। ये प्रयास उभरते वैश्विक परिदृश्य में सक्षम, टिकाऊ और ज़िम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडियनऑयल की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

8. वित्तीय समीक्षा

कंपनी और विभिन्न खंडों का स्टैंडअलोन वित्तीय निष्पादन नीचे संक्षेप में दिया गया है-

रुपये करोड़ में

विवरण	2024-25	2023-24	उतार-चढ़ाव
परिचालन से राजस्व	8,45,513	8,66,345	-20,832
ईबीआईटीडीए	39,898	74,182	-34,284
कर पूर्व लाभ	15,882	52,344	-36,462
कर पश्चात लाभ	12,962	39,619	-26,657
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	33,170	68,097	-34,927
उधारी	1,34,466	1,16,496	17,970
परिचालन से राजस्व (खंडवार)			
पेट्रोलियम	7,73,632	8,03,127	-29,495
पेट्रोकेमिकल्स	27,982	26,187	1,795
गैस	42,211	35,215	6,996
अन्य व्यवसाय*	1,688	1,816	-128
ब्याज और कर पूर्व आय (ईबीआईटी) (खंडवार)			
पेट्रोलियम	17,960	55,177	-37,217
पेट्रोकेमिकल्स	-440	-344	-96
गैस	1,427	526	901
अन्य व्यवसाय*	-160	263	-423
अन्य अविनिधानीय (व्यय)/आय-शुद्ध^	5,827	4,050	1,777

*अन्य व्यवसायों में तेल एवं गैस अन्वेषण गतिविधियां, विस्फोटक एवं क्रायोजेनिक व्यवसाय तथा पवन चक्की एवं सौर ऊर्जा उत्पादन शामिल हैं।
^असाधारण वस्तु भी शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष 2024-25 की शुरुआत में, बेंचमार्क भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमतें ऊँची बनी रहीं, जो 88 से 91 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रही थीं। हालाँकि, वर्ष के दौरान कीमतों में नरमी आई और वर्ष के अंत तक यह 76 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास बंद हो गईं। वर्ष के दौरान कच्चे तेल की औसत कीमत 79 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि पिछले वर्ष यह 83 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी।

वर्ष के दौरान, वैश्विक बाजार की गतिशीलता में उतार-चढ़ाव के कारण, उत्पाद क्रैक स्प्रेड में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। उल्लेखनीय रूप से, मोटर स्पिरिट (एमएस) और हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) क्रैक स्प्रेड में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा गया, जो 2024-25 में क्रमशः 3 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल और 11 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहा, जबकि 2023-24 में यह क्रमशः 7 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल और 19 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था।

कंपनी का औसत सामान्यीकृत सकल रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) 2024-25 के लिए 4.53 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 11.44 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था। रिपोर्ट किया गया औसत जीआरएम 4.80 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहा, जबकि 2023-24 में यह 12.05 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था। कंपनी के अंतर्देशीय रिफाइनरियों के स्थानों और संबंधित इन्वेंट्री (माल-सामान) स्तरों को देखते हुए, अस्थिर मूल्य निर्धारण परिवेश में इन्वेंट्री लाभ या हानि का प्रभाव अधिक स्पष्ट हो जाता है और इसने वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए मार्जिन में देखी गई भिन्नता में योगदान दिया।

वर्ष 2024-25 में परिचालन से राजस्व 8,45,513 करोड़ रु. रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 8,66,345 रु. करोड़ था। राजस्व में कमी मुख्य रूप से मार्च 2024 में पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस की खुदरा बिक्री कीमतों में कमी के कारण हुई है। इसके परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के दौरान परिचालन से राजस्व में कमी के कारण परिसंपत्ति कारोबार अनुपात भी 1.99 गुना से घटकर 1.81 गुना रह गया।

वर्ष 2024-25 के लिए शुद्ध लाभ 12,962 करोड़ रु. रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 39,619 करोड़ रु. था। चालू वर्ष के दौरान लाभप्रदता में कमी मुख्य रूप से रिफाइनिंग मार्जिन में कमी, एलपीजी की बिक्री पर अंडर-रिकवरी और पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में अधिक विनिमय घाटे के कारण हुई। परिणामस्वरूप, कंपनी का ईबीआईटीडीए मार्जिन (4.50%), परिचालन लाभ मार्जिन (2.11%) और शुद्ध लाभ मार्जिन (1.53%) पिछले वर्ष के क्रमशः 8.56%, 6.34% और 4.57% की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम हो गया।

कंपनी का चालू अनुपात 2024-25 के दौरान मोटे तौर पर स्थिर रहा, जो चालू परिसंपत्तियों और चालू देनदारियों के बीच एक सुसंगत और संतुलित स्थिति को दर्शाता है। वर्ष के दौरान औसत इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि लगभग 47 दिन रही, जबकि औसत संग्रहण अवधि लगभग 7 दिन रही, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह क्रमशः 48 दिन और 6 दिन थी। ये आँकड़े कंपनी के कार्यशील पूँजी चक्र में किसी महत्वपूर्ण विचलन का संकेत नहीं देते हैं और परिचालन तरलता के प्रभावी प्रबंधन को दर्शाते हैं।

उच्च पूंजीगत व्यय प्रतिबद्धताओं और कम आंतरिक उपार्जनों के कारण उधारी में वृद्धि के कारण कंपनी का ऋण-से-इक्विटी अनुपात पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 0.66 गुना से बढ़कर चालू वित्तीय वर्ष के अंत में 0.75 गुना हो गया। इसके अलावा, ब्याज कवरेज अनुपात और ऋण सेवा कवरेज अनुपात भी 9.08 और 2.17 गुना से घटकर 4.02 और 1.07 गुना हो गया। कंपनी का औसत नियोजित पूंजी पर प्रतिफल और औसत निवल संपत्ति पर प्रतिफल भी क्रमशः 20.17% और 29.75% से घटकर 7.10% और 8.69% हो गया।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 2023-24 के लिए 9,640.08 करोड़ रु. का अंतिम लाभांश दिया। वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष के 28.77 रु. की तुलना में 9.41 रु. रही। निदेशक मंडल ने 2024-25 के लिए 3.00 रु. प्रति इक्विटी शेयर (4,131.47 करोड़ रु. के भुगतान के बराबर) के लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन है।

पिछले पांच वर्षों के विस्तृत वित्तीय संकेतक और अनुपात एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के भाग 'निष्पादन पर एक नजर' में दिए गए हैं।

समूह वित्तीय निष्पादन

वर्ष के लिए समूह का परिचालन राजस्व 8,59,363 करोड़ रु. रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 8,81,235 करोड़ रु. था। चालू वर्ष में समूह का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के 43,161 करोड़ रु. से बढ़कर 13,789 करोड़ रु. हो गया, जो उन्हीं कारकों के कारण है जिनके कारण एकल आधार पर लाभप्रदता में कमी आई। समूह की प्रत्येक कंपनी के योगदान की जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 46 में दी गई है।

महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों का विस्तृत वित्तीय निष्पादन समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 33ए और 33बी में दिया गया है। वर्ष के दौरान, सहायक कंपनियों चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 214 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ और 205 करोड़ रु. की कुल व्यापक आय की सूचना दी; और लंका आईओसी पीएलसी ने 1,115 करोड़ श्रीलंकाई रुपए का शुद्ध लाभ और 1,188 करोड़ श्रीलंकाई रुपए की कुल व्यापक आय की सूचना दी, जो कि इंड एएस के अनुसार समायोजन के बाद 354 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ और 420 करोड़ रु. की कुल व्यापक आय में तब्दील हो गई। संयुक्त उद्यम, इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड ने 376 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ और 376 करोड़ रु. की कुल समग्र आय हासिल की; इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड ने 328 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ और 328 करोड़ रु.की कुल समग्र आय हासिल की।

9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली - प्रक्रिया उत्कृष्टता

कंपनी ने आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित की हैं जिनमें नियम, नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो न केवल दिशा प्रदान करती हैं और दक्षता बढ़ाती हैं, बल्कि नीतियों के पालन को भी सुदृढ़ बनाती हैं, साथ ही सुचारू और कुशल व्यावसायिक प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करती हैं। कंपनी ने विभिन्न नीतियों के साथ-साथ विस्तृत नियमावली भी तैयार की है, जो व्यवसाय के लगभग सभी पहलुओं को कवर करती है। आंतरिक प्रक्रियाओं और नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि उन्हें बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। संगठनात्मक-स्तरीय नियंत्रण, परिचालन-स्तरीय नियंत्रण, धोखाधड़ी-रोधी नियंत्रण और सामान्य आईटी नियंत्रण स्थापित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यावसायिक संचालन कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जाए और त्रुटियों/धोखाधड़ी की संभावना कम से कम हो। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं। कंपनी का एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जिसका नेतृत्व एक कार्यकारी निदेशक करते हैं, जो अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं। इस विभाग में वित्त और अन्य तकनीकी कार्यों के अधिकारी भी हैं। लेखापरीक्षा कार्य अध्यक्ष और लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार किए जाते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा पूरे वर्ष व्यापक लेखापरीक्षा करती है जिसमें प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया शामिल होती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत, सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक

वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी जारी करनी होती है। इसके बाद जारी की गई रिपोर्ट क्रमशः एकल और समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न होती है। लेखा परीक्षासमिति वित्तीय विवरणों की विस्तृत समीक्षा करती है और अनुमोदन हेतु बोर्ड को अनुशंसित करने से पहले आंतरिक लेखापरीक्षकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है।

10. मानव संसाधन

कंपनी हमेशा समग्र और सार्थक कर्मचारी जुड़ाव और अपने मानव संसाधनों के विकास में विश्वास करती है। कंपनी अपने व्यवसाय के विकास के लिए कर्मचारियों की क्षमता का दोहन करने हेतु उनके साथ जुड़ती है। वर्तमान प्रतिस्पर्धी और गतिशील व्यावसायिक परिदृश्य से जुड़ी चुनौतियों का सबसे अच्छा समाधान एक ऐसे कार्यदल द्वारा किया जा सकता है जो प्रेरित, परिवर्तन के अनुकूल, नवोन्मेषी और सीखने में तेज़ हो। सीखना कार्यदल के विकास और संवर्धन का एक अभिन्न अंग है। संकेंद्रित भर्ती, करियर पथ और सीखने और विकास के माध्यम से एकीकृत मानव संसाधन प्रथाओं ने कार्यदल की भावी तैयारी में योगदान दिया है। कंपनी सभी स्तरों पर अपनी प्रतिभाओं के कौशल विकास और क्षमता निर्माण में निरंतर केंद्रित निवेश कर रही है। प्रबंधन के कनिष्ठ, मध्य और वरिष्ठ स्तरों पर कर्मचारियों के लिए प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में भावी तैयारी सुनिश्चित करने हेतु क्यूरेटेड कार्यक्रम विकसित किए जाते हैं। कंपनी के पास नेतृत्व पाइपलाइन के लिए प्रतिभा की पहचान और विकास हेतु एक संरचित और मजबूत उत्तराधिकार नियोजन ढांचा है। कंपनी ने न केवल कई दूरदर्शी नेताओं को तैयार किया है जिन्होंने वर्षों से कंपनी का नेतृत्व और रूपांतरण किया है, बल्कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए भी नेताओं को तैयार किया है।

11. आईआर माहौल – सहयोगात्मक मूल्य

कंपनी में औद्योगिक संबंध (आईआर) का माहौल पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण रहा है। वर्षों से कंपनी में एक सहयोगात्मक आईआर माहौल कायम रहा है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके व्यावसायिक वातावरण, रणनीति और व्यावसायिक मॉडल में बदलाव, वर्तमान व्यवसाय और लोगों पर पड़ने वाले परिणामी प्रभाव, और भावी योजनाओं को नियमित रूप से सामूहिकों के साथ साझा किया जाए और उनके विचारों और सुझावों पर विचार किया जाए। उत्पादकता, कल्याण और एक उत्तरदायी एवं जिम्मेदार संगठन के निर्माण की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श के लिए प्रबंधन और सामूहिकों के बीच नियमित रूप से व्यवस्थित बैठकें आयोजित की जाती हैं। सामूहिकों ने कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में प्रबंधन का हमेशा दृढ़तापूर्वक समर्थन किया है।

31 मार्च, 2025 तक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 29,941 थी, जिसमें 18,740 कार्यपालक और 11,201 गैर-कार्यपालक शामिल थे, जिनमें 2,663 महिला कर्मचारी भी शामिल थीं।

12. अन्य जानकारी

कंपनी की सीएसआर गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पहलों, प्रौद्योगिकी आमेलन और अपनाने के प्रयासों, नवीकरणीय ऊर्जा पहलों, विदेशी मुद्रा आय और व्यय, ऊर्जा संरक्षण आदि के बारे में विवरण निदेशकों की रिपोर्ट और उसके अनुलग्नकों में प्रदान किए गए हैं।

13. चेतावनी कथन

उद्देश्यों, अपेक्षाओं या पूर्वानुमानों के संबंध में प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण में दी गई जानकारी और विवरण लागू प्रतिभूतियों, कानूनों और विनियमों के अर्थ में भविष्योन्मुखी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम अपेक्षाओं से काफी भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों में उत्पादों के विक्रय मूल्य को प्रभावित करने वाली वैश्विक और घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थितियाँ, इनपुट की उपलब्धता और कीमतें, भारत सरकार के विनियमों/कर कानूनों में परिवर्तन, देश के भीतर आर्थिक विकास और मुकदमेबाजी एवं औद्योगिक संबंध जैसे कारक शामिल हैं।

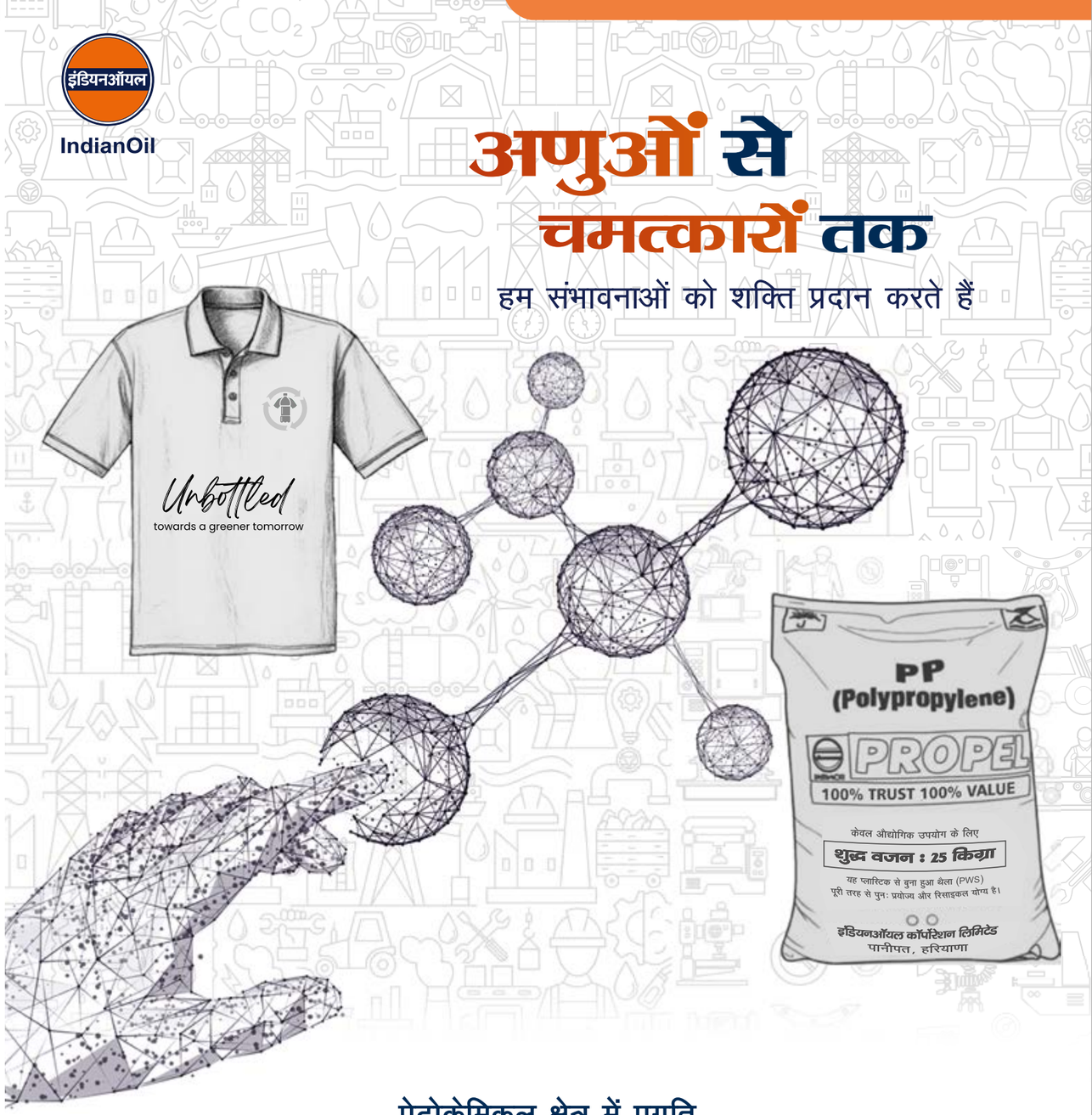

खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
6-बी, जनहित याचिका न्यायालय, छठी मंजिल, 111, महर्षि कर्वे रोड,
मुंबई – 400020

के जी सोमानी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
3/15, आसफ अली मार्ग, चौथा तल, डिलाइट सिनेमा के पास
नई दिल्ली – 110002

एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
12, राधा नाथ मलिक लेन,
कोलकाता – 700 012

कोमनडूर एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फ़ोर्टुना टावर, कमरा नंबर 40, एन.एस. रोड,
कोलकाता – 700012

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को बैलेंस शीट, इस वर्ष और उसके बाद समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य समग्र आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और कैश फ्लो (नकदी प्रवाह) का विवरण शामिल है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सार शामिल हैं, जिसमें उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण शामिल होते हैं, जिसे यहां इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" कहा गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा वांछित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015, यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों और 31 मार्च, 2025 को, तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह सहित लाभ। इक्विटी और उसके नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और उचित विवरण प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एस ए एस) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण खंड के "लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों" में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता, साथ ही वे नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और उसके तहत नियमों के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आई सी ए आई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय वे विषय हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में देखा गया था, और हम इन मामलों पर कोई अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय	प्रमुख लेखापरीक्षा विषयों पर लेखापरीक्षकों के जवाब
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति ये वे क्षेत्र हैं जहां प्रबंधन निर्णय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्ति की मूल कीमत और उनके संबंधित मूल्यह्रास / परिशोधन दरों को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत; वार्षिक परिसंपत्ति अवधि समीक्षा; परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और सक्रिय उपयोग से निवृत्त परिसंपत्तियों के लिए निर्धारण या माप और मान्यता मानदंड के लिए प्रबंधन मान्यताओं और अनुमानों का उपयोग का निर्णय शामिल है। कंपनी की बैलेंस शीट के संदर्भ में महत्वपूर्ण और आवश्यक निर्णय तथा अनुमान के स्तर के कारण, हम इसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हैं। *(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 2 और 3 देखें)*	हमने अचल परिसंपत्ति चक्र पर मौजूद नियंत्रणों का आकलन किया, पूंजीकरण प्रक्रिया की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों के विवरण, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के लिए गैर-मान्यता मानदंड का परीक्षण किया। इन प्रक्रियाओं को करने में, हमने प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जिसमें पूंजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति; सक्रिय उपयोग से निवृत्त परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण; मूल्यह्रास की गणना में लागू संपत्ति अवधि की उपयुक्तता; अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित संपत्ति की उपयोगी अवधि और प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार कुछ संपत्तियों की उपयोगी अवधि शामिल है। हमने देखा कि प्रबंधन ने उपरोक्त निर्णयों की नियमित रूप से समीक्षा की है और कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय	प्रमुख लेखापरीक्षा विषयों पर लेखापरीक्षकों के जवाब
प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान कंपनी की प्रत्यक्ष कर स्थिति अनिश्चित है जिसमें विवादाधीन मामले भी शामिल हैं जिसमें आयकर के प्रावधान के आकलन में इन विवादों के संभावित परिणाम से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। निर्णय की आवश्यकता के कारण, यह क्षेत्र एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला है। *(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 7 देखें)*	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कर प्रावधान का आकलन करने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं का आकलन (जैसा कि कंपनी के कर सलाहकारों द्वारा पुष्टि की गई है) और इन अनिश्चित प्रत्यक्ष कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी प्राथमिकता, न्यायशास्त्र और अन्य निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विवादों के संभावित परिणाम शामिल हैं। हमने इस संबंध में कंपनी द्वारा किए गए खुलासे का भी आकलन किया है।
प्रावधान और आकस्मिक देयताएं कंपनी विभिन्न करों और अन्य विवादों में शामिल है जिसके लिए अंतिम परिणाम का आसानी से अनुमान नहीं किया जा सकता है और जिसके परिणामस्वरूप संभावित देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का आकलन जटिल धारणाओं पर आधारित होता है, जिसके लिए निर्णय के उपयोग की आवश्यकता होती है और इस तरह का निर्णय मुख्य रूप से कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता से संबंधित होता है। निर्णय की आवश्यकता के कारण, इस तरह के मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। *(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 18, 36बी और 49.5 देखें)*	इस प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के जवाब में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं, • कानूनी और कर मुकदमों और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही का निर्धारण करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन। • इसी तरह के मामलों में कानूनी मिसाल और अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए कंपनी के कानूनी और कर विभाग द्वारा निष्पादित संभावित कानूनी और कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त मान्यताओं का आकलन। • सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति के संबंध में कानूनी और कर विभागों के साथ पूछताछ और प्रमुख प्रासंगिक दस्तावेज़ का निरीक्षण। • जहां उपलब्ध हो वहां विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण। • स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा।
सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश का मूल्यांकन क्षति हानियों के लिए समायोजित लागत पर किया जाता है। इंड ए एस 36 परिसम्पत्तियों की क्षति के अनुरूप, यदि संभावित हानि का संकेत मिलता है, तो कंपनी उपयोग विधि में मूल्य और उनकी मूल राशि के अनुसार निर्धारित निवेश की वसूली योग्य राशि की तुलना करके हानि परीक्षण करती है। प्रबंधन द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन प्रक्रिया जटिल है और यह अनुमानों की श्रृंखला पर आधारित है, जैसे पूर्वानुमान नकदी प्रवाह, उचित छूट दर और विकास दर। ये धारणाएं, स्वभाव से, बाहरी बाजार के विकास के संबंध में भविष्य की अपेक्षाओं से प्रभावित होती हैं। चूंकि प्रबंधन का निर्णय यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि क्या संभावित हानि का संकेत है और नकदी प्रवाह के निर्धारण से संबंधित अनुमानों की व्यक्तिपरकता और हानि परीक्षण की प्रमुख मान्यताओं पर विचार करते हुए, यह क्षेत्र एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है। *(स्टैंडअलोन फाइनेंसियल अकाउंट्स के लिए नोट संख्या 4 देखें)*	इस महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के संदर्भ में, हमने निम्नलिखित पर विचार किया: • निवेशित कंपनियों के वित्तीय विवरणों के साथ निवेश की वहन राशि की तुलना करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनकी शुद्ध परिसंपत्तियों का मूल्य, जो उनकी न्यूनतम वसूली योग्य राशि का अनुमान है, उनकी वहन राशि से अधिक था। • सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में बाजार पूंजीकरण जिसमें निवेश किया गया है। • कुछ संस्थाएं जहां निवेश का वहन मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य से कम है, क्योंकि वे निर्माण चरण में हैं तथा उन्होंने वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है। उपर्युक्त प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमने निष्कर्ष निकाला कि वर्ष के दौरान कुछ निवेशों में हानि के संकेत के संबंध में प्रबंधन का निर्णय उचित है। जहां हानि का संकेत है, हमने निवेश के मूल्य को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की जांच की, हानि परीक्षण करने के लिए प्रबंधन द्वारा लागू विधियों और धारणाओं और मूल्यांकन में विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण किया। निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया था: • हानि परीक्षण प्रक्रिया पर कंपनी द्वारा कार्यान्वित महत्वपूर्ण नियंत्रणों की पहचान और समझ; उनके नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने के लिए की गई प्रमुख धारणाओं की तर्कसंगतता का विश्लेषण, और प्रबंधन से अन्य जानकारी प्राप्त करना जिसे हमने महत्वपूर्ण समझा; • विभिन्नताओं की प्रकृति और नियोजन प्रक्रिया की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए मूल योजना की तुलना में वर्ष और पिछले वर्षों के वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण; • छूट दर और विकास दर के औचित्य का आकलन; • निवेश के उपयोग में मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त मॉडल की गणितीय सटीकता का सत्यापन। हमने हानि परीक्षण के बारे में कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी की पर्याप्तता और इंड ए एस 36 की आवश्यकताओं के साथ इसकी संगतता की भी जांच की।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट (बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित), व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

उपर्युक्त जानकारी इस ऑडिट रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और जब यह उपलब्ध हो जाए तो उपर्युक्त की पहचान की जाए, और ऐसा करते समय, विचार करना कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ असंगत है या अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत बतायी गयी प्रतीत होती है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, जो हम लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद प्राप्त करेंगे और यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें तथ्यात्मक गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को गवर्नेन्स के प्रभारी लोगों को बताना होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और गवर्नेन्स के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों लेखा के अनुसार हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो सही और निष्पक्ष राय देते हैं और तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, इसके लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी को एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो वहां चालू प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों का खुलासा करने, और चालू प्रतिष्ठान के लेखांकन आधार का उपयोग करने के लिए तब तक जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन का इरादा कंपनी का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हैं, भले ही वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा तथ्यात्मक गलत विवरण का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें तथ्यात्मक माना जाता है, बशर्ते व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती हो।

एस ए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले तथ्यात्मक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- इन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू प्रतिष्ठान रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि क्या ऐसे प्रकटीकरण अपनी हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती हो।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में संचालन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम गवर्नेन्स के प्रभारी लोगों को एक वक्तव्य भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को जिनके बारे में ऐसा सोचा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता पर असर डाल सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में बताते हैं।

गवर्नेन्स के प्रभारी लोगों को बताए गए मामलों से, हम वे मामले निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों पर भारी पड़ने की अपेक्षा की जाएगी।

अन्य विषय

क. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की आनुपातिक हिस्सेदारी (ईएंडपी गतिविधियों के संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन से संबंधित, जिसमें कंपनी संचालक नहीं है) ₹ 1,023.46 करोड़ की परिसंपत्तियों और ₹ 298.28 करोड़ की देनदारियों में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 262.94 करोड़ का कुल राजस्व, ₹ 234.90 करोड़ का व्यय और ₹ 28.04 करोड़ का कर-पूर्व लाभ और संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में निहित नकदी प्रवाह विवरण और संबंधित प्रकटीकरण की मदें शामिल हैं। इस पर हमारी टिप्पणियाँ भारत और विदेशों में 24 ब्लॉकों (जिनमें से 7 ब्लॉक त्याग दिए गए हैं) के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध सीमा तक संचालकों के अलेखापरीक्षित विवरणों पर आधारित हैं और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं। इस संबंध में हमारी राय पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी पर आधारित है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

हमने कुओं को अन्वेषणात्मक, विकास और सूखे कुओं के रूप में वर्गीकृत करने, उन पर खर्च की गई लागत के आवंटन, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तहत दायित्व और सहमत न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के सामने कम निष्पादन के लिए नामित ब्लॉकों के संबंध में प्रबंधन द्वारा तकनीकी/वाणिज्यिक मूल्यांकन पर भी भरोसा किया है।

ख. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की मेसर्स खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, मेसर्स के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी, मेसर्स कोमांडूर एंड कंपनी एलएलपी और मेसर्स एस आर बी एंड एसोसिएट्स द्वारा संयुक्त रूप से ऑडिट की गई थी, और उन्होंने 30 अप्रैल, 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक क" में उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर उपलब्ध सीमा तक वर्णन करते हैं।
2. हम अपनी रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कंपनी के बही-खातों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर "अनुलग्नक ख" संलग्न कर रहे हैं।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
   क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
   ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा बहीखाते कानून अपेक्षित उचित रूप से रखे गए हैं, जैसा उन बहीखातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
   ग. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
   घ. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
   ङ. चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है।
   च. कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, '**अनुबंध ग**' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ. चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 की उप-धारा (16) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अन्य मामलों को शामिल करने के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 36बी और 49.5 देखें।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर, लागू कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के तहत, सामग्री के लिए आवश्यक नुकसान, यदि कोई हो, उसके लिए प्रावधान किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 18 देखें।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित करने वाली राशि को हस्तांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv. क) प्रबंधन ने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और मत के अनुसार स्पष्ट किया है कि कंपनी द्वारा कोई भी निधि (जो एकल रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हों) किसी भी व्यक्ति या संस्था को, विदेशी संस्था ("मध्यवर्ती कंपनियां") सहित, व्यक्ति में अथवा संस्था में, अग्रिम या ऋण के रूप में प्रदान नहीं की गई हैं या निवेशित नहीं की गई हैं (न तो उधार ली गई निधियों से और न ही शेयर प्रीमियम से अथवा न ही किसी अन्य स्रोत या किसी अन्य प्रकार की निधियों से)। प्रबंधन द्वारा यह इस सहमति के साथ स्पष्ट किया गया है कि लिखित में या अन्य प्रकार से दर्ज है कि दूसरे व्यक्तियों या कंपनी द्वारा या कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से किसी भी रूप में चिह्नित की गई संस्थाओं को किसी भी स्वरूप में, ऋण या उनमें निवेश या गारंटी, प्रतिभूति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मध्यवर्ती कंपनी प्रदान करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से इस प्रकार की कोई लिखत प्रदान करेगी।

ख) प्रबंधन ने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और मत के अनुसार स्पष्ट किया है कि कंपनी द्वारा कोई भी निधि (जो एकल रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हों) किसी व्यक्ति अथवा संस्था से, विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियों") सहित नहीं ली गई हैं। प्रबंधन द्वारा यह इस सहमति के साथ स्पष्ट किया गया कि लिखित में या अन्य प्रकार से दर्ज है कि दूसरे व्यक्तियों या कंपनी द्वारा या कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से किसी भी रूप में चिह्नित की गई संस्थाओं में किसी भी स्वरूप में, ऋण या उनमें निवेश या गारंटी, प्रतिभूति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी प्रदान करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से इस प्रकार की कोई लिखत प्रदान करेगी।

ग) परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और समुचित मानी गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है कि जिससे हम यह मानने को बाध्य हों कि नियम (11)(ङ) के उप-खंड (i) और (i) के अंतर्गत उपर्युक्त (क) और (ख) के तहत वर्णित अनुसार दिए गए विवरणों में कोई भी गलतबयानी है।

v. टिप्पणी 31 में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उल्लिखित अनुसार:

क) वर्ष के दौरान और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार, कंपनी द्वारा अंतिम लाभांश घोषित किया गया और इसका भुगतान किया गया।

ख) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

vi. हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा-बही के रखरखाव हेतु एक लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा वैधानिक नियमों के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/S200034
हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246
UDIN: 25511596BMIVZN7875	UDIN: 5550715BMJBVR7606	UDIN: 25065025BMNQPV4428	UDIN: 25226246BMIGKB6533

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 अप्रैल 2025

खंडेलवाल जैन एंड कं.	**के जी सोमानी एंड कं. एलएलपी**	**एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कोमनडूर एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
6-बी, जनहित याचिका न्यायालय, छठी मंजिल, 111, महर्षि कर्वे रोड, **मुंबई - 400020**	3/15, आसफ अली मार्ग, चौथा तल, डिलाइट सिनेमा के पास **नई दिल्ली - 110002**	12, राधा नाथ मलिक लेन, **कोलकाता - 700 012**	फ़ोर्टुना टावर, कमरा नंबर 40, एन.एस. रोड, **कोलकाता - 700012**

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध क

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध

(i) (क) (अ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाते हुए सामान्यतया समुचित रिकॉर्ड रखे हैं।

(आ) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूर्ण ब्यौरे दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड रखे हैं।

(ख) ग्राहकों के पास एलपीजी सिलिंडरों और प्रेशर रेगुलेटरों को छोड़कर सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का हर तीन वर्ष की अवधि में भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पाई गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं और बहियों में उन्हें समुचित रूप से हिसाब में लिया गया है।

(ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की अपनी जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है, और पट्टा करारों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के हक / पट्टा विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं। अपवादों का विवरण इस रिपोर्ट के "परिशिष्ट क" में दिया गया है।

(घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान इन्वेंट्री (तृतीय पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री, संयुक्त संचालन के तहत इन्वेंट्री और पारगमन में सामग्री को छोड़कर) को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और हमारी राय में सत्यापन की आवृत्ति उचित है। हमें स्पष्ट किए गए अनुसार, इन्वेंटरियों का भौतिक सत्यापन करने पर इन्वेंटरी के प्रत्येक वर्ग के लिए बही अभिलेखों की तुलना में कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं पाई गई।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी की मंजूर कार्यशील पूंजी सीमा, चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में दायर किए जाने वाले तिमाही रिटर्न/विवरण, कंपनी की लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(iii) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं को ऋण प्रदान किए हैं या ऋण के रूप में अग्रिम राशि प्रदान की है, या गारंटी दी है। हालाँकि, कंपनी ने वर्ष के दौरान सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनियों और अन्य को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	**गारंटियां**	**ऋण**	**ऋण की प्रकृति वाले अग्रिम**
वर्ष के दौरान अनुदान / प्रदान की गई समग्र राशि			
- सहायक	4,067.45	151.92	-
- संयुक्त उद्यम	224.00	-	-
- अन्य	-	828.38	108.24
उपर्युक्त मामलों के संबंध में तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तिथि के अनुसार बकाया शेष:			
- सहायक	4,037.09	151.92	-
- संयुक्त उद्यम	224.00	-	-
- अन्य	-	778.85	47.94

(ख) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटियां, दी गई प्रतिभूति और अनुदान दिए गए सभी ऋणों तथा ऋणों की प्रकृति वाले अग्रिमों एवं प्रदान की गई गारंटियों के नियम और शर्तें कंपनी के हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं हैं।

(ग) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों तथा ऋण की प्रकृति वाले अग्रिमों के संबंध में मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान का शेड्यूल निर्धारित किया गया है और चुकौती या प्राप्तियां नियमित हैं।

(घ) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, 90 दिनों से अधिक समय से अतिदेय कुल राशि शून्य है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित दो कंपनियों के संबंध में, जहां ऋण या अग्रिम राशि, जो वर्ष के दौरान देय हो गई थी, को नवीकृत या विस्तारित किया गया है या उन्हीं पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नए ऋण दिए गए हैं,

पक्षों का नाम	कंपनी से संबंध	वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों या अग्रिमों की कुल राशि	नवीनीकरण या विस्तार या उन्हीं पक्षों को दिए गए नए ऋणों द्वारा चुकाई गई कुल अतिदेय राशि (रु. 1 करोड़ में)	वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों या अग्रिमों की कुल राशि का प्रतिशत
इंडियन ऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	शून्य	10.00	वर्ष के दौरान कोई नया ऋण प्रदान नहीं किया गया
पेट्रोनेट वाडिनार कांडला लिमिटेड	सहयोगी	शून्य	110.90	वर्ष के दौरान कोई नया ऋण प्रदान नहीं किया गया

(च) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया, जिसमें कंपनी ने मांग पर चुकौती योग्य या चुकौती की कोई शर्तें अथवा अवधि निर्धारित किए बिना ऋण या ऋण की प्रकृति वाले अग्रिम अनुदान दिए हों।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को अधिनियम की धारा 186 (अधिनियम की धारा 186(1) को छोड़कर) के प्रावधानों से छूट प्राप्त है क्योंकि यह अधिनियम की अनुसूची-VI के अंतर्गत प्रदत्त बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186(1) के प्रावधानों का, जहाँ भी लागू हो, अनुपालन किया है।

(v) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने यथासंशोधित कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत, जनता से जमाराशियों को स्वीकार नहीं किया है और वर्ष के अंत में, कुल ₹ 0.01 करोड़ के केवल विवाद के अधीन पुराने मामलों को छोड़कर कोई जमा राशि बकाया नहीं है, जिसके संबंध में हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने आवश्यक निर्देशों का अनुपालन किया है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी कानून बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vi) हमने यथासंशोधित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में, कंपनी द्वारा रखे गए लेखों और अभिलेखों की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथमदृष्टया निर्धारित लेखे और अभिलेख तैयार किए गए हैं और रखे गए हैं। तथापि, हमने इस दृष्टि से अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि यह निर्धारित किया जाए कि वे सटीक और पूर्ण हैं या नहीं।

(vii)(क) हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, मूल्य वर्धित कर, वस्तु और सेवा कर, उत्पाद शुल्क, उपकर (सेस) और खुद पर लागू अन्य सांविधिक देय राशियों सहित सभी निर्विवाद सांविधिक देय राशियां उपयुक्त प्राधिकारियों को नियमित रूप से जमा की हैं। इसके अलावा, यथा 31 मार्च, 2025 को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, मूल्य वर्धित कर, वस्तु और सेवा कर, उपकर तथा किसी भी अन्य सांविधिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि, देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं रही।

(ख) समुचित प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों के चलते जमा न की गई विवादित सांविधिक देय राशियों का विवरण इस रिपोर्ट के "परिशिष्ट ख" में संलग्न किया गया है।

(viii) हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया हो और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में दर्शाया या प्रकट न किया गया हो।

(ix) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋणों या अन्य उधारियों की चुकौती या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था या सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने जिस प्रयोजन के लिए मियादी ऋण लिए थे, उन्हें उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया गया है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बैलेंस शीट की समग्र जांच के अनुसार वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च 2025 को, हम रिपोर्ट करते हैं कि ₹ 61,296.25 करोड़ की सीमा तक अल्पकालिक आधार पर धनराशि जुटाई गई है दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष के दौरान, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग ₹ 12,977.72 करोड़ की सीमा तक दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए किया गया है।

(ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों की ओर से चुकौती करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान, अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं उठाया है।

(x) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान, आरंभिक सार्वजनिक निर्गम अथवा अन्य सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई वरीयता आवंटन या शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक) का निजी स्थानन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 42 और 62 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xi) (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी न तो देखी गई और न ही रिपोर्ट की गई। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी में निम्नलिखित धोखाधड़ी देखी गई और रिपोर्ट की गई, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	धोखाधड़ी की प्रकृति	घटनाओं की संख्या	31 मार्च, 2025 तक शामिल राशि(करोड़ में)
1.	कर्मचारियों द्वारा फर्जी भुगतान / धोखाधड़ी वाले दावे	3	2.55
2.	ठेकेदारों, विक्रेताओं और ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त दावे	4	26.03
3.	कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गई चोरी और बढ़ा-चढ़ाकर स्टॉक हानि	4	102.06

(ख) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित फार्म एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। हालाँकि, हम उपरोक्त उप-खंड (क) के अंतर्गत रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में अधिनियम की धारा 143(12) के प्रावधानों का अनुपालन करने की प्रक्रिया में हैं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(xii) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी, कोई निधि कंपनी नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xiii) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ वर्ष के दौरान सभी लेनदेन लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किए गए थे और यथा लागू अनुसार, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, और लागू भारतीय लेखांकन मानकों में अपेक्षित अनुसार स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरणों में इसका विवरण दर्शाया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी में अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप, एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखा परीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की यथातिथि जारी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों, या निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार किसी भी तरह का गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी पर आदेश के खंड (xv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, खंड 3(xvi)(क), 3(xvi)(ख), 3(xvi)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती। इसके अतिरिक्त, उप-खंड (घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में, हम सूचित करते हैं कि समूह में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है।

(xvii) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2023-24 में नकद हानि नहीं उठाई है।

(xviii) वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया और तदनुसार खंड 3(xviii) लागू नहीं है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, ऐसा कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दिया जाएगा।

(xx)(क) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, "चालू परियोजनाओं को छोड़कर अन्य" के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधियों में कोई व्यय नहीं की गई राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग इस वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, "चालू परियोजनाओं" के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 135(6) के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी विशेष खाते में कोई खर्च न की गई राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034
हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246
UDIN: 25511596BMIVZN7875	UDIN: 5550715BMJBVR7606	UDIN: 25065025BMNQPV4428	UDIN: 25226246BMIGKB6533

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 अप्रैल 2025

कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्ति

परिशिष्ट - क

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर रखी गई	क्या ये प्रमोटर, निदेशक या उनके संबंधी या कर्मचारी हैं	आयोजित अवधि, जहां उपयुक्त हो, सीमा दर्शाती है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	फ्रीहोल्ड					
क	फ्रीहोल्ड भूमि					
	रेड्डीमंगुडी में सीटीएम पीएल आरसीपी भूमि*	0.003	नल्लुस्वामी रामर	नहीं	30-05-2005	राज्य सरकार द्वारा निजी-सरकारी भूमि खंड का क्रय मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।
	फ्रीहोल्ड भूमि	0.02	रामवती/कानूनी उत्तराधिकारी	नहीं	20-03-1995	झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष टाइटल अपील दायर की गई है। जिसका अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
	फ्रीहोल्ड भूमि*	0.00	रामवती/कानूनी उत्तराधिकारी	नहीं	28-04-1995	झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष टाइटल अपील दायर की गई है। जिसका अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
	फ्रीहोल्ड भूमि*	0.00	उपलब्ध नहीं है	नहीं	01-01-1959	हक विलेख उपलब्ध नहीं है या मिला नहीं है। सब रजिस्ट्रार को आवेदन करने के लिए हक विलेख का पुनर्सृजन प्रक्रियागत है।
	फ्रीहोल्ड भूमि	0.10	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	नहीं	01-10-1990	भूमि बीपीसीएल के नाम पर पंजीकृत की गई है। बीपीसीएल ने आईओसीएल के नाम पर 77,540 वर्गमीटर भूमि का सीमांकन किया है।
	फ्रीहोल्ड भूमि	0.52	केरल राज्य सरकार (जीसीडीए)	नहीं	31-03-2003	खुदरा बिक्री विभाग इसके पंजीकरण के लिए सरकार के सचिव और जीसीडीए के साथ संपर्क में है।
	फ्रीहोल्ड भूमि	5.77	भारतीय रेल	नहीं	31-03-1994	उक्त भूमि का रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे के साथ आदान-प्रदान किया गया था और इसे पंजीकृत नहीं किया गया था। किन्तु एक व्यक्ति ने न्यायालय में मालिकाना हक पर विवाद करते हुए दावा किया था कि उनके पास भूमि के एक हिस्से (400 वर्ग गज) के दस्तावेज पंजीकृत हैं। रेलवे के फैसले और कानूनी मामला लंबित रहने तक आईओसी भूमि के पंजीकरण की कार्रवाई करने में असमर्थ है।
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	7.88	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड		31-05-2019	आईओसी, बीपीसी और एचपीसी मुख्य साझेदार के रूप में मेरामुंडली में एक सामान्य उपयोगकर्ता सुविधा विकसित कर रहे हैं। बीपीसी द्वारा अपने नाम पर भूमि खरीदी गई थी और सीयूएफ करार के अनुसार स्वामित्व भूमि सीयूएफ में हिस्सेदारी के अनुसार सभी साझेदारों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। अब बीपीसीएल दोनों साझेदारों को स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए अग्रिम चरण में है।
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि*	0.00	बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड	नहीं	31-03-2022	म्युटेशन लंबित है।
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.46	केंद्र सरकार	नहीं	16-06-1994	शीर्षक केंद्र सरकार के नाम पर है (कब्ज़ा इंडियन ऑयल के नाम पर है)। दाखिल-खारिज में सुधार के लिए माम ला तहसीलदार एवं डीसी, पानीपत के समक्ष उठाया जा रहा है।
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	एपीआईआईसी	नहीं	18-01-1997	औद्योगिक पार्क काकीनाडा में एलपीजी गोदाम और शोरूम स्थापित करने के लिए 4 भूखंड आईओसीएल को आवंटित किए गए थे। हालांकि, कुछ वर्षों बाद, एपीआईआईसी ने वापसी के साथ-साथ भूखंड के गैर-उपयोग के कारण 3 भूखंड आवंटन को रद्द करने की सूचना दी। आईओसीएल रद्द करने के आदेश को वापस लेने के लिए एपीआईआईसी के साथ मामले पर चर्चा कर रही है।

परिशिष्ट – क

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर रखी गई	क्या ये प्रमोटर, निदेशक या उनके संबंधी या कर्मचारी हैं	आयोजित अवधि, जहां उपयुक्त हो, सीमा दर्शाती है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
	असम सरकार द्वारा आबंटित भूमि	0.16	असम सरकार	नहीं	1962	60.50 एकड़ भूमि आईओसीएल, जीआर के नाम पंजीकृत नहीं है, जिसके लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है।
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि – रिफाइनरी	0.20	बिहार सरकार	नहीं	1959	बिहार सरकार द्वारा बीआर के पक्ष में निष्पादित वाहन विलेख के लिए स्टांप और पंजीकरण शुल्क के लिए पंजीकरण शुल्क की अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए बरौनी रिफाइनरी के खिलाफ एक प्रमाण-पत्र मामला स्थापित किया गया है। पंजीकरण शुल्क की अतिरिक्त लागत के लिए जिला अधिकारियों के दावे से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित है।
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.40	जीआईडीसी और अन्य	नहीं	1962	स्थानांतरण निष्पादन लंबित
	ज़मीन	1.14	ऑयल इंडिया लिमिटेड	नहीं	27-05-2024	आईओसीएल के नाम भूमि का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।
	चित्तूर कॉलोनी की ज़मीन	0.24	टी.वी. सुब्रमण्यम रेड्डी (दिवंगत)	नहीं	12-03-2012	न्यायालय के आदेश संदर्भ संख्या 18/2017 दिनांक 30.12.2024 के अनुसार, आईओसीएल (वादी) के पास भूमि का अधिकार और स्वामित्व नहीं है। न्यायालय का आदेश प्रतिवादी के पक्ष में है।
	फ्रीहोल्ड ज़मीन	0.82	उपलब्ध नहीं	नहीं	21-05-2014	सरकारी प्राधिकारियों से स्थायी हस्तांतरण इस शर्त के साथ लंबित है कि ''आईओसीएल सरकार द्वारा निर्धारित भूमि मूल्य का भुगतान करेगा, जिसमें से पहले से जमा की गई राशि को विधिवत घटा दिया जाएगा''।
	फ्रीहोल्ड ज़मीन	1.15	रक्षा मंत्रालय	नहीं	01-08-1990	स्वामित्व विलेख का निष्पादन प्रक्रियाधीन है।
	फ्रीहोल्ड ज़मीन	0.02	रेलवे	नहीं	31-12-2012	रेलवे के साथ स्वामित्व विलेख के लिए बातचीत जारी है।
	कुल	**19.01**				
ख	**फ्रीहोल्ड बिल्डिंग**					
	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	15.86	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार	नहीं	26-07-1989	भवन का अधिग्रहण करने के बाद निष्पादित विलेख पंजीकृत नहीं किया गया था। भूमि और भवन के इस भूखंड का म्यूटेशन उपलब्ध नहीं है।
	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	0.01	मैसर्स बोनी एंटरप्राइज	नहीं	01-04-1984	बोनी एंटरप्राइज से किसी का भी पता नहीं चल पा रहा है। शायद बोनी एंटरप्राइज बंद है। इसलिए, टायटल डीड हक विलेख निष्पादित नहीं किया जा सकता है। हम नियमित रूप से नगर निगम कर का भुगतान कर रहे हैं और शुरुआत से ही फ्लैटों पर भी हमारा कब्जा है।
	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	0.04	मैसर्स बोनी एंटरप्राइज	नहीं	16-05-1983	
	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग (3 मामले)	0.05	मैसर्स बोनी एंटरप्राइज	नहीं	29-04-1985	
	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	0.06	मैसर्स मुकुंद कंस्ट्रक्शंस	नहीं	29-02-1984	सेल डीड के निष्पादन के लिए मामला न्यायाधीन है।
	कुल	**16.02**				
2	**आरओयू परिसंपत्तियां**					
क	**लीजहोल्ड भूमि**					
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि (3 मामले)	0.08	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को)	नहीं	14-11-1996	यह ज़मीन ब्रिटिश सरकार के दौरान टिस्को को कंपनी को उप-पट्टे पर देने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध के दौरान दी गई थी।
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि	0.01	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को)	नहीं	14-12-1996	यह ज़मीन ब्रिटिश सरकार के दौरान टिस्को को कंपनी को उप-पट्टे पर देने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध के दौरान दी गई थी।
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि	0.05	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को)	नहीं	19-11-1996	यह ज़मीन ब्रिटिश सरकार के दौरान टिस्को को कंपनी को उप-पट्टे पर देने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध के दौरान दी गई थी।
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि (16 मामले)	34.34	भारतीय वायु सेना	नहीं	29-08-2011	एएफएस अम्ब्रेला समझौता/एमओयू, लेकिन विभिन्न एएफएस स्थानों के लिए कोई व्यक्तिगत समझौता नहीं।

परिशिष्ट – क

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर रखी गई	क्या ये प्रमोटर, निदेशक या उनके संबंधी या कर्मचारी हैं	आयोजित अवधि, जहां उपयुक्त हो, सीमा दर्शाती है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि	22.67	तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	31-07-1998	तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के साथ एमजीटी खंड को शामिल करने संबंधी विवाद के कारण पट्टा समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि	0.78	सेल	नहीं	10-02-2016	पट्टा नवीनीकरण के लिए एसडी और प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है और नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है।
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि	0.23	सेल	नहीं	09-05-2004	पट्टा नवीनीकरण के लिए एसडी और प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है और नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है।
	भूमि – लीजहोल्ड	18.45	उत्तर प्रदेश सरकार	नहीं	1977	पट्टा विलेख और निष्पादन की स्वीकृति उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के स्तर पर लंबित है।
	कैलिको मिल, बड़ौदा की भूमि	31.99	गुजरात औद्योगिक विकास निगम	नहीं	2006	मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।
	जोबरा बैराज जल अंतर्ग्रहण सुविधा की भूमि	32.37	उड़ीसा सरकार	नहीं	2010	आईओसीएल के नाम भूमि का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।
	आरओयू लीजहोल्ड भूमि	8.69	उपलब्ध नहीं	नहीं	31-12-2016	आईओसीएल के नाम भूमि का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।
	आरओयू लीजहोल्ड भूमि	35.89	उपलब्ध नहीं	नहीं	14-02-2024	लीज डीड का निष्पादन प्रक्रियाधीन है।
	आरओयू लीजहोल्ड भूमि	0.32	तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	31-07-1998	तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के साथ एमजीटी खंड को शामिल करने संबंधी विवाद के कारण लीज समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।
	आरओयू लीजहोल्ड भूमि	35.12	उपलब्ध नहीं	नहीं	14-02-2024	लीज डीड का निष्पादन प्रक्रियाधीन है।
	कुल	**220.99**				
ख	**लीजहोल्ड भवन**					
	एनबीसीसी_टाइपVIफ्लैट और पार्किंग_किदवईनगर	19.32	एनबीसीसी	नहीं	11-10-2018	भूमि तथा विकास कार्यालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
	एनबीसीसी वाणिज्यिक स्थान (स्पेस)	216.56	एनबीसीसी	नहीं	10-08-2018	भूमि तथा विकास कार्यालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
	एनबीसीसी_बिल्डिंग _टाइप V फ्लैट	16.71	एनबीसीसी	नहीं	25-09-2019	भूमि तथा विकास कार्यालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
	कुल	**252.59**				
3	**निवेश संपत्ति**	–				
4	**बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियां**	–				
	कुल योग	**508.61**				

***पूर्णांकन के कारण निम्नलिखित मूल्य ऊपर परिलक्षित नहीं हुए हैं:**

विवरण	के नाम पर रखी गई	सकल वहन मूल्य (₹ में)
फ्रीहोल्ड भूमि	नल्लुस्वामी रामर	30,000
फ्रीहोल्ड भूमि	रामवती/कानूनी उत्तराधिकारी	25,540
फ्रीहोल्ड भूमि	उपलब्ध नहीं है	24,416
फ्रीहोल्ड भूमि	बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड	1

विवादित सांविधिक बकाया

परिशिष्ट – ख

क्र. सं.	कानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	किस फोरम में विवाद लंबित है	सकल राशि (₹ करोड़ में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)	राशि (निवल जमा) (₹ करोड़ में)	राशि किस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष)
1	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क					
			सुप्रीम कोर्ट	100.95	10.00	90.95	1989 से 2007
			उच्च न्यायालय	466.33	0.18	466.15	1996 से 2016
			ट्रिब्यूनल	4,829.12	6.12	4,823.00	1987 से 2022
			पुनरीक्षण प्राधिकारी	–	–	–	–
			अपीलीय प्राधिकारी (ट्रिब्यूनल के नीचे)	0.28	–	0.28	1996 से 2017
			कुल	**5,396.68**	**16.30**	**5,380.38**	
2	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क					
			सुप्रीम कोर्ट	17.03	4.05	12.98	1992 से 2002
			उच्च न्यायालय	0.21	–	0.21	2002 से 2016
			ट्रिब्यूनल	85.85	0.02	85.83	2000 से 2013
			अपीलीय प्राधिकारी (ट्रिब्यूनल के नीचे)	5.06	–	5.06	1998 से 2012
			कुल	**108.15**	**4.07**	**104.08**	
3	बिक्री कर/वैट कानून	बिक्री कर/वैट /टर्नओवर टैक्स					
			सुप्रीम कोर्ट	152.61	18.57	134.04	1986 से 2010
			उच्च न्यायालय	857.37	105.20	752.17	1989 से 2024
			ट्रिब्यूनल	3,444.24	411.12	3,033.12	1984 से 2023
			पुनरीक्षण प्राधिकारी	85.00	–	85.00	1979 से 2018
			अपीलीय प्राधिकारी (ट्रिब्यूनल के नीचे)	260.36	45.61	214.75	1995 से 2022
			कुल	**4,799.58**	**580.51**	**4,219.07**	
4	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर					
			सुप्रीम कोर्ट	–	–	–	–
			उच्च न्यायालय	–	–	–	–
			ट्रिब्यूनल	3,815.62	903.56	2,912.06	2011 से 2017
			पुनरीक्षण प्राधिकारी	–	–	–	–
			अपीलीय प्राधिकारी (ट्रिब्यूनल के नीचे)	2,687.59	490.47	2,197.12	2007 से 2021
			कुल	**6,503.21**	**1,394.03**	**5,109.18**	
5	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर					
			सुप्रीम कोर्ट	–	–	–	
			उच्च न्यायालय	1.76	–	1.76	2003 से 2012
			ट्रिब्यूनल	300.70	0.41	300.29	2006 से 2017
			पुनरीक्षण प्राधिकारी	–	–	–	
			अपीलीय प्राधिकारी (ट्रिब्यूनल के नीचे)	4.29	0.10	4.19	2006 से 2017
			कुल	**306.75**	**0.51**	**306.24**	
6	राज्य कानून	प्रवेश कर					
			सुप्रीम कोर्ट	3.08	–	3.08	1991 से 2002
			उच्च न्यायालय	5,609.99	54.15	5,555.84	1999 से 2015
			ट्रिब्यूनल	26.00	6.88	19.12	2009 से 2014
			पुनरीक्षण प्राधिकारी	1.44	0.20	1.24	1999 से 2013
			अपीलीय प्राधिकारी (ट्रिब्यूनल के नीचे)	1.26	0.89	0.37	1998 से 2005
			कुल	**5,641.77**	**62.12**	**5,579.65**	
7	आई जी एस टी अधिनियम, 2017	जी एस टी					
			सुप्रीम कोर्ट	66.22	–	66.22	2018 से 2019
			उच्च न्यायालय	247.67	1.15	246.52	2017 से 2024
			ट्रिब्यूनल	16.20	0.58	15.62	2017 से 2021
			पुनरीक्षण प्राधिकारी	–	–	–	–
			अपीलीय प्राधिकारी (ट्रिब्यूनल के नीचे)	203.12	3.80	199.32	2017 से 2023
			कुल	**533.21**	**5.53**	**527.68**	
8	अन्य केन्द्रीय/राज्य कानून	अन्य वाणिज्यिक कर आदि					
			सुप्रीम कोर्ट	12.03	0.25	11.78	2005 से 2011
			उच्च न्यायालय	58.31	0.57	57.74	2001 से 2023
			ट्रिब्यूनल	–	–	–	–
			पुनरीक्षण प्राधिकारी	–	–	–	–
			अपीलीय प्राधिकारी (ट्रिब्यूनल के नीचे)	14.01	–	14.01	2005 से 2024
			कुल	**84.35**	**0.82**	**83.53**	
			कुल योग	**23,373.70**	**2,063.89**	**21,309.81**	

नोट: देय राशि में जुर्माना और ब्याज, यथा लागू, शामिल हैं।

खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
6-बी, जनहित याचिका न्यायालय, छठी मंजिल, 111, महर्षि कर्वे रोड,
मुंबई – 400020

के जी सोमानी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
3/15, आसफ अली मार्ग, चौथा तल, डिलाइट सिनेमा के पास
नई दिल्ली – 110002

एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
12, राधा नाथ मलिक लेन,
कोलकाता – 700 012

कोमनडूर एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फ़ोर्टुना टावर, कमरा नंबर 40, एन.एस. रोड,
कोलकाता – 700012

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ख

(इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं" के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

क्र. सं.	निर्देश	की गई कार्रवाई	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या सूचना प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हां, तो खातों की प्रमाणिकता पर सूचना प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन प्रोसेस करने के निहितार्थ के साथ-साथ कोई वित्तीय प्रभाव हों तो बताएं।	कंपनी के पास सूचना प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए एक मजबूत ई आर पी प्रणाली (एसएपी) है।	शून्य
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/लोन/ब्याज आदि के छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बतायें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है)।	कंपनी 2024-25 के दौरान विभिन्न ऋणों पर अपने मूलधन और ब्याज दायित्वों का निर्वहन करने में नियमित रही है। इसलिए, ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण किसी भी ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी ऋण के पुनर्गठन या छूट/ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	शून्य
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य (अनुदान/सब्सिडी आदि) निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब रखा/उपयोग किया गया था? ऐसा नहीं करने के मामलों की सूची बनाएं।	कंपनी ने अपने नियम और शर्तों के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उचित रूप से हिसाब रखा है/उपयोग किया है, जैसा भी मामला हो।	शून्य

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W

हस्ता/-
नवीन जैन
पार्टनर
स.सं. 511596
UDIN: 25511596BMIVZN7875

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 006591N/N500377

हस्ता/-
अम्बर जैस्वाल
पार्टनर
स.सं. 550715
UDIN: 5550715BMJBVR7606

एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 02014E/W101061

हस्ता/-
नरेंद्र खंडाल
पार्टनर
स.सं. 065025
UDIN: 25065025BMNQPV4428

कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 001420S/S200034

हस्ता/-
नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा
पार्टनर
स.सं. 226246
UDIN: 25226246BMIGKB6533

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक – 30 अप्रैल 2025

खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
6-बी, जनहित याचिका न्यायालय,
छठी मंजिल, 111, महर्षि कर्वे रोड,
मुंबई – 400020

के जी सोमानी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
3/15, आसफ अली मार्ग, चौथा तल,
डिलाइट सिनेमा के पास
नई दिल्ली – 110002

एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
12, राधा नाथ मलिक लेन,
कोलकाता – 700 012

कोमनडूर एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फ़ोर्टुना टावर, कमरा नंबर 40,
एन.एस. रोड,
कोलकाता – 700012

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के सी ऐंड ए जी द्वारा जारी निर्देश/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक खाते का ऑडिट किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों के साथ इसका अनुपालन किया है।

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/S200034
हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246
UDIN: 25511596BMIVZN7875	UDIN: 5550715BMJBVR7606	UDIN: 25065025BMNQPV4428	UDIN: 25226246BMIGKB6533

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक – 30 अप्रैल 2025

खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
6-बी, जनहित याचिका न्यायालय,
छठी मंजिल, 111, महर्षि कर्वे रोड,
मुंबई – 400020

के जी सोमानी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
3/15, आसफ अली मार्ग, चौथा तल,
डिलाइट सिनेमा के पास
नई दिल्ली – 110002

एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
12, राधा नाथ मलिक लेन,
कोलकाता – 700 012

कोमनडूर एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फ़ोर्टुना टावर, कमरा नंबर 40,
एन.एस. रोड,
कोलकाता – 700012

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ग

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की उसी तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट पर आधारित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू निर्धारित सीमा तक अपनी लेखापरीक्षा की, दोनों स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या तथ्यात्मक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड

के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और प्रकृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण की अनुचित प्रबंधन अवहेलना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण तथ्यात्मक गलत विवरण शामिल हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान में जोखिम हैं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी तथ्यात्मक मामलों में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और आई सी ए आई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034
हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246
UDIN: 25511596BMIVZN7875	UDIN: 5550715BMJBVR7606	UDIN: 25065025BMNQPV4428	UDIN: 25226246BMIGKB6533

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक – 30 अप्रैल 2025

खंडेलवाल जैन एंड कं.	**के जी सोमानी एंड कं. एलएलपी**	**एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कोमनडूर एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
6-बी, जनहित याचिका न्यायालय, छठी मंजिल, 111, महर्षि कर्वे रोड, **मुंबई – 400020**	3/15, आसफ अली मार्ग, चौथा तल, डिलाइट सिनेमा के पास **नई दिल्ली – 110002**	12, राधा नाथ मलिक लेन, **कोलकाता – 700 012**	फ़ोर्टुना टावर, कमरा नंबर 40, एन.एस. रोड, **कोलकाता – 700012**

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की 30 अप्रैल, 2025 की रिपोर्ट में संशोधन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''कंपनी''), एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी का पूरक लेखा परीक्षण किया था।

पूरक लेखापरीक्षा के बाद, सीएंडएजी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में हमारी रिपोर्ट पर 30 अप्रैल, 2025 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ए'' के पैरा (iii) (ए) के संबंध में एक टिप्पणी जारी की है।

सीएंडएजी द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसरण में, हम कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर पूर्वोक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ए' के पैरा (iii) (ए) में दिनांक 30 अप्रैल, 2025 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अनुवर्ती संशोधन करते हैं और उक्त खंड में आवश्यक परिवर्तन करते हैं।

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर 30 अप्रैल, 2025 की हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ए' के संशोधित पैरा (iii) (ए) को अब निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए:

(iii) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं को ऋण प्रदान किए हैं या ऋण के रूप में अग्रिम प्रदान किए हैं, या गारंटी दी है। हालाँकि, कंपनी ने वर्ष के दौरान सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनियों और अन्य को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	गारंटियां	ऋण	ऋण की प्रकृति वाले अग्रिम
वर्ष के दौरान अनुदान / प्रदान की गई समग्र राशि			
– सहायक	4,067.45	151.92	–
– संयुक्त उद्यम	–	–	–
– अन्य	–	828.38	108.24
उपर्युक्त मामलों के संबंध में तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तिथि के अनुसार बकाया शेष:			
– सहायक	4,037.09	151.92	–
– संयुक्त उद्यम	–	–	–
– अन्य	–	778.85	47.94

उपरोक्त के अलावा, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034
हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246
UDIN: 25511596BMIVZN7875	UDIN: 5550715BMJBVR7606	UDIN: 25065025BMNQPV4428	UDIN: 25226246BMIGKB6533
स्थान – मुंबई	**स्थान** – नई दिल्ली	**स्थान** – मुंबई	**स्थान** – नई दिल्ली
दिनांक – 17 जुलाई, 2025	**दिनांक** – 17 जुलाई, 2025	**दिनांक** – 17 जुलाई, 2025	**दिनांक** – 17 जुलाई, 2025

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
परिसंपत्तियां			
गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां			
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	1,82,388.60	1,77,618.95
ख) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	2.1	73,453.16	57,024.23
ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	3	3,461.98	3,247.80
घ) विकासशील अमूर्त संपत्तियां	3.1	2,761.14	2,041.41
ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) निवेश	4	60,901.17	61,557.28
ii) ऋण	5	2,907.25	2,464.72
iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	412.71	505.64
च) आयकर आस्तियां (निवल)	7	1,532.28	1,799.10
छ) अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां	8	6,088.96	4,889.23
		3,33,907.25	**3,11,148.36**
मौजूदा परिसंपत्तियां			
क) इन्वेंटरी	9	1,05,611.92	1,12,507.49
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) निवेश	4	10,016.03	9,530.90
ii) व्यापार प्राप्य	10	17,813.00	12,779.41
iii) नकद और नकद समतुल्य	11	263.17	464.28
iv) उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	12	252.84	366.18
v) ऋण	5	502.21	470.68
vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	5,114.97	5,504.25
ग) वर्तमान कर आस्तियां (निवल)	7	724.49	–
घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	8	5,602.71	4,340.40
		1,45,901.34	**1,45,963.59**
बिक्री के लिए निर्धारित	13	191.75	**128.67**
		1,46,093.09	**1,46,092.26**
कुल परिसंपत्तियां		4,80,000.34	**4,57,240.62**
इक्विटी और देयतायें			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	13,771.56	13,771.56
ख) अन्य इक्विटी	15	1,64,905.30	1,62,943.42
		1,78,676.86	**1,76,714.98**
देयताएं			
गैर-मौजूदा देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) उधार	16	51,529.04	41,367.53
ii) पट्टा देयताएं		6,772.07	6,528.11
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	199.43	233.11
ख) प्रावधान	18	884.00	917.63
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	19	18,252.55	16,637.10
घ) अन्य गैर-मौजूदा देयताएं	20	4,418.73	4,048.95
		82,055.82	**69,732.43**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
मौजूदा देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) उधार	21	82,936.50	75,128.21
ii) व्यापार देय		3,130.19	2,842.83
iii) व्यापार देयताएं	22		
क. सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		1,412.16	1,410.52
ख. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		50,955.86	50,090.44
iv) अन्य वित्तीय देयताएं	17	57,035.22	55,640.06
ख) अन्य मौजूदा देयताएं	20	14,307.33	14,684.39
ग) प्रावधान	18	9,490.40	10,090.13
घ) मौजूदा कर देयताएं (निवल)	7	–	906.63
		2,19,267.66	**2,10,793.21**
कुल इक्विटी और देयताएं		4,80,000.34	**4,57,240.62**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, अनुमान और निर्णय	1क और 1ख		
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट्स	2 - 49		

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
ए एस साहनी	**अनुज जैन**	**(कमल कुमार ग्वालानी)**
अध्यक्ष	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
DIN-10652030	DIN-10310088	ACS-13737

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/ W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 अप्रैल 2025

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट संख्या	2024-2025	2023-2024
I. परिचालन से आय	23	8,45,512.61	8,66,345.38
II. अन्य आय	24	4,963.84	4,780.82
III. कुल आय (I+II)		8,50,476.45	**8,71,126.20**
IV. व्यय:			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	3,99,521.58	3,90,525.63
उत्पाद शुल्क		89,562.99	91,996.79
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		2,62,418.33	2,54,631.78
तैयार माल, स्टॉक-इन-ट्रेड और स्टॉक-इन प्रक्रिया की इन्वेंट्री में परिवर्तन	26	(919.37)	1,904.83
कर्मचारी लाभ व्यय	27	10,363.66	11,079.56
वित्त लागत	28	8,731.59	7,327.79
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि:			
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		15,040.96	14,343.55
ख) अमूर्त परिसंपत्तियां		243.18	166.05
		15,284.14	**14,509.60**
वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षति हानि (निवल)		143.43	268.19
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध हानि		46.70	3.90
अन्य व्यय	29	51,279.08	46,533.92
कुल व्यय (IV)		8,36,432.13	**8,18,781.99**
V. असाधारण मदों और कर से पहले लाभ / (हानि) (III-IV)		14,044.32	**52,344.21**
VI. असाधारण वस्तुएँ (नोट 49, क्रम संख्या 2 देखें)		1,838.02	**-**
VII. इस वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (V+VI)		15,882.34	**52,344.21**
VIII. अन्य समग्र आय:			
मौजूदा कर		1,409.87	11,615.24
[इसमें पूर्व वर्षों से संबंधित ₹(139.94) करोड़ (2024: ₹ 44.84 करोड़) शामिल हैं]			
अस्थगित कर		1,510.90	1,110.13
IX. इस वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (VII+VIII)		12,961.57	**39,618.84**
X. अन्य समग्र आय:	30		
क (i) वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(1,341.83)	14,456.17
क (ii) आयकर से संबंधित आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(81.10)	(970.48)
ख (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		110.12	(197.59)
ख (ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(46.60)	68.12
XI. इस वर्ष के लिए कुल समग्र आय (IX+X) (लाभ/(हानि) और वर्ष के लिए अन्य समग्र आय सहित)		11,602.16	**52,975.06**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट संख्या	2024-2025	2023-2024
XII. प्रति इक्विटी शेयर आय (₹):	32		
(1) मूल		9.41	28.77
(2) मिश्रित		9.41	28.77
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)		10	10
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, अनुमान और निर्णय	1क और 1ख		
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट्स	2 - 49		

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
ए एस साहनी	**अनुज जैन**	**(कमल कुमार ग्वालानी)**
अध्यक्ष	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
DIN-10652030	DIN-10310088	ACS-13737

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/ W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034
हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 अप्रैल 2025

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		2024–2025	2023–2024
क	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
1	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**	15,882.34	52,344.21
2	**निम्न के लिए समायोजन**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति	15,284.14	14,509.60
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ) (निवल)	26.81	(38.26)
	पूंजीगत अनुदानों का परिशोधन	(66.30)	(31.23)
	संभावित आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान (निवल)	(22.64)	(48.13)
	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय साधनों पर उचित मूल्य हानि/(लाभ)	(6.30)	(128.41)
	दावा न की गई/अव्ययित देयताएं पूर्ववत	(157.71)	(328.11)
	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण, अग्रिम और दावे	72.45	5.25
	संदिग्ध अग्रिमों, दावों और स्टोर के पुराने होने का प्रावधान (निवल)	(50.43)	146.31
	वित्तीय संपत्तियों पर क्षति हानि (निवल)	143.43	268.19
	डेरिवेटिव्ज पर हानि/(लाभ)	(61.95)	(84.09)
	ओ सी आई के माध्यम से परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	91.97	(46.14)
	उधार और लीज देनदारियों पर विनिमय हानि/(लाभ)।	568.39	1,141.59
	ब्याज की आय	(1,468.06)	(1,828.29)
	लाभांश की आय	(3,201.16)	(2,277.42)
	वित्त लागत	8,731.59	7,327.79
	पी एम यू वाई परिसंपत्तियों का परिशोधन और पुनर्मापन	(80.05)	(306.35)
		19,804.18	**18,282.30**
3	**चल पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ (1+2)**	35,686.52	**70,626.51**
4	**चल पूंजी में परिवर्तन (नकद और नकद समतुल्यों को छोड़कर):**		
	व्यापार प्राप्य और अन्य परिसंपत्तियां	(6,856.88)	1,216.48
	इनवेंट्री	6,862.71	1,302.27
	व्यापार देयताएं और अन्य देयताएं	275.43	5,589.87
	चल पूंजी में परिवर्तन	281.26	**8,108.62**
5	परिचालन से प्राप्त नकद (3+4)	35,967.78	78,735.13
6	घटाएं: चुकाए गए कर	2,797.32	10,638.53
7	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (5–6)**	33,170.46	**68,096.60**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से प्राप्त आय	621.15	610.75
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद	(4,398.93)	(4,284.68)
	जारी निर्माण कार्य पर व्यय	(29,095.35)	(30,924.39)
	वित्तीय दस्तावेज़ों की बिक्री से प्राप्त आय (चल पूंजी के अलावा)	6,217.31	5,118.51
	सहायक कंपनियों में निवेश	(705.36)	(110.56)
	अन्य निवेशों की खरीद	(6,695.26)	(4,266.31)
	सरकारी अनुदानों की प्राप्ति (पूंजीगत अनुदान)	17.04	1.72
	प्राप्त ब्याज आय	1,576.95	1,875.92
	निवेश पर लाभांश आय	3,201.16	2,277.42
	निवेश गतिविधियों से प्राप्त/(प्रयुक्त) निवल नकद:	(29,261.29)	**(29,701.62)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	दीर्घकालिक उधारियों से प्राप्य राशियां	25,451.21	343.61
	दीर्घकालिक उधारियों की चुकौती	(21,668.40)	(17,286.37)
	पट्टा देयताओं के भुगतान	(2,957.07)	(2,803.78)
	अल्पावधि उधारों से/(पुनर्भुगतान) से आय	12,909.08	(137.09)
	प्रदत्त ब्याज	(8,202.75)	(7,388.58)
	प्रदत्त लाभांश	(9,642.35)	(11,021.81)
	वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त/(प्रयुक्त) निवल नकद:	(4,110.28)	**(38,294.02)**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024–2025	2023–2024
घ नकद और नकद समतुल्यों में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	(201.11)	**100.96**
ङ1 वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	263.17	**464.28**
चालू खाते में	219.00	449.10
सावधि जमा में – 3 महीने के भीतर परिपक्वता	35.77	12.91
हाथ में चेक, ड्राफ्ट	7.17	1.31
हाथ में नकदी, अग्रदाय सहित	1.23	0.96
ङ2 घटाएं – वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	464.28	**363.32**
चालू खाते में	449.10	354.15
सावधि जमा में – 3 महीने के भीतर परिपक्वता	–	0.47
गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ बैंक शेष	12.91	2.74
हाथ में चेक, ड्राफ्ट	1.31	5.41
हाथ में नकदी, अग्रदाय सहित	0.96	0.55
नकद और नकद समतुल्यों में निवल परिवर्तन (ङ1 - ङ2)	(201.11)	**100.96**

टिप्पणियाँ:

1. वर्ष के दौरान निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में महत्वपूर्ण गैर-नकद गतिविधियों में शामिल हैं:

(क)	पट्टे के माध्यम से परिसंपत्तियों का अधिग्रहण (अपफ्रंट प्रीमियम को घटाकर)	3,805.00 3,303.66
(ख)	उधार और पट्टा देनदारियों पर अप्राप्त विनिमय हानि/(लाभ)	1,816.06 883.55
(ग)	उचित मूल्य और अन्य गैर-नकद परिवर्तन	(854.76) 13.06

2. नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक-7: नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है।
3. कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के अंतर्गत व्यापार देय और अन्य देनदारियों में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई ₹1,838.02 करोड़ की राशि के असाधारण मदों का प्रभाव शामिल है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
ए एस साहनी	**अनुज जैन**	**(कमल कुमार ग्वालानी)**
अध्यक्ष	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
DIN-10652030	DIN-10310088	ACS-13737

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी	कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी	कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/ W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक – 30 अप्रैल 2025

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	13,771.56	13,771.56
वर्ष के दौरान परिवर्तन	–	–
वर्ष के अंत में शेष राशि	**13,771.56**	**13,771.56**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष		आरक्षित और अधिशेष		अन्य समग्र आय की मदें			कुल
	प्रतिधारित आय	बांड मोचन रिजर्व	पूंजी रिजर्व	बीमा रिजर्व	इक्विटी दस्तावेज़ों का उचित मूल्य	ऋण दस्तावेज़ों का उचित मूल्य	कैश फ्लो हेज रिजर्व	
1 अप्रैल, 2023 तक प्रारंभिक शेष राशि	**1,03,809.72**	**1,013.20**	**183.08**	**311.42**	**15,540.77**	**(10.88)**	**138.67**	**1,20,985.98**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)।	39,618.84	–	–	–	–	–	–	39,618.84
अन्य समग्र आय	(34.53)*	–	–	–	13,520.22	6.98	(136.45)	13,356.22
कुल समग्र आय	**39,584.31**	**–**	**–**	**–**	**13,520.22**	**6.98**	**(136.45)**	**52,975.06**
बॉन्ड मोचन रिज़र्व से स्थानांतरण	1,013.20	(1,013.20)	–	–	–	–	–	–
अंतरिम लाभांश के लिए विनियोजन	(6,886.04)	–	–	–	–	–	–	(6,886.04)
अंतिम लाभांश के लिए विनियोजन	(4,131.58)	–	–	–	–	–	–	(4,131.58)
बीमा रिज़र्व के लिए विनियोजन (निवल)	(13.75)	–	–	13.75	–	–	–	–
31 मार्च, 2024 को समापन शेष	**1,33,375.86**	**–**	**183.08**	**325.17**	**29,060.99**	**(3.90)**	**2.22**	**1,62,943.42**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	12,961.57	–	–	–	–	–	–	12,961.57
अन्य व्यापक आय	68.82*	–	–	–	(1,491.75)	65.64	(2.12)	(1,359.41)
कुल व्यापक आय	**13,030.39**	**–**	**–**	**–**	**(1,491.75)**	**65.64**	**(2.12)**	**11,602.16**
अंतिम लाभांश के लिए विनियोजन	(9,640.28)	–	–	–	–	–	–	(9,640.28)
बीमा आरक्षित निधि के लिए विनियोजन (निवल)	(14.41)	–	–	14.41	–	–	–	–
31 मार्च, 2025 को समापन शेष	**1,36,751.56**	**–**	**183.08**	**339.58**	**27,569.24**	**61.74**	**0.10**	**1,64,905.30**

* परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मुल्यांकन

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
ए एस साहनी
अध्यक्ष
DIN-10652030

हस्ता/-
अनुज जैन
निदेशक (वित्त)
DIN-10310088

निदेशक मंडल की ओर से
हस्ता/-
(कमल कुमार ग्वालानी)
कंपनी सचिव
ACS-13737

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म
रजि. नं. 105049W

हस्ता/-
नवीन जैन
पार्टनर
स.सं. 511596

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377

हस्ता/-
अम्बर जैस्वाल
पार्टनर
स.सं. 550715

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 302014E/W101061

हस्ता/-
नरेंद्र खंडाल
पार्टनर
स.सं. 065025

कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034

हस्ता/-
नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा
पार्टनर
स.सं. 226246

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 अप्रैल 2025

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–1क महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

I. कॉर्पोरेट जानकारी

"इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड" ("कंपनी" या "आईओसीएल") के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हैं।

कंपनी भारत में निगमित और स्थित पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसके शेयर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय इंडियनऑयल भवन, जी–9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई में स्थित है।

इंडियनऑयल भारत की प्रमुख महारत्न राष्ट्रीय तेल कंपनी है, जिसके व्यावसायिक हित पूरे हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला – रिफाइनिंग, पाइपलाइन परिवहन और विपणन (मार्केटिंग) से लेकर कच्चे तेल और गैस की खोज और उत्पादन, पेट्रोकेमिकल्स, गैस मार्केटिंग, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और डाउनस्ट्रीम परिचालनों के वैश्वीकरण तक फैले हुए हैं।

वित्तीय विवरणों को 30 अप्रैल, 2025 को हुई अपनी बैठकी में पारित निदेशक मंडल के प्रस्ताव के अनुसार जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

II. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार और अनुपालन का विवरण

1.1 वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत लागू भारतीय लेखा मानकों (भारतीय एएस) और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत समय–समय पर यथा प्रोद्भवन आधार पर तथा संशोधित नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

1.2 वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, केवल निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है–

- डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज़,
- उचित मूल्य पर मापित कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां (वित्तीय दस्तावेज़ों के संबंध में लेखांकन नीतियों की क्रम संख्या 16 देखें) और
- कर्मचारी हित लाभ से संबंधित योजना परिसंपत्तियां (कर्मचारी लाभों के संबंध में लेखा नीतियों की क्रम संख्या 12 देखें)

1.3 वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की प्रस्तुति और मुख्य मुद्रा है और जब अन्यथा न बताया जाए सभी मूल्यों को निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) तक पूर्णांकित किया जाता है।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी पी ई)

2.1.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को तुलन–पत्र में, किसी भी संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि (यदि कोई हो) को घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है, पूर्ण–स्वामित्व भूमि को छोड़कर जिसे ऐतिहासिक लागत पर ले जाया जाता है।

2.1.2 संयंत्रों/सुविधाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी/लाइसेंस शुल्क और विशिष्ट सॉफ्टवेयर जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं, को अंतर्निहित परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

2.1.3 स्पेयर पार्ट्स का पूंजीकरण तब किया जाता है जब वे पी पी ई की परिभाषा को पूरा करते हैं, यानी, जब कंपनी का इरादा 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए इनका उपयोग करने का हो।

2.1.4 परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार पर्यावरण उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों को परियोजना की प्रगति के आधार पर या वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो, उसके आधार पर परियोजना लागत के रूप में माना जाता है।

2.1.5 भारतीय एएस में परिवर्तन पर, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 को मान्यता प्राप्त अपने सभी पीपीई के लागत मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है और उस लागत मूल्य को पी पी ई की मानी गई लागत के रूप में उपयोग करना है।

2.2 पूंजीगत चालू कार्य (सी डब्लयू आई पी)

2.2.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर होने वाला व्यय सीडब्ल्यूआईपी के तहत लागत पर वहन किया जाता है।

2.2.2 निर्माण अवधि व्यय

निर्माण अवधि के दौरान किए गए परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार राजस्व व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।

निर्माण अवधि के दौरान विशेष रूप से उधार लिए गए ऋणों पर उधार लेने की लागत और पूंजीकरण की तारीख तक तिमाही आधार पर परियोजनाओं के लिए पूंजीकृत किया जाता है।

परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य उधार पर आने वाली उधार लागत, यदि कोई हो, ऊपर उल्लिखित को छोड़कर अन्य सभी उधार की भारित औसत लागत पर पूंजीकृत की जाती है। इस तरह के उधार की राशि का निर्धारण आंतरिक उपार्जन की राशि का समायोजन करने के बाद तिमाही आधार पर किया जाता है।

2.2.3पूंजीगत भंडार

पूंजीगत भंडारों का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो, मूल्य में संभावित कमी के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है।

2.3 अमूर्त परिसंपत्ति और परिशोधन

2.3.1 उत्पादन प्रक्रिया और प्रक्रिया डिजाइन से संबंधित तकनीकी जानकारी/लाइसेंस शुल्क को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और अंतर्निहित संयंत्र/सुविधा की कालावधि पर सीधी कटौती के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

2.3.2 अनुसंधान चरण में और विकास चरण में किए गए व्यय को आय के लिए प्रभारित किया जाता है, जब तक कि यह पूंजीगत प्रकृति का न हो, आय के लिए भी प्रभारित किया जाता है।

2.3.3 खरीदे गए/विकसित किए गए कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर/लाइसेंस पर होने वाली लागत, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–1क महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी)

अंग विशिष्ट सॉफ़्टवेयर के अलावा, भावी आर्थिक लाभों को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और तिमाही से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है जिसमें ऐसे सॉफ्टवेयर/लाइसेंस पूंजीकृत हैं। हालांकि, जहां ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/लाइसेंस का विकास किया जा रहा है या अभी तक उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ऐसी वस्तुओं पर खर्च की गई संचित लागत को 'विकासशील अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में गिना जाता है।

2.3.4 पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 के अनुसार, अनिश्चित उपयोगी जीवन वाले मार्गों का परिशोधन नहीं किया जाता, बल्कि नकदी–उत्पादक इकाई स्तर पर प्रतिवर्ष उनकी क्षति के लिए जाँच की जाती है। अनिश्चित जीवन के मूल्यांकन की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अनिश्चित जीवन अभी भी सहनीय है। यदि नहीं, तो अनिश्चित से परिमित उपयोगी जीवन में परिवर्तन भावी आधार पर किया जाता है।

2.3.5 अर्जित की गई अमूर्त परिसम्पत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। एक व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि पर इसके उचित मूल्य पर आधारित होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसम्पत्ति को किसी भी संचित परिशोधन और संचित विच्छेदन हानि को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त के मामले में, विकास लागत को परिसम्पत्ति के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब सभी मान्यता मानदंड पूरे हो जाते हैं।

2.3.6 अमूर्त परिसंपत्ति को सीधी कटौती के आधार पर उपयोगी कालावधि पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त परिसंपत्ति खराब हो सकती है तो हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधन अवधि और परिमित उपयोगी कालावधि के साथ अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति की खपत के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या पद्धति को उपयुक्त रूप में संशोधित करने के लिए माना जाता है, और इसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में अभिलेखित किया जाता है जब तक कि ऐसा व्यय किसी अन्य संपत्ति के लागत मूल्य का हिस्सा न हो।

2.3.7 भारतीय एएस अपनाने पर, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 को रिकॉर्ड की गई अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लागत मूल्य को जारी रखना चुना है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है और उस लागत मूल्य को अमूर्त परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में उपयोग किया है।

2.3.8 पूंजीकरण/बिक्री, निपटान/या निपटान के लिए निर्धारित तिमाही से/तक की परिसंपत्तियों के आधार पर परिशोधन पर यथानुपात प्रभारित किया जाता है।

2.4 मूल्यह्रास

2.4.1 पूर्णस्वामित्व की भूमि को छोड़कर पीपीई की लागत (अवशिष्ट मूल्य का निवल) अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी कालावधि के अनुसार सीधी कटौती पद्धति पर मूल्यह्रास किया जाता है, सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों के मामले में–

क. तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी बने रहने की अवधि

- रिटेल आउटलेट्स (भंडारण टैंक और संबंधित उपकरणों के अलावा), एलपीजी सिलिंडर और प्रेशर रेगुलेटरों से संबंधित संयंत्र और उपकरण के लिए 15 वर्ष।
- डिस्पेंसिंग यूनिट के लिए 10 वर्ष
- सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 25 वर्ष
- अनुसंधान एवं विकास केंद्र की कतिपय परिसंपत्तियां (15–25 वर्ष)
- सीजीडी व्यवसाय की कतिपय परिसंपत्तियां, (कंप्रेसर / बूस्टर कंप्रेसर और डिस्पेंसर – 10 वर्ष, कैस्केड – 20 वर्ष)
- ल्यूब्रकैंट्स के लिए पैकेजिंग सामग्री के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले मोल्ड – 5 वर्ष
- अन्य मामलों में, जैसे स्पेयर पार्ट्स आदि (2–30 वर्ष)

ख) विशिष्ट समझौता उदाहरण के लिए सक्षम परिसंपत्ति आदि के मामले में, समझौते या अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार उपयोगी कालावधि, जो भी कम हो,

ग) पट्टाधारित भूमि पर निर्मित अचल संपत्ति के मामले में, अधिनियम की अनुसूची–II के अनुसार उपयोगी कालावधि या भूमि की पट्टा अवधि (पट्टों के लिए विचार की गई संविदा पट्टा अवधि के अलावा नवीकरण/संभावित नवीकरण अवधि पर विचार करते हुए), जो भी कम हो।

घ) ऐसे मामले में जहां उपयोगी जीवन अन्य प्रासंगिक क़ानून या किसी विनियम के अनुसार अनिवार्य है।

कंपनी मुख्य परिसंपत्ति के घटकों का मूल्यह्रास करती है जो काफी मूल्यवान हैं और मुख्य परिसंपत्ति की तुलना में अलग–अलग उपयोगी कालावधि हैं। कंपनी उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से पुर्जों (स्पेयर्स) की कालावधि पर मूल्यह्रास करती है।

2.4.2 मूल्यह्रास, पूंजीकरण/ बिक्री, निपटान / या निपटान के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के माह से /तक की परिसंपत्तियों पर यथानुपाती मासिक आधार पर प्रभारित किया जाता है।

2.4.3 मूल्यह्रास पिछले अनुभव को देखते हुए लगाया जाता है और आम तौर पर यह परिसंपत्तियों की लागत को छोड़कर 0% से 5% के बीच होता है, सिवाय

क. स्टील एल पी जी सिलेंडर और प्रेशर रेगुलेटर के मामले में, अवशिष्ट मूल्य को 25% माना जाता है और फाइबर कम्पोजिट एल पी जी सिलेंडर के मामले में, अनुमानित वसूली योग्य मूल्य के आधार पर अवशिष्ट मूल्य 10% माना जाता है।

ख. उत्कृष्ट धातु सामग्री वाले उत्प्रेरक के मामले में, धातु सामग्री की लागत के आधार पर अवशिष्ट मूल्य पर विचार किया जाता है और

ग. कुछ मामलों में संबंधित समझौते में सहमत अंतरण मूल्य के आधार पर अवशिष्ट मूल्य पर विचार किया जाता है।

2.4.4 एल पी जी सिलेंडरों और प्रेशर रेगुलेटरों के अलावा अन्य पी पी ई का पूंजीकरण वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है, जिसकी कीमत 5,000 रुपये प्रति मद तक हो। इसके अलावा, उत्कृष्ट धातु सामग्री और प्रमुख ओवरहाल / निरीक्षण को छोड़कर उत्प्रेरक जैसे पुर्जों, घटकों का भी उनके संबंधित उपयोगी कालावधि पर पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी)

2.4.5 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी कालावधि और पी पी ई के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो भविष्यलक्षी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

3. पट्टे

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में मूल्यांकन करती है कि क्या अनुबंध पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। अर्थात्, क्या अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी तय संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

3.1 पट्टेदार के रूप में पट्टे (किराये पर ली गई परिसंपत्तियां)

कंपनी अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है। कंपनी पट्टा भुगतान करने के लिए पट्टा देयताओं और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को मान्यता देती है।

3.1.1 पट्टे की देयताएं

पट्टे की शुरुआत की तारीख में, कंपनी पट्टा अवधि में किए जाने वाले पट्टे के भुगतान के मौजूदा मूल्य पर मापी गई संविदात्मक पट्टे की देनदारियों को मानती है, जिसके लिए प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हैं। पट्टे के भुगतान के मौजूदा मूल्य की गणना में, कंपनी पट्टे की प्रारंभ तिथि पर वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है बशर्ते पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं हो। प्रारंभ तिथि के बाद, पट्टे की देनदारियों की राशि ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ा दी जाती है और पट्टे के भुगतान के लिए कम कर दी जाती है।

3.1.2 उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियां

कंपनी उपयोग के अधिकार राइट-ऑफ-यूज (आरओयू) वाली परिसंपत्तियों को पट्टे की प्रारंभ तिथि (अर्थात, परिसंपत्ति जिस तारीख से उपयोग के लिए उपलब्ध हो) से गणना में लाती है। राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जमा की गई मूल्यह्रास और ह्रास हानियों को घटाकर, और किसी भी पट्टे की देनदारियों के पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। भूमि से संबंधित बेमियादी उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं होता है, लेकिन क्षति हानि, यदि कोई हो, के लिए उनका परीक्षण किया जाता है।

3.1.3 अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अपने अल्पकालिक पट्टों के लिए अल्पकालिक पट्टा मान्यता छूट लागू करती है (अर्थात, वे पट्टे जिनकी पट्टे की अवधि शुरू होने की तारीख से 12 महीने या उससे कम है और जिसमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है)। यह उन पट्टों पर कम मूल्य की संपत्ति मान्यता छूट के पट्टे को भी लागू करता है जिन्हें कम मूल्य का माना जाता है और जो उप-ठेके के लिए अभिप्रेत नहीं है। अल्पकालिक पट्टों और कम-मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर सीधी कटौती के आधार पर व्यय के रूप में माना जाता है यदि वह आधार पट्टेदार के लाभ के पैटर्न का अधिक निरूपक है।

3.2 पट्टेदार के रुप में लीज़

3.2.1 जब कंपनी पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो यह पट्टे के प्रारंभ में यह निर्धारित करती है कि यह वित्तीय पट्टा है या परिचालन पट्टा।

परिचालन पट्टे से किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि में सीधी कटौती के आधार पर माना जाता है, सिवाय इसके कि जहां एक और व्यवस्थित आधार पट्टे पर दी गई संपत्ति से प्राप्त लाभ के समय पैटर्न का अधिक निरूपक हो।

वित्त पट्टे पर दी गई सभी परिसंपत्तियों को पट्टे में निवल निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में दिखाया गया है। पट्टा प्राप्तियों के प्रमुख घटक को बकाया प्राप्तियों के सामने समायोजित किया जाता है और ब्याज आय का लेखा निवल निवेश के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर को लागू कर किया जाता है।

3.2.2 जब कंपनी मध्यवर्ती पट्टेदार होती है तो वह शीर्ष पट्टे और उप-पट्टे में अपने हितों का अलग-अलग हिसाब रखती है। यह मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली आर ओ यूपरिसंपत्ति के संदर्भ में उप-पट्टे के पट्टा वर्गीकरण का आकलन करता है, न कि अंतर्निहित परिसंपत्ति के संदर्भ में, यदि कोई शीर्ष पट्टा अल्पकालिक पट्टा है जिस पर कंपनी उपरोक्त अल्पकालिक पट्टा छूट लागू करती है, तो यह उप-पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है।

4. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति (ई एंड पी परिसंपत्तियों की क्षति के लिए अनुच्छेद 14 भी देखें)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली यूनिट (सी जी यू) की उचित मूल्य कम निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। क्षति हानि की पहचान तब की जाती है जब किसी परिसंपत्ति की लागत राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाए।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग कर उनके मौजूदा मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के मौजूदा बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

कंपनी विस्तृत बजट और पूर्वानुमान गणनाओं पर अपनी क्षति गणना को आधार बनाती है, जो कंपनी के प्रत्येक सी जी यू के क्षति अलग से तैयार की जाती है, जिसमें अलग परिसंपत्ति आवंटित की जाती है। ये बजट और पूर्वानुमान गणना आम तौर पर 15 वर्षों की अवधि को कवर करते हैं। लंबी अवधि के लिए, दीर्घकालिक विकास दर की गणना की जाती है और पंद्रहवें वर्ष के बाद भावी नकदी प्रवाह को दर्शाने के लिए लागू किया जाता है। नकदी प्रवाह परियोजना का अनुमान लगाने के लिए हाल के बजटों/पूर्वानुमानों द्वारा कवर की गई अवधियों से परे, कंपनी बाद के वर्षों के लिए स्थिर या घटती विकास दर का उपयोग कर बजट में नकदी प्रवाह अनुमानों की गणना तब तक करती है, जब तक कि बढ़ती दर को उचित नहीं ठहराया जा सके।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी)

5. उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत जो अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण उधार लेने की लागत को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। उधार लेने की लागत का पूंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है जब अर्हक संपत्ति पर सक्रिय विकास गतिविधि अस्थायी आधार के अलावा अन्य बाधित होती है और ऐसी विस्तारित अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में अभिलेखित किया जाता है जिसमें वह खर्च किया जाता है।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

6.1 विदेशी मुद्रा में लेनदेन शुरू में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं।

6.2 रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं (जैसे नकद, प्राप्य, देय आदि) में मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदों का उस तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है।

6.3 विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदें (जैसे पीपीई, अमूर्त परिसंपत्तियां, इक्विटी निवेश, पूंजी/राजस्व अग्रिम, जिनका नकद में निपटान अपेक्षित नहीं है, आदि) उचित मूल्य पर मापी गई मदों को छोड़कर, लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज की जाती हैं।

विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का विनिमय दरों का उपयोग उस तिथि पर किया जाता है जब उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है। उचित मूल्य पर मापित गैर-मौद्रिक वस्तुओं के रूपांतरण पर होने वाले लाभ या हानि को वस्तु के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ या हानि की मान्यता के अनुरूप माना जाता है (अर्थात, उन वस्तुओं पर रूपांतरण अंतर जिनके उचित मूल्य लाभ या हानि अन्य समग्र आय (ओ सी आई) में मान्यता प्राप्त है या लाभ और हानि के विवरण को ओ सी आई या क्रमशः लाभ और हानि के विवरण में भी अभिलेखित किया जाता है)।

6.4 रूपांतरण या निपटान के समय विनिमय दरों में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में या तो शीर्ष विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव या ब्याज लागत के तहत उधार लेने की लागत, जैसा भी हो,नीचे उल्लिखित ऋणों से संबंधित को छोड़कर, उसके समायोजन के रूप में माना जाता है।

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित 31 मार्च 2016 को या उससे पहले प्राप्त या पुनर्वित्त किए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋण पर विनिमय अंतर को परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में समायोजित किया जाता है और परिसंपत्तियों के शेष जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है।

7. वस्तुसूची

7.1 कच्चा माल और प्रक्रियाधीन स्टॉक

7.1.1 कच्चे तेल सहित कच्चे माल का मूल्यांकन भारित औसत आधार या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर किया जाता है। प्रक्रियाधीन स्टॉक का मूल्यांकन कच्चे माल की लागत और लागू होने वाली प्रसंस्करण लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। ट्रांज़िट में कच्चे तेल का मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

7.1.2माल की प्रारंभिक लागत में कच्चे माल की खरीद के संबंध में ओ सी आई में मान्यता प्राप्त योग्य नकदी प्रवाह बचाव पर लाभ और हानि का अंतरण शामिल है।

7.2 तैयार उत्पाद और व्यापार स्टॉक

7.2.1लुब्रिकेंट्स के अलावा तैयार उत्पाद और व्यापार में स्टॉक का मूल्य 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' के आधार पर या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित किया जाता है। तैयार उत्पादों की लागत कच्चे माल की लागत और प्रसंस्करण लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है।

7.2.2 लुब्रिकेंट का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। आंतरिक रूप से उत्पादित लुब्रिकेंट्स की लागत इनपुट और प्रसंस्करण लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है।

7.2.3 पारगमन में आयातित उत्पादों का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है।

7.3 स्टोर्स और स्पेयर्स

7.3.1 स्टोर्स और स्पेयर्स (केमिकल पैकिंग कंटेनर यानी खाली बैरल, टिन आदि सहित) का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है। मूल्य में संभावित कमी के लिए निर्धारित अप्रचलित स्टोर्स और पुर्जों और रसायनों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, मूल्य में संभावित कमी की दिशा में बैलेंस स्टोर्स और स्पेयर्स (बैरल, टिन, ट्रांजिट में स्टोर, रसायन/उत्प्रेरक, कच्चा तेल, और स्वयं के उत्पादों को छोड़कर) पर लागत की 5% की दर से प्रावधान किया गया है।

7.3.2 ट्रांजिट में स्टोर्स और स्पेयर्स का मूल्य लागत पर किया जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

8.1 प्रावधान

प्रावधानों को तब माना जाता है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप मौजूदा दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, तो यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्गमन होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान हो सकता।

8.2 डिकमीशनिंग का दायित्व

अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग कर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित लागत के मौजूदा मूल्य पर विमुक्ति लागत प्रदान की जाती है और विशेष संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में माना जाता है। नकदी प्रवाह को मौजूदा कर-पूर्व दर पर छूट दी जाती है जो कि डिकमीशनिंग देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। छूट की समाप्ति को व्यय के रूप में खर्च किया जाता है और वित्तीय लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में अभिलेखित किया जाता है। डिकमीशनिंग की अनुमानित भावी लागत की सालाना समीक्षा की जाती है और यथा उपयुक्त समायोजित किया जाता है। अनुमानित भावी लागत या लागू छूट दर में परिवर्तन को परिसंपत्ति की लागत में समायोजित किया जाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी)

8.3 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

8.3.1 विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को आम तौर पर दायित्व के रूप में नहीं माना जाता है। जब इस तरह के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ मांग नोटिस दिए जाते हैं और कंपनी द्वारा विवादित होते हैं, तो इन्हें विवादित दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

8.3.2 विवादित दायित्वों के संबंध में व्यवहार निम्नानुसार है -

क) वर्तमान दायित्वों के संबंध में एक प्रावधान माना जाता है जहां ऊपर 8.1 के अनुसार संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है;

ख) अन्य सभी मामलों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना बहुत कम हो।

8.3.3 एक आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया जाता है जहां आर्थिक लाभ की आमद संभावित होती है।

8.3.4 आकस्मिक देयताओं/परिसंपत्तियों को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है और वर्तमान प्रबंधन के अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को इसकी समीक्षा की जाती है।

9. राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व

9.1. आय तब मानी जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर अंतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है।

कंपनी ने आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि कुछ एजेंसी सेवाओं को छोड़कर, यह अपनी आय व्यवस्था में प्रमुख है, क्योंकि यह आम तौर पर ग्राहकों को हस्तांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करती है।

कंपनी इस बात पर विचार करती है कि क्या अनुबंध में अन्य वादे हैं जो अलग-अलग निष्पादन दायित्व हैं जिनके लिए लेनदेन मूल्य के एक हिस्से को आवंटित करना है (उदाहरण के लिए, ग्राहक लॉयल्टी पॉइंट)। उत्पादों की बिक्री के लिए लेन-देन मूल्य का निर्धारण करने में, कंपनी परिवर्तनीय प्रतिफल के प्रभावों, महत्वपूर्ण वित्तीय घटकों के अस्तित्व, गैर-नकद प्रतिफल और ग्राहक को देय प्रतिफल पर विचार करती है (यदि कोई हो)।

9.2 पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, कच्चे तेल और गैस की बिक्री से होने वाली आय को एक समय पर, आमतौर पर उत्पादों की डिलीवरी पर अभिलेखित किया जाता है। डीलरों और सेवा अनुबंधों से गैर-वापसी योग्य जमा के मामले में कंपनी इनपुट पद्धति (व्यतीत समय के आधार पर) का उपयोग कर समय के साथ आय को मानती है। निर्माण अनुबंधों के मामले में, लागत और कुल अनुबंध लागत की तुलना कर इनपुट पद्धति का उपयोग कर अनुबंध की प्रगति को मापकर आय और लागत को पहचाना जाता है।

9.3 कंपनी ने यह मान लिया है कि उत्पाद शुल्क की वसूली कंपनी को उसके अपने खाते में आती है। यह इस कारण से है कि यह निर्माता का दायित्व है जो उत्पादन की लागत का हिस्सा बनता है, भले ही माल बेचा गया हो या नहीं। चूंकि उत्पाद शुल्क की वसूली कंपनी के अपने खाते में आती है, अतः आय में उत्पाद शुल्क शामिल है।

हालांकि, बिक्री कर/माल और सेवा कर (जी एस टी) और मूल्य वर्धित कर (वी ए टी) कंपनी को अपने खाते में प्राप्त नहीं होता है। बल्कि, यह सरकार की ओर से विक्रेता द्वारा उत्पाद में जोड़े गए मूल्य पर कर एकत्र किया जाता है। तदनुसार, इसे आय से बाहर रखा गया है।

9.4 परिवर्तनीय प्रतिफल

इस अवधि के दौरान खरीदे गए उत्पादों की मात्रा अनुबंध में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाने पर कंपनी कुछ ग्राहकों को वॉल्यूम छूट प्रदान करती है। ग्राहक द्वारा देय राशियों के सामने छूट की भरपाई की जाती है। वॉल्यूम छूट/नकद छूट परिवर्तनीय प्रतिफल को जन्म देती है। अपेक्षित भावी छूट/नकद छूट के लिए परिवर्तनशील प्रतिफल का अनुमान लगाने के लिए, कंपनी एकल-वॉल्यूम सीमा वाले अनुबंधों के लिए सबसे संभावित राशि पद्धति और एक से अधिक वॉल्यूम सीमा वाले अनुबंधों के लिए अपेक्षित मूल्य पद्धति को लागू करती है। परिवर्तनीय प्रतिफल की राशि का सबसे अच्छा अनुमान लगाने वाली चयनित विधि मुख्य रूप से अनुबंध में निहित मात्रा सीमा की संख्या द्वारा संचालित होती है और तदनुसार, प्रचालनों से राजस्व में उचित समायोजन के साथ कंपनी अपेक्षित भावी छूट के लिए धन वापसी देयता को पहचानती है।

9.5 लॉयल्टी पॉइंट

कंपनी निष्ठा अंकों की विभिन्न योजनाएं संचालित करती है। ग्राहक के निष्ठा अंकों को आवंटित लेनदेन मूल्य उनके सापेक्ष अनुमानित स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर आधारित होता है और इसे माल की बिक्री से आय से घटा दिया जाता है। ग्राहक निष्ठा अंकों के स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य का अनुमान लगाते समय, विकल्प का प्रयोग करने की संभावना को समायोजित किया जाता है। जहां कहीं भी कंपनी इस व्यवस्था में एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, वहां कंपनी आय को शुद्ध आधार पर मानती है

10. उत्पाद शुल्क

उत्पाद शुल्क का लेखा-जोखा दोनों के आधार पर किया जाता है, माल की निकासी के संबंध में किए गए भुगतान और स्टॉक में पड़े माल के लिए किए गए प्रावधान। स्टॉक के मूल्य में जहां भी लागू हो, तैयार माल पर देय / भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क शामिल है।

11. आय पर कर

11.1 मौजूदा आयकर

मौजूदा कर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित मौजूदा आयकर को लाभ या हानि के बाहर (या तो अन्य समग्र आय या इक्विटी में) माना जाता है। प्रबंधन समय-समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन के संबंध में करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी)

11.2 आस्थगित कर

11.2.1 आस्थगित कर रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी वहन राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर तुलन-पत्र पद्धति का उपयोग कर प्रदान किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर मापा जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

11.2.2 लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (या तो अन्य समग्र आय या इक्विटी में) के बाहर माना जाता है।

12. कर्मचारी हितलाभ

12.1 अल्पावधि लाभ :

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों का हिसाब उस अवधि के लिए लाभ व हानि के विवरण में लगाया जाता है, जिसके दौरान सेवाएं प्रदान की गई हैं।

12.2 रोज़गार के बाद के हितलाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ:

क) भविष्य निधि में कंपनी का योगदान पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित अलग-अलग ट्रस्टों को प्रेषित किया जाता है और लाभ और हानि / सी डब्ल्यू आई पी के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है। सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिलाभ दर के आधार पर निधि परिसंपत्तियों में कमी होने पर उसे कंपनी द्वारा पूरा किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण/सी डब्ल्यू आई पी पर प्रभारित किया जाता है।

ख) कंपनी ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, पुनर्वास, सम्मान योजना, अनुग्रह राशि के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन करती है। इस तरह के परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग कर निर्धारित की जाती है। इन योजनाओं में से, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ संबंधित ट्रस्टों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

ग) वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग कर अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों जैसे छुट्टी नकदीकरण और लंबी सेवा पुरस्कारों पर दायित्व प्रदान किए जाते हैं। इन दायित्वों में से, छुट्टी नकदीकरण दायित्वों को बीमा कंपनियों के साथ बनाई गई योग्य बीमा पॉलिसियों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

घ) कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए एक परिभाषित योगदान योजना भी संचालित करती है और योगदान एक अलग ट्रस्ट/कॉर्पोरेट एनपीएस को प्रेषित किया जाता है।

12.3 पुनर्मापन-

बीमांकिक लब्धियों और हानियों तथा योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति (निवल निर्धारित अनुलाभ दायित्व पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) को शामिल करते हुए किए गए पुनर्मापन को जिस अवधि में ऐसा हुआ है उस अवधि में अन्य समग्र आय (ओसीआई) के माध्यम से प्रतिधारित आय के संबंधित नामे या जमा के साथ तुलन-पत्र में तुरंत निर्धारित किया जाता है। पुनर्मापनों को बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है। अन्य दीर्घकालिक अनुलाभों से संबंधित पुनर्मापनों को लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

13. अनुदान

13.1 परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान (पूंजीगत अनुदान)

मूल्यह्रास योग्य संपत्ति से संबंधित अनुदान के मामले में, परिसंपत्ति की लागत को सकल मूल्य पर दिखाया जाता है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है जिसे "अन्य परिचालन आय" के रूप में माना जाता है, आमतौर पर अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में और जिस अनुपात में मूल्यह्रास लगाया जाता है।

13.2 आय से संबंधित अनुदान (राजस्व अनुदान)

आय अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान माना जाता है जिसमें यूनिट संबंधित लागत के रूप में अभिलेखित करती है जिसके लिए अनुदान की प्रतिपूर्ति करने का आशय हो।

सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित योजनाओं के अनुसार, जहां भी लागू हो, अंतिम समायोजन के अधीन, कम वसूली के लिए सब्सिडी और बजटीय सहायता को "परिचालन से आय" में दर्ज किया जाता है।

आय अनुदान आम तौर पर "अन्य परिचालन आय" के तहत दर्ज किया जाता है, कुछ अनुदानों को छोड़कर जिसमें मुख्य रूप से उत्तर पूर्व उत्पाद शुल्क और प्रवेश कर छूट शामिल होती है, जो संबंधित व्यय के साथ निवल राशि हो जाती है।

13.3 जब ऋण या इसी तरह की सहायता सरकारों या संबंधित संस्थानों द्वारा मौजूदा लागू बाजार दर या शून्य ब्याज दर से कम ब्याज दर के साथ प्रदान की जाती है, तो इस अनुकूल ब्याज के प्रभाव को सरकारी अनुदान माना जाता है। ऋण या सहायता को शुरू में उचित मूल्य पर माना और मापा जाता है और सरकारी अनुदान को ऋण के प्रारंभिक लागत मूल्य और प्राप्त आय के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। ऋण को बाद में वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है। अनुदान का वर्गीकरण अनुदान के नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है अर्थात चाहे अनुदान संपत्ति से संबंधित हो या अन्यथा।

14. तेल और गैस अन्वेषण गतिविधियां

14.1 अधिग्रहण-पूर्व लागत :

तेल और गैस का पता लगाने, विकसित करने और उत्पादन करने के अधिकार (अधिकारों) को प्राप्त करने से पहले किए गए व्यय को खर्च होने समायोजन किया जाता है।

14.2 अन्वेषण चरण :

अन्वेषण के तहत परियोजनाओं से संबंधित अधिग्रहण लागत को शुरू में "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में गिना जाता है। अमूर्त

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी)

के रूप में वर्गीकृत तेल और गैस संपत्तियों पर खर्च में अन्वेषण और खोजपूर्ण ड्रिलिंग लागत के अर्जित अधिकार शामिल हैं।

तेल और गैस की खोज में किए गए सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण गतिविधियों की लागत को उस वर्ष में अन्वेषण लागत के रूप में खर्च किया जाता है जिसमें ये खर्च किए जाते हैं।

यदि परियोजना तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर व्यवहार्य नहीं है, तो अन्वेषणीय कुओं से संबंधित सभी लागतों को उस वर्ष में खर्च किया जाता है जब सूखा होना निर्धारित हो। यदि परियोजना व्यवहार्य साबित होती है, तो अन्वेषणीय कुओं की ड्रिलिंग से संबंधित सभी लागतों को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में प्रस्तुत करना जारी रखा जाएगा।

14.3 विकास चरण:

विकास चरण के तहत परियोजनाओं से संबंधित अधिग्रहण लागत को "जारी पूंजीगत कार्य" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

जब कोई कुआं वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार होता है, तो प्रमाणित विकसित तेल और गैस भंडार के अनुरूप पूंजीकृत लागत को "पूरे हुए कुओं/उत्पादन वाले कुओं" के रूप में "पूंजीगत कार्य-प्रगति/विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" से सकल ब्लॉक संपत्तियां में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। तेल और गैस संपत्तियों के उदाहरण जिन्हें मूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनमें विकास ड्रिलिंग लागत, पाइपिंग और पंप और उत्पादित कुएं शामिल हैं।

14.4 उत्पादन चरण

उत्पादन लागत में मूल्यह्रास सहित प्री-वेल हेड और पोस्ट-वेल हेड खर्च शामिल हैं और सहायक उपकरण और सुविधाओं की लागू परिचालन लागत को हटा दिया गया है।

प्रमाणित और विकसित भंडारों के आधार पर उत्पादन पद्धति की यूनिट का उपयोग कर कमी की गणना की जाती है।

14.5 परित्याग चरण

विकास/उत्पादन चरण के मामले में, परित्याग/डिकमिशनिंग राशि को अनुमानित भावी व्यय के मौजूदा मूल्य पर माना जाता है। छूट को समाप्त करने के अलावा अनुमानित डिकमीशनिंग व्यय के मौजूदा मूल्य में कोई भी परिवर्तन डिकमिशनिंग प्रावधान और संबंधित परिसंपत्ति के लागत मूल्य में समायोजित किया जाता है। प्रावधान पर छूट को समाप्त करना लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में लगाया जाता है।

14.6 ई एंड पी परिसम्पत्तियों की क्षति

14.6.1 विकास और उत्पादन परिसंपत्तियों के मामले में क्षति परीक्षण

ई एंड पी से संबंधित विकास और उत्पादन परिसंपत्तियों के मामले में, तेल और प्राकृतिक गैस की भावी कीमतों, उत्पादन की मात्रा, साबित और संभावित आरक्षित मात्रा और छूट दर के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान का उपयोग कर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है। उपयोग की अवधारणा में मूल्य के आधार पर अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है। उपयोग में मूल्य अनुमानित तेल या गैस उत्पादन प्रोफाइल द्वारा उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह पर आधारित है, जो प्रत्येक उत्पादक क्षेत्र के उत्पादन की समाप्ति की अपेक्षित तारीखों तक है, प्रमाणित और संभावित भंडार के मौजूदा अनुमानों और उचित और समर्थन योग्य वित्तीय अनुमानों के आधार पर है जो मौजूदा आर्थिक स्थितियों की सीमा के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान दर्शाते हैं जो परिसंपत्ति के शेष उपयोगी कालावधि तक रहेंगे। प्रबंधन परिसंपत्ति की शेष उपयोगी कालावधि पर आर्थिक स्थितियों की सीमा का दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेता है और आर्थिक स्थितियों में अपेक्षाकृत अल्पकालिक परिवर्तनों पर आधारित नहीं होता है। तथापि, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों की क्षति पैरा 14.6.2 के अनुसार की जानी है

14.6.2 अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के मामले में क्षति

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों का परीक्षण क्षति के लिए किया जाता है जहां क्षति के लिए एक संकेतक मौजूद होता है। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि की गणना करते समय, 14.6.1 में उल्लिखित कारकों के अलावा, संबंधित निहित जोखिमों को उचित रूप से समायोजित करने के बाद प्रबंधन के कुल मौजूदा भंडार और संसाधनों के सर्वोत्तम अनुमान (संभावित और आकस्मिक आरक्षित सहित) पर विचार किया जाता है। क्षति हानि को बाद में उलट दिया जाता है, इस हद तक कि क्षति की स्थितियां अब मौजूद नहीं हैं।

14.6.3 नकद अर्जित करने वाली यूनिट

ई एंड पी परिसंपत्तियों के मामले में, कंपनी आम तौर पर एक परियोजना को नकदी अर्जन करने वाली यूनिट के रूप में मानती है। हालांकि, ऐसे मामले में जहां कई क्षेत्र सामान्य उत्पादन/परिवहन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और पर्याप्त रूप से आर्थिक रूप से अन्योन्याश्रित हैं, वहां उन्हें एकल नकद उत्पादन यूनिट का गठन माना जाता है।

14.7 कंपनी संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली तेल और गैस परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा रखती है, जिसमें वह गैर-प्रचालक है और केवल भागीदारी हित रखती है, जो परिसंपत्तियों के संचालक द्वारा अपनाए गए लेखांकन अनुमानों और निर्णयों पर आधारित है।

15. मौजूदा बनाम गैर-मौजूदा वर्गीकरण

कंपनी बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण को निर्धारित करने के लिए बारह महीने की अवधि का उपयोग करती है।

16. वित्तीय लिखतें

16.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्य जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

बाद के माप

बाद के माप के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है-

- परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज़ (एफवीटीओसीआई)
- अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी दस्तावेज़ (एफवीटीओसीआई)
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां और डेरिवेटिव्ज़ (एफवीटीपीएल)

16.1.1 परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है बशर्ते निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों-

क) परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया मूलधन पर होता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग कर परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है और शुल्क या लागत जो ई आई आर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। क्षति से होने वाली हानियों को लाभ या हानि में पहचाना जाता है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्माप से उत्पन्न होने वाली किसी भी आय या व्यय को लाभ और हानि के विवरण में अभिलेखित किया जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

16.1.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण दस्तावेज़

'ऋण दस्तावेज़' को एफ वी टीओ सी आई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाए:

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र कर और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान का निरूपण करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण दस्तावेज़ों को शुरू में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य बदलावों को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में अभिलेखित किया जाता है। हालांकि, कंपनी लाभ और हानि के विवरण में ब्याज आय, विच्छेदन हानि और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मानती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से रिकार्ड संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण दस्तावेज़ों को धारण करते हुए अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग कर ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

16.1.3 इक्विटी दस्तावेज़

क. सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और एसोसिएट्स में इक्विटी निवेश

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश का वित्तीय विवरणों में लागत पर हिसाब लगाया जाता है और क्षति के किसी भी संकेत के मामले में क्षति के लिए इसका परीक्षण किया जाता है।

ख. एफवीटीओसीआई में संयुक्त उद्यमों में शेयर वारंट

संयुक्त उद्यमों के शेयर वारंट में निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है और कंपनी ने अन्य समग्र आय में उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने का अप्रतिसंहरणीय चुनाव किया है।

ग. एफवीटीओसीआई में सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं में इक्विटी निवेश।

ऐसे सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और कंपनी ने अन्य समग्र आय के उचित मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तन प्रस्तुत करने के लिए अप्रतिसंहरणीय चुनाव किया है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ-हानि के विवरण तक की राशि में कोई रिसाइकल नहीं है।

घ. जब कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो लाभांश आय को लाभ-हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

16.1.4 एफवीटीपीएल पर ऋण दस्तावेज़ और डेरिवेटिव

एफवीटीपीएल ऋण दस्तावेज़ों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण दस्तावेज़, जो परिशोधन लागत पर या एफ वी टीओ सी आई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज़ भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय ए एस 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग दस्तावेज़ों के रूप में नामित नहीं किया गया है। एफ वी टी पी एल श्रेणी में शामिल ऋण दस्तावेज़ों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। ऐसे दस्तावेज़ों पर ब्याज की आय को ब्याज की आय के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

16.1.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की अनर्जकता

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की अनर्जक हानि का मापन करने और निर्धारित करने के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है जिसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा राशियां, व्यापार प्राप्तियां और बैंक शेष जैसी मापी गई लागत पर मापा जाता है।

इस अवधि के दौरान निर्धारित ईसीएल अनर्जक हानि स्वीकृति (या वापसी) को लाभ-हानि के विवरण में व्यय/आय/के रूप में निर्धारित किया जाता है। तुलन-पत्र में, ईसीएल को स्वीकृति के रूप में प्रस्तुत किया गया है यानी, तुलन-पत्र में उन परिसंपत्तियों के मापन के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह स्वीकृति निवल रखाव राशि को कम कर देती है। जब तक परिसंपत्ति को बट्टे खाते

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी)

डालने के मानदंड पूरे नहीं होते, कंपनी सकल रखाव राशि से अनर्जक स्वीकृति को कम नहीं करती है।

सरलीकृत दृष्टिकोण

कंपनी व्यापार प्राप्तियों पर क्षति हानि भत्ता को मानने के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण लागू करने के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही, आजीवन ई सी एल के आधार पर क्षति हानि भत्ता को मान्यता देता है।

कंपनी, व्यावहारिक उपाय के रूप में, अपनी व्यापार प्राप्य राशियों के पोर्टफोलियो पर क्षति हानि भत्ता निर्धारित करने के लिए एक प्रावधान मैट्रिक्स का इस्तेमाल करती है। यह प्रावधान मैट्रिक्स, व्यापार प्राप्य राशियों के संभावित समय पर अपनी पुरानी देखी गई डिफॉल्ट दरों (ऑब्ज़र्व्ड डिफॉल्ट रेट) पर आधारित है और आगामी आकलनों के लिए समायोजित किया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को, पूर्ववृत ऑब्ज़र्व्ड डिफॉल्ट रेट अद्यतित की जाती हैं और इससे आगामी आकलनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। इस आधार पर, कंपनी रिपोर्टिंग तिथि को व्यापार प्राप्य राशियों पर प्रावधान का आकलन करती है।

सामान्य दृष्टिकोण

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षति हानि की पहचान के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो 12-महीने के ई सी एल का उपयोग क्षति हानि के लिए किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया हो, तो आजीवन ई सी एल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, दस्तावेज़ की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो, तो यूनिट 12-महीने के ई सी एल के आधार पर क्षति हानि भत्ता को मान्यता देने के लिए वापस आ जाती है।

आजीवन ई सी एल एक वित्तीय दस्तावेज़ की अपेक्षित कालावधि पर सभी संभावित डिफ़ॉल्ट (चूक) घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली अपेक्षित क्रेडिट हानि है। 12-महीने का ई सी एल, आजीवन ई सी एल का एक हिस्सा है, जो डिफ़ॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभव है।

16.2वित्तीय देयताएं

16.2.1 प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई देनदारियों के मामले में, उन्हें सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत का शुद्ध मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियों के मामले में, लेनदेन लागत सीधे वित्त के अधिग्रहण के कारण होती है और लाभ और हानि के विवरण में सामाजिक देनदारियों को तुरंत मान्यता दी जाती है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज़ों सहित व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं।

16.2.2 बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

क. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देनदारियां और लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज़ भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय ए एस 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग दस्तावेज़ों के रूप में नामित नहीं किया गया है।

व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में अभिलेखित किया जाता है।

ख. परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं जो व्यापार के लिए धारित नहीं हैं और जिन्हें एफ वी टीपीएल के रूप में नामित नहीं किया गया है, को बाद की लेखा अवधि के अंत में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय देनदारियों की वहन मात्रा जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। लाभ और हानि को देनदारियों को अमान्य कर और ई आई आर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि के विवरण में अभिलेखित किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है और शुल्क या लागत जो ई आई आर का एक अभिन्न अंग है। ई आई आर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग. वित्तीय गारंटी अनुबंध

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिनके लिए धारक को होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान करना होता है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर एक देयता के रूप में माना जाता है, लेनदेन लागत के लिए समायोजित किया जाता है जो सीधे गारंटी जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद, देयता को भारतीय लेखा मानक 109 की क्षति आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि के उच्चतर पर मापा जाता है और शुरुआत में भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों के अनुसार मान्यता प्राप्त कम संचयी आय की राशि को मापा जाता है।

16.3 डेरिवेटिव साधन – प्रारंभिक मान्यता / अनुवर्ती मापन

डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज़ों को शुरू में उचित मूल्य पर माना जाता है, जिस तारीख को डेरिवेटिव अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। डेरिवेटिव के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों की गणना हेजिंग दस्तावेज़ों के रूप में डेरिवेटिव के नामांकन या गैर-नामांकन पर निर्भर करती है। डेरिवेटिव्स को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में तब ले जाया जाता है जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देनदारियों के रूप में जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी)

16.3.1 हेज लिखतों के रूप में निर्धारित डेरिवेटिव

कंपनी समान्यतया संपूर्ण वायदा अनुबंध को हेजिंग लिखत के रूप में निर्धारित करती है। इन्हें नकदी प्रवाह हेज के रूप में हिसाब में लिया जाता है। हेज संबंध की शुरुआत में, कंपनी औपचारिक रूप से हेज संबंध को निर्धारित करती है और उस हेज संबंध को प्रलेखित करती है जिसमें कंपनी हेज लेखांकन और हेज करने के लिए जोखिम प्रबंधन उद्देश्य तथा रणनीति को लागू करना चाहती है। प्रलेखन में हेजिंग करने के लिए कंपनी का जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और रणनीति, हेजिंग / आर्थिक संबंध, हेज की गई मदें या ट्रांजैक्शन, हेज किए जा रहे जोखिम की प्रकृति, हेज अनुपात के साथ-साथ यह भी शामिल होता है कि हेज किए गए जोखिम के कारण हेज की गई मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के एक्सपोजर को ऑफसेट करने के लिए हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कंपनी कैसे करेगी।

इन डेरिवेटिव्स के उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से को अन्य समग्र आय में निर्धारित किया जाता है और इक्विटी के भीतर नकदी प्राप्ति बचाव व्यवस्था शीर्ष के तहत संचित किया गया है। अप्रभावी हिस्से से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन को लाभ-हानि के विवरण में तुरंत निर्धारित किया जाता है। ओसीआई में पहले से निर्धारित और प्रभावी हिस्से से संबंधित इक्विटी में संचित राशियों को उन अवधियों में जब बचाव व्यवस्था मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है, लाभ-हानि के विवरण के लिए उसी लाइन मद में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जो निर्धारित बचाव-व्यवस्था मद में होती है या यदि बचाव-व्यवस्था पूर्वानुमान लेनदेन के परिणामस्वरूप गैर-वित्तीय परिसंपत्ति या गैर-वित्तीय देयता निर्धारित होती है तो उसे आधार के रूप में माना जाता है। जब कोई पूर्वानुमानित लेनदेन होने की उम्मीद नहीं होती है, तो इक्विटी में संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ-हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

16.3.2 हेज लिखत के रूप में निर्धारित नहीं किए गए डेरिवेटिव

कंपनी जोखिमों को हेज करने के लिए कतिपय डेरिवेटिव अनुबंध करती है, जिन्हें हेज के रूप में निर्धारित नहीं किया जाता है। ऐसे अनुबंधों को 'लाभ और हानि विवरण' के माध्यम से उचित मूल्य पर हिसाब में लिया जाता है और डेरिवेटिव्स पर लाभ या डेरिवेटिव्स पर हानि के रूप में क्रमशः अन्य आय या अन्य व्यय में शामिल किया जाता है।

17. नकद और नकदी समतुल्य

तुलन-पत्र में नकद और नकद समतुल्य में बैंकों में नकद और हाथ में और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट (खाते में ऋणात्मक शेष) को वित्तीय देनदारियों के तहत अल्पकालिक उधार के तहत दिखाया गया है और उस खाते में सकारात्मक शेष राशि नकद और नकद समतुल्य में दिखाया गया है।

18. ट्रेजरी शेयर

समामेलन की योजना के अनुसार, आईओसीएल द्वारा आई बी जी और बी आर जी एल विलय के संबंध में ट्रेजरी शेयर रखने के लिए आईओसी शेयर ट्रस्ट की स्थापना की गई है। आईओसी शेयर ट्रस्ट द्वारा रखे गए शेयरों को ट्रेजरी शेयरों के रूप में माना जाता है।

स्वयं के इक्विटी दस्तावेज़ जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है (ट्रेज़री शेयर) लागत पर रेकार्ड किए जाते हैं और इक्विटी से घटाए जाते हैं। कंपनी के स्वयं के इक्विटी दस्तावेज़ों की खरीद, बिक्री, निर्गम या रद्दीकरण पर लाभ और हानि के विवरण में किसी लाभ या हानि को रेकार्ड नहीं किया गया है।

III. 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद प्रभावी नए मानक/संशोधन और अन्य परिवर्तन

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय अपनी अधिसूचना के माध्यम से नए मानकों को अधिसूचित करने या मौजूदा मानकों में संशोधन करने के लिए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन करता है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसी अधिसूचनाएं इस प्रकार हैं:

- 12 अगस्त 2024 की अधिसूचना जी.एस.आर. 492 (ई) के अनुसार, बीमा अनुबंधों पर भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 104 को हटा दिया गया था और बीमा अनुबंधों पर नए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 117 को अधिसूचित किया गया है। इंड एएस 117 द्वारा बीमा अनुबंध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ''एक अनुबंध जिसके अंतर्गत एक पक्ष (जारीकर्ता) किसी निर्दिष्ट अनिश्चित भविष्य की घटना (बीमित घटना) से पॉलिसीधारक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर पॉलिसीधारक को क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत होकर दूसरे पक्ष (पॉलिसीधारक) से महत्वपूर्ण बीमा जोखिम स्वीकार करता है।'' कंपनी के पास बीमा अनुबंध की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला कोई अनुबंध नहीं है और इसलिए नए इंड एएस का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।
- 9 सितंबर 2024 की अधिसूचना जी.एस.आर. 554(ई) के तहत, बिक्री और लीज़-बैक लेनदेन के संदर्भ में लीज़ पर भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116 में संशोधन किए गए हैं। ये लेनदेन ऐसे होते हैं जहाँ एक संस्था (विक्रेता-पट्टेदार) किसी परिसंपत्ति को किसी अन्य संस्था (क्रेता-पट्टादाता) को हस्तांतरित करती है और उस परिसंपत्ति को क्रेता-पट्टादाता से वापस लीज़ पर लेती है। कंपनी के पास बिक्री और लीज़-बैक लेनदेन की श्रेणी में आने वाला कोई अनुबंध नहीं है, इसलिए संशोधन का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।
- दिनांक 28 सितंबर 2024 की अधिसूचना जी.एस.आर. 602(ई) के तहत, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय लेखा मानक 117 को अधिसूचित किए जाने तक, बीमाकर्ता या बीमा कंपनी को अपने मूल कंपनी या निवेशक या उद्यमकर्ता द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के प्रयोजनार्थ भारतीय लेखा मानक 104 के अनुसार वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने और इस प्रयोजनार्थ भारतीय लेखा मानक 104 को पुनर्जीवित करने हेतु संशोधन किए गए हैं।

  चूँकि कंपनी एक बीमाकर्ता या बीमा कंपनी नहीं है, इसलिए संशोधन का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

IV. नए मानक/संशोधन जो जारी किए गए हैं लेकिन प्रभावी नहीं हैं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अपनी अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन करता है ताकि नए मानक अधिसूचित किए जा सकें या मौजूदा मानकों में संशोधन किया जा सके। वर्ष के दौरान, कोई भी नया मानक या मौजूदा मानक में संशोधन अधिसूचित नहीं किया गया है जो 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद से लागू होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट –1ख: महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और निर्णय

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और साथ के खुलासे और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इनमें वित्तीय दस्तावेज़ों की मान्यता और माप, उपयोगी जीवन का अनुमान और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति के अवशिष्ट मूल्य, आविष्कारों का मूल्यांकन, नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की वसूली योग्य मात्रा का माप, कर्मचारी लाभ का माप, बीमांकिक धारणाएं, प्रावधान आदि शामिल हैं।

इन अनुमानों और पूर्वानुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जिनके लिए भावी अवधियों में प्रभावित परिसंपत्तियों या देनदारियों की लागत राशि के लिए एक भौतिक समायोजन करना होता है। कंपनी हाल ही में उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन अनुमानों और पूर्वानुमानों का लगातार मूल्यांकन करती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को संभावित रूप से लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

क. निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय किए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शायी राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:-

तथ्यपरकता

भारतीय ए एस को वित्तीय विवरणों में विभिन्न लेनदेन के लेखांकन और प्रकटीकरण के लिए कंपनी द्वारा तथ्यपरकता के आकलन की आवश्यकता होती है। तद्नुसार, कंपनी लेखांकन और प्रकटीकरण के लिए विभिन्न मदों के लिए तथ्यपरकता सीमाओं का आकलन करती है और लगातार आधार पर अनुसरण करती है। समग्र तथ्यपरकता का आकलन विभिन्न वित्तीय मापदंडों जैसे कि परिसंपत्तियों का सकल ब्लॉक, परिसंपत्तियों का शुद्ध ब्लॉक, कुल संपत्ति, आय और कर पूर्व लाभ के आधार पर भी किया जाता है। तथ्यपरकता सीमाओं की समीक्षा की जाती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

अधिग्रहण लागत और अन्वेषणात्मक कुएं की लागत को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह पुष्टि करने के लिए समीक्षा की जाती है कि अन्वेषण ड्रिलिंग अभी भी चल रही है या यह निर्धारित करने के लिए काम निर्धारित किया गया है कि अन्वेषण आर्थिक रूप से व्यवहार्य है एक के आधार पर तकनीकी और वाणिज्यिक विचारों की श्रृंखला और विकास योजनाओं और समय की स्थापना के लिए पर्याप्त/उचित प्रगति की जा रही है। यदि उचित आधारों / समय-सीमाओं पर कोई भावी गतिविधि नियोजित नहीं की जाती है, तो विकास के तहत अमूर्त संपत्ति और संपत्ति अधिग्रहण की लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। क्षेत्र से उत्पादन शुरू होने और प्रमाणित भंडार की मान्यता पर, विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में लागत मूल्य को उत्पादक संपत्तियों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। संबंधित खुलासे के लिए नोट-34 भी देखें।

आकस्मिकताएं

कानूनी, ठेकेदार, भूमि पहुंच और अन्य दावों सहित कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में व्यवसाय के सामान्य क्रम से आकस्मिक देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं। उनकी प्रकृति से, आकस्मिकताओं का समाधान तभी होगा जब एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाएँ घटित होंगी या घटित होने में विफल होंगी। आकस्मिकताओं के अस्तित्व और संभावित मात्रा के आकलन में स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय का प्रयोग और भावी घटनाओं के परिणाम के बारे में अनुमानों का उपयोग शामिल है।

ख. अनुमान और पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन करने का अत्यधिक जोखिम है, जो नीचे वर्णित हैं।

मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, हालांकि, बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से बाहर होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस तरह के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

निर्धारित लाभ योजनाएं / अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

निर्धारित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की लागत बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग कर निर्धारित की जाती है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

सबसे अधिक परिवर्तन वाला पैरामीटर छूट दर है। प्रबंधन विभिन्न योजनाओं की अपेक्षित निपटान अवधि के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों पर विचार करता है।

विभिन्न कर्मचारी लाभ दायित्वों के बारे में अधिक जानकारी नोट 35 में दी गई है।

वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन-पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर नहीं मापा जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को स्तर-2 और स्तर-3 इनपुट के आधार पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डी सी एफ) मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग कर मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहां संभव हो अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में मूल्य अनुमान, मात्रा अनुमान, दर अनुमान आदि जैसे इनपुट के प्रतिफल शामिल हैं। इन

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट –1ख: महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और निर्णय (जारी)

कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। आकलनों और अनुमानों के विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 39 का संदर्भ भी लीजिए।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में धारणाओं के आधार पर सरलीकृत दृष्टिकोण पर विचार करते हुए किए गए हैं। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पिछले इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, कंपनी क्षति हानियों की पहचान के लिए सामान्य दृष्टिकोण लागू करती है जिसमें कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर डिफ़ॉल्ट की संभावना पर विचार करने में निर्णय का उपयोग करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निरंतर आधार पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हानि विश्लेषण और प्रावधान के लिए नोट-40 भी देखें।

आय कर

कंपनी आयकर के प्रावधान का निर्धारण करते समय प्रासंगिक तथ्यों, परिस्थितियों, वर्तमान और पिछले अनुभव, निर्णयों और नई घोषणाओं के आधार पर अनुमानों और निर्णयों का उपयोग करती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को इस हद तक माना जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर और कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

चालू वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण		भूमि – पूर्णस्वामित्व	भवन, सड़कें आदि	संयंत्र और उपकरण	कार्यालयीन उपकरण	परिवहन के उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	रेलवे साइडिंग	नाली, सीवर और जल आपूर्ति प्रणाली	उत्पादक संपत्तियां (ई ऐंड पी ब्लॉक)	उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियां (आरओयू)	कुल
		(ए एवं डी देखें)	(बी एंड डी देखें)								(डी देखें)	
सकल ब्लॉक	1 अप्रैल, 2024 को सकल ब्लॉक	3,877.38	25,304.83	1,98,717.19	3,156.09	113.97	2,910.37	319.40	1,318.35	199.92	16,015.42	2,51,932.92
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	119.26	172.83	3,358.89	322.16	12.33	87.67	2.33	1.84	–	3,981.11	8,058.42
	चालू निर्माण कार्य से अंतरण	–	2,164.45	9,480.13	388.24	1.72	546.30	53.63	0.56	292.84	–	12,927.87
	निपटान / कटौतियां/ अंतरण / पुन-वर्गीकरण	(0.84)	(97.21)	(1,168.77)	(159.15)	52.81	(26.23)	(0.19)	(2.81)	–	(2,631.94)	(4,034.33)
	31 मार्च, 2025 को सकल ब्लॉक	**3,995.80**	**27,544.90**	**2,10,387.44**	**3,707.34**	**180.83**	**3,518.11**	**375.17**	**1,317.94**	**492.76**	**17,364.59**	**2,68,884.88**
मूल्यह्रास और परिशोधन	01 अप्रैल, 2024 को मूल्यह्रास और परिशोधन	–	6,930.83	57,281.34	1,963.98	61.10	1,595.10	113.50	407.13	85.64	5,773.86	74,212.48
	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास और परिशोधन (ग देखें)	–	1,289.41	9,656.86	484.33	40.76	261.08	20.54	51.43	27.76	3,239.14	15,071.31
	निपटान / कटौतियां/ अंतरण / पुन-वर्गीकरण	–	(26.54)	(533.33)	(125.84)	9.16	(27.11)	(0.15)	(0.21)	–	(2,251.05)	(2,955.07)
	31 मार्च, 2025 को मूल्यह्रास और परिशोधन	**–**	**8,193.70**	**66,404.87**	**2,322.47**	**111.02**	**1,829.07**	**133.89**	**458.35**	**113.40**	**6,761.95**	**86,328.72**
हानि	01 अप्रैल, 2024 तक हानि	–	–	98.39	–	–	–	–	–	–	3.10	101.49
	वर्ष के दौरान क्षति हानि	–	–	63.36	–	–	–	–	–	–	4.81	68.17
	वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती हानि	–	–	-2.09	–	–	–	–	–	–	-0.01	-2.10
	31 मार्च, 2025 तक हानि	**–**	**–**	**159.66**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**7.90**	**167.56**
	31 मार्च, 2025 तक नेट ब्लॉक	**3,995.80**	**19,351.20**	**1,43,822.91**	**1,384.87**	**69.81**	**1,689.04**	**241.28**	**859.59**	**379.36**	**10,594.74**	**1,82,388.60**

पिछला वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण		भूमि – पूर्णस्वामित्व	भवन, सड़कें आदि	संयंत्र और उपकरण	कार्यालयीन उपकरण	परिवहन के उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	रेलवे साइडिंग	नाली, सीवर और जल आपूर्ति प्रणाली	उत्पादक संपत्तियां (ई ऐंड पी ब्लॉक)	उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियां (आरओयू)	कुल
सकल ब्लॉक	1 अप्रैल, 2023 को सकल ब्लॉक	3,829.68	21,817.90	1,77,538.22	2,730.08	106.63	2,378.98	316.17	1,309.60	199.26	14,616.20	2,24,842.72
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	62.28	179.24	3,283.22	361.68	6.05	80.45	2.38	0.66	–	3,464.63	7,440.59
	चालू निर्माण कार्य से अंतरण	–	3,413.79	18,537.05	318.16	3.25	465.06	2.32	8.13	0.66	–	22,748.42
	निपटान / कटौतियां/ अंतरण / पुन-वर्गीकरण*	(14.58)	(106.10)	(641.30)	(253.83)	(1.96)	(14.12)	(1.47)	(0.04)	–	(2,065.41)	(3,098.81)
	31 मार्च, 2024 को सकल ब्लॉक	**3,877.38**	**25,304.83**	**1,98,717.19**	**3,156.09**	**113.97**	**2,910.37**	**319.40**	**1,318.35**	**199.92**	**16,015.42**	**2,51,932.92**
मूल्यह्रास और परिशोधन	01 अप्रैल, 2023 को मूल्यह्रास और परिशोधन	–	5,760.03	47,962.70	1,681.98	53.60	1,381.68	94.06	355.90	75.66	4,728.92	62,094.53
	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास और परिशोधन (ग देखें)	–	1,183.17	9,564.25	430.35	8.49	227.48	19.44	51.24	9.98	2,930.52	14,424.92
	निपटान / कटौतियां/ अंतरण / पुन-वर्गीकरण	–	(12.37)	(245.61)	(148.35)	(0.99)	(14.06)	–	(0.01)	–	(1,885.58)	(2,306.97)
	31 मार्च, 2024 को मूल्यह्रास और परिशोधन	**–**	**6,930.83**	**57,281.34**	**1,963.98**	**61.10**	**1,595.10**	**113.50**	**407.13**	**85.64**	**5,773.86**	**74,212.48**
हानि	01 अप्रैल, 2023 तक हानि	–	–	98.39	–	–	–	–	–	–	3.10	101.49
	वर्ष के दौरान क्षति हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	31 मार्च, 2024 तक हानि	**–**	**–**	**98.39**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3.10**	**101.49**
	31 मार्च, 2024 तक नेट ब्लॉक	**3,877.38**	**18,374.00**	**1,41,337.46**	**1,192.11**	**52.87**	**1,315.27**	**205.90**	**911.22**	**114.28**	**10,238.46**	**1,77,618.95**

*भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के कारण समायोजन शामिल करें

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी..)

अ. i) पूर्णस्वामित्व की भूमि में ₹ 1.61 करोड़ (2023: ₹ 1.61 करोड़) शामिल है जो हक विवाद/ मुकदमों के कारण खाली पड़े हैं।

ii) मथुरा और आगरा क्षेत्रों में 1364.01 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्व भूमि में से 50 एकड़ (लगभग) की भूमि एनएचएआई द्वारा एनएच2 विस्तृतीकरण परियोजना के एक हिस्से के रूप में अधिग्रहित की गई है, जिसके लिए मुआवजे के मूल्य का निर्धारण लंबित है। तदनुसार, ₹ 1.18 करोड़ की भूमि के मूल्य को पूर्ण-स्वामित्व भूमि में रखा गया है।

iii) गुवाहाटी रिफाइनरी में 490 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्व भूमि में लगभग भूमि पार्सल शामिल है। 32.39 एकड़ (लागत ₹ 0.05 करोड़) जिस पर सार्वजनिक सड़कों, नालियों आदि का निर्माण असम सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है।

iv) पूर्ण-स्वामित्व की भूमि में पहले की तारीखों में जिला और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पानीपत रिफाइनरी में स्थित भूमि के संबंध में अदा किया गया ₹ 41.75 करोड़ का मुआवजा शामिल है, जिसे बाद में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2019 द्वारा रद्द कर दिया गया था। चूंकि, पहले से अदा किए गए मुआवजे के लिए वसूली की प्रक्रिया पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2020 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई है, वास्तविक वसूली, यदि कोई हो, पर भूमि की लागत में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

आ. i) भवनों में फ्लैट की खरीद के लिए कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता के लिए ऐसी सोसाइटियों में 1605 (2023: 1605) शेयरों के मूल्य के प्रति ₹ 0.01 करोड़ (2023: ₹ 0.01 करोड़) शामिल है।

ii) इसमें ₹ 6,699.32 करोड़ (2024: ₹ 6207.6 करोड़) और निवल ब्लॉक की राशि ₹ 3420.08 करोड़ (2024: ₹ 3538.55 करोड़) की राशि के सकल ब्लॉक की सड़कें, पुल आदि (यानी भवन के अलावा अन्य परिसंपत्तियां) शामिल हैं।

इ. वर्ष के मूल्यह्रास और परिशोधन में टिप्पणी-2.2 में दिखाए गए निर्माण अवधि व्ययों से संबंधित ₹ 96.42 करोड़ (2024: ₹ 81.37 करोड़) शामिल हैं।

ई. भूमि और भवन (आरओयू परिसंपत्ति सहित) में ₹ 508.61 करोड़ (2024: ₹ 933.03 करोड़) शामिल हैं, जिसके संबंध में हक / पट्टा विलेख का निष्पादन या नवीनीकरण लंबित है। (टिप्पणी-48 देखें)

उ. भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार, संबंधित सीजीयू के तहत परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के साथ वसूली योग्य राशि की तुलना करके अवधि के अंत में हानि का आकलन किया गया है। बिजली शुल्कों की वसूली पर अनिश्चितता और कुछ पवनचक्की परिसंपत्तियों के क्षमता उपयोग कारक में भिन्नता को देखते हुए, 9.80% की छूट दर को ध्यान में रखते हुए उपयोग में इसके मूल्य की गणना के आधार पर, ₹ 68.17 करोड़ (2024: शून्य) की हानि हानि और ₹ 2.10 करोड़ (2024: शून्य) की हानि प्रतिवर्तन को मान्यता दी गई है।

ऊ. वर्ष के दौरान, डीईएफ संयंत्र के उपयोगी जीवन की समीक्षा की गई और इसे 25 वर्ष से बदलकर 15 वर्ष कर दिया गया। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 में मूल्यह्रास शुल्क में ₹ 5.66 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, जिसकी भरपाई भविष्य की अवधि में लाभ-हानि विवरण में की जाएगी।

ऋ. वर्ष के दौरान, ऑप्टिकल फाइबर केबल के उपयोगी जीवन की समीक्षा की गई और इसे 13 वर्ष से बदलकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 में मूल्यह्रास शुल्क में ₹ 11.91 करोड़ रुपये की कमी आएगी, जिसकी भरपाई भविष्य की अवधि में लाभ-हानि विवरण में की जाएगी।

ए. आरओयू परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण के लिए टिप्पणी-36 का संदर्भ लीजिए।

ऐ. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी ने महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के बिंदु संख्या 2.4.1 के अनुसार कुछ मामलों को छोड़कर उस अनुसूची में वर्णित उपयोगी जीवन को अपनाया है (टिप्पणी-1)।

प्रचालनीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के विवरण ऊपर शामिल हैं :

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति के विवरण	सकल ब्लॉक	संचित मूल्यह्रास एवं परिशोधन	संचित अनर्जक हानि	31 मार्च, 2025 को डबल्यू.डी.वी.	31 मार्च, 2024 को डबल्यू.डी.वी.
भूमि – फ्रीहोल्ड	10.21	–	–	10.21	7.47
आरओयू परिसंपत्ति (भूमि – पट्टाधारित)	217.18	62.89	–	154.29	70.00
भवन	118.39	35.08	–	83.31	84.37
संयंत्र व उपकरण	381.21	89.97	–	291.24	159.31
कार्यालयीन उपकरण	11.46	10.04	–	1.42	3.15
फर्नीचर	2.31	1.12	–	1.19	0.64
नाली, सीवर और जल आपूर्ति	–	–	–	–	1.40
कुल	**740.76**	**199.10**	**–**	**541.66**	**326.34**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी..)

उपर्युक्त में शामिल संयुक्त स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों में कंपनी के हिस्से का विवरण:

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति के विवरण	संयुक्त स्वामी का नाम*	सकल ब्लॉक	संचित मूल्यह्रास एवं परिशोधन	संचित अनर्जक हानि	31 मार्च, 2025 को डबल्यू.डी.वी.	31 मार्च, 2024 को डबल्यू.डी.वी.
भूमि – फ्रीहोल्ड	एचपीसीएल, बीपीसीएल	9.08	–	–	9.08	9.65
आरओयू परिसंपत्ति (भूमि – पट्टाधारित)	बीपीसीएल	0.05	0.01	–	0.04	0.04
भवन	एचपीसीएल, बीपीसीएल, अन्य	69.21	26.27	–	42.94	47.10
संयंत्र व उपकरण	एचपीसीएल, बीपीसीएल, आरआईएल, अन्य	68.20	32.36	–	35.84	38.03
कार्यालयीन उपकरण	बीपीसीएल	0.49	0.13	–	0.36	0.46
रेलवे साइडिंग	एचपीसीएल, बीपीसीएल	15.13	9.27	–	5.86	9.62
नाली, सीवर और जल आपूर्ति	एचपीसीएल, बीपीसीएल, जीएसएफसी	0.45	0.14	–	0.31	0.32
कुल		**162.61**	**68.18**	**–**	**94.43**	**105.22**

* एचपीसीएल: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जीएसएफसी: गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, आरआईएल: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सकल ब्लॉक में परिवर्धन में निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति के विवरण	विनिमय में उतार-चढ़ाव		उधार संबंधी लागत	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
भवन	–	(0.15)	24.74	66.94
संयंत्र व उपकरण	–	(8.55)	339.11	1,017.84
कार्यालयीन उपकरण	–	–	1.73	7.40
फर्नीचर और जुड़नार	–	–	0.01	0.48
रेलवे साइडिंग	–	–	3.32	–
नाली, सीवर और जल आपूर्ति	–	(0.34)	–	–
कुल	**–**	**(9.04)**	368.91	**1,092.66**

उपर्युक्त में, अस्थायी रूप से निष्क्रिय परिसंपत्तियों/ सक्रिय उपयोग के लिए समाप्त हो चुकी, किन्तु 'हेल्ड फॉर सेल' के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई परिसंपत्तियों / अल्पावधि लीज पर निर्मित की गई अचल परिसंपत्तियों का वहन मूल्य शामिल है:

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति के विवरण	अस्थायी रूप से निष्क्रिय		सक्रिय उपयोग के लिए समाप्त हो चुकी, किन्तु 'हेल्ड फॉर सेल' के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई		अल्पावधि पट्टे पर निर्मित की गई अचल परिसंपत्तियां*	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
भूमि – फ्रीहोल्ड	3.44	3.09	0.46	0.46	–	–
भूमि – पट्टाधारित	0.03	0.54	–	–	–	–
भवन	13.11	10.14	12.44	11.33	339.29	493.46
संयंत्र व उपकरण	204.45	195.91	125.49	174.82	–	–
कार्यालयीन उपकरण	0.08	0.05	0.07	0.08	–	–
फर्नीचर और फिक्सचर	0.48	0.50	0.34	0.38	–	–
रेलवे साइडिंग	–	–	5.62	0.07	–	–
कुल	221.59	**210.23**	144.42	**187.14**	339.29	**493.46**

* इसमें वे पट्टे शामिल हैं जिनके लिए अभी समझौता होना बाकी है या जिनका नवीकरण होना है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2.1: पूंजीगत चालू कार्य

चालू वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू निर्माण कार्य – मूर्त परिसंपत्तियां	छूंजीगत स्टोर	मार्गस्थ पूंजीगत माल	आबंटन के लंबित होने के कारण निर्माण अवधि व्यय	कुल
	संदर्भ-क	संदर्भ-ख			
वर्ष के प्रारंभ में शेष	43,836.51	8,839.27	1,705.82	2,888.56	57,270.16
वर्ष के दौरान परिवर्धन	27,839.62	4,629.82	1,926.22	–	34,395.66
वर्ष के दौरान निवल व्यय (टिप्पणी – 2.2)	–	–	–	1,812.69	1,812.69
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को अंतरण (टिप्पणी 2)	(12,927.87)	–	–	–	(12,927.87)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को अंतरण–प्रत्यक्ष परिवर्धन (टिप्पणी 2)	–	–	(8.03)	–	(8.03)
लाभ व हानि के विवरण को अंतरण	(8.83)	–	–	–	(8.83)
वर्ष के दौरान अन्य आबंटन / समायोजन	663.10	(5,043.25)	(1,750.19)	(733.51)	(6,863.85)
	59,402.53	8,425.84	1,873.82	3,967.74	73,669.93
पूंजीगत हानि का प्रावधान	(192.28)	(24.49)	–	–	(216.77)
अंतिम शेष	59,210.25	8,401.35	1,873.82	3,967.74	73,453.16

पिछला वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू निर्माण कार्य – मूर्त परिसंपत्तियां	छूंजीगत स्टोर	मार्गस्थ पूंजीगत माल	आबंटन के लंबित होने के कारण निर्माण अवधि व्यय	कुल
	संदर्भ-क	संदर्भ-ख			
वर्ष के प्रारंभ में शेष	34,370.10	8,490.41	1,126.11	3,426.39	47,413.01
वर्ष के दौरान परिवर्धन	29,047.47	4,614.50	1,940.15	–	35,602.12
वर्ष के दौरान निवल व्यय (टिप्पणी – 2.2)	–	–	–	1,399.11	1,399.11
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को अंतरण (टिप्पणी 2)	(22,748.42)	–	–	–	(22,748.42)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को अंतरण–प्रत्यक्ष परिवर्धन (टिप्पणी 2)	–	–	(28.92)	–	(28.92)
लाभ व हानि के विवरण में अंतरण	(2.25)	(0.01)	–	–	(2.26)
वर्ष के दौरान अन्य आबंटन / समायोजन	3,169.61	(4,265.63)	(1,331.52)	(1,936.94)	(4,364.48)
	43,836.51	**8,839.27**	**1,705.82**	**2,888.56**	**57,270.16**
पूंजीगत हानि का प्रावधान	(190.17)	(55.76)	–	–	(245.93)
अंतिम शेष	**43,646.34**	**8,783.51**	**1,705.82**	**2,888.56**	**57,024.23**

अ. इसमें चालू तेल एवं गैस अन्वेषण एवं उत्पादन गतिविधियों से संबंधित पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 258.86 करोड़ (2024: ₹ 461.21 करोड़) शामिल हैं।

आ. इसमें ठेकेदारों के पास पड़े स्टॉक के लिए ₹ 482.86 करोड़ (2024: ₹678.92 करोड़) शामिल हैं।

चालू पूंजीगत कार्यों की अवधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी की राशि के संबंध में अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
चालू वर्ष					
i) चालू परियोजनाएं	35,309.36	22,103.21	9,913.21	5,718.10	73,043.88
ii) अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	17.91	168.17	272.88	167.09	626.05
कुल	35,327.27	22,271.38	10,186.09	5,885.19	73,669.93
गत वर्ष					
i) चालू परियोजनाएं	30,390.64	18,964.96	5,430.84	2,113.36	56,899.80
ii) अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	153.80	42.31	1.79	172.46	370.36
कुल	**30,544.44**	**19,007.27**	**5,432.63**	**2,285.82**	**57,270.16**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2.1: पूंजीगत चालू कार्य (जारी..)

ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पूंजीगत कार्य के पूरा होने संबंधी कार्यक्रम (शेड्यूल), जो निर्धारित तारीख को पूरी नहीं हो पाईं या जिनकी लागत उनकी मूल योजना से अधिक हो गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि, जिसमें परियोजना पूरी होनी है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
चालू वर्ष				
i) चालू परियोजनाएं				
– गुवाहाटी रिफाइनरी विस्तारण	–	351.49	–	–
– बरौनी रिफाइनरी विस्तारण	–	8,459.00	–	–
– गुजरात के दुमाड में एक्रिलिक्स/ऑक्सो अल्कोहल परियोजना	–	1,634.98	–	–
– गुजरात रिफाइनरी में पेट्रो रसायन एवं ल्यूब एकीकरण परियोजना	8,168.43	–	–	–
– हल्दिया रिफाइनरी में आरएलएनजी अवसंरचना	124.73	–	–	–
– पानीपत रिफ़ाइनरी में पीबीआर परियोजना	–	770.18	–	–
– पानीपत रिफ़ाइनरी विस्तार	18,851.51	–	–	–
– पारादीप रिफ़ाइनरी में अतिरिक्त भंडारण टैंक	155.29	–	–	–
– पारादीप रिफ़ाइनरी में ईंधन गुणवत्ता उन्नयन परियोजना	1,106.06	–	–	–
– पारादीप रिफ़ाइनरी में इंसिनरेटर के साथ स्टैंडबाय एसआरयू ट्रेन की स्थापना	317.24	–	–	–
– पारादीप रिफ़ाइनरी में एकीकृत पैरा ज़ाइलीन (पीएक्स) और शुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए) परियोजना	–	7,160.47	–	–
– नई मुंद्रा–पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन	6,165.19	–	–	–
– सलाया मथुरा कच्चा तेल पाइपलाइन प्रणाली का विस्तार	813.70	2.39	–	–
– एन्नोर तूतीकोरिन बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	–	527.70	–	–
– क्रायोजेनिक्स विस्तार परियोजना डिंडोरी एमआईडीसी	185.95	–	–	–
– चेन्नई पीओएल जेटी	764.01	–	–	–
– वल्लूर, चेन्नई में ग्रास रूट पीओएल टर्मिनल	493.31	–	–	–
– चेन्नई में नया ल्यूब कॉम्प्लेक्स	873.02	–	–	–
– विजाग टर्मिनल का नवीनीकरण	116.86	–	–	–
– नए मिर्जापुर टर्मिनल का निर्माण	–	153.16	–	–
– बीके–सीबीएम–2001/1	60.41	–	–	–
– एनके–सीबीएम–2001/1	163.74	–	–	–
– एए/ओएनडीएसएफ/उमातारा/2018	42.64	–	–	–
– गैबॉन शक्ति	–	–	–	0.02
– सीबीजी गोरखपुर संयंत्र	143.95	–	–	–
– नया अनुसंधान एवं विकास कैम्पस–आईओटीडीडीसी	–	1,107.33	–	–
– अन्य परियोजनाएँ *	2,667.35	126.74	4.13	1.02
कुल	**41,213.39**	**20,293.44**	**4.13**	**1.04**
ii) अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं				
– गुवाहाटी रिफ़ाइनरी में 80 टन प्रति घंटा पेटकोक से चलने वाली बॉयलर परियोजना	–	–	–	119.47
– एन्नोर, तूतीकोरिन, बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का असनूर पीपीएन खंड	–	–	–	276.73
– सीबीआर असनूर पाइपलाइन और मौजूदा चेन्नई, त्रिची, मदुरै उत्पाद पाइपलाइन से इसका जुड़ाव	–	–	–	143.43
– अन्य परियोजनाएँ *	2.21	–	–	83.91
कुल	**2.21**	**–**	**–**	**623.54**

* ₹ 100 करोड़ से कम वास्तविक व्यय वाली परियोजनाओं को अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत जोड़ा गया है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2.1: पूंजीगत चालू कार्य (जारी..)

उन परियोजनाओं के लिए चल रहे पूंजीगत कार्य को पूरा करने का कार्यक्रम जहां पूरा होने में देरी हो रही है या लागत इसकी मूल योजना से अधिक हो गई है

(₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि, जिसमें परियोजना पूरी होनी है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
चालू वर्ष				
i) चालू परियोजनाएं				
– गुवाहाटी रिफाइनरी विस्तारण	277.12	–	–	–
– बरौनी रिफाइनरी विस्तारण	7,922.17	–	–	–
– गुजरात के दुमाड में एक्रिलिक्स/ऑक्सो अल्कोहल परियोजना	2,366.90	–	–	–
– गुजरात रिफाइनरी में पेट्रो रसायन एवं ल्यूब एकीकरण परियोजना	–	5,712.84	–	–
– हल्दिया रिफाइनरी में आरएलएनजी अवसंरचना	127.48	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में 2जी इथेनॉल परियोजना	622.28	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी (3जी) में पीएसए ऑफ गैस से एथनॉल उत्पादन	148.02	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में कैटेलिस्ट संयंत्र	166.96	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में पीएक्स–पीटीए विस्तारण	363.21	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में पीबीआर परियोजना	–	95.13	–	–
– पानीपत रिफाइनरी का विस्तारण	–	9,305.46	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में अतिरिक्त भंडारण टंकियां	434.99	–	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में ईंधन गुणता उन्नयन परियोजना	1,588.60	–	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में भस्मीकरण के साथ स्टैंडबाय एसआरयू ट्रेन की संस्थापना	267.02	–	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में एकीकृत पैरा जाइलीन (पीएक्स) और शुद्धीकृत टेरेपथेलिक एसिड (पीटीए) परियोजना	–	5,867.45	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में आर–एलएनजी उपयोग परियोजना की अवसरचना	138.85	–	–	–
– 30" हल्दिया–बरौनी कच्चे तेल की पाइपलाइन और मौजूदा 18" हल्दिया–बरौनी खंड को उत्पाद एवं गैस सेवा में परिवर्तित करना	138.34	–	–	–
– एन्नोर तूतीकोरिन बेंगलूरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	716.85	–	–	–
– पारादीप–हैदराबाद पाइपलाइन	602.66	–	–	–
– सलाया मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रणाली का संवर्धन	783.49	–	–	–
– अमुल्लवोयल में ल्यूब कॉम्प्लेक्स	715.71	–	–	–
– चित्तूर एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र	118.96	–	–	–
– मलकापुर में पीओएल टर्मिनल	257.39	–	–	–
– विज़ाग टर्मिनल का पुनर्निर्माण	114.13	–	–	–
– खोरधा बॉटलिंग संयंत्र	118.39	–	–	–
– बीके–सीबीएम–2001/1	302.06	–	–	–
– एनके–सीबीएम–2001/1	–	142.02	–	–
– नया आर एंड डी परिसर	–	758.91	–	–
– अन्य परियोजनाएं*	2,496.01	149.57	–	0.48
कुल	**20,787.59**	**22,031.38**	**–**	**0.48**
ii) अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं				
– गुवाहाटी रिफाइनरी में 80 टीपीएच पेटकोक फायर्ड बॉयलर परियोजना	–	–	–	120.38
– अन्य परियोजनाएं*	12.67	–	–	81.91
कुल	**12.67**	**–**	**–**	**202.29**

* ₹ 100 करोड़ से कम वास्तविक व्यय वाली परियोजनाओं को अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत जोड़ा गया है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2.2: वर्ष के दौरान निर्माण अवधि के व्यय (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण		2024-2025	2023-2024
कर्मचारी हितलाभ व्यय		355.33	406.50
मरम्मत और रख-रखाव		3.09	2.29
स्टोर और पुर्जों की खपत		0.01	0.01
बिजली और ईंधन		37.82	21.93
किराया		(0.81)	7.66
दर व कर		0.83	2.18
यात्रा के व्यय		26.02	29.27
संचार के व्यय		0.70	1.41
मुद्रण व लेखन-सामग्री		0.55	0.52
बिजली और जल प्रभार		128.48	18.89
बैंक प्रभार		0.12	0.76
तकनीकी सहायता शुल्क		2.55	1.40
वित्तीय लागत	क	1,204.11	842.96
इस पर मूल्यह्रास, परिशोधन और अनर्जकता –			
सम्पति, संयंत्र और उपकरण		96.42	81.37
अमूर्त परिसंपत्तियां		0.08	–
स्टार्ट अप / प्रायोगिक व्यय (निवल राजस्व)		29.78	(15.07)
अन्य		31.88	76.36
कुल व्यय		1,916.96	**1,478.44**
घटाएं-वसूली		104.27	79.33
वर्ष के दौरान निवल खर्च		1,812.69	**1,399.11**

क. पूंजीकरण के लिए पात्र विशिष्ट उधार की दर 1.08% से 8.13% (2024: 1.08% से 8.04%) है

टिप्पणी – 3: अमूर्त परिसंपत्तियां

चालू वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण		मार्गाधिकार (संदर्भ 2-ख)	लाइसेंस	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (संदर्भ 2-ग)	कुल
सकल ब्लॉक	01 अप्रैल, 2024 को सकल ब्लाक	1,548.68	2,143.35	656.58	4,348.61
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	111.09	2.45	31.97	145.51
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों से अंतरण	–	214.02	109.61	323.63
	निपटान / कटौतियां / हस्तांतरण / पुन:वर्गीकरण	–	(15.63)	(22.22)	(37.85)
	31 मार्च, 2025 को सकल ब्लॉक	1,659.77	2,344.19	775.94	4,779.90
परिशोधन	01 अप्रैल, 2024 को परिशोधन	23.93	611.52	465.36	1,100.81
	वर्ष के दौरान परिशोधन	0.16	124.90	118.20	243.26
	निपटान / कटौतियां / हस्तांतरण / पुन:वर्गीकरण	(0.01)	(7.91)	(18.23)	(26.15)
	31 मार्च, 2025 को परिशोधन	24.08	728.51	565.33	1,317.92
	31 मार्च, 2025 को निवल ब्लॉक	1,635.69	1,615.68	210.61	3,461.98

टिप्पणी – 3: अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी)

पिछला वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण		मार्गाधिकार (संदर्भ 2-क)	लाइसेंस	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (संदर्भ 2-ख)	कुल
सकल ब्लॉक	01 अप्रैल, 2023 को सकल ब्लाक	1,457.02	1,825.34	491.22	3,773.58
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	91.66	27.14	28.95	147.75
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों से अंतरण	–	291.85	139.86	431.71
	निपटान / कटौतियां / हस्तांतरण / पुन:वर्गीकरण	–	(0.98)	(3.45)	(4.43)
	31 मार्च, 2024 को सकल ब्लॉक	**1,548.68**	**2,143.35**	**656.58**	**4,348.61**
परिशोधन	01 अप्रैल, 2023 को परिशोधन	23.64	514.15	397.07	934.86
	वर्ष के दौरान परिशोधन	0.29	97.40	68.36	166.05
	निपटान / कटौतियां / हस्तांतरण / पुन:वर्गीकरण	–	(0.03)	(0.07)	(0.10)
	31 मार्च, 2024 को परिशोधन	**23.93**	**611.52**	**465.36**	**1,100.81**
	31 मार्च, 2024 को निवल ब्लॉक	**1,524.75**	**1,531.83**	**191.22**	**3,247.80**

कोई आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त संपत्ति नहीं है।

क. वर्ष के लिए परिशोधन में नोट 2.2 में दर्शाए गए निर्माण अवधि व्यय से संबंधित ₹0.08 करोड़ (2024: शून्य) शामिल हैं।

ख. अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों का शुद्ध ब्लॉक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
मार्गाधिकार	1,633.51	1,522.43

पाइपलाइन बिछाने का मार्गाधिकार सतत आधार पर अर्जित किया गया है।

ग. संयुक्त स्वामित्व की परिसंपत्तियों में कंपनी के हिस्से के विवरण ऊपर शामिल किए गए हैं –

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियों का विवरण	संयुक्त स्वामी का नाम*	सकल ब्लॉक	संचित मूल्यह्रास और परिशोधन	31 मार्च, 2025 को डबल्यू.डी.वी.	31 मार्च, 2024 को डबल्यू.डी.वी.
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	एचपीसीएल, बीपीसीएल	3.73	2.25	1.48	2.41
कुल		**3.73**	**2.25**	1.48	**2.41**

* एचपीसीएल: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

टिप्पणी – 3.1: विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

चालू वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	2,511.20
वर्ष के दौरान निवल व्यय	910.37
अमूर्त परिसंपत्तियों में अंतरण (टिप्पणी 3)	(323.63)
वर्ष के दौरान अन्य आवंटन/समायोजन	86.19
	3,184.13
हानि के लिए प्रावधान	(422.99)
वर्ष के अंत में शेष राशि	2,761.14

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 3.1: विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां(जारी)

पिछला वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	2,242.72
वर्ष के दौरान निवल व्यय	403.45
अमूर्त परिसंपत्तियों में अंतरण (टिप्पणी 3)	(431.71)
वर्ष के दौरान अन्य आवंटन/समायोजन	296.74
	2,511.20
हानि के लिए प्रावधान	(469.79)
वर्ष के अंत में शेष राशि	**2,041.41**

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ मुख्यतः अन्वेषण एवं उत्पादन ब्लॉकों, लाइसेंसों एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों की प्रकृति की हैं। उपरोक्त राशि में चालू तेल एवं गैस अन्वेषण एवं उत्पादन गतिविधियों से संबंधित पूंजीगत व्यय (शुद्ध) के लिए ₹317.4 करोड़ (2024: ₹273.34 करोड़) शामिल हैं।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की परिपक्वता अवधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की अवधि के संबंध में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
चालू वर्ष					
i) चालू परियोजनाएं	981.36	283.86	376.29	1,093.84	2,735.35
ii) अस्थायी रूप से रोकी गई परियोजनाएं	5.65	39.96	–	403.17	448.78
कुल	**987.01**	**323.82**	**376.29**	**1,497.01**	**3,184.13**
गत वर्ष					
i) चालू परियोजनाएं	352.53	343.73	106.77	1,228.53	2,031.56
ii) अस्थायी रूप से रोकी गई परियोजनाएं	0.70	–	0.28	478.66	479.64
कुल	**353.23**	**343.73**	**107.05**	**1,707.19**	**2,511.20**

ऐसी परियोजनाओं के संबंध में विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों के पूरा होने संबंधी कार्यक्रम (शेड्यूल), जो निर्धारित तारीख को पूरी नहीं हो पाईं या जिनकी लागत उनकी मूल योजना से अधिक हो गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि, जिसमें परियोजना पूरी होनी है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
चालू वर्ष				
i) प्रगति पर परियोजनाएँ				
– गुवाहाटी रिफ़ाइनरी विस्तार	–	15.01	–	–
– बरौनी रिफ़ाइनरी विस्तार	–	151.60	–	–
– गुजरात के दुमद में एक्रिलिक/ऑक्सो अल्कोहल परियोजना	–	212.99	–	–
– गुजरात रिफ़ाइनरी में पेट्रोकेमिकल और ल्यूब एकीकरण परियोजना	273.11	–	–	–
– पानीपत रिफ़ाइनरी में पीबीआर परियोजना	–	66.66	–	–
– पानीपत रिफ़ाइनरी विस्तार	386.37	–	–	–
– पारादीप रिफ़ाइनरी में ईंधन गुणवत्ता उन्नयन परियोजना	92.37	–	–	–
– पारादीप रिफ़ाइनरी में एकीकृत पैरा ज़ाइलीन (पीएक्स) और शुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए) परियोजना	–	195.68	–	–
– बीके-सीबीएम-2001/1	14.50	–	–	–
– एनके-सीबीएम-2001/1	25.25	–	–	–
– गैबॉन-शक्ति	–	–	–	188.12
– एए-ओएनएचपी-2018/5	–	–	–	5.43
– एरिया-95/96, लीबिया	–	–	–	84.07
– अन्य*	13.20	–	–	–
कुल	**804.80**	**641.94**	**–**	**277.62**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 3.1: विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां(जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि, जिसमें परियोजना पूरी होनी है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
ii) परियोजनाएँ अस्थायी रूप से स्थगित				
– मथुरा रिफ़ाइनरी में अवशेष उन्नयन परियोजना	–	–	–	132.21
– फ़ारसी, ईरान	–	–	–	126.26
– जीके-ओएसएन-2009/1	–	–	–	0.28
– आरजे-ओएनएचपी-2019/3	–	–	–	5.33
– आरजे-ओएनएचपी-2019/2	–	–	–	12.72
– आरजे-ओएनएचपी-2018/2	–	–	–	15.93
– अन्य*	–	–	–	136.94
कुल	**–**	**–**	**–**	**429.67**

(₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि, जिसमें परियोजना पूरी होनी है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
पिछले वर्ष				
i) चालू परियोजनाएं				
– गुवाहाटी रिफाइनरी का विस्तारण	15.01	–	–	–
– बरौनी रिफाइनरी का विस्तारण	151.60	–	–	–
– गुजरात के दुमड़ में एक्रिलिक्स/ऑक्सो अल्कोहल परियोजना	226.92	–	–	–
– गुजरात रिफाइनरी में पेट्रो रसायन एवं ल्यूब एकीकरण परियोजना	–	207.77	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में 2जी एथनॉल संयंत्र	10.32	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी (3जी) में पीएसए ऑफ गैस से एथनॉल उत्पादन	0.35	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में पीएक्स/पीटीए का विस्तारण	144.57	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में पीबीआर परियोजना	–	66.38	–	–
– पानीपत रिफाइनरी विस्तारण	–	383.32	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में ईंधन गुणता उन्नयन परियोजना	96.26	–	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में एकीकृत पैरा जाइलीन (पीएक्स) और शुद्ध टेरेपथेलिक एसिड (पीटीए) परियोजना।	–	195.68	–	–
– बीके-सीबीएम-2001/1	30.86	–	–	–
– एनके-सीबीएम-2001/1	–	25.25	–	–
– शक्ति गैबोन	–	–	–	173.72
– अन्य *	21.66	2.55	–	–
कुल	**697.55**	**880.95**	**–**	**173.72**
ii) अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं				
– मथुरा रिफाइनरी में अवशिष्ट उन्नयन परियोजना	–	–	–	132.21
– फारसी, ईरान	–	–	–	126.26
– अन्य *	–	–	–	221.16
कुल	**–**	**–**	**–**	**479.63**

* ₹ 100 करोड़ से कम वास्तविक व्यय वाली परियोजनाओं को अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत जोड़ा गया है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 4: निवेश

विवरण	निवेश की मुद्रा	31 मार्च, 2025			31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024				
		संख्या	प्रदत्त मूल्य	निवेश मूल्य (₹ करोड़ में)	उचित मूल्य समायोजन/नुकसान हानि (₹ करोड़ में)	वहनीय मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	प्रदत्त मूल्य	निवेश मूल्य (₹ करोड़ में)	उचित मूल्य समायोजन/नुकसान हानि (₹ करोड़ में)	वहनीय मूल्य (₹ करोड़ में)
				(1)	(2)	(1+2)			(1)	(2)	(1+2)
गैर-चालूनिवेश:											
I इक्विटी शेयरों में											
क सहायक कंपनियों में (लागत पर):											
उद्धृत:											
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारतीय रुपये	77265200	10	509.33	–	509.33	77265200	10	509.33	–	509.33
लंका आईओसी पीएलसी (कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज, श्रीलंका में उद्धृत)	श्रीलंकाई रुपये	400000005	10	194.13	–	194.13	400000005	10	194.13	–	194.13
अउद्धृत:											
इंडियन ऑयल मॉरीशस लिमिटेड	मॉरीशस रुपये	4882043	100	75.67	–	75.67	4882043	100	75.67	–	75.67
आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई	अरब अमीरात	3550500	1	3.56	–	3.56	3000000	1	2.30	–	2.30
आईओसी स्वीडन एबी	यूरो	10234882	2.28	492.78	(417.39)	75.39	5256111	2.28	388.47	(333.47)	55.00
आईओसीएल (यूएसए) इंक.	यूएसडी	5763538921	0.01	336.32	–	336.32	5763538921	0.01	336.32	(154.54)	181.78
इंडऑयल ग्लोबल बी.वी.	कनाडाई डॉलर	1131302435	1	7,840.35	(1,909.51)	5,930.84	1131302435	1	7,840.35	(1,909.51)	5,930.84
आईओसीएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	यूएसडी	1329991988	1	9,005.34	–	9,005.34	1329991988	1	9,005.34	–	9,005.34
आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड	भारतीय रुपये	660250000	10	660.25	–	660.25	5000000	10	5.00	–	5.00
मर्केंटर पेट्रोलियम लिमिटेड	भारतीय रुपये	100000	10	0.10	–	0.10	–	–	–	–	–
टेरा क्लीन लिमिटेड	भारतीय रुपये	50000000	10	50.00	–	50.00	–	–	–	–	–
उप-कुल: (I)(क)				19167.83	(2326.90)	16840.93			**18356.91**	**(2397.52)**	**15959.39**
ख सहयोगी कंपनियों में (लागत पर):											
उद्धृत:											
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	भारतीय रुपये	187500000	10	98.75	–	98.75	187500000	10	98.75	–	98.75
अउद्धृत:											
एवी-ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	4500000	10	4.50	–	4.50	4500000	10	4.50	–	4.50
पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)	भारतीय रुपये	18000000	0.10	0.18	–	0.18	18000000	0.10	0.18	–	0.18
पेट्रोनेट वीके लिमिटेड	भारतीय रुपये	50000000	10	26.02	(26.00)	0.02	50000000	10	26.02	(26.00)	0.02
उप-कुल: (I)(ख)				129.45	(26.00)	103.45			**129.45**	**(26.00)**	**103.45**
ग संयुक्त उद्यमों में (लागत पर):											
अउद्धृत:											
इंडियन ऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड	भारतीय रुपये	500972175	10	739.96	–	739.96	500972175	10	739.96	–	739.96
लुब्रिज़ोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	499200	100	61.71	–	61.71	499200	100	61.71	–	61.71
इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	134000000	10	134.00	–	134.00	134000000	10	134.00	–	134.00
पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)	भारतीय रुपये	3744000	10	3.83	(3.83)	–	3744000	10	3.83	(3.83)	–
ग्रीन गैस लिमिटेड	भारतीय रुपये	25292250	10	51.15	–	51.15	25287250	10	51.09	–	51.09
इंडियनऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	25950000	10	73.28	–	73.28	25950000	10	73.28	–	73.28
सुंटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	नाइरा	2500000	1	0.05	(0.05)	–	2500000	1	0.05	(0.05)	–
दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	60680000	10	60.68	–	60.68	60680000	10	60.68	–	60.68
इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	222861375	10	222.86	–	222.86	222861375	10	222.86	–	222.86
एनपीसीआईएल-इंडियनऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारतीय रुपये	260000	10	0.26	–	0.26	260000	10	0.26	–	0.26
जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	579605012	10	579.61	–	579.61	574925012	10	574.93	–	574.93
जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड	भारतीय रुपये	157820000	10	157.82	(128.53)	29.29	157820000	10	157.82	(33.29)	124.53
इंडियनऑयल-अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	718365000	10	718.37	–	718.37	658865000	10	658.87	–	658.87
मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	52918750	10	52.92	–	52.92	52918750	10	52.92	–	52.92
कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	670125000	10	670.13	–	670.13	560640000	10	560.64	–	560.64
इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड[a]	भारतीय रुपये	4500	10	–	–	–	4500	10	–	–	–
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	भारतीय रुपये	2642985000	10	2,642.99	–	2,642.99	2642985000	10	2,642.99	–	2,642.99
रत्नागिरी रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	भारतीय रुपये	100000000	10	100.00	–	100.00	100000000	10	100.00	–	100.00
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	भारतीय रुपये	230560000	10	241.76	–	241.76	222360000	10	228.96	–	228.96
आईएचबी लिमिटेड	भारतीय रुपये	1529000000	10	1,529.00	–	1,529.00	1529000000	10	1,529.00	–	1,529.00
इंडियनऑयल एचडब्ल्यूबी प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	30000000	10	30.00	–	30.00	30000000	10	30.00	–	30.00
आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	14937500	10	14.94	–	14.94	4187500	10	4.19	–	4.19
पारादीप प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	भारतीय रुपये	32720000	10	32.72	–	32.72	32720000	10	32.72	–	32.72
कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	भारतीय रुपये	12500	10	0.01	–	0.01	12500	10	0.01	–	0.01
इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	48050000	10	48.05	–	48.05	50000	10	0.05	–	0.05
जीएच4इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	1000000	10	1.00	–	1.00	1000000	10	1.00	–	1.00
आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	54150000	10	54.15	–	54.15	–	–	–	–	–
इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	185010000	10	185.01	–	185.01	–	–	–	–	–
उप-कुल: (I)(ग)				8406.26	(132.41)	8273.85			**7921.82**	**(37.17)**	**7884.65**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 4: निवेश (जारी..)

	विवरण	निवेश की मुद्रा	31 मार्च, 2025 संख्या	प्रदत्त मूल्य	निवेश मूल्य (₹ करोड़ में)	31 मार्च, 2025 नुकसान हानि/ उचित मूल्य समायोजन (₹ करोड़ में)	उचित मूल्य (₹ करोड़ में)	31 मार्च, 2024 संख्या	प्रदत्त मूल्य	निवेश मूल्य (₹ करोड़ में)	नुकसान हानि/ उचित मूल्य समायोजन (₹ करोड़ में)	वहनीय / उचित मूल्य (₹ करोड़ में)
					(1)	(2)	(1+2)			(1)	(2)	(1+2)
घ	**अन्य में (में नामित)**											
	उद्धृत:											
	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	भारतीय रुपये	986885142	5	1,780.12	22,534.75	24,314.87	986885142	5	1,780.12	24,673.33	26,453.45
	गेल (इंडिया) लिमिटेड	भारतीय रुपये	163358190	10	122.52	2,867.59	2,990.11	163358190	10	122.52	2,835.08	2,957.60
	ऑयल इंडिया लिमिटेड	भारतीय रुपये	80251650	10	1,123.52	1,980.21	3,103.73	53501100	10	1,123.52	2,087.88	3,211.40
	उद्धृत नहीं:											
	अंतर्राष्ट्रीय सहकारी पेट्रोलियम संघ, न्यूयॉर्क	यूएसडी	350	100	0.02	–	0.02	350	100	0.02	–	0.02
	हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड	भारतीय रुपये	150000000	10	150.00	464.40	614.40	150000000	10	150.00	511.20	661.20
	इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड	भारतीय रुपये	3693750	10	3.69	11.79	15.48	3693750	10	3.69	9.67	13.36
	वसितार्स प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपये	1470	10	0.77	–	0.77	1470	10	0.77	–	0.77
	बडोदरा एनवायरो चैनल लिमिटेड[b]	भारतीय रुपये	7151	10	–	–	–	7151	10	–	–	–
	शमा फोर्ज कंपनी लिमिटेड[c] (परिसमापन के अधीन)	भारतीय रुपये	100000	10	–	–	–	100000	10	–	–	–
	उपभोक्ता सहकारी समितियों में:											
	बरौनी[d]	भारतीय रुपये	250	10	–	–	–	250	10	–	–	–
	गुवाहाटी[e]	भारतीय रुपये	750	10	–	–	–	750	10	–	–	–
	मथुरा[f]	भारतीय रुपये	200	10	–	–	–	200	10	–	–	–
	हल्दिया[g]	भारतीय रुपये	2190	10	–	–	–	2190	10	–	–	–
	इंडियन ऑयल कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स लिमिटेड, दिल्ली[h]	भारतीय रुपये	375	10	–	–	–	375	10	–	–	–
	उप–कुल: (I)(घ)				3180.64	27858.74	31039.38			**3180.64**	**30117.16**	**33297.80**
	उप–कुल: (I)				30884.18	25373.43	56257.61			**29588.82**	**27656.47**	**57245.29**
II	**शेयर वारंट (एफवीटीओसीआई में नामित)**											
	संयुक्त उद्यमों में											
	उद्धृत नहीं:											
	इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड (नोट .4 देखें)		3665000000	9.99	3,661.34	982.22	4,643.56	3665000000	9.99	3,661.34	157.60	3,818.94
	उप–कुल: (II)				3661.34	982.22	4643.56			**3,661.34**	**157.60**	**3,818.94**
III	**अधिमान्य शेयर (एफवीटीपीएल में)**											
क	**सहायक कंपनी में कंपनियाँ:**											
	अउद्धृत:											
	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारतीय रुपये	–	–	–	–	–	500000000	10	500.00	(6.95)	493.05
	6.65% संचयी प्रतिदेय गैर–परिवर्तनीय अधिमान्य शेयर											
ख	**अन्य में**											
	अउद्धृत:											
	शमा फोर्ज कंपनी लिमिटेड[i] (परिसमापनाधीन)	भारतीय रुपये	5000	100	–	–	–	5000	100	–	–	–
	9.5% संचयी प्रतिदेय अधिमान्य शेयर											
	उप–कुल: (III)				–	–	–			**500.00**	**(6.95)**	**493.05**
	कुल गैर चालू निवेश (I+II+III)				34,545.52	26,355.65	60,901.17			**33,750.16**	**27,807.12**	**61,557.28**
	चालू निवेश:											
I	**अधिमान्य शेयर (एफवीटीपीएल पर)**											
क	**सहायक कंपनियों में:**											
	अउद्धृत:											
	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारतीय रुपये	500000000	10	500.00	(0.65)	499.35	–	–	–	–	–
	6.65% सह–प्रतिदेय गैर–परिवर्तनीय अधिमान्य शेयर											
	उप–कुल: (I)				500.00	(0.65)	499.35			**–**	**–**	**–**
II	**सरकारी प्रतिभूतियाँ (एफवीटीओसीआई पर)**											
	उद्धृत:											
	तेल विपणन कंपनियाँ भारत सरकार के विशेष बांड (नोट बी देखें)	भारतीय रुपये	3167200	10000	3,167.20	37.39	3,204.59	6729510	10000	6,729.51	39.41	6,768.92
	9.15% सरकारी स्टॉक 2024	भारतीय रुपये	–	–	–	–	–	1960000	10000	2,242.91	(190.46)	2,052.45
	7.35% सरकारी स्टॉक 2024	भारतीय रुपये	–	–	–	–	–	695000	10000	704.04	5.49	709.53
	7.26% सरकारी स्टॉक 2033	भारतीय रुपये	1530267	10000	1,563.83	44.62	1,608.45	–	–	–	–	–
	7.18% सरकारी स्टॉक 2037	भारतीय रुपये	1000000	10000	1,026.96	27.25	1,054.21	–	–	–	–	–
	7.23% सरकारी स्टॉक 2039	भारतीय रुपये	1434863	10000	1,483.15	68.99	1,552.14	–	–	–	–	–
	7.26% सरकारी स्टॉक 2032	भारतीय रुपये	478389	10000	492.59	8.70	501.29	–	–	–	–	–
	7.18% सरकारी स्टॉक 2033	भारतीय रुपये	500000	10000	511.67	11.17	522.84	–	–	–	–	–
	7.10% सरकारी स्टॉक 2034	भारतीय रुपये	500000	10000	511.25	22.06	533.31	–	–	–	–	–
	7.41% सरकारी स्टॉक 2036	भारतीय रुपये	500000	10000	519.79	20.06	539.85	–	–	–	–	–
	उप–कुल: (II)				9,276.44	240.24	9,516.68			**9,676.46**	**(145.56)**	**9,530.90**
	कुल चालू निवेश (I+II)				9,776.44	239.59	10,016.03			**9,676.46**	**(145.56)**	**9,530.90**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 4: निवेश (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर चालू		चालू	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
उद्धृत निवेशों का कुल वहनीय मूल्य	31,210.92	33,424.66	9,516.68	9,530.90
उद्धृत निवेशों का कुल बाज़ार मूल्य	42,132.64	45,738.17	9,516.68	9,530.90
अनुद्धृत निवेशों का कुल वहनीय मूल्य	29,690.25	28,132.62	499.35	
निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि	2,485.31	2,460.69		

पूर्णांकित करने के कारण निम्नलिखित ऊपर नहीं दर्शित हुए –

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
क इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड	45,000	45,000
ख वडोदरा एनवायरो चैनल लिमिटेड	10	10
ग शमा फोर्ज कं. लिमिटेड	100	100
घ बरौनी कंज्यूमर कॉआपरेटिव सोसाइटीज़	2,500	2,500
ङ गुवाहाटी कंज्यूमर कॉआपरेटिव सोसाइटीज़	2,500	2,500
च मथुरा कंज्यूमर कॉआपरेटिव सोसाइटीज़	2,000	2,000
छ हल्दिया कंज्यूमर कॉआपरेटिव सोसाइटीज़	16,630	16,630
ज इंडियनऑयल कॉआपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स लिमिटेड, दिल्ली	3,750	3,750
झ शमा फोर्ज कं. लिमिटेड	100	100

टिप्पणी–क

वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेशों के साथ नए निवेश इस प्रकार किए गए:

(₹ करोड़ में)

उपक्रम का नाम	शेयर की संख्या	राशि
अनकोटेड निवेश:		
इक्विटी शेयरों में निवेश:		
आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई	550500	1.26
आईओसी स्वीडन एबी*	4978771	104.31
आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड*	655250000	655.25
मर्केंटर पेट्रोलियम लिमिटेड	100000	0.10
टेरा क्लीन लिमिटेड	50000000	50.00
ग्रीन गैस लिमिटेड	5000	0.06
जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	4680000	4.68
इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड*	59500000	59.50
कोच्चि सेलम पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड*	109485000	109.49
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	8200000	8.20
आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	10750000	10.75
इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	48000000	48.00
आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड	185010000	54.15
इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	54150000	185.01
मान्य निवेश (दी गई वित्तीय गारंटी के बदले में):		
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	–	4.60

*इसमें पिछले वर्षों में दिए गए निवेश के लिए अग्रिम के रूप में वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर शामिल हैं, जिनमें 104.31 करोड़ रुपये के आईओसी स्वीडन एबी, 1.25 करोड़ रुपये के आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड, 76.99 करोड़ रुपये के कोच्चि सेलम पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड और 9.50 करोड़ रुपये के इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 4: निवेश (जारी..)

टिप्पणी–ख

तेल विपणन कंपनी जीओईआई के विशेष बांड में निवेश में शामिल हैं –

(₹ करोड़ में)

बॉन्ड की प्रकृति	31 मार्च, 2025			
	बॉन्ड की संख्या	अंकित मूल्य राशि	निवेश मूल्य राशि	वहनीय मूल्य राशि
1. चालू निवेश:				
8.00% भारत सरकार के विशेष बांड 2026	189270	189.27	189.27	191.86
6.90% भारत सरकार के विशेष बांड 2026	2977930	2,977.93	2,977.93	3,012.73
कुल वर्तमान निवेश	3167200	3,167.20	3,167.20	3,204.59

टिप्पणी–ग: अन्य प्रकटीकरण

1 सीसीआईएल के त्रिपक्षीय रेपो सेगमेंट (टीआरईपीएस) के माध्यम से ऋण के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के पक्ष में निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखी गईं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025			31 मार्च, 2024		
	अंकित मूल्य	निवेश मूल्य	वहनीय मूल्य	अंकित मूल्य	निवेश मूल्य	वहनीय मूल्य
7.26% सरकारी स्टॉक 2033	1,166.64	1,192.23	1,226.24	–	–	–
7.18% सरकारी स्टॉक 2037	490.00	503.21	516.56	–	–	–
7.23% सरकारी स्टॉक 2039	500.00	516.83	540.87	–	–	–
7.26% सरकारी स्टॉक 2032	178.00	183.28	186.52	–	–	–
7.18% सरकारी स्टॉक 2033	500.00	511.67	522.84	–	–	–
7.10% सरकारी स्टॉक 2034	500.00	511.25	533.31	–	–	–
9.15% सरकारी स्टॉक 2024	–	–	–	6.00	6.84	6.28

2 निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों को CROMS प्लेटफॉर्म से ओवरनाइट उधारी के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) के पक्ष में गिरवी रखा गया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025			31 मार्च, 2024		
	अंकित मूल्य	निवेश मूल्य	वहनीय मूल्य	अंकित मूल्य	निवेश मूल्य	वहनीय मूल्य
7.26% सरकारी स्टॉक 2033	339.60	347.05	356.95	–	–	–
7.18% सरकारी स्टॉक 2037	500.00	513.48	527.11	–	–	–
7.23% सरकारी स्टॉक 2039	500.00	516.83	540.87	–	–	–
7.23% सरकारी स्टॉक 2039	415.00	428.97	448.92	–	–	–
7.26% सरकारी स्टॉक 2032	286.87	295.38	300.60	–	–	–
7.41% सरकारी स्टॉक 2036	464.08	482.45	501.06	–	–	–

3 तेल विपणन कंपनियों ने सीसीआईएल के क्रॉम्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओवरनाइट उधारी प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में ₹494.70 करोड़ रुपये (वहन मूल्य ₹ 500.48 करोड़ रुपये) के निवेश मूल्य के 6.90% भारत सरकार के विशेष बांड 2026 का उपयोग किया है।

4 6.65% संचयी मोचनीय गैर-परिवर्तनीय वरीयता शेयर, जिनका अंकित मूल्य ₹500 करोड़ रुपये (उचित मूल्य ₹ 499.35 करोड़ रुपये) है, 30 सितंबर 2025 को मोचन के लिए देय हैं।

5 वर्ष के दौरान, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ₹ 2,67,50,550 इक्विटी शेयर पूरी तरह से चुकता बोनस शेयरों के रूप में आवंटित किए हैं।

6 सभी निवेश पूरी तरह से चुकता हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 5: ऋण

(परिशोधित लागत पर, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण		गैर चालू		चालू	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
ऋण	क				
संबंधित पक्षकारों को					
प्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		0.16	0.15	0.03	0.02
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	ख	168.63	0.10	5.25	15.48
अनर्जक क्रेडिट		110.90	110.90	–	–
		279.69	**111.15**	5.28	**15.50**
घटाएं-संदिग्ध ऋणों की स्वीकृति		110.90	110.90	–	–
		168.79	**0.25**	5.28	**15.50**
अन्य को					
प्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		1,518.60	1,277.51	168.71	149.76
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		1,396.88	1,367.26	365.26	342.79
जिनका क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है		167.74	200.24	45.49	46.70
अनर्जक क्रेडिट		726.20	630.60	242.67	233.49
		3,809.42	**3,475.61**	822.13	**772.74**
घटाएं-संदिग्ध ऋणों की स्वीकृति	ग	1,070.96	1,011.14	325.20	317.56
		2,738.46	**2,464.47**	496.93	**455.18**
कुल		2,907.25	**2,464.72**	502.21	**470.68**
क. शामिल है-					
1. निदेशकों से देय		0.23	0.25	0.05	0.04
2. अन्य अधिकारियों से देय		7.64	6.56	3.38	2.98
ख. इसमें 'सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड' को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दिया गया ऋण शामिल है, जिसका मूल्य शून्य है (2024: शून्य)					
ग. इसमें अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल के अनुसार प्रावधान और अच्छे माने जाने वाले ऋणों पर अनुभव कारक लागू करना शामिल है और जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		344.76	380.54	82.53	84.07

टिप्पणी – 6: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(परिशोधित लागत में अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर चालू		चालू	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
प्रतिभूति जमा				
संबंधित पक्षों के लिए				
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	4.00	4.00	0.12	0.12
अन्य को				
प्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	0.12	0.11	–	–
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	325.57	303.99	60.57	50.63
अनर्जक क्रेडिट	–	–	1.37	1.39
	329.69	**308.10**	62.06	**52.14**
घटाएं- संदिग्ध जमा की स्वीकृति	–	–	1.37	1.39
	329.69	**308.10**	60.69	**50.75**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 6: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण		गैर चालू		चालू	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
निवेश के लिए अग्रिम	क				
सहायक कंपनियों में		–	105.56		
संयुक्त उद्यमों में		80.00	86.49		
		80.00	**192.05**		
केंद्र/राज्य सरकार से वसूली योग्य राशि		–	–	1,960.94	1,785.75
उचित मूल्य पर व्युत्पन्न उपकरण		–	–	0.62	2.98
कर्मचारी हितलाभ ट्रस्ट / निधियों को अग्रिम		–	–	246.64	279.28
बैंक जमा (12 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि)	ख	3.01	3.23	0.73	0.93
एजेंसी की बिक्री से प्राप्य (संबंधित पक्षकार)		–	–	2,313.64	2,866.24
वसूली योग्य दावे–					
संबंधित पक्षकारों को					
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		–	–	54.52	54.52
अनर्जक क्रेडिट		–	–	4.24	4.24
		–	–	58.76	**58.76**
अन्य से					
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		–	–	230.41	219.60
अनर्जक क्रेडिट		–	–	162.97	223.26
		–	–	393.38	**442.86**
घटाएं: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान		–	–	167.21	227.50
		–	–	284.93	**274.12**
अन्य–					
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		0.01	2.26	246.78	244.20
अनर्जक क्रेडिट		–	–	38.87	25.73
		0.01	**2.26**	285.65	**269.93**
घटाएं-संदिग्ध परिसंपत्तियो की स्वीकृति		–	–	38.87	25.73
		0.01	**2.26**	246.78	**244.20**
कुल		412.71	**505.64**	5,114.97	**5,504.25**

क. आवंटन लंबित होने के कारण इक्विटी शेयर आवेदन धन को दर्शाता है। इक्विटी शेयरों का आवंटन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार किए जाने की उम्मीद है।

ख. निविदा में भाग लेने के लिए सांविधिक प्राधिकरणों के पक्ष में निर्धारित किया गया/ प्रतिभूति के रूप में प्रावधान किया गया।

टिप्पणी – 7: आय कर / चालू कर परिसंपत्ति / (देयता) – निवल

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर चालू		चालू	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
आय कर/ चालू कर परिसंपत्ति (देयता) – निवल				
चालू कर के लिए अग्रिम भुगतान	15,146.81	9,240.93	724.49	10,740.86
घटाएं-प्रावधान	13,614.53	7,441.83	–	11,647.49
आय/चालू कर परिसंपत्ति/(देयता) – निवल	1,532.28	**1,799.10**	724.49	**(906.63)**
फ्रिंज बेनिफिट टैक्स संबंधी राशि शामिल	3.39	3.39	2.04	2.04

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 8: अन्य परिसंपत्तियां (गैर-वित्तीय)

(अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर चालू		चालू	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम				
संबंधित पक्षों के लिए				
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	–	10.29		
	–	**10.29**		
अन्य को				
प्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	1.57	3.30		
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	2,966.87	2,299.06		
अप्रतिभूत, संदिग्ध माना गया	9.32	9.32		
	2,977.76	**2,311.68**		
घटाएं- संदिग्ध अग्रिम की स्वीकृति	9.32	9.32		
	2,968.44	**2,312.65**		
वसूली योग्य अग्रिम				
संबंधित पक्षकारों से				
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	1,069.24	1,200.88	135.21	28.87
अन्य से				
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	871.76	279.37	3,305.49	2,949.47
अप्रतिभूत, संदिग्ध माना गया	–	–	4.86	4.87
	871.76	**279.37**	**3,310.35**	**2,954.34**
घटाएं-संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान	–	–	4.86	4.87
	871.76	**279.37**	**3,305.49**	**2,949.47**
	1,941.00	**1,480.25**	**3,440.70**	**2,978.34**
वसूली योग्य दावे: क				
अन्य से				
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया (नोट 49, क्रम संख्या 2 देखें)	–	–	1,304.57	482.83
अप्रतिभूत, संदिग्ध माना गया	–	–	62.48	61.90
	–	**–**	**1,367.05**	**544.73**
घटाएं- संदिग्ध दावों का प्रावधान	–	–	62.48	61.90
	–	**–**	**1,304.57**	**482.83**
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष / जमा				
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	–	–	565.57	584.34
स्वर्ण/अन्य कीमती धातुएं	–	–	74.83	92.56
घटाएं- मूल्य में ह्रास का प्रावधान	–	–	7.84	15.74
	–	**–**	**66.99**	**76.82**
आस्थगित व्यय (टिप्पणी-39 देखें)	1,158.00	1,072.78	111.86	108.70
पूर्वदत्त किराया	21.52	23.55	69.15	74.08
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के पहले से किए गए व्यय (टिप्पणी – 45 देखें)	–	–	43.87	35.29
कुल	**6,088.96**	**4,889.23**	**5,602.71**	**4,340.40**
क. शामिल है:				
1. जीएसटी / सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / डीईपीबी / शुल्क वापसी के दावे जिनका दावा करने की प्रक्रिया विभाग में की जा रही है	–	–	78.27	53.65
2. अंतिम निर्धारण / निपटान के लिए लंबित सीमा शुल्क के प्राधिकारियों से वसूली योग्य दावे	–	–	90.06	76.40

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 9: इन्वेंट्रीज़

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
हाथ में:		
कच्चा माल	25,854.54	29,683.05
चालू स्टॉक	8,714.77	9,999.21
तैयार उत्पाद	42,316.15	41,340.19
व्यापारगत स्टॉक	8,183.71	7,941.00
स्टोर्स, पुर्जे आदि	6,838.60	6,106.84
घटाएं-हानि का प्रावधान	310.28	277.42
	6,528.32	**5,829.42**
बैरल और टिन	82.01	90.22
	91,679.50	**94,883.09**
मार्गस्थ:		
कच्चा माल	9,082.37	13,815.17
तैयार उत्पाद	1,358.37	1,182.18
व्यापारगत स्टॉक	3,154.86	2,345.90
स्टोर्स, पुर्जे आदि	336.82	281.15
	13,932.42	**17,624.40**
कुल	**1,05,611.92**	**1,12,507.49**
'स्टॉक इन हैंड' में अन्य के पास रखे स्टॉक शामिल हैं		
कच्चा माल	290.50	301.30
तैयार उत्पाद	3,231.74	2,822.93
व्यापार में स्टॉक	1,674.36	1,454.47
स्टोर, पुर्जे आदि	8.55	13.20
बैरल और टिन	0.42	0.55
एनआरवी में अवलेखित वस्तुसूचियों की राशि जिन्हें असाधारण मद माना गया।	1,212.97	1,005.17
आय के रूप में निर्धारित मालसूची के अवलेखन को व्युत्क्रमित करने की राशि।	–	1.93
मालसूची का मूल्यांकन महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (नोट-1) के बिंदु सं. 7 के अनुसार किया जाता है।		
दृष्टिबंधन विवरण के लिए नोट-21 देखें।		

टिप्पणी – 10: व्यापार प्राप्तियां

(परिशोधित लागत पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
संबंधित पक्षकारों से		
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	622.39	661.70
अनर्जक क्रेडिट	9.93	9.69
	632.32	**671.39**
अन्य से		
प्रतिभूत रक्षित, उपयुक्त माना गया	0.70	0.13
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	17,426.66	12,251.19
अनर्जक क्रेडिट	188.00	192.87
	17,615.36	**12,444.19**
कुल	**18,247.68**	**13,115.58**
घटाएं: संदिग्ध ऋणों की स्वीकृति क	434.68	336.17
कुल	**17,813.00**	**12,779.41**
क. इसमें लेखांकन नीति के अनुरूप अपेक्षित क्रेडिट हानि विधि के अनुसार प्रावधान शामिल है और जिनके पास क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	236.75	133.61

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 10: व्यापार प्राप्तियां (जारी)

व्यापार प्राप्य राशियों की अवधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल रहित	देय नहीं	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
चालू वर्ष								
i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य राशियां-उपयुक्त माना गया	31.09	11,348.61	5,024.55	294.02	243.68	104.01	61.72	17,107.68
ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य राशियां – ह्रासित ऋण	–	–	–	–	–	–	65.82	65.82
iii) विवादित व्यापार प्राप्य राशियां-उपयुक्त माना गया (नोट 49, क्रम संख्या 3 देखें)	2.15	6.25	7.44	244.93	489.64	33.39	158.27	942.07
iv) विवादित व्यापार प्राप्य राशियां – ह्रासित ऋण	0.65	1.86	2.25	4.37	8.83	8.63	105.52	132.11
कुल	33.89	11,356.72	5,034.24	543.32	742.15	146.03	391.33	18,247.68
गत वर्ष								
i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य राशियां-उपयुक्त माना गया	30.48	8,541.94	3,458.89	191.14	185.94	155.90	64.50	12,628.79
ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य राशियां – ह्रासित ऋण	–	–	–	55.56	0.35	0.31	58.53	114.75
iii) विवादित व्यापार प्राप्य राशियां-उपयुक्त माना गया	4.62	12.77	16.21	20.37	38.06	44.65	147.55	284.23
iv) विवादित व्यापार प्राप्य राशियां – ह्रासित ऋण	–	–	–	–	0.15	0.20	87.46	87.81
कुल	**35.10**	**8,554.71**	**3,475.10**	**267.07**	**224.50**	**201.06**	**358.04**	**13,115.58**

टिप्पणी – 11: नकद व नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष :		
चालू खाते में	219.00	449.10
गैर-अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष –	35.77	12.91
हाथ में चैक, ड्राफ्ट	7.17	1.31
हाथ में नकद, अग्रदाय राशि सहित	1.23	0.96
कुल	263.17	**464.28**

टिप्पणी – 12: उपर्युक्त के अलावा बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
मियादी जमा	क	12.96	12.38
निर्धारित शेष	ख	239.27	353.19
अन्य बैंक शेष	ग	0.61	0.61
कुल		252.84	**366.18**
क) सांविधिक प्राधिकारियों के पक्ष में निर्धारित		12.96	12.38
ख) इनसे संबंधित			
– अदत्त लाभांश		36.34	38.41
– भिन्नात्मक शेयर वारंट		–	0.03
– लिक्विड ऑक्सीजन उपकरण की खरीद के लिए पीएम केयर्स फंड से प्राप्त राशि (नोट 6 में वसूली योग्य दावों के रूप में दर्शाई गई शून्य (2024: ₹41.33 करोड़) राशि के दावे का लंबित समायोजन)		–	41.33
– आरओ पर ईवीसीएस स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से अनुदान प्राप्त हुआ (सरकार को देय ₹34.04 करोड़ (2024: ₹16.61 करोड़) (टीडीएस का निवल) अर्जित ब्याज सहित)		201.49	271.41
– ट्रांसपोर्टर विक्रेता से प्राप्त राशि न्यायालय के निर्देशानुसार ही देय होगी		1.44	2.00
ग) इन शेष राशियों के प्रत्यावर्तन/उपयोग की परिसीमा है			

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 13: बिक्री के लिए आस्थगित परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
पूर्ण-स्वामित्व	क	0.64	0.64
भवन	ख	0.55	0.07
संयंत्र व उपकरण	ख	126.11	57.69
कार्यालयीन उपकरण	ख	0.07	0.19
परिवहन संबंधी उपकरण	ख	0.24	0.10
कुल		127.61	**58.69**
निपटान समूह: नरीमनम मार्केटिंग टर्मिनल	ग		
पूर्ण-स्वामित्व		4.96	4.96
भवन		12.47	12.97
संयंत्र व उपकरण		46.66	52.00
कार्यालयीन उपकरण		0.05	0.05
कुल		64.14	**69.98**
बिक्री के लिए धारित कुल संपत्ति		191.75	**128.67**

क. कंपनी के पास एलपीजी प्लांट, डिपो और आरओ आदि जैसे विभिन्न स्थानों पर अधिशेष भूमि है जो निपटान के अधीन है। प्रबंधन इस जमीन को बेचना चाहता है। बिक्री के लिए धारित भूमि के पुनर्वर्गीकरण पर कोई हानि अभिचिह्नित नहीं की गई क्योंकि कंपनी अपेक्षा करती है कि उचित मूल्य (समान स्थानों में समान संपत्तियों के हाल के बाजार मूल्यों के आधार पर अनुमानित) में से बेचने की लागत घटाने के बाद शेष राशि वहनीय राशि से अधिक है।

ख. इसमें सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त गैर-वर्तमान संपत्तियां शामिल हैं जो पहले विभिन्न खंडों में उपयोग की जाती थीं और एक वर्ष के भीतर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निपटान के लिए रखी गई थीं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों के निपटान की योजना के आधार पर ₹6.04 करोड़ (2024: ₹0.07 करोड़) की बिक्री हेतु धारित परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/अन्य परिसंपत्तियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्ति को विक्रय लागत घटाकर उचित मूल्य पर अपलिखित करने पर ₹13.57 करोड़ (2024: ₹ 18.30 करोड़) की मूल्यह्रास हानि को मान्यता दी है और इसे लाभ-हानि विवरण में 'अन्य व्यय' के अंतर्गत बेची गई या अपलिखित की गई अन्य परिसंपत्तियों पर प्रावधान/हानि में दर्शाया गया है।

ग. कावेरी बेसिन रिफ़ाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (सीबीआरपीएल) को कावेरी बेसिन नागापट्टिनम में 9 एमएमटीपीए की नई रिफ़ाइनरी के निर्माण के लिए इंडियनऑयल और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रूप में 6 जनवरी 2023 को निगमित किया गया था जिसमें प्रत्येक की 25% इक्विटी और शेष सीड इक्विटी निवेशकों द्वारा है। सीपीसीएल द्वारा सीबीआर परियोजना में इक्विटी निवेश के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) से मंजूरी मिलने पर यह संयुक्त उद्यम चालू हो जाएगा। इसके बाद कंपनी के टर्मिनल की परिसंपत्तियों का अंतरण किया जाएगा। तदनुसार, नरीमनम मार्केटिंग टर्मिनल में कंपनी द्वारा धारित भूमि और अन्य सुविधाएं जिन्हें नए संयुक्त उद्यम में अंतरित किया जाना है, उन्हें निपटान समूह के तहत वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी – 14: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अधिकृत–		
₹ 10 प्रत्येक के 30,00,00,00,000 (2024: 30,00,00,00,000)) इक्विटी शेयर	30,000.00	**30,000.00**
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त–		
14,12,12,38,383 (2024: 14,12,12,38,383)	14,121.24	14,121.24
₹ 10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के इक्विटी शेयर		
घटाएं– आईओसी शेयर ट्रस्ट के तहत धारित इक्विटी शेयर	349.68	349.68
34,96,77,684 (2024: 34,96,77,684)		
₹ 10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के इक्विटी शेयर		
कुल	13,771.56	**13,771.56**
क. इक्विटी शेयरों की संख्या का समाधान		
प्रारंभिक शेष	14,12,12,38,383	14,12,12,38,383
जारी किए गए शेयर	–	–
अंतिम शेष	14,12,12,38,383	**14,12,12,38,383**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 14: इक्विटी शेयर पूंजी (जारी)

ख. इक्विटी शेयरों की शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिनका प्रत्येक का सममूल्य ₹ 10 है और ऐसे प्रत्येक शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक कंपनी की शेष संपत्ति को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में प्राप्त करने के हकदार होंगे।

आईओसी शेयर ट्रस्ट (शेयरधारक) ने दिनांक 02.03.2020 से लाभांश प्राप्त करने के अपने अधिकार का अधित्याग किया है।

ग. 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	7,27,21,99,767	51.50	7,27,21,99,767	51.50
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,00,58,22,884	14.20	2,00,58,22,884	14.20
भारतीय जीवन बीमा निगम	90,80,09,660	6.43	97,77,88,060	6.92
ऑयल इंडिया लिमिटेड	72,83,85,744	5.16	72,83,85,744	5.16

घ. तुलन-पत्र की तारीख को पूर्ववर्ती पांच वर्षों की अवधि के लिए:

(क) संविदा के अनुसार नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या और वर्ग	कुछ नहीं
(ख) बोनस शेयरों द्वारा पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या – वित्तीय वर्ष 2022-23 (जुलाई 2022) के दौरान 1:2 के अनुपात में	4,70,70,79,461

ङ. 31 मार्च, 2025 तक प्रवर्तकों की शेयरधारिता के संबंध में विवरण

प्रवर्तक का नाम	वर्ष के आरंभ में		वर्ष के अंत में		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	7,27,21,99,767	51.50	7,27,21,99,767	51.50	–

टिप्पणी – 15: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
प्रतिधारित आय		
सामान्य आय–		
प्रारंभिक शेष	1,00,656.81	98,893.26
जोड़ें– निर्धारित हितलाभ योजनाओं का पुर्नमापन	68.82	(34.53)
जोड़ें– बांड उन्मोचन रिजर्व से अंतरण	–	1,013.20
जोड़ें– अधिशेष से विनियोजन	23,078.77	784.88
	1,23,804.40	**1,00,656.81**
अधिशेष (लाभ व हानि का विवरण में शेष)		
पिछले वर्ष के खाते से आगे लाया गया शेष	32,719.05	4,916.46
वर्ष का लाभ	12,961.57	39,618.84
घटाएं– विनियोजन		
अंतरिम लाभांश [व्यय सहित (निवल कर)]	–	6,886.04
अंतिम लाभांश [व्यय सहित (निवल कर)]	9,640.28	4,131.58
बीमा आरक्षण (निवल)	14.41	13.75
सामान्य आरक्षण	23,078.77	784.88
अगले वर्ष अग्रनीत शेष	12,947.16	**32,719.05**
अन्य रिजर्व		
बांड मोचन रिजर्व		
प्रारंभिक शेष	–	1,013.20
घटाएं– सामान्य रिजर्व में अंतरण	–	1,013.20
	–	**–**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 15: अन्य इक्विटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
रिज़र्व पूंजी	183.08	183.08
बीमा रिज़र्व:		
प्रारंभिक शेष	325.17	311.42
जोड़ें– अधिशेष से विनियोजन	20.00	20.00
घटाएं– बीमा न करने के कारण हुई अग्रिम हानि की कमी	5.59	6.25
	339.58	**325.17**
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य:–		
इक्विटी विलेखों का उचित मूल्य		
प्रारंभिक शेष	29,060.99	15,540.77
जोड़ें– वर्ष के दौरान उचित मूल्य	(1,491.75)	13,520.22
	27,569.24	**29,060.99**
ऋण विलेखों का उचित मूल्य		
प्रारंभिक शेष	(3.90)	(10.88)
जोड़ें– वर्ष के दौरान उचित मूल्य	65.64	6.98
	61.74	**(3.90)**
नकदी प्रवाह हेज कोष		
प्रारंभिक शेष	2.22	138.67
जोड़ें– वर्ष के दौरान लब्धि/(हानि)	2.90	(57.76)
घटाएं– वर्ष के दौरान अंतरित	5.02	78.69
	0.10	**2.22**
कुल	1,64,905.30	**1,62,943.42**

आरक्षित निधियों की प्रकृति और उद्देश्य

क. प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय में सामान्य आरक्षित निधि और अधिशेष शामिल होते हैं जिनका उपयोग समय-समय पर विनियोजन द्वारा लाभ हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। प्रतिधारित आय कंपनी की मुक्त आरक्षित निधि है और इसका उपयोग निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार बोनस शेयर जारी करने, शेयरों की पुनर्खरीद और अन्य उद्देश्यों (जैसे लाभांश घोषित करना आदि) के लिए किया जाता है। इसमें बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन शामिल है जिसे बाद की अवधियों में लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

ख. बांड मोचन आरक्षित निधि

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी द्वारा जारी सभी बांड/डिबेंचर के लिए एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर एक बांड मोचन आरक्षित निधि बनाना आवश्यक है। यह आरक्षित निधि लाभ के विनियोजन से बनाई जाती है और जिस बांड के लिए इसे बनाया गया है, उसके पुनर्भुगतान पर इसे सामान्य आरक्षित निधि में वापस स्थानांतरित कर दिया जाता है। 2019 में, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और अन्य सूचीबद्ध कंपनियों को डिबेंचर के सार्वजनिक निर्गम/निजी प्लेसमेंट के मामले में इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था।

ग. पूंजी आरक्षित निधि

पूंजी आरक्षित निधि व्यावसायिक संयोजनों के माध्यम से बनाई गई थी और इसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

घ. बीमा आरक्षित निधि

कंपनी द्वारा निदेशक मंडल के अनुमोदन से बीमा आरक्षित निधि का निर्माण बाहरी बीमा एजेंसियों द्वारा बीमाकृत न की गई परिसंपत्तियों के नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। कंपनी द्वारा इस आरक्षित निधि में प्रति वर्ष ₹ 20.00 करोड़ रुपये का विनियोजन किया जाता है। इस आरक्षित निधि का उपयोग किसी भी बीमाकृत हानि की स्थिति में शुद्ध विनियोजन के माध्यम से वास्तविक हानि को कम करने के लिए किया जाता है। बीमाकृत हानि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 5.59 करोड़ रुपये (2024: ₹ 6.25 करोड़ रुपये) की राशि का उपयोग किया गया है।

ङ. इक्विटी उपकरणों का उचित मूल्य

यह आरक्षित निधि कंपनी द्वारा अन्य संस्थाओं के इक्विटी उपकरणों में किए गए निवेश के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव के संचयी प्रभाव को दर्शाती है। ऐसे परिवर्तनों से उत्पन्न संचयी लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से मान्यता दी जाती है और इस आरक्षित निधि के अंतर्गत संचित किया जाता है। इसे आगामी अवधियों में लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

च. ऋण उपकरणों का उचित मूल्य

यह आरक्षित निधि कंपनी द्वारा संविदात्मक नकदी प्रवाह अर्जित करने के लिए किए गए ऋण निवेशों में उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव के संचयी प्रभाव को दर्शाती है और जो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे परिवर्तनों से उत्पन्न संचयी लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से मान्यता दी जाती है और इस आरक्षित निधि के अंतर्गत संचित किया जाता है। यह राशि संबंधित उपकरणों के निपटान पर आगामी अवधियों में लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत की जाएगी।

छ. नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि

नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि नकदी प्रवाह हेजिंग के लिए किए गए हेजिंग उपकरणों के निर्दिष्ट हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न लाभ या हानि के संचयी प्रभावी हिस्से को दर्शाती है। ऐसे परिवर्तनों से उत्पन्न संचयी लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से मान्यता दी जाती है और इस आरक्षित निधि के अंतर्गत संचित किया जाता है। ऐसे लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें हेज्ड मद लाभ-हानि विवरण में शामिल है/प्रभावित करती है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 16: दीर्घकालिक उधार
(परिशोधित मूल्य पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण		गैर चालू		चालू परिपक्व राशियां*	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सुरक्षित ऋण					
अवधि ऋण:					
बैंकों से	क	1,600.62	–	717.60	–
कुल सुरक्षित ऋण		1,600.62	–	717.60	–
असुरक्षित ऋण					
बांड/डिबेंचर:					
रुपया बांड/डिबेंचर	ख	16,996.93	16,913.38	5,635.84	6,194.01
		16,996.93	**16,913.38**	5,635.84	**6,194.01**
अवधि ऋण:					
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से					
विदेशी मुद्रा में ऋण	ग	26,151.30	18,518.10	2,652.36	6,146.12
रुपये में	घ	4,000.00	2,750.00	2,017.22	4,036.06
सरकार से					
रुपये में	ङ	2,780.19	2,351.95	–	–
		32,931.49	**23,620.05**	4,669.58	**10,182.18**
संबंधित पक्षों से ऋण					
विदेशी मुद्रा में	च	–	834.10	855.30	0.58
कुल असुरक्षित ऋण		49,928.42	**41,367.53**	11,160.72	**16,376.77**
कुल दीर्घकालिक उधार		51,529.04	**41,367.53**	11,878.32	**16,376.77**

*चालू परिपक्व राशियों को टिप्पणी – 21: उधार चालू में ले जाया गया।

सुरक्षित उधार:

क. एसबीआई टर्म लोन

क्र. सं.	विवरण	निकासी की तिथि	पुनर्भुगतान की तिथि
1	₹2316.81 करोड़ का एसबीआई सावधि ऋण (एस्क्रो खाते और उसमें पड़े धन के विरुद्ध सावधि ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में प्रभार सृजित)	29 मार्च 2025	सावधि ऋण, निकासी की तिथि से 3 वर्षों की अवधि में मूलधन और ब्याज के 36 संरचित मासिक भुगतानों में चुकाया जाएगा। देय राशि ₹ 716.19 करोड़ (वित्त वर्ष 2025-26), ₹ 770.95 करोड़ (वित्त वर्ष 2026-27) और ₹ 829.67 करोड़ (वित्त वर्ष 2027-28) होगी।

असुरक्षित उधार:

ख. रु बॉन्डों/डिबेंचरों का चुकौती शेड्यूल

क्र. सं.	विवरण	आवंटन की तारीख	कूपन दर	उन्मोचन (रिडेंप्शन) की तारीख
1	इंडियन ऑयल 2032 (श्रृंखला XXIII) 25000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹2500 करोड़	17 जून 2022	7.79% प्रति वर्ष, 17 जून को वार्षिक देय	आवंटन की मान्य तिथि अर्थात 12 अप्रैल 2032 से 9 वर्ष, 9 महीने और 26 दिन
2	इंडियन ऑयल 2030 (श्रृंखला XXVII) 250000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹1,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹ 2500 करोड़	06 जनवरी 2025	7.25% प्रति वर्ष, 06 जनवरी को वार्षिक रूप से देय	आवंटन की मान्य तिथि अर्थात 06 जनवरी 2030 से 5 वर्ष
3	इंडियन ऑयल 2029 (श्रृंखलाXIV) 30000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹3000 करोड़	22 अक्टूबर 2019	7.41% प्रति वर्ष, 22 अक्टूबर को वार्षिक देय	आवंटन की मान्य तिथि अर्थात 22 अक्टूबर 2029 से 10 वर्ष

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 16: दीर्घकालिक उधार (जारी)

क्र. सं.	विवरण	आवंटन की तारीख	कूपन दर	उन्मोचन (रिडेंप्शन) की तारीख
4	इंडियन ऑयल 2029 (श्रृंखला XXVI) 250000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹3000 करोड़	16 जुलाई 2024	7.36% प्रति वर्ष, 16 जुलाई को वार्षिक देय	आवंटन की मान्य तिथि अर्थात 16 जुलाई 2029 से 5 वर्ष
5	इंडियन ऑयल 2027 (श्रृंखला XXV) 25000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹ 2500 करोड़	25 नवंबर 2022	7.44% प्रति वर्ष, 25 नवंबर को वार्षिक देय	आवंटन की मान्य तिथि अर्थात 25 नवंबर 2027 से 5 वर्ष
6	इंडियन ऑयल 2027 (श्रृंखला XXIV) 25000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹2500 करोड़	06 सितंबर 2022	7.14% प्रति वर्ष, 06 सितंबर को वार्षिक देय	आवंटन की मान्य तिथि अर्थात 6 सितंबर 2027 से 5 वर्ष
7	इंडियन ऑयल 2027 (श्रृंखला XXI) 15000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹1500 करोड़	18 फ़रवरी 2022	6.14% प्रति वर्ष, 18 फरवरी को वार्षिक देय	आवंटन की मान्य तिथि अर्थात 18 फरवरी 2027 से 5 वर्ष
8	इंडियन ऑयल 2026 (सीरीज XX) 12902 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹1290.2 करोड़	25 जनवरी 2021	5.60% प्रति वर्ष, 25 जनवरी को वार्षिक देय	आवंटन की मान्य तिथि अर्थात 23 जनवरी 2026 से 4 वर्ष, 11 महीने और 29 दिन
9	इंडियन ऑयल 2025 (श्रृंखला XIX) 20,000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹2000 करोड़	20 अक्टूबर 2020	5.50% प्रति वर्ष, 20 अक्टूबर को वार्षिक देय	आवंटन की मान्य तिथि से 5 वर्ष अर्थात 20 अक्टूबर 2025
10	इंडियन ऑयल 2025 (श्रृंखला XVII) 16,250 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹1625 करोड़	03 अगस्त 2020	5.40% प्रति वर्ष, 03 अगस्त को वार्षिक देय	आवंटन की मान्य तिथि से 4 वर्ष, 8 महीने और 8 दिन अर्थात 11 अप्रैल 2025

ग. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा में लिए मियादी ऋणों का चुकौती शेड्यूल

क्र. सं.	ऋण का विवरण	आहरण की तारीख	चुकौती की तारीख
1	100 मिलियन अमरीकी डॉलर का सावधि ऋण – एसबीआई	07 अप्रैल 2021	निकासी की तारीख से 5 वर्ष के तुरंत बाद देय
2	100 मिलियन अमरीकी डॉलर का सावधि ऋण – एसबीआई – जीएस	14 मई 2021	
3	बीओबी से 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सावधि ऋण	03 नवंबर 2021	
4	बीओबी से 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सावधि ऋण	01 दिसंबर 2021	
5	एसबीआई लंदन से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी ऋण	30 दिसंबर 2021	निकासी की तिथि से 4 वर्ष बाद तुरंत देय
6	एसबीआई लंदन से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी ऋण	30 दिसंबर 2021	आहरण की तिथि से 5 वर्ष बाद तुरंत देय
7	एसबीआई लंदन से 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी ऋण	30 दिसंबर 2021	आहरण की तिथि से 5 वर्ष और 5 महीने बाद तुरंत देय
8	300 मिलियन अमरीकी डॉलर का सिंडिकेशन ऋण	13 अक्टूबर 2022	निकासी की तारीख से 5 वर्ष के तुरंत बाद देय
9	3 मिलियन अमेरिकी डॉलर ग्रीनलोन एसबीआई सिंगापुर	07 मार्च 2024	
10	5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ग्रीनलोन एसबीआई सिंगापुर-2	06 मई 2024	
11	4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ग्रीनलोन एसबीआई सिंगापुर-3	07 अगस्त 2024	
12	बॉब गिफ्ट सिटी से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी ऋण	30 सितंबर 2024	
13	120 मिलियन अमरीकी डॉलर एसबीआई एनवाई	11 अक्टूबर 2024	
14	120 मिलियन अमरीकी डॉलर एसबीआई एनवाई टी-2	04 नवंबर 2024	
15	बॉब गिफ्ट सिटी से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी ऋण	26 नवंबर 2024	
16	60 मिलियन अमेरिकी डॉलर एसबीआई एनवाई टी-3	02 दिसंबर 2024	
17	पीएनबी गिफ्ट सिटी से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी ऋण	20 दिसंबर 2024	
18	यूको बैंक सिंगापुर से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी ऋण	20 दिसंबर 2024	
19	एसबीआई लंदन से 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी ऋण	30 दिसंबर 2024	निकासी की तिथि से 2 वर्ष बाद तुरंत देय
20	400 मिलियन अमरीकी डॉलर एसबीआई एनवाई	28 मार्च 2025	निकासी की तिथि से 3 वर्ष और 1 माह बाद तुरंत देय

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 16: दीर्घकालिक उधार (जारी..)

घ बैंकों/वित्तीय संस्थानों से रुपया राशि में लिए मियादी ऋणों की चुकौती का शेड्यूल

क्र. सं.	ऋण का विवरण	आहरण की तारीख	चुकौती की तारीख
1	एक्ज़िम बैंक ₹ 750 करोड़ का सावधि ऋण	30 सितंबर 2022	निकासी की तिथि से 7 वर्ष बाद तुरंत देय
2	एचडीएफसी ₹ 1,000 करोड़ का सावधि ऋण	06 फ़रवरी 2023	निकासी की तिथि से 3 वर्ष बाद तुरंत देय
3	एचडीएफसी ₹ 1,000 करोड़ का सावधि ऋण	31 मार्च 2023	
4	जेएंडके बैंक ₹ 2,000 करोड़ का सावधि ऋण	27 जून 2024	
5	साउथ इंडियन बैंक ₹ 500 करोड़ का सावधि ऋण	15 जुलाई 2024	निकासी के 35 महीने बाद तुरंत देय
6	इंडसइंड बैंक ₹ 750 करोड़ का सावधि ऋण	29 जुलाई 2024	

ङ. ओडिशा सरकार से प्राप्त प्रतिभूति रहित ब्याज मुक्त ऋणों का चुकौती शेड्यूल

ओडिशा सरकार द्वारा 15 वर्षों के लिए दिए गए ब्याज मुक्त ऋण का संवितरण 1 अप्रैल, 2016 से ₹ 175 करोड़ की तिमाही किस्त में किया जाता है, जो 15 वर्ष बाद देय होगा। अब तक कुल संवितरित ऋण ₹ 6,300 करोड़ है, जो उस तिमाही से 15 वर्ष बाद देय होगा, जिसके लिए यह दिया गया है अर्थात जून 2031 के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली तिमाही किस्तों में। इस ब्याज मुक्त ऋण होने के चलते इस ऋण को उचित मूल्य पर हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन किया जाता है।

च. संबंधित पक्षकारों से विदेशी मुद्रा में ऋणों की चुकौती अनुसूची

क्र. सं.	ऋण का विवरण	आहरण की तारीख	चुकौती की तारीख
1	आईजीसीएमआईएल से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी ऋण	28 मार्च 2024	आहरण की तिथि से 18 महीने बाद तुरंत देय।

टिप्पणी – 17: अन्य वित्तीय देयताएं

(परिशोधित लागत पर, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण		गैर चालू		चालू	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
पूंजीगत खर्च की देयता		19.05	32.10	10,785.67	10,201.64
ट्रस्ट तथा अन्य निधियों की देयता		–	–	106.36	21.31
कर्मचारी देयताएं		–	–	1,714.63	2,450.11
एजेंसी आधार पर की गई खरीद की देयता		–	–	6,484.58	5,956.80
अदत्त लाभांश		–	–	36.34	38.41
अदत्त परिपक्व जमा राशियां		–	–	0.01	0.01
उचित मूल्य पर डेरिवेटिव विलेख		–	–	214.18	361.08
सुरक्षा जमा	क	137.34	161.33	36,442.92	35,190.82
अन्य		43.04	39.68	1,250.53	1,419.88
कुल		199.43	233.11	57,035.22	55,640.06
क. उद्योग की पद्धति के अनुसार चालू के रूप में वर्गीकृत एलपीजी जमा राशियां और इसमें शामिल हैं:-					
1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना (आरजीजीएलवीवाई) और राज्य सरकार / भारत के केंद्र सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं के तहत जारी एलपीजी कनेक्शन से प्राप्त जमा राशियां। इन योजनाओं के बाबत प्राप्त जमा राशियां सीएसआर निधि तथा / या राज्य सरकार / भारत की केंद्र सरकार से वित्त-पोषित हैं।		–	–	8,129.68	8,064.44
2. चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्त-पोषित जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन		–	–	0.52	0.52

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 18: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण		गैर चालू		चालू	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
कर्मचारी हितलाभों का प्रावधान		861.63	904.90	144.34	120.09
डिकमीशनिंग की देयता	क	22.37	12.73	4.45	4.26
संभावित देयताओं के लिए आकस्मिकताएं	ख	–	–	10,815.74	12,409.51
घटाएं- जमा		–	–	1,474.13	2,443.73
		–	–	9,341.61	9,965.78
कुल		884.00	917.63	9,490.40	10,090.13

क. समाप्त की गई देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान परिवर्तन	डिस्काउंट का मोचन तथा डिस्काउंट दर में परिवर्तन	अंतिम शेष
डिकमीशनिंग की देयता – ई एंड पी ब्लॉक	16.99	9.57	–	–	0.26	26.82
पिछले वर्ष का कुल	11.74	5.34	0.29	–	0.20	16.99

ख. संभावित देयताओं के लिए आकस्मिकता

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान परिवर्तन	अंतिम शेष*
उत्पाद शुल्क	15.55	–	–	0.05	15.50
विक्रय कर/ जीएसटी	2,346.70	49.93	10.37	1,838.20	548.06
प्रवेश कर	5,530.88	–	–	–	5,530.88
अन्य	4,516.38	564.86	215.57	144.37	4,721.30
कुल	12,409.51	614.79	225.94	1,982.62	10,815.74
पिछले वर्ष का कुल	12,029.32	665.13	162.55	122.39	12,409.51

(₹ करोड़ में)

	परिवर्धन में शामिल है	परिवर्तन में शामिल है
– पूंजीकृत	28.79	0.15
– कच्चे माल में शामिल	7.93	–
– वित्तीय लागत में शामिल	345.32	–
– कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल	–	46.87
– अन्य व्यय में शामिल	232.75	3.11
– अन्य व्यापक आय में शामिल	–	71.83
– अन्य परिचालन राजस्व में शामिल	–	22.64
– असाधारण मदों में शामिल	–	1,838.02

*बहिर्वाह का अपेक्षित समय इस अवस्था में अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि मामले विवादित/आकस्मिक हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 19: आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(i) आस्थगति कर देयताओं (निवल) के मद-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2024 को	लाभ व हानि के विवरण में वर्ष के दौरान प्रावधानित	ओसीआई में वर्ष के दौरान प्रावधानित (निवल)	31 मार्च, 2025 को शेष
आस्थगित कर देयता–				
संयंत्र, संपत्ति व उपकरण से संबंधित	20,147.85	1,143.01	–	21,290.86
इक्विटी लिखतों का उचित मूल्यांकन	1,213.79	–	57.95	1,271.74
कुल आस्थगित कर देयता (क)	**21,361.64**	**1,143.01**	**57.95**	**22,562.60**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां–				
वस्तुसूची, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, निवेश का प्रावधान	1,403.46	23.34	–	1,426.80
स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के लिए प्रतिपूर्ति	1.07	(0.32)	–	0.75
43बी/40 (ए)(आई ए)/अन्य अस्वीकृतियां आदि	2,974.38	(263.70)	–	2,710.68
बचाव लिखतों पर एमटीएम	(0.75)	–	0.71	(0.04)
ऋण लिखतों का उचित मूल्य	11.62	–	(47.31)	(35.69)
अप्रयुक्त कर हानि (दीर्घकालिक पूंजी हानि)	12.07	37.09	–	49.16
अन्य	322.69	(164.30)	–	158.39
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)	**4,724.54**	**(367.89)**	**(46.60)**	**4,310.05**
आस्थगित कर देयता (निवल) (क-ख)	**16,637.10**	**1,510.90**	**104.55**	**18,252.55**

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2023 को	लाभ व हानि के विवरण में वर्ष के दौरान प्रावधानित	ओसीआई में वर्ष के दौरान प्रावधानित (निवल)	31 मार्च, 2024 को शेष
आस्थगित कर देयता–				
संयंत्र, संपत्ति व उपकरण से संबंधित	18,982.19	1,165.66	–	20,147.85
इक्विटी लिखतों का उचित मूल्यांकन	231.70	–	982.09	1,213.79
कुल आस्थगित कर देयता (क)	**19,213.89**	**1,165.66**	**982.09**	**21,361.64**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां–				
वस्तुसूची, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, निवेश का प्रावधान	1,299.08	104.38	–	1,403.46
स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के लिए प्रतिपूर्ति	1.11	(0.04)	–	1.07
43बी/40 (ए)(आई ए)/अन्य अस्वीकृतियां आदि	2,919.60	54.78	–	2,974.38
बचाव लिखतों पर एमटीएम	(46.64)	–	45.89	(0.75)
ऋण लिखतों का उचित मूल्य	(10.61)	–	22.23	11.62
अप्रयुक्त कर हानि (दीर्घकालिक पूंजी हानि)	14.59	(2.52)	–	12.07
अन्य	423.76	(101.07)	–	322.69
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)	**4,600.89**	**55.53**	**68.12**	**4,724.54**
आस्थगित कर देयता (निवल) (क-ख)	**14,613.00**	**1,110.13**	**913.97**	**16,637.10**

(ii) औसत प्रभावी कर दर और लागू कर दर के बीच का समाधान नीचे दिया गया है:

विवरण	2024-25 %	2024-25 (₹ करोड़ में)	2023-24 %	2023-24 (₹ करोड़ में)
कर पूर्व लाभ		**15,882.34**		**52,344.21**
लागू कर दर के अनुसार कर	25.168	**3,997.27**	25.168	**13,173.99**
इनका कर प्रभाव :				
आय जो कर योग्य लाभ के निर्धारण में करयोग्य नहीं है	(5.241)	(832.40)	(1.096)	(573.75)
व्यय जो कर योग्य लाग का निर्धारण करने में कटौती योग्य नहीं है	0.971	154.16	0.272	142.61
पिछली अमान्य स्वीकृतियों / अस्वीकृतियों का निर्धारण	(1.605)	(254.99)	(0.112)	(58.84)
पिछले वर्षों से संबंधित व्यय / आय	(0.881)	(139.94)	0.086	44.84
विशेष दरों में कर के लिए प्रभारित आय के कारण कर में अंतर	(0.021)	(3.33)	(0.007)	(3.48)
औसत प्रभावी कर दर / आय कर व्यय	18.391	**2,920.77**	24.311	**12,725.37**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 20: अन्य देयताएं (गैर-वित्तीय)

(₹ करोड़ में)

विवरण		गैर चालू 31 मार्च, 2025	गैर चालू 31 मार्च, 2024	चालू 31 मार्च, 2025	चालू 31 मार्च, 2024
सरकारी अनुदान (टिप्पणी-46 का संदर्भ लीजिए)		3,705.14	3,519.82	365.75	307.61
सांविधिक देयताएं		–	–	8,890.19	9,301.06
ग्राहकों से अग्रिम		13.39	–	3,804.71	3,694.56
अन्य	क	700.20	529.13	1,246.68	1,381.16
कुल		**4,418.73**	**4,048.95**	**14,307.33**	**14,684.39**
क. शामिल है					
1. फ्लीट ग्राहकों की देयताएं शामिल हैं				961.22	1,098.02
2. परिशोधन के लिए लंबित डीलरों से गैर-वापसीयोग्य जमा		698.12	527.17	64.96	51.98

टिप्पणी – 21: उधार – चालू

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सुरक्षित ऋण			
मांग पर पुनर्देय ऋण			
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से			
विदेशी मुद्रा में		2,564.40	2,502.30
रुपये में	क		
कार्यशील पूंजी मांग ऋण		4,466.59	7,565.08
नकद क्रेडिट		177.79	–
		7,208.78	**10,067.38**
अन्य से:			
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से ऋण	ख	6,170.40	5,554.54
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (नोट – 16 देखें)		717.60	–
कुल प्रतिभूतित ऋण		14,096.78	**15,621.92**
अप्रतिभूतित ऋण			
मांग पर पुनर्देय ऋण			
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से			
विदेशी मुद्रा में		42,701.68	35,982.31
रुपये में		14,977.32	7,147.21
		57,679.00	**43,129.52**
दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता (टिप्पणी-16 का संदर्भ लीजिए)		11,160.72	16,376.77
कुल असुरक्षित ऋण		68,839.72	**59,506.29**
कुल अल्पकालिक उधार		82,936.50	**75,128.21**

क. कच्चे माल, तैयार वस्तुओं, व्यापारगत स्टॉक, व्यापार प्राप्य राशियों, बकाया धन, लेनदारियों, दावों, अनुबंधों, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के नियोजन पर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से दृष्टिबंधन के एवज में। कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के साथ दायर चालू परिसंपत्तियों का तिमाही रिटर्न खाता बहियों के अनुरूप है।

ख. सीसीआईएल को निम्नलिखित वचन देने के एवज में:

ओएमसी भारत सरकार के विशेष बॉन्ड सहित सरकारी प्रतिभूतियां (टिप्पणी-4 का संदर्भ लीजिए)		6,334.89	5,531.00

टिप्पणी – 22: व्यापार देय राशियां

(परिशोधित लागत पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सूक्ष्म व लघु उद्यमों को देय		1,412.16	1,410.52
संबंधित पक्षों को देय		1,572.53	1,440.18
अन्य को देयक	क	49,383.33	48,650.26
कुल		52,368.02	**51,500.96**
क. इसमें सूक्ष्म व लघु उद्यों से संबंधित राशि शामिल है जिसके लिए वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा बट्टागत बिलों के अनुसार भुगतान किया जाना है		15.09	1.30

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 22: व्यापार देय राशियां (जारी)

व्यापार देयों की अवधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल रहित	छैं ऊंश	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
चालू वर्ष							
i) एमएसएमई *	543.74	868.19	–	–	–	–	1,411.93
ii) अन्य	2,145.71	40,099.09	7,400.53	316.27	274.52	158.52	50,394.64
iii) विवादित देय– एमएसएमई *	0.01	0.22	–	–	–	–	0.23
iv) विवादित देय – अन्य	322.01	67.58	6.52	(1.29)	15.67	150.73	561.22
कुल	3,011.47	41,035.08	7,407.05	314.98	290.19	309.25	52,368.02
गत वर्ष							
i) एमएसएमई*	452.50	957.85	–	–	–	–	1,410.35
ii) अन्य	3,356.66	37,821.54	7,867.21	390.30	11.94	17.85	49,465.50
iii) विवादित देय – एमएसएमई *	0.01	0.16	–	–	–	–	0.17
iv) विवादित देय – अन्य	285.22	111.35	25.95	4.99	52.00	145.43	624.94
कुल	**4,094.39**	**38,890.90**	**7,893.16**	**395.29**	**63.94**	**163.28**	**51,500.96**

* टिप्पणी – 22 के अनुरूप सूक्ष्म और लघु उद्यम: व्यापार देय

नोट: सामान्यतया, अविवादित व्यापार देय नियत तारीखों पर या उससे पहले निपटाए जाते हैं और देय तारीखों से अधिक अवधि तक बकाया राशि विक्रेताओं द्वारा संविदात्मक / सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन लंबित रहने के कारण होती है।

टिप्पणी – 23: परिचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024–2025	2023–2024
उत्पादों व कच्चे तेल की बिक्री (निवल बट्टा)	8,40,842.28	8,61,779.95
सेवाओं की बिक्री	335.98	219.75
अन्य प्रचालनीय राजस्व (टिप्पणी "23.1")	4,285.93	4,246.08
	8,45,464.19	**8,66,245.78**
केंद्र / राज्य सरकारों से सब्सिडी	48.42	99.60
भारत सरकार से अनुदान	–	–
कुल	8,45,512.61	**8,66,345.38**

नोट –

1) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 30.04.2020 के पत्र के माध्यम से तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को सूचित किया था कि जहाँ एलपीजी सिलेंडरों का बाजार निर्धारित मूल्य (एमडीपी) ग्राहक के लिए उसकी प्रभावी लागत (ईसीसी) से कम है, वहाँ ओएमसी भविष्य में समायोजन के लिए इस अंतर को एक अलग बफर खाते में रखेंगी। हालाँकि, 31 मार्च 2025 तक, कंपनी के पास ₹ 19,926 करोड़ (2024: ₹ 1,017 करोड़) का संचयी ऋणात्मक बफर था क्योंकि खुदरा बिक्री मूल्य से कम था और तदनुसार, इस सीमा तक राजस्व की पहचान नहीं की गई है। यह राशि वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान घरेलू एलपीजी की बिक्री पर अंडर-रिकवरी और ₹ 5,460 करोड़ (2024: ₹ 4,796 करोड़) की संचयी अप्रतिपूरित लागत के विरुद्ध वित्त वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए ₹ 10,801 करोड़ के एकमुश्त अनुदान के समायोजन के बाद है।

2) कंपनी द्वारा नियमित रूप से किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, रेलवे बोर्ड ने अंततः पूर्वव्यापी प्रभाव से दर अनुबंध में संशोधन किया है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि में किए गए उत्पाद आपूर्ति के लिए वर्ष के दौरान परिचालन से राजस्व में ₹ 1,565 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

टिप्पणी – 23.1: अन्य प्रचालनीय राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024–2025	2023–2024
बिजली और पानी की बिक्री	468.08	484.04
निर्माण ठेकों से राजस्व	26.72	13.99
अदावी/खर्च न की गई देयताएं जिन्हें प्रतिलेखित किया गया	157.71	328.11

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 23.1: अन्य प्रचालनीय राजस्व (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024–2025	2023–2024
संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान, प्रतिलेखित दावे तथा स्टोर्स	124.60	3.11
आकस्मिकताओं का प्रावधान प्रतिलेखित	22.64	48.13
रिटेल आउटलेट लाइसेंस शुल्क	1,441.78	1,318.51
ईंधन–इतर व्यवसाय से आय	419.94	371.54
प्राप्त कमीशन और डिस्काउंट	8.05	6.79
कबाड़ की बिक्री	298.30	323.62
वित्त पट्टों से आय	0.24	0.25
पूंजीगत अनुदान का परिशोधन	66.30	31.23
राजस्व अनुदान	306.43	288.63
टर्मिनलिंग प्रभार	52.30	47.90
अन्य विविध आय	892.84	980.23
कुल	4,285.93	**4,246.08**

राजस्व अनुदान से संबंधित विवरण टिप्पणी–46 में दिए गए हैं।

टिप्पणी – 24: अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण		2024–2025	2023–2024
इन पर ब्याज –	क		
वित्तीय मदें–			
बैंकों में जमा		0.96	1.02
ग्राहकों के बकाया		371.11	409.63
ऑयल कंपनियों के जीओआई स्पेशल बांड / अन्य निवेश		649.57	989.59
अन्य वित्तीय मदें		366.40	316.65
वित्तीय मदों पर कुल ब्याज		1,388.04	**1,716.89**
गैर–वित्तीय मदें		80.02	111.40
		1,468.06	**1,828.29**
लाभांश–	ख		
संबंधित पक्षों से		1,662.37	1,082.39
अन्य कंपनियों से		1,538.79	1,195.03
		3,201.16	**2,277.42**
परिसंपत्तियां की बिक्री और निपटान पर लाभ		–	38.26
डेरिवेटिव्स पर लब्धि		61.95	84.09
एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय लिखतों पर उचित मूल्य की लब्धि		6.30	128.41
पीएमयूवाई परिसंपत्तियों के पुनर्मापन पर लब्धि		107.24	336.61
अन्य गैर प्रचालनीय आय		119.13	87.74
कुल		4,963.84	**4,780.82**
क 1. इसमें स्रोत पर काटा गया कर शामिल है		0.80	22.56
क 2. इसमें आय कर अधिनियम की धारा 244ए के तहत प्राप्त ब्याज शामिल है		39.70	79.16
क 3. इसमें निम्नलिखित पर ब्याज शामिल है–			
चालू निवेश		649.57	968.02
गैर–चालू निवेश		–	21.57
क 4. वित्तीय परिसंपत्तियों की कुल ब्याज आय (प्रभावी ब्याज विधि का इस्तेमाल कर परिकलित)–			
परिशोधित लागत पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में		738.47	727.30
एफ.वी.ओ.सी.आई. में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में		649.57	770.41
एफ.वी.टी.पी.एल. में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में		–	219.18
ख.1 गैर–चालू निवेशों पर लाभांश आय		3,201.16	2,277.42
ख.2 गैर–चालू निवेशों पर लाभांश में सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश शामिल है		1,319.23	749.90
ख.3. इसमें स्रोत पर काटा गया कर शामिल है		238.12	180.14

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 25: उपयोग की गई सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
प्रारंभिक स्टॉक	43,498.22	43,426.87
जोड़ें- खरीद	3,90,960.27	3,90,596.98
	4,34,458.49	**4,34,023.85**
घटाएं- अंतिम स्टॉक	34,936.91	43,498.22
कुल	3,99,521.58	**3,90,525.63**

टिप्पणी – 26: तैयार माल, व्यापारगत स्टॉक और प्रक्रियागत स्टॉक की इन्वेंट्री में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
समापन स्टॉक		
तैयार उत्पाद	43,674.52	42,522.37
प्रक्रियागत स्टॉक	8,714.77	9,999.21
व्यापारगत स्टॉक	11,338.57	10,286.90
	63,727.86	**62,808.48**
घटाएं- प्रारंभिक स्टॉक		
तैयार उत्पाद	42,522.37	41,289.44
प्रक्रियागत स्टॉक	9,999.21	10,052.40
व्यापारगत स्टॉक	10,286.91	13,371.47
	62,808.49	**64,713.31**
निवल बढ़ोतरी कमी	919.37	**(1,904.83)**

टिप्पणी – 27: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
वेतन, पारिश्रमिक, बोनस आदि	7,411.56	8,351.09
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	1,463.17	1,257.39
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रतिपूर्ति	0.68	2.02
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,488.25	1,469.06
कुल	10,363.66	**11,079.56**

क इसमें प्रगति पर पूंजीगत कार्य (निर्माण अवधि व्यय - नोट-2.2) / विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों (नोट - 3.1) में शामिल ₹ 355.33 करोड़ (2024: ₹ 406.5 करोड़) और सीएसआर व्यय (नोट - 29.1) में शामिल ₹ 25.81 करोड़ (2024: ₹ 21.79 करोड़) शामिल नहीं हैं।

ख. भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान में पोर्टफोलियो आधार पर ब्याज की कमी/हानि के लिए भविष्य निधि योगदान हेतु ₹ 156.85 करोड़ का प्रावधान (2024: शून्य) शामिल है।

ग. ''कर्मचारी लाभ'' पर भारतीय लेखा मानक-19 के अनुपालन में प्रकटीकरण नोट-35 में दिया गया है।

टिप्पणी – 28: वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
वित्तीय मदों पर ब्याज के भुगतान:		
बैंक उधार	5,224.50	4,289.85
बांड/ऋणपत्र	760.42	1,068.39
पट्टे की देयताएं	937.21	860.33
बट्टे का मोचन	201.16	169.68
अन्य वित्तीय मदें	560.64	189.90
	7,683.93	**6,578.15**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 28: वित्तीय लागतें (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण		2024-2025	2023-2024
गैर-वित्त मदों पर ब्याज के भुगतान –			
बट्टे का मोचन		0.14	0.14
अन्य	क	287.45	523.20
		287.59	**523.34**
अन्य उधार लागत	ख	4.55	1.67
विदेशी मुद्रा के लेनदेन तथा रूपांतरण पर लागू निवल (लब्धि) / हानि		755.52	224.63
कुल		8,731.59	**7,327.79**
क. इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं-			
आयकर अधिनियम की धारा 234ख और 234ग के तहत ब्याज व्यय		(107.59)	105.37
कांडला पोर्ट ट्रस्ट की किराए की देयता पर ब्याज		180.90	167.12
ख. मुख्य रूप से उधार के फ्रैंकिंग प्रभार, सेवा प्रभार तथा अन्य परोक्ष व्ययों से संबंधित वित्तीय देयताएं जो लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर नहीं हैं, के लिए कुल ब्याज व्यय (प्रभावी ब्याज पद्धति का इस्तेमाल कर परिकलित)		7,683.93	6,578.15

टिप्पणी – 29: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
खपत-		
क) भंडार, अतिरिक्त भाग और रसद	2,760.00	2,800.01
ख) पैकेज तथा ड्रम शीट	579.58	573.73
	3,339.58	**3,373.74**
बिजली और ईंधन	38,049.96	35,315.51
घटाएं- स्वयं के उत्पादन का ईंधन	26,841.62	26,766.22
	11,208.34	**8,549.29**
थ्रूपुट, प्रोसेसिंग एवं ब्लेंडिंग शुल्क, रॉयल्टी तथा अन्य प्रभार	1,442.01	1,511.10
चुंगी, अन्य उगाही तथा अशोध्य कर	2,577.56	2,467.02
मरम्मत और रख-रखाव		
i) संयंत्र व उपकरण	5,626.48	4,783.82
ii) इमारतें	490.81	423.89
iii) अन्य	759.20	698.11
	6,876.49	**5,905.82**
माल भाड़ा, परिवहन प्रभार तथा विलंब शुल्क	16,703.44	16,648.44
कार्यालय प्रशासन, बिक्री तथा अन्य व्यय (टिप्पणी 29.1)	10,602.79	9,394.90
कुल	52,750.21	**47,850.31**
घटाएं- स्वयं के उत्पादों व क्रूड	1,471.13	1,316.39
कुल (निवल)	51,279.08	**46,533.92**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 29.1: कार्यालय, प्रशासन, बिक्री तथा अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		2024-2025	2023-2024
किराया		843.46	829.05
बीमा		396.40	431.33
दर व कर		272.37	206.38
दान		9.50	–
लेखा परीक्षकों को भुगतान			
लेखा परीक्षकों के रूप में		3.51	3.02
अन्य सेवाएं (अन्य प्रमाण-पत्र आदि जारी करने के लिए)		1.90	1.83
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए		0.36	0.45
		5.77	**5.30**
यात्रा व वाहन व्यय		893.08	815.37
संप्रेषण के व्यय		121.44	79.65
मुद्रण व लेखन-सामग्री		44.42	44.07
बिजली और पानी		504.90	468.30
बैंक प्रभार		44.43	35.85
बट्टे खाते में डाले गए अग्रिम, दावे सीडबल्यूआईपी, आदि		25.75	1.35
बेचे गए या बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान / परिसंपत्तियों पर हानि (निवल)		26.81	–
तकनीकी सहायता शुल्क		51.24	105.65
मुद्रा विनिमय के उतार-चढ़ाव (निवल)		2,255.18	1,180.96
संदिग्ध अग्रिम, दावों, सीडबल्यूआईपी, भंडार आदि के प्रावधान		74.17	149.42
सुरक्षा बल के व्यय		1,115.12	1,052.69
बिक्री संवर्धन के व्यय (कमीशन सहित)	क	917.71	1,433.99
हैंडलिंग व्यय		967.75	868.34
अन्वेषण व उत्पादन लागत		177.32	87.39
निर्माण ठेकों के व्यय		111.84	10.77
सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय (टिप्पणी – 45 देखें)		574.46	428.90
प्रशिक्षण व्यय		119.06	119.92
कानूनी व्यय / सलाहकारों को भुगतान		233.37	236.63
नोटिस और घोषणा		10.68	19.68
प्रदूषण नियंत्रण संबंधी व्यय		110.84	101.76
पी.एम.यू.वाई. परिसंपत्तियों का परिशोधन एवं पुनर्मापन		27.19	30.26
विविध व्यय		668.53	651.89
कुल		**10,602.79**	**9,394.90**

क इसमें पीएमयूवाई (उज्ज्वला 2.0/उज्ज्वला 2.0 विस्तार) योजना के तहत एलपीजी कनेक्शनों के लिए मुफ्त हॉट प्लेट और पहली रिफिल की लागत के लिए ₹ 58.77 करोड़ (2024: ₹ 646.29 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी – 30: अन्य समावेशी आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा :		
निर्धारित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	91.97	(46.14)
इक्विटी लिखतों का उचित मूल्य	(1,433.80)	14,502.31
	(1,341.83)	**14,456.17**
ऐसी मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा :		
निर्धारित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(23.15)	11.61
इक्विटी लिखतों का उचित मूल्य	(57.95)	(982.09)
	(81.10)	**(970.48)**
ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा :		
ऋण लिखतों का उचित मूल्य	112.95	(15.25)
हैजिंग लिखतों पर लाभ / (हानि)	(2.83)	(182.34)
	110.12	**(197.59)**
ऐसी मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा :		
ऋण लिखतों का उचित मूल्य	(47.31)	22.23
हैजिंग लिखतों पर लाभ / (हानि)	0.71	45.89
	(46.60)	**68.12**
कुल	**(1,359.41)**	**13,356.22**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 31: किए गए और प्रस्तावित वितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
इक्विटी शेयरों पर घोषित नकद लाभांश:		
अंतिम लाभांश		
पिछले वित्तीय वर्ष के लिए चालू वर्ष के दौरान अंतिम लाभांश: ₹ 7.00 प्रति शेयर (2024: पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 3.00 प्रति शेयर शून्य प्रति शेयर)	9,640.09	4,131.47
अंतरिम लाभांश		
चालू वित्तीय वर्ष का कुल अंतरिम लाभांश : ₹ 5.00 प्रति शेयर (2024: शून्य प्रति शेयर)	–	6,885.78
कुल	**9,640.09**	**11,017.25**
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश		
चालू वित्तीय वर्ष का अंतिम प्रस्तावित लाभांश : ₹ 7.00 प्रति शेयर (2024: ₹ 3.00 प्रति शेयर)	4,131.47	9,640.09

टिप्पणी

1. ₹ 349.68 करोड़ (2024: ₹ 349.68 करोड़) के अंकित मूल्य के आईओसी शेयर ट्रस्ट (शेयरधारक) के तहत रखे गए 34967684 (2024:349677684) इक्विटी शेयर चुकता पूंजी से समायोजित किए गए हैं। आईओसी शेयर ट्रस्ट ने 02 मार्च, 2020 से लाभांश प्राप्त करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है, इसलिए आईओसी शेयर ट्रस्ट द्वारा धारित शेयरों पर लाभांश न तो पिछले वर्ष में और न ही चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तावित था।
2. कंपनी ने अंतिम लाभांश राशि ₹ 0.19 करोड़ (2024: ₹ 0.11 करोड़) के वितरण और शून्य (2024: ₹ 0.26 करोड़) के अंतरिम लाभांश के वितरण पर भी खर्च किया है जिसे इक्विटी में नामे किया गया है।

टिप्पणी – 32: प्रति शेयर आय (ईपीएस)

मूल व परिवर्तित ईपीएस राशियों का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों के कारण वर्ष के लाभ/(हानि) से विभाजित कर किया गया।

मूल व परिवर्तित ईपीएस परिकलनों में प्रयुक्त लाभ / (हानि) और शेयरों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	2024-2025	2023-2024
इक्विटी धारकों के कारण लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)	12,961.57	39,618.84
प्रति शेयर अर्जन (मूल) का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (टिप्पणी-1 देखें)	13771560699	13771560699
प्रति शेयर अर्जन (परिवर्तित) का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (टिप्पणी-1 देखें)	13771560699	13771560699
प्रति शेयर अर्जन (मूल) (₹)	9.41	28.77
प्रति शेयर अर्जन (परिवर्तित) (₹)	9.41	28.77
प्रति शेयर का अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

टिप्पणी

349677684 (2024: 349677684) अंकित मूल्य ₹ 349.68 करोड़ (2024: ₹ 349.68 करोड़) के आईओसी शेयर ट्रस्ट के तहत रखे गए इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से बाहर रखा गया है और ईपीएस की गणना तदनुसार की जाती है।

टिप्पणी –33 क– सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में रुचि

नाम	निगमन का देश/व्यापार का मुख्य स्थान	इक्विटी ब्याज	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सहायक कंपनियाँ			
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	51.89%	51.89%
इंडियनऑयल (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरीशस	100.00%	100.00%
लंका आईओसी पीएलसी	श्रीलंका	75.12%	75.12%
आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई	यूएई	100.00%	100.00%
आईओसी स्वीडन एबी	स्वीडन	100.00%	100.00%
आईओसीएल (यूएसए) इंक.	अमेरिका	100.00%	100.00%
इंडऑयल ग्लोबल बी.वी.	नीदरलैंड	100.00%	100.00%
आईओसीएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	100.00%	100.00%

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी -33क- सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में रुचि (जारी)

नाम	निगमन का देश/व्यापार का मुख्य स्थान	इक्विटी ब्याज	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
मर्केंटर पेट्रोलियम लिमिटेड[$]	भारत	100.00%	-
टेरा क्लीन लिमिटेड[$$]	भारत	100.00%	-
सहयोगी			
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	भारत	12.50%	12.50%
एवीआई-ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारत	25.00%	25.00%
पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड[@]	भारत	18.00%	18.00%
पेट्रोनेट वीके लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
सयुक्त उद्यम			
इंडियनऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
लुब्रीज़ोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
ग्रीन गैस लिमिटेड	भारत	49.99%	49.99%
इंडियनऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
सुंटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	नाइजीरिया	25.00%	25.00%
दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी (प्राइवेट) लिमिटेड)	भारत	37.00%	37.00%
इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
एनपीसीआईएल इंडियनऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
इंडियनऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	25.00%	25.00%
कोच्चि सेलम पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	45.00%	45.00%
पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड[@@]	भारत	26.00%	26.00%
इंडियनऑयल रुचि बायो फ्यूल्स एलएलपी[#]	भारत	50.00%	50.00%
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड[##]	भारत	29.67%	29.67%
रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	भारत	20.00%	20.00%
आईएचबी लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
इंडियनऑयल एचडब्ल्यूबी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
पारादीप प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	भारत	49.00%	49.00%
कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड[###]	भारत	25.00%	25.00%
इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
जीएच4इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारत	33.33%	33.33%
आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड*	भारत	50.00%	-
इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड**	भारत	50.00%	-

[$]मर्केंटर पेट्रोलियम लिमिटेड को मई 2024 में सीआईआरपी के तहत 100% इक्विटी के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में अधिग्रहित किया गया है।

[$$]टेरा क्लीन लिमिटेड को 31 मई 2024 को 100% इक्विटी के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है।

[@]पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आरआईएल, एनईएल, आईएलएंडएफएस, एसबीआई और आईसीआईसीआई का एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी का समापन हो रहा है और मामला 2018 से आधिकारिक परिसमापक के पास लंबित है।

[@@]पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड, इंडियन ऑयल, पीआईएल, आरआईएल, एनईएल और बीपीसीएल का एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी का समापन हो रहा है और मामला 2006 से आधिकारिक परिसमापक के पास लंबित है।

[#]इंडियनऑयल ने संयुक्त उद्यम, इंडियनऑयल रुचि बायोफ्यूल्स एलएलपी (मेसर्स आईओआरबी) से बाहर निकलने की सूचना अन्य जेवी भागीदार अर्थात रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (मेसर्स रुचि) के साथ-साथ एलएलपी को 26 दिसंबर, 2018 को दी है, जिसमें कहा गया है कि वह 25 जनवरी, 2019 से एलएलपी से बाहर निकल जाएगा। आरओसी के साथ अपेक्षित फॉर्म दाखिल करके मेसर्स रुचि द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा करने की समय सीमा नोटिस की समाप्ति अवधि के 30 दिनों के भीतर थी (अर्थात, 24 फरवरी, 2019 तक) हालांकि यह अभी भी लंबित है और इंडियनऑयल का नाम आरओसी वेबसाइट पर उक्त एलएलपी में भागीदार के रूप में दिखाई दे रहा है। यह सूचित किया गया है कि मेसर्स रुचि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत थी आईओआरबी एलएलपी से इंडियनऑयल के बाहर निकलने से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए मेसर्स रुचि को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं।

[##]इंडियनऑयल के बोर्ड ने 23.11.2022 को आयोजित अपनी बैठक में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

[###]इंडियनऑयल के बोर्ड ने 28.03.2024 को आयोजित अपनी बैठक में इंडियनऑयल की 75% इक्विटी और सीपीसीएल की 25% इक्विटी के साथ सीबीआरपीएल की पूंजी संरचना में संशोधन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। इंडियनऑयल द्वारा शेष 50% इक्विटी शेयर प्राप्त करने पर, सीबीआरपीएल इंडियनऑयल की एक सहायक कंपनी बन जाएगी।

* आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को 21 जून 2024 को इंडियन ऑयल और जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया है, जिसमें प्रत्येक की 50% इक्विटी होगी।

**इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 15 जुलाई 2024 को इंडियन ऑयल और सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया है, जिसमें प्रत्येक की 50% इक्विटी होगी।

नोट:

उज्ज्वला प्लस फाउंडेशन आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल का एक संयुक्त उद्यम है, जिसका निधि योगदान 50:25:25 के अनुपात में है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गारंटी द्वारा सीमित कंपनी (शेयर पूंजी के बिना) के रूप में शामिल किया गया था। इंडियनऑयल के बोर्ड ने 14.03.2023 को आयोजित अपनी बैठक में उज्ज्वला प्लस फाउंडेशन को बंद करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी -33 ख : संयुक्त संचालन में रुचि

नाम		व्यवसाय का मुख्य स्थान	स्वामित्व हित का अनुपात	
			31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
ई एवं पी ब्लॉक				
1) एए-ओएनएन-2001/2	क	भारत	20.00%	20.00%
2) जीके-ओएसएन-2009/1	ख	भारत	25.00%	25.00%
3) एएपी-ओएन 94/1		भारत	29.03%	29.03%
4) एए/ओएनडीएसएफ/उमातारा/2018		भारत	90.00%	90.00%
5) बीके-सीबीएम-2001/1		भारत	20.00%	20.00%
6) एनके-सीबीएम-2001/1		भारत	20.00%	20.00%
7) फ़ारसी ब्लॉक ईरान	ग	ईरान	40.00%	40.00%
8) शक्ति गैबॉन		गैबॉन	50.00%	50.00%
9) क्षेत्र 95-96		लीबिया	25.00%	25.00%
10) आरजे-ओएनएचपी-2017/8	घ	भारत	30.00%	30.00%
11) एए-ओएनएचपी-2017/12		भारत	20.00%	20.00%
12) एमबी/ओएसडीएसएफ/डब्ल्यूओ5/2021	ङ	भारत	30.00%	30.00%
13) केजी/ओएसडीएसएफ/चंद्रिका/2021		भारत	30.00%	30.00%
14) एए-ओएनएचपी-2018/3	च	भारत	30.00%	30.00%
15) एए-ओएनएचपी-2018/5		भारत	30.00%	30.00%
16) आरजे-ओएनएचपी-2018/2	च	भारत	30.00%	30.00%
17) आरजे-ओएनएचपी-2019/2	ज	भारत	30.00%	30.00%
18) आरजे-ओएनएचपी-2019/3	ज	भारत	30.00%	30.00%

क. अन्वेषण लाइसेंस 7 अक्टूबर, 2015 को समाप्त हो गया। कंसोर्टियम ने मूल्यांकन चरण के लिए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) से अनुरोध किया है, हालांकि 6 मार्च, 2019 के पत्र के माध्यम से, मूल्यांकन कार्य के बजाय अन्वेषण कार्य करने का विचार व्यक्त किया गया था। तदनुसार, ऑपरेटर ने डीजीएच से अन्वेषण अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। डीजीएच के उत्तर की प्रतीक्षा है।

ख. मूल्यांकन की अवधि 1 फरवरी, 2022 को समाप्त हो गई है। कंसोर्शियम ने विस्तार के लिए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) से अनुरोध किया था। डीजीएच का उत्तर प्रतीक्षित है।

ग. अन्वेषण सेवा अनुबंध के तहत परियोजना का अन्वेषण चरण 24 जून, 2009 को समाप्त हो गया। नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी (एनआईओसी) ने एक स्थानीय ईरानी कंपनी के साथ फरज़ाद-बी गैस क्षेत्र (फ़ारसी क्षेत्र) के विकास के लिए एक विकास सेवा अनुबंध (डीएससी) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी अन्य भारतीय कंसोर्टियम भागीदारों के साथ डीएससी में उचित भागीदारी के लिए एनआईओसी के साथ बातचीत/चर्चा में लगी हुई है।

घ. ब्लॉक त्यागने की प्रक्रिया में है।

ङ. बोर्ड ने 20 दिसंबर, 2024 को अपनी बैठक में ब्लॉक के त्याग को मंजूरी दे दी। त्याग के लिए प्रबंधन समिति की बैठक का अनुरोध डीजीएच को दिनांक 4 मार्च, 2025 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। डीजीएच से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

च. अन्वेषण अवधि 28 फरवरी, 2025 को समाप्त हो गई है। कंसोर्टियम ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) से विस्तार का अनुरोध किया था। डीजीएच से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

छ. अन्वेषण अवधि 16 मार्च, 2025 को समाप्त हो गई है। कंसोर्टियम ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) से विस्तार का अनुरोध किया था। डीजीएच से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

संयुक्त परिचालन की वित्तीय स्थिति में आईओसीएल का हिस्सा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
परिसंपत्तियां	1,069.75	930.70
पीपीई (संपत्तियां निर्मित करने सहित)	380.50	114.27
पूंजीगत चालू कार्य	296.63	493.57
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति (निवल प्रावधान)	317.40	273.33
अन्य परिसंपत्तियां (निवल प्रावधान)	75.22	49.53
देयताएं और प्रावधान	314.29	219.25
देयताएं	267.10	197.54
प्रावधान	47.19	21.71

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी -33 ख : संयुक्त संचालन में रुचि (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
आय	262.94	**174.26**
उत्पादों की बिक्री (स्वयं की खपत का निवल)	176.71	173.62
अन्य आय	86.23	0.64
व्यय	234.90	**114.12**
बट्टे खाते में डाले गए खर्च (अन्वेषण संबंधी खर्च सहित)	24.93	–
अन्य लागतें (अन्वेषण संबंधी खर्च सहित)	209.97	114.12
निवल परिणाम	28.04	**60.14**
प्रतिबद्धताएं	2,301.17	**2,515.82**
आकस्मिक देयताएं	–	**12.16**

टिप्पणियां: छोड़े गए ब्लॉक की वित्तीय स्थिति सहित।

टिप्पणी -34 क: अन्वेषण एवं उत्पादन गतिविधियों से संबंधित प्रकटीकरण

''खनिज संसाधनों का अन्वेषण एवं मूल्यांकन'' पर इंड-एएस-106 के अनुपालन में, खनिज संसाधनों (कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस आदि) के अन्वेषण एवं मूल्यांकन से संबंधित गतिविधियों से संबंधित वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
(i) परिसंपत्तियां	355.73	**288.29**
- विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	317.40	273.34
- पूंजीगत चालू कार्य	0.02	0.09
- अन्य परिसंपत्तियां	38.31	14.86
(ii) देयताएं	218.92	**147.76**
- प्रावधान	4.45	4.26
- अन्य देयताएं	214.47	143.50
(iii) आय	86.16	**0.51**
- अन्य आय	86.16	0.51
(iv)व्यय	131.19	**62.62**
- बट्टे खाते में डाले गए अन्वेषण खर्च	21.48	–
- अन्वेषण संबंधी अन्य लागत	109.71	62.62
(v) नकदी प्रवाह		
- प्रचालनीय कार्यों से / में (प्रयुक्त) निवल नकद	24.15	(54.50)
- निवेश संबंधी कार्यों से / में (प्रयुक्त) निवल नकद	(11.21)	(72.48)

टिप्पणी - 34 ख: ऑयल और गैस उत्पादक गतिविधियाँ: भंडार के संबंध में प्रकटीकरण:

कच्चा तेल, संघनन, प्राकृतिक गैस लिक्विड और गैस का निवल प्रमाणित रिज़र्व :

परिसंपत्तियां		31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
		कच्चा तेल, संघनन, एनजीएल	प्राकृतिक गैस	कच्चा तेल, संघनन, एनजीएल	प्राकृतिक गैस
		टीएमटी	मिलियन क्यूबिक मीटर	टीएमटी	मिलियन क्यूबिक मीटर
क) प्रमाणित रिज़र्व					
असम एएपी-ओएन-94/1	प्रारंभ	5.65	778.19	10.43	838.26
	परिवर्धन	49.39	524.01	–	–
	कटौती	–	–	–	–
	उत्पादन	3.97	53.28	4.78	60.07
	शेष	51.07	1,248.92	**5.65**	**778.19**
झारखंड बीके-सीबीएम-2001/1	प्रारंभ	–	150.21	–	–
	परिवर्धन	–	–	–	–
	कटौती	–	–	–	–
	उत्पादन	–	9.25	–	–
	शेष	–	140.96	**–**	**–**
कुल प्रमाणित रिज़र्व		51.07	1,389.88	**5.65**	**778.19**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी - 34 ख: ऑयल और गैस उत्पादक गतिविधियाँ: भंडार के संबंध में प्रकटीकरण (जारी)

परिसंपत्तियां		31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
		कच्चा तेल, संघनन, एनजीएल	प्राकृतिक गैस	कच्चा तेल, संघनन, एनजीएल	प्राकृतिक गैस
		टीएमटी	मिलियन क्यूबिक मीटर	टीएमटी	मिलियन क्यूबिक मीटर
ख) प्रमाणित विकसित रिज़र्व					
असम एएपी-ओएन-94/1	प्रारंभ	5.65	778.19	10.43	838.26
	परिवर्धन	49.39	524.01	–	–
	कटौती	–	–	–	–
	उत्पादन	3.97	53.28	4.78	60.07
	शेष	51.07	1,248.92	**5.65**	**778.19**
झारखंड बीके-सीबीएम-2001/1	प्रारंभ	–	–	–	–
	परिवर्धन	–	135.62	–	–
	कटौती	–	–	–	–
	उत्पादन	–	9.25	–	–
	शेष	–	126.37	**–**	**–**
कुल प्रमाणित विकसित रिज़र्व		51.07	1,375.29	**5.65**	**778.19**

भौगोलिक आधार पर कच्चे तेल, संघनित, प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ और गैस के शुद्ध प्रमाणित भंडार और प्रमाणित विकसित भंडार:

विवरण	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	कच्चा तेल, संघनन, एनजीएल	प्राकृतिक गैस	कच्चा तेल, संघनन, एनजीएल	प्राकृतिक गैस
	टीएमटी	मिलियन क्यूबिक मीटर	टीएमटी	मिलियन क्यूबिक मीटर
क) प्रमाणित रिज़र्व				
भारत	51.07	1,389.88	5.65	778.19
कुल प्रमाणित रिज़र्व	51.07	1,389.88	**5.65**	**778.19**
ख) प्रमाणित विकसित रिज़र्व				
भारत	51.07	1,375.29	5.65	778.19
कुल प्रमाणित विकसित रिज़र्व	51.07	1,375.29	**5.65**	**778.19**

नोट: इस वर्ष, ब्लॉक बीके-सीबीएम-2001/1 में गैस उत्पादन शुरू हो गया है। इस ब्लॉक में इंडियन ऑयल की 20.00% हिस्सेदारी है।

आवृत्ति

ऊपर उल्लिखित प्रमाणित और प्रमाणित एवं विकसित भंडार, संचालक द्वारा प्रदान किए गए अनुमान पर आधारित अनंतिम संख्याएँ हैं। प्रमाणित और प्रमाणित एवं विकसित भंडारों के आकलन के लिए, संचालक द्वारा नियतात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। भंडार अनुमानों का वार्षिक संशोधन वार्षिक अन्वेषणात्मक और विकासात्मक गतिविधियों और उनके परिणामों पर आधारित होता है।

टिप्पणी - 35: कर्मचारी हितलाभ

"कर्मचारी हितलाभ" पर भारतीय एएस-19 के अनुपालन में प्रकटन इस प्रकार है :

क. निर्धारित अंशदान योजनाएं - सामान्य विवरण

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95)

कंपनी ने लाभ व हानि के विवरण/ सीडब्ल्यूआईपी में ईपीएस-95 में अंशदान के रूप में ₹ 23.95 करोड़ (2024: ₹ 25.68 करोड़) निर्धारित किया है (टिप्पणी 27 में भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान में / टिप्पणी- 2.2 में निर्माण अवधि व्ययों में शामिल)।

पेंशन योजना

कंपनी ने लाभ व हानि के विवरण/ सीडब्ल्यूआईपी में निर्धारित अंशदायी कर्मचारी पेंशन योजना (कॉर्पोरेट राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान सहित) के प्रति ₹ 412.08 करोड़ (2024: ₹ 420.32 करोड़) निर्धारित किया है (टिप्पणी 27 में भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान में / टिप्पणी-2.2 में निर्माण अवधि व्ययों में शामिल)।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 35: कर्मचारी हितलाभ(जारी)

ख. निर्धारित हितलाभ योजनाएं – सामान्य विवरण

भविष्य निधि:

भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित तीन अलग-अलग भविष्य निधि ट्रस्टों को भेजा जाता है और लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। ट्रस्ट की निवल आय में सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्राप्ति दर, यदि कोई हो, से कमी और इसके निवेश के तनावग्रस्त होने के कारण ट्रस्ट को होने वाले नुकसान की भरपाई कंपनी द्वारा की जा रही है।

उपदान:

5 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक कर्मचारी कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ की सीमा तक, सेवा के पूर्ण कार्यकाल के आधार पर उपदान की राशि प्राप्त करने का हकदार होते हैं। इसके अलावा, उपदान की सीमा में 25% की वृद्धि होती है जब कभी 01 जनवरी, 2017 के संदर्भ में आईडीए 50% तक बढ़ता है।

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ सुविधा (पीआरएमबीएफ)

पीआरएमबीएफ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रित परिजनों को चिकित्सा बीमा रक्षा प्रदान की जाती है।

पुनर्व्यवस्थापन हितलाभ –

पुनर्व्यवस्थापन हितलाभ कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पर स्थिरता से जीवनयापन करने के लिए दिया जाता है।

अनुग्रह राशि योजना

अनुग्रह राशि उन कर्मचारियों को देय है जो 1 जनवरी, 2007 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्ति हितलाभ निधि से पेंशन नहीं ले रहे हैं (क्योंकि वे 01 जनवरी, 1987 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे यानी इंडियनऑयल में अधिवार्षिता हितलाभ निधि योजना के प्रारंभ से) या उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुग्रह राशि से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं (ऐसे मामले में पेंशन और अनुग्रह राशि के बीच अंतर राशि का भुगतान किया जाता है)।

रोजगार के दौरान या उससे उत्पन्न चोटों के लिए कर्मचारी मुआवजा:

कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी, जो कार्य के दौरान दुर्घटना का शिकार होते हैं, उक्त अधिनियम के तहत मुआवजे के पात्र हैं। इसके अलावा,नियोजन से या नियोजन के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना से यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या उसे स्थायी पूर्ण विकलांगता होती है तो उसे 100 महीने के वेतन (बीपी + डीए) के बराबर एकमुश्त मौद्रिक मुआवज़े का भुगतान किया जाता है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान

कंपनी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अलग-अलग आयु सोपान प्राप्त करने पर एकमुश्त राशि से सम्मानित करने की एक योजना है।

ग. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ – सामान्य विवरण

छुट्टी नकदीकरण

प्रत्येक कर्मचारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण तिमाही के लिए 8 अर्जित अवकाश प्राप्त करने का हकदार है। कम से कम 15 दिनों के शेष को छोड़कर सेवा के दौरान अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति है, जो अधिकतम 300 दिनों तक संचित की जा सकती है। इसके अलावा, प्रत्येक कर्मचारी हर छह महीने के अंत में 5 बीमारी छुट्टी (10 अर्द्ध वेतन छुट्टी के बदले) पाने का हकदार है। इसके संपूर्ण संचयन के नकदीकरण की अनुमति केवल सेवानिवृत्ति के समय होती है। इससे पहले डीपीई ने स्पष्ट किया था कि बीमारी अवकाश का नकदीकरण नहीं कराया जा सकता है, हालांकि अर्जित अवकाश (ईएल) और अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) को सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन नकदीकरण किया जा सकता है। एमओपी एंड एनजी ने कंपनी को डीपीई के उक्त दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। बहरहाल, 1987 के डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, जिसने सरकार द्वारा निर्धारित व्यापक मानकों के भीतर स्वयं के अवकाश नियमों को बनाने की अनुमति दी थी और परिचालन संबंधी जटिलताओं और सेवा समझौतों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों से मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। तदुपरांत, तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिश के आधार पर, डीपीई ने वेतन पुनरीक्षण पर अपने दिशा-निर्देशों में जो 01 जनवरी, 2017 से प्रभावी हैं, अन्य बातों के साथ-साथ परिचालन आवश्यकताओं और उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन सीपीएसई को अपने स्वयं के अवकाश नियम बनाने की अनुमति दी है। कंपनी सभी अपेक्षित शर्तें पूरा करती है।

दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार

कंपनी के साथ सेवा की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर और सेवानिवृत्ति के समय भी, कर्मचारियों को पूरी सेवा की अवधि के आधार पर धनराशि से पुरस्कृत किया जाता है। 14 फरवरी, 1983 को अपने डीओ नंबर 7(3)/79-बीपीई (जीएम.आई) के माध्यम से लोक उद्यम ब्यूरो (वर्तमान में डीपीई) की सलाह के अनुरूप लंबे वर्षों की निष्ठा और विश्वसनीय सेवा को मान्यता देने का एक तरीका है। एमओपी एंड एनजी से प्राप्त पत्र जिसमें हमें सूचित किया गया है कि लंबी सेवा के पुरस्कार के मुद्दे को 2019 की सीएजी की वार्षिक रिपोर्ट में लेखा परीक्षा का एक पैरा बनाया गया है, निगम व्यक्तिगत रूप से और साथ ही उद्योग के आधार पर एमओपी एंड एनजी को अपनी स्थिति स्पष्ट करते आ रहा है कि लंबी सेवा के पुरस्कार

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 35: कर्मचारी हितलाभ (जारी)

किस तरह बोनस या अनुग्रह राशि या मानदेय की प्रकृति के नहीं होते हैं और यह आईडी अधिनियम के तहत यूनियनों के साथ समझौते के साथ-साथ इसे डीपीई की 1983 की सलाह के अनुरूप बोर्ड का अनुमोदन भी प्राप्त है। इस मामले समाधान करने के लिए एमओपी एंड एनजी में चर्चा की जा रही है। इसके लंबित होने पर, यह प्रावधान बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप है।

छुट्टी किराया भत्ता (एलएफए) / छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी):

दो कैलेंडर वर्षों की अवधि में (यानी दो वर्षों का ब्लॉक) एक बार एलएफए /एलटीसी की अनुमति दी जाती है।

घ. लाभ व हानि के विवरण, तुलन-पत्र और अन्य व्यापक आय में विभिन्न निर्धारित हितलाभ लाभ योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है–

(टेबल में जो आंकड़े बोल्ड नहीं हैं और इटालिक फांट में हैं, पिछले वर्ष के हैं)

(i) निर्धारित हितलाभ योजनाओं के शेष का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि वित्त-पोषित	उपदान वित्त-पोषित	पीआरएमएस वित्त-पोषित	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता वित्त-पोषित नहीं	अनुग्रह राशि वित्त-पोषित नहीं	सम्मान वित्त-पोषित नहीं
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित दायित्व	**19,798.07** *19,111.18*	**2,542.09** *2,567.47*	**8,281.00** *7,634.04*	**114.11** *113.08*	**257.04** *258.19*	**491.38** *470.85*
प्रारंभ में निर्धारित देयता	**12.73** *6.19*	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
चालू सेवा लागत	**535.36** *645.58*	**54.06** *51.24*	**326.78** *311.36*	**14.52** *15.34*	**–** –	**1.64** *1.61*
विगत सेवा लागत	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
ब्याज की लागत	**1,624.79** *1,554.67*	**183.28** *192.30*	**599.54** *574.84*	**8.23** *8.47*	**18.53** *19.26*	**35.58** *35.46*
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	**919.39** *964.32*	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
आंतरिक/(बाह्य) अंतरित निवल देयता	**211.90** *192.62*	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
लाभ का भुगतान किया गया	**(2,814.59)** *(2,548.21)*	**(244.31)** *(278.37)*	**(345.29)** *(321.65)*	**(9.32)** *(7.51)*	**(41.31)** *(40.92)*	**(22.44)** *(22.46)*
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(118.70)** *(128.28)*	**6.62** *9.45*	**106.13** *82.41*	**(9.92)** *(15.27)*	**10.29** *20.51*	**(22.56)** *5.92*
वर्षांत में निर्धारित हितलाभ देयता	**20,168.95** *19,798.07*	**2,541.74** *2,542.09*	**8,968.16** *8,281.00*	**117.62** *114.11*	**244.55** *257.04*	**483.60** *491.38*

(ii) नियोजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के शेष का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि वित्त-पोषित	उपदान वित्त-पोषित	पीआरएमएस वित्त-पोषित	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता वित्त-पोषित नहीं	अनुग्रह राशि वित्त-पोषित नहीं	सम्मान वित्त-पोषित नहीं
वर्ष की प्रारंभ में परिभाषित दायित्व	**20,130.03** *19,285.66*	**2,555.24** *2,632.58*	**8,261.22** *7,432.30*	**–** –	**–** –	**–** –
प्रारंभ में निर्धारित देयता	**(118.70)** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
संपत्ति में हुई कमी	**(156.85)** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
कंपनी द्वारा संपत्ति की कमी की भरपाई	**156.85** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
ब्याज की आय	**1,624.79** *1,554.67*	**184.23** *197.18*	**598.11** *559.65*	**–** –	**–** –	**–** –
नियोक्ता द्वारा अंशदान	**535.36** *645.58*	**59.74** –	**368.37** 546.37	**–** –	**–** –	**–** –
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	**919.39** *964.32*	**–** –	**1.03** 1.10	**–** –	**–** –	**–** –

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 35: कर्मचारी हितलाभ (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता वित्त–पोषित नहीं	अनुग्रह राशि वित्त–पोषित नहीं	सम्मान वित्त–पोषित नहीं
आंतरिक/(बाह्य)	**211.90**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
अंतरित निवल देयता	*192.62*	–	–	–	–	–
अदा किए गए हितलाभ	**(2,814.59)**	**(244.31)**	**(345.29)**	**–**	**–**	**–**
	(2,548.21)	*(278.37)*	*(321.65)*	–	–	–
पुनर्मापन (ब्याज की आय को छोड़कर योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति)	**9.52**	**14.83**	**49.00**	**–**	**–**	**–**
	35.39	*3.85*	*43.45*	–	–	–
वर्षांत में परिभाषित दायित्व	**20,497.70**	**2,569.73**	**8,932.44**	**–**	**–**	**–**
	20,130.03	*2,555.24*	*8,261.22*	–	–	–

(iii) नियोजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और निर्धारित हितलाभ देयता का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता वित्त–पोषित नहीं	अनुग्रह राशि वित्त–पोषित नहीं	सम्मान वित्त–पोषित नहीं
वर्षांत में योजित	**20,497.70**	**2,569.73**	**8,932.44**	**–**	**–**	**–**
परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	*20,130.03*	*2,555.24*	*8,261.22*	–	–	–
वर्षांत में निर्धारित हितलाभ देयता	**20,168.95**	**2,541.74**	**8,968.16**	**117.62**	**244.55**	**483.60**
(ब्याज की कमी का निवल)	*19,798.07*	*2,542.09*	*8,281.00*	*114.11*	*257.04*	*491.38*
तुलन-पत्र में निर्धारित न की गई राशि	**328.75**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
(इंड ए एस-19 के पैरा 64 के अनुसार)	*331.96*	–	–	–	–	–
तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	**–**	**(27.99)**	**35.72**	**117.62**	**244.55**	**483.60**
	–	*(13.15)*	*19.78*	*114.11*	*257.04*	*491.38*

(iv) लाभ व हानि के विवरण/ निर्माण अवधि के व्ययों में निर्धारित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता वित्त–पोषित नहीं	अनुग्रह राशि वित्त–पोषित नहीं	सम्मान वित्त–पोषित नहीं
चालू सेवा लागत	**535.36**	**54.06**	**326.78**	**14.52**	**–**	**1.64**
	526.88	*51.24*	*311.36*	*15.34*	–	*1.61*
कंपनी द्वारा पूरी की गई कमी	**156.85**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	–	–	–	–	–	–
पिछली सेवा लागत	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	–	–	–	–	–	–
शुद्ध ब्याज लागत	**–**	**(0.95)**	**1.43**	**8.23**	**18.53**	**35.58**
	–	*(4.88)*	*15.19*	*8.47*	*19.26*	*35.46*
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	**–**	**–**	**(1.03)**	**–**	**–**	**–**
	–	–	*(1.10)*	–	–	–
वर्ष के व्यय	**692.21**	**53.11**	**327.18**	**22.75**	**18.53**	**37.22**
	526.88	*46.36*	*325.45*	*23.81*	*19.26*	*37.07*

(v) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में निर्धारित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता वित्त–पोषित नहीं	अनुग्रह राशि वित्त–पोषित नहीं	सम्मान वित्त–पोषित नहीं
देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि)/ हानि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
– जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	–	–	–	–	–	–
देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि)/ हानि	**–**	**71.43**	**301.47**	**5.73**	**4.29**	**12.45**
– वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	–	*58.71*	*112.91*	*4.67*	*2.31*	41.53
देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि)/ हानि	**(118.70)**	**(64.81)**	**(195.34)**	**(15.65)**	**6.00**	**(35.01)**
– अनुभव के कारण	*(9.58)*	*(49.26)*	*(30.50)*	*(19.94)*	*18.20*	*(35.61)*

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 35: कर्मचारी हितलाभ (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता वित्त–पोषित नहीं	अनुग्रह राशि वित्त–पोषित नहीं	सम्मान वित्त–पोषित नहीं
पुनर्मापन (ब्याज की आय को छोड़कर योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति)	**–**	**14.83**	**49.00**	**–**	**–**	**–**
	–	*3.85*	*43.45*	–	–	–
ओसीआई में निर्धारित निवल हानि / (लब्धि)	**(118.70)**	**(8.21)**	**57.13**	**(9.92)**	**10.29**	**(22.56)**
	(9.58)	*5.60*	*38.96*	*(15.27)*	*20.51*	*5.92*

(vi) प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान

विवरण	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता वित्त–पोषित नहीं	अनुग्रह राशि वित्त–पोषित नहीं	सम्मान वित्त–पोषित नहीं
बट्टे की दर	**6.89%**	**6.89%**	**7.05%**	**6.89%**	**6.71%**	**7.05%**
	7.21%	*7.21%*	*7.24%*	*7.21%*	*7.21%*	*7.24%*
वेतन वृद्धि	**–**	**8.00%**	**–**	**–**	**–**	**–**
	–	*8.00%*	–	–	–	–
मुद्रास्फीति	**–**	**–**	**8.00%**	**6.00%**	**–**	**–**
	–	–	*8.00%*	*6.00%*	–	–
औसत अपेक्षित भावी सेवा / देयता (वर्ष)	**–**	**17**	**30**	**17**	**8**	**30**
	–	*17*	*30*	*17*	*9*	*30*
नियोजन के दौरान मृत्यु दर	**–**	**भारत में आश्वस्त लोगों की मृत्यु (2012–14) शहरी**				
	–	*भारत में आश्वस्त लोगों की मृत्यु (2012–14) शहरी*				

उक्त वित्त-पोषित योजनाओं के मामले में, योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति संबंधित बट्टे की दर के समान है।

बीमांकिक मूल्यांकन में मानी गई भावी वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोज़गार बाजार में आपूर्ति और मांग कारकों जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है।

(vii) बीमांकिक पूर्वानुमानों पर संवेदनशीलता –

(₹ करोड़ में)

हानि / लब्धि के लिए	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता वित्त–पोषित नहीं	अनुग्रह राशि वित्त–पोषित नहीं	सम्मान वित्त–पोषित नहीं
बट्टे की दर में परिवर्तन						
1% तक की वृद्धि	**–**	**(210.77)**	**(1,261.14)**	**(16.59)**	**(8.41)**	**(50.00)**
	–	*(197.63)*	*(363.96)*	*(15.39)*	*(8.95)*	*(71.82)*
1% तक की कमी	**–**	**251.27**	**1,714.33**	**21.00**	**9.16**	**54.90**
	–	*234.60*	*443.76*	*19.43*	*9.73*	*25.48*
वेतन वृद्धि में परिवर्तन						
1% तक की वृद्धि	**–**	**49.36**	**–**	**–**		
	–	*47.50*	–	–		
1% तक की कमी	**–**	**(58.17)**	**–**	**–**		
	–	*(54.64)*	–	–		
मुद्रास्फीति दर में परिवर्तन						
1% तक की वृद्धि	**–**		**1,127.51**	**–**		
	–		*996.97*	–		
1% तक की कमी	**–**		**(899.77)**	**–**		
	–		*(813.78)*	–		

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 35: कर्मचारी हितलाभ (जारी)

(viii) निवेश के विवरण–

विवरण	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित
बीमाकर्ता के साथ निवेश	–	99.63%	89.14%
	–	*99.59%*	*89.13%*
स्व–प्रबंधित निवेश	100.00%	0.37%	10.86%
	100.00%	*0.41%*	*10.87%*

उपर्युक्त वित्त पोषित दायित्वों के लिए निवेश प्रारूप का विवरण निम्नानुसार है–

विवरण	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान* वित्त–पोषित	पीआरएमएस* वित्त–पोषित
सरकारी प्रतिभूतियां (केंद्र और राज्य)	52.93%	97.96%	14.42%
	52.38%	*89.78%*	*15.60%*
इक्विटी / म्युच्युअल फंड में निवेश	10.33%	0.00%	48.28%
	9.00%	*0.00%*	*39.04%*
ऋणपत्रों / प्रतिभूतियों में निवेश	32.68%	0.00%	37.10%
	35.74%	*10.12%*	*45.14%*
अन्य अनुमोदित निवेश (नकद सहित)	4.06%	2.04%	0.20%
	2.88%	*0.10%*	*0.22%*

* चालू वर्ष के लिए एलआईसी से निवेश पैटर्न लंबित होने के कारण, उपरोक्त पैटर्न स्व–प्रबंधित निधियों और अन्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रबंधित निधियों से संबंधित है और एलआईसी से प्राप्त विवरण पर विचार करने के बाद वास्तविक निवेश पैटर्न अलग हो सकता है।

(ix) निम्नलिखित भुगतान भावी वर्षों में निर्धारित हितलाभ योजना के अपेक्षित अनुमान हैं –

(₹ करोड़ में)

निधि / नियोक्ता से नकदी प्राप्ति का प्राक्कलन	भविष्य निधि	पीआरएमएस	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	अनुग्रह राशि	सम्मान
अगले 12 महीनों के भीतर	253.12	348.20	6.40	48.39	29.56
	278.82	*326.36*	*7.10*	*49.89*	*27.94*
1 से 5 वर्षों के बीच	871.74	1,511.53	19.96	141.33	125.02
	917.02	*1,414.52*	*21.27*	*149.21*	*120.61*
6 से 10 वर्षों के बीच	899.95	2,146.07	26.81	90.03	179.65
	956.30	*2,001.68*	*28.94*	*99.32*	*176.17*

टिप्पणी – 36: प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिकताएं

क. पट्टे

(क) पट्टेदार के रूप में

कंपनी ने विभिन्न सामग्री पट्टा व्यवस्था (सार पट्टे की व्यवस्था सहित) की है जैसे अपने संयंत्रों, सुविधाओं, कार्यालयों, खुदरा आउटलेट आदि के प्रयोजनार्थ भूमि और भवन, पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए भंडारण टैंकेज सुविधा, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के तटीय परिवहन के लिए समय चार्टर व्यवस्था, पेट्रोलियम उत्पादों के सड़क मार्ग द्वारा परिवहन के लिए विशेष टैंक ट्रकों की व्यवस्था, भंडारण सुविधा प्रदान करने और ल्यूब की हैंडलिंग, उपयोगिताओं की आपूर्ति जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पानी तथा पत्तन सुविधाओं के लिए सीएफए के साथ हैंडलिंग व्यवस्था।

ऐसी कोई महत्वपूर्ण बिक्री और पट्टा वापसी के लेनदेन और कंपनी द्वारा किए गए पट्टा समझौते नहीं हैं जिनमें चालू रिपोर्टिंग अवधि तक पट्टाकर्ता द्वारा लगाए गए कोई महत्वपूर्ण प्रतिबंध या अनुबंध शामिल नहीं हैं।

कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण पट्टों का विवरण (पदार्थ पट्टों सहित) निम्नानुसार है;

1. टैंकेज सुविधा, जल प्राप्ति सुविधा, गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला, रिफाइनरियों में उपयोगिता गैसों की आपूर्ति के लिए संयंत्रों के लिए 10–25 वर्षों की अवधि के लिए बीओओ / बीओओटी आधार पर विभिन्न व्यवस्थाएं। बीओओटी संविदाओं के मामले में, पट्टादाता संविदा अवधि के अंत में शून्य/नाममात्र मूल्य पर आईओसीएल को स्वामित्व हस्तांतरित करेगा।
2. संयंत्रों, सुविधाओं और कार्यालयों के प्रयोजन के लिए 30 से 90 वर्ष की अवधि के लिए सरकार से ली गई पट्टाधारित भूमि।
3. कंपनी के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए विशेष समय चार्टर जहाजों को किराए पर लेने के लिए पोत मालिकों के साथ किए गए करार, इन्हें परिवहन लिखत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी – 36: प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिकताएं (जारी)

4. कंपनी के पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए विशेष टैंक ट्रक उपलब्ध कराने हेतु टैंक ट्रक ऑपरेटरों के साथ करार।
5. पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए खुदरा दुकानों के संचालन के लिए भूमि पट्टे/विशेष भंडारण टैंक की व्यवस्था, पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए क्रमश: टर्मिनल/बॉटलिंग संयंत्र/ल्यूब ब्लेंडिंग संयंत्र की स्थापना/एलपीजी की बॉटलिंग/ल्यूब विनिर्माण।
6. ल्यूब के संचालन हेतु विशेष भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीएफए के साथ सीएफए संचालन व्यवस्था।

लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित राशि या किसी दूसरी परिसंपत्ति की वहनीय राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024–25		2023–24	
स्वीकृत अवमूल्यन और क्षति		3,243.94		2,930.52
पट्टे की देयताओं पर ब्याज		970.17		895.74
अल्पकालीन पट्टों से संबंधित व्यय (30 दिनों से अधिक लेकिन 12 महीनों के कम की अवधि के पट्टों के व्यय)*		839.63		946.72
कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे संबंधी व्यय, कम मूल्य की परिसंपत्तियों के अल्पकालीन पट्टों को छोड़कर		37.20		32.40
पट्टों की देयताओं के मापन में शामिल न किए गए परिवर्ती पट्टों के भुगतान		10,458.34		10,139.26
उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों के उप–पट्टा से आय				
– प्रचालनीय पट्टे से किराए की आय के रूप में	18.10		19.04	
– आरओयू परिसंपत्ति के वित्त पट्टे से वित्त आय के रूप में	0.24	18.34	0.25	19.29
पट्टों से कुल नकदी बहिर्वाह		4,019.48		4,897.80
वर्ष के दौरान आरओयू में परिवर्धन		3,600.22		3,284.80
वर्षांत में आरओयू की निवल वहनीय राशि		10,594.74		10,238.46
अन्य में शामिल है – विवादित, छुट्टी तथा लाइसेंस, पिछले वर्ष की अतिरेक देयता को वापस लेना, पट्टे की देयता पर विदेशी मुद्रा विनियम के उतार–चढ़ाव आदि		349.36		325.00

*इसमें ऐसे पट्टे शामिल हैं जिनके लिए अभी करार किया जाना है या जिनका नवीकरण किया जाना है।

अंतर्निहित परिसंपत्ति (निवेश संपत्ति में शामिल पट्टों को छोड़कर) के वर्ग द्वारा पट्टाकर्ता के रूप में धारित पीपीई (टिप्पणी 2) में शामिल आरओयू परिसंपत्ति के विवरण नीचे दिए गए हैं : 2024–2025

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति का वर्ग	01 अप्रैल, 2024 को निवल वहनीय मूल्य	वर्ष के दौरान आरओयू परिसंपत्ति में निवल परिवर्धन**	वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त मूल्यह्रास/हानि	31 मार्च, 2025 को निवल वहनीय मूल्य
पट्टाधारित भूमि	4,494.83	883.72	399.04	4,979.51
भवन, सड़कें आदि	307.59	38.42	36.79	309.22
संयंत्र व उपकरण	3,211.82	157.09	324.09	3,044.82
परिवहन उपकरण	2,224.22	2,520.99	2,484.02	2,261.19
रेलवे साइडिंग	–	–	–	–
कुल	10,238.46	3,600.22	3,243.94	10,594.74

2023–24

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति का वर्ग	01 अप्रैल, 2023 को निवल वहनीय मूल्य	वर्ष के दौरान आरओयू परिसंपत्ति में निवल परिवर्धन**	वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त मूल्यह्रास/हानि	31 मार्च, 2024 को निवल वहनीय मूल्य
पट्टाधारित भूमि	4,380.88	461.82	347.87	4,494.83
भवन, सड़कें आदि	322.87	39.37	54.65	307.59
संयंत्र व उपकरण	3,420.54	95.35	304.07	3,211.82
परिवहन उपकरण	1,759.88	2,688.26	2,223.92	2,224.22
रेलवे साइडिंग	0.01	–	0.01	–
कुल	9,884.18	3,284.80	2,930.52	10,238.46

** वर्ष के दौरान आरओयू परिसंपत्ति में वृद्धि, उप–पट्टे पर दी गई आरओयू परिसंपत्तियों या वर्ष के दौरान किए गए संशोधनों और निरस्तीकरणों, यदि कोई हो, को घटाकर की जाती है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 36: प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिकताएं (जारी)

मानक की आवश्यकता के अनुसार, लीज़ देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण, तरलता जोखिम-नोट 40: वित्तीय उपकरण और जोखिम कारक के अंतर्गत अन्य वित्तीय देनदारियों के परिपक्वता विश्लेषण से अलग दर्शाया गया है।

भावी नकदी बहिर्वाह की मदों का विवरण, जिन्हें कंपनी पट्टेदार के रूप में उजागर करती है, लेकिन पट्टे की देयताओं के मापन में परिलक्षित नहीं होती है, इस प्रकार है;

(i) परिवर्ती पट्टा भुगतान

परिवर्ती पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, को पट्टे की देयता के मापन में शामिल किया जाना है, फिर चाहे प्रारंभिक तिथि पर भुगतान क्यों न नहीं किया हो। सामान्य इंडस्ट्री प्रथा के अनुसार, कंपनी ऐसे विभिन्न परिवर्ती पट्टा भुगतान करती है जो किसी सूचकांक या दर पर आधारित नहीं होते हैं (पूरे किए गए कि.मी. या बिक्री आदि के % के आधार पर परिवर्ती) और लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं और पट्टे की देयता माप में शामिल नहीं होते हैं। कंपनी द्वारा की गई कुछ व्यवस्थाओं का विवरण जिसमें परिवर्तनीय पट्टा भुगतान शामिल हैं, इस प्रकार हैं;

1. पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और गैस उत्पादों सड़क मार्ग द्वारा परिवहन के लिए विभिन्न ऑपरेटरों के साथ विशेष टैंक ट्रकों के लिए किलोमीटर की संख्या के आधार पर परिवहन व्यवस्था।
2. बिक्री की मात्रा के आधार पर रिटेल आउटलेट की भूमि का पट्टा।
3. रोजाना आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों के लिए स्टोरेज टैंकों का किराया।
4. उपकरण के कार्य-निष्पादन के आधार पर वीटीएस साफ्टवेयर और वीसैट उपकरण का भुगतान।
5. उपकरण के प्रदर्शन के आधार पर एसडी वान उपकरण और सॉफ्टवेयर का भुगतान।

(ii) विस्तारण और समापन के विकल्प

कंपनी की पट्टा व्यवस्था में प्रचालनीय लचीलापन प्रदान करने के लिए केवल विस्तार का विकल्प दिया जाता है। प्रत्येक पट्टे के प्रारंभ पर कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या विस्तार विकल्पों का प्रयोग करना यथोचित रूप से निश्चित है और आगे पुनर्मूल्यांकन करती है कि क्या उसके नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर विकल्पों का प्रयोग करना यथोचित रूप से निश्चित किया जा सकता है। हालांकि, जहां कंपनी के पास अनुबंध का विस्तार करने का एकमात्र विवेकाधिकार होता है तो ऐसे पट्टे की अवधि को पट्टे की देयताओं की गणना के उद्देश्य के लिए शामिल किया जाता है।

रिटेल आउटलेट के लिए पट्टे के करार के मामले में पट्टे को समाप्त करने का एकमात्र विवेकाधिकार कंपनी के पास है। हालांकि, कंपनी के संचालन के लिए खुदरा के महत्वपूर्ण सुधार और अधिक महत्व को देखते हुए कंपनी निश्चित रूप से इस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगी। तद्नुसार, पट्टे की ऐसी अवधि उसके समापन के प्रभाव के बिना पट्टे की देयताओं की गणना के प्रयोजन के लिए मानी जाती है।

(iii) अवशिष्ट मूल्य की गारंटी

कंपनी ने ऐसे विभिन्न बूट करार किया है जिसमें लीज़ अवधि के अंत में पट्टे की परिसंपत्तियां कंपनी को नाममात्र मूल्य पर हस्तांतरित की जाएंगी, जिसका पट्टे की देयताओं के मापन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

(iv) प्रतिबद्ध पट्टे जो अभी शुरु किए जाने हैं

1. कंपनी ने विभिन्न रिफाइनरियों में टैंकेज सुविधा और उपयोगिताओं की आपूर्ति के लिए 15-20 वर्षों की अवधि के लिए BOOT/ BOOT आधार पर 4 पट्टा समझौते किए हैं। आईओसीएल ने संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि को उप-पट्टे पर दिया है। संयंत्र के चालू होने के बाद पट्टा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
2. कंपनी ने औरंगाबाद और मुंबई में रिटेल आउटलेट्स के लिए 30 वर्षों की अवधि हेतु भूमि हेतु एमएसआरडीसी को ₹19.70 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया है। भूमि अभी कंपनी को सौंपी जानी है, इसलिए यह राशि पूंजीगत अग्रिम के रूप में पड़ी है और लीज़ शुरू होने के बाद आरओयू परिसंपत्तियों का हिस्सा बन जाएगी।
3. कंपनी ने विभिन्न विक्रेताओं से तीन वर्षों की अवधि के लिए (आईओसीएल की इच्छा पर विस्तार का विकल्प सहित) ₹1,200-1,650/माह की दर से और एक विक्रेता के लिए ₹2,450/माह की दर से ई-लॉक प्राप्त करने के लिए पट्टा समझौता किया है। 31 मार्च, 2025 तक, 4,111 ई-लॉक की आपूर्ति अभी बाकी है। हालाँकि, ये कम मूल्य की वस्तुएँ हैं।
4. कंपनी ने आंध्र प्रदेश राज्य नागरी आपूर्ति के साथ विज़ाग में 1 रिटेल आउटलेट के लिए 20 वर्षों की अवधि के लिए ₹20,000/- के मासिक किराए पर हर 3 वर्ष 10% की बढ़ोत्तरी के साथ भूमि के लिए पट्टा करार किया है। भूमि का कब्ज़ा नहीं दिया गया है और मामला न्यायालय में लंबित है।
5. कंपनी ने आईओसीएल की आवश्यकता के अनुसार बनाए गए पीओएल ट्रकों के लिए वीटीएस सॉफ्टवेयर के लिए ₹373 प्रति माह के किराए के भुगतान के लिए मेसर्स ट्रिम्बल के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए केंद्रीकृत पट्टा करार किया है। 31 मार्च, 2025 को कुल 19,039 की संस्थापना की जानी है। हालांकि, भुगतान परिवर्तनशील पट्टा भुगतान प्रकृति का है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 36: प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिकताएं (जारी)

6. कंपनी ने एलपीजी ट्रकों के वीटीएस सॉफ्टवेयर के लिए विभिन्न विक्रेताओं के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹108-256 प्रति माह के किराए पर पट्टा करार किया है। 31 मार्च, 2025 तक कुल 14,020 वीटीएस स्थापित किए जाने हैं। हालांकि, भुगतान परिवर्तनशील पट्टा भुगतान प्रकृति का है।
7. कंपनी ने मेसर्स सेवन आइलैंड्स शिपिंग लिमिटेड के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए टाइम चार्टर जहाजों को किराए पर लेने के लिए पट्टा समझौता किया है, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2025 से होगी।
8. कंपनी ने आरओ के लिए प्रबंधित सेवाओं के साथ दोहरे नेटवर्क कनेक्टिविटी समाधान (एसडी-डब्ल्यूएएन समाधान) की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए ओपेक्स मॉडल पर 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹2,113 के मासिक किराए के साथ पट्टा करार किया है। चयनित आरओ में से 1,103 आरओ का कार्यारंभ लंबित है। हालांकि, भुगतान परिवर्तनशील पट्टा भुगतान प्रकृति का है।

(ख) पट्टाकर्ता के रूप में

(i) प्रचालनीय पट्टा

संबंधित करार में बताए गए किराये के अनुसार इन विवरणों में आय के रूप में निर्धारित पट्टे का किराया: (₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
वर्ष के दौरान आय के रूप में निर्धारित पट्टे का किराया	151.23	283.89
– परिवर्ती पट्टा	58.07	166.29
– अन्य	93.16	117.60

ये गैर-ईंधन व्यवसाय, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भंडारण टैंकेज सुविधाएं, छुट्टी और लाइसेंस मॉडल के लिए उप-पट्टे पर दी गई भूमि /भवन, पट्टे पर दिए गए मशीनरी और कार्यालयीन उपकरणों से संबंधित हैं। परिसंपत्ति के वर्गवार विवरण टिप्पणी 2- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत दिए गए हैं।

रिपोर्टिंग की तारीख के बाद प्राप्त होने वाले गैर छूट प्राप्त पट्टा भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
एक वर्ष से कम	33.81	26.12
एक से दो वर्ष	14.64	15.74
दो से तीन वर्ष	11.67	3.34
तीन से चार वर्ष	9.71	1.79
चार से पांच वर्ष	4.47	0.75
पांच वर्षों से अधिक	16.68	1.49
कुल	90.98	49.23

(ii) वित्तीय पट्टा

कंपनी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण वित्त पट्टा व्यवस्था की है:

(i) कंपनी ने इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पट्टा करार किया है जिसमें कंपनी ने ₹ 16.65 करोड़ के एकमुश्त प्रारंभिक अग्रिम भुगतान के लिए भूमि पट्टे पर दी है।

पट्टे के ठेकों से पट्टे की आय जिसमें कंपनी पट्टाकर्तादार के रूप में कार्य करती है, नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
बिक्री से लाभ / हानि	–	–
पट्टे में निवल निवेश पर वित्त आय	0.24	0.25

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 36: प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिकताएं (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वित्तीय पट्टे में सकल निवेश	16.65	20.89
घटाएं- अनर्जित वित्त आय	–	–
घटाएं- प्राप्त वित्त आय	–	0.29
घटाएं- प्राप्त न्यूनतम पट्टा भुगतान	16.65	20.35
घटाएं- वर्ष के दौरान समायोजन	–	0.25
आज की तारीख तक वित्त पट्टे में निवल निवेश	–	–
वित्त पट्टे में प्रारंभिक निवल निवेश	–	0.74
जोड़ें- वर्ष के दौरान शामिल नए पट्टे	–	–
घटाएं- वर्ष के दौरान प्राप्त न्यूनतम पट्टा भुगतान का पी.वी.	–	0.49
घटाएं- वर्ष के दौरान समायोजन	–	0.25
वित्त पट्टे में अंतिम निवल निवेश	–	–

ख. आकस्मिक देयताएं

ख.1 कंपनी के विरुद्ध किए गए दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया

कंपनी के विरुद्ध ₹ 11,320.47 करोड़ (2024: ₹ 8,441.23 करोड़) के ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे निम्नानुसार हैं:

ख.1.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क/सेवा कर/जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा ₹ 785.72 करोड़ (2024: ₹ 137.41 करोड़) की मांग की गई है, जिसमें ₹ 541.83 करोड़ (2024: ₹ 62.69 करोड़) का ब्याज भी शामिल है।

ख.1.2 राज्य सरकारों से प्रवेश कर की मांग के संबंध में ₹ 9.44 करोड़ (2024: ₹ 9.44 करोड़) का ब्याज सहित ₹ 39.84 करोड़ (2024: ₹ 39.84 करोड़)।

ख.1.3 वैट/बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा ₹ 756.89 करोड़ (2024: ₹ 810.97 करोड़) की मांग की गई है, जिसमें ₹ 265.89 करोड़ (2024: ₹ 268.93 करोड़) का ब्याज भी शामिल है।

ख.1.4 आयकर मांगों के संबंध में ₹ 1,131.11 करोड़ (2024: ₹ 2,568.91 करोड़) जिसमें ₹ 109.38 करोड़ (2024: ₹ 212.00 करोड़) का ब्याज शामिल है।

ख.1.5 ₹ 8,386.00 करोड़ (2024: ₹ 4,716.60 करोड़) जिसमें ₹ 4,072.39 करोड़ (2024: ₹ 3,978.83 करोड़) उन परियोजनाओं के लिए हैं जिनके लिए अदालतों में मुकदमे दायर किए गए हैं या मध्यस्थ के पास मामले लंबित हैं। इसमें ₹ 1,052.73 करोड़ (2024: ₹ 188.67 करोड़) का ब्याज शामिल है।

ख.1.6 ₹44.74 करोड़ (2024: ₹ 74.88 करोड़) के ब्याज सहित अन्य दावों के संबंध में ₹ 220.91 करोड़ (2024: ₹167.50 करोड़)।

कंपनी ने ऐसी विवादित मांगों / दावों को आकस्मिक देयता नहीं माना है जिनके लिए संसाधनों का बहिर्वाह नगण्य माना गया है। कंपनी को यह उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त प्रचालनों से संबंधित आकस्मिक देयताएं टिप्पणी 33ख में प्रकट की गई हैं।

ख.2 गारंटियां, वित्तीय गारंटियों को छोड़कर

ख. 2.1 कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, अर्थातब इंडोइल ग्लोबल बी.वी. और इंडोइल मोंटनी लिमिटेड, की ओर से पेट्रोनास कैरिगाली कनाडा बी.वी. और प्रोग्रेस एनर्जी कनाडा लिमिटेड (जिसका नाम अब पेट्रोनास एनर्जी कनाडा लिमिटेड है) के साथ किए गए विभिन्न परियोजना समझौतों के अंतर्गत अपने सभी भुगतानों और निष्पादन दायित्वों के लिए एक मास्टर गारंटी समझौता किया है। निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कुल राशि 3,924.76 मिलियन कैनेडियन डॉलर है। 31 मार्च 2025 तक इस दायित्व की अनुमानित राशि (भुगतान की गई राशि को घटाकर) ₹2,818.95 करोड़ – ₹472.50 मिलियन कैनेडियन डॉलर (2024: ₹3,367.22 करोड़ – ₹549.49 मिलियन कैनेडियन डॉलर) है। 2017 के दौरान एलएनजी प्लांट के बंद होने के कारण स्वीकृत राशि में 1,462.00 मिलियन कैनेडियन डॉलर की कमी की गई।

*ख.2.2 कंपनी ने तीन लाभार्थियों अर्थात, बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला (गणराज्य), द कॉर्पोरेशन वेनेज़ोलाना डेल पेट्रोलियो एस.ए. और पेट्रोकाराबोबो एस.ए. के पक्ष में इंडोइल नीदरलैंड्स बी.वी., नीदरलैंड्स (एक सहयोगी कंपनी) की ओर से लाभार्थियों को हस्ताक्षर बोनस/इक्विटी अंशदान/ऋण के भुगतान संबंधी सहयोगी कंपनी के भावी दायित्वों को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कुल राशि 424 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। 31 मार्च 2025 तक ऐसे दायित्व की अनुमानित राशि (भुगतान की गई राशि को घटाकर) ₹3,131.40 करोड़ – USD 366.33 मिलियन (2024: ₹ 3,055.57 करोड़ – USD 366.33 मिलियन) है।

*ख.2.3 कंपनी ने इंडियनऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड (IOAGPL) की ओर से, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक द्वारा IOAGPL को प्रदान की गई प्रदर्शन बैंक गारंटी सुविधा के अंतर्गत, बाद की कंपनी के दायित्वों की सीमा तक, कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। 31 मार्च, 2025 को, इस दायित्व में कंपनी का हिस्सा ₹3,472.15 करोड़ (2024: ₹3,472.15 करोड़) अनुमानित है।

ख.2.4 कंपनी ने ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (कंपनी की सहायक कंपनी आईओसीएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) की ओर से अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के पक्ष में मूल कंपनी गारंटी जारी की है ताकि संयुक्त उद्यम कंपनी के भुगतान और न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के निष्पादन संबंधी भविष्य के दायित्वों को पूरा किया जा सके। निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कुल राशि 149.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस दायित्व की अनुमानित राशि (भुगतान की गई राशि को घटाकर) 564.08 करोड़ अमेरिकी डॉलर – 65.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2024: 144.30 करोड़ अमेरिकी डॉलर – 17.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है।

* कंपनी ने इन्हें वित्तीय गारंटी मानने के संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) से राय मांगी है। ईएसी की राय मिलने पर, यदि आवश्यक हो, तो लेखा पुस्तकों में उचित प्रभाव डाला जाएगा।

ख.3 अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है

ख.3.1 सरकार का निर्णय लंबित होने तक, अधिग्रहित की गई कुछ भूमि के लिए भूमि मालिकों और सरकार को देय अतिरिक्त मुआवजे, यदि कोई हो, के संबंध में कोई देयता निर्धारित और प्रावधानित नहीं की जा सकती।

ख.3. 2 31.03.2025 तक, मूल कंपनी के पास वेयरहाउस विनियमन (MOOWR) योजना में विनिर्माण और अन्य संचालन के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क के प्रति ₹ 1,452.03 करोड़ (2024: ₹ 967.81 करोड़) की आकस्मिक देयता है, जिसके खिलाफ मूल कंपनी ने ₹ 4,356.09 करोड़ (2024: ₹ 2,903.43 करोड़) की राशि के बांड निष्पादित और उपयोग किए हैं, जो सीमा शुल्क का तीन गुना है। इस तरह के सीमा शुल्क के लिए फर्म देयता निपटान के समय प्रवेश के एक्स-बॉन्ड बिल दाखिल करने के समय की शर्तों (सीमा शुल्क की दर / निर्यात करने के लिए कंपनी का निर्णय, आदि) पर आकस्मिक होगी। यदि मूल कंपनी ऐसे पूंजीगत सामानों का निर्यात करने का फैसला करती है, तो संबंधित लागत महत्वपूर्ण नहीं होगी।

ग. प्रतिबद्धताएं

ग.1 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि ₹ 41,684.17 करोड़ (2024: ₹ 61,085.44 करोड़) करों सहित प्रदान नहीं की गई है।

टिप्पणी – 37: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

जैसा कि इंड-एएस-24 ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरण'' द्वारा अपेक्षित है, नीचे दिए गए हैं:

1. सहायक कंपनियां और उनकी सहायक कंपनियां:

क. सहायक कंपनियों/संस्थाओं और उनकी सहायक कंपनियों का विवरण:

सहायक कंपनियाँ	
1) चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9) आईओसीएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
2) आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड	10) मर्केंटर पेट्रोलियम लिमिटेड (मई 2024 में सीआईआरपी के तहत अधिग्रहित)
3) इंडियनऑयल (मॉरीशस) लिमिटेड	11) टेरा क्लीन लिमिटेड (31.05.2024 को निगमित)
4) लंका आईओसी पीएलसी	
5) आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई	**स्टेप डाउन सहायक कंपनियाँ**
6) आईओसी स्वीडन एबी	1) इंडऑयल मोंटनी लिमिटेड
7) आईओसीएल (यूएसए) इंक.	2) आईओसीएल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ओमान लिमिटेड
8) इंडऑयल ग्लोबल बी.वी., नीदरलैंड	

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 37: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (जारी)

ख. सहायक कंपनियों/संस्थाओं और उनकी सहायक कंपनियों के साथ सामान्य व्यावसायिक क्रम में निम्नलिखित लेनदेन किए गए:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2024-25	2023-24
1	**उत्पादों/सेवाओं की बिक्री** इसमें चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹3,822.10 करोड़ (2024: ₹2,486.33 करोड़) और लंका आईओसी पीएलसी को ₹45.81 करोड़ (2024: ₹281.18 करोड़) की बिक्री शामिल है	3,888.38	2,780.63
2	**प्राप्त ब्याज** इसमें मर्केंटर पेट्रोलियम लिमिटेड को ₹11.63 करोड़ की बिक्री शामिल है (2024: शून्य)	11.63	–
3	**अन्य परिचालन राजस्व/लाभांश/अन्य आय** आईओसीएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड से अन्य परिचालन राजस्व/लाभांश/अन्य आय ₹754.74 करोड़ (2024: ₹288.75 करोड़), चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ₹506.29 करोड़ (2024: ₹272.39 करोड़) और इंडऑयल ग्लोबल बी.वी., नीदरलैंड ₹47.21 करोड़ (2024: ₹176.63 करोड़) शामिल हैं	1,379.54	790.66
4	**उत्पादों की खरीद** चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से उत्पादों की खरीद शामिल है ₹65,227.02 करोड़ (2024: ₹71,796.87 करोड़)	65,227.02	71,796.87
5	**कच्चे माल/अन्य की खरीद** चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कच्चे माल/अन्य की खरीद ₹2,029.89 करोड़ (2024: ₹2,019.60 करोड़) शामिल है	2,029.89	2,019.60
6	**ब्याज का भुगतान** मुख्य रूप से आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड को ₹50.37 करोड़ (2024: ₹0.58 करोड़) का भुगतान शामिल है	50.42	0.58
7	**भुगतान किए गए/(वसूली) व्यय (शुद्ध)** चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भुगतान किए गए/(वसूली) व्यय ₹38.41 करोड़ (2024:- ₹20.71 करोड़) शामिल हैं	41.47	(17.68)
8	**वर्ष के दौरान किए गए/(बेचे गए) निवेश (निवेश के लिए अग्रिम सहित)** आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड में किए गए निवेश/(शेयर पूंजी में कमी) ₹654.00 करोड़ (2024: ₹6.25 करोड़) शामिल हैं	705.36	110.56
9	**अचल संपत्तियों की खरीद/(बिक्री)/अधिग्रहण (सीडब्ल्यूआईपी/पट्टे सहित)** चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सीडब्ल्यूआईपी/पट्टे सहित अचल संपत्तियों की खरीद/(बिक्री)/अधिग्रहण ₹22.27 करोड़ (2024: ₹21.94 करोड़) शामिल है	22.27	21.94
10	**वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/(वापस लिखा गया)** आईओसी स्वीडन एबी में किए गए प्रावधान/(वापस लिखा गया) ₹83.92 करोड़ (2024: शून्य) और आईओसीएल (यूएसए) इंक. में किए गए प्रावधान/(वापस लिखा गया) ₹154.54 करोड़ (2024: शून्य) शामिल हैं	(70.62)	–

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1	**बकाया प्राप्य/ऋण** चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से बकाया प्राप्य ₹2,430.34 करोड़ (2024: ₹2,870.04 करोड़) शामिल हैं	2,637.03	2,925.26
2	**बकाया देय राशि (लीज़ दायित्व सहित)** आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड को देय बकाया ₹855.30 करोड़ (2024: ₹834.68 करोड़) और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देय ₹374.91 करोड़ (2024: ₹390.55 करोड़) शामिल हैं	1,236.63	1,237.99
3	**आज तक सहायक कंपनियों में निवेश**	17,340.28	16,452.44
4	**गारंटियाँ**		
	वित्तीय गारंटी इंडऑयल मोंटनी लिमिटेड को दी गई वित्तीय गारंटी ₹4,938.55 करोड़ (2024: ₹4,630.47 करोड़) शामिल हैं करोड़)	5,312.95	4,630.47
	वित्तीय गारंटियों के अलावा इंडऑयल मोंटनी लिमिटेड को दिए गए ऋण दायित्व के अलावा मूल कंपनी की गारंटियाँ शामिल हैं ₹2,818.95 करोड़ (2024: ₹3,367.22 करोड़)	2,818.95	3,367.22

टिप्पणी–

1) प्रत्येक प्रकार के लिए कुल संबंधित पक्षों के लेनदेन के 10% से अधिक के लेनदेन का प्रकटन ऊपर किया गया है।

2) वर्ष के दौरान गठित/अधिग्रहित सहायक कंपनियों के मामले में, गठन/अधिग्रहण की तारीख से संबंधित लेनदेन का प्रकटन किया गया है।

3) उन सहायक कंपनियों के मामले में जिन्हें वर्ष के दौरान बंद/विनिवेशित किया गया है, केवल उनके बंद होने/विनिवेश की तारीख तक के लेनदेन प्रकट किए गए हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 37: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (जारी)

2. आईओसीएल एवं उनकी सहायक कंपनियों के संयुक्त उद्यम (जेवी) एवं सहयोगी तथा आईओसीएल की सहायक कंपनियों के संयुक्त उद्यम:

क) आईओसीएल एवं उसकी सहायक कंपनियों के संयुक्त उद्यमों (जेवी)/सहयोगी संस्थाओं का विवरण:

आईओसीएल के संयुक्त उद्यम और सहयोगी

1) इंडियनऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड
2) लुब्रीज़ोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3) पेट्रोनेट वीके लिमिटेड
4) इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड
5) एवी-ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6) पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड*
7) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
8) ग्रीन गैस लिमिटेड
9) पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड@
10) इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड
11) इंडियनऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड
12) सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड
13) दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
14) इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड
15) इंडियनऑयल रुचि बायोफ्यूल्स एलएलपी#
16)एनपीसीआईएल- इंडियनऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
17) जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड
18) जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड
19) इंडियनऑयल – अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
20) मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
21) कोच्चि सलेम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड
22) हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड$
23) रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
24) इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
25) उज्ज्वला प्लस फाउंडेशन^^
26) आईएचबी लिमिटेड
27) इंडियनऑयल एचडब्ल्यूबी प्राइवेट लिमिटेड
28) आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
29) पारादीप प्लास्टिक पार्क लिमिटेड
30) कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड@@
31) इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
32) जीएच4इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
33) आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (21.06.2024 को निगमित)
34) इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (15.07.2024 को निगमित)
35) एलपीजी उपकरण अनुसंधान केंद्र
36) इंडियन ऑयल फाउंडेशन

आईओसीएल की सहायक कंपनियों के संयुक्त उद्यम और सहयोगी

37) इंडियन एडिटिव्स लिमिटेड
38) नेशनल एरोमैटिक्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
39) तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
40) वैंकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
41) सीलोन पेट्रोलियम स्टोरेज टर्मिनल्स लिमिटेड
42) फाल्कन ऑयल एंड गैस बी.वी.
43) ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड
44) बेक्सिमको आईओसी पेट्रोलियम एंड एनर्जी लिमिटेड
45) इंडोइल नीदरलैंड बी.वी.
46) भारत एनर्जी ऑफिस एलएलसी
47) ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल (प्राइवेट) लिमिटेड
48) मेर रूज ऑयल स्टोरेज टर्मिनल लिमिटेड
49) कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड@@
50) आई.ओ.एम.एल. हुलास ल्यूब प्राइवेट लिमिटेड
51) सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (27.06.2024 से कार्यरत)
52) सीपीसीएल एजुकेशनल ट्रस्ट

ख) आईओसीएल के संयुक्त उद्यमों की सहायक कंपनियों का विवरण:

1) आईएवी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लिमिटेड
2) आईएवी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
3) आईओटी उत्कल एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड
4) आईएवी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
5) जेएससी कजाकिस्तान कैस्पीशेल्फ
6) इंडियन ऑयलटैंकिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एलएलसी ओमान
7) आईओटी वीटो मुर्हेडिस्लिक इंसात वे ताहुत ए.एस.
8) इंडियनऑयल स्काईटैंकिंग दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड
9) आईएवी बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड
10) पेट्रोनेट एलएनजी फाउंडेशन (गारंटी द्वारा सीमित)
11) पेट्रोनेट एनर्जी लिमिटेड
12) कज़ाकिस्तान कैस्पीशेल्फ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13) पेट्रोनेट एलएनजी सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
14) आईओएसएल नोएडा प्राइवेट लिमिटेड
15) आईएवी उत्कर्ष लिमिटेड
16) आईएवी ऊर्जा सर्विसेज लिमिटेड
17) आईएवी उड़ान लिमिटेड (19.04.2024 को निगमित)

* पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आरआईएल, एनईएल, आईएलएंडएफएस, एसबीआई और आईसीआईसीआई का एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी का समापन हो रहा है और मामला 2018 से आधिकारिक परिसमापक के पास लंबित है।

@पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड, इंडियन ऑयल, पीआईएल, आरआईएल, एनईएल और बीपीसीएल का एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी का समापन हो रहा है और मामला 2006 से आधिकारिक परिसमापक के पास लंबित है।

#इंडियन ऑयल ने संयुक्त उद्यम, इंडियन ऑयल रुचि बायोफ्यूल्स एलएलपी (मेसर्स आईओआरबी) से अपने बाहर निकलने की सूचना अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार अर्थात रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (मेसर्स रुचि) के साथ-साथ एलएलपी को 26 दिसंबर, 2018 को देकर यह कहते हुए बाहर निकल गया है कि वह एलएलपी से बाहर निकल जाएगा। 25 जनवरी, 2019। मेसर्स रुचि द्वारा आरओसी के पास आवश्यक फॉर्म दाखिल करके निकास औपचारिकताओं को पूरा करने की समय सीमा नोटिस की समाप्ति अवधि के 30 दिनों के भीतर (अर्थात 24 फरवरी, 2019 तक) थी, हालाँकि यह अभी भी लंबित है और इंडियनऑयल का नाम आरओसी की वेबसाइट पर उक्त एलएलपी में भागीदार के रूप में दिखाई दे रहा है। यह सूचित किया गया है कि मेसर्स रुचि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन थी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। आईओआरबी एलएलपी से इंडियनऑयल के बाहर निकलने से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए मेसर्स रुचि को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं।

$इंडियनऑयल के बोर्ड ने 23.11.2022 को हुई अपनी बैठक में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

^^इंडियनऑयल के बोर्ड ने 14.03.2023 को आयोजित अपनी बैठक में उज्ज्वला प्लस फाउंडेशन को बंद करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है।

@@इंडियनऑयल के बोर्ड ने 28.03.2024 को आयोजित अपनी बैठक में इंडियनऑयल की 75% इक्विटी और सीपीसीएल की 25% इक्विटी के साथ सीबीआरपीएल की पूंजी संरचना में संशोधन को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इंडियनऑयल द्वारा शेष 50% इक्विटी शेयर प्राप्त करने पर, सीबीआरपीएल इंडियनऑयल की एक सहायक कंपनी बन जाएगी।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 37: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (जारी)

ग) आईओसीएल के संयुक्त उद्यमों (जेवी)/सहयोगियों और उनकी सहायक कंपनियों तथा आईओसीएल की सहायक कंपनियों के जेवी के साथ सामान्य व्यावसायिक क्रम में निम्नलिखित लेनदेन किए गए:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
1 उत्पादों/सेवाओं की बिक्री [इसमें इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड को ₹2,849.78 करोड़ (2024: ₹2,615.22 करोड़), हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को ₹1,024.13 करोड़ (2024: ₹1,514.26 करोड़) और इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड को ₹768.64 करोड़ (2024: ₹609.31 करोड़) की बिक्री शामिल है]	5,420.30	5,199.63
2 प्राप्त ब्याज [इसमें इंडियनऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड से ₹1.22 करोड़ (2024: ₹1.23 करोड़) और इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त ब्याज शामिल है – शून्य (2024: ₹219.18 करोड़)]	1.24	221.89
3 अन्य परिचालन राजस्व/लाभांश/अन्य आय [इसमें अन्य परिचालन शामिल हैं पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से राजस्व/लाभांश/अन्य आय ₹194.45 करोड़ (2024: ₹194.00 करोड़), इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड ₹111.47 करोड़ (2024: ₹98.95 करोड़) और इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड ₹150.89 करोड़ (2024: ₹140.40 करोड़)]	524.50	525.56
4 उत्पादों की खरीद [इसमें पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से उत्पादों की खरीद ₹10,944.61 करोड़ (2024: ₹10,685.34 करोड़) शामिल है]	12,964.39	12,185.90
5 कच्चे माल/अन्य की खरीद [इसमें पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से कच्चे माल/अन्य की खरीद ₹4,391.12 करोड़ (2024: ₹4,417.16 करोड़) और फाल्कन ऑयल एंड गैस बी.वी. ₹2,658.63 करोड़ (2024: ₹2,717.76 करोड़)]	7,755.55	7,818.71
6 भुगतान किया गया ब्याज [आईओटी उत्कल एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को भुगतान किया गया ₹153.67 करोड़ (2024: ₹181.75 करोड़) ब्याज शामिल है]	153.67	181.75
7 भुगतान किया गया/(वसूली गई) व्यय (शुद्ध) [इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान किया गया ₹294.30 करोड़ (2024: ₹329.51 करोड़), इंडियनऑयल स्काई टैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान किया गया ₹201.04 करोड़ (2024: ₹196.33 करोड़), इंडियनऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड को भुगतान किया गया ₹139.68 करोड़ (2024: ₹120.05 करोड़) और आईओटी उत्कल एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को भुगतान किया गया ब्याज शामिल है। ₹95.46 करोड़ (2024: ₹91.41 करोड़)]	873.42	905.14
8 वर्ष के दौरान किए गए/(बेचे गए) निवेश (निवेश के लिए अग्रिम सहित) [इसमें इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में ₹185.01 करोड़ (2024: शून्य), कोच्चि सेलम पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड में ₹112.50 करोड़ (2024: ₹76.99 करोड़), आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड में ₹54.15 करोड़ (2024: शून्य) और हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड – शून्य (2024: ₹347.03 करोड़) का निवेश शामिल है]	477.95	601.31
9 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/(वापस लिखा गया) [जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड में किए गए प्रावधान/(वापस लिखा गया) ₹95.24 करोड़ (2024: शून्य) शामिल हैं]	95.24	–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1 बकाया प्राप्य/ऋण [इसमें इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड से ₹1,055.99 करोड़ (2024: ₹1,056.21 करोड़) और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से ₹195.92 करोड़ (2024: ₹226.63 करोड़) बकाया प्राप्य/ऋण शामिल हैं]	2,058.30	2,236.00
2 बकाया देय राशि (लीज़ दायित्व सहित) [इसमें आईओटी उत्कल एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को ₹1,388.45 करोड़ (2024: ₹1,683.84 करोड़) और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड को ₹1,166.98 करोड़ (2024: ₹1,009.93 करोड़) बकाया देय राशि शामिल है]	2,808.19	2,974.94
3 आज तक संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों में निवेश	13,020.87	11,807.04

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 37: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
4 गारंटी		
वित्तीय गारंटी [इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को दी गई वित्तीय गारंटी शामिल है ₹224.00 करोड़ (2024: ₹132.00 करोड़)]	224.00	132.00
वित्तीय गारंटी के अलावा [इंडियनऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड को दी गई ₹3,472.15 करोड़ (2024: ₹3,472.15 करोड़) और इंडोइल नीदरलैंड्स बी.वी. को दी गई ऋण दायित्वों के अलावा मूल कंपनी की गारंटी शामिल है ₹3,131.40 करोड़ (2024: ₹3,055.57 करोड़)]	7,167.63	6,672.02

टिप्पणी–

1) प्रत्येक प्रकार के लिए कुल संबंधित पक्षों के लेनदेन के 10% से अधिक के लेनदेन का प्रकटन ऊपर किया गया है।
2) अवधि के दौरान गठित/अधिग्रहित संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के मामले में, गठन / अधिग्रहण की तारीख से संबंधित लेनदेन का प्रकटन किया गया है।
3) संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के मामले में, जो इस अवधि के दौरान बंद/विनिवेशित कर दी गई हैं, केवल बंद होने/विनिवेश की तारीख तक के लेनदेन का प्रकटन किया जाता है।

3. सरकार से संबंधित संस्थाएँ जहाँ महत्वपूर्ण लेनदेन हुए

ऊपर बताए गए लेनदेन के अलावा, कंपनी के अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ भी लेनदेन हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

सरकार का नाम:	भारत सरकार (केंद्र और राज्य सरकार)
लेनदेन की प्रकृति:	↗ उत्पादों और सेवाओं की बिक्री ↗ उत्पादों की खरीद ↗ कच्चे माल की खरीद ↗ हैंडलिंग और माल ढुलाई शुल्क, आदि

ये लेन-देन कंपनी के सामान्य व्यावसायिक क्रम में, सरकार से संबंधित न होने वाली अन्य संस्थाओं के साथ किए जाने वाले लेन-देन के समान शर्तों पर किए जाते हैं।

4) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क. पूर्णकालिक निदेशक/कंपनी सचिव	ख. स्वतंत्र निदेशक	ग. सरकार द्वारा नामित निदेशक
1) श्री अरविंदर सिंह साहनी (13.11.2024 से)	1) डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह	1) डॉ. सुजाता शर्मा (11.05.2024 से प्रभावी)
2) श्री वी.सतीश कुमार	2) डॉ. (प्रो.) आशुतोष पंत (23.11.2024 तक)	2) श्री सुनील कुमार (07.05.2024 तक)
3) श्री एन. सेंथिल कुमार	3) डॉ. दत्तात्रेय राव सिरपुरकर (23.11.2024 तक और 28.03.2025 से पुनः नियुक्त)	
4) श्री अनुज जैन	4) श्री प्रसेनजीत विश्वास (23.11.2024 तक और 28.03.2025 से पुनः नियुक्त)	
5) डॉ. आलोक शर्मा	5) श्री सुदीप्त कुमार रे (23.11.2024 तक)	
6) सुश्री रश्मि गोविल	6) श्री कृष्णन सदगोपन (23.11.2024 तक और 28.03.2025 से पुनः नियुक्त)	
7) श्री अरविंद कुमार (17.07.2024 से)	7) श्री दिलीप गोगोई लालुंग (23.11.2024 तक)	

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 37: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (जारी)

क. पूर्णकालिक निदेशक/कंपनी सचिव	ख. स्वतंत्र निदेशक	ग. सरकार द्वारा नामित निदेशक
8) श्री सुमन कुमार (26.02.2025 से)		
9) श्री एस.एम. वैद्य (31.08.2024 तक)		
10) श्री सुजय चौधुरी (31.08.2024 तक)		
11) सुश्री शुक्ला मिस्त्री (30.04.2024 तक)		
12) श्री रंजन कुमार महापात्र (02.05.2023 तक)		
13) डॉ. एस.एस. रामकुमार (31.07.2023 तक)		
14) श्री डी.एस. नानावरे (30.06.2023 तक)		
15) श्री संजय कौशल (09.10.2023 तक)		
16) श्री कमल कुमार ग्वालानी		

ग) उपरोक्त मद संख्या 4ए और 4बी में संदर्भित कार्मिकों से संबंधित विवरण: 2024-25

(₹ करोड़ में)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	त्रेव्यानिवृत्ति के बाद के हितलाभ	अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	कुल छरिश्रमिक	सिटिंग शुल्क	बकाया ऋण (सकल)/ अग्रिम प्राप्तियां
क. पूर्णकालिक निदेशक/कंपनी सचिव						
1) श्री अरविन्दर सिंह साहनी	0.23	0.03	–	0.26	–	0.07
2) श्री वी.सतीश कुमार	0.76	0.09	–	0.85	–	–
3) श्री एन. सेंथिल कुमार	0.73	0.09	0.22	1.04	–	0.02
4) श्री अनुज जैन	0.73	0.08	0.10	0.91	–	0.17
5) डॉ. आलोक शर्मा	0.75	0.09	–	0.84	–	–
6) सुश्री रश्मि गोविल	0.85	0.09	0.11	1.05	–	–
7) श्री अरविन्द कुमार	0.46	0.07	0.11	0.64	–	0.04
8) श्री सुमन कुमार	0.05	0.01	–	0.06	–	0.12
9) श्री एस.एम.वैद्य	0.34	0.05	0.21	0.60	–	–
10) श्री सुजय चौधुरी	0.39	0.91	0.12	1.42	–	–
11) सुश्री शुक्ला मिस्त्री	0.14	0.92	0.22	1.28	–	–
12) श्री कमल कुमार ग्वालानी	0.79	0.09	0.10	0.98	–	0.20
ख. स्वतंत्र निदेशक						
1) डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह	–	–	–	–	0.07	–
2) डॉ.(प्रो.)आशुतोष पंत	–	–	–	–	0.05	–
3) डॉ.दत्तात्रेय राव सिरपुरकर	–	–	–	–	0.06	–
4) श्री प्रसेनजीत विश्वास	–	–	–	–	0.08	–
5) श्री सुदीप्त कुमार रे	–	–	–	–	0.06	–
6) श्री कृष्णन सदगोपन	–	–	–	–	0.05	–
7) श्री दिलीप गोगोई लालुंग	–	–	–	–	0.04	–
कुल	6.22	2.52	1.19	9.93	0.41	0.62

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 37: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (जारी)

2023-24

(₹ करोड़ में)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	त्रेव्यानिवृत्ति के बाद के हितलाभ	अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	कुल छरिश्रमिक	सिटिंग शुल्क	बकाया ऋण (सकल)/ अग्रिम प्राप्तियां
क. पूर्णकालिक निदेशक/कंपनी सचिव						
1) श्री वी.सतीश कुमार	0.71	0.08	0.11	0.90	–	–
2) श्री एन. सेंथिल कुमार	0.39	0.05	0.17	0.61	–	0.03
3) श्री अनुज जैन	0.22	0.04	–	0.26	–	0.19
4) डॉ. आलोक शर्मा	0.13	0.02	0.11	0.26	–	–
5) सुश्री रश्मि गोविल	0.03	0.01	–	0.04	–	0.08
6) श्री एस.एम.वैद्य	0.74	0.90	0.01	1.65	–	–
7) श्री सुजय चौधुरी	0.73	0.08	0.10	0.91	–	–
8) सुश्री शुक्ला मिस्त्री	0.67	0.08	–	0.75	–	–
9) श्री रंजन कुमार महापात्र	0.14	–	–	0.14	–	–
10) डॉ. एस.एस.वी. रामकुमार	0.29	0.72	0.11	1.12	–	–
11) श्री डी. एस. नानावरे	0.50	0.80	0.11	1.41	–	–
12) श्री संजय कौशल	0.41	0.04	0.01	0.46		
13) श्री कमल कुमार ग्वालानी	0.67	0.08	–	0.75	–	0.23
ख. स्वतंत्र निदेशक						
1) डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह	–	–	–	–	0.06	–
2) डॉ.(प्रो.)आशुतोष पंत	–	–	–	–	0.11	–
3) डॉ.दत्तात्रेय राव सिरपुरकर	–	–	–	–	0.11	–
4) श्री प्रसेनजीत विश्वास	–	–	–	–	0.14	–
5) श्री सुदीप्त कुमार रे	–	–	–	–	0.11	–
6) श्री कृष्णन सदगोपन	–	–	–	–	0.10	–
7) श्री दिलीप गोगोई लालुंग	–	–	–	–	0.08	–
कुल	**5.63**	**2.90**	**0.73**	**9.26**	**0.71**	**0.53**

टिप्पणियां –

1) इसमें सेवानिवृत्ति लाभ/दीर्घावधि योजनाओं के बीमांकिक मूल्यांकन पर किए गए प्रावधान का प्रभाव और सेवानिवृत्ति के बाद के हितलाभों की अवधि के दौरान किए गए प्रावधान शामिल नहीं हैं क्योंकि ये अलग-अलग निदेशकों के लिए अलग से अभिनिश्चित नहीं हैं।

2) इस अवधि के दौरान केएमपी को कोई शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ नहीं दिया गया।

3) इसके अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को निजी उद्देश्यों के लिए 12,000 किलोमीटर प्रतिवर्ष तक प्रति माह ₹ 2,000/- के भुगतान पर कॉर्पोरेशन की कार का इस्तेमाल करने की अनुमति है।

4) केएमपी के लिए पारिश्रमिक और ऋण शेष को कार्यकाल की अवधि के लिए केएमपी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

5) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध और संबंध की प्रकृति जिनके साथ वर्ष के दौरान लेनदेन किए गए –

1) श्री सिद्धार्थ श्रीकांत वैद्य (सहायक प्रबंधक (उत्पादन), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड): श्री एस.एम. वैद्य के पुत्र, जो 31.08.2024 तक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक थे।

2) श्री विनायक श्रीकांत वैद्य (उत्पादन इंजीनियर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड): श्री एस.एम. वैद्य के पुत्र, जो 31.08.2024 तक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक थे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 37: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (जारी)

उपर्युक्त पक्षों से संबंधित विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
1 पारिश्रमिक^		
श्री सिद्धार्थ श्रीकांत वैद्य	0.10	0.23
श्री विनायक श्रीकांत वैद्य	0.07	0.16
2 बकाया प्राप्य/ऋण^		
श्री सिद्धार्थ श्रीकांत वैद्य	0.10	0.12
श्री विनायक श्रीकांत वैद्य	–	–

^केएमपी के रिश्तेदार के लिए पारिश्रमिक और ऋण शेष केएमपी की कार्यकाल अवधि के लिए रिपोर्ट किया जाता है।

6) कर्मचारी लाभ ट्रस्ट

एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रबंधित रोजगारोत्तर लाभ योजनाओं के साथ लेनदेन:

(₹ करोड़ में)

ट्रस्ट का नाम	नौकरी के बाद लाभ योजना	नियोक्ता द्वारा अंशदान 2024-25	बकाया प्राप्य/(देय) 31 मार्च, 2025	नियोक्ता द्वारा अंशदान 2023-24	बकाया प्राप्य/(देय) 31 मार्च, 2024
1 आईओसीएल (रिफाइनरी डिवीजन) कर्मचारी भविष्य निधि	भविष्य निधि	274.99	(39.85)	264.97	8.64
2 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (असम ऑयल डिवीजन) कर्मचारी भविष्य निधि	भविष्य निधि	16.24	0.41	17.42	(0.23)
3 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मार्केटिंग डिवीजन) के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि	भविष्य निधि	244.13	(49.46)	244.48	(1.43)
4 आईओसीएल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि	पेंशन योजना	87.72	12.37	108.75	2.25
5 आईओसीएल कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ निधि	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना	368.37	64.74	546.37	70.45
6 आईओसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट	ग्रेच्युटी	59.74	49.41	–	39.96

टिप्पणी – 38: खंडवार सूचना

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंड-एएस 108 के अनुसार प्रचालनीय खंडवार रिपोर्टिंग निम्नानुसार है–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25 पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रो-केमिकल्स	गैस खंड	अन्य व्यवसाय	उन्मूलन	कुल	2023-24 पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रो-केमिकल्स	अन्य व्यवसाय	गैस खंड	अन्य व्यवसाय	कुल
राजस्व												
बाह्य राजस्व	7,73,632.43	27,981.71	42,210.70	1,687.77	–	8,45,512.61	8,03,127.27	26,186.80	35,215.42	1,815.89	–	8,66,345.38
अंतर-खंड राजस्व	19,738.20	48.79	130.74	59.37	(19,977.10)	–	18,515.49	46.89	7.78	61.11	(18,631.27)	–
कुल राजस्व	**7,93,370.63**	**28,030.50**	**42,341.44**	**1,747.14**	**(19,977.10)**	**8,45,512.61**	**8,21,642.76**	**26,233.69**	**35,223.20**	**1,877.00**	**(18,631.27)**	**8,66,345.38**
परिणाम												
विनिमय लाभ/(हानि) को छोड़कर खंड परिणाम	19,427.75	(445.96)	1,405.12	(160.98)	–	20,225.93	55,998.65	(351.49)	500.72	260.87	–	56,408.75
खंडीय विनिमय लाभ/(हानि)	(1,467.29)	5.67	21.63	0.62	–	(1,439.37)	(821.81)	7.35	25.29	2.32	–	(786.85)
खंड परिणाम (असाधारण आइटम से पहले)	**17,960.46**	**(440.29)**	**1,426.75**	**(160.36)**	**–**	**18,786.56**	**55,176.84**	**(344.14)**	**526.01**	**263.19**	**–**	**55,621.90**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 38: खंडवार सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25 पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रो-केमिकल्स	गैस खंड	अन्य व्यवसाय	उन्मूलन	कुल	2023-24 पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रो-केमिकल्स	अन्य व्यवसाय	गैस खंड	अन्य व्यवसाय	कुल
घटाएँ: अविभाज्य व्यय												
– वित्तीय लागत						8,731.59						7,327.79
– वित्तीय परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास हानि – निवेश से संबंधित						24.63						–
– विनिमय हानि – (शुद्ध)						815.81						394.11
– अन्य गैर-परिचालन व्यय						26.81						–
जोड़ें: असंबद्ध आय												
– ब्याज और लाभांश आय						4,669.22						4,105.71
– व्युत्पन्नों पर लाभ						61.95						84.09
– के रूप में वर्गीकृत वित्तीय साधनों पर उचित मूल्य लाभ						6.30						128.41
– अन्य गैर-परिचालन आय						119.13						126.00
असाधारण मदों और कर से पहले लाभ / (हानि)						14,044.32						**52,344.21**
असाधारण मदें (नोट 49, क्रम संख्या 2 देखें)						1,838.02						–
कर से पहले लाभ / (हानि)						15,882.34						**52,344.21**
घटाएँ: आयकर (आस्थगित कर सहित)						2,920.77						12,725.37
कर के बाद लाभ / (हानि)						12,961.57						**39,618.84**

1. कंपनी निम्नलिखित परिचालन खंडों में कार्यरत है:

   क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री

   ख) पेट्रोकेमिकल्स की बिक्री

   ग) गैस की बिक्री

   घ) निगम के अन्य परिचालन खंडों में शामिल हैं: तेल एवं गैस अन्वेषण गतिविधियाँ, विस्फोटक एवं क्रायोजेनिक व्यवसाय, तथा पवन चक्की एवं सौर ऊर्जा उत्पादन।

   उत्पादों एवं सेवाओं की प्रकृति तथा विभिन्न जोखिमों एवं प्रतिफलों को ध्यान में रखते हुए खंडों की पहचान की गई है और उनकी रिपोर्ट तैयार की गई है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 38: खंडवार सूचना (जारी)

2. खंड राजस्व में निम्नलिखित शामिल हैं:

   क) कारोबार (उत्पाद शुल्क सहित)

   ख) एसएससी का शुद्ध दावा/(समर्पण)

   ग) सरकारों से प्राप्त सब्सिडी/अनुदान

   घ) अन्य परिचालन राजस्व

3. अंतर-खंड मूल्य निर्धारण आर्म्स लेंथ आधार पर है।

4. कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं।

अन्य जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025						31 मार्च, 2024					
	पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रो-रसायन	गैस खंड	अन्य व्यवसाय	उन्मूलन	कुल	पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रो-रसायन	गैस खंड	अन्य व्यवसाय	उन्मूलन	कुल
खंडवार परिसंपत्तियां	3,46,362.28	39,172.38	15,079.10	2,722.53		4,03,336.29	3,29,731.14	35,187.89	13,866.19	2,437.69		3,81,222.91
कॉर्पोरेट परिसंपत्तियाँ												
निवेश (चालू और चालू)						70,917.20						71,088.18
निवेश के लिए अग्रिम						80.00						192.05
आयकर/कर परिसंपत्तियाँ						2,256.77						1,799.10
ऋण						3,409.46						2,935.40
डेरिवेटिव परिसंपत्तियाँ						0.62						2.98
कुल परिसंपत्तियाँ						4,80,000.34						**4,57,240.62**
खंड देयताएँ	1,32,334.84	1,998.61	3,344.88	810.62		1,38,488.95	1,31,021.11	1,750.00	3,372.41	610.63		1,36,754.15
कॉर्पोरेट देयताएँ												
आयकर/एमबीवाई कर देयताएँ						–						906.63
उधार (अल्पकालिक और दीर्घकालिक)						1,34,465.54						1,16,495.74
पट्टा दायित्व (अल्पकालिक और दीर्घकालिक)						9,902.26						9,370.94
आस्थगित कर देयताएँ						18,252.55						16,637.10
डेरिवेटिव देयताएँ						214.18						361.08
कुल देयताएँ						3,01,323.48						**2,80,525.64**
नियोजित पूंजी												
खंडवार	2,14,027.44	37,173.77	11,734.22	1,911.91		2,64,847.34	1,98,710.03	33,437.89	10,493.78	1,827.06		2,44,468.76
कॉर्पोरेट						(86,170.48)						(67,753.78)
कुल नियोजित पूंजी						1,78,676.86						**1,76,714.98**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 38: खंडवार सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025						31 मार्च, 2024					
	पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रो-रसायन	गैस खंड	अन्य व्यवसाय	उन्मूलन	कुल	पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रो-रसायन	गैस खंड	अन्य व्यवसाय	उन्मूलन	कुल
पूंजीगत व्यय	32,515.73	3,489.60	901.32	530.52	–	37,437.17	32,636.42	5,708.93	1,487.03	265.55	–	40,097.93
मूल्यह्रास और परिशोधन	13,270.54	1,394.79	426.55	192.26	–	15,284.14	12,591.91	1,258.03	587.75	71.91	–	14,509.60

भौगोलिक जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियां	
	2024-2025	2023-2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
भारत	8,15,149.84	8,31,696.16	2,67,760.87	2,44,449.41
भारत से बाहर	30,362.77	34,649.22	392.97	372.21
कुल	**8,45,512.61**	**8,66,345.38**	**2,68,153.84**	**2,44,821.62**

प्रमुख उत्पादों व सेवाओं से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
मोटर स्पिरिट (एमएस)	1,95,383.41	1,92,926.62
हाई स्पीड डीज़ल (एचएसडी)	3,78,757.76	4,01,874.29
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	91,080.60	1,02,693.67
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ)	39,920.60	42,324.00
अन्य	1,40,370.24	1,26,526.80
कुल बाहरी राजस्व	**8,45,512.61**	**8,66,345.38**

टिप्पणी – 39: उचित मूल्य के मापन

I. उचित मूल्य माप के अनुक्रम के साथ-साथ कंपनी के वित्तीय लिखतों की वहन राशियों और उचित मूल्य के वर्ग की तुलना नीचे दी गई है–

(₹ करोड़ में)

विवरण	बही मूल्य		उचित मूल्य		उचित मूल्य का मापन, अनुक्रम स्तर
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	
वित्तीय परिसंपत्तियां					
क. अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)–					
उद्धृत इक्विटी शेयर	30,408.71	32,622.45	30,408.71	32,622.45	स्तर 1
अउद्धृत इक्विटी उपकरण	5,274.23	4,494.29	5,274.23	4,494.29	स्तर 3
उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियाँ	9,516.68	9,530.90	9,516.68	9,530.90	स्तर 1
हेजिंग डेरिवेटिव					
कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स – मार्जिन हेजिंग	0.62	2.98	0.62	2.98	स्तर 2
ख. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL):					
गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयर	499.35	493.05	499.35	493.05	स्तर 3

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 39: उचित मूल्य के मापन (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बही मूल्य		उचित मूल्य		उचित मूल्य का मापन, अनुक्रम स्तर
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	
सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड को ऋण (नीचे नोट-2 देखें)	–	–	–	–	स्तर 3
ग. परिशोधित लागत:					
कर्मचारियों को ऋण	2,373.56	2,055.19	2,409.31	1,963.11	स्तर 2
पीएमयूवाई ऋण (अधिक जानकारी के लिए नोट-49 का बिंदु 1 देखें)	305.45	356.45	317.40	359.87	स्तर 3
वित्तीय दायित्व					
क. परिशोधित लागत:					
अपरिवर्तनीय डिबेंचर	16,996.93	16,913.38	17,598.45	17,461.31	स्तर 2
ओडिशा सरकार से ऋण	2,780.19	2,351.95	3,027.71	2,456.80	स्तर 2
ख. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL):					
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर व्युत्पन्न उपकरण	180.65	360.83	180.65	360.83	स्तर 2
ग. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (FVTOCI):					
व्युत्पन्न हेजिंग					
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध- ऋण	33.07	0.25	33.07	0.25	स्तर 2
वस्तु वायदा अनुबंध- मार्जिन हेजिंग	0.46	–	0.46	–	स्तर 2

टिप्पणी-

1. प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि व्यापारिक प्राप्य, व्यापारिक देयताएँ, नकद और नकद समकक्ष, बैंक शेष और बैंक जमा, ऊपर उल्लिखित के अलावा अन्य ऋण (सुरक्षा जमा सहित), अल्पकालिक उधार (दीर्घकालिक उधार की परिपक्वता सहित), अस्थिर दर उधार, पट्टा देयताएँ, अन्य गैर-डेरिवेटिव/गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्तियाँ और अन्य गैर-डेरिवेटिव/गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य उनकी वहन राशि के लगभग बराबर है।

2. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रबंधन ने सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन किया था। संचालन में अनिश्चितता और ब्लॉक - ओएमएल 142 के उपलब्ध भंडार के उपयोग न होने के कारण, प्रबंधन ने सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड को दिए गए निवेश और ऋण के उचित मूल्य को शून्य आंका था।

विधियाँ और मान्यताएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया:

क. स्तर 1 पदानुक्रम:

(i) उद्धृत इक्विटी शेयर: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में उद्धृत समापन मूल्य (असमायोजित)

(ii) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियाँ: क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रकाशित समापन मूल्य (असमायोजित)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 39: उचित मूल्य के मापन (जारी)

ख . स्तर 2 पदानुक्रम:

(i) एफवीटीपीएल पर डेरिवेटिव उपकरण: बाज़ार अवलोकनीय इनपुट का उपयोग करके समान उपकरणों के लिए संस्थानों द्वारा उद्धृत प्रतिस्थापन लागत।

(ii) एफवीटीओसीआई पर हेजिंग डेरिवेटिव: बाज़ार अवलोकनीय इनपुट का उपयोग करके समान उपकरणों के लिए संस्थानों द्वारा उद्धृत प्रतिस्थापन लागत।

(iii) कर्मचारियों को ऋण: समान शर्तों, ऋण जोखिम और शेष परिपक्वताओं पर वस्तुओं के लिए उपलब्ध दरों का उपयोग करके भविष्य के नकदी प्रवाह को भुनाना, ऐसे ऋण से संबंधित महत्वहीन अप्रत्यक्ष इनपुट जैसे मूलधन और ब्याज चुकौती के लिए समायोजित किया जाता है ताकि कर्मचारी को संबंधित ऋण योजनाओं के अनुसार पुनर्भुगतान में अधिक लचीलापन मिल सके।

(iv) गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और ओडिशा सरकार से ऋण: समान शर्तों, ऋण जोखिम और शेष परिपक्वताओं (फ्लोटिंग रेट उधार को छोड़कर) पर वस्तुओं के लिए उपलब्ध दरों का उपयोग करके भविष्य के नकदी प्रवाह को भुनाना।

ग. स्तर 3 पदानुक्रम:

(i) अनकोटेड इक्विटी उपकरण: अनकोटेड इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्यों का अनुमान बाहरी मूल्यांकनकर्ता की सहायता से मूल्यांकन तकनीकों के बाज़ार दृष्टिकोण या आय दृष्टिकोण का उपयोग करके लगाया गया है। बाज़ार दृष्टिकोण तकनीक के अनुसार मूल्यांकन कंपनी के लेखांकन अनुपातों की तुलना उसी प्रकृति और आकार की अन्य कंपनियों के लेखांकन अनुपातों से करके निर्धारित किया जाता है, जिन्हें मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि आय, नकदी प्रवाह, बही मूल्य, या समान प्रकृति के विभिन्न व्यवसायों की बिक्री। आय दृष्टिकोण तकनीक के अनुसार मूल्यांकन भविष्य के नकदी प्रवाह को वर्तमान मूल्य पर छूट दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। इस मूल्यांकन के लिए प्रबंधन को मॉडल में अप्राप्य इनपुट का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिनमें से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट नीचे दी गई तालिकाओं में प्रकट किए गए हैं।

(ii) गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय अधिमान्य शेयर: अधिमान्य शेयरों के उचित मूल्य का अनुमान बाहरी मूल्यांकनकर्ता की सहायता से भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर लगाया जाता है। मूल्यांकन के लिए प्रबंधन को मॉडल में अप्राप्य इनपुट का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिनमें से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट नीचे दी गई तालिकाओं में प्रकट किए गए हैं। प्रबंधन नियमित रूप से उन महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट के लिए यथोचित संभावित विकल्पों की एक श्रृंखला का आकलन करता है और के उचित मूल्य पर उनके प्रभाव का निर्धारण करता है।

(iii) पीएमयूवाई ऋण: पीएमयूवाई ऋणों का उचित मूल्य बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर लागू अनुमानित ब्याज दरों का उपयोग करके भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर अनुमानित किया जाता है, जिसे नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने में अप्राप्य इनपुट के महत्वपूर्ण उपयोग के लिए विधिवत समायोजित किया जाता है, जिसमें विशिष्ट गुणात्मक और मात्रात्मक कारक जैसे उपभोग पैटर्न, सब्सिडी दर की धारणा आदि शामिल हैं।

उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 के भीतर वर्गीकृत उचित मूल्य मूल्यांकन में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण के साथ नीचे दिखाए गए हैं:

विवरण	मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण अप्रेक्षणीय निविष्टि	रेंज (भारित औसत)	उचित मूल्य के लिए निविष्टि की संवेदनशीलता
I **अनुद्धृत इक्विटी लिखत** – हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का इक्विटी शेयर (वहनीय मूल्य के लिए टिप्पणी-4 देखें)	बाजार दृष्टिकोण	राजस्व गुणक	31.03.25: 0.18x-0.58x (0.38x)	राजस्व गुणक में 0.1x वृद्धि/(कमी) के परिणामस्वरूप उचित मूल्य में वृद्धि/(कमी) होगी: 31.03.25: ₹96.9 करोड़/₹(96.9) करोड़
		ईबीआईटीडीए गुणक	31.03.24: 7.6x - 8.0x (7.8x)	ईबीआईटीडीए गुणक में 0.1x वृद्धि/(कमी) के परिणामस्वरूप उचित मूल्य में वृद्धि/(कमी) होगी: 31.03.24: 5.4 करोड़/(5.5) करोड़

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 39: उचित मूल्य के मापन (जारी)

विवरण	मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण अप्रेक्षणीय निविष्टि	रेंज (भारित औसत)	उचित मूल्य के लिए निविष्टि की संवेदनशीलता
II **गैर-परिवर्तनीय मोचनीय वरीयता शेयर** – चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आय दृष्टिकोण – वर्तमान मूल्य माप	छूट की दर	31.03.25:6.54% – 7.54% (7.04%) 31.03.24:6.71% – 8.71% (7.71%)	छूट दर में 0.5% की वृद्धि/(कमी) के परिणामस्वरूप उचित मूल्य में (कमी)/वृद्धि होगी: 31.03.25: ₹ (1.0) करोड़/ ₹ 1.5 करोड़ 31.03.24: ₹ (3.4) करोड़/ ₹ 3.3 करोड़
III **अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स** इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर वारंट (वहन मूल्य के लिए नोट-4 देखें)	आय दृष्टिकोण – वर्तमान मूल्य माप	छूट की दर	31.03.25: 14.3% – 18.3% (16.3%) 31.03.24:14.6% – 18.6% (16.6%)	छूट दर में 1% की वृद्धि/(कमी) के परिणाम स्वरूप उचित मूल्य में (कमी)/वृद्धि होगी: 31.03.25: ₹ (205.2) करोड़/ ₹ 219.9 करोड़ 31.03.24: ₹ (216.2) करोड़/ ₹ 234.6 करोड़

एफवीटीओसीआई में किए गए अनुद्धृत इक्विटी लिखत में निम्नलिखित निवेश शामिल हैं जिनके लिए संवेदनशीलता प्रकटीकरण नहीं किया गया है–

(₹ करोड़ में)

विवरण	वहनीय मूल्य	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड	15.48	13.36
वसितार्स प्राइवेट लिमिटेड	0.77	0.77
इंटरनेशनल कोऑपरेटिव पेट्रोलियम एसोसिएशन, न्यूयॉर्क	0.02	0.02

उचित मूल्य मापन के स्तर 3 के अनुक्रम के अंतर्गत परिसंपत्तियों व देयताओं के उचित मूल्य मापन का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एफवीटीओसीआई संपत्तियां	एफवीटीपीएल संपत्तियां	
	अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	अपरिवर्तनीय प्रतिदेय अधिमान्य शेयर	सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड को ऋण
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	**4,494.29**	**493.05**	**–**
उचित मूल्य परिवर्तन	779.94	6.30	–
31 मार्च 2025 तक शेष राशि	5,274.23	499.35	–

II. प्रारंभिक निर्धारण में उचित मूल्य और लेनदेन के मूल्य के बीच के अंतर के निर्धारण के संबंध में प्रकटन

निम्नलिखित मामलों में, कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों/ वित्तीय देयता के प्रारंभिक निर्धारण पर लाभ या हानि में किसी लब्धि/हानि को निर्धारित नहीं किया है, इसके बजाय, ऐसी लब्धि/हानि को नीचे उल्लिखित लेखा नीति के अनुसार आस्थगित कर निर्धारित किया गया।

वित्तीय परिसंपत्तियां

1. कर्मचारियों को ऋण

सेवा की शर्तों के अनुसार, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण दिया है। इनके लेनदेन का मूल्य उचित मूल्य नहीं है क्योंकि कर्मचारियों को लागू बाजार दरों पर ऋण नहीं दिया जाता है। चूंकि निहित हितलाभ कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर होता है, इसे आस्थगित किया जाता है और ऋण की अवधि के दौरान कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

2. पीएमयूवाई ऋण

पीएमयूवाई ऋण बर्नर और पहले रिफिल की लागत के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों को दिया जाने वाला ब्याज मुक्त ऋण है। यह ऋण ब्याज मुक्त होता है, इसलिए लेनदेन का मूल्य उचित मूल्य पर नहीं है। उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच के अंतर को आस्थगित खर्चों में संचित किया जाता है और लाभ व हानि के विवरण में सीधी रेखा पद्धति आधार पर ऋण की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 39: उचित मूल्य के मापन (जारी)

वित्तीय देयताएं

1. सुरक्षा जमा राशि

(आर2 विकल्प) के तहत मृत कर्मचारियों को देय कुछेक जमा और कुछेक राजस्व व्यय संविदाओं के संबंध में प्राप्त सुरक्षा जमा के मामले में, लेनदेन के मूल्य को उचित मूल्य नहीं माना जाता है क्योंकि ऐसी जमा राशियां ब्याज मुक्त होती हैं। उचित मूल्य और लेन-देन मूल्य के बीच का अंतर आस्थगित आय में संचित होता है और लाभ व हानि के विवरण में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर सुरक्षा जमा की अवधि में परिशोधित होता है।

आस्थगित लब्धि/हानि का समाधान जिन्हें अब तक लाभ और हानि के विवरण में निर्धारित नहीं किया गया है, इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान परिशोधित	वर्ष के दौरान समायोजित	जमा शेष
2024-25					
आस्थगित व्यय (टिप्पणी 8 देखें)					
कर्मचारियों को ऋण	977.04	194.62	76.42		1,095.24
पीएमयूवाई ऋण	204.45		27.19	2.64	174.62
आस्थगित आय					
प्रतिभूति जमा	1.85	–	0.56	(0.73)	2.02
2023-24					
आस्थगित व्यय (टिप्पणी 8 देखें)					
कर्मचारियों को ऋण	830.12	225.52	78.60	–	977.04
पीएमयूवाई ऋण	236.24	–	30.26	1.53	204.45
आस्थगित आय					
प्रतिभूति जमा	3.08	0.05	1.28	–	1.85

टिप्पणी – 40: वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक

वित्तीय जोखिम कारक

डेरिवेटिव्स के अलावा, कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में, उधार, व्यापार और अन्य देय, प्रतिभूति जमा, कर्मचारी देयताएं और पट्टा दायित्व शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके प्रचालनों को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य, अल्पकालिक जमा और वे नकद / नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी एफ़वीटीओसीआई निवेश भी रखती है और व्युत्पादित लेनदेन में प्रवेश करती है।

कंपनी ब्याज दर, कमोडिटी की कीमतों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों और इक्विटी मूल्य, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम से संबंधित बाजार जोखिम सहित वित्तीय साधनों के उपयोग के साथ-साथ प्राकृतिक व्यापार जोखिमों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के लिए एक्सपोज है।

वरिष्ठ प्रबंधन वाली जोखिम प्रबंधन समिति इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करती है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम प्रबंधन अनुपालन बोर्ड द्वारा समर्थित किया जाता है जो कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देता है। जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड को यह आश्वासन प्रदान करती है कि कंपनी के जोखिम उचित नीतियों और प्रक्रियाओं से शासित होते हैं और यह कि जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों, जोखिम उद्देश्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार किया जाता है।

कंपनी की कच्चे तेल की आवश्यकता को इसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और इष्टतमीकरण विभाग के माध्यम से संचालित एकीकृत प्रकार्य के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए सभी डेरिवेटिव्स गतिविधियां विशेषज्ञ टीमों द्वारा की जाती हैं जिनके पास उपयुक्त कौशल, अनुभव और पर्यवेक्षण होता है। कंपनी की नीति के अनुसार, डेरिवेटिव्स अनुबंध केवल कंपनी के सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों से बचने के लिए किए जाते है न कि सट्टा उद्देश्य के लिए।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी)

निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की देखरेख करता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है :

क. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय लिखतों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम के प्रमुख घटक ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, वस्तु मूल्य जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम अर्थात इक्विटी शेयर आदि है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में उधार, जमा, एफवी.टी.ओ.सी.आई निवेश और डेरिवेटिव वित्तीय लिखत शामिल हैं।

निम्नलिखित अनुभागों में संवेदनशीलता विश्लेषण 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 की स्थिति से संबंधित है।

विश्लेषण में ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद के अन्य दायित्वों, प्रावधानों, और अन्य गैर-वित्तीय संपत्तियों और विदेशी परिचालनों की देनदारियों के मूल्यों पर बाजार चर राशियों में संचलनों के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

1. ब्याज दर जोखिम

कंपनी इस संभावना से ब्याज दर जोखिम के लिए एक्सपोज है कि ब्याज दरों में परिवर्तन एक वित्तीय लिखत, मुख्य रूप से वित्तीय ऋण के भविष्य के नकदी प्रवाह को प्रभावित करेगा। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से अल्पकालिक ब्याज दरों के साथ कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कंपनी तरलता, लागत प्रभावी लिखतों की उपलब्धता और बाजार/नियामक बाधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए रुपये और विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए स्थिर और अस्थायी दरों के बीच मिश्रण को बनाए रखने का प्रबंधन करती है। कंपनी अल्पकालिक ब्याज दर ऋण के ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए ब्याज दर विनिमय/स्वैप अनुबंधों का भी उपयोग करती है। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी की लगभग 37% उधारी एक स्थिर ब्याज दर पर है (31 मार्च, 2024: 38%)।

यूएसडी एलआईबीओआर बेंचमार्क को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के अनुसरण में, इसके प्रकाशन की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। इस बीच, कंपनी ने मौजूदा यूएसडी एलआईबीओआर से जुड़े उपकरणों को वैकल्पिक बेंचमार्क में बदलने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

फ्लोटिंग रेट उधार पर अन्य सभी चर स्थिर रखने के साथ प्रभावित ऋणों और उधारों के उस हिस्से पर ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

उधार की मुद्रा	आधार अंकों में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आधार अंकों में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
भारतीय रुपया	+50	(61.58)	+50	(48.94)
यूएसडी	+50	(361.07)	+50	(308.86)
भारतीय रुपया	-50	61.58	-50	48.94
यूएसडी	-50	361.07	-50	308.86

2. विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण किसी ऋण के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव हो सकता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्यतः कंपनी की परिचालन गतिविधियों (जब राजस्व या व्यय विदेशी मुद्रा में अंकित हो) और उधारों से संबंधित है।

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन प्राकृतिक हेजिंग, अनिवार्य हेजिंग और पूर्व-निर्धारित ट्रिगर्स की स्थिति में की जाने वाली हेजिंग के संयोजन के माध्यम से करती है। हेजिंग मुख्यतः वायदा अनुबंधों के माध्यम से की जाती है।

31 मार्च, 2025 तक कंपनी के पास ₹2,634.68 करोड़ (31 मार्च, 2024: ₹1,810.72 करोड़) का बकाया वायदा अनुबंध है, जो उधारों और अन्य वित्तीय देनदारियों के प्रति उसके जोखिम को कम करने के लिए किया गया है।

USD/INR विनिमय दरों में किसी भी संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, अन्य सभी चरों को स्थिर रखते हुए, कंपनी के कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव, गैर-निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव सहित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है। नीचे दी गई मुद्राओं के अलावा अन्य सभी मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनों के प्रति कंपनी का जोखिम महत्वपूर्ण नहीं है।

मुद्रा	% में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	% में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट- यूएसडी	+5%	131.73	+5%	90.54
	-5%	(131.73)	-5%	(90.54)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी)

मुद्रा	% में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	% में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
अन्य जोखिम- यूएसडी	+5%	(5,725.19)	+5%	(5,080.60)
	-5%	5,725.19	-5%	5,080.60
क्रॉस करेंसी- USD बनाम INR	+5%	(326.11)	+5%	(333.18)
	-5%	326.11	-5%	333.18

विनिमय दर के अधिकांश उतार-चढ़ाव का प्रभाव व्यवसाय प्रचालन परिणामों में समाहित हो जाता है, जो लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में बदलाव के कारण ऑफसेट हो जाते हैं, जो लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बदलने से ऑफसेट होते हैं, बाजार समायोजन में अपनी अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे इन्वेंट्री आदि की दरों में उतार-चढ़ाव के कारण पिछड़ जाते हैं। इस कारण से, कंपनी के रिपोर्ट किए गए परिणामों में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का कुल प्रभाव अलग से पहचाने जाने योग्य नहीं है।

3. वस्तु कीमत जोखिम

कंपनी रिफाइनरी मार्जिन जैसे विभिन्न वस्तु कीमत संबंधी जोखिमों अर्थात पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल की कीमतों के बीच अंतर, माल/वस्तुसूची मूल्यांकन में उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल के आयात के कारण कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव आदि के लिए अनावृत है। अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, कंपनी स्वीकृत सीमा के भीतर जोखिम को कम करने के लिए ओटीसी बाजार के साथ-साथ घरेलू विनियमों में स्वैप, विकल्प और वायदा के माध्यम से रिफाइनरी मार्जिन हेजिंग, इन्वेंट्री हेजिंग और कच्चे तेल की कीमत हेजिंग का कार्य कर सकती है।

वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के विभिन्न वस्तुओं का एक्सपोजर नीचे दिया गया है –

एमएमटी में

भंडार	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
- कच्चा माल	6.870	8.472
- प्रक्रियाधीन स्टॉक	1.586	1.838
- तैयार उत्पाद	5.875	5.628
- व्यापाराधीन स्टॉक	1.906	1.661

कीमतों में भिन्नता के कारण, कंपनी को चालू वर्ष के दौरान ₹2,219.80 करोड़ का कुल इन्वेंट्री घाटा हुआ (2024: ₹1,686.10 करोड़ का लाभ)।

वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया कमोडिटी डेरिवेटिव लेनदेन के बारे में श्रेणीवार मात्रात्मक डेटा नीचे दिया गया है:

मात्रा (लाख बीबीएल में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
मार्जिन हेजिंग फॉरवर्ड अनुबंध	3.75	2.25

31 मार्च, 2025 तक बकाया कमोडिटी हेजिंग स्थिति पर क्रूड बेंचमार्क मूल्य अंतर/ रिफाइनरी मार्जिन में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता:

विवरण	% में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	% में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
मार्जिन हेजिंग	+10%	(5.25)	+10%	(3.55)
	-10%	5.25	-10%	3.55

4. इक्विटी मूल्य जोखिम

संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों और सहायक कंपनियों में निवेश के अलावा, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों में कंपनी का निवेश, निवेशित प्रतिभूतियों के भविष्य के मूल्यों के बारे में अनिश्चितताओं से उत्पन्न बाजार मूल्य जोखिम के प्रति संवेदनशील है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों में उचित मूल्य पर जोखिम ₹5,274.23 करोड़ था। इन निवेशों का संवेदनशीलता विश्लेषण नोट 39 में दिया गया है।

सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों में उचित मूल्य पर ऋण ₹30,408.71 करोड़ था। शेयर की कीमत में 5% की वृद्धि/कमी से कंपनी के इक्विटी और ओसीआई पर लगभग ₹1,520.44 करोड़ का प्रभाव पड़ सकता है। इन परिवर्तनों का लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी)

5. डेरिवेटिव्ज़ एवं बचाव व्यवस्था

(i) डेरिवेटिवों का वर्गीकरण

कंपनी अपने चल रहे व्यवसाय प्रचालन से संबंधित कुछ बाजार जोखिमों के लिए खुली है, जैसा कि ऊपर समझाया गया है।

डेरिवेटिवों का उपयोग केवल आर्थिक हेजिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है न कि सट्टा निवेश के रूप में। हालांकि, जहां डेरिवेटिव्ज़ हेज लेखा मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर हिसाब में लिया जाता है। कंपनी द्वारा उपयोग किए गए डेरिवेटिव्ज़ और वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	अन्य वित्तीय परिसंपतियां	अन्य वित्तीय देयताएँ	अन्य वित्तीय परिसंपतियां	अन्य वित्तीय देयताएँ
डेरिवेटिव्स को हेजिंग साधनों के रूप में नामित नहीं किया गया है				
विदेशी विनिमय मुद्रा स्वैप	–	180.65	–	360.83
हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित डेरिवेटिव्स				
विदेशी विनिमय वायदा संविदा- ऋण	–	33.07	–	0.25
माल/वस्तु वायदा संविदा – मार्जिन हेजिंग	0.62	0.46	2.98	–

(ii) हेजिंग गतिविधियां

लिखतों का उपयोग करके प्रबंधित प्राथमिक जोखिम कमोडिटी मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम हैं।

वस्तु कीमत जोखिम

इंडियनऑयल कच्चे तेल को खरीदता है और अन्तर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों से जुड़े पेट्रोलियम उत्पादों को बेचता है और ये बेंचमार्क कीमतें एक साथ नहीं चलती हैं। यह इंडियनऑयल को रिफाइनिंग मार्जिन में बदलाव के जोखिम के लिए उजागर करता है।

अत्यधिक संभावित पूर्वानुमान बिक्री लेन-देन में पेट्रोलियम उत्पादों के रिफाइनिंग मार्जिन में गिरावट के जोखिम को क्रैक स्प्रेड वायदा अनुबंधों के द्वारा हेज किया जाता है। कंपनी मार्जिन की वसूली की रक्षा करना चाहती है और इसलिए इस जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी भविष्य में अत्यधिक संभावित पूर्वानुमान बिक्री पर मार्जिन को हेज करने के लिए इन अग्रिम अनुबंधों को ले रही है। जोखिम प्रबंधन गतिविधियां ओटीसी बाजार में की जाती हैं अर्थात ये पंजीकृत प्रतिपक्षकारों के साथ द्विपक्षीय अनुबंध हैं।

इन सभी हेजेज को नकदी प्रवाह हेजेज के रूप में गिना जाता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी विभिन्न विदेशी मुद्रा जोखिमों के लिए खुली है जैसा कि ऊपर ए.2 में बताया गया है। कंपनी की विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, कंपनी को बाजार की स्थितियों के आधार पर अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋण (परिक्रामी लाइनों और पीसीएफसी ऋणों के अलावा) को पूरी तरह से और कम से कम 50% लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा ऋण को हेज करना आवश्यक है।

ऋणों की अनिवार्य हेजिंग के अलावा, कंपनी बाजार की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर कच्चे तेल/उत्पाद देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए मुद्रा खरीद के प्रबंधन के लिए विदेशी मुद्रा वायदा संविदा भी करती है। उपरोक्त हेजिंग डिलीवरी आधारित वायदा अनुबंधों के माध्यम से की जाती है।

इन सभी हेजेज को नकदी प्रवाह हेजेज के रूप में गिना जाता है

ब्याज दर जोखिम

जैसा कि ऊपर क.1 में बताया गया है, कंपनी फ्लोटिंग दर उधारों पर ब्याज दर जोखिमों के लिए खुली है। कंपनी बाजार की स्थितियों के आधार पर कंपनी की ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार ब्याज दर स्वैप लेकर ब्याज दर जोखिम का बचाव करती है। कंपनी विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्ग के फ्लोटिंग दर उधारों के लिए ब्याज भुगतान के जोखिम को हेज करने के लिए ब्याज दर डेरिवेटिवों का उपयोग करती है।

इन सभी हेजेज को नकदी प्रवाह हेजेज के रूप में गिना जाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

हेज प्रभावशीलता

हेज की गई वस्तुओं और हेजिंग लिखतों के बीच एक आर्थिक संबंध है क्योंकि विदेशी विनिमय और माल वायदा अनुबंधों की शर्तें हेज आइटम की शर्तों से मेल खाती हैं। कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि विदेशी विनिमय, ब्याज दर और माल वायदा अनुबंध की अंतर्निहित जोखिम हेज जोखिम घटकों के समान हैं। हेज प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए, कंपनी हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना हेज किए गए जोखिमों के कारण बचाव की गई वस्तुओं के उचित मूल्य में परिवर्तन से करती है। ब्याज दर स्वैप के मामले में, ब्याज दर स्वैप अनुबंधों की महत्वपूर्ण शर्तें और उनके संबंधित हैज मदें समान हैं, कंपनी प्रभावशीलता का गुणात्मक मूल्यांकन करती है और यह उम्मीद की जाती है कि ब्याज दर स्वैप अनुबंधों का मूल्य और संबंधित हेज की गई वस्तुओं का मूल्य अंतर्निहित ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रत्युत्तर में अंतर्निहित ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जवाब में व्यवस्थित रूप से विपरीत दिशा में परिवर्तित होगा।

हेज अप्रभावशीलता का स्रोत

वस्तु कीमत जोखिम के मामले में, कंपनी ने अप्रभावशीलता के निम्नलिखित स्रोतों की पहचान की है, जिनके महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है :

- हेज की वस्तुओं और हेजिंग लिखतों के नकदी प्रवाह के समय में अंतर
- हेज की गई मदों और हेजिंग लिखतों के हैज जोखिम से जुड़े विभिन्न सूचकांक
- प्रतिपक्षकारों का ऋण जोखिम हेज की वस्तुओं और हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य के उतार-चढ़ाव को अलग तरह से प्रभावित करता है
- बचाव मदों और बचाव उपकरणों के नकदी प्रवाह की अनुमानित राशि में परिवर्तन

विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के मामले में, हेज की अप्रभावशीलता का मुख्य स्रोत प्रतिपक्ष का प्रभाव है और हेज अनुबंधों के उचित मूल्य पर कंपनी का अपना क्रेडिट जोखिम है, जो हेज की गई वस्तुओं के उचित मूल्य में परिलक्षित नहीं होता है। इसका प्रभाव महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है।

नकदी प्रवाह हेज लेखांकन के प्रभावों का खुलासा

हेजिंग लिखतें

कंपनी के पास निम्नलिखित हेजिंग लिखतें हैं :

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2025 तक	परिपक्वता					
	एक महीने से कम	1 से 3 महीने	3 से 6 महीने	6 से 12 महीने	12 महीने से अधिक	कुल
विदेशी विनिमय वायदा संविदाएं – ऋण						
नाममात्र राशि	–	859.56	–	1775.12	–	2634.68
औसत वायदा दर (₹)	–	85.96	–	88.76	–	
वस्तु वायदा संविदा– मार्जिन हेजिंग						
नाममात्र मात्रा (मात्रा लाख बीबीएल में)	–	–	–	1.25	2.50	3.75
नाममात्र राशि	–	–	–	17.75	34.92	52.67
औसत वायदा दर ($/बीबीएल)	–	–	–	16.62	16.34	–

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2024 तक	परिपक्वता					
	एक महीने से कम	1 से 3 महीने	3 से 6 महीने	6 से 12 महीने	12 महीने से अधिक	कुल
विदेशी विनिमय वायदा संविदाएं – ऋण						
नाममात्र राशि	–	1,670.24	–	–	–	1,670.24
औसत वायदा दर (₹)	–	83.51	–	–	–	
विदेशी मुद्रा वायदा संविदा– क्रूड/उत्पाद देयताएँ						
नाममात्र राशि	140.48	–	–	–	–	140.48
औसत वायदा दर (₹)	83.35	–	–	–	–	

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2024 तक	परिपक्वता					
	एक महीने से कम	1 से 3 महीने	3 से 6 महीने	6 से 12 महीने	12 महीने से अधिक	कुल
वस्तु वायदा संविदा– मार्जिन हेजिंग						
नाममात्र मात्रा (मात्रा लाख बीबीएल में)	–	0.50	0.75	1.00	–	2.25
नाममात्र राशि	–	8.55	12.82	17.10	–	38.47
औसत वायदा दर ($/बीबीएल)	–	20.50	20.50	20.50	–	

तुलन–पत्र पर हेजिंग लिखतों का प्रभाव इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	विदेशी विनिमय वायदा संविदा– ऋण		विदेशी विनिमय वायदा संविदा– क्रूड/उत्पाद देयताएं		ब्याज दर स्वैप		कमोडिटी वायदा संविदा– मार्जिन हेजिंग	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
नाममात्र राशि	2634.68	1670.24	–	140.48	–	–	52.67	38.47
वहन की जाने वाली राशि	(33.07)	(0.25)	–	–	–	–	0.15	2.98
तुलन–पत्र में लाइन आइटम जिसमें हेजिंग लिखतें शामिल हैं	अन्य मौजूदा वित्तीय आँकड़ा / अन्य मौजूदा वित्तीय देयताएँ							
लाभ (हानि)–अवधि के लिए अप्रभावशीलता को मापने के लिए प्रयुक्त उचित मूल्य में परिवर्तन –	(33.07)	(0.25)	–	–	–	60.40	18.75	80.86

हैज आइटम

तुलन–पत्र पर हैज की गई मदों का प्रभाव इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	विदेशी विनिमय वायदा संविदा– ऋण		विदेशी विनिमय वायदा संविदा– क्रूड/उत्पाद देयताएं		ब्याज दर स्वैप		कमोडिटी वायदा संविदा– मार्जिन हैजिंग	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सतत हैज के लिए वर्ष के अंत में नकदी प्रवाह हैज रिजर्व में शेष राशि (कर का निवल)	–	–	–	–	–	–	0.10	2.22
अवधि के लिए अप्रभावशीलता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली हैज की गई वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन	33.07	0.25	–	–	–	(60.40)	(18.75)	(80.86)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

लाभ और हानि के विवरण में नकदी प्रवाह बचाव का प्रभाव और अन्य व्यापक आय इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	विदेशी विनिमय वायदा संविदा– ऋण		विदेशी विनिमय वायदा संविदा– क्रूड/उत्पाद देयताएं		ब्याज दर स्वैप		कमोडिटी वायदा संविदा– मार्जिन हैजिंग	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्ष की शुरुआत में नकदी प्रवाह हैजिंग रिजर्व	–	–	–	–	–	41.14	2.22	97.53
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल हैजिंग लाभ/(हानि)	(14.63)	(34.50)	2.74	1.37	–	6.05	15.76	(50.11)
ऊपरोक्त पर आयकर	3.68	8.68	(0.69)	(0.34)	–	(1.52)	(3.97)	12.61
लाभ या हानि में म ान्यता प्राप्त अप्रभावशीलता	–	–	–	–	–	–	–	–
लाभ या हानि के विवरण में रैखिक वस्तु जिसमें मान्यता प्राप्त अप्रभावशीलता शामिल है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ओसीआई से लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत राशि	(14.63)	(34.50)	2.74	1.37	–	60.40	18.59	77.88
ऊपर्युक्त पर आयकर	3.68	8.68	(0.69)	(0.34)	–	(14.73)	(4.68)	(20.07)
वर्ष के अंत में नकदी प्रवाह हैज रिजर्व	–	–	–	–	–	–	0.10	2.22
लाभ या हानि के विवरण में रैखिक वस्तु जिसमें पुनर्वर्गीकरण समायोजन शामिल है	अन्य खर्चे	अन्य खर्चे	अन्य खर्चे	अन्य खर्चे	वित्तीय लागत	वित्तीय लागत	प्रचालन से राजस्व	प्रचालन से राजस्व

ख. क्रेडिट जोखिम

व्यापार प्राप्तियां

ग्राहक क्रेडिट जोखिम कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित नियंत्रण के अधीन प्रत्येक व्यावसायिक इकाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एक ग्राहक की क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन एक विस्तृत क्रेडिट रेटिंग स्कोर कार्ड के आधार पर किया जाता है और इस आकलन के अनुसार व्यक्तिगत क्रेडिट सीमाएं परिभाषित की जाती हैं। बकाया ग्राहक प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और प्रमुख ग्राहकों पर किसी भी नौप्रेषण को आम तौर पर क्रेडिट पत्र, बैंक गारंटी या क्रेडिट बीमा के अन्य रूपों द्वारा कवर किया जाता है, जहां कहीं भी आवश्यकता होती है।

प्रमुख ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक हानि विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में मामूली प्राप्यों को समरूप समूहों में बांटा गया है और सामूहिक रूप से हानि के लिए मूल्यांकन किया गया है। कंपनी की लेखा नीति के अनुसार व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करने के लिए कंपनी सरलीकृत दृष्टिकोण लागू करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम एक्सपोजर वित्तीय एक्सपोजर के प्रत्येक वर्ग का वहन मूल्य है जिसका खुलासा टिप्पणी 10 में किया गया है। कंपनी व्यापार प्राप्तियों के संबंध में जोखिम की एकाग्रता का मूल्यांकन कम के रूप में करती है, क्योंकि इसके ग्राहक कई अधिकार क्षेत्रों व उद्योगों में स्थित हैं और बड़े पैमाने पर स्वतंत्र बाजारों में काम करते हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल के	देय नहीं है	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	>3 वर्ष	कुल
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष								
सकल वहन राशि	33.89	11,356.73	5,034.24	543.32	742.16	146.04	391.30	18,247.68
अपेक्षित हानि दर	0.36%	0.34%	2.82%	2.83%	4.04%	2.26%	3.79%	
अपेक्षित क्रेडिट हानि	(0.12)	(38.23)	(142.14)	(15.23)	(29.59)	(3.11)	(8.33)	(236.75)
विशिष्ट प्रावधान	(0.65)	(1.86)	(2.25)	(4.37)	(8.83)	(8.63)	(171.33)	(197.92)
वहन राशि	33.12	11,316.64	4,889.85	523.72	703.74	134.30	211.64	17,813.01

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल के	देय नहीं है	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	>3 वर्ष	कुल
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष								
सकल वहन राशि	35.10	8,554.71	3,475.10	267.07	224.50	201.06	358.04	13,115.58
अपेक्षित हानि दर	0.43%	0.41%	2.17%	2.17%	2.29%	1.57%	4.73%	
अपेक्षित क्रेडिट/ऋण हानि	(0.15)	(35.29)	(75.28)	(4.59)	(5.12)	(3.14)	(10.04)	(133.61)
विशिष्ट प्रावधान	–	–	–	(55.56)	(0.50)	(0.51)	(145.99)	(202.56)
वहन राशि	**34.95**	**8,519.42**	**3,399.82**	**206.92**	**218.88**	**197.41**	**202.01**	**12,779.41**

अन्य वित्तीय लिखत और नकद जमा

दिनांक 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को तुलन-पत्र के घटकों के लिए क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी का अधिकतम एक्सपोजर वहन राशि है जैसा कि टिप्पणी 4, 5, 6, 11 और 12 में प्रदान किया गया है। कंपनी की लेखा नीति के अनुसार इन मदों पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करने के लिए कंपनी सामान्य दृष्टिकोण लागू करती है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास शेष राशि से ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी के ट्रेजरी विभाग द्वारा कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष निधियों का निवेश केवल अनुमोदित प्रतिपक्षकारों के साथ और प्रत्येक प्रतिपक्षकार को निर्दिष्ट ऋण सीमा के भीतर किया जाता है। प्रतिपक्षकार क्रेडिट सीमाएं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। जोखिम की एकाग्रता को कम करने के लिए सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और इसलिए भुगतान करने में प्रतिपक्ष की संभावित विफलता के माध्यम से वित्तीय नुकसान को कम किया जाता है।

कंपनी ने पीएमयूवाई (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) के ग्राहकों को ऋण/लोन दिया है जो टिप्पणी-5 में लोन के तहत दिखाया गया है। पीएमयूवाई ऋण भारत सरकार की योजना के अनुसार बीपीएल परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करने के लिए दिया जाता है, जिसमें तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाते हैं। योजना के अनुसार, ओएमसीज पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को बर्नर और पहली रिफिल की लागत के लिए ब्याज मुक्त ऋण का विकल्प प्रदान कर रहे हैं, जिसे ग्राहकों द्वारा रिफिल बुक करने पर ग्राहक को देय सब्सिडी राशि से वसूल किया जाना है।

कुछ पीएमयूवाई ऋणों के मामले में, कंपनी ने निर्धारित किया है कि ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कंपनी ऋण की प्रारंभिक मान्यता पर चूक की संभावना पर विचार करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निरंतर आधार पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यह सामूहिक आधार पर चूक की संभावना निर्धारित करने के लिए पिछले अनुभव और अंतिम रिफिल के बाद से बीता हुआ समय पर विचार करता है। कंपनी ने पीएमयूवाई ऋणों को वर्गीकृत किया है जिसमें अंतिम रिफिल के बाद समय अंतराल के आधार पर चूक की संभावना पर विचार करते हुए विभिन्न श्रेणियों के तहत ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ईसीएल @70% (2024: अनुभव कारक के आधार पर) की दर से प्रदान किया जाता है, यदि अंतिम रिफिल के बाद समय अंतराल 6 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से अधिक नहीं है, तो @80% (2024: @80%) की दर से प्रदान किया जाता है, यदि अंतिम रिफिल के बाद समय अंतराल 12 महीने से अधिक लेकिन 18 महीने से अधिक नहीं है, तो 90% (2024: @90%) की दर से प्रदान किया जाता है, यदि समय अंतराल 18 महीने से अधिक लेकिन 24 महीने से अधिक नहीं है और उन उपभोक्ताओं के लिए @100% (2024:@100%) जिन्होंने 24 महीने से अधिक समय तक कोई रिफिल नहीं लिया है। ईसीएल उन ऋणों के लिए प्रदान किया जाता है, जहां रिफिल पिछले 6 महीनों (2024: 6 महीने) के भीतर लिया गया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 6 महीने (2024: 6 महीने) से अधिक के अनुभव अनुपात के आधार पर। यदि ग्राहक ने पिछले 24 महीनों (2024: 24 महीने) से कोई रिफिल नहीं लिया है, तो महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए पीएमयूवाई ऋणों को रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण क्षतिग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अन्य वित्तीय कामकाज के मामले में, कुछ ऋण बाधित मामले मुख्य रूप से चूक या दिवालियापन की कार्यवाही के कारण उत्पन्न अनुबंध के उल्लंघन के कारण होते हैं।

वर्ष के दौरान परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां की हानि के लिए हानि भत्ते में परिवर्तन इस प्रकार था :

(₹ करोड़ में)

2024-25	प्रारंभिक अथशेष- क	वर्ष के दौरान सृजित ईसीएल -ख	पुन:लेखित ईसीएल -ग	बट्टे खाते में डाला गया ईसीएल /पुनर्वर्गीकरण -घ	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ)
व्यापार प्राप्तियां					
अपेक्षित क्रेडिट/ऋण हानि	133.60	103.40	(0.25)	–	236.75
विशिष्ट प्रावधान	202.57	54.94	(58.68)	(0.90)	197.93
कुल	**336.17**	**158.34**	**(58.93)**	**(0.90)**	**434.68**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

(₹ करोड़ में)

2024-25	प्रारंभिक अथशेष- क	वर्ष के दौरान सृजित ईसीएल -ख	पुन:लेखित ईसीएल -ग	बट्टे खाते में डाला गया ईसीएल /पुनर्वर्गीकरण -घ	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ)
ऋण					
12 महीने का ईसीएल	274.61	–	(12.14)	–	262.47
आजीवन ईसीएल- क्रेडिट असमर्थित नहीं	190.02	–	(25.20)	–	164.82
आजीवन ईसीएल- क्रेडिट असमर्थित	974.99	104.92	(0.15)	–	1,079.76
कुल	**1,439.62**	**104.92**	**(37.49)**	**–**	**1,507.05**
सुरक्षा जमा					
12 महीने का ईसीएल	–	–	–	–	–
आजीवन ईसीएल- क्रेडिट असमर्थित नहीं	–	–	–	–	–
आजीवन ईसीएल- क्रेडिट असमर्थित	1.39	–	(0.02)	–	1.37
कुल	**1.39**	**–**	**(0.02)**	**–**	**1.37**
अन्य वित्तीय स्थिति					
12 महीने का ईसीएल	–	–	–	–	–
आजीवन ईसीएल- क्रेडिट असमर्थित नहीं	–	–	–	–	–
आजीवन ईसीएल- क्रेडिट असमर्थित	253.23	15.05	(20.61)	(41.57)	206.09
कुल	**253.23**	**15.05**	**(20.61)**	**(41.57)**	**206.09**

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्रारंभिक अथशेष -क	वर्ष के दौरान सृजित ईसीएल -ख	पुन:लेखित ईसीएल -ग	बट्टे खाते में डाला गया ईसीएल /पुनर्वर्गीकरण-घ	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ)
व्यापार प्राप्तियां					
अपेक्षित क्रेडिट/ऋण हानि	304.84	7.28	(178.52)	–	133.60
विशिष्ट प्रावधान	198.10	10.23	(2.86)	(2.90)	202.57
कुल	**502.94**	**17.51**	**(181.38)**	**(2.90)**	**336.17**
ऋण					
12 महीने का ईसीएल	241.53	33.08	–	–	274.61
आजीवन ईसीएल- क्रेडिट असमर्थित नहीं	108.75	81.27	–	–	190.02
आजीवन ईसीएल- क्रेडिट असमर्थित	696.21	278.74	(0.02)	0.06	974.99
कुल	**1,046.49**	**393.09**	**(0.02)**	**0.06**	**1,439.62**
सुरक्षा जमा					
12 महीने का ईसीएल	–	–	–	–	–
आजीवन ईसीएल- क्रेडिट असमर्थित नहीं	–	–	–	–	–
आजीवन ईसीएल- क्रेडिट असमर्थित	1.36	0.03	–	–	1.39
कुल	**1.36**	**0.03**	**–**	**–**	**1.39**
अन्य वित्तीय स्थिति					
12 महीने का ईसीएल	–	–	–	–	–
आजीवन ईसीएल- क्रेडिट असमर्थित नहीं	–	–	–	–	–
आजीवन ईसीएल- क्रेडिट असमर्थित	211.42	51.39	(9.14)	(0.44)	253.23
कुल	**211.42**	**51.39**	**(9.14)**	**(0.44)**	**253.23**

ग. नकदी जोखिम

कंपनी नकदी योजना उपकरण का उपयोग करके धन की कमी के अपने जोखिम की निगरानी करती है। कंपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण बाजारों दोनों तक पहुंच बनाए रखते हुए अपनी नकदी आवश्यकता का प्रबंधन करना चाहती है। इसके अलावा, कंपनी ने बैंकों से ऋण सुविधाओं की प्रतिबद्धता की है।

कंपनी का उद्देश्य बैंक ओवरड्राफ्ट, वाणिज्यिक पत्र, बैंक ऋण, ऋणपत्र और पट्टों के उपयोग के माध्यम से धन की निरंतरता और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाए रखना है। कंपनी ने अपने ऋण को पुनर्वित्त करने के संबंध में जोखिम की एकाग्रता का आकलन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह कम है। कंपनी के पास निधियोजन के पर्याप्त विविध स्रोतों तक पहुंच है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

नीचे दी गई तालिका में संविदात्मक भुगतानों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफ़ाइल का सारांश दिया गया है –

(₹ करोड़ में)

विवरण	मांग पर	3 महीने से कम	3 से 12 महीने	1 से 5 साल	5 साल	कुल
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष						
उधारियां	4,644.38	40,780.37	37,511.75	46,249.09	5,279.95	1,34,465.54
पट्टा दायित्व	–	1,291.23	1,838.96	3,017.92	3,754.15	9,902.26
व्यापार देनदारियां	8,474.41	43,893.61	–	–	–	52,368.02
अन्य वित्तीय देयताएँ	38,573.07	17,009.87	1,232.38	197.87	1.56	57,014.75
वित्तीय गारंटी अनुबंध*	5,162.55	–	–	–	–	5,162.55
डेरिवेटिव्ज़	–	214.18	–	–	–	214.18
	56,854.41	1,03,189.26	40,583.09	49,464.88	9,035.66	2,59,127.30
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष						
उधारियां	7,565.09	22,410.62	45,152.50	32,766.16	8,601.37	1,16,495.74
पट्टा दायित्व	–	1,290.85	1,551.98	3,306.77	3,221.34	9,370.94
व्यापार देनदारियां	8,959.72	42,541.24	–	–	–	51,500.96
अन्य वित्तीय देयताएँ	38,072.52	15,429.56	1,764.48	224.63	8.48	55,499.67
वित्तीय गारंटी अनुबंध*	4,762.47	–	–	–	–	4,762.47
डेरिवेटिव्ज़	–	361.08	–	–	–	361.08
	59,359.80	**82,033.35**	**48,468.96**	**36,297.56**	**11,831.19**	**2,37,990.86**

* वित्तीय गारंटी अनुबंध के तहत मांगी जा सकने वाली अधिकतम राशि के आधार पर।

घ. अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

एकाग्रता तब उत्पन्न होती है जब कई प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या ऐसी आर्थिक विशेषताएं होती हैं जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से समान रूप से प्रभावित होने वाली संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। एकाग्रता किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास के लिए कंपनी के प्रदर्शन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्यधिक एकाग्रता से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान की गई एकाग्रता को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

ड़. संपार्श्विक

चूंकि कंपनी को विभिन्न घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड का दर्जा दिया गया है, इसलिए डेरिवेटिव अनुबंधों की बुकिंग के लिए कोई संपार्श्विक जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी केवल उन प्रतिपक्षकारों के साथ डेरिवेटिव अनुबंध करती है जिनकी क्रेडिट रेटिंग आंतरिक रूप से स्वीकृत सीमा रेटिंग से अधिक है। तदनुसार, कंपनी अपने प्रतिपक्षकारों से कोई संपार्श्विक नहीं मांगती है।

टिप्पणी – 41: पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक के लिए अधिकतम मूल्य सृजन करना है। पूंजी में निर्गमित इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम और कंपनी के पूंजी प्रबंधन के प्रयोजन से इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अन्य सभी इक्विटी आरक्षित निधियां शामिल हैं।

कंपनी वार्षिक परिचालन योजनाओं और दीर्घकालिक तथा अन्य रणनीतिक निवेश योजनाओं के आधार पर पूंजी की आवश्यकता निर्धारित करती है। कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है या पूंजी संरचना को बनाए रखने अथवा समायोजित करने के लिए नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी ऋण इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है, जो कि इक्विटी से विभाजित की गई उधारी है। कंपनी का प्रयास ऋण इक्विटी अनुपात को 1:1 के आसपास रखना है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
उधारी	1,34,465.54	1,16,495.74
इक्विटी शेयर पूंजी	13,771.56	13,771.56
आरक्षण व अधिशेष	1,64,905.30	1,62,943.42
इक्विटी	1,78,676.86	1,76,714.98
ऋण इक्विटी अनुपात	0.75 : 1	0.66 : 1

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 42: सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान राशि		समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
I. ऋण के रूप में ऋण और अग्रिम:					
क) सहायक कंपनियों को					
(i) मर्केंटर पेट्रोलियम लिमिटेड		151.92	–	151.92	–
ख) सहयोगी/संयुक्त उद्यम को					
(i) पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड		112.55	112.55	112.55	112.55
(ii) सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	क	183.28	178.85	183.28	178.85
(iii) इंडियनऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड		10.00	15.00	15.00	15.00
ग) उन फर्मों/कंपनियों को जिनमें निदेशकों की रुचि हो		–	–	–	–
II. ऋणदाता द्वारा आईओसी और उसकी सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश (जैसा कि ऊपर बताया गया है)		–	–	–	–

क भारतीय लेखा मानकों के लागू प्रावधानों के अनुसार, सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड को दिए गए ऋण का मापन वित्तीय विवरणों में लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है और ऋण का उचित मूल्य 31 मार्च, 2025 तक शून्य है (2024: शून्य)। उचित मूल्यांकन के बारे में अधिक जानकारी के लिए नोट-39 देखें।

टिप्पणी 43: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि, कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्ष के अंत में बकाया राशि		
– मूलधन *	2,256.51	2,296.30
– उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	–	–
देय तिथि के बाद वर्ष के दौरान किए गए भुगतान		
– मूलधन	–	–
– ब्याज	–	–
पहले से चुकाए गए मूलधन पर देय ब्याज	–	–
वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज	–	–
आगामी वर्ष में देय और देय शेष ब्याज	–	–

*₹ 844.35 करोड़ (2024: ₹ 885.78 करोड़) की राशि नोट 17: अन्य वित्तीय देयताओं में शामिल है।

टिप्पणी 44: अनुसंधान एवं विकास लागत

वर्ष के दौरान लाभ-हानि विवरण में अनुसंधान एवं विकास व्यय ₹502.40 करोड़ (2024: ₹606.00 करोड़) को पूंजीगत व्यय के रूप में और ₹310.01 करोड़ (2024: ₹340.14 करोड़) को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया है। व्यय का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

क. पूंजीगत व्यय (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परिसंपत्ति ब्लॉक	1 अप्रैल, 2024 तक सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान हुई अनुवृद्धि	सीडब्ल्यूआईपी से अंतरित	वर्ष के दौरान अंतरण/कटौती/निपटान	31 मार्च, 2025 को सकल ब्लॉक	1 अप्रैल, 2024 तक प्रगति पर कार्य	वर्ष के दौरान हुई अनुवृद्धि	अचल संपत्तियों में अंतरित (पूंजीकृत)	31 मार्च, 2025 तक प्रगति पर कार्य	कुल पूंजी व्यय
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5-6)	8	9	10	11 = (8+9-10)	12=(4+5+11-8)
(क)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण										
1	भूमि - फ्री होल्ड	373.43	–	–	–	373.43	–	–	–	–	–
2	भवन, सड़कें आदि	114.41	0.37	8.76	0.81	122.73	784.98	337.00	9.00	1,112.98	337.13
3	संयंत्र उपकरण	1,188.44	49.76	84.79	67.80	1,255.19	176.47	129.24	127.63	178.08	136.16
4	कार्यालय उपकरण	62.18	6.01	7.31	3.68	71.82	–	–	–	–	13.32
5	परिवहन उपकरण	0.16	9.02	–	-47.63	56.81	–	–	–	–	9.02
6	फर्नीचर एवं फिक्सर	20.21	2.27	0.59	0.65	22.42	–	–	–	–	2.86

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 44: अनुसंधान एवं विकास लागत (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परिसंपति ब्लॉक	1 अप्रैल, 2024 तक सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान हुई अनुवृद्धि	सीडब्ल्यूआईपी से अंतरित	वर्ष के दौरान अंतरण/कटौती/ निपटान	31 मार्च, 2025 को सकल ब्लॉक	1 अप्रैल, 2024 तक प्रगति पर कार्य	वर्ष के दौरान हुई अनुवृद्धि	अचल संपत्तियों में अंतरित (पूंजीकृत)	31 मार्च, 2025 तक प्रगति पर कार्य	कुल पूंजी व्यय
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5-6)	8	9	10	11 = (8+9-10)	12=(4+5+11-8)
7	जल एवं मलजल निकास	1.42	–	–	–	1.42	–	–	–	–	–
8	आरओयू परिसंपति	1.12	–	–	–	1.12	–	–	–	–	–
उप कुल		1,761.37	67.43	101.45	25.31	1,904.94	961.45	466.24	136.63	1,291.06	498.49
(ख)	अमूर्त परिसंपतियां										
1	लाइसेंस / तकनीकी जानकारी	13.70	1.08	–	0.24	14.54	–	–	–	–	1.08
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	48.31	0.01	–	2.88	45.44	2.83	2.82	–	5.65	2.83
उप कुल		62.01	1.09	–	3.12	59.98	2.83	2.82	–	5.65	3.91
कुल		1,823.38	68.52	101.45	28.43	1,964.92	964.28	469.06	136.63	1,296.71	502.40

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परिसंपति ब्लॉक	1 अप्रैल, 2023 तक सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान हुई अनुवृद्धि	सीडब्ल्यूआईपी से अंतरित	वर्ष के दौरान अंतरण/कटौती/ निपटान	31 मार्च, 2024 को सकल ब्लॉक	1 अप्रैल, 2023 तक प्रगति पर कार्य	वर्ष के दौरान हुई अनुवृद्धि	अचल संपत्तियों में अंतरित (पूंजीकृत)	31 मार्च, 2024 तक प्रगति पर कार्य	कुल पूंजी व्यय
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5-6)	8	9	10	11 = (8+9-10)	12=(4+5+11-8)
(क)	**सम्पत्ति, संयत्र और उपकरण**										
1	भूमि - फ्री होल्ड	373.43	–	–	–	373.43	–	–	–	–	–
2	भवन, सड़कें आदि	113.65	0.41	1.33	0.98	114.41	405.30	397.68	18.00	784.98	381.42
3	संयंत्र उपकरण	1,087.13	52.93	74.35	25.97	1,188.44	93.76	211.55	128.84	176.47	209.99
4	कार्यालय उपकरण	54.63	9.40	1.15	3.00	62.18	–	–	–	–	10.55
5	परिवहन उपकरण	0.14	0.03	–	0.01	0.16	–	–	–	–	0.03
6	फर्नीचर एवं फिक्सर	19.85	0.84	–	0.48	20.21	–	–	–	–	0.84
7	जल एवं मलजल निकास	1.42	–	–	–	1.42	–	–	–	–	–
8	आरओयू परिसंपति	0.81	0.31	–	–	1.12	–	–	–	–	0.31
उप कुल		**1,651.06**	**63.92**	**76.83**	**30.44**	**1,761.37**	**499.06**	**609.23**	**146.84**	**961.45**	**603.14**
(ख)	**अमूर्त परिसंपतियां**										
1	लाइसेंस / तकनीकी जानकारी	0.11	–	13.59	–	13.70	–	–	–	–	13.59
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	45.48	2.85	–	0.02	48.31	16.41	0.01	13.59	2.83	-10.73
उप कुल		**45.59**	**2.85**	**13.59**	**0.02**	**62.01**	**16.41**	**0.01**	**13.59**	**2.83**	**2.86**
कुल		**1,696.65**	**66.77**	**90.42**	**30.46**	**1,823.38**	**515.47**	**609.24**	**160.43**	**964.28**	**606.00**

ख. आवर्ती व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
1 भंडार, स्पेयर और उपभोग्य सामग्रियों की खपत	20.59	19.42
2 मरम्मत और रखरखाव		
(क) संयंत्र और मशीनरी	16.68	16.77
(ख) भवन	8.36	9.92
(ग) अन्य	3.81	3.38
3 माल ढुलाई, परिवहन शुल्क और विलंब शुल्क	0.75	0.24
4 कर्मचारियों को भुगतान और विनियम	175.24	196.11
5 कार्यालय प्रशासन, बिक्री और अन्य व्यय	84.50	94.26
6 ब्याज	0.08	0.04
कुल	310.01	**340.14**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 44: अनुसंधान एवं विकास लागत (जारी)

ग. कुल अनुसंधान व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
पूंजीगत व्यय	502.40	606.00
आवर्ती व्यय	310.01	340.14
कुल	812.41	**946.14**

टिप्पणी – 45: कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय से संबंधित प्रकटीकरण

(क) सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि (खंड 135(5) के अनुसार 2% औसत शुद्ध लाभ)	574.46	428.90
सीएसआर परियोजना से उत्पन्न अधिशेष	–	–
पिछले वर्षों से उपलब्ध अंतर	35.29	6.48
वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व	539.17	**422.42**
वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमोदित राशि	641.25	462.11
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	583.04	457.71
बाद के वर्षों के लिए उपलब्ध अंतर	43.87	35.29
वर्ष के दौरान खर्च न की गई राशि	–	–

(ख) वर्ष के दौरान इन पर खर्च की गई राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25			2023-24		
	नकद में	नकद में बाकी भुगतान**	कुल	नकद में	नकद में बाकी भुगतान**	कुल
(i) किसी परिसंपति का निर्माण/अधिग्रहण	–	–	–	–	–	–
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर						
स्वास्थ्य और स्वच्छता	253.53	84.13	337.66	193.50	16.40	209.90
पीएमयूवाई में अंशदान	–	–	–	16.50	–	16.50
प्रमुख परियोजनाएं-सीएसआर	21.63	2.56	24.19	21.50	1.95	23.45
शैक्षिक छात्रवृत्ति	2.77	0.39	3.16	2.64	0.25	2.89
स्वच्छ भारत	15.78	–	15.78	16.87	0.53	17.40
शिक्षा/रोजगार व्यवसायिक कौशल	67.64	5.42	73.06	39.39	4.31	43.70
पीने का पानी	5.66	1.12	6.78	3.01	0.87	3.88
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना	15.03	0.12	15.15	70.82	–	70.82
कोविड-19	–	–	–	0.09	–	0.09
प्रशासन व्यय, प्रशिक्षण आदि	27.76	–	27.76	21.79	–	21.79
प्रभाव आकलन	0.16	–	0.16	0.23	–	0.23
अन्य खर्चे	66.54	12.80	79.34	41.90	5.16	47.06
कुल व्यय (ii)	476.50	106.54	583.04	**428.24**	**29.47**	**457.71**
कुल योग (i) और (ii)	476.50	106.54	583.04	**428.24**	**29.47**	**457.71**

** खर्च हुई देयताओं के लिए बनाए गए प्रावधान

वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि में सीएसआर व्यय के संबंध में इंडियन ऑयल फाउंडेशन के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए ₹ 7.28 करोड़ (2024: ₹ 60.00 करोड़) शामिल हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 46: सरकारी अनुदानों पर प्रकटीकरण

क. राजस्व अनुदान

1 एसकेओ (पीडीएस) और एलपीजी (घरेलू) की बिक्री पर अनुदान

भारत में एसकेओ (पीडीएस) और एलपीजी (घरेलू) की बिक्री पर सब्सिडी ₹ 33.03 करोड़ (2024: ₹ 93.80 करोड़) और भूटान में ग्राहकों को एसकेओ और एलपीजी की बिक्री पर सब्सिडी ₹ 15.39 करोड़ (2024: ₹ 5.80 करोड़) सरकारों द्वारा अधिसूचित योजनाओं के अनुसार गणना की गई है।

2 एमईआईएस दावों/आरओडीटीईपी योजना के तहत अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात

कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में, भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस)/ निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना (आरओडीटीईपी) के तहत अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात पर ₹ 31.01 करोड़ (2024: ₹ 37.62 करोड़) की राशि को राजस्व अनुदान के रूप में हिसाब में लिया गया है।

3 एनएटीएस/एनएपीएस योजना के तहत प्रशिक्षुओं को वृत्ति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय के अनुसार, सरकार द्वारा नियोक्ता को प्रशिक्षुओं के लिए वृत्ति और आधारभूत प्रशिक्षण लागत के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत निर्धारित सीमा में की जाएगी। कंपनी ने राजस्व अनुदान के रूप में एनएटीएस और एनएपीएस के तहत प्रशिक्षुओं को भुगतान की गई वृत्ति और आधारभूत प्रशिक्षण लागत पर ₹ 0.31 करोड़ (2024: ₹ 7.93 करोड़) की राशि को अनुदान के रूप में हिसाब में लिया है।

4 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए राजस्व व्यय के संबंध में अनुदान

वर्ष के दौरान, कंपनी को विभिन्न एजेंसियों के साथ किए गए अनुसंधान परियोजनाओं के लिए जनशक्ति, उपभोज्य, यात्रा और आकस्मिकता आदि जैसे राजस्व व्यय को पूरा करने के संबंध में ₹ शून्य करोड़ (2024: ₹ 0.47 करोड़) का राजस्व अनुदान प्राप्त हुआ है।

5 बिजली की बिक्री पर प्रोत्साहन

कंपनी को अक्षय ऊर्जा विभाग, भारत सरकार से पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए ₹ 0.50 पैसे प्रति यूनिट बिजली उत्पादन की दर से प्रोत्साहन मिल रहा है। कंपनी को चालू वर्ष के दौरान ₹ 0.01 करोड़ (2024: ₹ 1.46 करोड़) अनुदान प्राप्त हुआ है।

6 पूर्वोत्तर में उत्पाद शुल्क का लाभ

उत्तर पूर्व की रिफाइनरियों से निर्मित और निकासी किए गए माल के 50% की उत्पाद शुल्क छूट को राजस्व में पूर्ण मूल्य और 'उत्पाद शुल्क' (भुगतान किए गए शुल्क की सीमा तक) के तहत व्यय में शुद्ध आधार पर गिना गया है। चालू वर्ष के लिए वित्तीय प्रभाव ₹ 3,885.58 करोड़ (2024: ₹ 3,816.73 करोड़) है।

7 व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण (वीजीएफ)

कंपनी को ओडिशा सरकार से 15 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अनुदान प्राप्त हुआ है। यथा 31 मार्च, 2025 को अपरिशोधित अनुदान राशि ₹ 3,100.61 करोड़ (2024: ₹ 2,901.21 करोड़) रही। वर्ष के दौरान, कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत अनुदानों के परिशोधन के रूप में ₹ 273.26 करोड़ (2024: ₹ 241.15 करोड़) का निर्धारण किया है।

8 निर्यातोत्तर ईपीसीजी अनुदान

केंद्र सरकार की निर्यातोत्तर ईपीसीजी योजना के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर चुकाए गए आयात शुल्क के संबंध में निर्यातोत्तर ईपीसीजी अनुदान प्राप्त होते हैं। यह योजना निर्यात दायित्व की पूर्ति पर शुल्क प्रतिलेखों के रूप में मूल सीमा शुल्क की वापसी की अनुमति देती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने लाभ-हानि विवरण में राजस्व अनुदान के रूप में ₹ 1.84 करोड़ (2024: शून्य) की पहचान की है।

ख. पूंजी अनुदान

1 एसकेओ (पीडीएस) के वितरण को मजबूत करने के लिए ओआईडीबी सरकारी अनुदान

कंपनी को 20 केएल भूमिगत टैंक, यांत्रिक वितरण यूनिट और बैरल शेड के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले एमओपी एंड एनजी के निर्देशों के अनुसार पीडीएस केरोसिन के वितरण को मजबूत करने के लिए ओआईडीबी (तेल उद्योग विकास बोर्ड) से सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है। 31 मार्च, 2025 को अपरिशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 0.20 करोड़ (2024: ₹ 0.31 करोड़) है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूंजीगत अनुदान के परिशोधन के रूप में लाभ और हानि के विवरण में ₹ 0.11 करोड़ (2024: ₹ 0.15 करोड़) को मान्यता दी है।

2 उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और जीएसटी छूट के संबंध में पूंजी अनुदान

कंपनी को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा जारी प्रमाण पत्र के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर आयात पर सीमा शुल्क छूट, भारत के स्थानीय निर्माता से सामान की खरीद पर उत्पाद शुल्क छूट और जीएसटी छूट के संबंध में अनुदान प्राप्त हुआ है। 31 मार्च, 2025 तक अपरिशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 38.81 करोड़ (2024: ₹ 49.48 करोड़) है। आयातित या स्थानीय निर्माता से खरीदे गए सामान को स्थापना

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 46: सरकारी अनुदानों पर प्रकटीकरण (जारी)

की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक स्थानांतरित या बेचा नहीं जाएगा। वर्ष के दौरान, कंपनी ने लाभ व हानि के विवरण में पूंजीगत अनुदान के परिशोधन के रूप में ₹ 10.67 करोड़ (2024: ₹ 11.92 करोड़) की राशि निर्धारित की है। हालांकि, डीएसआईआर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के तहत स्थानीय निर्माता से सामान की खरीद पर जीएसटी रियायत की योजना 18.07.2022 से बंद कर दी गई है और तदनुसार इस संबंध में उसके बाद कोई नया अनुदान निर्धारित नहीं किया गया।

3 अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में पूंजी अनुदान

कंपनी ने अनुसंधान परियोजनाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद/स्थापना के संबंध में विभिन्न एजेंसियों से पूंजी अनुदान प्राप्त किया है। 31 मार्च, 2025 को अपरिशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 66.68 करोड़ (2023: ₹ 7.64 करोड़) है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूंजीगत अनुदान के परिशोधन के रूप में लाभ और हानि के विवरण में ₹ 32.67 करोड़ (2024: ₹ 1.75 करोड़) को मान्यता दी है।

4 ओडिशा सरकार से प्रवेश कर छूट के संबंध में पूंजी अनुदान

पारादीप रिफाइनरी परियोजना के लिए ओडिशा सरकार से प्राप्त प्रवेश कर छूट को पूंजीगत अनुदान के रूप में मान्यता दी गई है और संबंधित परिसंपत्तियों के साथ सकल किया गया है। 31 मार्च, 2025 को अपरिशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 84.22 करोड़ (2024: ₹ 89.55 करोड़) है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूंजीगत अनुदान के परिशोधन के रूप में लाभ और हानि के विवरण में ₹ 5.33 करोड़ (2024: ₹ 5.34 करोड़) को मान्यता दी है।

5 प्रदर्शन इकाई के संबंध में पूंजी अनुदान

पानीपत रिफ़ाइनरी में रिफ़ाइनरी ऑफ गैसों/लिग्नकोएलुलोसिक बायोमास से इथेनॉल उत्पादन के लिए इकाइयां स्थापित करने के लिए ओआईडीबी/ सीएचटी/यूएसटीडीए से अनुदान प्राप्त हुआ। 31 मार्च, 2025 तक अपरिवर्तित पूंजी अनुदान राशि ₹ 308.93 करोड़ (2024: ₹ 305.42 करोड़) है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में पूंजी अनुदान के परिशोधन के रूप में ₹ 11.50 करोड़ (2024: ₹ 6.50 करोड़) को मान्यता दी है।

6 स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इकाइयों के निर्माण के संबंध में पूंजीगत अनुदान

कंपनी को गुवाहाटी रिफाइनरी में आर एंड डी विकसित इंडाडेप्टजी प्रौद्योगिकी के साथ प्रदर्शन इकाई की स्थापना और पानीपत रिफाइनरी में रिफाइनरी ऑफ गैसों से इथेनॉल उत्पादन के लिए भी ओआईडीबी से अनुदान प्राप्त हुआ है। 31 मार्च, 2025 को अपरिशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 53.85 करोड़ (2024: ₹ 57.57 करोड़) है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूंजीगत अनुदान के परिशोधन के रूप में लाभ और हानि के विवरण में ₹ 3.72 करोड़ (2024: ₹ 3.72 करोड़) को मान्यता दी है।

7 ब्याज सब्सिडी के संबंध में पूंजी अनुदान

कंपनी को ओआईडीबी से लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के संबंध में पूंजीगत अनुदान प्राप्त हुआ है। 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार अपरिशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 9.78 करोड़ (2024: ₹ 10.30 करोड़) है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूंजीगत अनुदान के परिशोधन के रूप में लाभ और हानि के विवरण में ₹ 0.52 करोड़ (2024: ₹ 0.52 करोड़) को मान्यता दी है।

8 सौर ऊर्जा उत्पादन के संबंध में पूंजी अनुदान

कंपनी को बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनलों की खरीद और स्थापना के संबंध में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूंजीगत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। 31 मार्च, 2025 को अपरिशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 3.19 करोड़ (2024: ₹ 3.38 करोड़) है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूंजीगत अनुदानों के परिशोधन के रूप में लाभ और हानि के विवरण में ₹ 0.19 करोड़ (2024: ₹ 0.19 करोड़) को मान्यता दी है।

9 नेपाल सरकार से पूंजी अनुदान

कंपनी ने नेपाल में स्थानीय रूप से खरीदे गए सामान/सेवाओं पर स्थानीय करों की छूट और नेपाल में आयातित वस्तुओं/सेवाओं के लिए आयात शुल्क के माध्यम से नेपाल सरकार से अनुदान प्राप्त किया है। कंपनी ने लाभ और हानि के विवरण में ₹ 1.48 करोड़ (2024: ₹ 1.14 करोड़) को मान्यता दी है। अपरिशोधित शेष राशि ₹ 15.46 करोड़ (2024: ₹ 13.29 करोड़) है।

10 खुदरा दुकानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित करने के लिए पूंजी अनुदान

कंपनी को मार्च 2023 में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) इंडिया स्कीम फेज- के तहत आरओ पर ईवी चार्जिंग स्टेशनों (ईवीसीएस) की स्थापना और उन्नयन/तैनाती के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) से अनुदान प्राप्त हुआ था। ₹ 389.27 करोड़ की कुल स्वीकृत राशि में से, ₹ 272.49 करोड़ अग्रिम में प्राप्त हुए थे और शेष राशि सभी ईवीसीएस के चालू होने पर प्राप्त होगी। चूंकि 31.03.2025 तक काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कोई राशि मान्यता प्राप्त नहीं है। 31 मार्च 2025 तक अशोध्य शेष ₹ 389.17 करोड़ (2024: ₹ 389.28 करोड़) है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूंजी अनुदान के परिशोधन के रूप में लाभ और हानि के विवरण में ₹ 0.11 करोड़ (2024: शून्य) को मान्यता दी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 47: ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

कंपनी तेल और गैस के व्यवसाय में है और यह मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोरसायनों, गैस, ई एंड पी और अन्य की बिक्री से राजस्व अर्जित करती है। राजस्व की गणना माल और सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करने के बाद की जाती है।

आम तौर पर, कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध करती है;

क. खुदरा बिक्री, एलपीजी और विमानन के मामले में सुपुर्दगी के आधार पर।

ख. ल्यूब और उपभोक्ताओं के मामले में पूर्व विपणन इंस्टालेशन के साथ-साथ सुपुर्दगी के आधार पर।

ग. निर्यात बिक्री के मामले में अनुबंध की शर्तों के आधार पर एफओबी या सीआईएफ आधार पर।

कंपनी की अधिकांश बिक्री खुदरा श्रेणी में होती है जो ज्यादातर नकद और वहन के आधार पर होती है। कंपनी एक वर्ष से कम समय के लिए संस्थागत व्यवसायों (आईबी), ल्यूब, एविएशन को क्रेडिट पर आपूर्ति भी निष्पादित करती है।

उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए, ग्राहक आमतौर पर कंपनी के पास अग्रिम राशि जमा करते हैं, जिनके लिए ग्राहकों द्वारा उत्पादों की खरीद के आदेश दिए जाते हैं। इन आदेशों के आधार पर, कंपनी द्वारा आपूर्ति को बनाए रखा जाता है और राजस्व को मान्यता दी जाती है अब ग्राहकों से लिए अग्रिम को समायोजित करके ग्राहक को सामान वितरित कर दिया जाता है। सुपुर्दगी बिक्री से संबंधित निष्पादन दायित्व के मामलों में, चिह्नित और वास्तविक वस्तुओं की सुपुर्दगी के आधार पर समय पर राजस्व निर्धारित किया गया और इसमें कोई उल्लेखनीय निर्णय शामिल नहीं है।

कंपनी उत्पादों की बिक्री के लिए अनुबंध से अनुबंध के आधार पर अपने ग्राहकों को मात्रा/स्लैब आधारित छूट भी प्रदान करती है और इसे अनुबंध की शर्तों के अनुसार राजस्व में समायोजित किया जाता है। कंपनी अपने खुदरा और थोक ग्राहकों के लिए निष्ठा कार्यक्रम और प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाती है। कंपनी के आउटलेट पर लेन-देन करने पर ग्राहकों द्वारा लॉयल्टी पॉइंट्स उत्पन्न और संचित किए जाते हैं जिन्हें बाद में कंपनी के आउटलेट से ईंधन की खरीद के लिए भुनाया जा सकता है। इन लॉयल्टी पाइंट्स और प्रोत्साहन योजनाओं के शुद्ध राजस्व को मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, कंपनी जमा आधार पर निर्माण अनुबंध भी करती है। लागत के आधार पर इनपुट पर इन अनुबंधों के लिए राजस्व की पहचान की जाती है। इसी तरह रिटेल आउटलेट्स (आरओ) से प्राप्त गैर-वापसी योग्य जमाराशियों को समय के साथ राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में कुल राजस्व का विभाजन और आईएनडी एएस की आवश्यकता के अनुसार राजस्व के अन्य स्रोत है, नीचे दिए गए –

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
कुल राजस्व (क+ग)	**8,45,512.61**	**8,66,345.38**
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (क)	8,43,841.02	8,64,512.39
पिछले वर्ष के अनुबंध देयता शेष से मान्यता प्राप्त (ख)	2,452.38	3,052.58
चालू वर्ष में शुरू किए गए अनुबंधों से मान्यता प्राप्त (ग)	8,41,388.64	8,61,459.81
अन्य अनुबंधों/दूसरों से राजस्व (घ)	1,671.59	1,832.99

प्राप्य राशियों पर क्षति हानि के कारण ₹ 158.34 करोड़ (2024: ₹ 15.31 करोड़) की राशि को लाभ-हानि विवरण के मुखपृष्ठ पर वित्तीय आस्तियों पर क्षति हानि शीर्षक के अंतर्गत मान्यता दी गई है।

कंपनी भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार नोट 38 – खंडीय सूचना के अंतर्गत रिपोर्ट योग्य खंड पर जानकारी प्रकट करती है। ₹ 684.29 करोड़ (2024: ₹ 655.20 करोड़) की राशि को ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के अंतर्गत समय के साथ मान्यता दी गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्तियां	अनुबंध संपत्ति	अनुबंध दायित्व
अथशेष	12,779.41	–	5,299.51
अंत शेष	17,813.00	–	5,495.22

कंपनी ने डिलीवरी की बिक्री के मामले में इंड.ए.एस. 115 के अनुसार व्यावहारिक समीचीन लागू किया है, ग्राहकों से अग्रिम जहां प्रदर्शन दायित्व अनुबंध का हिस्सा है और मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है और निर्माण अनुबंध/जमा कार्यों के मामले में जहां कंपनी को ग्राहक से विचार करने का अधिकार है जो ग्राहक के लिए पूर्ण की गई इकाई के प्रदर्शन के मूल्य के साथ सीधे मेल खाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 48: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामकीय जानकारी

1. अनुपात

विवरण	अंश	हर	2024-2025	2023-2024	% अंतर	अंतर का कारण
वर्तमान अनुपात (गुना)*	चालू परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देनदारियां	0.67	0.69	(3%)	
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	कुल ऋण (अर्थात गैर-चालू उधार + उधार)	कुल हिस्सेदारी	0.75	0.66	14%	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुना)	कर पश्चात लाभ + लाभ और हानि में वित्तीय लागत + मूल्यह्रास	वित्तीय लागत (लाभ एवं हानि + पूंजीकृत) + पट्टा एवं मूलधन की चुकौती (दीर्घकालिक)	1.07	2.17	(51%)	पिछले वर्ष की तुलना में लाभप्रदता में कमी के कारण मुख्यतः भिन्नता।
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	कर पश्चात लाभ	औसत कुल इक्विटी	7.29%	25.44%	(71%)	
इन्वेंट्री टर्नओवर (गुना)	बिक्री (छूट के बाद शुद्ध)	औसत इन्वेंटरी	7.71	7.62	1%	
व्यापार देय टर्नओवर (गुना)	कच्चे माल की खरीद + व्यापार में स्टॉक की खरीद + अन्य व्यय	औसत व्यापार देय राशि	13.57	13.81	(2%)	
व्यापार प्राप्य टर्नओवर (गुना)	बिक्री (छूट के बाद शुद्ध)	औसत व्यापार प्राप्य राशि	54.99	60.60	(9%)	
शुद्ध पूंजी टर्नओवर (गुना)*	बिक्री (छूट के बाद शुद्ध)	औसत कार्यशील पूंजी (अर्थात परिसंपत्तियों के अनुसार - देनदारियों के अनुसार)	(12.17)	(14.84)	(18%)	
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	कर पश्चात लाभ	परिचालन से राजस्व	1.53%	4.57%	(67%)	पिछले वर्ष की तुलना में लाभप्रदता में कमी के कारण मुख्यतः भिन्नता।
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (%)	कर पूर्व लाभ + वित्तीय लागत	(कुल इक्विटी + कुल ऋण + आस्थगित कर देनदारियों) का औसत	7.68%	20.17%	(62%)	
निवेश पर प्रतिफल (%)	निवेश का समापन मूल्य + वर्ष के दौरान लाभांश - (निवेश का आरंभिक मूल्य + वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश)	निवेश का आरंभिक मूल्य + (वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश - वर्ष के दौरान लाभांश)/2				
- सहायक/सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी			8.80%	4.83%	82%	वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्ति में वृद्धि के कारण मुख्यतः भिन्नता
- अन्य में इक्विटी			(2.21%)	84.66%	(103%)	मुख्यतः निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण भिन्नता।
- अधिमान्य शेयर			8.30%	15.73%	47%	
- सरकारी प्रतिभूतियाँ (गैर-अधिमान्य + चालू)			11.50%	6.66%	73%	

* वित्त वर्ष 2018-19 में प्राप्त ईएसी की राय के अनुसार, एलपीजी उपभोक्ताओं से प्राप्त ₹ 32,773.41 करोड़ रुपये (2024: ₹ 31,952.39 करोड़ रुपये) की सुरक्षा जमा राशि को लगातार देनदारियों के रूप में माना जाता है क्योंकि कंपनी के पास उपभोक्ताओं की मांग पर इसके निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। हालाँकि, पिछले अनुभव के आधार पर, यह देखा गया है कि सुरक्षा जमा राशि में शुद्ध वृद्धि हुई है और उपभोक्ताओं से धनवापसी का दावा नगण्य है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 48: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामकीय जानकारी (जारी)

2 अचल संपत्ति के हक विलेख, जो कंपनी के नाम पर नहीं रखे गए हैं

क. पिछले वर्ष से जारी मामले:

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में संबंधित लाइन आइटम	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य		के नाम पर रखे गए हक विलेख	क्या ये विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर /निदेशक के रिश्तेदार या प्रमोटर /निदेशक के कर्मचारी हैं	किस तारीख से संपत्ति रखी गई	विवादित (हां/नहीं)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024					
पीपीई	**भूमि**							
	भूमि – फ्रीहोल्ड	0.16	0.16	असम सरकार	नहीं	1962	नहीं	60.50 एकड़ भूमि आईओसीएल, जीआर के नाम पर पंजीकृत नहीं है, जिसके लिए सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
	भूमि – फ्रीहोल्ड	0.20	0.20	बिहार सरकार	नहीं	1959	हां	बिहार सरकार ने बरौनी रिफ़ाइनरी के पक्ष में बिहार सरकार द्वारा निष्पादित हस्तांतरण विलेख के लिए स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के रूप में पंजीकरण शुल्क की अतिरिक्त लागत की वसूली हेतु बरौनी रिफ़ाइनरी के विरुद्ध एक प्रमाणपत्र मामला दायर किया है। पंजीकरण शुल्क की अतिरिक्त लागत के लिए जिला प्राधिकारियों के दावे से संबंधित मामला माननीय आयुक्त, पटना के समक्ष लंबित है।
	भूमि – लीजहोल्ड	18.45	10.18	उत्तर प्रदेश सरकार	नहीं	1977	नहीं	पट्टा विलेख एवं निष्पादन हेतु अनुमोदन उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के स्तर पर लंबित है।
	भूमि – लीजहोल्ड	31.99	31.99	गुजरात औद्योगिक विकास निगम	नहीं	2006	हां	मामला उच्च न्यायालय में लंबित है
	भूमि – फ्रीहोल्ड	0.40	0.40	जीआईडीसी एवं अन्य	नहीं	1962	नहीं	हस्तांतरण का कार्य लंबित है।
	भूमि – लीजहोल्ड	32.37	32.37	ओडिशा सरकार	नहीं	2010	नहीं	आईओसीएल के नाम भूमि का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।
	फ्रीहोल्ड भूमि	0.46	0.46	केंद्र सरकार	नहीं	1994	नहीं	भूमि का स्वामित्व केंद्र सरकार के नाम पर है (कब्ज़ा इंडियन ऑयल के नाम पर है)। दाखिल-खारिज में सुधार के लिए मामला पानीपत के तहसीलदार एवं उपायुक्त के समक्ष उठाया जा रहा है।
	आरओयू लीज्ड भूमि	8.69	8.69	उपलब्ध नहीं	नहीं	31-12-2016	नहीं	आईओसीएल के नाम भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।
	सीटीएमपीएल-आरसीपी स्टेशन रेड्डीमंगुडी में भूमि*	–	–	नल्लुस्वामी रामर	नहीं	30-05-2005	नहीं	राज्य सरकार द्वारा निजी-सरकारी भूमि खंड का क्रय मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।
	फ्रीहोल्ड भूमि	0.02	0.02	रामावती/कानूनी उत्तराधिकारी	नहीं	20-03-1995	हां	झारखंड न्यायालय के समक्ष स्वामित्व अपील दायर करने की प्रक्रिया जारी है।
	फ्रीहोल्ड भूमि*	–	–	रामावती/कानूनी उत्तराधिकारी	नहीं	28-04-1995	हां	झारखंड न्यायालय के समक्ष स्वामित्व अपील दायर करने की प्रक्रिया जारी है।
	फ्रीहोल्ड भूमि*	–	–	बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड	नहीं	31-03-2022	नहीं	दाखिल-खारिज लंबित है।
	फ्रीहोल्ड भूमि*	–	–	उपलब्ध नहीं	नहीं	01-01-1959	नहीं	स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं है। उप-पंजीयक कार्यालय से स्वामित्व विलेख पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।
	फ्रीहोल्ड भूमि	0.13	0.10	एपीआईआईसी	नहीं	18-01-1997	हां	इंडस्ट्रियल पार्क काकीनाडा में एलपीजी गोदाम और शोरूम स्थापित करने के लिए आईओसीएल को 4 भूखंड आवंटित किए गए थे। हालाँकि, कुछ वर्षों के बाद, एपीआईआईसी ने भूखंडों का उपयोग न होने के कारण 3 भूखंड आवंटन रद्द करने और धन वापसी की सूचना दी। आईओसीएल, रद्दीकरण आदेश वापस लेने के लिए एपीआईआईसी के साथ इस मुद्दे को उठा रहा है।
	भूमि	0.10	0.10	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं	01-10-1990	नहीं	भूमि बीपीसीएल के नाम पर पंजीकृत है। बीपीसीएल ने आईओसीएल के नाम पर 77,540.00 वर्ग मीटर भूमि का सीमांकन किया है।
	फ्रीहोल्ड भूमि	0.52	0.52	केरल राज्य सरकार (जीसीडीए)	नहीं	31-03-2003	नहीं	पंजीकरण के लिए सरकारी सचिव और जीसीडीए के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
	भूमि	5.77	5.77	भारतीय रेलवे	नहीं	31-03-1994	हां	उक्त भूमि रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे के साथ बदली गई थी और उसका पंजीकरण नहीं कराया गया था। हालाँकि, एक व्यक्ति ने अदालत में इस भूमि के स्वामित्व को चुनौती देते हुए दावा किया था कि उनके पास भूमि के एक हिस्से (400 वर्ग गज) के पंजीकृत दस्तावेज़ हैं। रेलवे के निर्णय और कानूनी मामले के लंबित रहने तक, आईओसी भूमि के पंजीकरण के लिए आगे नहीं बढ़ सकता।
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि (3 मामले)	0.08	0.08	टिस्को	नहीं	14-11-1996	नहीं	यह भूमि ब्रिटिश सरकार के दौरान टिस्को को प्रदान की गई थी, तथा आईओसीएल को उप-पट्टे पर देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया गया था।
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि	0.01	0.01	टिस्को	नहीं	14-12-1996	नहीं	यह भूमि ब्रिटिश सरकार के दौरान टिस्को को प्रदान की गई थी, तथा आईओसीएल को उप-पट्टे पर देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया गया था।
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि	0.05	0.12	टिस्को	नहीं	19-11-1996	नहीं	यह भूमि ब्रिटिश सरकार के दौरान टिस्को को प्रदान की गई थी, तथा आईओसीएल को उप-पट्टे पर देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया गया था।
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि (16 मामले)	34.34	67.84	आईएएफ	नहीं	29-08-2011	नहीं	एएफएस अम्ब्रेला समझौता/एमओयू, लेकिन विभिन्न एएफएस स्थानों के लिए कोई अलग समझौता नहीं।
	फ्रीहोल्ड भूमि	7.88	7.88	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं	31-05-2019	नहीं	आईओसी, बीपीसी और एचपीसी, बीपीसी को प्रमुख भागीदार बनाकर मेरामुंडाली में एक साझा उपयोगकर्ता सुविधा विकसित कर रहे हैं। बीपीसी ने अपने नाम से ज़मीन खरीदी है और सीयूएफ समझौते के अनुसार, ज़मीन का स्वामित्व सीयूएफ में उनके हिस्से के अनुसार सभी भागीदारों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। अब बीपीसीएल दोनों भागीदारों को स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए अग्रिम चरण में है।
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि	0.78	0.36	सेल	नहीं	10-02-2016	नहीं	लीज़ नवीनीकरण हेतु एसडी और प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है और नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि	0.23	0.15	सेल	नहीं	09-05-2004	नहीं	लीज़ नवीनीकरण हेतु एसडी और प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है और नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि	22.67	22.67	तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	31-07-1998	हां	एमजीटी क्लॉज़ को शामिल करने पर तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के साथ विवाद के कारण लीज़ समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।
	फ्रीहोल्ड भूमि	0.82	0.82	उपलब्ध नहीं	नहीं	21-05-2014	नहीं	स्वामित्व विलेख का निष्पादन प्रक्रियाधीन है
	आरओयू – लीजहोल्ड भूमि	1.15	1.15	रक्षा मंत्रालय	नहीं	01-08-1990	नहीं	स्वामित्व विलेख का निष्पादन प्रक्रियाधीन है
	फ्रीहोल्ड भूमि	0.32	0.32	तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	31-07-1998	हां	तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के साथ एमजीटी खंड को शामिल करने संबंधी विवाद के कारण पट्टा समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.02	0.02	रेलवे	नहीं	31-12-2012	नहीं	स्वामित्व विलेख का निष्पादन प्रक्रियाधीन है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 48: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामकीय जानकारी (जारी)

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में संबंधित लाइन आइटम	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य		के नाम पर रखे गए हक विलेख	क्या ये विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर /निदेशक के रिश्तेदार या प्रमोटर /निदेशक के कर्मचारी हैं	किस तारीख से संपत्ति रखी गई	विवादित (हां/नहीं)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024					
	भवन							
पीपीई	एनबीसीसीटाइप VI फ्लैट्स और पार्किंग किदवई नगर	19.32	20.42	एनबीसीसी	नहीं	11-10-2018	नहीं	भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से पंजीकृत किये जाने की प्रक्रिया जारी है।
	एनबीसीसी वाणिज्यिक स्थान	216.56	231.02	एनबीसीसी	नहीं	10-08-2018	नहीं	भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से पंजीकृत किये जाने की प्रक्रिया जारी है।
	एनबीसीसी बिल्डिंगटाइप V फ्लैट्स	16.71	17.67	एनबीसीसी	नहीं	25-09-2019	नहीं	भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से पंजीकृत किये जाने की प्रक्रिया जारी है।
	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	15.86	14.65	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	26-07-1989	नहीं	भवन पर कब्ज़ा करने के बाद निष्पादित विलेख पंजीकृत नहीं किया गया। भूमि एवं भवन के इस भूखंड का म्यूटेशन उपलब्ध नहीं है।
	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	0.01	0.01	मेसर्स बोनी एंटरप्राइज	नहीं	01-04-1984	नहीं	बोनी एंटरप्राइजेज से किसी का पता नहीं चल पा रहा है। संभवतः बोनी एंटरप्राइजेज बंद हो गया है। इसलिए, टाइटल डीड निष्पादित नहीं हो पा रही है। हम नियमित रूप से नगर निगम कर का भुगतान कर रहे हैं और शुरुआत से ही फ्लैटों पर हमारा कब्जा है।
	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	0.04	0.04	मेसर्स बोनी एंटरप्राइज	नहीं	16-05-1983	नहीं	बोनी एंटरप्राइजेज से किसी का पता नहीं चल पा रहा है। संभवतः बोनी एंटरप्राइजेज बंद हो गया है। इसलिए, टाइटल डीड निष्पादित नहीं हो पा रही है। हम नियमित रूप से नगर निगम कर का भुगतान कर रहे हैं और शुरुआत से ही फ्लैटों पर हमारा कब्जा है।
	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग (3 मामले)	0.05	0.05	मेसर्स बोनी एंटरप्राइज	नहीं	29-04-1985	नहीं	बोनी एंटरप्राइजेज से किसी का पता नहीं चल पा रहा है। संभवतः बोनी एंटरप्राइजेज बंद हो गया है। इसलिए, टाइटल डीड निष्पादित नहीं हो पा रही है। हम नियमित रूप से नगर निगम कर का भुगतान कर रहे हैं और शुरुआत से ही फ्लैटों पर हमारा कब्जा है।
	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	0.06	0.06	मुकुंद कंस्ट्रक्शन्स	नहीं	29-02-1984	हां	बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए मुकदमेबाजी का मामला

ख. वर्ष के दौरान जोड़े गए मामले:

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में संबंधित लाइन आइटम	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य		के नाम पर रखे गए हक विलेख	क्या ये विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक के रिश्तेदार या प्रमोटर / निदेशक के कर्मचारी हैं	किस तारीख से संपत्ति रखी गई	विवादित (हां/नहीं)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024					
पीपीई	ज़मीन	1.14	–	ऑयल इंडिया लिमिटेड	नहीं	27-05-2024	नहीं	आईओसीएल के नाम पर भूमि का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।
	चित्तूर कॉलोनी की ज़मीन	0.24	–	टी.वी. सुब्रमण्यम रेड्डी (दिवंगत)	नहीं	12-03-2012	हां	न्यायालय के आदेश संदर्भ संख्या 18/2017 दिनांक 30.12.2024 के अनुसार, आईओसीएल (वादी) के पास भूमि का अधिकार और स्वामित्व नहीं है। न्यायालय का आदेश प्रतिवादी के पक्ष में है।
	आरओयू – लीज़होल्ड ज़मीन	35.89	–	उपलब्ध नहीं	नहीं	14-02-2024	नहीं	पट्टा विलेख निष्पादन प्रक्रियाधीन
	आरओयू – लीज़होल्ड ज़मीन	35.12	–	उपलब्ध नहीं	नहीं	14-02-2024	नहीं	पट्टा विलेख निष्पादन प्रक्रियाधीन

ग. वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले:

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में संबंधित लाइन आइटम	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य		के नाम पर रखे गए हक विलेख	क्या ये विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक के रिश्तेदार या प्रमोटर /निदेशक के कर्मचारी हैं	किस तारीख से संपत्ति रखी गई	विवादित (हां/नहीं)
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024				
	भूमि						
पीपीई	चित्तूर कॉलोनी भूमि		128.38	जेएनपीटी	नहीं	08-07-2022	नहीं
	आरओयू – पट्टे पर दी गई भूमि		1.94	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	01-04-1998	नहीं
	आरओयू – पट्टे पर दी गई भूमि		326.4	आईएएफ	नहीं	30-08-2011	नहीं

***पूर्णांकन के कारण निम्नलिखित के मूल्य ऊपर परिलक्षित नहीं हुए हैं:**

संपत्ति का विवरण	के नाम पर रखे गए हक विलेख	सकल वहन मूल्य (₹ में)	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
फ्रीहोल्ड भूमि	रामावती/ कानूनी उत्तराधिकारी	25540	25540
फ्रीहोल्ड भूमि	बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड	1	1
सीटीएमपीएल-आरसीपी स्टेशन, रेड्डीमंगुडी में भूमि	नल्लुस्वामी रामर	30000	30000
फ्रीहोल्ड भूमि	उपलब्ध नहीं	24416	24416

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी– 48: कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अनुसार अतिरिक्त नियामक जानकारी (जारी)

3 हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध

(₹ करोड़ में)

हटाई गई कंपनी का नाम	हटाई गई कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
3आई कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	11,300	11,300
आदित्य इंकजेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	1,892	1,892
एडवांटेक सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
एके फेलिक्स पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
एमस्टार इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	1,690	1,690
अनुराग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
एओए एनर्जी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	देय	52,900	52,900
आर्का सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
आर्गस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
बनलता होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड	देय	0	–
भारती इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	52	52
बॉम्बे स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड	देय	11,966	11,966
केप वैलोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	31,81,569	31,81,569
चौहान ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	देय	1,81,296	1,81,296
सीआईजी सॉफ्टटेक इंडिया लिमिटेड	देय	(40,500)	(40,500)
देवा एंटरप्राइजेज लिमिटेड	देय	–	5,673
ड्यूपॉइंट शिपिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
डायप्रिक्स वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	21,564	22,118
डीएलएस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
एलीट ऑक्टेन मोटरिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय	(1,20,510)	(30,510)
एन्सिवल मोरेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	2,000	2,000
फर्स्ट ऑफिस सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	14,100	14,100
ग्रैंड मार्शल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	12,537	12,537
गुप्ता एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
होटल डायनेस्टी प्राइवेट लिमिटेड	देय	7,680	7,680
इंफॉर्मेटिक्स ई-टेक (इंडिया) लिमिटेड	देय	15,139	15,139
जय के मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
कामरूपिन्ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	(6,57,101)	(6,57,101)
कांति एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	(3,402)	(3,402)
काश्वी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
केडीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
कृष्णा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	99,015	1,30,620
कृति अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
लीनियर पॉइंट सर्वेज़ प्राइवेट लिमिटेड	देय	(1,440)	(1,440)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी– 48: कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अनुसार अतिरिक्त नियामक जानकारी (जारी)

(₹ करोड़ में)

हटाई गई कंपनी का नाम	हटाई गई कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
एम.पी. मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
मैक्सटेल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	31,903	6,055
माइक्रोसिस टेक्नोवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	(6,078)
मूर्ति इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	2,541	2,541
नीलम प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
पैसिफिक लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
पडवी इंजीनियर्स एंड प्रेशर वेसल्स लिमिटेड	देय	–	34,545
पांवटा टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	5,520	5,520
परिहत वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
प्रभात एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
राज कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
राज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	38,564
आरजीएम साइन्स एंड डिस्प्लेज़ प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
रिस्कनॉलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	6,900	6,900
रुद्रांश एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	24,411	9,477
एसआर लैब इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	4,931	4,931
एस.एस. कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	6,76,364	2,08,349
एस.एस. ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
साई एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	(8,924)	(5,000)
संधू ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	7,85,377
श्री साई आईपी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड	देय	1,63,720	1,63,720
श्री सालासर रेंट ए कार प्राइवेट लिमिटेड	देय	35,871	35,871
शुभगायत्री वेंचर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	देय	6,22,655	6,22,655
सिरियस ट्रांसटेक प्राइवेट लिमिटेड	देय	28,570	28,570
एसकेपीईआई इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	(657)	(657)
सोशल बज़ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
स्पेसस्केप डिज़ाइन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	1,08,550	1,08,550
स्पेक्टैक्युलर एडवरटाइजिंग एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	10,931	10,931
टेकट्रिक्स कंट्रोल्स चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड	देय	26,213	7,314
द रॉयल पार्क होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	18,017	18,017
त्रिशूल एंड ओम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	देय	40,200	60,000
वैलेस रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	9,58,949
वर्मा एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
विधू इंडस्ट्रियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	देय	2,107	2,107
वारी एमएम पेट्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड	देय	2,21,798	2,21,798

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी– 48: कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अनुसार अतिरिक्त नियामक जानकारी (जारी)

(₹ करोड़ में)

हटाई गई कंपनी का नाम	हटाई गई कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अपराजिता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	(1,395)	(1,395)
आर्क ट्रायड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	23,854	23,854
बारानगर जूट फैक्ट्री कंपनी लिमिटेड	प्राप्य	(3,54,087)	(2,48,051)
बीरेंद्र नाग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	(900)	(900)
धर्मवीर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	(6,332)	(6,332)
गणपति सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	–	(1,22,348)
गुडविल कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	(949)	(949)
हरे कृष्णा पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	(9,001)	(1,71,295)
ईधा ई टेल आर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	–	65
खज़िना डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	(3,00,000)	(3,00,000)
माहेश्वरी पॉली प्रोडक्ट्स एलएलपी	प्राप्य	–	(900)
पालीमार फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	20,674	20,674
रुद्र पार्वती इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	(2,523)	(2,523)
सलाई एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	(4,47,642)	(4,36,511)
शुभम एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	–	–

कंपनी में इक्विटी शेयर रखने वाले हटाए गए निवेशकों का विवरण:

हटाई गई कंपनी का नाम	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	धारित शेयरों की संख्या	प्रदत्त शेयर पूंजी (₹ में)	धारित शेयरों की संख्या	प्रदत्त शेयर पूंजी (₹ में)
आकिल लीजिंग लिमिटेड	120	1,200	120	1,200
हरेश एक्सट्रूज़न कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	1188	11,880	1188	11,880
हरमोइन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	–	–	600	6,000
जेएसके फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	–	–	648	6,480
कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड	42	420	42	420
मार्केट प्रोब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	30	300	30	300
रघुकुल शेयर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3	30	3	30

नोट: कंपनी का ऊपर उल्लिखित हटाई गई कंपनियों के साथ कोई संबंध नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी– 49: अन्य खुलासे

1 बीपीएल परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने ''प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)'' योजना को मंजूरी दी है, जहां तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) द्वारा एसईसीसी -2011 (ग्रामीण) डेटाबेस के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाते हैं। यह योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कार्ड धारक के लिए कनेक्शन शुल्क (वापसी योग्य जमा) की प्रारंभिक लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। कुछ राज्य सरकारों ने भी इस योजना को अन्य लाभार्थियों के लिए बढ़ाया है। इस योजना के अनुसार, ओएमसी पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को बर्नर की लागत और पहली रिफिल के लिए ईएमआई/ऋण का विकल्प प्रदान करेगी। प्रत्येक रिफिल बिक्री पर ग्राहकों को सरकार द्वारा देय सब्सिडी राशि से ऋण राशि वसूल की जानी है।

31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार से पीएमयूवाई नकद सहायता दावे के लिए बकाया राशि ₹ 62.74 करोड़ (2024: ₹ 279.69 करोड़) है और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को दिया गया ऋण ₹ 2,180.76 करोड़ (2024: ₹ 2,367.12 करोड़) (सब्सिडी के माध्यम से वसूली को घटाकर) है। उपरोक्त ऋण के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 तक ₹ 1,226.99 करोड़ (₹1,159.40 करोड़) की राशि के संदिग्ध ऋणों का प्रावधान उन लाभार्थियों के लिए किया गया है जिन्होंने 6 महीने से अधिक समय तक कोई रिफिल नहीं लिया है। यह प्रावधान अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल और 6 महीने से कम की श्रेणी के ऋणों पर 6 महीने से अधिक समय के संदिग्ध प्रावधान के अनुभव अनुपात पर आधारित अनुभव कारक लागू करने पर आधारित है। (नोट 40 के अंतर्गत ऋण जोखिम भी देखें)

कंपनी ने संशोधित अनुमानित भावी संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख पर पीएमयूवाई ऋण की सकल वहन राशि को पुनः मापा है, जिसके परिणामस्वरूप पीएमयूवाई ऋणों में ₹ 107.24 करोड़ की वृद्धि हुई है (2024: ₹ 336.61 करोड़ की वृद्धि) जिसे ''अन्य आय'' शीर्षक के तहत नोट-24 में लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया गया है।

2 चालू वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने गुजरात वैट अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैट इनपुट टैक्स क्रेडिट के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और गुजरात वैट ट्रिब्यूनल के अनुकूल आदेशों के परिणामस्वरूप, पिछले वर्षों में किए गए ₹1,838.02 करोड़ (जिसमें ₹1,203.72 करोड़ की वैट आईटीसी राशि और ₹634.30 करोड़ की ब्याज राशि शामिल है) के प्रावधान को उलट दिया है। तदनुसार, पूर्व-जमा को ''जमा'' (नोट-18) से ''वसूली योग्य दावे'' (नोट 8) में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। प्रावधान के उलटाव को इसकी प्रकृति और आकार को देखते हुए ''असाधारण मद'' माना गया है।

3 प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पीसीडीए) और भारतीय वायु सेना ने जनवरी 2022 से मार्च 2023 के बीच की गई आपूर्तियों पर मूल्य अंतर के कारण नियमित आपूर्ति से क्रमशः 621.25 करोड़ रुपये और 68.78 करोड़ रुपये की कटौती की है। कंपनी इस दावे का सीधे और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के माध्यम से विरोध कर रही है। इसलिए इसे विवादित व्यापार प्राप्य के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसे अच्छा माना जाता है (नोट-10)। मामला अभी भी विचाराधीन है, और यदि कोई वित्तीय प्रभाव पड़ता है, तो समस्या का समाधान हो जाने पर उसका समाधान किया जाएगा।

4 कुछ छोटे तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल की खरीद को संबंधित पक्षों के साथ समझौतों के अंतिम रूप दिए जाने तक अस्थायी रूप से हिसाब में लिया गया है। प्रबंधन का अनुमान है कि इन समझौतों के अंतिम रूप दिए जाने पर कोई महत्वपूर्ण समायोजन नहीं होगा।

5 ''कंपनी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य व्यक्तिगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मिलकर बनी सेवानिवृत्त अधिकारी कल्याण सोसायटी ने वर्ष 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी कि जिस तरह से वर्ष 1987 में स्थापित परिभाषित लाभ के आधार पर सुपरएनुएशन बेनिफिट फंड नामक स्व-अंशदायी पेंशन योजना को कंपनी द्वारा वर्ष 2011 में पूर्वव्यापी रूप से समाप्त कर दिया गया, जो 01.01.2007 से प्रभावी है, वह मनमाना है। अप्रैल 2025 में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं की मासिक पेंशन को एक परिभाषित लाभ योजना के तहत फिर से तय किया जाए और बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जाए। विभिन्न संभावित परिदृश्यों के मद्देनजर न्यायालय के आदेश का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।

बाहरी कानूनी राय के आधार पर, प्रथम दृष्टया कंपनी, ट्रस्ट नामक एक अलग स्वतंत्र और कानूनी इकाई द्वारा तैयार, प्रबंधित और संचालित स्व-अंशदायी एवं आत्मनिर्भर योजना के लिए उत्तरदायी नहीं है। कंपनी उक्त आदेश के विरुद्ध स्थगन आवेदन के साथ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। प्रबंधन को विश्वास है कि कंपनी पर कोई दायित्व नहीं आएगा और इसलिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी– 49: अन्य खुलासे (जारी)

6 उपरोक्त प्रकटित घटनाओं के अलावा, ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनुवर्ती घटना नहीं है जिसके लिए बैलेंस शीट की तिथि पर वित्तीय विवरणों में समायोजन या प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

7 वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, पुनः समूहीकृत प्रमुख मदें निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	से पुनर्समूहित	पुनः समूहित	राशि
1	कंपनी द्वारा धारित प्राकृतिक गैस स्टॉक को बिक्री और स्वयं उपभोग के अनुपात के आधार पर कच्चे माल और स्टॉक-इन-ट्रेड में विभाजित किया गया है।	व्यापार में स्टॉक - हाथ में (नोट 9)	कच्चा माल - हाथ में (नोट 9)	175.15
		व्यापार में स्टॉक - पारगमन में (नोट 9)	कच्चा माल - हाथ में (नोट 9)	117.08
		व्यापार में स्टॉक की खरीद (लाभ और हानि विवरण)	खरीद (नोट 25)	292.23
		समापन स्टॉक - व्यापार में स्टॉक (नोट 26)	अंतिम स्टॉक - कच्चा माल (नोट 25)	292.23
		प्रारंभिक स्टॉक - व्यापार में स्टॉक (नोट 26)	प्रारंभिक स्टॉक - कच्चा माल (नोट 25)	233.05
2	ब्याज का संबंधित वित्तीय लागत शीर्षों में पुनर्वर्गीकरण	वित्तीय मदों पर ब्याज भुगतान - बांड/डिबेंचर (नोट 28)	वित्तीय मदों पर ब्याज भुगतान - बैंक उधार (नोट 28)	511.04

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
ए एस साहनी	**अनुज जैन**	**(कमल कुमार ग्वालानी)**
अध्यक्ष	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
DIN-10652030	DIN-10310088	ACS-13737

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
रजि.नं.105049W	फर्म रजि.नं.006591N/N500377	फर्म रजि. नं.302014E/W101061	फर्म रजि नं.001420S/S200034
हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 अप्रैल 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

टाउनशिप, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के प्रावधान पर

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
आय:		
1. मकान किराए की वसूली	25.03	15.57
2. बिजली और पानी जैसी उपयोगिताओं की वसूली	0.30	0.24
3. परिवहन शुल्क की वसूली	0.09	0.07
4. अन्य वसूलियाँ	8.83	8.36
5. आय से अधिक व्यय	841.39	750.26
कुल :	875.64	**774.50**
व्यय:		
1. कर्मचारी लाभ व्यय	301.88	280.36
2. उपभोग्य वस्तुएं और दवाएं	138.45	112.29
3. मरम्मत और रखरखाव	227.89	193.90
4. वित्तीय लागत	48.51	34.80
5. मूल्यह्रास और परिशोधन	43.92	42.04
6. विविध व्यय	67.96	66.50
7. उपयोगिताएँ-बिजली, पानी और गैस	13.03	10.84
8. किराया	0.76	1.19
9. सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सब्सिडी	22.54	23.01
10. बस किराया शुल्क	2.10	0.39
11. अन्य	8.59	9.18
कुल:	875.64	**774.50**

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टाउनशिप) की अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2024 तक सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	पूंजीगत कार्य-प्रगति से स्थानांतरण	निपटान/ कटौतियां/ स्थानांतरण/ पुनर्वर्गीकरण	31.03.2025 तक सकल ब्लॉक	01.04.2024 तक मूल्यह्रास ब्लॉक	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास और परिशोधन	कटौती और पुनर्वर्गीकरण पर मूल्यह्रास	मूल्यह्रास और परिशोधन 31.03.2025 तक	नेट ब्लॉक 31.03.2025	नेट ब्लॉक 31.03.2024
भूमि फ्रीहोल्ड	138.12	87.96	-	-	226.08	-	-	-	-	226.08	138.12
भूमि-लीजहोल्ड	18.88	-	-	(2.07)	16.81	4.37	0.54	(1.88)	3.03	13.78	14.51
भवन, सड़कें आदि	1,229.34	5.42	34.57	17.53	1,286.86	302.47	31.33	0.12	333.92	952.94	926.87
संयंत्र और उपकरण	86.98	2.60	1.32	1.22	92.12	31.88	5.39	0.04	37.31	54.81	55.10
कार्यालय उपकरण	36.53	3.63	0.91	2.06	43.13	24.48	4.14	(0.10)	28.52	14.61	12.05
फर्नीचर और फिक्स्चर	19.27	1.85	0.51	0.60	22.23	12.75	2.05	(0.29)	14.51	7.72	6.52
जल निकासी, सीवेज और जल आपूर्ति प्रणालियाँ	0.78	-	-	-	0.78	0.16	0.02	-	0.18	0.60	0.62
परिवहन उपकरण	1.39	1.41	-	(1.17)	1.63	0.88	0.45	(0.89)	0.44	1.19	0.51
कुल योग :	**1,531.29**	**102.87**	**37.31**	**18.17**	1,689.64	**376.99**	**43.92**	**(3.00)**	417.91	1,271.73	**1,154.30**
पिछला वर्ष :	**1,355.99**	**14.42**	**113.48**	**47.39**	**1,531.29**	**333.75**	**42.04**	**1.20**	**376.99**	**1,154.30**	

खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
6-बी, जनहित याचिका न्यायालय, छठी मंजिल, 111, महर्षि कर्वे रोड,
मुंबई – 400020

के जी सोमानी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
3/15, आसफ अली मार्ग, चौथा तल, डिलाइट सिनेमा के पास
नई दिल्ली – 110002

एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
12, राधा नाथ मलिक लेन,
कोलकाता – 700 012

कोमनडूर एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फ़ोर्टुना टावर, कमरा नंबर 40, एन.एस. रोड,
कोलकाता – 700012

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद "होल्डिंग कंपनी"/"कंपनी" के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से समूह के रूप में संदर्भित), इसके संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा (ऑडिट) की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को समेकित तुलन-पत्र, अन्य समग्र आय सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (इसके बाद में समेकित वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर जैसा "अन्य मामले" पैराग्राफ 2 और 3 में संदर्भित है उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट, यथा संशोधित भारतीय लेखांकन मानकों और 31 मार्च, 2025 को समूह, इसके संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के मामलों की समेकित स्थिति, समेकित कुल समग्र आय (हानि और अन्य व्यापक हानि शामिल), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह, इसके संयुक्त उपक्रमों और सहयोगियों से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम जो समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआईएस की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ 2 और 3 में संदर्भित हैं, समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे प्रोफेशनल निर्णय में, वर्तमान वर्ष के एकीकृत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में देखा गया था, और हम इन मामलों पर कोई अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किए हैं:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों के जवाब
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त संपत्ति ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य और उनकी संबंधित मूल्यह्रास/परिशोधन दरों को प्रभावित करता है। इनमें लागतों को पूंजीकृत या व्यय करने का निर्णय; वार्षिक परिसंपत्ति जीवन समीक्षा; परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के निर्धारण या मापन एवं मान्यता मानदंडों के लिए प्रबंधन मान्यताओं और अनुमानों का उपयोग शामिल है। समूह की बैलेंस शीट के संदर्भ में इसकी महत्ता और आवश्यक निर्णय एवं अनुमानों के स्तर के कारण, हम इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हैं। (समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2 और 3 देखें)	हमने अचल परिसंपत्ति चक्र पर लागू नियंत्रणों का आकलन किया, पूंजीकरण प्रक्रिया की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और सक्रिय उपयोग से निवृत्त परिसंपत्तियों के लिए मान्यता-विच्छेदन मानदंडों के विवरणों का परीक्षण किया। इन प्रक्रियाओं को निष्पादित करते समय, हमने प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा की, जिनमें पूंजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति; सक्रिय उपयोग से निवृत्त परिसंपत्तियों के प्राप्ति योग्य मूल्य का निर्धारण; मूल्यह्रास की गणना में प्रयुक्त परिसंपत्तियों के जीवनकाल की उपयुक्तता; अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल और प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार कुछ परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल शामिल हैं। हमने पाया कि प्रबंधन ने उपरोक्त निर्णयों की नियमित रूप से समीक्षा की है और कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान समूह की प्रत्यक्ष कर स्थिति अनिश्चित है, जिसमें विवादित मामले भी शामिल हैं, जिनमें आयकर प्रावधान के आकलन में इन विवादों के संभावित परिणाम से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। आवश्यक निर्णय के कारण, इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय माना जाता है। *(समेकित वित्तीय विवरणों का नोट संख्या 7 देखें)*	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कर प्रावधान का आकलन करने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं और विवादों के संभावित परिणामों का आकलन शामिल था, जिसमें इन अनिश्चित प्रत्यक्ष कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय कानूनी पूर्वधारणा, न्यायशास्त्र और अन्य निर्णयों को ध्यान में रखा गया था। हमने इस संबंध में कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों का भी मूल्यांकन किया है।
प्रावधान, आकस्मिकताएँ और मुकदमेबाजी समूह विभिन्न करों और अन्य विवादों में उलझा हुआ है जिनके अंतिम परिणाम का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता और जिनके परिणामस्वरूप संभावित रूप से महत्वपूर्ण देनदारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का आकलन जटिल मान्यताओं पर आधारित है, जिसके लिए विवेक की आवश्यकता होती है और यह विवेक मुख्य रूप से कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरणों की पर्याप्तता से संबंधित है। आवश्यक विवेक, ऐसे मुकदमों की महत्ता और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण, इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय माना जाता है। *(समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 18, 37बी और 48.6 देखें)*	इस प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल थे: • कानूनी और कर संबंधी मुकदमों और लंबित प्रशासनिक कार्यवाहियों की पहचान करने के लिए क्रियान्वित प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रणों का मूल्यांकन। • कंपनी के कानूनी और कर विभाग द्वारा संभावित कानूनी और कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त मान्यताओं का आकलन, समान मामलों में कानूनी पूर्वता और अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए। • सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति के संबंध में कानूनी और कर विभागों से पूछताछ और प्रमुख प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण। • जहां भी उपलब्ध हो, विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण। • समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा।
संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश, जिनका मूल्यांकन लागत पर किया गया है, को "इंड एएस 36 परिसंपत्तियों की हानि" के अनुरूप हानि के लिए समायोजित किया गया है। यदि संभावित हानि का कोई संकेत मिलता है, तो कंपनी उपयोग मूल्य पद्धति और उनकी अग्रणीत राशि के अनुसार निर्धारित निवेशों की वसूली योग्य राशि की तुलना करके हानि परीक्षण करती है। प्रबंधन द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन प्रक्रिया जटिल है और पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह, उचित छूट दर और विकास दर जैसी कई मान्यताओं पर आधारित है। ये मान्यताएँ, स्वभावतः, बाहरी बाजार के विकास के संबंध में भविष्य की अपेक्षाओं से प्रभावित होती हैं।	इस प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के संदर्भ में, हमने निम्नलिखित पर विचार किया: • निवेशित कंपनियों के वित्तीय विवरणों के साथ निवेश की वहन राशि की तुलना यह पता लगाने के लिए की गई कि क्या उनका शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य, जो उनकी न्यूनतम वसूली योग्य राशि का अनुमान है, उनकी वहन राशि से अधिक है। • उन सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में बाजार पूंजीकरण जिनमें निवेश किया गया है। • कुछ संस्थाएँ जहाँ निवेश का वहन मूल्य निर्माण चरण में होने और वाणिज्यिक परिचालन शुरू न करने के कारण शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य से कम है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों के जवाब
चूँकि संभावित हानि के संकेत का निर्धारण करने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता होती है और नकदी प्रवाह के निर्धारण से संबंधित अनुमानों की व्यक्तिपरकता तथा हानि परीक्षण की प्रमुख मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय माना जाता है। *(समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 4 का संदर्भ लें)*	उपरोक्त जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वर्ष के दौरान कुछ निवेशों में हानि के संकेत के संबंध में प्रबंधन का निर्णय उचित है। जहाँ हानि के संकेत मिले हैं, वहाँ हमने निवेशों के मूल्य निर्धारण हेतु प्रबंधन द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की जाँच की, हानि परीक्षण के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई विधियों और मान्यताओं का विश्लेषण किया, तथा मूल्यांकन विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्टों का भी विश्लेषण किया। निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ अपनाई गईं: • हानि परीक्षण प्रक्रिया पर कंपनी द्वारा कार्यान्वित महत्वपूर्ण नियंत्रणों की पहचान और समझ; उनके नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने के लिए की गई प्रमुख मान्यताओं की तर्कसंगतता का विश्लेषण और प्रबंधन से अन्य जानकारी प्राप्त करना जिसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं। • मूल योजना की तुलना में वर्ष और पिछले वर्षों के वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण, ताकि विचलन की प्रकृति और नियोजन प्रक्रिया की विश्वसनीयता का आकलन किया जा सके। • छूट दर और विकास दर की तर्कसंगतता का आकलन। • निवेश के उपयोग मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त मॉडल की गणितीय सटीकता का सत्यापन। हमने हानि परीक्षण के बारे में कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की पर्याप्तता तथा भारतीय लेखा मानक 36 की अपेक्षाओं के साथ इसकी सुसंगतता की भी जांच की।

समेकित वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वित्तीय निष्पादन मुख्य बातों में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंधों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, व्यवसाय उत्तरदायित्व और निरंतरता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट, शेयरधारकों की जानकारी और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में अन्य जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

उपर्युक्त जानकारी इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराये जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और जब यह उपलब्ध हो जाए तो उपर्युक्त की पहचान की जाए, और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ असंगत है या अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का तथ्यात्मक विवरण गलत है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

यदि, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त अन्य सूचनाओं के आधार पर हमने जो कार्य किया है (नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ 2 और 3 देखें), उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस जानकारी का तथ्यात्मक विवरण गलत है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, जो हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद प्राप्त होती है और यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें तथ्यात्मक विवरण गलत है, तो हमें इस मामले को गवर्नेन्स के प्रभारी को बताना होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और गवर्नेन्स के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, कुल समग्र आय, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह, उसके संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के नकदी प्रवाह के इक्विटी और समेकित विवरण में परिवर्तन के समेकित विवरण का सही और निष्पक्ष विवरण देता है।

समूह में शामिल कंपनियों, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगियों की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाने जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करते हों, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो सही और निष्पक्ष विवरण देते हों और तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हों, भले ही वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिसका उपयोग पूर्वोक्त रूप में होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया हो उसके लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने, चालू प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों को यथा लागू खुलासा करने, और चालू प्रतिष्ठान आधारित लेखांकन का उपयोग करने की क्षमता का आकलन करने के लिए तब तक ज़िम्मेदार हैं जब तक प्रबंधन समूह को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता हो, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

समूह में शामिल कंपनियों, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह, इसके संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हैं, भले ही वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा तथ्यात्मक गलत विवरण का पता लगाएगी ही जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें तथ्यात्मक माना जाता है, बशर्ते व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती हो।

मानक लेखांकनों के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में प्रोफेशनल संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं–

- समेकित वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले तथ्यात्मक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- इन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपना अभिमत प्रकट करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, उनमें वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की परिचालगनत प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- चालू प्रतिष्ठान आधारित लेखांकन पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह, उसके संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स की चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है या यदि ऐसे खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो हमें अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी नियंत्रित संस्थाएं चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद हो सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह, उसके संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

हम होल्डिंग कंपनी के गवर्नेंस के प्रभारी लोगों और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी अन्य संस्थाओं के साथ, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, अन्य बातों के अलावा लेखापरीक्षा के लिए नियोजित दायरा और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण

कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं उनके बारे में संवाद करते हैं। हम गवर्नेंस के प्रभारी लोगों को यह वक्तव्य भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में ऐसा सोचा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता पर और यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डाल सकते हैं।

गवर्नेंस के प्रभारी लोगों को बताए गए मामलों से हम वे मामले निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों पर भारी पड़ने की अपेक्षा की जाएगी।

अन्य मामले

1. समेकित वित्तीय विवरणों में होल्डिंग कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालनों (जहाँ कंपनी संचालक नहीं है) से संबंधित ईएंडपी (अन्वेषण एवं उत्पादन) गतिविधियों में उसकी अनुपातिक हिस्सेदारी को शामिल किया गया है, जिनमें दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के अनुसार **₹ 1023.46** करोड़ की संपत्तियाँ और **₹ 298.28** करोड़ की देनदारियाँ सम्मिलित हैं, तथा उक्त वर्ष के लिए **₹ 262.94** करोड़ की कुल आय और **₹ 28.04** करोड़ का कर पूर्व लाभ शामिल है। साथ ही, नकद प्रवाह विवरण एवं संलग्न एकल वित्तीय विवरणों में समाहित संबंधित खुलासे भी सम्मिलित हैं। इस संबंध में हमारे अवलोकन उन अप्रकाशित विवरणों पर आधारित हैं, जो भारत और विदेशों में स्थित 24 ब्लॉकों (जिनमें से 7 ब्लॉक परित्यक्त हो चुके हैं) के संचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और जिन्हें कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस संबंध में हमारी राय पूर्णतः प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी पर आधारित है। कंपनी प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं माने जाते।

2. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 9 सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 तक **₹ 41,814.31** करोड़ की कुल संपत्ति, **₹ 85,091.76** करोड़ की कुल आय और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए **₹ 407.31** करोड़ का शुद्ध नकदी बहिर्वाह दर्शाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में 19 संयुक्त उद्यमों और 2 सहयोगी कंपनियों के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **₹ 640.09** करोड़ के शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा भी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराओं (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों के तहत निष्पादित प्रक्रियाओं पर आधारित है।

3. समेकित वित्तीय विवरणों में 2 सहायक कंपनियां शामिल हैं जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 तक **₹ 2,969.88** करोड़ की कुल संपत्ति, **₹ 349.60** करोड़ की कुल आय और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **₹ 35.00** करोड़ की शुद्ध नकदी प्रवाह दर्शाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में 8 संयुक्त उद्यमों के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **₹ 288.20** करोड़ के शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा भी शामिल है। ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

   समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **₹ 502.71** करोड़ के कुल शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में माना गया है, 1 सहयोगी के संबंध में, उनकी अंतरिम वित्तीय जानकारी के आधार पर, जिसका उनके लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है और जो सहयोगी के प्रबंधन द्वारा सूचित की गई है।

4. इनमें से कुछ सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम भारत के बाहर स्थित हैं जिनके वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी उनके संबंधित देशों में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं और जिनकी उनके संबंधित देशों में लागू आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखा परीक्षा मानकों के तहत अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की गई है। कंपनी के प्रबंधन ने भारत के बाहर स्थित ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों को उनके संबंधित देशों में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों से भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों में परिवर्तित कर दिया है। इन परिवर्तित वित्तीय विवरणों को कंपनी द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया है और हमने उन पर भरोसा किया है। जहां तक हमारी राय भारत के बाहर स्थित ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के शेष और मामलों से संबंधित है, वह ऊपर उल्लिखित अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्टों पर आधारित है।

5. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इन समेकित वित्तीय विवरणों में 3 संयुक्त उद्यमों और 1 सहयोगी के संबंध में वित्तीय विवरण / सूचना शामिल नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये संयुक्त उद्यम / सहयोगी परिसमापन / बंद होने के अधीन हैं और ये समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

6. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों का मेसर्स खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, मेसर्स के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी, मेसर्स कोमांडूर एंड कंपनी एलएलपी और मेसर्स एस आर बी एंड एसोसिएट्स द्वारा संयुक्त रूप से ऑडिट किया गया था, और उन्होंने 30 अप्रैल, 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से समेकित वित्तीय विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

   उपरोक्त मामलों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उपरोक्त पैराग्राफ में "अन्य मामलों" में उल्लिखित सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर, हम यथा लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि-

   क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानूनन अपेक्षित उचित बहीखातों को रखा गया है, जहां तक उन पुस्तकों और अन्य लेखापरीक्षकों/चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   ग. इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलन-पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य समग्र आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उद्देश्य के लिए बनाए गए खातों के प्रासंगिक बहीखातों से मेल खाते हैं।

   घ. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   ङ. भारत में निगमित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में से कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2024 को अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के संदर्भ में सरकारी कंपनियां हैं।

   च. होल्डिंग कंपनी, भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "**अनुबंध 1**" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   छ. अधिनियम की धारा 197(16), यथा संशोधित की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में-

   हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार होल्डिंग कंपनी और भारत में निगमित उसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं हैं। भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, वर्तमान वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के अनुसार है और किसी निदेशक को पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान नहीं किया गया है।

   ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों के वित्तीय विवरणों तथा मामले पैराग्राफ में नोट किए गए अनुसार, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को ध्यान में रखने के आधार पर:

      i) समेकित वित्तीय विवरण समूह, उसके संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं (समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट 33 ख और 37 ख देखें)।

      ii) डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, लागू होने वाले कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है, जो वास्तविक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए आवश्यक है। समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट 17 देखें।

      iii) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, भारत में शामिल संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

      (iv) (क) कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा उक्त अधिनियम के अंतर्गत की गई है, उनके संबंधित प्रबंधन ने हमें अपनी सर्वोत्तम जानकारी और मत के अनुसार स्पष्ट किया है कि कंपनी या किसी भी सहायक कंपनी को कोई भी निधियां (जो एकल रूप से या समग्र रूप से) किसी भी सहायक कंपनी में या किसी अन्य व्यक्ति में अथवा संस्था में, विदेशी संस्था (मध्यवर्ती कंपनियां) सहित अग्रिम या ऋण के रूप में प्रदान नहीं की गई हैं या निवेशित नहीं की गई हैं (न तो उधार ली गई निधियों से और न ही शेयर प्रीमियम से अथवा न ही किसी अन्य स्रोत या किसी अन्य प्रकार से जुटाई गई निधियों में से)। संबंधित प्रबंधन द्वारा यह इस सहमति के साथ स्पष्ट किया गया कि लिखित में या अन्य प्रकार से दर्ज है कि मध्यवर्ती कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी स्वरूप में कंपनी की ओर से या ऐसी सहायक कंपनियों ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से न तो ऋण देंगी और न ही उनमें निवेश करेंगी या न गारंटी, प्रतिभूति प्रदान करेंगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से इस प्रकार की कोई लिखत प्रदान करेंगी।

(ख) कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा उक्त अधिनियम के अंतर्गत की गई है, उनके संबंधित प्रबंधन ने हमें अपनी सर्वोत्तम जानकारी और मत के अनुसार स्पष्ट किया है कि कंपनी या किसी भी सहायक कंपनी द्वारा कोई भी निधियां (जो एकल रूप से या समग्र रूप से हों) किसी व्यक्ति अथवा संस्था से, विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियों") सहित से नहीं ली गई हैं। संबंधित प्रबंधन द्वारा यह इस सहमति के साथ स्पष्ट किया गया कि लिखित में या अन्य प्रकार से दर्ज है कि दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी स्वरूप में फंडिंग पार्टियों ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से न तो ऋण देंगी और न ही उनमें निवेश करेंगी या न गारंटी, प्रतिभूति प्रदान करेंगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से इस प्रकार की कोई लिखत प्रदान करेंगी।

(ग) न्यायसंगत और परिस्थितियों में समुचित मानी गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है कि जिससे हम यह मानने को बाध्य हों कि नियम (11)(ई) के उप-खंड (i) के अंतर्गत उपरोक्त (ए) और (बी) में वर्णित अनुसार दिए गए विवरणों में कोई भी गलतबयानी है।

v. समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 32 में उल्लिखित अनुसार:

(क) पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जहां तक यह लाभांश के भुगतान से संबंधित है।

ख) होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल थी और सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई जांच, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा किया गया है, नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर, कंपनी, सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों ने अपनी लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संबंधित लेनदेन के लिए पूरे वर्ष किया जाता है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हम और ऊपर उल्लिखित सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों/संयुक्त संचालन के संबंधित लेखापरीक्षक के ध्यान में लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला सामने नहीं आया है।

विवरण	मामलों की संख्या
(क) लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के उदाहरण जिनमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए इसे पूरे वर्ष संचालित नहीं किया गया था।	शून्य
(ख) ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ या उसके संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थता के उदाहरण	1 संयुक्त उद्यम

2. कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/"सीएआरओ") के पैरा 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और धारक कंपनी के लिए हमारे द्वारा और सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं-

क्र. सं.	नाम	सीआईएन	धारक/सहायक / सहयोगी /संयुक्त उद्यम कंपनी	सीएआरओ रिपोर्ट की खंड सं. जो योग्य या प्रतिकूल है
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	L23201MH1959GOI011388	होल्डिंग कंपनी	खंड ix (घ) खंड xi (क)
2	कावेरी बेसिन रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	U23200TN2023PLC158051	संयुक्त उद्यम	खंड xvii खंड xix
3	आईएचबी लिमिटेड	U60230GJ2019PLC109127	संयुक्त उद्यम	खंड xi (क) खंड xvii
4	इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड	U11202KA2006PTC040251	संयुक्त उद्यम	खंड vii (ख)
5	आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड	U35201DL2024PTC433075	संयुक्त उद्यम	खंड xvii
6	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	L40101TN1965GOI005389	सहायक कंपनी	खंड xi (क)
7	आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	U31109DL2021PTC377250	संयुक्त उद्यम	खंड xvii
8	पेट्रोनेट वीके लिमिटेड	U23200GJ1998PLC034144	सहयोगी कंपनी	खंड xvii खंड xix
9	आईओएसएल नोएडा प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2021PTC157474	संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनी	खंड ix (क)
10	नेशनल एरोमैटिक्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	U11101TN1989PLC017403	सहायक कंपनी का संयुक्त उद्यम	खंड i(ग) खंड xvii खंड xix
11	इंडियन एडिटिव्स लिमिटेड	U24294TN1989PLC017705	सहायक कंपनी का संयुक्त उद्यम	खंड vii (ख) खंड xi (ग)
12	रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	U23200MH2017PLC300014	संयुक्त उद्यम	खंड xvii
13	टेरा क्लीन लिमिटेड	U35107DL2024GOI432137	सहायक कंपनी	खंड xvii

कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में, जिनकी अधिनियम की धारा 143 के तहत लेखा परीक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है, इस घटक के संबंध में लागू सीएआरओ उपलब्ध नहीं है।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सीआईएन	संबंध
1	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	L74899DL1998PLC093073	सहयोगी
2	जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड (जीआईटीएल)	U40200GJ2011SGC067450	संयुक्त उद्यम
3	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआईजीएल)	U40200GJ2011SGC067449	संयुक्त उद्यम
4	हिंदुस्तान उर्वार्क एंड रसायन लिमिटेड	U24100DL2016CPL358399	संयुक्त उद्यम
5	पारादीप प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	U241000R2013SGC016970	संयुक्त उद्यम
6	इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	U42201DL2023PTC415225	संयुक्त उद्यम
7	इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	U35109DL2024PTC434149	संयुक्त उद्यम
8	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	U40300AS2018GOI018660	संयुक्त उद्यम
9	आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड	U64990GJ2023GOI141266	सहायक कंपनी

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/S200034
हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246
UDIN: 25511596BMIVZO8707	UDIN: 25550715BMJBVS4528	UDIN: 25065025BMNQPX6619	UDIN: 25226246BMIGKC8159

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 अप्रैल 2025

खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
6-बी, जनहित याचिका न्यायालय, छठी मंजिल, 111, महर्षि कर्वे रोड,
मुंबई – 400020

के जी सोमानी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
3/15, आसफ अली मार्ग, चौथा तल, डिलाइट सिनेमा के पास
नई दिल्ली – 110002

एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
12, राधा नाथ मलिक लेन,
कोलकाता – 700 012

कोमनडूर एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फ़ोर्टुना टावर, कमरा नंबर 40, एन.एस. रोड,
कोलकाता – 700012

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को उसी तारीख के समेकित वित्तीय विवरणों पर ('अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 (च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (आई) के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

होल्डिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ 31 मार्च, 2025 को और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, हमने इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद होल्डिंग कंपनी के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से समूह के रूप में संदर्भित), संयुक्त उद्यम और सहयोगी, जो उस तारीख तक भारत में निगमित कंपनियां हैं की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी जो भारत में निगमित कंपनियां हैं के संबंधित निदेशक मंडल होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी जो भारत में निगमित कंपनियां हैं द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें अधिनियम के तहत आवश्यक संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन करना, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हमारे ऑडिट के आधार पर होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) और लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत, आईसीएआई द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक निर्धारित के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गये थे और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या तथ्यात्मक कमी मौजूद है, और मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और जोखिम मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, भले ही वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक समूह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और समूह की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन विचलन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण तथ्यात्मक विवरण गलत हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों, जो भारत में निगमित हैं, में सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में निर्धारित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च, 2025 को प्रभावी ढंग से कार्यरत थे।

अन्य मामला

भारत में निगमित 3 सहायक, 21 संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों से संबंधित कंपनियां के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संगत समेकित/समेकित रिपोर्टों, यथा लागू पर आधारित है।

हमारी राय इस मामले में अपरिवर्तित है।

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**एम के पी एस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034
हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246
UDIN: 25511596BMIVZO8707	UDIN: 25550715BMJBVS4528	UDIN: 25065025BMNQPX6619	UDIN: 25226246BMIGKC8159

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक – 30 अप्रैल 2025

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
परिसंपत्तियां			
गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां			
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	1,97,162.03	1,92,159.52
ख) कार्यशील पूंजी	2.1	73,740.41	57,316.86
ग) साख - समेकन पर		1.04	1.04
घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	3	3,979.10	3,837.23
ङ) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां	3.1	4,180.87	3,715.56
च) इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए निवेश को हिसाब में लिया गया	4	21,392.04	18,097.00
छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) निवेश	4	35,457.55	37,065.04
ii) ऋण	5	3,223.44	2,586.98
iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	2,336.86	2,360.80
ज) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	7	1,589.73	1,827.98
झ) अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां	8	6,160.83	4,951.37
		3,49,223.90	**3,23,919.38**
मौजूदा परिसंपत्तियां			
क) इन्वेंटरी	9	1,13,878.49	1,21,375.83
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) निवेश	4	10,368.91	10,379.86
ii) व्यापार प्राप्य	10	18,550.96	13,831.45
iii) नकद और नकद समतुल्य	11	673.17	1,246.59
iv) उपर्युक्त के अलावा अन्य बैंक शेष	12	2,631.77	1,910.46
v) ऋण	5	628.76	492.94
vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	2,259.46	2,760.99
ग) चालू कर परिसंपत्तियां	7	725.05	0.82
घ) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	8	6,414.73	5,212.25
		1,56,131.30	**1,57,211.19**
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां	13	1,511.85	**1,231.43**
		1,57,643.15	**1,58,442.62**
कुल परिसंपत्तियां		5,06,867.05	**4,82,362.00**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	13,771.56	13,771.56
ख) अन्य इक्विटी	15	1,72,715.76	1,69,644.71
ग) अनियंत्रित ब्याज		4,537.34	4,746.71
		1,91,024.66	**1,88,162.98**
देयताएं			
गैर-मौजूदा देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) उधार	16	51,755.75	46,792.90
ii) पट्टा देयताएं		6,578.65	6,331.99
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	199.43	233.11
ख) प्रावधान	18	1,406.63	1,414.82
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	19	20,664.96	18,960.70
घ) अन्य गैर-मौजूदा देयताएं	20	4,622.56	4,061.57
		85,227.98	**77,795.09**

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
मौजूदा देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) उधार	21	90,804.15	76,660.67
ii) पट्टा देयताएं		3,132.01	2,842.00
iii) व्यापार देय	22		
क. सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया		1,422.49	1,423.70
ख. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		59,112.45	58,030.40
iv) अन्य वित्तीय देयताएं	17	51,287.99	50,604.91
ख) अन्य चालू देयताएं	20	14,787.63	15,240.85
ग) प्रावधान	18	10,012.74	10,628.26
घ) चालू कर देयताएं	7	39.97	954.37
		2,30,599.43	**2,16,385.16**
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी देयताएं	13	14.98	**18.77**
		2,30,614.41	**2,16,403.93**
कुल इक्विटी और देयताएं		5,06,867.05	**4,82,362.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, अनुमान और निर्णय	1क और 1ख		
वित्तीय विवरणों के साथ नोट	2 - 48		

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
ए एस साहनी	**अनुज जैन**	**कमल कुमार ग्वालानी**
अध्यक्ष	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
DIN-10652030	DIN-10310088	ACS-13737

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/ W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 अप्रैल 2025

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट संख्या	2024-25	2023-24
I. प्रचालनों से आय	23	8,59,362.73	8,81,235.45
II. अन्य आय	24	3,513.73	3,838.56
III. कुल आय (I+II)		8,62,876.46	**8,85,074.01**
IV. व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	4,49,812.63	4,46,484.44
उत्पाद शुल्क		1,01,256.92	1,04,883.60
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		2,07,762.62	1,91,018.86
तैयार माल की सूची, स्टॉक-इन-ट्रेड और स्टॉक-इन प्रक्रिया में परिवर्तन	26	(789.75)	1,290.52
कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	10,879.86	11,670.94
वित्त लागतें	28	9,261.93	7,825.65
पर मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति-			
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		16,448.15	15,603.44
ख) अमूर्त संपत्ति		329.19	262.67
		16,777.34	**15,866.11**
वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षति हानि (क्षति हानि के रिवर्सल सहित)		173.27	270.57
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर निवल हानि		46.70	3.90
अन्य व्यय	29	54,229.94	50,017.56
कुल व्यय (IV)		8,49,411.46	**8,29,332.15**
V. सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लाभ/हानि के हिस्से से पहले लाभ/हानि, अपवादात्मक मदें और कर (III-IV)		13,465.00	**55,741.86**
VI. सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के लाभ/हानि के हिस्से से पहले लाभ/हानि		1,760.43	1,545.93
VII. असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/हानि (V+VI)		15,225.43	**57,287.79**
VIII. असाधारण मदें (नोट - 48, क्रम संख्या 2 देखें)		1,838.02	-
IX. कर से पहले लाभ/हानि (VII+VIII)		17,063.45	**57,287.79**
X. कर व्यय:			
वर्तमान कर		1,700.08	12,895.91
आस्थगित कर		1,574.54	1,230.73
XI. वर्ष (-) के लिए लाभ/हानि		13,788.83	**43,161.15**
अवधि के लिए लाभ/हानि, जिसके लिए उत्तरदायी हैं:			
मूल कंपनी के इक्विटीधारक		13,597.84	41,729.69
गैर-नियंत्रित हित		190.99	1,431.46
XII. अन्य व्यापक आय:	30		
क (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(1,633.35)	14,494.12
क (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(75.53)	(971.85)
ख (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		905.52	(582.39)
ख (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(46.60)	68.12
XIII. वर्ष के लिए कुल समग्र आय (IX+X) (लाभ/(हानि) और वर्ष के लिए अन्य समग्र आय सहित)		12,938.87	**56,169.15**

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट संख्या	2024-25	2023-24
वर्ष के लिए कुल समग्र आय (लाभ/(हानि) और वर्ष के लिए अन्य समग्र आय सहित) के कारण-			
मूल के इक्विटीधारक		12,735.92	54,709.05
अनियंत्रित ब्याज		202.95	1,460.10
XIV. प्रति इक्विटी शेयर आय (₹)-	32		
(1) मूल		9.87	30.30
(2) मिश्रित		9.87	30.30
अंकित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर (₹)		10	10
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, अनुमान और निर्णय	1क और 1ख		
वित्तीय विवरणों के साथ नोट	2 - 48		

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/- **ए एस साहनी** अध्यक्ष DIN-10652030	**हस्ता/-** **अनुज जैन** निदेशक (वित्त) DIN-10310088	**हस्ता/-** **कमल कुमार ग्वालानी** कंपनी सचिव ACS-13737

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. नं. 105049W	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377	**कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. नं. 02014E/ W101061	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034
हस्ता/- **नवीन जैन** पार्टनर स.सं. 511596	**हस्ता/-** **अम्बर जैस्वाल** पार्टनर स.सं. 550715	**हस्ता/-** **नरेंद्र खंडाल** पार्टनर स.सं. 065025	**हस्ता/-** **नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा** पार्टनर स.सं. 226246

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 अप्रैल 2025

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1 लाभ/(हानि) कर पूर्व	17,063.45	57,287.79
2 निम्न का समायोजन:		
संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के लाभ का हिस्सा	(1,760.43)	(1,545.93)
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति	16,777.34	15,866.11
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ) (निवल)	48.68	(33.29)
हानि की हानि का प्रतिवर्तन	(58.43)	-
निवेश की बिक्री पर हानि/(लाभ) (निवल)	(66.92)	(31.85)
पूंजीगत अनुदानों का परिशोधन	(10.56)	(38.83)
संभावित आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान (निवल)	(0.70)	(92.37)
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं पर उत्पन्न होने वाली एमटीएम हानि/(लाभ)	(158.27)	(329.35)
दावा न की गई/ प्रतिलिखित अव्ययित देयताएं	72.45	5.25
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण, अग्रिम और दावे	(49.70)	147.85
संदिग्ध अग्रिमों, दावों और भंडारों के अप्रचलन के लिए प्रावधान (निवल)	173.27	270.57
वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षति हानि (निवल)	(61.95)	(84.09)
डेरिवेटिव्ज पर एमटीएम हानि/(लाभ)	78.18	(43.30)
ओसीआई के माध्यम से परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	566.45	1,141.55
ब्याज पर आय	(1,729.32)	(2,046.09)
लाभांश पर आय	(1,538.79)	(1,198.16)
वित्त लागत	9,261.93	7,825.65
पीएमयूवाई परिसंपत्तियों का परिशोधन और पुनर्मापन	(80.05)	(306.35)
	21,463.18	19,507.37
3 कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ (1+2)	38,526.63	76,795.16
4 कार्यशील पूंजी में परिवर्तन (नकद और नकद समतुल्यों को छोड़कर) -		
व्यापार प्राप्य और अन्य परिसंपत्तियां	(7,710.26)	2.82
इन्वेंटरी	7,463.76	(312.28)
व्यापार देय और अन्य देयताएं	(486.80)	6,565.69
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन	(733.30)	6,256.23
5 परिचालन से उत्पन्न नकदी (3+4)	37,793.33	83,051.39
6 घटाएं - चुकाए गए कर	3,094.05	11,904.98
7 परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (5-6)	34,699.28	71,146.41
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह-		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री / संपत्ति के हस्तांतरण से आय	571.65	482.14
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति की खरीद	(5,105.48)	(5,005.85)
जारी निर्माण कार्य पर व्यय	(29,744.46)	(32,169.50)
वित्तीय दस्तावेजों की बिक्री से प्राप्त आय (कार्यशील पूंजी के अलावा)	6,217.31	5,118.51
अन्य निवेशों की खरीद	(7,569.66)	(3,859.10)
सरकारी अनुदान की प्राप्ति (पूंजीगत अनुदान)	17.04	1.72
प्राप्त ब्याज आय	1,835.93	2,093.52
निवेश पर लाभांश आय	1,929.48	1,827.03
निवेश गतिविधियों में उत्पन्न/(प्रयुक्त) निवल नकदी-	(31,848.19)	(31,511.53)
ग वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह-		
लंबी अवधि के उधार से प्राप्त आय	28,274.89	1,349.26
लंबी अवधि के उधारों का पुनर्भुगतान	(25,703.52)	(17,336.37)
पट्टा देयताओं की चुकौती	(2,970.61)	(2,812.91)
अल्पावधि उधार से/(की चुकौती) से आय	15,243.04	(1,843.18)
ब्याज का भुगतान किया	(8,723.21)	(7,768.86)
लाभांश का भुगतान	(9,545.10)	(10,972.58)
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न/(प्रयुक्त) निवल नकदी:	(3,424.51)	(39,384.64)
घ. नकद और नकद समतुल्यों में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	(573.42)	250.24

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
ङ1 वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य	673.17	1,246.59
चालू खाते में	535.01	954.33
मीयादी खाते में – 3 महीनों की परिपक्वता	45.20	264.58
गैर-अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष	84.46	25.40
हस्तस्थ चैक, ड्राफ्ट	7.17	1.31
हस्तस्थ नकद, अग्रदाय सहित	1.33	0.97
ङ2 घटाएं – वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	1,246.59	996.35
चालू खाते में	954.33	615.76
मीयादी खाते में – 3 महीनों की परिपक्वता	264.58	346.51
गैर-अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष	25.40	28.12
हस्तस्थ चैक, ड्राफ्ट	1.31	5.41
हस्तस्थ नकद, अग्रदाय सहित	0.97	0.55
नकद व नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (ङ1 – ङ2)	(573.42)	250.24

नोट:

1. वर्ष के दौरान निवेश और वित्त संबंधी कार्यकलापों में उल्लेखनीय नकद-इतर संचलन

(क)	पट्टे के माध्यम से परिसंपत्तियों का अधिग्रहण (अपफ्रंट प्रीमियम को घटाकर)	3831.87	3312.89
(ख)	उधारों और पट्टा देनदारियों पर अप्राप्त विनिमय हानि/(लाभ)	1806.49	881.54
(ग)	उचित मूल्य और अन्य गैर-नकद परिवर्तन	(839.16)	99.25

2. नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक-7: नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है।

3. कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के अंतर्गत व्यापार देय और अन्य देनदारियों में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई ₹ 1,838.02 करोड़ की राशि के असाधारण मदों का प्रभाव शामिल है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
ए एस साहनी	**अनुज जैन**	**कमल कुमार ग्वालानी**
अध्यक्ष	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
DIN-10652030	DIN-10310088	ACS-13737

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/ W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 अप्रैल 2025

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	13,771.56	13,771.56
वर्ष के दौरान परिवर्तन	–	–
वर्ष के अंत में शेष राशि	**13,771.56**	**13,771.56**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिज़र्व और अधिशेष						अन्य समग्र आय की मदें				मूल के इक्विटीधारकों के कारण	अनियंत्रित ब्याज	कुल
	प्रतिधारित अर्जन	बांड रिडेम्पशन रिजर्व	पूंजी रिजर्व / पूंजी रिडेम्पशन रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	बीमा रिजर्व	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	इक्विटी दस्तावेजों का उचित मूल्य	ऋण दस्तावेजों का उचित मूल्य	नकदी प्रवाह हैज रिजर्व	समेकन पर रूपांतरण रिजर्व			
1 अप्रैल, 2023 तक आरंभिक शेष	**1,07,151.70**	**1,031.95**	**428.88**	**76.74**	**319.20**	**0.25**	**15,069.23**	**(10.88)**	**138.67**	**1,742.94**	**1,25,948.68**	**3,494.10**	**1,29,442.78**
आरंभिक शेष समायोजन	(1.16)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(1.16)	–	(1.16)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	41,729.69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41,729.69	1,431.46	43,161.15
अन्य व्यापक आय	(32.28)*	–	–	–	–	–	13,550.44	6.98	(136.45)	(409.33)	12,979.36	28.64	13,008.00
कुल व्यापक आय	**41,697.41**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**13,550.44**	**6.98**	**(136.45)**	**(409.33)**	**54,709.05**	**1,460.10**	**56,169.15**
समेकन पर	–	–	0.09	–	–	–	–	–	–	–	0.09	–	0.09
लाभांश वितरण कर वापसी	2.46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.46	–	2.46
व्यय सहित बोनस शेयर जारी करने के लिए उपयोग (कर-मुक्त)	–	–	0.01	–	–	–	–	–	–	–	0.01	–	0.01
अंतरिम लाभांश के लिए विनियोजन	(6,886.04)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(6,886.04)	–	(6,886.04)
अंतिम लाभांश के लिए विनियोजन	(4,131.58)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(4,131.58)	(207.49)	(4,339.07)
बीमा आरक्षित निधि के लिए विनियोजन (शुद्ध)	(21.01)	–	–	–	21.01	–	–	–	–	–	–	–	–
बांड मोचन आरक्षित निधि से स्थानांतरण	1,013.20	(1,013.20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि के लिए विनियोजन (शुद्ध)	0.23	–	–	–	–	(0.23)	–	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान प्रतिभूति प्रीमियम में वृद्धि	–	–	–	3.20	–	–	–	–	–	–	3.20	–	3.20
31 मार्च, 2024 को अन्त शेष	**1,38,825.21**	**18.75**	**428.98**	**79.94**	**340.21**	**0.02**	**28,619.67**	**(3.90)**	**2.22**	**1,333.61**	**1,69,644.71**	**4,746.71**	**1,74,391.42**
आरंभिक शेष समायोजन	93.79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93.79	–	93.79
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	13,597.84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,597.84	190.99	13,788.83
अन्य व्यापक आय	60.35*	–	–	–	–	–	(1,769.93)	65.64	(6.46)	788.48	(861.92)	11.96	(849.96)
कुल व्यापक आय	13,658.19	–	–	–	–	–	(1,769.93)	65.64	(6.46)	788.48	12,735.92	202.95	12,938.87
समेकन पर	(491.90)	–	373.52	–	–	–	–	–	–	–	(118.38)	–	(118.38)
अंतिम लाभांश के लिए विनियोजन	(9,640.28)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(9,640.28)	(412.32)	(10,052.60)
बीमा आरक्षित निधि के लिए विनियोजन (शुद्ध)	(20.12)	–	–	–	20.12	–	–	–	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2025 को अन्त शेष	**1,42,424.89**	**18.75**	**802.50**	**79.94**	**360.33**	**0.02**	**26,849.74**	**61.74**	**(4.24)**	**2,122.09**	**1,72,715.76**	**4,537.34**	**1,77,253.10**

* परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
ए एस साहनी
अध्यक्ष
DIN-10652030

हस्ता/-
अनुज जैन
निदेशक (वित्त)
DIN-10310088

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म
रजि. नं. 105049W

हस्ता/-
नवीन जैन
पार्टनर
स.सं. 511596

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377

हस्ता/-
अम्बर जैस्वाल
पार्टनर
स.सं. 550715

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 अप्रैल 2025

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
(कमल कुमार ग्वालानी)
कंपनी सचिव
ACS-13737

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 302014E/W101061

हस्ता/-
नरेंद्र खंडाल
पार्टनर
स.सं. 065025

कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034

हस्ता/-
नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा
पार्टनर
स.सं. 226246

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ख. कॉर्पोरेट सूचना

वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए "इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड" ("धारक कंपनी" या "आईओसीएल" या "मूल कंपनी") और इसकी सहायक कंपनियों (संयुक्त रूप से, समूह) और संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में इसके हित के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

आईओसीएल भारत में निगमित और अधिवासित पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसके शेयर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय इंडियनऑयल भवन, जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई में स्थित है।

समूह के व्यापारिक हित रिफाइनिंग, पाइपलाइन परिवहन और विपणन से लेकर कच्चे तेल और गैस की खोज और उत्पादन, पेट्रोकेमिकल्स, गैस मार्केटिंग, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और डाउनस्ट्रीम परिचालनों के वैश्वीकरण तक - पूरे हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में फैले हुए हैं।

वित्तीय विवरणों को 30 अप्रैल, 2024 को हुई अपनी बैठक में पारित निदेशक मंडल के प्रस्ताव के अनुसार जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

II. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. तैयार करने/समेकन का आधार और अनुपालन का विवरण

1.1 वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत लागू भारतीय लेखांकन मानकों और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

1.2 वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, केवल निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों (देयताओं) को छोड़कर जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है-

- डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज,
- उचित मूल्य पर मापित कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां (वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में लेखांकन नीतियों की क्रम संख्या 17 देखें) और
- कर्मचारी/हित लाभ से संबंधित योजना परिसंपत्तियां (कर्मचारी हितलाभों के संबंध में लेखा नीतियों की क्रम संख्या 12 देखें)

1.3 वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो समूह की मुख्य मुद्रा है और जब अन्यथा न बताया जाए भी मूल्यों को निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) तक पूर्णांक किया जाता है।

1.4 समेकन का आधार-

1.4.1सहायक कंपनियां-

वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 तक आईओसीएल और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। नियंत्रण तब हासिल किया जाता है जब समूह को उजागर किया जाता है, या उसके पास निवेशिती के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न के अधिकार होते हैं और निवेशिती पर अपने अधिकारों के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। किसी सहायक कंपनी का समेकन तब शुरू होता है जब समूह उस सहायक कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और तब समाप्त होता है जब समूह उस सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है। वर्ष के दौरान अधिग्रहित या निपटाई गई सहायक कंपनी परिसंपत्ति, देनदारियां, आय और व्यय को वित्तीय विवरणों में उस तारीख से शामिल किया जाता है जिस तारीख पर समूह नियंत्रण प्राप्त करता है और उस तारीख तक जब तक समूह उस सहायक कंपनी पर नियंत्रण नहीं छोड़ देता।

वित्तीय विवरण समान लेनदेन और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। समेकन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरण मूल कंपनी के समान रिपोर्टिंग तारीख यानी 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए तैयार किए जाते हैं। भारतीय लेखा मानक 110 में परिभाषित समेकन प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिसके अंतर्गत मूल कंपनी की परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्राप्ति की समान मदों को उसकी सहायक कंपनियों के साथ मिला दिया जाता है, प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की रखाव राशि और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी में मूल कंपनी के हिस्से को समायोजित/समाप्त कर दिया जाता है और समूह की संस्थाओं के बीच लेनदेन से संबंधित अंतर-समूह की परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्राप्ति को समाप्त कर दिया जाता है।

लाभ या हानि तथा अन्य समग्र आय (ओसीआई) के प्रत्येक घटक को समूह की मूल कंपनी के इक्विटी धारकों तथा गैर-नियंत्रक हितों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, भले ही इसके परिणामस्वरूप गैर-नियंत्रक हितों में घाटा शेष हो। समूह के सदस्यों के बीच लेन-देन से संबंधित सभी अंतर-समूह परिसंपत्तियां और देनदारियां, इक्विटी, आय, व्यय तथा नकदी प्राप्ति समेकन पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं।

1.4.2सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहयोगी कंपनी एक ऐसी संस्था है जिस पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशित व्यक्ति के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त उद्यम एक प्रकार की संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्ति का अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधित रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

समूह द्वारा अपनी सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम में किए गए निवेश का लेखा भारतीय लेखा मानक 28 के अनुसार इक्विटी विधि का उपयोग करते हुए किया जाता है। इस विधि के तहत, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश को शुरू में लागत पर निर्धारित किया जाता है और उसके बाद अधिग्रहण की तारीख से सहयोगी या संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्तियों में समूह के हिस्से में हुए परिवर्तनों के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित सुनाम

टिप्पणी-1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी..)

को निवेश की रखाव राशि में शामिल किया जाता है और अलग से हानि के लिए परीक्षण नहीं किया जाता है। सहयोगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित साख निवेश की लागत राशि में शामिल है और व्यक्तिगत रूप से क्षति के लिए परीक्षण नहीं किया जाता है।

लाभ और हानि का विवरण सहयोगी या संयुक्त उद्यम के परिचालन के परिणामों के समूह के हिस्से को दर्शाता है। उन निवेशकर्ताओं के ओसीआई में कोई भी परिवर्तन समूह के ओसीआई के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, जब सहयोगी या संयुक्त उद्यम की इक्विटी में सीधे तौर पर मान्य परिवर्तन होता है, तो समूह इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में, लागू होने पर, किसी भी परिवर्तन के अपने हिस्से को मान्य करता है। समूह और सहयोगी या संयुक्त उद्यम के बीच लेनदेन के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभ और हानि को सहयोगी या संयुक्त उद्यम में हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है।

यदि किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम के नुकसान का एक यूनिट का हिस्सा सहयोगी या संयुक्त उद्यम में उसके हित के बराबर या उससे अधिक है (जिसमें कोई भी दीर्घकालिक ब्याज शामिल है, जो मूल रूप से सहयोगी या संयुक्त उद्यम में समूह के निवल निवेश का हिस्सा है), यूनिट आगे के नुकसान के अपने हिस्से को मानना बंद कर देती है। अतिरिक्त हानियों को केवल उस सीमा तक माना जाता है जब समूह ने सहयोगी या संयुक्त उद्यम की ओर से कानूनी या रचनात्मक दायित्वों को पूरा किया हो या भुगतान किया हो। यदि सहयोगी या संयुक्त उद्यम बाद में मुनाफा सूचित करता है, तो प्रतिष्ठान उन लाभों के अपने हिस्से को तभी मानना शुरू करता है जब उसके मुनाफे का हिस्सा मान्य नुकसान के हिस्से के बराबर हो।

सहयोगी या संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण समूह के समान रिपोर्टिंग अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। जब आवश्यक हो, तो समूह की नीतियों के अनुरूप लेखांकन नीतियों का समायोजन किया जाता है।

इक्विटी पद्धति को लागू करने के बाद, समूह यह निर्धारित करता है कि उसके सहयोगी या संयुक्त उद्यम में उसके निवेश पर क्षति हानि की पहचान करना आवश्यक है या नहीं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या इस बात का वस्तुनिष्ठ प्रमाण है कि सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश की क्षति हुई है। यदि ऐसा कोई सबूत है, तो समूह हानि की राशि की गणना सहयोगी या संयुक्त उद्यम की वसूली योग्य राशि और उसके लागत मूल्य के बीच के अंतर के रूप में करता है, और फिर नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में एक 'सहयोगी और एक संयुक्त उद्यम के लाभ के हिस्सेफ के रूप में मानता है।

1.4.3संयुक्त प्रचालनों में हित:

संयुक्त प्रचालनों में हित के लिए, समूह मानता है-

- संयुक्त रूप से धारित किसी भी परिसंपत्ति के अपने हिस्से सहित परिसंपत्ति
- संयुक्त रूप से की गई किसी भी देनदारियों के अपने हिस्से सहित देयताएं
- संयुक्त परिचालन से उत्पन्न होने वाले उत्पादन के अपने हिस्से की बिक्री से आय
- संयुक्त संचालन द्वारा उत्पादन की बिक्री से आय का हिस्सा
- संयुक्त रूप से किए गए किसी भी खर्च के अपने हिस्से सहित व्यय

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

2.1.1संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को तुलन-पत्र में लागत पर दर्शाया जाता है, जिसमें से संचित मूल्यह्रास और संचित अनर्जक हानि (यदि कोई हो) घटा दी जाती है, पूर्ण स्वामित्व भूमि को छोड़कर, जिसे ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है।

2.1.2संयंत्रों/सुविधाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी/लाइसेंस शुल्क और विशिष्ट सॉफ्टवेयर जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं, को अंतर्निहित परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

2.1.3परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से ज़िम्मेदार पर्यावरण उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों को परियोजना की प्रगति के आधार पर या वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो, उसके आधार पर परियोजना लागत के रूप में माना जाता है।

2.1.4परियोजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित पर्यावरण उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों को परियोजना की प्रगति या वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो, के आधार पर परियोजना लागत के रूप में निर्धारित किया जाता है।

2.1.5 भारतीय लेखांकन मानक अपनाने पर, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 को मान्य अपने सभी पीपीई के लागत मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है और उस लागत मूल्य को सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानी गई लागत के रूप में उपयोग करती है।

2.2 कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)

2.2.1निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किया गया व्यय सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत लागत पर दर्शाया जाता है।

2.2.2निर्माण अवधि व्यय

निर्माण अवधि के दौरान पूर्णत: परियोजनाओं से संबंधित राजस्व व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।

परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से उधार लिए गए और उपयोग किए गए ऋणों पर निर्माण अवधि के दौरान किए गए उधार की लागत को पूंजीकरण की तारीख तक तिमाही आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य उधार पर यदि कोई उधार लागत आती है, तो उसे ऊपर उल्लिखित उधारों के अलावा अन्य सभी उधारों की भारित औसत लागत पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसे उधारों की राशि आंतरिक उपार्जन की राशि को समायोजित करने के बाद तिमाही आधार पर निर्धारित की जाती है।

2.2.3 पूंजीगत भंडार

पूंजीगत भंडारों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो, मूल्य में संभावित कमी के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है।

2.3 अमूर्त परिसंपत्ति और परिशोधन

2.3.1 उत्पादन प्रक्रिया और प्रक्रिया डिजाइन से संबंधित तकनीकी जानकारी/लाइसेंस शुल्क को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है और अंतर्निहित संयंत्र/सुविधा की कालावधि पर सीधी कटौती के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी..)

2.3.2 अनुसंधान चरण में और विकास चरण में किए गए व्यय को आय के लिए प्रभारित किया जाता है, जब तक कि यह पूंजीगत प्रकृति का न हो, आय के लिए भी प्रभारित किया जाता है।

2.3.3 खरीदे गए/विकसित किए गए कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर/लाइसेंस पर होने वाली लागत, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न अंग विशिष्ट सॉफ़्टवेयर के अलावा, भावी आर्थिक लाभों को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और माह से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है जिसमें ऐसे सॉफ्टवेयर/लाइसेंस पूंजीकृत हैं। हालांकि, जहां ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/लाइसेंस का विकास किया जा रहा है या अभी तक उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ऐसी वस्तुओं पर खर्च की गई संचित लागत को 'विकासशील अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में गिना जाता है।

2.3.4 अनिश्चित उपयोगी कालावधि के साथ कानूनी अधिकारों का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन नकदी पैदा करने वाली यूनिट स्तर पर सालाना क्षति के लिए परीक्षण किया जाता है। अनिश्चितकालीन अवधि के आकलन की वार्षिक समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अनिश्चितकालीन अवधि का समर्थन करना जारी है या नहीं। यदि नहीं, तो उपयोगी कालावधि में अपरिमित से परिमित में परिवर्तन संभावित आधार पर किया जाता है।

2.3.5अर्जित अमूर्त संपत्तियाँ पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 के अनुसार हैं, जिनका मापन लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर किया जाता है। किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अमूर्त संपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि पर उनके उचित मूल्य पर आधारित होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि को घटाकर रखा जाता है। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों के मामले में, विकास लागत को एक संपत्ति के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब मान्यता के सभी मानदंड पूरे हो जाते हैं।

2.3.6अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है तथा जब भी ऐसा संकेत मिलता है कि अमूर्त परिसंपत्ति अनर्जक हो सकती है, तो उसकी क्षति का आकलन किया जाता है। परिशोधन अवधि और परिमित उपयोगी कालावधि के साथ अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति में सन्निहित भावी आर्थिक लाभों की खपत के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को उपयुक्त के रूप में संशोधित करने के लिए माना जाता है, और इसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित कालावधि के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में रिकार्ड किया जाता है जब तक कि ऐसा व्यय किसी अन्य संपत्ति के लागत मूल्य का हिस्सा न हो।

2.3.7 भारतीय लेखांकन मानक अपनाने पर, समूह ने 1 अप्रैल, 2015 को रिकार्ड की गई अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लागत मूल्य को जारी रखना चुना है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है और उस लागत मूल्य को अमूर्त परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में उपयोग किया है।

2.3.8 पूंजीकरण/बिक्री, निपटान/या निपटान के लिए निर्धारित तिमाही से/तक की परिसंपत्तियों के आधार पर परिशोधन पर यथानुपात प्रभारित किया जाता है।

2.4 मूल्यह्रास

2.4.1 फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर पीपीई की लागत (अवशिष्ट मूल्य का निवल) अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी कालावधि के अनुसार सीधी कटौती पद्धति पर मूल्यह्रास किया जाता है, सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों के मामले में:

क) तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी बने रहने की अवधि

- संबंधित संयंत्र और उपकरणों (भंडारण टैंक और संबंधित उपकरण के अलावा), एलपीजी सिलेंडर और प्रैशर रेगुलेटरों के लिए 15 वर्ष
- डिस्पेंसिंग यूनिट के लिए 10 वर्ष
- सौर संयंत्र के लिए 25 वर्ष
- आर एंड डी सेंटर की कतिपय परिसंपत्तियां (15-20 वर्ष)
- सीजीडी व्यवसाय (कंप्रेसर/ बूस्टर कंप्रेसर और डिस्पेंसर – 10 वर्ष, कैस्केड – 20 वर्ष)
- ल्यूब्रिकैंट्स के लिए पैकेजिंग सामग्री के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाए गए मोल्ड – 5 वर्ष
- स्पेयर पार्ट्स आदि जैसे अन्य मामलों में (2-30 वर्ष)

ख) विशिष्ट समझौता उदाहरण के लिए सक्षम परिसंपत्ति आदि के मामले में, समझौते या अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार उपयोगी कालावधि, जो भी कम हो, और

ग) पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित अचल परिसंपत्तियों के मामले में, अधिनियम की अनुसूची-II के अनुसार उपयोगी जीवन या भूमि की पट्टे अवधि (पट्टों के लिए विचारित संविदाजन्य पट्टा अवधि के अतिरिक्त नवीकरणीय/संभावित नवीकरणीय अवधि पर विचार करते हुए), जो भी कम हो, और।

घ) ऐसे मामले में जहां उपयोगी जीवन अन्य किसी संबंधित क़ानून या किसी विनियम के अनुसार अनिवार्य बनाया गया है।

समूह मुख्य परिसंपत्ति के उन घटकों का मूल्यह्रास करता है जो मूल्य में महत्वपूर्ण हैं और जिनका उपयोगी जीवन मुख्य परिसंपत्ति से अलग है। समूह सहायक पुर्जों के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से उनके जीवन काल पर मूल्यह्रास करता है।

2.4.2मूल्यह्रास, परिसंपत्तियों पर मासिक आधार पर आनुपातिक रूप से लगाया जाता है, पूंजीकरण/बिक्री, निपटान/निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के महीने से लेकर/तक।

2.4.3 अवशिष्ट मूल्य का निर्धारण पिछले अनुभव के आधार पर किया जाता है और आम तौर पर यह परिसंपत्तियों की लागत का 0 से 5% के बीच होता है, सिवाय इसके कि -

क. स्टील एलपीजी सिलेंडर और प्रेशर रेगुलेटर के मामले में, अवशिष्ट मूल्य 25% माना जाता है और फाइबर कम्पोजिट एलपीजी सिलेंडर के मामले में, अवशिष्ट मूल्य अनुमानित वसूली योग्य मूल्य के आधार पर 10% माना जाता है

ख. उत्कृष्ट धातु सामग्री वाले उत्प्रेरक के मामले में, अवशिष्ट मूल्य धातु सामग्री की लागत के आधार पर माना जाता है और

ग. कुछ मामलों में अवशिष्ट मूल्य संबंधित समझौते में सहमत हस्तांतरण मूल्य के आधार पर माना जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी..)

2.4.4 पीपीई एलपीजी सिलेंडरों और प्रेशर रेगुलेटरों के अलावा अन्य पीपीई का पूंजीकरण वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है, जिसकी कीमत 5,000 रुपये प्रति आइटम तक हो। इसके अलावा, उत्कृष्ट धातु सामग्री और प्रमुख ओवरहाल / निरीक्षण को छोड़कर उत्प्रेरक जैसे पुर्जों, घटकों का भी उनके संबंधित उपयोगी कालावधि पर पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है।

2.4.5पीपीई के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास के तरीकों की प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो उन्हें भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

3. लीज़

समूह अनुबंध की शुरुआत में मूल्यांकन करता है कि क्या अनुबंध पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। अर्थात्, क्या अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी तय संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

3.1 पट्टेदार के रूप में पट्टे (पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां)

समूह अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करता है। समूह पट्टे का भुगतान करने के लिए पट्टा देयताओं और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को मान्यता देता है।

3.1.1पट्टा देयताएं

पट्टे की प्रारंभ तारीख पर, समूह अनुबंधात्मक पट्टे अवधि के दौरान किए जाने वाले पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देनदारियों को निर्धारित करता है, जिसके लिए प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हैं। पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य की गणना करने में, यदि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती हो तो समूह पट्टे की प्रारंभ तारीख पर वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करता है। प्रारंभ की तारीख के बाद, ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए पट्टे की देनदारियों की राशि बढ़ाई जाती है और किए गए पट्टे के भुगतान के लिए घटाई जाती है।

3.1.2 उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियां

समूह उपयोग के अधिकार (आरओयू) वाली परिसंपत्तियों को पट्टे की आरंभ तिथि (यानी, अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि) पर मानता है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और क्षति हानियों को कम किया जाता है, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। भूमि से संबंधित बेमियादी उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं होता, लेकिन क्षति हानि के लिए जांच की जाती है, यदि कोई हो।

3.1.3अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

समूह संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अपने अल्पकालिक पट्टों के लिए अल्पकालिक पट्टा मान्यता छूट लागू करता है (अर्थात, वे पट्टे जिनकी पट्टे की अवधि शुरू होने की तारीख से 12 महीने या उससे कम है और जिसमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है)। यह उन पट्टों पर कम मूल्य की संपत्ति मान्यता छूट के पट्टे को भी लागू करता है जिन्हें कम मूल्य का माना जाता है और जो उप-ठेके के लिए अभिप्रेत नहीं है। अल्पकालिक पट्टों और कम-मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर सीधी कटौती के आधार पर व्यय के रूप में माना जाता है बशर्ते वह आधार पट्टेदार के लाभ के पैटर्न का अधिक निरूपक है।

3.2 पट्टेदार के रूप में पट्टे (पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां)

3.2.1जब समूह पट्टादाता के रूप में कार्य करता है, तो वह पट्टे की शुरुआत में यह तय करता है कि यह वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा। परिचालन पट्टे से किराए की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां कोई अन्य व्यवस्थित आधार पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति से प्राप्त लाभ का समय पैटर्न अधिक उपयोगी हो। वित्त पट्टे पर दी गई सभी परिसंपत्तियां पट्टे में निवल निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में दिखाई जाती हैं। पट्टे की प्राप्तियों के मूल घटक को बकाया प्राप्य के समक्ष समायोजित किया जाता है और ब्याज आय को पट्टे में निहित ब्याज दर को निवल निवेश पर लागू करते हुए हिसाब में लिया जाता है।

3.2.2जब समूह एक मध्यवर्ती पट्टादाता होता है तो वह मुख्य पट्टे और उप-पट्टे में अपने हितों का अलग-अलग हिसाब रखता है। यह मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्ति के संदर्भ में उप-पट्टे के पट्टा वर्गीकरण का आकलन करता है, न कि अंतर्निहित परिसंपत्ति के संदर्भ में। यदि मुख्य पट्टा ऐसा अल्पकालिक पट्टा है जिस पर समूह ऊपर वर्णित अल्पकालिक पट्टा छूट लागू करता है, तो यह उप-पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करता है।

4. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति (अन्वेषण व उत्पादन परिसंपत्तियों की क्षति के लिए पैरा 14 भी देखें)

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो समूह परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली यूनिट (सीजीयू) की उचित मूल्य कम निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। अनर्जक हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनके मौजूदा मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के मौजूदा बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

समूह विस्तृत बजट और पूर्वानुमान गणनाओं पर अपनी क्षति गणना को आधार बनाता है, जो समूह के प्रत्येक सीजीयू के लिए अलग से तैयार की जाती है, जिसमें अलग परिसंपत्ति आवंटित की जाती है। ये बजट और पूर्वानुमान गणना आम तौर पर 15 वर्षों की अवधि को कवर करते हैं। लंबी अवधि के लिए, दीर्घकालिक विकास दर की गणना की जाती है और पंद्रहवें वर्ष के बाद भावी नकदी प्रवाह

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी..)

को दर्शाने के लिए लागू की जाती है। नकदी प्रवाह परियोजना का अनुमान लगाने के लिए हाल के बजटों/पूर्वानुमानों द्वारा कवर की गई अवधियों से परे, समूह बाद के वर्षों के लिए स्थिर या घटती विकास दर का उपयोग करते हुए बजट में नकदी प्रवाह अनुमानों की गणना तब तक करता है, जब तक कि बढ़ती दर को उचित नहीं ठहराया जा सके।

5. उधार लेने की लागतें

अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण उधार लेने की लागत को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक संपत्ति वह होती है जो अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है। जब योग्य परिसंपत्तियों पर सक्रिय विकास गतिविधि अस्थायी आधार के अलावा अन्य किसी कारण से बाधित होती है, तो उधार लेने की लागत का पूंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है और ऐसी विस्तारित अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन/रूपांतरण

6.1 संबंधित समूह संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्राओं (विदेशी मुद्राओं) के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन को प्रारंभ में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित हाजिर विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

6.2 रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं (जैसे नकद, प्राप्य, देय आदि) में मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदों का उस तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है।

6.3 विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्ग की नकद में लेनदेन की अपेक्षा के अलावा गैर-मौद्रिक मदें (जैसे पीपीई, अमूर्त परिसंपत्ति, इक्विटी निवेश, पूंजी/आय अग्रिम को नकद में निपटाने की अपेक्षा के अलावा अन्य) लेनदेन की तारीख पर उचित मूल्य पर मापित के अलावा प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज की जाती हैं।

विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का विनिमय दरों का उपयोग उस तिथि पर किया जाता है जब उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है। उचित मूल्य पर मापित गैर-मौद्रिक वस्तुओं के रूपांतरण पर होने वाले लाभ या हानि को वस्तु के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ या हानि की मान्यता के अनुरूप माना जाता है (अर्थात, उन वस्तुओं पर रूपांतरण अंतर जिनके उचित मूल्य लाभ या हानि अन्य समग्र आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है या लाभ और हानि के विवरण को ओसीआई या क्रमशः लाभ और हानि के विवरण में भी रिकार्ड किया जाता है)।

6.4 रूपांतरण या निपटान के समय विनिमय दरों में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में या तो शीर्ष विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव या ब्याज लागत के तहत उधार लेने की लागत, जैसा भी हो, नीचे उल्लिखित ऋणों से संबंधित को छोड़कर, उसके समायोजन के रूप में माना जाता है।

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित 31 मार्च 2016 को या उससे पहले प्राप्त या पुनर्वित्त किए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋण पर विनिमय अंतर को परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में समायोजित किया जाता है और परिसंपत्तियों की शेष अवधि पर मूल्यह्रास किया जाता है।

6.5 मौद्रिक मदों पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर जो विदेशी परिचालन में रिपोर्टिंग यूनिट के निवल निवेश का हिस्सा बनते हैं, उन्हें रिपोर्टिंग यूनिट के अलग-अलग वित्तीय विवरणों या विदेशी परिचालन के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में यथा उपयुक्त लाभ या हानि में रिकार्ड किया जाता है। जिन वित्तीय विवरणों में विदेशी परिचालन और रिपोर्टिंग यूनिट शामिल है (उदाहरण के लिए, समेकित वित्तीय विवरण जब विदेशी परिचालन एक सहायक कंपनी है), ऐसे विनिमय अंतर शुरू में ओसीआई में माने जाते हैं। इन विनिमय अंतरों को निवल निवेश के निपटान पर इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

समेकन पर, विदेशी परिचालन की संपत्ति और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय रुपये में रूपांतरित किया जाता है और उनके लाभ या हानि के विवरण लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दरों पर रूपांतरित किए जाते हैं। व्यावहारिक कारणों से, समूह आय और व्यय मदों का रूपांतरित करने के लिए औसत दर का उपयोग करता है, यदि औसत दर लेनदेन की तारीखों पर विनिमय दरों का अनुमान लगाती है। समेकन के लिए रूपांतरित पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। किसी विदेशी परिचालन के निपटान पर, उस विशेष विदेशी परिचालन से संबंधित ओसीआई के घटक को लाभ या हानि में माना जाता है।

1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद किसी विदेशी परिचालन के अधिग्रहण/व्यापार संयोजन में उत्पन्न होने वाली कोई साख और अधिग्रहण पर उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों की लागत राशियों के लिए किसी भी उचित मूल्य समायोजन को विदेशी परिचालन की संपत्ति और देनदारियों के रूप में माना जाता है और रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय की हाजिर दर पर रूपांतरित किया जाता है।

7. वस्तुसूची

7.1 कच्चा माल और प्रक्रियाधीन स्टॉक

7.1.1 कच्चे तेल सहित कच्चे माल का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। प्रगति में कार्य का मूल्यांकन कच्चे माल की लागत और प्रसंस्करण लागत के अनुसार लागू होता है या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। मार्गस्थ कच्चे तेल का मूल्यांकन लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

7.1.2 माल की प्रारंभिक लागत में कच्चे माल की खरीद के संबंध में ओसीआई में मान्यता प्राप्त योग्य नकदी प्रवाह बचाव पर लाभ और हानि का अंतरण शामिल है।

7.2 तैयार उत्पाद और प्रक्रियाधीन स्टॉक

7.2.1 लुब्रिकेंट्स के अलावा तैयार उत्पाद और व्यापार में स्टॉक का मूल्य 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउटफ के आधार पर या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित किया जाता है। तैयार उत्पादों की लागत कच्चे माल की लागत और प्रसंस्करण लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है।

7.2.2 लुब्रिकेंट्स का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। आंतरिक रूप से उत्पादित लुब्रिकेंट्स की लागत इनपुट और प्रसंस्करण लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है।

7.2.3 पारगमन में आयातित उत्पादों का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी..)

7.3 स्टोर्स और स्पेयर्स

7.3.1 स्टोर्स और स्पेयर्स (रसायन, पैकिंग कंटेनर यानी खाली बैरल, टिन आदि सहित)) का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है। मूल्य में संभावित कमी के लिए निर्धारित अप्रचलित स्टोर्स और पुर्जों और रसायनों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, मूल्य में संभावित कमी की दिशा में बैलेंस स्टोर्स और स्पेयर्स (बैरल, टिन, ट्रांजिट में स्टोर, रसायन/उत्प्रेरक, कच्चा तेल, और स्वयं के उत्पादों को छोड़कर) पर लागत का 5% की दर से प्रावधान किया गया है।

7.3.2 ट्रांजिट में स्टोर्स और स्पेयर्स का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

8.1 प्रावधान

प्रावधानों को तब माना जाता है जब समूह के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप मौजूदा दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो, तो यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्गमन होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान हो सकता है।

8.2 डीकमीशनिंग का दायित्व

अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करते हुए दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित लागत के मौजूदा मूल्य पर डिकमीशनिंग लागत प्रदान की जाती है और विशेष संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में माना जाता है। नकदी प्रवाह को मौजूदा कर-पूर्व दर पर छूट दी जाती है जो कि डिकमीशनिंग देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। छूट की समाप्ति को व्यय के रूप में खर्च किया जाता है और वित्तीय लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में रिकार्ड किया जाता है। डिकमीशनिंग की अनुमानित भावी लागत की सालाना समीक्षा की जाती है और यथा उपयुक्त समायोजित किया जाता है। अनुमानित भावी लागत या लागू छूट दर में परिवर्तन को परिसंपत्ति की लागत में समायोजित किया जाता है।

8.3 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

8.3.1 विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को आम तौर पर दायित्व नहीं माना जाता है। जब ऐसे कारण बताओ नोटिस के समक्ष मांग नोटिस जारी किए जाते हैं और समूह द्वारा उन पर विवाद किया जाता है, तो उन्हें विवादित दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

8.3.2 विवादित दायित्वों के संबंध में व्यवहार निम्नानुसार है:

क) वर्तमान दायित्वों के संबंध में एक प्रावधान माना जाता है जहां उपरोक्त 8.1 के अनुसार संसाधनों का बहिर्गमन संभावित हो;

ख) अन्य सभी मामलों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना दूर की कोड़ी हो।

8.3.4 आकस्मिक परिसंपत्ति का प्रकटन वहां किया जाता है जहां आर्थिक लाभ की प्राप्ति संभावित हो।

8.3.5 आकस्मिक देनदारियों/परिसंपत्तियों का प्रकटन प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर उनकी समीक्षा की जाती है।

9. राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से आय

9.1 समूह तेल और गैस परिचालन के कारोबार में है और यह मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री से आय अर्जित करता है। इसके अलावा, समूह अन्य व्यवसायों से भी आय अर्जित करता है जिसमें गैस, अन्वेषण और उत्पादन आदि शामिल हैं।

समूह ने आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि कुछ एजेंसी सेवाओं को छोड़कर, यह अपनी आय व्यवस्था में प्रमुख है, क्योंकि यह आम तौर पर ग्राहकों को हस्तांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करती है।

समूह इस बात पर विचार करता है कि क्या अनुबंध में अन्य वादे हैं जो अलग-अलग निष्पादन दायित्व हैं जिनके लिए लेनदेन मूल्य के एक हिस्से को आवंटित करना है (उदाहरण के लिए, ग्राहक निष्ठा अंक)। उत्पादों की बिक्री के लिए लेन-देन मूल्य का निर्धारण करने में, समूह परिवर्तनीय प्रतिफल के प्रभावों, महत्वपूर्ण वित्तीय घटकों के अस्तित्व, गैर-नकद प्रतिफल और ग्राहक को देय प्रतिफल पर विचार करता है (यदि कोई हो)।

9.2 पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, कच्चे तेल और गैस की बिक्री से प्राप्त राजस्व को एक निश्चित समय, आम तौर पर उत्पादों की डिलीवरी के समय निर्धारित किया जाता है। डीलरों और सेवा संविदाओं से गैर-वापसी योग्य जमाराशियों के मामले में समूह इनपुट पद्धति (कालातीत समय के आधार पर) का उपयोग करते हुए समय के साथ राजस्व को निर्धारित करता है। निर्माण संविदाओं के मामले में, राजस्व और लागत को लागत और संविदा की कुल लागत की तुलना करते हुए इनपुट पद्धति का उपयोग करते हुए संविदा की प्रगति को मापकर निर्धारित किया जाता है।

9.3 समूह ने यह माना है कि उत्पाद शुल्क की वसूली समूह को उसके स्वयं के खाते में प्राप्त होगी। यह इस कारण से है कि यह निर्माता का दायित्व है जो उत्पादन की लागत का हिस्सा होता है, भले ही माल बेचा गया हो या नहीं। चूंकि उत्पाद शुल्क की वसूली कंपनी के अपने खाते में आती है, अतः आय में उत्पाद शुल्क शामिल है।

हालांकि, बिक्री कर/माल और सेवा कर (जीएसटी) और मूल्य वर्धित कर (वैट) कंपनी को अपने खाते में प्राप्त नहीं होता है। बल्कि, यह सरकार की ओर से विक्रेता द्वारा उत्पाद में जोड़े गए मूल्य पर कर एकत्र किया जाता है। तदनुसार, इसे आय से बाहर रखा गया है।

9.4 परिवर्तनीय विचार

इस अवधि के दौरान खरीदे गए उत्पादों की मात्रा अनुबंध में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाने पर समूह कुछ ग्राहकों को मात्रा छूट प्रदान करता है। ग्राहक द्वारा देय राशियों के सामने छूट की भरपाई की जाती है। वॉल्यूम छूट/नकद छूट परिवर्तनीय प्रतिफल को जन्म देती है। अपेक्षित भावी छूट/नकद छूट के लिए परिवर्तनशील प्रतिफल का अनुमान लगाने के लिए, समूह एकल-वॉल्यूम सीमा वाले अनुबंधों के लिए सबसे संभावित राशि पद्धति और एक से अधिक वॉल्यूम सीमा वाले अनुबंधों के लिए अपेक्षित मूल्य पद्धति को लागू करता है। चयनित विधि, जो परिवर्तनीय प्रतिफल की राशि का सर्वोत्तम पूर्वानुमान लगाती है, मुख्य रूप से संविदा में निहित मात्रा सीमाओं की संख्या द्वारा संचालित होती है और तदनुसार, समूह परिचालन से प्राप्त राजस्व में उपयुक्त समायोजन के साथ अपेक्षित भविष्य की छूट के लिए धन वापसी दायित्व को निर्धारित करता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी..)

9.5 लॉयल्टी प्वाइंट

समूह विभिन्न लॉयल्टी प्वाइंट योजनाओं का संचालन करता है। ग्राहक निष्ठा अंकों को आवंटित लेनदेन मूल्य उनके सापेक्ष अनुमानित स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर आधारित होता है और इसे माल की बिक्री आय से घटा दिया जाता है। ग्राहक निष्ठा अंकों के स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य का अनुमान लगाते समय, विकल्प का प्रयोग करने की संभावना को समायोजित किया जाता है। जहां कहीं भी समूह इस व्यवस्था में एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, वहां कंपनी आय को शुद्ध आधार पर मानती है।

10. उत्पाद शुल्क

उत्पाद शुल्क का लेखा-जोखा दोनों के आधार पर किया जाता है, माल की निकासी के संबंध में किए गए भुगतान के साथ-साथ स्टॉक में पड़े माल के लिए किए गए प्रावधान। स्टॉक के मूल्य में जहां भी लागू हो, तैयार माल पर देय / भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क शामिल है।

11. आय पर कर

11.1 मौजूदा आयकर

मौजूदा कर राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं जहां से समूह संचालित होता है और कर योग्य आय उत्पन्न करता है।

लाभ या हानि के बाहर निर्धारित प्राप्त मदों से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि के बाहर निर्धारित किया जाता है (अन्य समग्र आय में या इक्विटी में)। प्रबंधन समय-समय पर लागू कर विनियमों के संबंध में कर विवरणी में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है जो व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करता है।

11.2 आस्थगित कर

11.2.1 आस्थगित कर का प्रावधान तुलन-पत्र पद्धति का उपयोग करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी रखाव राशियों के बीच अस्थायी अंतरों पर रिपोर्टिंग तारीख पर किया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए निर्धारित किया जाता है, सिवाय -

(क) जब आस्थगित कर देयता साख की प्रारंभिक मान्यता या एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता जो एक व्यावसायिक संयोजन नहीं है उससे उत्पन्न होती है और लेनदेन के समय न तो लेखांकन लाभ या हानि और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करती है;

(ख) सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में हितों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में, जब अस्थायी अंतरों के रिवर्सल के समय को नियंत्रित किया जा सकता है और यह संभव है कि अस्थायी अंतरों का निकट भविष्य में रिवर्सल नहीं होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, आगे लाए गए अप्रयुक्त कर क्रेडिट और किसी भी अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मानी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक माना जाता है कि इसकी संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ प्राप्त होगा जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी अंतर, और आगे लाए गए अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब-

(क) कटौती योग्य अस्थायी अंतर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति किसी ऐसे लेनदेन में परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होती है जो व्यावसायिक संयोजन नहीं है और लेन-देन के समय, न तो लेखांकन लाभ या हानि और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

(ख) सहायक कंपनियों, सहयोगियों में निवेश से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतर और संयुक्त उद्यमों में ब्याज के संबंध में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस हद तक माना जाता है कि यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट जाएगा और कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके सामने अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर मापा जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

11.2.2 लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (अन्य समग्र आय या इक्विटी में) के बाहर माना जाता है।

12. कर्मचारी हित लाभ

12.1 अल्पावधि हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी अनुलाभों का लेखा लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि के लिए किया जाता है, जिसके दौरान सेवाएं प्रदान की गई हों।

12.2 रोज़गार के बाद के हित लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

क) भविष्य निधि में कंपनी का योगदान पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित अलग-अलग ट्रस्टों को प्रेषित किया जाता है और लाभ और हानि / सीडब्लयूआईपी के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है। सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिलाभ दर के आधार पर निधि परिसंपत्तियों में कमी होने पर उसे समूह द्वारा पूरा किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण/ सीडब्ल्यूआईपी पर प्रभारित किया जाता है।

ख) समूह ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, पुनर्वास, सम्मान योजना, अनुग्रह राशि और एओडी पेंशन फंड के लिए परिभाषित हित लाभ योजनाओं का संचालन करता है। इस तरह के परिभाषित हित लाभ प्रदान करने की लागत वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए निर्धारित की जाती है। इन योजनाओं में से, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और एओडी पेंशन फंड संबंधित ट्रस्टों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

ग) वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हित लाभों जैसे छुट्टी नकदीकरण और दीर्घ सेवा पुरस्कारों पर दायित्व प्रदान किए जाते हैं। इन दायित्वों में से, छुट्टी नकदीकरण दायित्वों को बीमा कंपनियों के साथ बनाई गई योग्य बीमा पॉलिसियों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी..)

घ) समूह अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए एक परिभाषित योगदान योजना भी संचालित करता है और योगदान एक अलग ट्रस्ट/कॉर्पोरेट एनपीएस को प्रेषित किया जाता है।

12.3 पुनर्मापन:

बीमांकिक लाभ और हानि, परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव (निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) और योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) सहित पुनर्माप को तुलन-पत्र में तुरंत रिकार्ड किया जाता है, जिसके साथ जिस अवधि में ये होते हैं उसमें अन्य समग्र आय (ओसीआई) के माध्यम से प्रतिधारित आय के लिए संबंधित डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। बाद की अवधियों में पुनर्माप को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता। अन्य दीर्घकालिक लाभों के संबंध में पुनर्माप को लाभ और हानि के विवरण में माना जाता है।

13. अनुदान

13.1 परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान (पूंजीगत अनुदान)

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्ति की लागत सकल मूल्य पर दर्शाई जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आमतौर पर अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में 'अन्य परिचालन राजस्व' के रूप में निर्धारित किया जाता है और उस अनुपात में जिसमें मूल्यह्रास लगाया जाता है।

13.2 आय से संबंधित अनुदान (राजस्व अनुदान)

राजस्व अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान माना जाता है जिसमें यूनिट संबंधित लागत के रूप में रिकार्ड करती है जिसके लिए अनुदान की भरपाई करने का इरादा है।

सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित योजनाओं के अनुसार, जहां भी लागू हो, अंतिम समायोजन के अधीन, कम वसूली के लिए सब्सिडी और बजटीय सहायता को 'परिचालन से आय' में रिकार्ड किया जाता है।

राजस्व अनुदान को आम तौर पर पूर्वोत्तर उत्पाद शुल्क छूट को छोड़कर, जिसे संबंधित व्यय के साथ घटा दिया जाता है, 'अन्य परिचालन राजस्व' के अंतर्गत दर्ज किया जाता है।

13.3 जब ऋण या इसी तरह की सहायता सरकारों या संबंधित संस्थानों द्वारा मौजूदा लागू बाजार दर या शून्य ब्याज दर से कम ब्याज दर के साथ प्रदान की जाती है, तो इस अनुकूल ब्याज के प्रभाव को सरकारी अनुदान माना जाता है। ऋण या सहायता को शुरू में उचित मूल्य पर माना और मापा जाता है और सरकारी अनुदान को ऋण के प्रारंभिक लागत मूल्य और प्राप्त आय के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। ऋण को बाद में वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है। अनुदान का वर्गीकरण अनुदान के नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है अर्थात चाहे अनुदान संपत्ति से संबंधित हो या अन्यथा।

14. तेल और गैस अन्वेषण गतिविधियां

14.1 अधिग्रहण-पूर्व लागत:

तेल और गैस का पता लगाने, विकसित करने और उत्पादन करने के अधिकार (अधिकारों) को प्राप्त करने से पहले किए गए व्यय को खर्च होने समायोजन किया जाता है।

14.2 अन्वेषण चरण:

अन्वेषण के तहत परियोजनाओं से संबंधित अधिग्रहण लागत को शुरू में 'विकासशील अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में गिना जाता है। तेल और गैस परिसंपत्तियों पर व्यय, जिसे अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, में अन्वेषण के लिए अधिग्रहित अधिकार और अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग लागत शामिल है।

तेल और गैस की खोज में किए गए सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण गतिविधियों की लागत को उस वर्ष में अन्वेषण लागत के रूप में खर्च किया जाता है जिसमें ये खर्च किए जाते हैं।

यदि परियोजना तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर व्यवहार्य नहीं है, तो अन्वेषणीय कुओं से संबंधित सभी लागतों को उस वर्ष में खर्च किया जाता है जब सूख जाना निर्धारित हो। यदि परियोजना व्यवहार्य साबित होती है, तो अन्वेषणीय कुओं की ड्रिलिंग से संबंधित सभी लागतों को 'विकासशील अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में प्रस्तुत करना जारी रखा जाएगा।

14.3 विकास चरण:

विकास चरण के तहत परियोजनाओं से संबंधित अधिग्रहण लागत को जारी 'पूंजीगत कार्य प्रगति' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब कोई कुआं वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार होता है, तो प्रमाणित विकसित तेल और गैस भंडार के अनुरूप पूंजीकृत लागत को पूरे हुए कुओं/उत्पादन वाले कुओं के रूप में पूंजीगत कार्य-प्रगति विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति से सकल ब्लॉक संपत्तियां में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। तेल और गैस संपत्तियों के उदाहरण जिन्हें मूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनमें विकास ड्रिलिंग लागत, पाइपिंग और पंप और उत्पादित कुएं शामिल हैं।

14.4 उत्पादन चरण:

उत्पादन लागत में मूल्यह्रास सहित प्री-वेल हेड और पोस्ट-वेल हेड खर्च शामिल हैं और सहायक उपकरण और सुविधाओं की लागू परिचालन लागत को हटा दिया गया है।

साबित और विकसित भंडारों के आधार पर उत्पादन पद्धति की यूनिट का उपयोग करते हुए कमी की गणना की जाती है।

14.5 परित्याग चरण:

विकास/उत्पादन चरण के मामले में, परित्याग/डिकमिशनिंग राशि को अनुमानित भावी व्यय के मौजूदा मूल्य पर माना जाता है। छूट को समाप्त करने के अलावा अनुमानित डीकमीशनिंग व्यय के मौजूदा मूल्य में कोई भी परिवर्तन डिकमिशनिंग प्रावधान और संबंधित परिसंपत्ति के लागत मूल्य में समायोजित किया जाता है। प्रावधान पर छूट को समाप्त करना लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में लगाया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी..)

14.6 अन्वेषण व उत्पादन परिसंपत्तियों की क्षति:

14.6.1 विकास और उत्पादक परिसंपत्तियों के मामले में क्षति परीक्षण

अन्वेषण व उत्पादन से संबंधित विकास और उत्पादक परिसंपत्तियों के मामले में, तेल और प्राकृतिक गैस की भावी कीमतों, उत्पादन की मात्रा, प्रमाणित और संभावित आरक्षित मात्रा और छूट दर के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान का उपयोग करते हुए अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है। उपयोग की अवधारणा में मूल्य के आधार पर अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है। उपयोग में मूल्य अनुमानित तेल या गैस उत्पादन प्रोफाइल द्वारा उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह पर आधारित है, जो प्रत्येक उत्पादक क्षेत्र के उत्पादन की समाप्ति की अपेक्षित तारीखों तक है, प्रमाणित और संभावित भंडार के मौजूदा अनुमानों और उचित और समर्थन योग्य वित्तीय अनुमानों के आधार पर है जो मौजूदा आर्थिक स्थितियों की सीमा के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान दर्शाते हैं जो परिसंपत्ति के शेष उपयोगी कालावधि तक रहेंगे। प्रबंधन परिसंपत्ति की शेष उपयोगी कालावधि पर आर्थिक स्थितियों की सीमा का दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेता है और आर्थिक स्थितियों में अपेक्षाकृत अल्पकालिक परिवर्तनों पर आधारित नहीं होता है। तथापि, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों की क्षति पैरा 14.6.2 के अनुसार की जानी है।

14.6.2 अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के मामले में क्षति

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों का परीक्षण क्षति के लिए किया जाता है जहां क्षति के लिए संकेतक मौजूद होता है। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि की गणना करते समय, 14.6.1 में उल्लिखित कारकों के अलावा, संबंधित निहित जोखिमों को उचित रूप से समायोजित करने के बाद प्रबंधन के कुल मौजूदा भंडार और संसाधनों के सर्वोत्तम अनुमान (संभावित और आकस्मिक आरक्षित सहित) पर विचार किया जाता है। क्षति हानि को बाद में उलट दिया जाता है, इस हद तक कि क्षति की स्थितियां अब मौजूद नहीं हैं।

14.6.3 नकदी अर्जित करने वाली यूनिट

ई एंड पी परिसंपत्तियों के मामले में, समूह आम तौर पर एक परियोजना को नकदी अर्जन करने वाली यूनिट के रूप में मानता है। हालांकि, ऐसे मामले में जहां कई क्षेत्र सामान्य उत्पादन/परिवहन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और पर्याप्त रूप से आर्थिक रूप से अन्योन्याश्रित हैं, वहां उन्हें एकल नकद उत्पादन यूनिट का गठन माना जाता है।

14.7 समूह संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली तेल और गैस परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा रखता है, जिसमें वह गैर-प्रचालक है और केवल भागीदारी हित रखता है, जो परिसंपत्तियों के संचालक द्वारा अपनाए गए लेखांकन अनुमानों और निर्णयों पर आधारित है।

15. मौजूदा बनाम गैर-मौजूदा वर्गीकरण

समूह बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण का निर्धारण करने के लिए बारह महीने की अवधि का उपयोग करता है।

16. वित्तीय लिखतें

16.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की जाती हैं, तो उन वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित लेनदेन लागतों को भी शामिल किया जाता है। हालाँकि, जिन व्यापारिक प्राप्य राशियों में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित लेनदेन लागतों को, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, लाभ और हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

बाद के मापन

बाद के माप के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- अन्य समग्र आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज
- अन्य समग्र आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी दस्तावेज़
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां और डेरिवेटिव्ज (एफवीटीपीएल)

16.1.1 परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है बशर्ते निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों-

क) परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों को जन्म देती हैं जो मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया मूलधन पर होता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ या हानि में निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाली आय या व्यय को लाभ और हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

16.1.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण दस्तावेज

मऋण दस्तावेजफ को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाए:

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करते हुए और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान का निरूपण करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण दस्तावेजों को शुरू में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य बदलावों को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में रिकार्ड किया जाता है। हालांकि, कंपनी लाभ और हानि के विवरण में ब्याज आय, हानि हानि और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मानती है। परिसंपत्ति का मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से रिकार्ड संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण दस्तावेजों को अधिकार में लेते हुए अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

16.1.3 इक्विटी लिखत

क. एफवीटीओसीआई में संयुक्त उद्यमों में शेयर वारंट

संयुक्त उद्यमों के शेयर वारंटों में निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है और समूह ने अन्य समग्र आय में उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव किया है।

ख. एफवीटीओसीआई में अन्य संस्थाओं में इक्विटी लिखत

ऐसे सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और समूह ने अन्य समग्र आय में उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने का अपरिवर्तनीय चुनाव किया है। निवेश की बिक्री पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण में राशियों का कोई रसाइक्ल नहीं होता है।

ग. जब समूह का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तो लाभांश आय को लाभ और हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

16.1.4 एफवीटीपीएल पर ऋण दस्तावेज़ और डेरिवेटिव्ज़

एफवीटीपीएल ऋण दस्तावेज़ों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण दस्तावेज़, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इस श्रेणी में समूह द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखत भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा निर्धारित बचाव संबंधों में बचाव लिखतों के रूप में नामित नहीं किया गया है। श्रेणी में शामिल ऋण लिखतों को लाभ और हानि के विवरण में निर्धारित सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। ऐसे लिखतों पर ब्याज आय को ब्याज आय के तहत प्रस्तुत किया गया है।

16.1.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

समूह वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनर्जक हानि के मापन और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करता है, जिसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जैसे कि ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष। अवधि के दौरान निर्धारित ईसीएल अनर्जक हानि भत्ता (या इसके विपरीत) को लाभ और हानि के विवरण में व्यय / आय / के रूप में निर्धारित की जाती है। तुलन-पत्र में, ईसीएल को एक भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी, तुलन-पत्र में उन परिसंपत्तियों के मापन के एक अभिन्न अंग के रूप में। यह भत्ता निवल रखाव राशि को कम करता है। जब तक परिसंपत्ति अपलिखित मानदंड को पूरा नहीं करती है, तब तक समूह सकल रखाव राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करता है।

सरलीकृत दृष्टिकोण

समूह व्यापार प्राप्तियों पर अनर्जक हानि भत्ते को निर्धारित करने के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करता है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए समूह को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर आजीवन ईसीएल के आधार पर अनर्जक हानि भत्ते को इसकी प्रारंभिक पहचान से ही निर्धारित करता है।

व्यावहारिक सुविधा के रूप में, समूह अपने व्यापार प्राप्य के पोर्टफोलियो पर अनर्जक हानि भत्ता निर्धारित करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करता है। प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्य के अपेक्षित जीवनकाल में ऐतिहासिक रूप से देखी गई चूक दरों पर आधारित है और इसे भविष्य-उन्मुख अनुमानों के लिए समायोजित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर, ऐतिहासिक रूप से देखी गई चूक दरों को अद्यतन किया जाता है और भविष्य-उन्मुख अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। उस आधार पर, समूह रिपोर्टिंग तारीख के व्यापार प्राप्य पर प्रावधान का अनुमान लगाता है।

सामान्य दृष्टिकोण

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम पर क्षति हानि की पहचान के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो 12-महीने के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि के लिए किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया हो, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, दस्तावेज की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो, तो यूनिट 12-महीने के ईसीएल के आधार पर क्षति हानि भत्ता को मान्य करने के लिए वापस आ जाती है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय दस्तावेज की अपेक्षित कालावधि पर सभी संभावित चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली अपेक्षित क्रेडिट हानि है। 12-महीने का ईसीएल, आजीवन ईसीएल का एक हिस्सा है, जो डिफ़ॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभव है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी..)

16.2 वित्तीय देयताएं

16.2.1 प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर माना जाता है और देनदारियों के मामले में बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, उन्हें सीधे जिम्मेदार निवल लेनदेन लागत पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियों के मामले में, लेनदेन लागत सीधे वित्त के अधिग्रहण के कारण होती है लाभ और हानि के विवरण में सामाजिक देनदारियों को तुरंत मान्य किया जाता है।

समूह की वित्तीय देनदारियों में वित्तीय गारंटी अनुबंध और डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेजों सहित व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं।

16.2.2 बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा नीचे वर्णित है-

क. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देनदारियां और लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज़ भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग दस्तावेज़ों के रूप में नामित नहीं किया गया है।

व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में रिकार्ड किया जाता है।

ख. परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं जो व्यापार के लिए धारित नहीं हैं और जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नामित नहीं किया गया है, को बाद की लेखा अवधि के अंत में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय देनदारियों की वहन मात्रा जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। लाभ और हानि को देनदारियों को अमान्य करते हुए और ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि के विवरण में रिकार्ड किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआइआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग. वित्तीय गारंटी संविदाएं

समूह द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदा वे संविदाएं हैं, जिनमें धारक को उस नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जो उसे इसलिए होता है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण साधन की शर्तों के अनुसार देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को शुरू में उचित मूल्य पर देयता के रूप में निर्धारित किया जाता है, जिसे सीधे गारंटी जारी करने के लिए जिम्मेदार लेनदेन लागत के लिए समायोजित किया जाता है। इसके बाद, देयता को भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि और भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित संचयी आय को घटाकर शुरू में निर्धारित राशि में से जो भी अधिक हो, उस पर मापा जाता है।

16.3 डेरिवेटिव लिखित - प्रारंभिक मान्यता / अनुवर्ती मापन

डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों को शुरू में उस तारीख पर उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है जिस दिन डेरिवेटिव संविदा में किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। डेरिवेटिव के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों के लिए लेखांकन बचाव लिखतों के रूप में डेरिवेटिव के नाम या गैर-नाम पर निर्भर करता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तो डेरिवेटिव को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में और जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है तो वित्तीय देनदारियों के रूप में रखा जाता है।

16.3.1 डेरिवेटिव जिन्हें हैज साधन के रूप में माना गया है।

समूह आम तौर पर पूरी संविदा को बचाव-व्यवस्था लिखत के रूप में नामित करता है और इन बचाव-व्यवस्थाओं को नकद प्राप्ति बचाव के रूप में हिसाब में लिया जाता है। बचाव संबंध की शुरुआत में, समूह उस बचाव संबंध का दस्तावेजीकरण करता है जिस पर समूह बचाव लेखांकन लागू करना चाहता है, जोखिम प्रबंधन उद्देश्य, बचाव करने की रणनीति, बचाव-व्यवस्था/आर्थिक संबंध, बचाव की गई वस्तु या लेनदेन, बचाव किए जा रहे जोखिम की प्रकृति, बचाव-व्यवस्था अनुपात और संस्था बचाव किए गए जोखिम के कारण बचाव किए गए मद के उचित मूल्य या नकद प्राप्ति में परिवर्तन के जोखिम को ऑफसेट करने में बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों की प्रभावशीलता का आकलन किस तरह करेगी।

इन डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तनों का प्रभावी हिस्सा अन्य समग्र आय में निर्धारित किया जाता है और इक्विटी के भीतर नकदी प्राप्ति बचाव रिजर्व शीर्ष के तहत संचित किया जाता है। अप्रभावी हिस्से से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत निर्धारित किया जाता है। ओसीआई में पहले से निर्धारित और प्रभावी हिस्से से संबंधित इक्विटी में संचित राशियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जब अरक्षित मद लाभ या हानि को प्रभावित करता है, निर्धारित बचाव मदों के समान लाइन आइटम में या आधार समायोजन के रूप में माना जाता है यदि अरक्षित पूर्वानुमानित लेनदेन के परिणामस्वरूप

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां
टिप्पणी-1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी..)

बाद में एक गैर-वित्तीय परिसंपत्ति या गैर-वित्तीय देयता की पहचान होती है। जब किसी पूर्वानुमानित लेनदेन के होने की उम्मीद नहीं रहती है, तो इक्विटी में संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

16.3.2 डेरिवेटिव जिन्हें हैज लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

कंपनी जोखिमों को बचाव करने के लिए कुछ डेरिवेटिव अनुबंधों में शामिल होती है जिन्हें हेजेज़ के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस तरह के अनुबंधों को लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर हिसाब किया जाता है और अन्य आय या अन्य व्यय में क्रमशः डेरिवेटिव पर लाभ या डेरिवेटिव पर हानि के रूप में शामिल किया जाता है।

17. नकद और नकद समतुल्य

तुलन-पत्र में नकद और नकद समतुल्य में बैंकों में नकद और हाथ में और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट (खाते में ऋणात्मक शेष) को वित्तीय देनदारियों के तहत अल्पकालिक उधार के तहत दिखाया गया है और उस खाते में पाजिटिव शेष राशि को नकद और नकद समतुल्य में दिखाया गया है।

18. ट्रेजरी शेयर

समामेलन की योजना के अनुसार, आईओसीएल द्वारा आईबीपी और बीआरपीएल विलय के संबंध में ट्रेजरी शेयर रखने के लिए आईओसी शेयर ट्रस्ट की स्थापना की गई है। आईओसी शेयर ट्रस्ट द्वारा रखे गए शेयरों को ट्रेजरी शेयरों के रूप में माना जाता है।

स्वयं के इक्विटी दस्तावेज़ जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है (ट्रेज़री शेयर) लागत पर रिकार्ड किए जाते हैं और इक्विटी से घटाए जाते हैं। समूह के स्वयं के इक्विटी दस्तावेजों की खरीद, बिक्री, निर्गम या रद्दीकरण पर लाभ और हानि के विवरण में किसी लाभ या हानि को रिकार्ड नहीं किया गया है।

19. व्यापार संयोजन और साख

19.1 पहली बार अपनाने से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 101 प्रावधानों के अनुसार, समूह ने 1 अप्रैल 2013 से संभावित रूप से व्यापार संयोजनों के लिए भारतीय लेखांकन मानक लागू करना चुना है। इस प्रकार, उस तिथि से पहले दर्ज किए गए व्यापार संयोजनों से संबंधित भारतीय जीएएपी शेष, साख सहित, न्यूनतम समायोजन के साथ आगे बढ़ाया गया है। वही पहली बार अंगीकृत छूट का उपयोग सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के लिए भी किया जाता है।

19.2 व्यावसायिक संयोजनों का हिसाब अधिग्रहण पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है। अधिग्रहण की लागत को अधिग्रहण की तारीख के उचित मूल्य पर हस्तांतरित प्रतिफल के योग और अधिग्रहणकर्ता में किसी भी अनियंत्रित ब्याज की राशि के रूप में मापा जाता है। प्रत्येक व्यावसायिक संयोजन के लिए, समूह यह चुनाव करता है कि अधिग्रहणिती में अनियंत्रित ब्याज को उचित मूल्य पर या अधिग्रहणिती की पहचान योग्य शुद्ध संपत्ति के आनुपातिक हिस्से पर मापना है या नहीं। अधिग्रहण से संबंधित लागत व्यय के रूप में खर्च की जाती है।

अधिग्रहण की तारीख पर, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को उनके अधिग्रहण की तारीख के उचित मूल्यों पर निर्धारित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, ग्रहण की गई देनदारियों में वर्तमान दायित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली आकस्मिक देनदारियां शामिल हैं और उन्हें उनके अधिग्रहण उचित मूल्यों पर मापा जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित नहीं है। हालांकि, एक व्यापार संयोजन में अर्जित निम्नलिखित संपत्ति और देनदारियों को नीचे दिए गए आधार पर मापा जाता है: हालांकि, आस्थगित कर परिसंपत्तियां या देयताएं, कर्मचारी अनुलाभ व्यवस्था से संबंधित परिसंपत्तियां या देयताएं, अधिग्रहिती की शेयर-आधारित भुगतान व्यवस्था से संबंधित देयताएं या इक्विटी लिखत/ अधिग्रहिती की भुगतान व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए समूह की शेयर-आधारित भुगतान व्यवस्थाएं तथा बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) का लेखा-जोखा संबंधित भारतीय लेखा मानक के अनुसार किया जाता है।

यदि व्यवसाय संयोजन चरणों में पूरा किया जाता है, तो पहले से धारित किसी भी इक्विटी हिस्सेदारी को उसके अधिग्रहण की तारीख के उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है और परिणामस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ या हानि या ओसीआई में, जो उपयुक्त हो, निर्धारित किया जाता है।

अधिग्रहणकर्ता द्वारा हस्तांतरित किए जाने वाले किसी भी आकस्मिक प्रतिफल को अधिग्रहण तारीख पर उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। एक परिसंपत्ति या देयता के रूप में वर्गीकृत आकस्मिक प्रतिफल जो एक वित्तीय लिखत है और भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखतों के दायरे में है, को लाभ या हानि में निर्धारित उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्यथा, इसे उचित भारतीय लेखा मानक के अनुसार मापा जाता है और आकस्मिक प्रतिफल जिसे इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उसे बाद की रिपोर्टिंग तारीखों पर फिर से नहीं मापा जाता है और उसके बाद के निपटान को इक्विटी के भीतर हिसाब में लिया जाता है।

19.3 साख को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जो हस्तांतरित प्रतिफल और अनियंत्रित ब्याज के लिए मान्य राशि, और अर्जित निवल पहचान योग्य परिसंपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों पर किसी पिछले ब्याज से अधिक है। यदि अर्जित निवल संपत्ति का उचित मूल्य हस्तांतरित कुल प्रतिफल से अधिक है, तो समूह पुनर्मूल्यांकन करता है कि क्या उसने अर्जित की गई सभी परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई सभी देनदारियों की सही पहचान की है और होने वाली राशियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है। अधिग्रहण की तारीख पर मान्यता प्राप्त है। यदि पुनर्मूल्यांकन अभी भी हस्तांतरित कुल प्रतिफल पर अर्जित शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होता है, तो लाभ को ओसीआई में निर्धारित किया जाता है और पूंजी रिजर्व के रूप में इक्विटी में जमा किया जाता है। हालांकि, अगर सौदेबाजी की खरीद का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है, तो यूनिट ओसीआई के माध्यम से इसे रूट किए बिना पूंजी रिज़र्व के रूप में सीधे इक्विटी में लाभ को पहचानती है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, साख को किसी भी संचित हानि नुकसान को घटाकर लागत पर मापा जाता है। क्षति परीक्षण के प्रयोजन के

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी-1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी..)

लिए, व्यवसाय संयोजन में अर्जित साख, अधिग्रहण की तारीख से, समूह की प्रत्येक नकद-उत्पादक यूनिटों को आवंटित की जाती है, जिन्हें संयोजन से लाभ होने की उम्मीद है, भले ही अधिग्रहणिती की अन्य संपत्ति या देनदारियों को उन यूनिटों को सौंपा गया है या नहीं। जिस नकद अर्जित करने वाली यूनिट को साख आवंटित की गई है, उसकी वार्षिक क्षति, या अधिक बार के लिए परीक्षण किया जाता है जब कोई संकेत होता है कि यूनिट क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट की वसूली योग्य राशि उसकी लागत राशि से कम है, तो हानि हानि को पहले यूनिट को आवंटित किसी भी साख की लागत राशि को कम करने के लिए आवंटित किया जाता है और फिर यूनिट की अन्य परिसंपत्तियों को लागत राशि के आधार पर यूनिट में प्रत्येक संपत्ति का आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाता है। साख के लिए किसी भी क्षति हानि को लाभ या हानि में निर्धारित किया जाता है। साख के लिए मान्यता प्राप्त एक क्षति हानि को बाद की अवधि में प्रतिवर्तित नहीं किया जाता है।

जहां साख किसी नकदी अर्जक यूनिट को आवंटित की गई है और उस यूनिट के भीतर संचालन के हिस्से का निपटान किया गया है, निपटान पर लाभ या हानि का निर्धारण करते समय निपटाए गए संचालन से जुड़ी साख को संचालन की लागत राशि में शामिल किया जाता है। इन परिस्थितियों में निपटाए गए साख को निपटाए गए संचालन के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर मापा जाता है और नकदी पैदा करने वाली यूनिट के हिस्से को बरकरार रखा जाता है।

यदि किसी व्यावसायिक संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधूरा है जिसमें संयोजन होता है, तो समूह उन मदों के लिए अनंतिम राशि की रिपोर्ट करता है जिनके लिए लेखांकन अधूरा है। उन अनंतिम राशियों को माप अवधि के दौरान साख के माध्यम से समायोजित किया जाता है, या अतिरिक्त संपत्ति या देनदारियों निर्धारित किया जाती है, ताकि अधिग्रहण तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में प्राप्त नई जानकारी को प्रतिबिंबित किया जा सके, यदि ज्ञात हो, तो उस तिथि पर मान्य राशि को प्रभावित किया होगा। इन समायोजनों को माप अवधि समायोजन कहा जाता है। माप की अवधि अधिग्रहण की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं है।

20. अनियंत्रित ब्याज

अनियंत्रित ब्याज सहायक कंपनियों में आय, अन्य समग्र आय और शुद्ध संपत्ति के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है जो कंपनी के शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अनियंत्रित ब्याज को शुरू में अधिग्रहणिती की पहचान योग्य शुद्ध संपत्ति की मान्य राशि के आनुपातिक हिस्से पर मापा जाता है। अधिग्रहण के बाद, अनियंत्रित ब्याज की लागत राशि प्रारंभिक मान्यता पर ब्याज की राशि और इक्विटी में बाद के परिवर्तनों के अनियंत्रित ब्याज की हिस्सेदारी है।

III. 1 अप्रैल, 2024 या उसके बाद से प्रभावी नए मानक/संशोधन और अन्य परिवर्तन

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय अपनी अधिसूचना के माध्यम से नए मानकों को अधिसूचित करने या मौजूदा मानकों में संशोधन करने के लिए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन करता है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसी अधिसूचनाएं इस प्रकार हैं:

- 12 अगस्त 2024 की अधिसूचना जी.एस.आर. 492 (ई) के अनुसार, बीमा अनुबंधों पर भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 104 को हटा दिया गया था और बीमा अनुबंधों पर नए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 117 को अधिसूचित किया गया था। इंड एएस 117 द्वारा बीमा अनुबंध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "एक अनुबंध जिसके अंतर्गत एक पक्ष (जारीकर्ता) किसी निर्दिष्ट अनिश्चित भविष्य की घटना (बीमित घटना) से पॉलिसीधारक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर पॉलिसीधारक को क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत होकर दूसरे पक्ष (पॉलिसीधारक) से महत्वपूर्ण बीमा जोखिम स्वीकार करता है।" समूह के पास बीमा अनुबंध की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला कोई अनुबंध नहीं है और इसलिए नए इंड एएस का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।
- 9 सितंबर 2024 की अधिसूचना जी.एस.आर. 554(ई) के तहत, बिक्री और लीज़-बैक लेनदेन के संदर्भ में लीज़ पर भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116 में संशोधन किए गए हैं। ये लेनदेन ऐसे होते हैं जहाँ एक संस्था (विक्रेता-पट्टेदार) किसी परिसंपत्ति को किसी अन्य संस्था (क्रेता-पट्टादाता) को हस्तांतरित करती है और उस परिसंपत्ति को क्रेता-पट्टादाता से वापस लीज़ पर लेती है। समूह के पास बिक्री और लीज़-बैक लेनदेन की श्रेणी में आने वाला कोई अनुबंध नहीं है, इसलिए संशोधन का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।
- दिनांक 28 सितंबर 2024 की अधिसूचना जी.एस.आर. 602(ई) के तहत, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय लेखा मानक 117 को अधिसूचित किए जाने तक, बीमाकर्ता या बीमा कंपनी को अपने मूल कंपनी या निवेशक या उद्यमकर्ता द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के प्रयोजनार्थ भारतीय लेखा मानक 104 के अनुसार वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने और इस प्रयोजनार्थ भारतीय लेखा मानक 104 को पुनर्जीवित करने हेतु संशोधन किए गए हैं।

  चूँकि समूह कोई बीमाकर्ता या बीमा कंपनी नहीं है, इसलिए संशोधन का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

IV. नए मानक / संशोधन जो जारी किए गए लेकिन अब तक लागू नहीं हुए

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अपनी अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन करता है ताकि नए मानक अधिसूचित किए जा सकें या मौजूदा मानकों में संशोधन किया जा सके। वर्ष के दौरान, कोई भी नया मानक या मौजूदा मानक में संशोधन अधिसूचित नहीं किया गया है जो 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद से लागू होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट- 1ख: लेखांकन अनुमान और निर्णय

समूह के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और साथ के खुलासे और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इनमें वित्तीय दस्तावेज़ों की मान्यता और माप, उपयोगी जीवन का अनुमान और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति के अवशिष्ट मूल्य, आविष्कारों का मूल्यांकन, नकदी पैदा करने वाली यूनिटों की वसूली योग्य मात्रा का माप, कर्मचारी हितलाभ का माप, बीमांकिक धारणाएं, प्रावधान आदि शामिल हैं।

इन अनुमानों और पूर्वानुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भावी अवधियों में प्रभावित परिसंपत्तियों या देनदारियों की लागत राशि के लिए एक तथ्यात्मक समायोजन करना होता है। समूह हाल ही में उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन अनुमानों और पूर्वानुमानों का लगातार मूल्यांकन करता है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को संभावित रूप से लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

क. निर्णय

समूह की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय किए हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शायी राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

तथ्यपरकता

भारतीय लेखांकन मानकों को वित्तीय विवरणों में विभिन्न लेनदेन के लेखांकन और प्रकटीकरण के लिए कंपनी द्वारा तथ्यपरकता के आकलन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, समूह लेखांकन और प्रकटीकरण के लिए विभिन्न मदों के लिए तथ्यपरकता सीमाओं का आकलन करता है और लगातार आधार पर अनुसरण करता है। समग्र तथ्यपरकता का आकलन विभिन्न वित्तीय मापदंडों जैसे कि परिसंपत्तियों का सकल ब्लॉक, परिसंपत्तियों का शुद्ध ब्लॉक, कुल संपत्ति, आय और कर पूर्व लाभ के आधार पर भी किया जाता है। तथ्यपरकता सीमाओं की समीक्षा की जाती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

तेल और गैस भंडार

समूह के अनुमानित तेल भंडार के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों और अनुमानों को लागू करने की आवश्यकता होती है और इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है। भंडारों का अनुमान स्वतंत्र भंडार इंजीनियरिंग रिपोर्ट और भूवैज्ञानिक और इंजीनियरिंग डेटा की उपलब्धता, भंडार प्रदर्शन डेटा, अधिग्रहण और विनिवेश गतिविधि, नए कुओं की ड्रिलिंग, और कमोडिटी की कीमतों जैसे कारकों का उपयोग करते हुए लगाया जाता है, जो समूह के तेल भंडार के अनुमानों के निर्धारण पर प्रभाव डालते हैं। स्वतंत्र भंडार इंजीनियर वार्षिक आधार पर निगम के तेल और प्राकृतिक गैस भंडार का मूल्यांकन करते हैं समूह पारंपरिक उद्योग अभ्यास और नियामक आवश्यकताओं के आधार पर ठोस तकनीकी और वाणिज्यिक आकलन के साथ उचित निश्चितता की आवश्यकता पर अपने सिद्ध भंडार अनुमान निर्धारित करता है। संबंधित प्रकटीकरण के लिए नोट 35 देखें।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

अधिग्रहण लागत और अन्वेषणात्मक कुएं की लागत को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है कि यह पुष्टि करने के लिए कि अन्वेषण ड्रिलिंग अभी भी चल रही है या यह निर्धारित करने के लिए काम निर्धारित किया गया है कि अन्वेषण आर्थिक रूप से व्यवहार्य है एक के आधार पर तकनीकी और वाणिज्यिक विचारों की श्रृंखला और विकास योजनाओं और समय की स्थापना के लिए पर्याप्त/उचित प्रगति की जा रही है। यदि उचित आधारों/समय-सीमाओं पर कोई भावी गतिविधि नियोजित नहीं की जाती है, तो विकास के तहत अमूर्त संपत्ति और संपत्ति अधिग्रहण की लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। क्षेत्र से उत्पादन शुरू होने और साबित भंडार की मान्यता पर, विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में लागत मूल्य को उत्पादक संपत्तियों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। संबंधित प्रकटीकरण के लिए नोट 35 भी देखें।

आकस्मिकताएं

कानूनी, ठेकेदार, भूमि पहुंच और अन्य दावों सहित कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में व्यवसाय के सामान्य क्रम से आकस्मिक देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं। उनकी प्रकृति से, आकस्मिकताओं का समाधान तभी होगा जब एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाएँ घटित होंगी या घटित होने में विफल होंगी। आकस्मिकताओं के अस्तित्व और संभावित मात्रा के आकलन में स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय का प्रयोग और भावी घटनाओं के परिणाम के बारे में अनुमानों का उपयोग शामिल है। संबंधित प्रकटीकरण के लिए नोट 37 भी देखें।

ख. अनुमान और पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन करने का अत्यधिक जोखिम है, जो नीचे वर्णित हैं। मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, हालांकि, बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से बाहर होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस तरह के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

निर्धारित लाभ योजनाएं / अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

निर्धारित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ योजनाओं की लागत बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करते हुए निर्धारित की जाती है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट- 1ख: लेखांकन अनुमान और निर्णय (जारी..)

सबसे अधिक परिवर्तन वाला पैरामीटर छूट दर है। प्रबंधन विभिन्न योजनाओं की अपेक्षित निपटान अवधि के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों पर विचार करता है।

विभिन्न कर्मचारी लाभ दायित्वों के बारे में अधिक जानकारी नोट 36 में दी गई है।

वित्तीय लिखितों का उचित मूल्य माप

जब तुलन-पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर नहीं मापा जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को स्तर -2 और स्तर-3 इनपुट के आधार पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहां संभव हो अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में मूल्य अनुमान, मात्रा अनुमान, दर अनुमान आदि जैसे इनपुट के प्रतिफल शामिल हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। अनुमानों और पूर्वानुमानों के और प्रकटीकरण के लिए नोट 40 भी देखें।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

व्यापार प्राप्तियों के लिए क्षति प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में धारणाओं के आधार पर सरलीकृत दृष्टिकोण पर विचार करते हुए किए गए हैं। समूह इन अनुमानों को बनाने और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पिछले इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करता है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, समूह क्षति हानियों की पहचान के लिए सामान्य दृष्टिकोण लागू करता है जिसमें समूह प्रारंभिक मान्यता पर डिफ़ॉल्ट की संभावना पर विचार करने में निर्णय का उपयोग करता है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निरंतर आधार पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण और प्रावधान के लिए नोट 41 भी देखें।

डिकमिशनिंग के लिए प्रावधान

निगम की सुविधाओं और संपत्तियों के परिचालन अवधि के अंत में और इसकी तेल और प्राकृतिक गैस संपत्तियों की निवृत्ति पर, डिकमिशनिंग लागतें खर्च की जाएंगी। इन लागतों का अनुमान भविष्य की डिकमिशनिंग गतिविधियों की विधि, समय और सीमा से जुड़ी अनिश्चितता के अधीन है। दायित्व, संबंधित परिसंपत्ति और व्यय, बंद करने की लागत और समय के संबंध में अनुमानों से प्रभावित होते हैं। बंद करने की लागत के संबंध में प्रावधानों के लिए नोट 18 देखें।

आय कर

समूह, जिन देशों में समूह संचालित होता है, वहां के कानूनों के अनुसार आयकर के प्रावधान का निर्धारण करते समय संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों, वर्तमान और पिछले अनुभव, निर्णयों और नई घोषणाओं के आधार पर अनुमानों और निर्णयों का उपयोग करता है। एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को इस हद तक माना जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी अंतर और कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

चालू वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण		भूमि – पूर्णस्वामित्व	इमारतें, सड़कें आदि	संयंत्र और उपकरण	कार्यालयीन उपकरण	परिवहन के उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	रेलवे साइडिंग	नाली, सीवर और जल आपूर्ति प्रणाली	उत्पादक संपत्तियां	उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियां (आरओयू)	कुल
			(क और घ का संदर्भ लें)	(ख और घ का संदर्भ लें)							(घ का संदर्भ लें)	
सकल ब्लॉक	1 अप्रैल, 2024 को सकल ब्लॉक	3,982.23	25,553.71	2,09,839.67	3,246.73	127.78	2,933.73	322.05	1,338.65	11,943.46	15,874.04	2,75,162.05
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	121.04	185.34	3,775.20	340.07	15.17	89.80	2.33	10.07	243.75	4,007.97	8,790.74
	चालू निर्माण कार्य से अंतरण	–	2,164.85	9,503.89	388.24	1.72	551.72	53.63	0.56	1,212.94	–	13,877.55
	निपटान / कटौतियां/अंतरण / पुन: वर्गीकरण /एफीसीटीआर	1.36	(97.78)	(1,247.24)	(164.54)	50.08	(26.35)	(0.19)	(3.00)	(121.65)	(2,639.84)	(4,249.15)
	31 मार्च, 2025 को सकल ब्लॉक	4,104.63	27,806.12	2,21,871.52	3,810.50	194.75	3,548.90	377.82	1,346.28	13,278.50	17,242.17	2,93,581.19
मूल्यह्रास और परिशोधन	01 अप्रैल, 2024 को मूल्यह्रास और परिशोधन	–	7,005.36	60,972.06	2,015.48	67.35	1,608.22	113.62	416.01	4,461.85	5,774.23	82,434.18
	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास और परिशोधन (ग देखें)	–	1,299.37	10,249.29	498.41	42.08	264.28	20.71	52.38	800.58	3,244.27	16,471.37
	निपटान / कटौतियां/अंतरण / पुन: वर्गीकरण /एफीसीटीआर	–	(26.06)	(596.08)	(129.85)	6.62	(27.17)	(0.15)	(0.27)	20.57	(2,256.87)	(3,009.26)
	1 अप्रैल, 2024 तक मूल्यह्रास हानि	–	8,278.67	70,625.27	2,384.04	116.05	1,845.33	134.18	468.12	5,283.00	6,761.63	95,896.29
हानि	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास हानि	–	10.82	179.46	–	–	–	–	0.27	374.70	3.10	568.35
	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास हानि	–	–	63.68	–	–	–	–	–	–	4.81	68.49
	वर्ष के दौरान प्रतिवर्तित मूल्यह्रास हानि/एफसीटीआर	–	–	(2.09)	–	–	–	–	–	(111.87)	(0.01)	(113.97)
	31 मार्च, 2025 तक मूल्यह्रास हानि	–	10.82	241.05	–	–	–	–	0.27	262.83	7.90	522.87
	31 मार्च, 2025 तक नेट ब्लॉक	4,104.63	19,516.63	1,51,005.20	1,426.46	78.70	1,703.57	243.64	877.89	7,732.67	10,472.64	1,97,162.03

पिछला वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण		भूमि – पूर्णस्वामित्व	इमारतें, सड़कें आदि	संयंत्र और उपकरण	कार्यालयीन उपकरण	परिवहन के उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	रेलवे साइडिंग	नाली, सीवर और जल आपूर्ति प्रणाली	उत्पादक संपत्तियां	उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियां (आरओयू)	कुल
		(क और घ का संदर्भ लें)	(ख और घ का संदर्भ लें)								(घ का संदर्भ लें)	
सकल ब्लॉक	**1 अप्रैल, 2023 को सकल ब्लॉक**	**3,929.41**	**22,054.26**	**1,88,184.92**	**2,794.54**	**119.67**	**2,398.72**	**316.17**	**1,329.90**	**10,526.03**	**14,465.21**	**2,46,118.83**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	62.28	187.01	3,732.31	393.46	7.84	82.33	5.03	0.66	224.65	3,473.85	8,169.42
	चालू निर्माण कार्य से अंतरण	–	3,416.03	18,582.06	318.45	3.25	466.87	2.32	8.13	1,065.93	–	23,863.04
	निपटान / कटौतियां/अंतरण / पुन: वर्गीकरण /एफीसीटीआर	(9.46)	(103.59)	(659.62)	(259.72)	(2.98)	(14.19)	(1.47)	(0.04)	126.85	(2,065.02)	(2,989.24)
	31 मार्च, 2024 को सकल ब्लॉक	**3,982.23**	**25,553.71**	**2,09,839.67**	**3,246.73**	**127.78**	**2,933.73**	**322.05**	**1,338.65**	**11,943.46**	**15,874.04**	**2,75,162.05**
मूल्यह्रास और परिशोधन	**01 अप्रैल, 2023 को मूल्यह्रास और परिशोधन**	**–**	**5,824.66**	**51,064.91**	**1,721.10**	**59.16**	**1,392.71**	**94.06**	**363.88**	**3,773.26**	**4,727.36**	**69,021.10**
	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास और परिशोधन (ग देखें)	–	1,192.12	10,152.49	447.79	9.77	229.72	19.56	52.14	643.20	2,932.10	15,678.89
	निपटान / कटौतियां/अंतरण / पुन: वर्गीकरण /एफीसीटीआर	–	(11.42)	(245.34)	(153.41)	(1.58)	(14.21)	–	(0.01)	45.39	(1,885.23)	(2,265.81)
	31 मार्च, 2024 को मूल्यह्रास और परिशोधन	**–**	**7,005.36**	**60,972.06**	**2,015.48**	**67.35**	**1,608.22**	**113.62**	**416.01**	**4,461.85**	**5,774.23**	**82,434.18**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी..)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	भूमि – पूर्णस्वामित्व	इमारतें, सड़कें आदि	संयंत्र और उपकरण	कार्यालयीन उपकरण	परिवहन के उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	रेलवे साइडिंग	नाली, सीवर और जल आपूर्ति प्रणाली	उत्पादक संपत्तियां	उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियां (आरओयू)	कुल
क्षति (एफ.वी. का संदर्भ लीजिए)	**1 अप्रैल, 2023 तक कुल हानि**	–	10.82	180.97	–	–	–	–	0.27	370.52	3.10	565.68
	वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती हानि/एफसीटीआर	–	–	(1.51)	–	–	–	–	–	4.18	–	2.67
	31 मार्च, 2024 तक कुल हानि	–	10.82	179.46	–	–	–	–	0.27	374.70	3.10	568.35
	31 मार्च, 2024 तक शुद्ध ब्लॉक	3,982.23	18,537.53	1,48,688.15	1,231.25	60.43	1,325.51	208.43	922.37	7,106.91	10,096.71	1,92,159.52

*भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के कारण समायोजन शामिल करें

क. i) पूर्णस्वामित्व की भूमि में ₹ 1.61 करोड़ (2024: ₹ 1.61 करोड़) शामिल है जो टाइटल विवाद/ मुकदमों के कारण खाली पड़े हैं।

ii) मथुरा और आगरा क्षेत्रों में 1364.01 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्व भूमि में से 50 एकड़ (लगभग) की भूमि एनएचएआई द्वारा एनएच2 चौड़ीकरण परियोजना के एक हिस्से के रूप में अधिग्रहीत की गई है, जिसके लिए मुआवजे के मूल्य का निर्धारण लंबित है। तद्नुसार, ₹ 1.18 करोड़ की भूमि के मूल्य को पूर्ण-स्वामित्व भूमि में रखा गया है।

iii) गुवाहाटी रिफ़ाइनरी में 490 एकड़ की पूर्णस्वामित्व वाली भूमि में लगभग 32.39 एकड़ (लागत ₹ 0.05 करोड़) भूमि पार्सल शामिल है जिस पर सार्वजनिक सड़कों, नालियों आदि का निर्माण लोक निर्माण विभाग, असम सरकार द्वारा किया गया है।

iv) पूर्ण-स्वामित्व की भूमि में पहले की तारीखों में जिला और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पानीपत रिफाइनरी में स्थित भूमि के संबंध में अदा किया गया ₹ 41.75 करोड़ का मुआवज़ा शामिल है, जिसे बाद में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2019 द्वारा रद्द कर दिया गया था। चूंकि, पहले से अदा किए गए मुआवज़े के लिए वसूली की प्रक्रिया पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2020 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई है, वास्तविक वसूली, यदि कोई हो, पर भूमि की लागत में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

ख. i) भवनों में फ्लैट की खरीद के लिए कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता के लिए ऐसी सोसाइटियों में 1605 (2024: 1605) शेयरों के मूल्य के प्रति ₹ 0.01 करोड़ (2024: ₹ 0.01 करोड़) शामिल है।

ii) इसमें ₹ 6,207.6 करोड़ (2024: ₹ 6,699.32 करोड़) और निवल ब्लॉक की राशि ₹ 3,420.8 करोड़ (2024: ₹ 3,538.55 करोड़) की राशि के सकल ब्लॉक की सड़कें, पुल आदि (यानी भवन के अलावा अन्य परिसंपत्तियां) शामिल हैं।

ग. वर्ष के मूल्यह्रास और परिशोधन में टिप्पणी-2.2 में दिखाए गए निर्माण अवधि व्ययों से संबंधित ₹ 89.29 करोड़ (2023: ₹ 73.94 करोड़) शामिल हैं।

घ. भूमि और भवन (आरओयू परिसंपत्ति सहित) में ₹ 508.61 करोड़ का सकल रखाव मूल्य (2024: ₹ 933.03 करोड़) शामिल है, जिसके संबंध में हक/पट्टा विलेख निष्पादन या नवीकरण के लिए लंबित हैं।

ङ. मूल कंपनी द्वारा अवधि के अंत में, भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार, संबंधित सीजीयू के अंतर्गत परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के साथ वसूली योग्य राशि की तुलना करके, हानि का आकलन किया गया है। बिजली शुल्कों की वसूली पर अनिश्चितता और कुछ पवनचक्की परिसंपत्तियों के क्षमता उपयोग कारक में भिन्नता को देखते हुए, 9.80% की छूट दर को ध्यान में रखते हुए गणना किए गए उपयोग मूल्य के आधार पर, ₹ 68.17 करोड़ (2024: शून्य) की हानि हानि और ₹ 2.10 करोड़ (2024: शून्य) की हानि प्रतिवर्तन को मान्यता दी गई है।

च. वर्ष के दौरान, मूल कंपनी द्वारा डीईएफ संयंत्र के उपयोगी जीवन की समीक्षा की गई और इसे 25 वर्ष से बदलकर 15 वर्ष कर दिया गया। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 में मूल्यह्रास शुल्क में ₹ 5.66 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, जिसकी भरपाई भविष्य की अवधि में लाभ-हानि विवरण में की जाएगी।

छ. वर्ष के दौरान, मूल कंपनी द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल के उपयोगी जीवन की समीक्षा की गई और इसे 13 वर्ष से बदलकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 में मूल्यह्रास शुल्क में ₹ 11.91 करोड़ रुपये की कमी आएगी, जिसकी भरपाई भविष्य की अवधि में लाभ-हानि विवरण में की जाएगी।

ज. आरओयू परिसंपत्तियों से संबंधित अतिरिक्त विवरण के लिए 'टिप्पणी – 37' देखें।

झ. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, मूल कंपनी ने सामग्री लेखांकन नीतियों (नोट-1) के बिंदु संख्या 2.4.1 के अनुसार कुछ मामलों को छोड़कर, उस अनुसूची में निर्धारित उपयोगी जीवन को अपनाया है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी..)

प्रचालनीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के विवरण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल हैं

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति के विवरण	सकल ब्लॉक	संचित मूल्यह्रास एवं परिशोधन	संचित अनर्जक हानि	31.03.2024 तक डब्ल्यू.डी.वी.	31.03.2024 तक डब्ल्यू. डी.वी.
भूमि – पूर्णस्वामित्व	15.48	–	–	15.48	12.79
आरओयू परिसंपत्ति (भूमि – पट्टाधारित)	217.18	62.89	–	154.29	70.00
भवन	118.68	35.11	0.17	83.40	84.54
संयंत्र व उपकरण	382.74	89.83	–	292.91	165.28
कार्यालयीन उपकरण	11.46	10.04	–	1.42	3.15
फर्नीचर	2.31	1.12	–	1.19	0.64
नाली, सीवर और जल आपूर्ति	–	–	–	–	1.40
कुल	**747.85**	**198.99**	**0.17**	548.69	**337.80**

संयुक्त स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों में कंपनी के हिस्से के विवरण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल हैं :

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति के विवरण	संयुक्त मालिक का नाम*	सकल ब्लॉक	संचित मूल्यह्रास एवं परिशोधन	संचित अनर्जक हानि	31.03.2024 तक डब्ल्यू.डी.वी.	31.03.2024 तक डब्ल्यू. डी.वी.
भूमि – पूर्णस्वामित्व	एचपीसीएल, बीपीसीएल	9.08	–	–	9.08	9.65
आरओयू परिसंपत्ति (भूमि – पट्टाधारित)	बीपीसीएल	0.05	0.01	–	0.04	0.04
भवन	एचपीसीएल, बीपीसीएल, अन्य	69.21	26.27	–	42.94	47.10
संयंत्र व उपकरण	एचपीसीएल, बीपीसीएल, आरआईएल, अन्य	68.20	32.36	–	35.84	38.03
कार्यालयीन उपकरण	बीपीसीएल	0.49	0.13	–	0.36	0.46
रेलवे साइडिंग	एचपीसीएल, बीपीसीएल	15.13	9.27	–	5.86	9.62
नाली, सीवर और जल आपूर्ति	एचपीसीएल, बीपीसीएल, जीएसएफसी	0.45	0.14	–	0.31	0.32
कुल		**162.61**	**68.18**	**–**	94.43	**105.22**

*एचपीसीएल – हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., बीपीसीएल – भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., जीएसएफसी – गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लि., आरआईएल – रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

सकल ब्लाक के परिवर्धन में शामिल हैं :

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति के विवरण	विदेशी मुद्रा का उतार-चढ़ाव		उधार की लागत	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
भवन	–	(0.15)	24.74	66.94
संयंत्र व उपकरण	–	(8.55)	339.11	1,041.23
कार्यालयीन उपकरण	–	–	1.73	7.40
फर्नीचर और फिक्सचर	–	–	0.01	0.48
रेलवे साइडिंग	–	–	3.32	0.23
नाली, सीवर और जल आपूर्ति	–	(0.34)	–	–
कुल	**–**	**(9.04)**	368.91	**1,116.28**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2.1: पूंजीगत कार्य प्रगति पर

चालू वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू निर्माण कार्य – मूर्त परिसंपत्तियां	पूंजीगत स्टोर	मार्गस्थ पूंजीगत माल	आवंटन के लंबित होने के कारण निर्माण अवधि व्यय	कुल
	संदर्भ-क	संदर्भ-ख			
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**44,250.55**	**8,851.45**	**1,715.03**	**2,747.06**	**57,564.09**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	29,210.27	4,712.14	1,926.12	–	35,848.53
वर्ष के दौरान निवल व्यय (टिप्पणी – 2.2)	–	–	–	1,872.66	1,872.66
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को अंतरण (टिप्पणी 2)	(13,877.55)	–	–	–	(13,877.55)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को अंतरण–प्रत्यक्ष परिवर्धन (टिप्पणी 2)	–	–	(8.03)	–	(8.03)
लाभ व हानि के विवरण को अंतरण	(8.83)	–	–	–	(8.83)
वर्ष के दौरान अन्य आवंटन / समायोजन	270.61	(5,121.17)	(1,758.27)	(823.56)	(7,432.39)
	59,845.05	**8,442.42**	**1,874.85**	**3,796.16**	**73,958.48**
पूंजीगत हानि का प्रावधान	(193.58)	(24.49)	–	–	(218.07)
वर्ष के अंत में शेष	**59,651.47**	**8,417.93**	**1,874.85**	**3,796.16**	**73,740.41**

पिछला वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू निर्माण कार्य – मूर्त परिसंपत्तियां	पूंजीगत स्टोर	मार्गस्थ पूंजीगत माल	आवंटन के लंबित होने के कारण निर्माण अवधि व्यय	कुल
	संदर्भ-क	संदर्भ-ख			
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**34,774.69**	**8,507.73**	**1,126.12**	**3,353.42**	**47,761.96**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	30,575.97	4,688.71	1,957.43	–	37,222.11
वर्ष के दौरान निवल व्यय (टिप्पणी – 2.2)	–	–	–	1,404.06	1,404.06
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को अंतरण (टिप्पणी 2)	(23,861.62)	(1.42)	–	–	(23,863.04)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को अंतरण–प्रत्यक्ष परिवर्धन (टिप्पणी 2)	–	–	(28.92)	–	(28.92)
लाभ व हानि के विवरण को अंतरण	(2.25)	(0.01)	–	–	(2.26)
वर्ष के दौरान अन्य आवंटन / समायोजन	2,763.76	(4,343.56)	(1,339.60)	(2,010.42)	(4,929.82)
	44,250.55	**8,851.45**	**1,715.03**	**2,747.06**	**57,564.09**
पूंजीगत हानि का प्रावधान	(191.47)	(55.76)	–	–	(247.23)
वर्ष के अंत में शेष	**44,059.08**	**8,795.69**	**1,715.03**	**2,747.06**	**57,316.86**

क. इसमें चालू तेल एवं गैस अन्वेषण एवं उत्पादन गतिविधियों से संबंधित पूंजीगत व्यय के रूप में ₹ 490.28 करोड़ (2024: ₹ 673.75 करोड़) शामिल हैं।

ख. इसमें ठेकेदारों के पास पड़े स्टॉक के रूप में ₹ 482.86 करोड़ (2024: ₹ 678.92 करोड़) शामिल हैं।

पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) का कालप्रभावन

(₹ करोड़ में)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी की राशि के संबंध में अवधि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
चालू वर्ष					
i) चालू परियोजनाएं	35,610.88	22,179.08	9,904.47	5,638.00	73,332.43
ii) अस्थायी रूप से बंद परियोजनाएं	17.91	168.17	272.88	167.09	626.05
कुल	**35,628.79**	**22,347.25**	**10,177.35**	**5,805.09**	**73,958.48**
गत वर्ष					
i) चालू परियोजनाएं	30,772.46	18,954.32	5,408.26	2,058.69	57,193.73
ii) अस्थायी रूप से बंद परियोजनाएं	153.80	42.31	1.79	172.46	370.36
कुल	**30,926.26**	**18,996.63**	**5,410.05**	**2,231.15**	**57,564.09**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2.1: पूंजीगत कार्य प्रगति पर (जारी..)

ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पूंजीगत कार्य के पूरा होने संबंधी शेड्यूल, जो निर्धारित तारीख को पूरी नहीं हो पाई या जिनकी लागत उनकी मूल योजना से अधिक हो गई है

(₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि, जिसमें परियोजना पूरी होनी है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
चालू वर्ष				
i) प्रगति पर परियोजनाएँ				
– गुवाहाटी रिफ़ाइनरी विस्तार	–	351.49	–	–
– बरौनी रिफ़ाइनरी विस्तार	–	8,459.00	–	–
– गुजरात के दुमद में एक्रिलिक/ऑक्सो अल्कोहल परियोजना	–	1,634.98	–	–
– गुजरात रिफ़ाइनरी में पेट्रोकेमिकल और ल्यूब एकीकरण परियोजना	8,168.43	–	–	–
– हल्दिया रिफ़ाइनरी में आरएलएनजी अवसंरचना	124.73	–	–	–
– पानीपत रिफ़ाइनरी में पीबीआर परियोजना	–	770.18	–	–
– पानीपत रिफ़ाइनरी विस्तार	18,851.51	–	–	–
– पारादीप रिफ़ाइनरी में अतिरिक्त भंडारण टैंक	155.29	–	–	–
– पारादीप रिफ़ाइनरी में ईंधन गुणवत्ता उन्नयन परियोजना	1,106.06	–	–	–
– पारादीप रिफ़ाइनरी में इंसिनेरेटर के साथ स्टैंडबाय एसआरयू ट्रेन की स्थापना	317.24	–	–	–
– पारादीप रिफ़ाइनरी में एकीकृत पैरा ज़ाइलीन (पीएक्स) और शुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए) परियोजना	–	7,160.47	–	–
– नई मुंद्रा-पानीपत कच्चे तेल की पाइपलाइन	6,165.19	–	–	–
– सलाया मथुरा कच्चे तेल पाइपलाइन प्रणाली का विस्तार	813.70	2.39	–	–
– एन्नोर तूतीकोरिन बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	–	527.70	–	–
– क्रायोजेनिक्स विस्तार परियोजना डिंडोरी एमआईडीसी	185.95	–	–	–
– चेन्नई पीओएल जेट्टी	764.01	–	–	–
– चेन्नई के वल्लूर में ग्रास रूट पीओएल टर्मिनल	493.31	–	–	–
– चेन्नई में नया ल्यूब कॉम्प्लेक्स	873.02	–	–	–
– विजाग टर्मिनल का नवीनीकरण	116.86	–	–	–
– नए मिर्जापुर टर्मिनल का निर्माण	–	153.16	–	–
– बीके-सीबीएम-2001/1	60.41	–	–	–
– एनके-सीबीएम-2001/1	163.74	–	–	–
– एए/ओएनडीएसएफ/उमातारा/2018	42.64	–	–	–
– गैबॉन – शक्ति	–	–	–	0.02
– सीबीजी गोरखपुर प्लांट	143.95	–	–	–
– नया अनुसंधान एवं विकास परिसर-आईओटीडीसी	–	1,107.33	–	–
– अन्य परियोजनाएँ*	2,787.34	126.74	4.13	1.04
कुल	**41,333.38**	**20,293.44**	**4.13**	**1.06**
ii) परियोजनाएँ अस्थायी रूप से स्थगित				
– गुवाहाटी रिफ़ाइनरी में 80 टीपीएच पेटकोक फ़ायर बॉयलर परियोजना	–	–	–	119.47
– एन्नोर तूतीकोरिन बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का असनूर पीपीएन खंड	–	–	–	276.73
– सीबीआर असनूर पाइपलाइन और मौजूदा चेन्नई त्रिची मदुरै उत्पाद पाइपलाइन से इसका जुड़ाव	–	–	–	143.43
– अन्य परियोजनाएँ*	2.21	–	–	83.91
कुल	**2.21**	**–**	**–**	**623.54**

* ₹ 100 करोड़ रुपये से कम वास्तविक व्यय वाली परियोजनाओं को अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2.1: पूंजीगत कार्य प्रगति पर (जारी..)

ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पूंजीगत कार्य के पूरा होने संबंधी शेड्यूल, जो निर्धारित तारीख को पूरी नहीं हो पाई या जिनकी लागत उनकी मूल योजना से अधिक हो गई है

(₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि, जिसमें परियोजना पूरी होनी है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
चालू वर्ष				
i) चालू परियोजनाएं				
– गुवाहाटी रिफाइनरी विस्तारण	277.12	–	–	–
– बरौनी रिफाइनरी विस्तारण	7,922.17	–	–	–
– दुमड, गुजरात में एक्रिलिक्स / ऑक्सो अल्कोहल परियोजना	2,366.90	–	–	–
– गुजरात रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स और ल्यूब एकीकरण परियोजना	–	5,712.84	–	–
– हल्दिया रिफाइनरी में आरएलएनजी अवसंरचना	127.48	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में 2जी एथेनॉल परियोजना	622.28	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में पीएसए ऑफ गैस से एथेनॉल उत्पादन (3जी)	148.02	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में कैटेलिस्ट संयंत्र	166.96	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में पीएक्स-पीटीए विस्तारण	363.21	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में पीबीआर परियोजना	–	95.13	–	–
– पानीपत रिफाइनरी विस्तारण	–	9,305.46	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में अतिरिक्त भंडारण टैंक	434.99	–	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में ईंधन गुणता उन्नयन परियोजना	1,588.60	–	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में इन्सीनरेटर के साथ स्टैंडबाई एसआरयू ट्रेन की संस्थापना	267.02	–	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में एकीकृत पैराजाइलीन (पीएक्स) और प्यूरीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (पीटीए) परियोजना	–	5,867.45	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में आर-एलएनजी उपयोगिता परियोजना की अवसंरचना	138.85	–	–	–
– 30'' हल्दिया-बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन और हल्दिया-बरौनी सेक्शन का उत्पाद व गैस सर्विस तक मौजूदा 18'' से विस्तारण	138.34	–	–	–
– एन्नूर तूतीकोरन बेंगलूरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	716.85	–	–	–
– पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन	602.66	–	–	–
– सलाया मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रणाली का विस्तारण	783.49	–	–	–
– अमुल्लावोयल में ल्यूब कॉम्प्लेक्स	715.71	–	–	–
– चित्तूर एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र	118.96	–	–	–
– मल्कापुर में पीओएल टर्मिनल	257.39	–	–	–
– विजाग टर्मिनल का पुनर्निर्माण	114.13	–	–	–
– खुर्दा बॉटलिंग संयंत्र	118.39	–	–	–
– बीके-सीबीएम-2001/1	302.06	–	–	–
– एनके-सीबीएम-2001/1	–	142.02	–	–
– नया आर एंड डी परिसर	–	758.91	–	–
– अन्य परियोजनाएं*	2,596.97	149.57	–	0.48
कुल	**20,888.56**	**22,031.38**	**–**	**0.48**
ii) अस्थायी रूप से बंद परियोजनाएं				
– गुवाहाटी रिफ़ाइनरी में 80 टीपीएच पेटकोक फायर बॉयलर परियोजना	–	–	–	120.38
– अन्य परियोजनाएं*	12.67	–	–	81.91
कुल	**12.67**	**–**	**–**	**202.29**

*₹ 100 करोड़ रुपये से कम वास्तविक व्यय वाली परियोजनाओं को अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 2.2: वर्ष के दौरान निर्माण अवधि व्यय (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024–2025	2023–2024
कर्मचारी लाभ व्यय	376.79	430.77
मरम्मत और रखरखाव	3.09	2.29
भंडार और पुर्जों की खपत	0.01	0.01
बिजली और ईंधन	37.82	21.96
किराया	(0.81)	7.66
दरें और कर	0.83	2.18
यात्रा व्यय	93.74	38.92
संचार व्यय	0.70	1.41
मुद्रण और स्टेशनरी	0.55	0.52
बिजली और पानी के शुल्क	128.48	18.89
बैंक शुल्क	0.12	0.76
तकनीकी सहायता शुल्क	2.55	1.40
वित्तीय लागत	1,181.84	821.25
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	89.48	74.08
अमूर्त संपत्तियाँ	0.08	–
प्रारंभिक/परीक्षण व्यय (राजस्व का शुद्ध)	29.78	(15.07)
अन्य	31.88	76.36
कुल व्यय	**1,976.93**	**1,483.39**
घटाएँ: वसूली	104.27	79.33
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय	**1,872.66**	**1,404.06**

क. पूंजीकरण के लिए पात्र विशिष्ट उधार की दर 1.08% से 8.13% (2024: 1.08% से 8.04%) है।

टिप्पणी – 3: अमूर्त परिसंपत्तियां

चालू वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण		मार्गाधिकार (ख का संदर्भ)	लाइसेंस	कंप्यूटर साफ्टवेयर (ग का संदर्भ)	कुल
सकल ब्लॉक	01 अप्रैल, 2024 को सकल ब्लाक	1,548.95	4,132.20	662.21	6,343.36
	वर्ष के दौरान वृद्धि	111.09	2.45	33.07	146.61
	विकासाधीन अमूर्त आस्तियों से हस्तांतरण	–	214.02	109.61	323.63
	निपटान/कटौतियाँ/हस्तांतरण/पुनर्वर्गीकरण/एफसीटीआर	–	32.42	(22.22)	10.20
	31 मार्च, 2025 तक सकल ब्लॉक	1,660.04	4,381.09	782.67	6,823.80
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति	01 अप्रैल, 2024 तक कुल परिशोधन	23.93	1,583.51	468.68	2,076.12
	वर्ष के दौरान परिशोधन	0.16	210.07	119.23	329.46
	निपटान / कटौतियां / अंतरण / पुन: वर्गीकरण / एफसीटीआर	(0.01)	16.68	(18.23)	(1.56)
	31 मार्च, 2025 तक कुल परिशोधन	24.08	1,810.26	569.68	2,404.02
	01 अप्रैल, 2024 तक कुल क्षति	0.27	429.74	–	430.01
	वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित क्षीण हानि	–	10.67	–	10.67
	31 मार्च, 2025 तक कुल क्षीणता	0.27	440.41	–	440.68
	31 मार्च, 2025 तक निवल ब्लॉक	1,635.69	2,130.42	212.99	3,979.10

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 3: अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी..)

पिछला वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण		मार्गाधिकार	लाइसेंस	कंप्यूटर साफ्टवेयर	कुल
सकल ब्लॉक	**01 अप्रैल, 2023 को सकल ब्लाक**	**1,457.29**	**3,785.53**	**495.31**	**5,738.13**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	91.66	27.14	30.52	149.32
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों से अंतरण	–	291.85	139.86	431.71
	निपटान / कटौतियां / अंतरण / पुन: वर्गीकरण / एफसीटीआर	–	27.68	(3.48)	24.20
	31 मार्च, 2024 तक सकल ब्लॉक	**1,548.95**	**4,132.20**	**662.21**	**6,343.36**
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति	**01 अप्रैल, 2023 तक कुल क्षति**	**23.64**	**1,376.79**	**399.57**	**1,800.00**
	वर्ष के दौरान परिशोधन	0.29	193.31	69.21	262.81
	निपटान/कटौतियां/ अंतरण/ पुन: वर्गीकरण/ एफसीटीआर	–	13.41	(0.10)	13.31
	31 मार्च, 2023 तक कुल परिशोधन	**23.93**	**1,583.51**	**468.68**	**2,076.12**
	01 अप्रैल, 2023 तक कुल क्षति	**0.27**	**423.38**	**–**	**423.65**
	वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित क्षीण हानि	–	6.36	–	6.36
	31 मार्च, 2024 तक कुल क्षीणता	**0.27**	**429.74**	**–**	**430.01**
	31 मार्च, 2024 तक निवल ब्लॉक	**1,524.75**	**2,118.95**	**193.53**	**3,837.23**

कोई आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त संपत्तियाँ नहीं हैं।

क. वर्ष के लिए परिशोधन में निर्माण अवधि के व्यय से संबंधित ₹ 0.27 करोड़ (2024: ₹0.14 करोड़) शामिल हैं, जिन्हें नोट 2.2 में शामिल किया गया है।

ख. अनिश्चित उपयोगी अवधि वाली अमूर्त संपत्तियों का शुद्ध ब्लॉक:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
मार्ग – अधिकार	1,633.51	1,522.43

पाइपलाइन बिछाने के अधिकार शाश्वत आधार पर अर्जित किए गए हैं।

ग. संयुक्त स्वामित्व की परिसंपत्तियों में कंपनी के हिस्से के विवरण उपर्युक्त में शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति के विवरण	संयुक्त स्वामी का नाम*	सकल ब्लॉक	संचित मूल्यह्रास और परिशोधन	31 मार्च 2025 को डब्ल्यू.डी.वी.	31 मार्च 2024 को डब्ल्यू.डी.वी.
कंप्यूटर साफ्टवेयर	एचपीसीएल, बीपीसीएल	3.73	2.25	1.48	2.41
कुल		**3.73**	**2.25**	**1.48**	**2.41**

* एचपीसीएल: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., बीपीसीएल – भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.

टिप्पणी – 3.1: विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

चालू वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	**6,604.89**
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय	1,501.82
अमूर्त आस्तियों में स्थानांतरण (नोट 3)	(323.63)
वर्ष के दौरान अन्य आवंटन/समायोजन	(823.06)
	6,960.02
वर्ष के अंत में शेष राशि	(2,779.15)
वर्ष के अंत में शेष राशि	**4,180.87**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 3.1: विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

पिछला वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	**6,432.47**
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय	1,251.17
अमूर्त आस्तियों में स्थानांतरण (नोट 3)	(431.71)
वर्ष के दौरान अन्य आवंटन/समायोजन	(647.04)
	6,604.89
हानि के लिए प्रावधान	(2,889.33)
वर्ष के अंत में शेष राशि	**3,715.56**

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ मुख्यतः अन्वेषण एवं उत्पादन ब्लॉकों, लाइसेंसों एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों की प्रकृति की हैं। उपरोक्त राशि में चालू तेल एवं गैस अन्वेषण एवं उत्पादन गतिविधियों से संबंधित पूंजीगत व्यय (शुद्ध) के लिए ₹ 1,746.97 करोड़ (2024: ₹1,957.32 करोड़) शामिल हैं।

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों का आयु-वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक निश्चित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
चालू वर्ष					
i) चालू परियोजनाएं	771.04	150.01	1,554.57	4,035.62	6,511.24
ii) अस्थायी रूप से बंद परियोजनाएं	5.65	39.96	–	403.17	448.78
कुल	776.69	189.97	1,554.57	4,438.79	6,960.02
पिछला वर्ष					
i) चालू परियोजनाएं	215.07	394.81	131.06	5,384.31	6,125.25
ii) अस्थायी रूप से बंद परियोजनाएं	0.70	–	0.28	478.66	479.64
कुल	**215.77**	**394.81**	**131.34**	**5,862.97**	**6,604.89**

ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पूंजीगत कार्य के पूरा होने संबंधी कार्यक्रम (शेड्यूल), जो निर्धारित तारीख को पूरी नहीं हो पाईं या जिनकी लागत उनकी मूल योजना से अधिक हो गई है

(₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि, जिसमें परियोजना पूरी होनी है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
वर्ष चालू				
i) प्रगतिशील परियोजनाएँ				
– बदायूँ रिफ़ाइनरी विस्तार	–	15.01	–	–
– बरौनी रिफ़ाइनरी विस्तार	–	151.60	–	–
– गुजरात के दुमद में एक्रिलिक/ऑक्सो कोरेज़ प्रोजेक्ट	–	212.99	–	–
– गुजरात रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल और ल्युब एकीकरण परियोजना	273.11	–	–	–
– पीबीआर प्रोजेक्ट में ताज़ा रिफ़ाइनरी	–	66.66	–	–
– ताज़ा रिफ़ाइनरी विस्तार	386.37	–	–	–
– पारादीप रिफ़ाइनरी में ज़िलेंक्काइन डिज़ाइन प्रोजेक्ट	92.37	–	–	–
– पारादीप रिफ़ाइनरी में फ़्लोरिडा पैरा ज़िलीन (पीईएक्स) और शुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए) परियोजना	–	195.68	–	–
– बीके-सीबीएम-2001/1	14.50	–	–	–
– एनके-सीबीएम-2001/1	25.25	–	–	–
– गैबॉन-शक्ति	–	–	–	188.12
– एए-ओएनएचपी-2018/5	–	–	–	5.43
– क्षेत्र-95/96, लीबिया	–	–	–	84.07
– अन्य*	13.20	–	–	–
कुल	804.80	641.94	–	277.62

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 3.1: विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि, जिसमें परियोजना पूरी होनी है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
ii) परियोजनाएँ अस्थायी रूप से स्थगित				
– मथुरा रिफ़ाइनरी में अवशेष उन्नयन परियोजना	–	–	–	132.21
– फ़ारसी, ईरान	–	–	–	126.26
– जीके-ओएसएन-2009/1	–	–	–	0.28
– आरजे-ओएनएचपी-2019/3	–	–	–	5.33
– आरजे-ओएनएचपी-2019/2	–	–	–	12.72
– आरजे-ओएनएचपी-2018/2	–	–	–	15.93
– अन्य*	–	–	–	136.94
कुल	**–**	**–**	**–**	**429.67**

(₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि, जिसमें परियोजना पूरी होनी है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
पिछला वर्ष				
i) चालू परियोजनाएं				
– गुवाहाटी रिफाइनरी विस्तार	15.01	–	–	–
– बरौनी रिफाइनरी विस्तार	151.60	–	–	–
– दुमड, गुजरात में एक्रिलिक्स / ऑक्सो अल्कोहल परियोजना	226.92	–	–	–
– गुजरात रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स और ल्यूब एकीकरण परियोजना	–	207.77	–	–
– पानीपत में 2जी एथेनॉल संयंत्र	10.32	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में पीएसए ऑफ गैस से एथेनॉल उत्पादन	0.35	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में पीएक्स-पीटीए विस्तारण	144.57	–	–	–
– पानीपत रिफाइनरी में पीबीआर परियोजना	–	66.38	–	–
– पानीपत रिफाइनरी विस्तार	–	383.32	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में ईंधन गुणता उन्नयन परियोजना	96.26	–	–	–
– पारादीप रिफाइनरी में एकीकृत पैराक्सीलीन (पीएक्स) और विशुद्धीकृत टेरेफ्थैलिक एसिड (पीटीए) परियोजना	–	195.68	–	–
– बीके-सीबीएम-2001/1	30.86	–	–	–
– एनके- सीबीएम-2001/1	–	25.25	–	–
– शक्ति गेबोन	–	–	–	173.72
– अन्य*	21.66	2.55	–	–
कुल	**697.55**	**880.95**	**–**	**173.72**
ii) अस्थायी रूप से बंद की गई परियोजनाएं				
– मथुरा रिफ़ाइनरी में अपशिष्ट अपग्रेडेशन परियोजना	–	–	–	132.21
– फारसी, इरान	–	–	–	126.26
– अन्य*	–	–	–	221.16
कुल	**–**	**–**	**–**	**479.63**

*100 करोड़ रुपये से कम वास्तविक व्यय वाली परियोजनाओं को अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 4: निवेश

विवरण	निवेश की मुद्रा	अंकित मूल्य/ चुकता मूल्य	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
			संख्या	वहनीय मूल्य ₹ करोड़ में	संख्या	वहनीय मूल्य ₹ करोड़ में
गैर-चालू निवेश –						
I इक्विटी शेयर						
क एसोसिएट्स में (इक्विटी विधि*):						
उद्धृत–						
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	187500000	2,490.36	187500000	2,156.19
अनुद्धृत–						
एवी-ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	4500000	31.47	4500000	24.72
पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)	भारतीय रुपए	0.10	18000000	0.47	18000000	0.47
पेट्रोनेट वीके लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	50000000	0.02	50000000	0.02
उप-कुल- (I)(क)				2,522.32		**2,181.40**
ख संयुक्त उद्यमों में (इक्विटी विधि*):						
अनुद्धृत–						
इंडियनऑयल अडानी वेंचर्स लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	500972175	985.51	500972175	886.22
ल्यूब्रिज़ोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	100	499200	250.86	499200	215.46
इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	134000000	833.52	134000000	776.63
पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)	भारतीय रुपए	10	3744000	–	3744000	–
ग्रीन गैस लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	25292250	251.78	25287250	250.72
इंडियनऑयल स्काई टैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	25950000	130.00	25950000	126.13
सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	नाइरा	1	2500000	–	2500000	–
दिल्ली एविएशन फ्यूल फेसिलिटी प्रा. लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	60680000	81.48	60680000	88.73
इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	222861375	631.88	222861375	457.03
एनपीसीआईएल-इंडियनऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	260000	0.43	260000	0.41
जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	579605012	440.50	574925012	504.94
जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	157820000	29.29	157820000	83.66
इंडियनऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	718365000	767.23	658865000	687.40
मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फेसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	52918750	126.90	52918750	107.92
कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	670125000	646.34	560640000	539.42
इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड[a]	भारतीय रुपए	10	4500	–	4500	–
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	2642985000	3,418.08	2642985000	3,009.95
रत्नगिरि रिफाइनरीज़ एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	100000000	50.67	100000000	53.49
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	230560000	235.13	222360000	227.10
आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	1529000000	1,505.02	1529000000	1,521.36
इंडियनऑयल टोटल प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	30000000	48.89	30000000	34.78
आईओसी फिनजीं प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	14937500	8.11	4187500	1.58
पारादीप प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	32720000	32.64	32720000	33.36
कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	25000	0.02	25000	0.02
इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	48050000	46.67	50000	0.05
जीएच4इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	1000000	–	1000000	–
आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	54150000	53.22	–	–
इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	185010000	139.71	–	–
इंडियन एडिटिव्स लिमिटेड	भारतीय रुपए	100	1183401	279.98	1183401	239.79
नेशनल एरोमेटिक्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	25000	–	25000	–
वांकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	यूएसडी	1	481868589	3,579.13	481868589	3,154.99
तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	यूएसडी	1	330891730	2,804.23	330891730	2,381.70
ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड	यूएसडी	1	83950100	419.88	72400100	318.23
भारत एनर्जी ऑफिस एलएलसी	रुबल	1000000	1	0.41	1	0.39
फाल्कन ऑयल एंड गैस बी.वी.	यूएसडी	1	30	428.29	30	197.47

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 4: निवेश (जारी..)

विवरण	निवेश की मुद्रा	अंकित मूल्य/ चुकता मूल्य	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
			संख्या	वहनीय मूल्य ₹ करोड़ में	संख्या	वहनीय मूल्य ₹ करोड़ में
बेक्सिमो आईओसी पेट्रोलियम एंड एनर्जी लिमिटेड	बांग्लादेशी टका	10	1113250	–	1113250	–
मेर रूज ऑयल स्टोरेज टर्मिनल कंपनी लिमिटेड ("मोस्ट")	मॉरीशस रुपये	1000	16800	17.28	16800	16.67
आईओएमएल हुलास ल्यूब प्राइवेट लिमिटेड	नेपाली रुपया	100	23000	0.15	–	–
सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	यूएसडी	1	4128868	626.49	–	–
उप–कुल– (I)(ख)				18,869.72		15,916.60
एसोसिएट और जे.वी. में कुल निवेश [(I)(क)+(I)(ख)]				21,392.04		18,097.00

*संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश को समेकन की इक्विटी पद्धति के अनुसार दर्शाया गया है। निवेशों के वहन मूल्य को हानि के हिस्से से घटा दिया गया है और जहाँ भी इकाई में अन्य दीर्घकालिक हित मौजूद हैं, वहाँ असमायोजित हानियाँ, यदि कोई हों, तो ऐसे हित के विरुद्ध समायोजित कर दी गई हैं।

	विवरण	निवेश की मुद्रा	अंकित मूल्य/ चुकता मूल्य	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
				संख्या	वहनीय मूल्य ₹ करोड़ में	संख्या	वहनीय मूल्य ₹ करोड़ में
ग	**एफवीटीओसीआई के रूप में नामित**						
	उद्धृत :						
	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	भारतीय रुपए	5	986885142	24,314.87	986885142	26,453.45
	गेल (इंडिया) लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	163358190	2,990.11	163358190	2,957.60
	ऑयल इंडिया लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	80251650	3,103.73	53501100	3,211.40
	फिनर्जी लिमिटेड	यूएसडी	148	14873892	42.83	14873892	188.24
	लैंजाटेक ग्लोबल इंक.	यूएसडी	10	6025762	12.47	6025762	155.56
	अनुद्धृत :						
	इंटरनेशनल कोऑपरेटिव पेट्रोलियम एसोसिएशन, न्यूयॉर्क	यूएसडी	100	350	0.02	350	0.02
	हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	150000000	614.40	150000000	661.20
	इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	3693750	15.48	3693750	13.36
	वसितार्स प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	1470	0.77	1470	0.77
	वडोदरा एनवायरो चैनल लिमिटेड[b]	भारतीय रुपए	10	7151	–	7151	–
	शमा फोर्ज कंपनी लिमिटेड [c] (परिसमापन के अधीन)	भारतीय रुपए	10	100000	–	100000	–
	बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	100000	0.10	100000	0.10
	सीलोन पेट्रोलियम स्टोरेज टर्मिनल लिमिटेड	श्रीलंकाई रुपये	10	250000000	174.46	250000000	147.35
	ट्रिनको पेट्रोलियम टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड	श्रीलंकाई रुपये	10	13720000	3.96	9800000	2.72
	काराबोबो इंजीनिएरिया वाई कॉन्स्ट्रुक्शंस एस.ए.	यूएसडी		पूंजी स्टॉक का 12.1%	–	पूंजी स्टॉक का 12.1%	–
	पेट्रोकाराबोबो एस.ए.	यूएसडी		पूंजी स्टॉक का 3.5%	44.66	पूंजी स्टॉक का 3.5%	43.94
	उपभोक्ता सहकारी समितियों में:						
	बरौनी[d]	भारतीय रुपए	10	250	–	250	–
	गुवाहाटी[e]	भारतीय रुपए	10	750	–	750	–
	मथुरा[f]	भारतीय रुपए	10	200	–	200	–
	हल्दिया[g]	भारतीय रुपए	10	2190	–	2190	–
	इंडियन ऑयल कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स लिमिटेड, दिल्ली[h]	भारतीय रुपए	10	375	–	375	–
	एमआरएल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी लिमिटेड	भारतीय रुपए	10	9000	0.01	9000	0.01
	उप–कुल– (I)(ग)				31,317.87		33,835.72
	उप–कुल– (ख)				52,709.91		51,932.72
II	**शेयर वारंट (एफवीटीओसीआई के रूप में नामित)**						
	संयुक्त उद्यम में (इक्विटी विधि के लिए समायोजित)						
	अनुद्धृत:						
	इंडियनऑयल एलएनजी प्रा. लिमिटेड (देखें नंबर –4)	भारतीय रुपए	9.99	3665000000	4,139.68	3665000000	3,229.32

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 4: निवेश (जारी..)

	विवरण	निवेश की मुद्रा	अंकित मूल्य/ चुकता मूल्य	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
				संख्या	वहनीय मूल्य ₹ करोड़ में	संख्या	वहनीय मूल्य ₹ करोड़ में
	उप–कुल– (II)				4,139.68		3,229.32
III	अधिमान शेयरों में (एफवीटीपीएल के रूप में नामित)						
	अन्य						
	अनुद्धृत –						
	शमा फोर्ज कं. लिमिटेड	भारतीय रुपए	100	5000	–	5000	–
	(परिसापन के अधीन) 9.5% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर						
	उप–कुल– (III)				–		–
	कुल अन्य निवेश (I)(ग)+(II)+(III)]				35,457.55		37,065.04
	कुल गैर–चालू निवेश (I+II+III)				56,849.59		55,162.04
	वर्तमान निवेश:						
I	उद्धृत नहीं: (एफवीटीपीएल पर)						
	यूनिट ट्रस्ट निवेश (एनएवी)	श्रीलंकाई रुपये			229.26		412.17
	पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के माध्यम से निवेश	श्रीलंकाई रुपये			622.97		436.79
II	सरकारी प्रतिभूतियाँ (एफवीटीओसीआई पर)						
	उद्धृत:						
	तेल विपणन कंपनियाँ भारत सरकार के विशेष बॉन्ड	भारतीय रुपए	10000	3167200	3,204.59	6729510	6,768.92
	9.15% सरकारी स्टॉक 2024	भारतीय रुपए	10000	–	–	1960000	2,052.45
	7.35% सरकारी स्टॉक 2024	भारतीय रुपए	10000	–	–	695000	709.53
	7.26% सरकारी स्टॉक 2033	भारतीय रुपए	10000	1530267	1,608.45	–	–
	7.18% सरकारी स्टॉक 2037	भारतीय रुपए	10000	1000000	1,054.21	–	–
	7.23% सरकारी स्टॉक 2039	भारतीय रुपए	10000	1434863	1,552.14	–	–
	7.26% सरकारी स्टॉक 2032	भारतीय रुपए	10000	478389	501.29	–	–
	7.18% सरकारी स्टॉक 2033	भारतीय रुपए	10000	500000	522.84	–	–
	7.10% सरकारी स्टॉक 2034	भारतीय रुपए	10000	500000	533.31	–	–
	7.41% सरकारी स्टॉक 2036	भारतीय रुपए	10000	500000	539.85	–	–
	कुल चालू निवेश (I+II)				10,368.91		10,379.86

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर–चालू		चालू	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
उद्धृत निवेशों का कुल वहन मूल्य	32,954.37	35,122.44	9,516.68	9,530.90
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	35,969.01	37,901.25	9,516.68	9,530.90
अउद्धृत निवेशों का कुल वहन मूल्य	23,895.22	20,039.60	852.23	848.96
निवेशों के मूल्य में कुल हानि राशि	–	–	–	–

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 4: निवेश (जारी..)

टिप्पणी– क: ऑयल विपणन कंपनी भारत सरकार के विशेष बांड में निवेश में शामिल हैं :

(₹ करोड़ में)

बांड का प्रकार	31 मार्च, 2025			
	बांडों की सं.	अंकित मूल्य राशि	निवेश मूल्य राशि	वहनीय मूल्य राशि
चालू निवेश –				
8.00% भारत सरकार के विशेष बांड 2026	189270	189.27	189.27	191.86
6.90% भारत सरकार के विशेष बांड 2026	2977930	2,977.93	2,977.93	3,012.73
कुल चालू निवेश	3167200	3,167.20	3,167.20	3,204.59

टिप्पणी: बी – अन्य प्रकटन

2 सीसीआईएल के त्रिपक्षीय रेपो सेगमेंट (टीआरईपीएस) के माध्यम से ऋण के लिए क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के पक्ष में निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखी गई हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025			31 मार्च, 2024		
	अंकित मूल्य	निवेश मूल्य	ले जाने के मूल्य	अंकित मूल्य	निवेश मूल्य	ले जाने के मूल्य
7.26% सरकारी स्टॉक 2033	1,166.64	1,192.23	1,226.24	–	–	–
7.18% सरकारी स्टॉक 2037	490.00	503.21	516.56	–	–	–
7.23% सरकारी स्टॉक 2039	500.00	516.83	540.87	–	–	–
7.26% सरकारी स्टॉक 2032	178.00	183.28	186.52	–	–	–
7.18% सरकारी स्टॉक 2033	500.00	511.67	522.84	–	–	–
7.10% सरकारी स्टॉक 2034	500.00	511.25	533.31	–	–	–
9.15% सरकारी स्टॉक 2024	–	–	–	6.00	6.84	6.28

2 सीआरओएमएस प्लेटफॉर्म से ओवरनाइट उधारी के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के पक्ष में निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखी गईं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025			31 मार्च, 2024		
	अंकित मूल्य	निवेश मूल्य	ले जाने के मूल्य	अंकित मूल्य	निवेश मूल्य	ले जाने के मूल्य
7.26% सरकारी स्टॉक 2033	339.60	347.05	356.95	–	–	–
7.18% सरकारी स्टॉक 2037	500.00	513.48	527.11	–	–	–
7.23% सरकारी स्टॉक 2039	500.00	516.83	540.87	–	–	–
7.23% सरकारी स्टॉक 2039	415.00	428.97	448.92	–	–	–
7.26% सरकारी स्टॉक 2032	286.87	295.38	300.60	–	–	–
7.41% सरकारी स्टॉक 2036	464.08	482.45	501.06	–	–	–

3 तेल विपणन कंपनियों ने ₹ 494.70 करोड़ रुपये के निवेश मूल्य ₹ (500.48 करोड़ रुपये का वहन मूल्य) के 6.90% भारत सरकार के विशेष बांड 2026 का उपयोग सीसीआईएल के क्रॉम्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकदिवसीय उधारी प्राप्त करने के विरुद्ध संपार्श्विक के रूप में किया है।

4 पूर्णांकन के कारण निम्नलिखित ऊपर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
क	इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड	45000	45000
ख	वडोदरा एनवायरो चैनल लिमिटेड	10	10
ग	शमा फोर्ज कं. लिमिटेड	100	100
घ	बरौनी उपभोक्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी	2500	2500
ङ	गुवाहाटी उपभोक्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी	2500	2500
च	मथुरा उपभोक्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी	2000	2000
छ	हल्दिया उपभोक्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी	16630	16630
ज	इंडियनऑयल कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स लिमिटेड, दिल्ली	3750	3750
झ	शमा फोर्ज कं. लिमिटेड	100	100

5 वर्ष के दौरान, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 2,67,50,550 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता बोनस शेयरों के रूप में आवंटित किए हैं।

6 सभी निवेश पूर्णतः चुकता हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 5: ऋण

(परिशोधित लागत पर जब तक अन्यथा न कहा गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण		गैर-चालू		चालू	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
ऋण					
संबंधित पक्षों को					
प्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		0.35	0.38	0.04	0.06
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		339.43	0.21	106.36	15.54
अनर्जक क्रेडिट		224.66	224.66	–	–
		564.44	**225.25**	106.40	**15.60**
घटाएं-संदिग्ध ऋणों की स्वीकृति		224.66	224.66	–	–
		339.78	**0.59**	106.40	**15.60**
अन्य को					
प्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		1,638.11	1,369.32	180.88	158.20
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		1,422.57	1,397.37	378.52	356.51
जिनका क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी है		167.74	200.24	45.49	46.70
अनर्जक क्रेडिट		726.20	630.60	242.67	233.49
		3,954.62	**3,597.53**	847.56	**794.90**
घटाएं-संदिग्ध ऋणों की स्वीकृति	क	1,070.96	1,011.14	325.20	317.56
		2,883.66	**2,586.39**	522.36	**477.34**
कुल		3,223.44	**2,586.98**	628.76	**492.94**
क. इसमें अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल के अनुसार प्रावधान और खरे माने जाने वाले ऋणों पर अनुभव कारक लागू करना शामिल है और जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।		344.76	380.54	82.53	84.07

टिप्पणी – 6: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(परिशोधित लागत पर अप्रतिभूत: उपयुक्त समझी गयी जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया)

(₹ करोड़ में)

विवरण		गैर-चालू		चालू	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सुरक्षा जमा					
संबंधित पक्षों से					
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		4.00	4.00	0.16	0.12
अन्य को					
प्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		0.12	0.11	–	–
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया		326.61	304.68	86.53	75.77
अनर्जक क्रेडिट		–	–	1.37	1.39
		330.73	**308.79**	88.06	**77.28**
घटाएं- संदिग्ध जमा की स्वीकृति		–	–	1.37	1.39
		330.73	**308.79**	86.69	**75.89**
निवेश के लिए अग्रिम	क	1,558.43	1,604.67		
केंद्र/राज्य सरकारों से वसूली योग्य राशि		–	–	1,960.94	1,785.75
निवेश/बैंक जमा/ऋण पर अर्जित ब्याज		–	–	0.50	–
उचित मूल्य पर व्युत्पन्न उपकरण		–	–	1.32	2.98
कर्मचारी लाभ ट्रस्ट/निधि को अग्रिम		–	–	246.64	279.28
बैंक जमा (12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ)	ख	447.70	447.34	(658.73)	0.93
वसूली योग्य दावे:					
संबंधित पक्षों से					
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		–	–	54.52	54.52
ऋण क्षीण		–	–	26.90	26.90
		–	–	81.42	**81.42**
अन्य से					
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		–	–	234.90	256.50
ऋण क्षीण		–	–	168.86	229.15
		–	–	403.76	**485.65**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 6: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर-चालू		चालू	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
घटाएँ: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	–	–	195.76	256.05
	–	–	208.00	**229.60**
	–	–	289.42	**311.02**
अन्य:				
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	–	–	332.68	305.14
ऋण क्षति	–	–	38.87	25.73
	–	–	371.55	**330.87**
घटाएँ: संदिग्ध संपत्ति के लिए भत्ता	–	–	38.87	25.73
	–	–	332.68	**305.14**
कुल	2,336.86	**2,360.80**	2,259.46	**2,760.99**

क. आवंटन लंबित होने के कारण इक्विटी के लिए अग्रिम। आवंटन के लंबित इक्विटी शेयर आवेदन धन का प्रतिनिधित्व करता है। इक्विटी शेयरों का आवंटन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार किए जाने की उम्मीद है।

ख. निविदा में भाग लेने के लिए सांविधिक प्राधिकरण के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में निश्चित / प्रदत्त के रूप में प्रदान किया गया।

टिप्पणी – 7: आय कर/चालू कर परिसंपत्ति/ (देयता) –निवल

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर-चालू		चालू	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
आय/चालू कर परिसंपत्ति/ (देयता)-निवल				
चालू कर के लिए अग्रिम भुगतान	15,302.17	11,267.02	725.05	10,741.68
घटाएं -प्रावधान	13,712.44	9,439.04	39.97	11,695.23
	1,589.73	**1,827.98**	685.08	**(953.55)**
आय / चालू कर परिसंपत्ति	1,589.73	1,827.98	725.05	0.82
आय / चालू कर (देयता)			(39.97)	(954.37)
आय / चालू कर परिसंपत्ति / (देयता) – निवल	1,589.73	**1,827.98**	685.08	**(953.55)**

टिप्पणी – 8: अन्य परिसंपत्तियां (गैर-वित्तीय)

(अप्रतिभूत, उपयुक्त समझी गयी जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर-चालू		चालू	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
पूंजीगत खर्च के लिए अग्रिम				
संबंधित पक्षकारों को				
अरक्षित, खरा माना गया	–	10.29		
	–	**10.29**		
अन्य को				
प्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	1.57	3.30		
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	2,966.92	2,301.58		
अप्रतिभूत, संदिग्ध माना गया	9.32	9.32		
	2,977.81	**2,314.20**		
	2,977.81	**2,324.49**		
घटाएं – संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान	9.32	9.32		
	2,968.49	**2,315.17**		

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 8: अन्य परिसंपत्तियां (गैर-वित्तीय) (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर-चालू		चालू	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वसूली योग्य अग्रिम				
संबंधित पक्षों से				
अप्रतिभूत, उपयुक्त माने गए	1,067.41	1,198.98	134.73	28.79
अन्य से				
अप्रतिभूत, उपयुक्त माना गया	871.76	279.37	3,804.69	3,494.22
अप्रतिभूत, संदिग्ध माना गया	–	–	4.86	4.87
	871.76	**279.37**	3,809.58	**3,499.09**
घटाएं – संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान	–	–	4.86	4.87
	871.76	**279.37**	3,804.72	**3,494.22**
	1,939.17	**1,478.35**	3,939.45	**3,522.67**
वसूली योग्य दावे–				
अन्य से				
असुरक्षित, अच्छा माना गया (नोट – 48, क्रम संख्या 2 देखें)	–	–	1,573.01	746.84
अप्रतिभूत, संदिग्ध माना गया	–	–	62.48	61.90
	–	–	1,635.49	**808.74**
घटाएं – संदिग्ध दावों का प्रावधान	–	–	62.48	61.90
	–	–	1,573.01	**746.84**
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष / जमा				
अप्रतिभूत, उपयुक्त माने गए	–	–	579.84	613.39
स्वर्ण/अन्य कीमती धातुएं	–	–	94.50	112.23
घटाएं- मूल्य में ह्रास का प्रावधान	–	–	7.84	15.74
	–	–	86.66	**96.49**
आस्थगित व्यय (नोट-39 देखें)	1,237.03	1,139.68	118.17	114.37
पूर्वदत्त किराया	16.14	18.17	69.76	74.62
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के पहले से किए गए व्यय	–	–	43.87	35.29
अन्य	–	–	3.97	8.58
कुल	6,160.83	**4,951.37**	6,414.73	**5,212.25**

टिप्पणी – 9: इन्वेंट्री

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
हस्तगत:		
कच्चा माल	28,748.87	32,505.64
चालू स्टॉक	9,566.65	10,993.86
तैयार उत्पाद	43,913.73	43,636.65
व्यापारगत स्टॉक	9,579.40	8,632.80
स्टोर्स, पुर्जे आदि	7,733.05	6,848.97
घटाएं: हानि का प्रावधान	354.48	320.90
	7,378.57	**6,528.07**
बैरल और टिन	82.01	90.22
	99,269.23	**1,02,387.24**
मार्गस्थ:		
कच्चा माल	9,729.87	15,164.75
तैयार उत्पाद	1,358.37	1,182.18
व्यापारगत स्टॉक	3,170.44	2,353.34
स्टोर्स, पुर्जे आदि	350.58	288.32
	14,609.26	**18,988.59**
कुल	1,13,878.49	**1,21,375.83**
वस्तुसूचियों की अवलेखित राशि एनआरवी पर की गई जिसे व्यय माना गया।	1,212.97	1,005.17

वस्तुसूचियों का मूल्यांकन महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के बिंदु सं. 7 के अनुसार किया गया (टिप्पणी – 1)

गिरवी के विवरण के लिए, टिप्पणी-21 देखें।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 10: व्यापार प्राप्तियाँ

(परिशोधित लागत पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
संबंधित पक्षकारों से			
अप्रतिभूत, उपयुक्त माने गए		483.07	628.93
अनर्जक क्रेडिट		9.93	9.69
		493.00	**638.62**
अन्य से			
प्रतिभूत, उपयुक्त माने गए		0.70	0.13
अप्रतिभूत, उपयुक्त माने गए		18,309.97	13,342.45
जिनसे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी होगी		–	–
अनर्जक क्रेडिट		206.84	208.68
		18,517.51	**13,551.26**
कुल		19,010.51	**14,189.88**
घटाएं: संदिग्ध ऋणों की स्वीकृति	क	459.55	358.43
कुल		18,550.96	**13,831.45**
क. इसमें लेखांकन नीति के अनुरूप अपेक्षित ऋण हानि विधि के अनुसार प्रावधान शामिल है, जो वस्तुओं तथा उन वस्तुओं पर लागू होता है जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।		242.78	140.06

व्यापार प्राप्य राशियों की अवधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल रहित	देय नहीं	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय					कुल
			6 माह से कम	6 माह –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
चालू वर्ष								
i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	34.76	11,733.93	5,316.66	366.54	240.59	99.99	59.20	17,851.67
ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	–	–	–	–	–	–	84.67	84.67
iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है (नोट 48, क्रम संख्या 3 देखें)	2.15	6.25	7.44	244.93	489.64	33.39	158.27	942.07
iv) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	0.65	1.86	2.25	4.37	8.83	8.63	105.51	132.10
कुल	37.56	11,742.04	5,326.35	615.84	739.06	142.01	407.65	19,010.51
पिछले वर्ष								
i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	35.91	9,088.70	3,982.21	188.36	177.46	152.14	62.50	13,687.28
ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	–	–	–	55.56	0.35	0.31	74.03	130.25
iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	4.62	12.77	16.21	20.37	38.06	44.65	147.55	284.23
iv) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	–	–	–	–	0.15	0.24	87.73	88.12
कुल	**40.53**	**9,101.47**	**3,998.42**	**264.29**	**216.02**	**197.34**	**371.81**	**14,189.88**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 11: नकद व नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष –		
चालू खाते में	535.01	954.33
मियादी जमा खाते में – 3 महीनों से कम की परिपक्वता	45.20	264.58
	580.21	**1,218.91**
गैर-अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष –	84.46	25.40
पास में चैक, ड्राफ्ट	7.17	1.31
पास में नकद, इंप्रेस्ट राशि सहित	1.33	0.97
कुल	673.17	**1,246.59**

टिप्पणी – 12: उपर्युक्त के अलावा बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
मियादी जमा	क	2,238.00	1,500.02
निर्धारित शेष	ख	393.16	409.83
अन्य बैंक शेष	ग	0.61	0.61
कुल		2,631.77	**1,910.46**
क) इसमें सांविधिक प्राधिकारियों के पक्ष में निश्चित की गईं सावधि जमा राशियां शामिल हैं		12.96	12.38
ख) इनसे संबंधित			
– अदत्त लाभांश		190.23	95.05
– भिन्नात्मक शेयर वारंट		(0.01)	0.03
– लिक्विड ऑक्सीजन उपकरण की खरीद के लिए पीएम केयर्स फंड से प्राप्त राशि (नोट 6 में वसूली योग्य दावों के रूप में दर्शाई गई शून्य (2024: ₹41.33 करोड़) राशि के दावे का लंबित समायोजन)		–	41.33
– आरओ पर ईवीसीएस स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से अनुदान प्राप्त हुआ (सरकार को देय ₹ 34.04 करोड़ (2024: ₹ 16.61 करोड़) (टीडीएस के बाद शुद्ध) का ब्याज सहित)		201.49	271.41
– ट्रांसपोर्टर विक्रेता से प्राप्त राशि केवल न्यायालय के निर्देशानुसार देय होगी।		1.44	2.00
ग) बैंक खाते के प्रत्यावर्तन पर प्रतिबंध है/इन शेष राशियों का उपयोग			

टिप्पणी –13: बिक्री योग्य परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
पूर्ण-स्वामित्व	क	0.64	0.64
भवन	ख	0.05	0.07
संयंत्र व उपकरण		120.77	57.69
कार्यालयीन उपकरण		0.07	0.19
परिवहन संबंधी उपकरण		0.24	0.10
कुल		121.77	**58.69**
निपटान समूह : कावेरी बेसिन रिफ़ाइनरी, नागपट्टिणम	ग		
फ्रीहोल्ड भूमि		4.96	4.96
भवन		12.97	12.97
संयंत्र और उपकरण		52.00	52.00
कार्यालय उपकरण		0.05	0.05
अन्य		1,320.10	1,102.76
कुल		1,390.08	**1,172.74**
बिक्री के लिए रखी कुल परिसंपत्तियां		1,511.85	**1,231.43**
बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों से संबद्ध कुल देयता		14.98	**18.77**

क. कंपनी के पास एलपीजी प्लांट, डिपो और आरओ आदि जैसे विभिन्न स्थानों पर अधिशेष भूमि है जो निपटान के अधीन है। प्रबंधन इस जमीन को बेचना चाहता है। बिक्री के लिए धारित भूमि के पुनर्वर्गीकरण पर कोई हानि अभिचिह्नित नहीं की गई क्योंकि कंपनी अपेक्षा करती है कि उचित मूल्य (समान स्थानों में समान संपत्तियों के हाल के बाजार मूल्यों के आधार पर अनुमानित) में से बेचने की लागत घटाने के बाद शेष राशि वहनीय राशि से अधिक है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी –13: बिक्री योग्य परिसंपत्तियां (जारी..)

ख. इसमें सक्रिय उपयोग से हटाई गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां शामिल हैं जो पहले विभिन्न खंडों में उपयोग की जाती थीं और एक वर्ष के भीतर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निपटान के लिए रखी गई थीं।

वर्ष के दौरान समूह ने ₹ 6.04 करोड़ (2024: ₹ 0.07 करोड़) की बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों के निपटान की योजना के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/अन्य परिसंपत्तियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है।

वर्ष के दौरान, समूह ने परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर कम करके विक्रय लागत पर लिखने पर ₹ 13.57 करोड़ (2024: ₹ 18.30 करोड़) की हानि को मान्यता दी है और इसे लाभ और हानि विवरण में मअन्य व्ययफके तहत बेची गई या लिखी गई अन्य परिसंपत्तियों पर प्रावधान/हानि में दिखाया गया है।

ग. कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (सीबीआरपीएल) को 6 जनवरी 2023 को इंडियन ऑयल (मूल कंपनी) और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल की सहायक कंपनी) के एक संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया है। दोनों कंपनियों के पास 25% इक्विटी और शेष सीड इक्विटी निवेशकों के पास होगी। यह संयुक्त उद्यम, सीपीसीएल द्वारा सीबीआर परियोजना में इक्विटी निवेश के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) से अनुमोदन प्राप्त होने पर चालू हो जाएगा। तदनुसार, समूह द्वारा धारित भूमि, निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य, अन्य सुविधाएँ और प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देनदारियाँ, जिन्हें नए संयुक्त उद्यम को हस्तांतरित किया जाना है, निपटान समूह के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।

टिप्पणी – 14: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अधिकृत:		
30,00,00,00,000 (2024: 30,00,00,00,000) प्रत्येक 10 के इक्विटी शेयर	30,000.00	30,000.00
जारी, अभिदत्त और चुकता:		
14,12,12,38,383 (2024: 14,12,12,38,383) प्रत्येक ₹ 10 के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर	14,121.24	14,121.24
घटाएँ: शेयर्स ट्रस्ट के अंतर्गत धारित इक्विटी शेयर	349.68	349.68
34,96,77,684 (2024: 34,96,77,684) प्रत्येक ₹ 10 के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर		
कुल	13,771.56	**13,771.56**

क. इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान

आरंभिक शेष	14,12,12,38,383	14,12,12,38,383
जारी किए गए शेयर	–	–
अंतिम शेष	14,12,12,38,383	**14,12,12,38,383**

ख. इक्विटी शेयरों की शर्तें / अधिकार

होल्डिंग कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर हैं, जिनमें से प्रत्येक का सममूल्य ₹10 है और वह प्रति शेयर एक वोट की हकदार है। निगम के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक, होल्डिंग कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को अपने पास मौजूद इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में प्राप्त करने के हकदार होंगे।

आईओसी शेयर्स ट्रस्ट (शेयरधारक) ने 02.03.2020 से लाभांश प्राप्त करने के अपने अधिकार का त्याग कर दिया है।

ग. 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	7,27,21,99,767	51.50	7,27,21,99,767	51.50
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	2,00,58,22,884	14.20	2,00,58,22,884	14.20
भारतीय जीवन बीमा निगम	90,80,09,660	6.43	97,77,88,060	6.92
ऑयल इंडिया लिमिटेड	72,83,85,744	5.16	72,83,85,744	5.16

घ. तुलन-पत्र की तारीख को पूर्ववर्ती पांच वर्षों की अवधि के लिए :

(क)	नकद भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध (नों) के अनुसार पूर्णतः चुकता शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी	शून्य
(ख)	बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्णतः चुकता शेयरों की कुल संख्या – वित्त वर्ष 2022-23 (जुलाई 2022) के दौरान 1:2 के अनुपात में	470,70,79,461

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 14: इक्विटी शेयर पूंजी (जारी..)

ङ. यथा 31 मार्च, 2025 को प्रवर्तकों की शेयरधारिता संबंधी विवरण

प्रवर्तक का नाम	वर्ष के आरंभ में		वर्ष के अंत में		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	7,27,21,99,767	51.50	7,27,21,99,767	51.50	–

टिप्पणी – 15: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
प्रतिधारित आय		
सामान्य आरक्षित निधि:		
प्रारंभिक शेष	99,792.71	97,494.19
जोड़ें: इंड-एएस के कारण प्रारंभिक शेष समायोजन	73.71	(0.90)
जोड़ें: लाभांश वितरण कर वापसी	–	2.46
जोड़ें: परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	60.35	(32.28)
जोड़ें: बॉन्ड मोचन आरक्षित निधि से स्थानांतरण	–	1,013.20
जोड़ें: अधिशेष से विनियोजन	23,894.68	1,316.04
जोड़ें: समेकन पर	(491.90)	
	1,23,329.55	**99,792.71**
अधिशेष (लाभ-हानि विवरण में शेष):		
प्रारंभिक शेष	39,032.50	9,657.51
वर्ष का लाभ	13,597.84	41,729.69
जोड़ें: प्रारंभिक शेष समायोजन	20.08	(0.26)
घटाएँ: विनियोजन		
अंतरिम लाभांश व्यय सहित (कर रहित)	–	6,886.04
अंतिम लाभांश व्यय सहित (कर रहित)	9,640.28	4,131.58
बीमा आरक्षित निधि (शुद्ध)	20.12	21.01
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि (शुद्ध)	–	(0.23)
सामान्य आरक्षित निधि	23,894.68	1,316.04
शेष अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया	19,095.34	**39,032.50**
	1,42,424.89	**1,38,825.21**
अन्य आरक्षित निधि:		
बॉन्ड मोचन आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	18.75	1,031.95
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	–	1,013.20
	18.75	**18.75**
पूंजी मोचन आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	0.42	0.41
घटाएँ: बोनस शेयर जारी करने के लिए उपयोग किया गया	–	0.01
	0.42	**0.42**
पूंजी आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	428.56	428.47
जोड़ें: समेकन पर	373.52	0.09
	802.08	**428.56**
प्रतिभूति प्रीमियम		
प्रारंभिक शेष	79.94	76.74
वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	–	3.20
	79.94	**79.94**
बीमा आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	340.21	319.20
जोड़ें: अधिशेष से विनियोजन	20.12	21.01
	360.33	**340.21**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 15: अन्य इक्विटी (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	0.02	0.25
जोड़ें: अधिशेष से विनियोजन	57.96	35.31
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग	57.96	35.54
	0.02	**0.02**
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य:		
इक्विटी उपकरणों का उचित मूल्य		
प्रारंभिक शेष	28,619.67	15,069.23
जोड़ें: वर्ष के दौरान उचित मूल्य	(1,769.93)	13,550.44
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित	–	–
	26,849.74	**28,619.67**
ऋण उपकरणों का उचित मूल्य		
प्रारंभिक शेष	(3.90)	(10.88)
जोड़ें: वर्ष के दौरान उचित मूल्य	65.64	6.98
	61.74	**(3.90)**
नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	2.22	138.67
जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	(5.55)	(57.76)
घटाएँ: वर्ष के दौरान स्थानांतरित	0.91	78.69
	(4.24)	**2.22**
समेकन पर अनुवाद आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	1,333.61	1,742.94
जोड़ें: अनुवाद अंतर	788.48	(409.33)
	2,122.09	**1,333.61**
कुल	1,72,715.76	**1,69,644.71**

आरक्षणों की प्रकृति और प्रयोजन

क. अवधारित आय

अवधारित आय में सामान्य रिजर्व और अधिशेष शामिल होता है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन द्वारा लाभ अंतरित करने के लिए किया जाता है। अवधारित आय कंपनी का मुक्त आरक्षण है जिसका उपयोग निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार बोनस शेयर जारी करने, शेयरों की पुनर्खरीद करना और अन्य उद्देश्यों (जैसे लाभांश की घोषणा आदि) के लिए किया जाता है। इसमें बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित हितलाभ योजना का पुनर्मापन शामिल है जिसे बाद की अवधियों में लाभ व हानि के विवरण में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

ख. बांड रिडेम्पशन रिजर्व

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी द्वारा एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर जारी किए गए सभी बांड/ऋणपत्र के लिए एक बांड मोचन रिजर्व निधि बनाया जाना आवश्यक है। यह रिजर्व निधि बांड की अवधि में लाभ के विनियोजन से बनाई गई है और बांडों के पुनर्भुगतान पर इसे वापस सामान्य आरक्षण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसके लिए इसे बनाया गया है। 2019 में, इस जरूरत को लिस्टेड कंपनियों द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों और अन्य लिस्टेड कंपनियों को ऋण पत्रों (डिबेंचर) के सार्वजनिक निर्गम / निजी नियोजन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के मामले में समाप्त कर दिया गया था।

ग. पूंजी ऋणमुक्ति रिज़र्व

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, पूंजी मोचन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयरों को फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से खरीदती है। खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित की जाती है। इस रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 15: अन्य इक्विटी (जारी..)

घ. पूंजी रिज़र्व

व्यावसायिक संयोजनों के माध्यम से रिज़र्व पूंजी सृजित की गई और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार इसका उपयोग किया जाएगा।

ङ. प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण का उपयोग शेयरों को जारी करने पर प्रीमियम को दर्ज करने में किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस आरक्षण का उपयोग किया जाता है।

च. बीमा आरक्षण निधि

बीमा रिज़र्व समूह द्वारा बाह्य बीमा एजेंसियों द्वारा बीमित न की गई परिसंपत्तियों के नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। इस रिज़र्व में मूल कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष ₹ 20.00 करोड़ और एक सहायक कंपनी (CPCL) द्वारा ₹ 11.00 करोड़ (गैर-नियंत्रक हित सहित) का विनियोजन किया जाता है। इस रिज़र्व का उपयोग संबंधित कंपनी द्वारा किसी भी गैर-बीमित हानि की स्थिति में शुद्ध विनियोजन के माध्यम से वास्तविक हानि को कम करने के लिए किया जाता है।

छ. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व रिज़र्व

कंपनियों के संबंधित समूहों द्वारा सीएसआर नीति के अनुरूप सीएसआर कार्यकलापों से संबंधित व्ययों को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) आरक्षण निधि तैयार की गई है।

ज. इक्विटी लिखतों का उचित मूल्य

यह आरक्षित निधि कंपनी द्वारा अन्य संस्थाओं के इक्विटी लिखतों में किए गए निवेश के उचित मूल्य के उतार-चढ़ाव के संचयी प्रभाव को दर्शाता है। इस तरह के परिवर्तनों पर होने वाले संचयी लाभ या हानि को अन्य बड़ी आय (ओसीआई) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और इस अरक्षित निधि के तहत जमा किया जाता है। इसे बाद की अवधियों में लाभ व हानि के विवरण में दोबारा वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

झ. ऋण लिखतों का उचित मूल्य

यह आरक्षित निधि, कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्चुअल नकदी प्रवाह अर्जित करने हेतु किए गए ऋण निवेशों में उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव के संचयी प्रभाव को दर्शाती है और ये बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इस तरह के परिवर्तनों पर होने वाले संचयी लाभ या हानि को अन्य बड़ी आय (ओसीआई) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और इस निधि के तहत जमा किया जाता है। इस राशि को संबंधित उपकरणों के निपटान पर बाद की अवधियों में लाभ व हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।

ञ. नकद प्रवाह हैज रिज़र्व

नकदी प्राप्ति हैज रिज़र्व निधि नकदी प्राप्ति का बचाव करने के लिए दर्ज किए गए हैज लिखतों के निर्दिष्ट हिस्से के उचित मूल्य में बदलाव पर होने वाले लाभ या हानि के संचयी प्रभावी हिस्से को दर्शाता है। इस तरह के परिवर्तनों पर होने वाले संचयी लाभ या हानि को अन्य बड़ी आय (ओसीआई) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और इस आरक्षित निधि के तहत जमा किया जाता है। इस तरह के लाभ या हानि को उस अवधि में लाभ व हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें बचाव की गई मदें लाभ व हानि के विवरण को प्रभावित करती है।

ट. समेकन पर रूपांतरण रिज़र्व

भारतीय रुपए के अलावा भिन्नात्मक मुद्रा के साथ विदेशी संचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण से आने वाले मुद्रा विनिमय अंतरों को अन्य बड़ी आय (ओसीआई) द्वारा निर्धारित किया जाता है और उन्हें विदेशी मुद्रा रूपांतरण रिज़र्व में इक्विटी में दिखाया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 16: दीर्घकालीन ऋण

(परिशोधित लागत पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण		गैर-चालू		चालू परिपक्वताएं*	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सुरक्षित ऋण					
अवधि ऋण:					
बैंकों से	क	1,600.62	–	717.60	–
तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से	ख	–	24.70	24.97	50.00
तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड (SIPCOT) से	ग	158.12	–	–	–
कुल सुरक्षित ऋण		1,758.74	**24.70**	742.57	**50.00**
असुरक्षित ऋण					
बांड/ऋणपत्र:					
रुपया बांड/ऋणपत्र	घ	16,996.93	16,913.38	5,635.84	6,194.01
		16,996.93	**16,913.38**	5,635.84	**6,194.01**
ऋणपत्र:					
अपरिवर्तनीय ऋणपत्र	ङ	–	810.00	–	840.73
		–	**810.00**	–	**840.73**
अवधि ऋण:					
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से					
विदेशी मुद्रा ऋण में	च	26,219.89	23,942.87	8,376.04	6,146.12
रुपये में	छ	4,000.00	2,750.00	2,017.22	4,036.06
सरकार से					
रुपये में	ज	2,780.19	2,351.95	–	–
		33,000.08	**29,044.82**	10,393.26	**10,182.18**
कुल असुरक्षित ऋण		49,997.01	**46,768.20**	16,029.10	**17,216.92**
कुल दीर्घकालिक उधार		51,755.75	**46,792.90**	16,771.67	**17,266.92**

* चालू परिपक्वताएं टिप्पणी-21 : उधारियां – चालू में ले जाई गई हैं

प्रतिभूति ऋण–

क. एसबीआई टर्म लोन

क्र. सं.	विवरण	उपयोग की तिथि	पुनर्भुगतान की तिथि	सुरक्षा विवरण
1	एसबीआई से ₹ 2316.81 करोड़ रुपये का सावधि ऋण	29 मार्च 2025	सावधि ऋण, निकासी की तिथि से 3 वर्षों की अवधि में मूलधन और ब्याज के 36 संरचित मासिक भुगतानों में चुकाया जाएगा। देय राशि ₹ 716.19 करोड़ (वित्त वर्ष 2025-26), ₹ 770.95 करोड़ (वित्त वर्ष 2026-27) और ₹ 829.67 करोड़ (वित्त वर्ष 2027-28) होगी।	एस्क्रो खाते और उसमें पड़े धन के विरुद्ध सावधि ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में प्रभार सृजित किया गया।

ख. ओआईडीबी से सावधि ऋण

क्र. सं.	विवरण	उपलब्ध तिथि	ब्याज दर	पुनर्भुगतान की तारीख	प्रतिभूति के विवरण
1	तेल उद्योग विकास बोर्ड से सावधि ऋण – ₹100 करोड़	31 मार्च 2020	6.16%	यह ऋण 5 वर्षों की अवधि के लिए होगा, जिसमें 1 वर्ष की स्थगन अवधि होगी और इसे 4 समान किश्तों में चुकाया जाएगा। ब्याज तिमाही आधार पर देय होगा। पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार पूर्ण भुगतान किया जाएगा।	वर्तमान और भविष्य दोनों की अचल संपत्तियों पर प्रथम बंधक और प्रभार तथा बकाया राशि की सीमा तक बीएस-VI परियोजना से संबंधित वर्तमान और भविष्य की चल मशीनरी, मशीनरी पुर्जों, उपकरणों और सहायक उपकरणों सहित चल संपत्तियों पर दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार।
2	तेल उद्योग विकास बोर्ड से सावधि ऋण – ₹100 करोड़	30 जून 2020	5.68%	यह ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसमें 1 वर्ष की ऋणस्थगन अवधि होगी और इसे 4 समान किस्तों में चुकाया जाएगा। ब्याज तिमाही आधार पर देय होगा।	

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 16: दीर्घकालीन ऋण (जारी..)

ग एसआईपीसीओटी से सावधि ऋण

क्र. सं.	विवरण	उपलब्ध तिथि	ब्याज दर	पुनर्भुगतान की तिथि	सुरक्षा विवरण
1	तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड से सावधि ऋण: किश्त- ₹173.42 करोड़	10 मई 2024	0.10%	प्रथम वर्ष में स्वीकृत सॉफ्ट लोन का भुगतान 13वें वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में ब्याज सहित पूर्ण रूप से किया जाएगा। ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा।	सभी भवनों, संयंत्र एवं मशीनरी और उपकरणों पर प्रथम बंधक और प्रभार। लाभार्थी द्वारा एसआईपीसीओटी को उक्त मूल राशि, उस पर ब्याज (यदि कोई हो) और इस प्रतिभूति के संबंध में एसआईपीसीओटी द्वारा वहन की जाने वाली सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों के भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में प्रथम प्रभार के रूप में बंधक रखा गया है।
2	तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड से सावधि ऋण: किश्त- ₹196.98 करोड़	31 मार्च 2025	0.10%		

असुरक्षित ऋण:

घ रुपया बांड/डिबेंचर की पुनर्भुगतान अनुसूची

क्र. सं.	विवरण	आवंटन की तिथि	कूपन दर	मोचन की तिथि
1	इंडियन ऑयल 2032 (श्रृंखला XXIII) 25000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹2,500 करोड़	17 जून 2022	17 जून को 7.79% वार्षिक देय	आवंटन की अनुमानित तिथि अर्थात 12 अप्रैल 2032 से 9 वर्ष, 9 महीने और 26 दिन
2	इंडियन ऑयल 2030 (श्रृंखला XXVII) 250000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹1,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹2,500 करोड़	06 जनवरी 2025	6 जनवरी को 7.25% वार्षिक देय	आवंटन की अनुमानित तिथि अर्थात 6 जनवरी 2030 से 5 वर्ष
3	इंडियन ऑयल 2029 (श्रृंखला XIV) 30000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹3,000 करोड़	22 अक्टूबर 2019	22 अक्टूबर को 7.41% वार्षिक देय।	आवंटन की अनुमानित तिथि अर्थात 22 अक्टूबर 2029 से 10 वर्ष
4	इंडियन ऑयल 2029 (श्रृंखला XXVI) 250000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹1,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹2,500 करोड़	16 जुलाई 2024	16 जुलाई को 7.36% वार्षिक देय	आवंटन की अनुमानित तिथि अर्थात 16 जुलाई 2029 से 5 वर्ष
5	इंडियन ऑयल 2027 (श्रृंखला XXV) 25000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल राशि ₹ 2,500 करोड़	25 नवंबर 2022	25 नवंबर को 7.44% वार्षिक देय	आवंटन की अनुमानित तिथि अर्थात 25 नवंबर 2027 से 5 वर्ष
6	इंडियन ऑयल 2027 (श्रृंखला XXIV) 25000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल ₹2,500 करोड़	06 सितंबर 2022	6 सितंबर को 7.14% वार्षिक देय	आवंटन की अनुमानित तिथि अर्थात 6 सितंबर 2027 से 5 वर्ष
7	इंडियन ऑयल 2027 (श्रृंखला XXI) 15000 डिबेंचर, अंकित मूल्य 10,00,000 प्रत्येक, कुल 1,500 करोड़	18 फ़रवरी 2022	18 फरवरी को 6.14% वार्षिक देय	आवंटन की अनुमानित तिथि अर्थात 18 फरवरी 2027 से 5 वर्ष
8	इंडियन ऑयल 2026 (श्रृंखला XX) 12902 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल ₹1,290.2 करोड़	25 जनवरी 2021	25 जनवरी को 5.60% वार्षिक देय	आवंटन की अनुमानित तिथि अर्थात 23 जनवरी 2026 से 4 वर्ष, 11 महीने और 29 दिन
9	इंडियन ऑयल 2025 (श्रृंखला XIX) 20000 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल ₹2,000 करोड़	20 अक्टूबर 2020	20 अक्टूबर को 5.50% वार्षिक देय।	आवंटन की अनुमानित तिथि अर्थात 20 अक्टूबर से 5 वर्ष 2025
10	इंडियन ऑयल 2025 (श्रृंखला XXVIII) 16250 डिबेंचर, अंकित मूल्य ₹10,00,000 प्रत्येक, कुल ₹1,625 करोड़	03 अगस्त 2020	3 अगस्त को 5.40% वार्षिक देय।	आवंटन की मान्य तिथि अर्थात 11 अप्रैल 2025 से 4 वर्ष, 8 महीने और 8 दिन

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 16: दीर्घकालीन ऋण (जारी..)

ङ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की पुनर्भुगतान अनुसूची

क्र. सं.	विवरण	उपलब्ध तिथि	ब्याज दर	मोचन की तिथि
1	₹ 10 लाख रुपये प्रति के असुरक्षित मोचनीय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, सममूल्य पर मोचनीय - श्रृंखला -I-2021	17 जुलाई 2020	5.78%	मूलधन प्राप्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के अंत में चुकाया जाएगा। ब्याज वार्षिक देय होगा।

च बैंकों/वित्तीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा में सावधि ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची

क्र. सं.	ऋणों का विवरण	निकासी की तिथि	पुनर्भुगतान की तिथि
1	100 मिलियन यूएसडी का सावधि ऋण - एसबीआई	07 अप्रैल 2021	निकासी की तिथि से 5 वर्ष बाद तुरंत देय
2	100 मिलियन यूएसडी का सावधि ऋण - एसबीआई - जीएस	14 मई 2021	
3	बॉब से 125 मिलियन यूएसडी का सावधि ऋण	03 नवंबर 2021	
4	बॉब से 125 मिलियन यूएसडी का सावधि ऋण	01 दिसंबर 2021	
5	एसबीआई लंदन से 300 मिलियन यूएसडी का ईसीबी ऋण	30 दिसंबर 2021	आहरण की तिथि से 4 वर्ष बाद तुरंत देय
6	एसबीआई लंदन से 250 मिलियन यूएसडी का ईसीबी ऋण	30 दिसंबर 2021	आहरण की तिथि से 5 वर्ष बाद तुरंत देय
7	एसबीआई लंदन से 220 मिलियन यूएसडी का ईसीबी ऋण	30 दिसंबर 2021	आहरण की तिथि से 5 वर्ष और 5 महीने बाद तुरंत देय
8	300 मिलियन यूएसडी का सिंडिकेशन ऋण	13 अक्टूबर 2022	
9	एसबीआई सिंगापुर से 3 मिलियन यूएसडी का ग्रीनलोन	07 मार्च 2024	
10	एसबीआई सिंगापुर से 5 मिलियन यूएसडी का ग्रीनलोन-2	06 मई 2024	
11	एसबीआई सिंगापुर से 4 मिलियन यूएसडी का ग्रीनलोन-3	07 अगस्त 2024	
12	बॉब गिफ्ट सिटी से 300 मिलियन यूएसडी का ईसीबी ऋण	30 सितंबर 2024	
13	एसबीआई, एनवाई से 120 मिलियन यूएसडी	11 अक्टूबर 2024	निकासी की तिथि से 5 वर्ष बाद तुरंत देय
14	एसबीआई, एनवाई से 120 मिलियन यूएसडी का टी-2	04 नवंबर 2024	
15	बॉब गिफ्ट सिटी से 300 मिलियन यूएसडी का ईसीबी ऋण	26 नवंबर 2024	
16	एसबीआई, एनवाई से 60 मिलियन यूएसडी का टी-3	02 दिसंबर 2024	
17	पीएनबी गिफ्ट सिटी से 100 मिलियन यूएसडी का ईसीबी ऋण	20 दिसंबर 2024	
18	यूको बैंक, सिंगापुर से 100 मिलियन यूएसडी का ईसीबी ऋण	20 दिसंबर 2024	
19	एसबीआई, लंदन से 330 मिलियन यूएसडी का ईसीबी ऋण	30 दिसंबर 2024	आहरण की तिथि से 2 वर्ष बाद तुरंत देय
20	एसबीआई, एनवाई से 400 मिलियन यूएसडी का	28 मार्च 2025	आहरण की तिथि से 3 वर्ष और 1 माह बाद तुरंत देय
21	सीएडी 52 मिलियन सावधि ऋण (सीएडी 580 मिलियन की कुल स्वीकृत सुविधा, जिसमें से सीएडी 528 मिलियन का भुगतान वित्त वर्ष 2024-25 में पहले ही किया जा चुका है)	29 अक्टूबर 2020	आहरण की तिथि से 5 वर्ष बाद तुरंत देय
22	सीएडी 171 मिलियन सावधि ऋण (सीएडी 385 मिलियन की कुल स्वीकृत सुविधा)	21 अगस्त 2023	आहरण की तिथि से 2 वर्ष बाद तुरंत देय
23	सीएडी 144.34 मिलियन सावधि ऋण (सीएडी 385 मिलियन की कुल स्वीकृत सुविधा)	29 जुलाई 2024	आहरण की तिथि से 1 वर्ष बाद तुरंत देय
24	297.35 मिलियन यूएसडी (कुल स्वीकृत सुविधा 300 मिलियन यूएसडी)	24 जनवरी 2025	आहरण की तिथि से 6 माह बाद तुरंत देय
25	100 मिलियन यूएसडी डीबीएस बैंक लिमिटेड, सिंगापुर	28 मार्च 2024	26 सितंबर 2025 को देय

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 16: दीर्घकालीन ऋण (जारी..)

छ बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची रुपये में

क्र. सं.	ऋणों का विवरण	निकासी की तिथि	पुनर्भुगतान की तिथि
1	एक्ज़िम बैंक ₹750 करोड़ का सावधि ऋण	30 सितंबर 2022	निकासी की तिथि से 7 वर्ष बाद तुरंत देय
2	एचडीएफसी ₹1,000 करोड़ का सावधि ऋण	06 फ़रवरी 2023	
3	एचडीएफसी ₹1,000 करोड़ का सावधि ऋण	31 मार्च 2023	निकासी की तिथि से 3 वर्ष बाद तुरंत देय
4	जेएंडके बैंक ₹2,000 करोड़ का सावधि ऋण	27 जून 2024	
5	साउथ इंडियन बैंक ₹500 करोड़ का सावधि ऋण	15 जुलाई 2024	निकासी के 35 महीने बाद तुरंत देय
6	इंडसइंड बैंक ₹750 करोड़ का सावधि ऋण	29 जुलाई 2024	

ज ओडिशा सरकार से असुरक्षित ब्याज मुक्त ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची

ओडिशा सरकार द्वारा 15 वर्षों के लिए दिया गया ब्याज मुक्त ऋण 1 अप्रैल 2016 से शुरू होकर ₹ 175 करोड़ रुपये की त्रैमासिक किस्तों में वितरित किया जाएगा, जिसकी अदायगी 15 वर्षों के बाद की जाएगी। अब तक वितरित कुल ऋण ₹ 6,300 करोड़ रुपये है, जिसकी अदायगी ऋण देने की तिथि से 15 वर्षों के बाद, अर्थात जून 2031 के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर त्रैमासिक किस्तों में की जाएगी। यह ऋण ब्याज मुक्त होने के कारण उचित मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है और तदनुसार सरकारी अनुदान का लेखा-जोखा रखा जाता है।

टिप्पणी – 17: अन्य वित्तीय देयताएं

(परिशोधित लागत पर, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर-चालू		चालू	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
उपचित ब्याज किन्तु उधारियों पर देय नहीं	-	-	-	28.37
पूंजीगत खर्च की देयता	19.05	32.10	11,082.13	10,493.97
ट्रस्ट तथा अन्य निधियों की देयता	-	-	118.35	29.21
कर्मचारी देयताएं	-	-	1,772.10	2,661.60
अदत्त लाभांश	-	-	190.23	95.05
अदत्त परिपक्व जमा राशियां	-	-	0.01	0.01
उचित मूल्य पर डेरिवेटिव लिखत	-	-	222.47	361.08
सुरक्षा जमा	137.34	161.33	36,511.85	35,232.17
अन्य	43.04	39.68	1,390.85	1,703.45
कुल	**199.43**	**233.11**	**51,287.99**	**50,604.91**

टिप्पणी – 18: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण		गैर-चालू		चालू	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
कर्मचारी हितलाभों का प्रावधान		874.77	917.06	145.99	123.28
डिकमीशनिंग की देयता	क	531.86	497.76	13.59	7.16
संभावित देयताओं के लिए आकस्मिकताएं	ख	-	-	11,327.29	12,941.55
घटाएं- जमा		-	-	1,474.13	2,443.73
		-	-	9,853.16	10,497.82
कुल		**1,406.63**	**1,414.82**	**10,012.74**	**10,628.26**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 18: प्रावधान (जारी..)

क. भारतीय ए.एस. 37 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	छूट की समाप्ति और छूट दर में परिवर्तन	अंतिम शेष
डीकमीशनिंग देयता – ई एंड पी ब्लॉक	504.93	29.63	–	4.23	15.14	545.47
पिछले वर्ष का कुल योग	489.81	22.34	0.29	10.49	3.56	504.93

ख. भारतीय ए.एस. 37 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान रिवर्सल	अंतिम शेष*
उत्पाद शुल्क	16.54	2.60	–	0.05	19.09
विक्रय कर/ जीएसटी	2,818.11	57.91	10.37	1,838.20	1,027.45
प्रवेश कर	5,530.88	–	–	–	5,530.88
अन्य	4,576.03	566.36	215.57	176.94	4,749.88
कुल	**12,941.56**	**626.87**	**225.94**	**2,015.19**	**11,327.30**
पिछले वर्ष का कुल	12,552.06	674.43	162.55	122.39	12,941.55

(₹ करोड़ में)

	इसके अतिरिक्त शामिल है	उलटफेर में शामिल है
– पूंजीकृत	28.79	0.15
– कच्चे माल में शामिल	7.93	–
– वित्तीय लागत में शामिल	345.32	–
– कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल	–	46.87
– अन्य व्यय में शामिल	232.75	3.11
– कर प्रावधान के रूप में शामिल	–	32.57
– अन्य व्यापक आय में शामिल	–	71.83
– अन्य परिचालन राजस्व में शामिल	12.08	22.64
– असाधारण मदों में शामिल	–	1,838.02

*बहिर्वाह का अपेक्षित समय इस अवस्था में अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि मामले विवादित हैं।

टिप्पणी – 19: आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(i) आस्थगित कर देयता (शुद्ध) का मदवार विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2024 को	लाभ व हानि के विवरण में वर्ष के दौरान प्रावधान किए गए/*	ओसीआई में वर्ष के दौरान प्रावधान किए गए (निवल)	31 मार्च, 2025 को शेष
आस्थगित कर देयता:				
अचल परिसंपत्तियों से संबंधित	22,105.67	1,257.07	–	23,362.74
इक्विटी लिखतों का उचित मूल्यांकन	1,213.79	–	57.95	1,271.74
अन्य	146.53	9.59	–	156.12
कुल आस्थगित कर देयताएं (क)	23,465.99	1,266.66	57.95	24,790.60
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:				
वस्तुसूची, देनदार, ऋण एवं अग्रिम, निवेश का प्रावधान	1,477.39	36.66	–	1,514.05
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए प्रतिपूर्ति	1.07	(0.32)	–	0.75
43बी/40 (ए)(आई ए)/अन्य अस्वीकृतियां आदि	2,974.88	(262.95)	–	2,711.93
अग्रेनीत कारोबारी हानियां/अनवशोषित मूल्यह्रास	1.85	91.31	–	93.16
परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	(8.92)	0.04	–	(8.88)
बचाव लिखतों पर एमटीएम	(0.75)	–	0.71	(0.04)
ऋण लिखतों का उचित मूल्य	11.62	–	(47.31)	(35.69)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 19: आस्थगित कर देयताएं (निवल) (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2024 को	लाभ व हानि के विवरण में वर्ष के दौरान प्रावधान किए गए/*	ओसीआई में वर्ष के दौरान प्रावधान किए गए (निवल)	31 मार्च, 2025 को शेष
अप्रयुक्त कर हानि (दीर्घकालिक पूंजी हानि)	12.07	37.09	–	49.16
अन्य	36.08	(234.88)	–	(198.80)
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)	4,505.29	(333.05)	(46.60)	4,125.64
आस्थगित कर देयता निवल (क-ख)	18,960.70	1,599.71	104.55	20,664.96

* इसमें अंतिम मुद्रा विनिमय दर पर प्रारंभिक शेष के अंतरण के कारण ₹ 25.17 करोड़ का रूपांतरण आरक्षण शामिल है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2023 को	लाभ व हानि के विवरण में वर्ष के दौरान प्रावधान किए गए/*	ओसीआई में वर्ष के दौरान प्रावधान किए गए (निवल)	31 मार्च, 2023 को शेष
आस्थगित कर देयता:				
अचल परिसंपत्तियों से संबंधित	20,850.40	1,255.27	–	22,105.67
इक्विटी लिखतों का उचित मूल्यांकन	231.70	–	982.09	1,213.79
अन्य	150.97	(4.44)	–	146.53
कुल आस्थगित कर देयताएं (क)	**21,233.07**	**1,250.83**	**982.09**	**23,465.99**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:				
वस्तुसूची, देनदार, ऋण एवं अग्रिम, निवेश का प्रावधान	1,378.74	98.65	–	1,477.39
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए प्रतिपूर्ति	1.11	(0.04)	–	1.07
43बी/40 (ए)(आई ए)/अन्य अस्वीकृतियां आदि	2,919.58	55.30	–	2,974.88
अग्रेनीत कारोबारी हानियां/अनवशोषित मूल्यह्रास	1.51	0.34	–	1.85
परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	(4.36)	(4.71)	0.15	(8.92)
बचाव लिखतों पर एमटीएम	(46.64)	–	45.89	(0.75)
ऋण लिखतों का उचित मूल्य	(10.61)	–	22.23	11.62
अप्रयुक्त कर हानि (दीर्घकालिक पूंजी हानि)	14.59	(2.52)	–	12.07
अन्य	178.73	(142.65)	–	36.08
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)	**4,432.65**	**4.37**	**68.27**	**4,505.29**
आस्थगित कर देयता निवल (क-ख)	**16,800.42**	**1,246.46**	**913.82**	**18,960.70**

* इसमें अंतिम मुद्रा विनिमय दर पर प्रारंभिक शेष के अंतरण के कारण ₹ 15.73 करोड़ का रूपांतरण आरक्षण शामिल है।

(ii) औसत प्रभावी कर दर और लागू कर दर के बीच सामंजस्य निम्नानुसार है:

विवरण	2024-25		2023-24	
	%	(₹ करोड़ में)	%	(₹ करोड़ में)
कर पूर्व लाभ		17,063.45		57,287.79
लागू कर दर के अनुसार कर	25.168	4,294.53	25.168	14,418.19
इनका कर प्रभाव:				
आय जो कर योग्य लाभ के निर्धारण में करयोग्य नहीं है	(4.947)	(844.14)	(1.012)	(579.76)
व्यय जो कर योग्य लाभ का निर्धारण करने में कटौती योग्य नहीं है	1.059	180.78	0.307	175.87
भत्ते/अस्वीकृतियों में बदलाव पर विचार किया गया	(3.022)	(515.73)	(0.261)	(149.67)
पिछले वर्षों से संबंधित व्यय / आय	(1.015)	(173.14)	0.083	47.29
विशेष दरों में कर के लिए प्रभारित आय के कारण कर में अंतर	0.067	11.35	0.016	9.13
ग्रुप के पीबीटी में निवल कर में जे.वी. / एसोसिएट्स के लाभ का हिस्सा शामिल किया गया	0.652	111.19	0.023	12.89
ग्रुप की कंपनियों की अलग या शून्य कर दर	0.251	42.80	(0.031)	(17.50)
विदेशी अधिकारक्षेत्र में कर का प्रभाव	0.979	167.13	0.389	222.70
अन्य	(0.001)	(0.16)	(0.022)	(12.50)
औसत प्रभावी कर दर / आय कर व्यय	19.191	3,274.62	24.660	14,126.64

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 20: अन्य देयताएं (गैर-वित्तीय)

(₹ करोड़ में)

विवरण		गैर-चालू		चालू	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सरकारी अनुदान (टिप्पणी – 43 देखें)		3,908.98	3,532.44	383.91	308.23
सांविधिक देयताएं		–	–	9,323.19	9,821.73
ग्राहकों से अग्रिम		13.39	–	3,833.74	3,729.60
अन्य	क			1,246.79	1,381.29
कुल		4,622.56	4,061.57	14,787.63	15,240.85
इनमें शामिल है-					
1. इसमें फ्लीट ग्राहकों की देयता शामिल है				961.22	1,098.02
2. डीलरों से गैर-वापसी योग्य जमा जिसका परिशोधन लंबित है		698.12	527.17	64.96	51.98

टिप्पणी – 21: उधार – चालू

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
प्रतिभूत ऋण			
मांग पर पुन: भुगतान योग्य ऋण			
बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से			
विदेशी मुद्रा में		2,638.08	2,545.61
रुपये में			
कार्यशील पूंजी मांग ऋण	क	4,466.59	7,565.08
नकद क्रेडिट		238.16	19.06
		7,342.83	10,129.75
अन्य से-			
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से ऋण	ख	6,170.40	5,554.54
दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वताएं (टिप्पणी 16 का संदर्भ लीजिए)		742.57	50.00
कुल रक्षित ऋण		14,255.80	15,734.29
अरक्षित ऋण			
मांग पर प्रतिदेय ऋण			
बैंकों / वित्तीय संस्थानों से			
विदेशी मुद्रा में		43,157.97	36,057.92
रुपए में		16,518.33	7,650.96
		59,676.30	43,708.88
अन्य ऋण एवं अग्रिम		843.09	0.58
दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वताएं (टिप्पणी 16 का संदर्भ लीजिए)		16,029.10	17,216.92
कुल अरक्षित ऋण		76,548.35	60,926.38
कुल अल्पकालीन उधार		90,804.15	76,660.67

क. कच्चा माल, तैयार माल, व्यापारगत स्टॉक, व्यापार प्राप्य राशियां, व्यापार प्राप्य, बकाया धनराशि, लेनदारी, दावे, संविदाएं, एसबीआई और एचडीएफसी बैंकों के नियोजन पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा दृष्टिबंधन के बदले। कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के साथ दायर चालू परिसंपत्तियों का तिमाही रिटर्न खाता बहियों के अनुरूप है।

ख. सीसीआईएल को निम्नलिखित की गिरवी के बदले:

सरकारी प्रतिभूतियां, ओएमसी जीओआई विशेष बांड सहित (टिप्पणी 4 का संदर्भ लीजिए)		6,334.89	5,531.00

टिप्पणी – 22 – व्यापार देय राशियाँ

(परिशोधित लागत पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सूक्ष्म व लघु उद्यमों को देय	1,422.49	1,423.70
संबंधित पक्षकारों को देय	1,446.92	1,292.73
अन्य को देय	57,665.53	56,737.67
कुल	60,534.94	59,454.10

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 22 – व्यापार देय राशियाँ (जारी..)

व्यापार देयों की अवधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल रहित	देय नहीं	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय				कुल
			6 माह से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
चालू वर्ष							
i) एमएसएमई*	543.74	868.20	10.33	–	–	–	1,422.27
ii) अन्य	2,311.44	46,797.60	8,611.68	340.44	278.02	211.89	58,551.07
iii) विवादित देय– एमएसएमई *	0.01	0.22	–	–	–	–	0.23
iv) विवादित देय – अन्य	322.01	67.58	6.52	(1.29)	15.82	150.73	561.37
कुल	3,177.20	47,733.60	8,628.53	339.15	293.84	362.62	60,534.94
गत वर्ष							
i) एमएसएमई*	452.50	957.86	13.18	–	–	–	1,423.54
ii) अन्य	3,500.98	43,651.02	9,583.56	406.57	15.55	35.95	57,193.63
iii) विवादित देय – एमएसएमई *	0.01	0.16	–	–	–	–	0.17
iv) विवादित देय – अन्य	286.34	321.91	25.95	4.99	52.15	145.42	836.76
कुल	4,239.83	44,930.95	9,622.69	411.56	67.70	181.37	59,454.10

* टिप्पणी - 22 के अनुरूप सूक्ष्म और लघु उद्यम: व्यापार देय

नोट: सामान्यतया, अविवादित व्यापार देय नियत तारीखों पर या उससे पहले निपटाए जाते हैं और देय तारीखों से अधिक अवधि तक बकाया राशि विक्रेताओं द्वारा संविदात्मक / सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन लंबित रहने के कारण होती है।

टिप्पणी – 23: परिचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
उत्पादों और क्रूड की बिक्री (निवल छूट)	8,54,593.70	8,76,654.76
सेवाओं की बिक्री	310.65	196.83
अन्य प्रचालनीय राजस्व (टिप्पणी 23.1)	4,409.96	4,284.26
	8,59,314.31	8,81,135.85
केंद्र / राज्य सरकारों से सब्सिडी	48.42	99.60
भारत सरकार से अनुदान	–	–
कुल	8,59,362.73	8,81,235.45

नोट्स:

1) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 30.04.2020 के पत्र के माध्यम से तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को सूचित किया था कि जहाँ एलपीजी सिलेंडरों का बाजार निर्धारित मूल्य (एमडीपी) ग्राहक के लिए उसकी प्रभावी लागत (ईसीसी) से कम है, वहाँ ओएमसी भविष्य में समायोजन के लिए इस अंतर को एक अलग बफर खाते में रखेंगे। हालाँकि, 31 मार्च 2025 तक, मूल कंपनी के पास ₹ 19,926 करोड़ (2024: ₹ 1,017 करोड़) का संचयी ऋणात्मक बफर था क्योंकि खुदरा विक्रय मूल्य एमडीपी से कम था और तदनुसार, इस सीमा तक राजस्व को मान्यता नहीं दी गई है। यह राशि वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान घरेलू एलपीजी की बिक्री पर अंडर रिकवरी और ₹ 5,460 करोड़ (2024: ₹ 4,796 करोड़) की संचयी अप्रतिपूरित लागत के विरुद्ध वित्त वर्ष 2022-23 में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए ₹ 10,801 करोड़ के एकमुश्त अनुदान के समायोजन के बाद है।

2) मूल कंपनी द्वारा नियमित रूप से किए गए प्रयासों के अनुसरण में, रेलवे बोर्ड ने अंततः पूर्वव्यापी प्रभाव से दर अनुबंध में संशोधन किया है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि में किए गए उत्पाद आपूर्ति के लिए वर्ष के दौरान परिचालन से राजस्व में ₹ 1,565 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 23.1: अन्य प्रचालनीय राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
बिजली और पानी की बिक्री	468.77	484.90
निर्माण ठेकों से राजस्व	26.72	13.99
अदावी/खर्च न की गई देयताएं जिन्हें प्रतिलेखित किया गया	158.27	329.35
संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान, प्रतिलेखित दावे तथा स्टोर्स	124.60	3.11
आकस्मिकताओं का प्रावधान प्रतिलेखित	22.64	48.13
हानि की प्रतिपूर्ति	58.43	–
कर्मचारियों से वसूली	0.09	0.33
रीटेल आउटलेट लाइसेंस शुल्क	1,441.78	1,318.51
ईंधन-इतर व्यवसाय से आय	425.02	375.18
प्राप्त कमीशन और डिस्काउंट	0.91	0.69
रद्दी की बिक्री	332.66	350.17
वित्त पट्टों से आय	0.24	0.25
पूंजीगत अनुदान का परिशोधन	66.92	31.85
राजस्व अनुदान	314.20	288.49
टर्मिनलिंग प्रभार	52.38	47.90
अन्य विविध आय	916.33	991.41
कुल	4,409.96	4,284.26

राजस्व अनुदान संबंधी विवरण टिप्पणी – 43 में दिए गए हैं।

टिप्पणी – 24: अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण		2024-25	2023-24
इन पर ब्याज –	क		
वित्तीय मदें-			
बैंकों में जमा		244.02	201.13
ग्राहकों के बकाया		373.26	410.37
आयल कंपनियों के जीओआई भारत सरकार के स्पेशल बांड / अन्य निवेश		649.57	989.59
अन्य वित्तीय मदें		382.45	333.60
वित्तीय मदों पर कुल ब्याज		1,649.30	1,934.69
गैर-वित्तीय मदें		80.02	111.40
		1,729.32	2,046.09
लाभांश-	ख	1,538.79	1,198.16
परिसंपत्ति की बिक्री और निपटान पर लाभ		–	33.29
डेरिवेटिव्स पर लाभ		61.96	84.09
एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत की गई वित्तीय लिखतों पर उचित मूल्य लाभ		0.70	92.37
पीएमयूवाई परिसंपत्तियों के पुनर्मापन पर लब्धि		107.24	336.61
अन्य गैर प्रचालनीय आय		75.72	47.95
कुल		3,513.73	3,838.56
क 1. इसमें स्रोत पर काटा गया कर शामिल है		0.80	22.56
क 2. इसमें आय कर अधिनियम की धारा 244क के तहत प्राप्त ब्याज शामिल है		39.70	79.16
क 3. इसमें निम्नलिखित पर ब्याज शामिल है-			
चालू निवेश		649.57	968.02
गैर-चालू निवेश		–	21.57
क 4. वित्तीय परिसंपत्तियों की कुल ब्याज आय (प्रभावी ब्याज विधि का इस्तेमाल कर परिकलित):			
परिशोधित लागत पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में		999.73	945.10
एफवीओसीआई में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में		649.57	989.59
ख लाभांश आय में निम्नलिखित पर लाभांश शामिल है-			
गैर-चालू निवेश		1,538.80	1,195.03

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 25: उपयोग की गई सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
प्रारंभिक स्टॉक	47,670.39	46,598.85
जोड़ें- खरीद	4,40,620.98	4,47,555.97
	4,88,291.37	4,94,154.82
घटाएं- अंतिम स्टॉक	38,478.74	47,670.38
कुल	4,49,812.63	4,46,484.44

टिप्पणी – 26: तैयार माल, व्यापारगत स्टॉक और प्रक्रियागत स्टॉक की इन्वेंट्री में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
अंतिम स्टॉक		
तैयार उत्पाद	45,272.10	44,818.83
प्रक्रियागत स्टॉक	9,566.65	10,993.86
व्यापारगत स्टॉक	12,749.84	10,986.15
	67,588.59	66,798.84
घटाएं – प्रारंभिक स्टॉक		
तैयार उत्पाद	44,818.82	42,959.35
प्रक्रियागत स्टॉक	10,993.86	10,846.81
व्यापारगत स्टॉक	10,986.16	14,283.20
	66,798.84	68,089.36
निवल बढ़ोत्तरी /(कमी)	789.75	(1,290.52)

टिप्पणी – 27: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
वेतन, मज़दूरी, बोनस आदि	7,804.96	8,829.08
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	1,514.20	1,316.51
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रतिपूर्ति	0.68	2.02
स्टाफ कल्याण व्यय	1,560.02	1,523.33
कुल	10,879.86	11,670.94

क. प्रगति पर पूंजीगत कार्य (निर्माण अवधि व्यय – नोट-2.2) / विकास के तहत अमूर्त संपत्ति (नोट – 3.1) में शामिल ₹ 376.79 करोड़ (2024: ₹ 430.77 करोड़) और सीएसआर व्यय (नोट – 29.1) में शामिल ₹ 25.81 करोड़ (2024: ₹ 21.79 करोड़) शामिल नहीं हैं।

ख. "कर्मचारी लाभ" पर भारतीय लेखा मानक-19 के अनुपालन में प्रकटीकरण नोट-36 में दिया गया है।

टिप्पणी – 28: वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

विवरण		2024-25	2023-24
वित्तीय मदों पर ब्याज के भुगतान:			
कार्यशील पूंजी ऋण-		5,691.52	4,698.51
बैंक से उधार		776.57	1,116.45
पट्टे की देयताएं		940.33	863.14
बट्टा भुनाना		203.06	171.45
अन्य वित्तीय मदें		563.12	189.90
		8,174.60	7,039.45
गैर-वित्त मदों पर ब्याज के भुगतान:			
बट्टे का मोचन		20.30	18.65
अन्य	क	296.79	525.72
		317.09	544.37
		8,491.69	7,583.82

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 28: वित्तीय लागतें (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण		2024-25	2023-24
अन्य उधार लागत	ख	14.94	14.83
विदेशी मुद्रा के लेनदेन तथा रूपांतरण पर लागू निवल (लाभ) / हानि		755.30	227.00
कुल		**9,261.93**	**7,825.65**
क. मुख्य रूप से कांडला पोर्ट ट्रस्ट किराये की देनदारी पर ब्याज शामिल है		180.9	167.12
ख. मुख्य रूप से फ्रैंकिंग शुल्क, सेवा शुल्क और उधार पर अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों से संबंधित है।			
वित्तीय देयताएं जो लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर नहीं हैं, के लिए कुल ब्याज व्यय (प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग कर परिकलित) है।		8,174.60	7,039.45

टिप्पणी – 29: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
खपत:		
क) स्टोर्स, सहायक पुर्जे और उपभोज्य	2,301.13	2,941.18
ख) पैकेज तथा ड्रम शीट	581.04	574.84
	2,882.17	**3,516.02**
बिजली और ईंधन	39,830.43	37,728.92
घटाएं- स्वयं के उत्पादन का ईंधन	28,545.57	29,100.85
	11,284.86	**8,628.07**
थ्रूपुट, प्रसंस्करण एवं ब्लेंडिंग शुल्क, रॉयल्टी तथा अन्य प्रभार	1,483.62	1,564.25
चुंगी, अन्य उगाही तथा अशोध्य कर	2,950.20	2,828.50
मरम्मत और रख-रखाव		
i) संयंत्र व उपकरण	5,997.55	5,039.26
ii) इमारतें	494.21	427.84
iii) अन्य	831.48	762.81
	7,323.24	**6,229.91**
माल भाड़ा, परिवहन प्रभार तथा विलंब शुल्क	16,850.12	16,870.37
कार्यालय प्रशासन, बिक्री तथा अन्य व्यय (टिप्पणी "29.1")	12,926.86	11,696.86
कुल	**55,701.07**	**51,333.98**
घटाएं: स्वयं के उत्पादों व क्रूड	1,471.13	1,316.42
कुल (निवल)	**54,229.94**	**50,017.56**

टिप्पणी – 29.1: कार्यालय, प्रशासन, बिक्री तथा अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
किराया	853.47	835.31
बीमा	427.00	467.13
दरें और कर	353.86	280.44
दान	9.50	–
लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखा परीक्षक के रूप में	5.78	5.30
अन्य सेवाएँ (अन्य प्रमाणपत्र जारी करने आदि के लिए)	2.10	1.97
व्यय प्रतिपूर्ति के लिए	0.36	0.45
	8.24	**7.72**
यात्रा और परिवहन	909.12	834.31
संचार व्यय	124.42	82.01
मुद्रण और लेखन सामग्री	46.83	45.89
बिजली और पानी	506.95	470.37
बैंक शुल्क	52.58	54.98

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 29.1: कार्यालय, प्रशासन, बिक्री तथा अन्य व्यय (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
अग्रिम, दावे, सीडब्ल्यूआईपी, आदि बट्टे खाते में डाले गए	25.75	1.35
बेची गई या बट्टे खाते में डाली गई संपत्तियों पर प्रावधान/हानि (शुद्ध)	48.68	–
तकनीकी सहायता शुल्क	62.97	115.92
विनिमय में उतार-चढ़ाव (शुद्ध)	2,313.31	1,254.96
संदिग्ध अग्रिम, दावे, सीडब्ल्यूआईपी, स्टोर आदि के लिए प्रावधान	74.90	150.96
सुरक्षा बल व्यय	1,148.78	1,089.63
बिक्री संवर्धन और प्रचार	934.71	1,444.28
हैंडलिंग व्यय	1,020.09	902.64
टर्मिनलिंग शुल्क	17.82	10.07
संभावित आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	12.08	9.30
अन्वेषण और उत्पादन लागत	1,996.60	1,934.98
निर्माण अनुबंधों पर व्यय	111.84	10.77
सीएसआर गतिविधियों पर व्यय	632.42	464.44
प्रशिक्षण व्यय	121.44	121.81
कानूनी व्यय/सलाहकारों को भुगतान	254.10	251.39
सूचनाएँ और घोषणाएँ	12.30	20.60
प्रदूषण नियंत्रण व्यय	128.42	110.64
पीएमयूवाई परिसंपत्तियों का परिशोधन और पुनर्मापन	27.19	30.26
विविध व्यय	691.49	694.70
कुल	**12,926.86**	**11,696.86**

टिप्पणी – 30: अन्य समावेशी आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:		
निर्धारित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	78.18	(43.30)
इक्विटी लिखतों का उचित मूल्य	(1,706.77)	14,535.48
निर्धारित हितलाभ योजनाओं में संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट का हिस्सा	(4.76)	1.94
	(1,633.35)	**14,494.12**
ऐसी मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा –		
निर्धारित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(18.76)	10.78
इक्विटी लिखतों का उचित मूल्य	(57.95)	(982.09)
निर्धारित हितलाभ योजनाओं में संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट का हिस्सा	1.18	(0.54)
	(75.53)	**(971.85)**
ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा –		
ऋण लिखतों का उचित मूल्य	112.95	(15.25)
बचाव लिखतों पर लाभ/ (हानि)	(7.17)	(182.34)
समेकन पर रूपांतरण आरक्षण	874.82	(458.54)
निर्धारित हितलाभ योजनाओं में संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट का हिस्सा	(75.08)	73.74
	905.52	**(582.39)**
ऐसी मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा:		
ऋण लिखतों का उचित मूल्य	(47.31)	22.23
बचाव लिखतों पर लाभ/ (हानि)	0.71	45.89
	(46.60)	**68.12**
कुल	**(849.96)**	**13,008.00**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–31: किए गए और प्रस्तावित वितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024–25	2023–24
घोषित इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश:		
अंतिम लाभांश		
पिछले वित्तीय वर्ष के लिए चालू वर्ष के दौरान अंतिम लाभांश: ₹ 7.00 प्रति शेयर (2024: ₹ 3.00 प्रति शेयर)	9,640.09	4,131.47
अंतरिम लाभांश		
चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल अंतरिम लाभांश: प्रति शेयर शून्य (2024: प्रति शेयर ₹ 5.00 रुपये)।	–	6,885.78
कुल	9,640.09	**11,017.25**
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश		
चालू वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम प्रस्तावित लाभांश: ₹ 3.00 प्रति शेयर (2024: ₹ 7.00 प्रति शेयर)	4,131.47	9,640.09

टिप्पणियां:

1. 349677684 (2024: 349677684) आईओसी शेयर्स ट्रस्ट (शेयरधारक) के अंतर्गत धारित ₹ 349.68 करोड़ अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर (2024: ₹ 349.68 करोड़) चुकता पूँजी से घटा दिए गए हैं। आईओसी शेयर्स ट्रस्ट ने 2 मार्च, 2020 से लाभांश प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया है और इसलिए आईओसी शेयर्स ट्रस्ट द्वारा धारित शेयरों पर लाभांश न तो पिछले वर्ष और न ही चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तावित किया गया था।

2. मूल कंपनी ने अंतिम लाभांश के वितरण पर ₹ 0.19 करोड़ (2024: ₹ 0.11 करोड़) और अंतरिम लाभांश के वितरण पर शून्य (2024: ₹ 0.26 करोड़) राशि का व्यय भी किया है, जिसे इक्विटी में डेबिट कर दिया गया है।

टिप्पणी–32: प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

मूल व परिवर्तित ईपीएस राशियों का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों के कारण वर्ष के लाभ/(हानि) से विभाजित कर किया गया।

मूल व परिवर्तित ईपीएस परिकलनों में प्रयुक्त लाभ / (हानि) और शेयरों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है –

विवरण	2024–25	2023–24
इक्विटी धारकों के कारण लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)	13,597.84	41,729.69
प्रति शेयर अर्जन (मूल) का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (टिप्पणी–1 देखें)	13771560699	13771560699
प्रति शेयर अर्जन (परिवर्तित) का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (टिप्पणी–1 देखें)	13771560699	13771560699
प्रति शेयर अर्जन (मूल) (₹)	9.87	30.30
प्रति शेयर अर्जन (परिवर्तित) (₹)	9.87	30.30
प्रति शेयर का अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

टिप्पणियां:

1. 349677684 (2024: 349677684) अंकित मूल्य ₹ 349.68 करोड़ (2024: ₹ 349.68 करोड़) के आईओसी शेयर ट्रस्ट के तहत रखे गए इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से बाहर रखा गया है और ईपीएस की गणना तदनुसार की जाती है।

टिप्पणी – 33क– ग्रुप संबंधी सूचना तथा महत्वपूर्ण रूप से आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां

सहायक कंपनियों संबंधी सूचना

सहायक कंपनियों सहित ग्रुप के समेकित वित्तीय विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

नाम	प्रमुख कार्य	निगमन का देश	इक्विटी हित	
			31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पेट्रोलियम उत्पादों का शोधन	भारत	51.89%	51.89%
इंडियनऑयल (मॉरीशस) लिमिटेड	टर्मिनल, खुदरा बिक्री और विमानन ईंधन भरना	मॉरीशस	100.00%	100.00%
लंका आईओसी पीएलसी	खुदरा, टर्मिनल और बंकरिंग	श्रीलंका	75.12%	75.12%
आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई	स्नेहक मिश्रण और स्नेहकों का विपणन	यूएई	100.00%	100.00%

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 33क– ग्रुप संबंधी सूचना तथा महत्वपूर्ण रूप से आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (जारी..)

नाम	प्रमुख कार्य	निगमन का देश	इक्विटी हित	
			31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
आईओसी स्वीडन एबी	वेनेजुएला और इज़राइल में ई एंड पी परियोजना के लिए निवेश कंपनी	स्वीडन	100.00%	100.00%
आईओसीएल (यूएसए) इंक.	शेल गैस परिसंपत्ति परियोजना में भागीदारी	अमेरिका	100.00%	100.00%
इंडऑयल ग्लोबल बी.वी.	कनाडा में ई एंड पी परियोजना के लिए निवेश कंपनी	नीदरलैंड	100.00%	100.00%
आईओसीएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	रूस, ओमान और अबू धाबी में ई एंड पी परियोजना के लिए निवेश कंपनी	सिंगापुर	100.00%	100.00%
आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड	वित्तीय सेवाएँ	भारत	100.00%	100.00%
मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड	ई एंड पी व्यवसाय	भारत	100.00%	–
टेरा क्लीन लिमिटेड	हरित व्यवसाय	भारत	100.00%	–

होल्डिंग कंपनी

31 मार्च, 2025 तक भारत के राष्ट्रपति के पास कुल शेयरों का 51.5% हिस्सा है (31 मार्च, 2024: 51.5%)

महत्वपूर्ण सहायक कंपनियाँ

महत्वपूर्ण गैर–नियंत्रक हित रखने वाली सहायक कंपनियों की वित्तीय जानकारी नीचे दी गई है:

1. गैर–नियंत्रक हितधारक द्वारा धारित इक्विटी हित का अनुपात:

नाम	निगमन का देश	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	48.11%	48.11%
लंका आईओसी पीएलसी	श्रीलंका	24.88%	24.88%

2. गैर–नियंत्रक हित संबंधी सूचना:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
महत्वपूर्ण गैर–नियंत्रक हित के संचित शेष:		
चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,948.22	4,243.74
लंका आईओसी पीएलसी	589.12	502.96
महत्वपूर्ण गैर–नियंत्रक हित को आवंटित लाभ/(हानि):		
चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	103.00	1,320.65
लंका आईओसी पीएलसी	88.00	110.80

इन सहायक कंपनियों की संक्षिप्त वित्तीय सूचना नीचे दी गई है। यह सूचना अंतर–कंपनी विलोपनों से पहले की राशियों पर आधारित है।

1. संक्षिप्त तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड		लंका आईओसी पीएलसी	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
चालू परिसंपत्तियां	8,891.68	10,088.16	2,616.02	2,516.18
चालू देयताएं	7,580.72	7,307.61	1,026.29	783.70
गैर–चालू परिसंपत्तियां	8,173.31	8,243.11	793.68	291.97
गैर–चालू देयताएं	1,277.62	2,202.74	15.55	2.89
निवल परिसंपत्तियां	8,206.65	**8,820.92**	2,367.86	**2,021.56**
संचित गैर–नियंत्रक हित	3,948.22	4,243.74	589.12	502.96

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 33क– ग्रुप संबंधी सूचना तथा महत्वपूर्ण रूप से आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (जारी..)

2. लाभ व हानि का संक्षिप्त विवरण –

(₹ करोड़ में)

विवरण	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड		लंका आईओसी पीएलसी	
	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024
प्रचालनों से राजस्व	71,049.95	79,272.54	7,854.49	6,887.44
अन्य आय		10.47	142.63	134.61
खपत सामग्री की लागत	55,347.72	60,402.61	–	–
उत्पाद शुल्क	11,693.93	12,886.81	–	–
व्यापारगत स्टॉक की खरीद	206.96	481.77	7,747.35	5,950.80
तैयार माल, व्यापारगत स्टॉक और चालू स्टॉक की वस्तुसूचियों में परिवर्तन	855.62	(831.68)	(532.28)	225.98
कर्मचारी हितलाभ व्यय	464.68	546.71	39.06	35.28
वित्त लागत	244.52	223.28	14.46	15.19
मूल्यह्रास और परिशोधन के व्यय	606.39	605.63	17.29	11.18
अनर्जक हानियां	0.32	–	0.94	2.80
अन्य व्यय	1,465.22	1,310.72	279.48	254.31
असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ	189.83	3,657.16	430.82	526.51
संयुक्त उद्यम / एसोसिएट में लाभ का हिस्सा	58.83	36.53	–	–
कर पूर्व लाभ/(हानि)	248.66	3,693.69	430.82	526.51
कर व्यय	34.57	948.62	77.14	81.14
अवधि का लाभ (हानि)	214.09	2,745.07	353.68	445.37
अन्य समग्र आय	(9.35)	2.83	66.14	109.63
कुल समग्र आय	204.74	2,747.90	419.82	555.00
गैर-नियंत्रक हितों के कारण लाभ	103.00	1,320.65	88.00	110.80
गैर-नियंत्रक हितों को अदा किया गया लाभांश	394.03	193.43	18.29	14.06

3. संक्षिप्त नकदी प्राप्ति सूचना –

(₹ करोड़ में)

विवरण	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड		लंका आईओसी पीएलसी	
	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024
प्रचालन संबंधी कार्य	1,352.37	2,694.25	(82.95)	567.44
निवेश संबंधी कार्य	(649.49)	(589.20)	(52.24)	(501.99)
वित्त संबंधी कार्य	(519.08)	(2,106.11)	11.50	(57.96)
मुद्रा अंतरण अंतर		–	4.90	16.17
नकद व नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	183.80	(1.06)	(118.79)	23.66

टिप्पणी – 33 ख – संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स में हित

क. संयुक्त उद्यम और एसोसिएट में हित का विवरण इस प्रकार है:

संस्थान का नाम	व्यवसाय का स्थान	इक्विटी ब्याज	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
संयुक्त उद्यम			
इंडियन ऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
लुब्रीज़ोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
ग्रीन गैस लिमिटेड	भारत	49.99%	49.99%
इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
सुटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	नाइजीरिया	25.00%	25.00%
दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	37.00%	37.00%
इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
इंडियन ऑयल रुचि बायोफ्यूल्स एलएलपी@	भारत	50.00%	50.00%
एनपीसीआईएल - इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	25.00%	25.00%

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 33 ख – संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स में हित (जारी..)

संस्थान का नाम	व्यवसाय का स्थान	इक्विटी ब्याज	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	45.00%	45.00%
पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड@@	भारत	26.00%	26.00%
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड#	भारत	29.67%	29.67%
रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	भारत	20.00%	20.00%
आईएचबी लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
इंडियनऑयल एचडब्ल्यूबी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
पारादीप प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	भारत	49.00%	49.00%
कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड##	भारत	37.97%	37.97%
इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
जीएच4इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारत	33.33%	33.33%
आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड###	भारत	50.00%	
इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड####	भारत	50.00%	
एसोसिएट्स			
एवी-ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	भारत	25.00%	25.00%
पेट्रोनेट वीकेे लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	भारत	12.50%	12.50%
पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड@@@	भारत	18.00%	18.00%

@इंडियनऑयल ने संयुक्त उद्यम, इंडियनऑयल रुचि बायोफ्यूल्स एलएलपी (मेसर्स आईओआरबी) से बाहर निकलने की सूचना अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार अर्थात रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (मेसर्स रुचि) के साथ-साथ एलएलपी को 26 दिसंबर, 2018 को दी है, जिसमें कहा गया है कि वह 25 जनवरी, 2019 से एलएलपी से बाहर हो जाएगा। मेसर्स रुचि द्वारा आरओसी के पास आवश्यक फॉर्म दाखिल करके निकास औपचारिकताओं को पूरा करने की समय सीमा नोटिस की समाप्ति अवधि के 30 दिनों के भीतर थी (अर्थात, 24 फरवरी, 2019 तक) हालांकि यह अभी भी लंबित है और इंडियनऑयल का नाम आरओसी वेबसाइट पर उक्त एलएलपी में भागीदार के रूप में दिखाई दे रहा है। यह सूचित किया गया है कि मेसर्स रुचि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत थी आईओआरबी एलएलपी से इंडियनऑयल के बाहर निकलने से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए मेसर्स रुचि को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं।

@@पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड, इंडियन ऑयल, पीआईएल, आरआईएल, एनईएल और बीपीसीएल का एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी का समापन हो रहा है और मामला 2006 से आधिकारिक परिसमापक के पास लंबित है।

@@@पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आरआईएल, एनईएल, आईएलएंडएफएस, एसबीआई और आईसीआईसीआई का एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी का समापन हो रहा है और मामला 2018 से आधिकारिक परिसमापक के पास लंबित है।

#इंडियनऑयल के बोर्ड ने 23.11.2022 को आयोजित अपनी बैठक में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

##इंडियनऑयल के बोर्ड ने 28.03.2024 को आयोजित अपनी बैठक में इंडियनऑयल की 75% इक्विटी और सीपीसीएल की 25% इक्विटी के साथ सीबीआरपीएल की पूंजी संरचना में संशोधन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। इंडियनऑयल द्वारा शेष 50% इक्विटी शेयर प्राप्त करने पर, सीबीआरपीएल इंडियनऑयल की एक सहायक कंपनी बन जाएगी।

###आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को 21 जून 2024 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की 50% इक्विटी है।

####इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 15 जुलाई 2024 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की 50% इक्विटी है।

टिप्पणी:

1. नोट 34 में उल्लिखित संयुक्त परिचालनों के वित्तीय विवरणों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है और सहायक कंपनियों के अन्य संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के संबंध में, उन्हें संबंधित सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

2. उज्ज्वला प्लस फाउंडेशन आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल का एक संयुक्त उद्यम है, जिसका फंड योगदान 50:25:25 के अनुपात में है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गारंटी (शेयर पूंजी के बिना) द्वारा सीमित कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इंडियनऑयल के बोर्ड ने 14.03.2023 को आयोजित अपनी बैठक में उज्ज्वला प्लस फाउंडेशन को बंद करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

3. मूल कंपनी ने हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में लगे संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश किया है। इनमें पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोकेमिकल्स, ल्यूब्स, गैस वितरण और विपणन, वैकल्पिक ऊर्जा और संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों की खोज, उत्पादन, शोधन, परिवहन और विपणन शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 33 ख – संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स में हित (जारी..)

ख. महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यमों के संक्षिप्त वित्तीय विवरण

I.क. इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड का संक्षिप्त तुलन-पत्र:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
चालू परिसंपत्तियाँ	825.12	892.44
चालू देनदारियाँ	351.16	291.21
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	970.26	590.63
गैर-चालू देनदारियाँ	182.13	278.88
शुद्ध परिसंपत्तियाँ	1,262.09	912.98
समूह के स्वामित्व का अनुपात	631.05	456.49
निवेश की वहन राशि	631.88	457.03

परिसंपत्तियों और देयताओं की उक्त राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
नकद और नकद समतुल्य	72.79	54.59
वर्तमान वित्तीय देयताएँ	326.49	263.76
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएँ	105.29	199.99

I.ख. मेसर्स इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड के लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
परिचालन से राजस्व	2,005.78	1,582.11
ब्याज आय	36.00	25.85
अन्य आय	0.92	0.58
परिचालन से राजस्व	2,042.70	1,608.54
उपभोग की गई सामग्री/सेवा की लागत	1,176.64	974.67
कर्मचारी लाभ व्यय	44.81	41.36
वित्तीय लागत	23.32	31.21
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	47.66	53.77
अन्य व्यय	245.73	241.38
कर पूर्व लाभ/(हानि)	504.54	266.15
कर व्यय:		
वर्तमान कर	131.82	73.54
आस्थगित कर	(3.08)	(5.80)
वर्ष के लिए लाभ (हानि)	375.80	198.41
अन्य व्यापक आय	0.05	0.65
कुल व्यापक आय	375.85	199.06
उपर्युक्त में समूह का हिस्सा:		
अवधि के लिए लाभ (हानि)	187.90	99.20
अन्य व्यापक आय	0.03	0.33
कुल व्यापक आय	187.93	99.53
प्राप्त लाभांश	13.37	13.37

II.क. मेसर्स इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड का संक्षिप्त तुलन-पत्र :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
चालू परिसंपत्तियाँ	1,406.50	1,319.26
चालू देनदारियाँ	284.97	326.61
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	899.31	927.14
गैर-चालू देनदारियाँ	208.90	221.79
शुद्ध परिसंपत्तियाँ	1,811.94	1,698.00
समूह के स्वामित्व का अनुपात	905.97	849.00
निवेश की वहन राशि	833.52	776.63

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 33 ख – संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स में हित (जारी..)

परिसंपत्तियों और देयताओं की उक्त राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं –

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
नकद और नकद समतुल्य	178.69	139.57
वर्तमान वित्तीय देयताएँ	152.78	185.41
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएँ	133.59	143.65

II.ख. मेसर्स इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड के लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
परिचालन से राजस्व	3,461.86	3,268.02
ब्याज आय	74.64	63.33
अन्य आय	–	31.42
परिचालन से राजस्व	3,536.50	3,362.77
उपभोग की गई सामग्री/सेवा की लागत	2,777.68	2,608.79
कर्मचारी लाभ व्यय	20.13	21.50
वित्तीय लागत	16.91	17.29
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	64.19	52.94
अन्य व्यय	214.60	225.19
कर पूर्व लाभ/(हानि)	442.99	437.06
कर व्यय:		
वर्तमान कर	118.05	111.93
आस्थगित कर	(3.50)	(0.91)
वर्ष के लिए लाभ (हानि)	328.44	326.04
अन्य व्यापक आय	(0.08)	–
कुल व्यापक आय	328.36	326.04
उपर्युक्त में समूह का हिस्सा:		
अवधि के लिए लाभ (हानि)	164.22	163.02
अन्य व्यापक आय	(0.04)	–
कुल व्यापक आय	164.18	163.02
प्राप्त लाभांश	107.20	80.40

ग. गौण संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स से संबंधित विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
निवेश की अग्रणीत राशि		
संयुक्त उद्यम	13,388.15	11,602.02
सहयोगी	2,522.32	2,181.40
अन्य संयुक्त उद्यमों में समूह के हिस्से की कुल राशि:		
कर-पश्चात लाभ का हिस्सा	568.41	75.18
अन्य समग्र आय	(77.42)	73.78
कुल समग्र आय	490.99	148.96
अन्य सहयोगियों में समूह के हिस्से की कुल राशि:		
कर-पश्चात लाभ का हिस्सा	510.47	438.20
अन्य समग्र आय	(1.21)	1.03
कुल समग्र आय	509.26	439.23

घ. संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स के संबंध में पूंजीगत प्रतिबद्धताओं तथा आकस्मिक देयताओं में ग्रुप की हिस्सेदारी इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	2,172.33	3,835.98
आकस्मिक देयताएं	342.13	312.58

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–34: संयुक्त प्रचालनों में हित

क. संयुक्त प्रचालनों में ग्रुप का हित इस प्रकार है:

नाम		व्यवसाय का प्रधान स्थान	स्वामित्व हित का अनुपात	
			31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
ई एंड पी ब्लॉक				
1) एए-ओएनएन-2001/2	क	भारत	20.00%	20.00%
2) जीके-ओएसएन-2009/1	ख	भारत	25.00%	25.00%
3) एएपी-ओएन-94/1		भारत	29.03%	29.03%
4) एए/ओएनडीएसएफ/उमातारा/2018		भारत	90.00%	90.00%
5) बीके-सीबीएम-2001/1		भारत	20.00%	20.00%
6) एनके-सीबीएम-2001/1		भारत	20.00%	20.00%
7) फ़ारसी ब्लॉक ईरान	ग	ईरान	40.00%	40.00%
8) शक्ति गैबॉन		गैबॉन	50.00%	50.00%
9) क्षेत्र 95-96		लीबिया	25.00%	25.00%
10) आरजे-ओएनएचपी-2017/8	घ	भारत	30.00%	30.00%
11) एए-ओएनएचपी-2017/12		भारत	20.00%	20.00%
12) एमबी/ओएसडीएसएफ/डब्ल्यूओ5/2021	ङ	भारत	30.00%	30.00%
13) केजी/ओएसडीएसएफ/चंद्रिका/2021		भारत	30.00%	30.00%
14) एए-ओएनएचपी-2018/3	च	भारत	30.00%	30.00%
15) एए-ओएनएचपी-2018/5		भारत	30.00%	30.00%
16) आरजे-ओएनएचपी-2018/2	च	भारत	30.00%	30.00%
17) आरजे-ओएनएचपी-2019/2	छ	भारत	30.00%	30.00%
18) आरजे-ओएनएचपी-2019/3	ज	भारत	30.00%	30.00%
19) नॉर्थ मोंटनी संयुक्त उद्यम		कनाडा	10.00%	10.00%
20) निओबरारा शेल परियोजना		यूएसए	10.00%	10.00%
21) मुखैजना तेल क्षेत्र		ओमान	17.00%	17.00%
अन्य				
22) इंडोइल नीदरलैंड बी.वी.	झ	नीदरलैंड	50.00%	50.00%

क. अन्वेषण लाइसेंस 7 अक्टूबर, 2015 को समाप्त हो गया। कंसोर्टियम ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) से मूल्यांकन चरण के लिए अनुरोध किया था, हालाँकि 6 मार्च, 2019 के पत्र के अनुसार, मूल्यांकन कार्य के बजाय अन्वेषण गतिविधि करने का सुझाव दिया गया। तदनुसार, ऑपरेटर ने डीजीएच से अन्वेषण अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। डीजीएच से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

ख. मूल्यांकन अवधि 1 फरवरी, 2022 को समाप्त हो गई है। कंसोर्टियम ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) से विस्तार का अनुरोध किया था। डीजीएच से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

ग. अन्वेषण सेवा अनुबंध के अंतर्गत परियोजना का अन्वेषण चरण 24 जून, 2009 को समाप्त हो गया। नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी (एनआईओसी) ने फरज़ाद-बी गैस क्षेत्र (फारसी क्षेत्र) के विकास के लिए एक स्थानीय ईरानी कंपनी के साथ एक विकास सेवा अनुबंध (डीएससी) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी अन्य भारतीय कंसोर्टियम भागीदारों के साथ मिलकर एनआईओसी के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा कर रही है।

घ. ब्लॉक त्याग के अधीन है।

ङ. बोर्ड ने 20 दिसंबर, 2024 को हुई अपनी बैठक में ब्लॉक के त्याग को मंजूरी दे दी। त्याग के लिए प्रबंधन समिति की बैठक का अनुरोध डीजीएच को 4 मार्च, 2025 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। डीजीएच से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

च. अन्वेषण अवधि 28 फ़रवरी, 2025 को समाप्त हो रही है। कंसोर्टियम ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) से विस्तार का अनुरोध किया था। डीजीएच से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

छ. अन्वेषण अवधि 16 मार्च, 2025 को समाप्त हो रही है। कंसोर्टियम ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) से विस्तार का अनुरोध किया था। डीजीएच से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

ज. आईओसी स्वीडन एबी ने अपने संयुक्त उद्यम इंडोइल नेदरलेंड्स बी.वी. के माध्यम से पेट्रोकाराबोबो परियोजना में निवेश किया है, वेनेजुएला में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के कारण इस निवेश के परिणाम में देरी हो सकती है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–34: संयुक्त प्रचालनों में हित (जारी..)

ख. संयुक्त प्रचालनों की वित्तीय स्थिति में ग्रुप हिस्सेदारी इस प्रकार है –

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
संपत्तियां	11,231.66	**10,619.61**
पीपीई (उत्पादन संपत्तियों सहित)	7,692.58	7,319.48
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	527.59	493.57
विकासाधीन अमूर्त संपत्ति (प्रावधानों को घटाकर)	1,746.97	1,957.31
अन्य संपत्तियां (प्रावधानों को घटाकर)	1,264.52	849.25
देनदारियां और प्रावधान	7,128.64	**6,448.45**
देनदारियां	6,570.88	5,938.81
प्रावधान	557.76	509.64
आय	3,362.33	**3,240.43**
उत्पादों की बिक्री (स्वयं उपभोग को घटाकर)	3,267.24	3,236.31
अन्य आय	95.09	4.12
व्यय	3,360.63	**3,199.74**
बट्टे खाते में डाला गया व्यय (अन्वेषण संबंधी सहित)	24.93	–
अन्य लागतें (अन्वेषण संबंधी सहित)	3,335.70	3,199.74
शुद्ध परिणाम	1.70	**40.69**
प्रतिबद्धताएं	2,301.17	**2,515.82**
आकस्मिक देनदारियां	–	**12.16**

टिप्पणी– छोड़े गए ब्लॉक की वित्तीय स्थिति सहित।

टिप्पणी–35 क: अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों से संबंधित प्रकटीकरण

"खनिज संसाधनों का अन्वेषण और मूल्यांकन" पर भारतीय एएस-106 के अनुपालन में, खनिज संसाधनों (कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस आदि) के अन्वेषण और मूल्यांकन से जुड़े कार्यों से संबंधित वित्तीय सूचना का प्रकटन इस प्रकार है –

(₹ करोड़ में)

नाम	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
(i) संपत्तियाँ	355.73	**288.29**
– विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	317.40	273.34
– प्रगतिरत पूँजीगत कार्य	0.02	0.09
– अन्य संपत्तियाँ	38.31	14.86
(ii) देनदारियाँ	218.92	**147.76**
– प्रावधान	4.45	4.26
– अन्य देनदारियाँ	214.47	143.50
(iii) आय	86.16	**0.51**
– अन्य आय	86.16	0.51
(iv) व्यय	131.19	**62.62**
– बट्टे खाते में डाला गया अन्वेषण व्यय	21.48	–
– अन्य अन्वेषण लागतें	109.71	62.62
(v) नकदी प्रवाह		
– परिचालन गतिविधियों से/(प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	24.15	(54.50)
– निवेश गतिविधियों से/(प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	(11.21)	(72.48)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–35 ख: ऑयल और गैस उत्पादन संबंधी कार्यों के लेखांकन पर संशोधित मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुपालन में, रिज़र्व से संबंधित अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

कच्चा तेल, संघनन, प्राकृतिक गैस लिक्विड और गैस का निवल प्रमाणित रिज़र्व:

परिसंपत्तियां		31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
		कच्चा तेल, संघनन, एनएलजी	प्राकृतिक गैस	कच्चा तेल, संघनन, एनएलजी	प्राकृतिक गैस
		टीएमटी	मिलियन क्यूबिक मीटर	टीएमटी	मिलियन क्यूबिक मीटर
क) प्रमाणित भंडार					
नियोबरारा शेल परियोजना, अमेरिका	आरंभ	182.22	56.07	236.56	76.70
	योग	110.97	31.59	–	–
	घटाव	–	–	32.19	12.74
	उत्पादन	46.42	11.16	22.15	7.88
	शेष	246.77	76.50	**182.22**	**56.07**
प्रशांत नॉर्थवेस्ट एलएनजी, कनाडा	आरंभ	1,826.47	14,903.56	1,904.45	14,793.66
	योग	(12.21)	1,047.17	33.64	951.16
	घटाव	–	–	–	–
	उत्पादन	143.53	1,028.26	111.62	841.26
	शेष	1,670.73	14,922.47	**1,826.47**	**14,903.56**
ओमान	आरंभ	5,078.09	–	5,362.52	–
	योग	–	–	396.36	–
	घटाव	–	–	–	–
	उत्पादन	632.94	–	680.79	–
	शेष	4,445.15	–	**5,078.09**	**–**
असम एएपी-ओएन-94/1	आरंभ	5.65	778.19	10.43	838.26
	योग	49.39	524.01	–	–
	घटाव	–	–	–	–
	उत्पादन	3.97	53.28	4.78	60.07
	शेष	51.07	1,248.92	**5.65**	**778.19**
झारखंड बीके-सीबीएम-2001/1	आरंभ	–	150.21	–	–
	योग	–	–	–	–
	घटाव	–	–	–	–
	उत्पादन	–	9.25	–	–
	शेष	–	140.96	**–**	**–**
गुजरात सीबी-ओएनएन-2005/9	आरंभ	468.25	16.85	–	–
	योग	–	–	–	–
	घटाव	–	–	–	–
	उत्पादन	–	–	–	–
	शेष	468.25	16.85	**–**	**–**
कुल प्रमाणित भंडार		6,881.97	16,405.70	**7,092.43**	**15,737.82**
ख) प्रमाणित विकसित भंडार					
निओबरारा शेल परियोजना, अमेरिका	प्रारंभिक	98.23	30.79	64.52	24.91
	अतिरिक्त	76.45	23.21	55.86	13.76
	कटौती	–	–	–	–
	उत्पादन	46.42	11.16	22.15	7.88
	शेष	128.26	42.84	**98.23**	**30.79**
प्रशांत उत्तर-पश्चिम एलएनजी, कनाडा	प्रारंभिक	673.44	5,604.69	602.20	4,806.05
	अतिरिक्त	278.81	2,619.38	182.86	1,639.90
	कटौती	–	–	–	–
	उत्पादन	143.53	1,028.26	111.62	841.26
	शेष	808.72	7,195.81	**673.44**	**5,604.69**
ओमान	प्रारंभिक	4,276.24	–	4,575.39	–
	अतिरिक्त	–	–	381.64	–
	कटौती	–	–	–	–
	उत्पादन	632.94	–	680.79	–
	शेष	3,643.30	–	**4,276.24**	**–**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–35 ख: ऑयल और गैस उत्पादन संबंधी कार्यों के लेखांकन पर संशोधित मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुपालन में, रिज़र्व से संबंधित अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: (जारी..)

परिसंपत्तियां		31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
		कच्चा तेल, संघनन, एनएलजी	प्राकृतिक गैस	कच्चा तेल, संघनन, एनएलजी	प्राकृतिक गैस
		टीएमटी	मिलियन क्यूबिक मीटर	टीएमटी	मिलियन क्यूबिक मीटर
असमएएपी-ओएन-94/1	प्रारंभिक	5.65	778.19	10.43	838.26
	अतिरिक्त	49.39	524.01	–	–
	कटौती	–	–	–	–
	उत्पादन	3.97	53.28	4.78	60.07
	शेष	51.07	1,248.92	**5.65**	**778.19**
झारखंड बीके-सीबीएम-2001/1	प्रारंभिक	–	–	–	–
	अतिरिक्त	–	135.62	–	–
	कटौती	–	–	–	–
	उत्पादन	–	9.25	–	–
	शेष	–	126.37	**–**	**–**
गुजरात सीबी-ओएनएन-2005/9	प्रारंभिक	230.49	8.29	–	–
	अतिरिक्त	–	–	–	–
	कटौती	–	–	–	–
	उत्पादन	–	–	–	–
	शेष	230.49	8.29	**–**	**–**
कुल प्रमाणित विकसित भंडार		4,861.84	8,622.23	**5,053.56**	**6,413.67**

भौगोलिक आधार पर कच्चा तेल, संघनन, प्राकृतिक गैस लिक्विड और गैस का कुल प्रमाणित भंडार एवं प्रमाणित विकसित भंडार –

विवरण	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	कच्चा तेल, संघनन, एनएलजी	प्राकृतिक गैस	कच्चा तेल, संघनन, एनएलजी	प्राकृतिक गैस
	टीएमटी	मिलियन क्यूबिक मीटर	टीएमटी	मिलियन क्यूबिक मीटर
क) प्रमाणित रिज़र्व				
यू.एस.	246.77	76.50	182.22	56.07
कनाडा	1,670.73	14,922.47	1,826.47	14,903.56
ओमान	4,445.15	–	5,078.09	–
भारत	519.32	1,406.73	5.65	778.19
कुल प्रमाणित रिज़र्व	6,881.97	16,405.70	**7,092.43**	**15,737.82**
ख) प्रमाणित विकसित रिज़र्व				
यू.एस.	128.26	42.84	98.23	30.79
कनाडा	808.72	7,195.81	673.44	5,604.69
ओमान	3,643.30	–	4,276.24	–
भारत	281.56	1,383.58	5.65	778.19
कुल प्रमाणित विकसित रिज़र्व	4,861.84	**8,622.23**	5,053.56	**6,413.67**

आवृत्ति

ग्रुप रिज़र्व के प्रमाणपत्र के लिए तृतीय पक्ष की एजेंसी के साथ-साथ संस्थागत अध्ययन का उपयोग करता है जिसमें रिज़र्व के मूल्यांकन के लिए उद्योग की नवीनतम पद्धतियों को अपनाया जाता है। प्रमाणित तथा प्रमाणित विकसित रिज़र्व के प्राक्कलन के प्रयोजनार्थ, कंपनी द्वारा निर्धारणीय विधि का उपयोग किया जाता है। आरक्षण के अनुमानों का वार्षिक पुनरीक्षण वार्षिक अन्वेषण और विकास संबंधी गतिविधियों और उनके परिणामों पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 36: कर्मचारी हितलाभ

"कर्मचारी हितलाभों" पर भारतीय ए.एस.-19 के अनुपालन में किए गए प्रकटन इस प्रकार हैं –

क. परिभाषित अंशदान योजनाएं – सामान्य विवरण

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95)

वर्ष के दौरान, समूह ने लाभ-हानि विवरण/सीडब्ल्यूआईपी (नोट-27 में भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान/नोट-2.2 में निर्माण अवधि व्यय में शामिल) में ईपीएस-95 में अंशदान के रूप में ₹ 25.43 करोड़ (वर्ष 2024: ₹ 27.27 करोड़) की पहचान की है।

पेंशन योजना

वर्ष के दौरान, समूह ने लाभ-हानि विवरण/सीडब्ल्यूआईपी (नोट-27 में भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान/नोट-2.2 में निर्माण अवधि व्यय में शामिल) में परिभाषित अंशदायी कर्मचारी पेंशन योजना (कॉर्पोरेट राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान सहित) के लिए ₹ 435.52 करोड़ (वर्ष 2024: ₹ 442.28 करोड़) की पहचान की है।

ख. निर्धारित हितलाभ योजनाएं – सामान्य विवरण

भविष्य निधि –

भविष्य निधि में ग्रुप के अंशदान को पात्र कर्मचारियों के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस प्रयोजनार्थ स्थापित अलग भविष्य निधि ट्रस्टों को भेजा जाता है और लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। न्यास की निवल आय का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम रिटर्न दर से कम होने, यदि कोई हो, और निवेशों के दबावग्रस्त होने से न्यास का हानि में जाने के संबंध में समूह द्वारा प्रावधान किए जा रहे हैं।

ग्रेच्युटी:

5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक कर्मचारी, समूह से अलग होने के समय, पूरी की गई सेवा अवधि के आधार पर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का हकदार है, जो अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2017 के संदर्भ में, जब भी आयकर अधिनियम में 50% की वृद्धि होती है, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ जाती है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ सुविधा (पीआरएमबीएफ):

पीआरएमबीएफ सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा कवरेज प्रदान करता है।

पुनर्वास लाभ:

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद घर बसाने में सुविधा प्रदान करने के लिए पुनर्वास लाभ दिया जाता है।

अनुग्रह योजना:

अनुग्रह राशि उन कर्मचारियों को देय है जो 1 जनवरी, 2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और या तो सेवानिवृत्ति लाभ निधि से पेंशन नहीं ले रहे हैं (क्योंकि वे 1 जनवरी, 1987 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, अर्थात इंडियनऑयल में सेवानिवृत्ति लाभ निधि योजना की शुरुआत से पहले) या किसी ग्रेड के लिए निर्धारित अनुग्रह राशि से कम पेंशन ले रहे हैं (ऐसी स्थिति में पेंशन और अनुग्रह राशि के बीच अंतर राशि का भुगतान किया जाता है)।

रोजगार के दौरान या उसके कारण हुई चोटों के लिए कर्मचारी मुआवजा:

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी, जो ड्यूटी के दौरान दुर्घटना का शिकार होते हैं, उक्त अधिनियम के तहत मुआवजे के पात्र हैं। इसके अलावा, किसी कर्मचारी की उसके नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 100 महीने के वेतन (बीपी+डीए) के बराबर एकमुश्त मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान:

मूल कंपनी की एक योजना है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विभिन्न आयु-अवधि प्राप्त करने पर एकमुश्त राशि देकर सम्मानित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 36: कर्मचारी हितलाभ (जारी..)

ग. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ – सामान्य विवरण

छुट्टी नकदीकरण:

प्रत्येक कर्मचारी सेवा की प्रत्येक पूरी हुई तिमाही के लिए 8 अर्जित अवकाश पाने का हकदार है। अर्जित अवकाश को सेवा के दौरान भुनाने की अनुमति है, जिसमें न्यूनतम 15 दिन का बैलेंस छोड़ना होगा, बशर्ते अधिकतम 300 दिन जमा हो सकें। इसके अलावा, प्रत्येक कर्मचारी हर छह महीने के अंत में 5 बीमारी की छुट्टियां (10 अर्ध वेतन अवकाश के बदले में) पाने का हकदार है। बीमारी की छुट्टियों के पूरे संचय को केवल सेवानिवृत्ति के समय भुनाने की अनुमति है। डीपीई ने पहले स्पष्ट किया था कि बीमारी की छुट्टियों को भुनाया नहीं जा सकता है, हालांकि अर्जित अवकाश (ईएल) और अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) को 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन सेवानिवृत्ति पर भुनाने के लिए विचार किया जा सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने मूल कंपनी को उक्त डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। हालांकि, 1987 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में तत्पश्चात, तृतीय वेतन संशोधन समिति की अनुशंसा के आधार पर, डीपीई ने 01 जनवरी, 2017 से प्रभावी वेतन संशोधन संबंधी अपने दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सीपीएसई को परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन, अपने अवकाश नियम स्वयं बनाने की अनुमति दी है। अपेक्षित शर्तें मूल कंपनी द्वारा पूरी तरह से पूरी की जाती हैं।

दीर्घ सेवा पुरस्कार:

समूह में सेवा की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर और सेवानिवृत्ति के समय भी, कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर राशि प्रदान की जाती है। यह लोक उद्यम ब्यूरो (वर्तमान में डीपीई) के दिनांक 14 फरवरी, 1983 के डीओ संख्या 7(3)/79-बीपीई (जीएम.) के अनुसार, दीर्घ वर्षों की निष्ठा और विश्वासपूर्ण सेवा को मान्यता देने का एक तरीका है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हमें यह सूचना मिलने पर कि दीर्घ सेवा पुरस्कार के मुद्दे को सीएजी की 2019 की वार्षिक रिपोर्ट में एक लेखापरीक्षा पैरा के रूप में शामिल किया गया है, मूल कंपनी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को व्यक्तिगत रूप से और उद्योग के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि दीर्घ सेवा पुरस्कार बोनस, अनुग्रह राशि या मानदेय के रूप में नहीं हैं और यह औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत यूनियनों के साथ समझौते के साथ-साथ डीपीई की 1983 की सलाह के अनुरूप बोर्ड के अनुमोदन से प्राप्त होता है। इस मामले को समाधान के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में यह प्रावधान बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप है।

अवकाश किराया भत्ता (एलएफए) / अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी):

एलटीसी दो कैलेंडर वर्षों (अर्थात दो वार्षिक ब्लॉक) की अवधि में एक बार दिया जाता है। किसी भी कर्मचारी के पास दो वर्षों की किसी भी ब्लॉक अवधि में एलटीसी का लाभ उठाने या एलएफए के लाभों को भुनाने का विकल्प होता है।

घ. लाभ व हानि के विवरण, तुलन-पत्र और अन्य व्यापक आय में विभिन्न निर्धारित हितलाभ लाभ योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

(तालिका में जो आंकड़े बोल्ड नहीं हैं और इटालिक फांट में हैं, पिछले वर्ष के हैं)

(i) निर्धारित हितलाभ योजनाओं के शेष का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	उपदान	पीआरएमएस	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	अनुग्रह राशि	सम्मान
	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित दायित्व	**20,446.53**	**2,700.17**	**8,586.65**	**114.11**	**260.83**	**491.38**
	19,741.15	2,723.44	7,917.28	113.08	258.19	470.85
प्रारंभिक शेष समायोजन	**12.73**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	6.19	–	–	–	–	–
वर्तमान सेवा लागत	**560.50**	**57.97**	**331.31**	**14.52**	**–**	**1.64**
	670.03	54.79	315.43	15.34	–	1.61
पिछली सेवा लागत	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	–	–	–	–	3.79	–
ब्याज लागत	**1,673.57**	**194.88**	**621.67**	**8.23**	**18.80**	**35.58**
	1,603.13	204.19	596.17	8.47	19.26	35.46
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	**961.85**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	1,006.85	–	–	–	–	–
अंतरित/अंतरित शुद्ध देयता	**211.90**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	192.68	–	–	–	–	–

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 36: कर्मचारी हितलाभ (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	उपदान	पीआरएमएस	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	अनुग्रह राशि	सम्मान
	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं
भुगतान किए गए लाभ	**(2,923.95)**	**(261.56)**	**(355.05)**	**(9.32)**	**(41.72)**	**(22.44)**
	(2,640.00)	(292.81)	(331.46)	(7.51)	(40.92)	(22.46)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	**(117.08)**	**11.15**	**116.71**	**(9.92)**	**12.00**	**(22.56)**
	(133.50)	10.56	89.23	(15.27)	20.51	5.92
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	**20,826.05**	**2,702.61**	**9,301.29**	**117.62**	**249.91**	**483.60**
	20,446.53	2,700.17	8,586.65	114.11	260.83	491.38

(ii) नियोजित परिसंपत्तियो के उचित मूल्य पर शेष राशि का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	उपदान	पीआरएमएस	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	अनुग्रह राशि	सम्मान
	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**20,796.99**	**2,759.36**	**8,588.42**	**–**	**–**	**–**
	19,908.73	*2,817.21*	*7,728.12*	–	–	–
प्रारंभिक शेष समायोजन	**(118.70)**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	–	–	–	–	–	–
ब्याज आय	**1,673.41**	**199.16**	**621.80**	**–**	**–**	**–**
	1,602.60	*211.26*	*581.93*	–	–	–
नियोक्ता द्वारा अंशदान	**559.95**	**60.55**	**378.14**	**–**	**–**	**–**
	670.03	*0.82*	*557.27*	–	–	–
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	**961.85**	**–**	**1.20**	**–**	**–**	**–**
	1,006.85	–	*1.10*	–	–	–
अंतरित/अंतरित शुद्ध देयता	**211.90**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	192.62	–	–	–	–	–
भुगतान किया गया लाभ	**(2,923.95)**	**(245.12)**	**(355.05)**	**–**	**–**	**–**
	(2,640.00)	*(278.65)*	*(324.05)*	–	–	–
पुनर्मूल्यांकन (ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल)	**13.47**	**17.83**	**51.14**	**–**	**–**	**–**
	56.16	*8.72*	*44.05*	–	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**21,174.92**	**2,791.78**	**9,285.65**	**–**	**–**	**–**
	20,796.99	*2,759.36*	*8,588.42*	–	–	–

(iii) नियोजित परिसम्पत्तियों और परिभाषित लाभ देयता के उचित मूल्य का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	उपदान	पीआरएमएस	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	अनुग्रह राशि	सम्मान
	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**21,174.92**	**2,791.78**	**9,285.65**	**–**	**–**	**–**
	20,796.99	*2,759.36*	*8,588.42*	–	–	–
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व (ब्याज की कमी को छोड़कर)	**20,826.05**	**2,702.61**	**9,301.29**	**117.62**	**249.91**	**483.60**
	20,446.53	*2,700.17*	*8,586.65*	*114.11*	*260.83*	*491.38*
बैलेंस शीट में अंकित नहीं की गई राशि (इंड-एस 19 के पैरा 64 के अनुसार)	**352.92**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	352.73	–	–	–	–	–
बैलेंस शीट में अंकित शुद्ध देयता/(परिसंपत्तियाँ)	**4.05**	**(89.17)**	**15.64**	**117.62**	**249.91**	**483.60**
	2.27	(59.19)	(1.77)	114.11	260.83	491.38

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 36: कर्मचारी हितलाभ (जारी..)

(iv) लाभ व हानि के विवरण/ निर्माण अवधि के व्ययों में स्वीकृत राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	उपदान	पीआरएमएस	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	अनुग्रह राशि	सम्मान
	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं
वर्तमान सेवा लागत	**560.50**	**57.97**	**331.31**	**14.52**	**–**	**1.64**
	670.03	*54.79*	*315.43*	*15.34*	–	*1.61*
पिछली सेवा लागत	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	–	–	–	–	*3.79*	–
शुद्ध ब्याज लागत	**0.16**	**(4.28)**	**(0.13)**	**8.23**	**18.80**	**35.58**
	0.53	*(7.07)*	*14.24*	*8.47*	*19.26*	*35.46*
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	**–**	**–**	**(1.03)**	**–**	**–**	**–**
	–	–	*(1.10)*	–	–	–
एनपीए के लिए अपेक्षित अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	–	–	–	–	–	–
भविष्य में ब्याज की कमी के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	–	–	–	–	–	–
वर्ष के व्यय	**560.66**	**53.69**	**330.15**	**22.75**	**18.80**	**37.22**
	670.56	*47.72*	*328.57*	*23.81*	*23.05*	*37.07*

(v) अन्य समग्र आय में स्वीकृत धनराशि (ओ सी आई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	उपदान	पीआरएमएस	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	अनुग्रह राशि	सम्मान
	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि- जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	–	–	–	–	–	–
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	**1.62**	**75.43**	**312.05**	**5.73**	**6.00**	**12.45**
	(5.22)	*59.15*	*119.73*	*4.67*	*2.31*	*41.53*
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि- अनुभव के कारण	**(118.70)**	**(64.28)**	**(195.34)**	**(15.65)**	**6.00**	**(35.01)**
	(9.58)	*(48.59)*	*(30.50)*	*(19.94)*	*18.20*	*(35.61)*
पुनर्मापन (ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल)	**–**	**17.83**	**51.14**	**–**	**–**	**–**
	–	8.72	44.05	–	–	–
कर्मचारी से वसूली योग्य राशि ओसीआई में समायोजित	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	–	–	–	–	–	–
ओसीआई# में मान्यता प्राप्त शुद्ध हानि / (लाभ)	**(117.08)**	**(6.68)**	**65.57**	**(9.92)**	**12.00**	**(22.56)**
	(14.80)	1.84	45.18	(15.27)	20.51	5.92

#अनुवाद अंतर की शुद्ध हानि/(लाभ) राशि ₹ 0.44 करोड़ (2024: (0.08) करोड़)।

(vi) प्रमुख बीमांकित मान्यताएं *

विवरण	भविष्य निधि	उपदान	पीआरएमएस	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	अनुग्रह राशि	सम्मान
	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं	वित्त-पोषित नहीं
छूट दर	**6.89%**	**6.89%**	**7.05%**	**6.89%**	**6.71%**	**7.05%**
	7.21%	*7.21%*	*7.24%*	*7.21%*	*7.21%*	*7.24%*
वेतन वृद्धि	**–**	**8.00%**	**–**	**–**	**–**	**–**
	–	*8.00%*	–	–	–	–
मुद्रास्फीति	**–**	**–**	**8.00%**	**6.00%**	**–**	**–**
	–	–	8.00%	6.00%	–	–

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 36: कर्मचारी हितलाभ (जारी..)

विवरण	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता वित्त–पोषित नहीं	अनुग्रह राशि वित्त–पोषित नहीं	सम्मान वित्त–पोषित नहीं
औसत अपेक्षित भावी सेवा/दायित्व (वर्ष)	–	17	30	17	8	30
	–	17	30	17	9	30
रोज़गार के दौरान मृत्यु दर			**भारत में सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012–14) शहरी**			
			भारत में सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012–14) शहरी			

उपरोक्त वित्तपोषित योजनाओं के मामले में, योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल संबंधित छूट दर के समान ही है।

बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

* मूल कंपनी के परिभाषित लाभ दायित्वों के बीमांकिक मूल्यांकन में विचार की गई धारणाएँ।

(vii) बीमांकित मान्यताओं की संवेदनशीलता:

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए हानि / (लाभ)	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता वित्त–पोषित नहीं	अनुग्रह राशि वित्त–पोषित नहीं	सम्मान वित्त–पोषित नहीं
छूट दर में परिवर्तन						
1% की वृद्धि	–	**(221.92)**	**(1,312.12)**	**(16.59)**	**(8.81)**	**(50.00)**
	–	(207.84)	(409.68)	(15.39)	(9.17)	(71.82)
1% की वृद्धि	–	**263.35**	**1,772.61**	**21.00**	**9.58**	**54.90**
	–	245.61	495.86	19.43	9.99	25.48
वेतन वृद्धि में परिवर्तन						
1% की वृद्धि	–	**55.55**	–	–	–	–
	–	52.64	–	–	–	–
1% की वृद्धि	–	**(64.22)**	–	–	–	–
	–	(59.78)	–	–	–	–
मुद्रास्फीति दर में परिवर्तन						
1% की वृद्धि	–	–	**1,185.93**	–	–	–
	–	–	1,049.31	–	–	–
1% की वृद्धि	–	–	**(951.33)**	–	–	–
	–	–	(860.10)	–	–	–

(viii) निवेश के विवरण –

विवरण	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित
बीमाकर्ता के साथ निवेश	–	**99.66%**	**89.55%**
	–	*99.62%*	*89.54%*
स्व–प्रबंधित निवेश	**100.00%**	**0.34%**	**10.45%**
	100.00%	*0.38%*	*10.46%*

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 36: कर्मचारी हितलाभ (जारी..)

उपर्युक्त वित्त पोषित दायित्वों के लिए निवेश पैटर्न का विवरण इस प्रकार है–

विवरण	भविष्य निधि वित्त–पोषित	उपदान* वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित
सरकारी प्रतिभूतियाँ (केंद्रीय एवं राज्य)	**52.98%**	**95.79%**	**16.92%**
	52.37%	*87.92%*	*18.07%*
इक्विटी/म्यूचुअल फंड में निवेश	**10.60%**	**1.07%**	**46.85%**
	9.22%	*0.97%*	*37.97%*
डिबेंचर/प्रतिभूतियों में निवेश	**32.34%**	**1.05%**	**36.03%**
	35.50%	10.86%	43.74%
अन्य स्वीकृत निवेश (नकदी सहित)	**4.08%**	**2.09%**	**0.21%**
	2.91%	0.24%	0.23%

* मूल कंपनी के मामले में, एलआईसी से निवेश पैटर्न की प्राप्ति लंबित रहने तक, उपरोक्त पैटर्न स्व-प्रबंधित निधियों और अन्य बीमा कंपनियों द्वारा प्रबंधित निधियों से संबंधित है और एलआईसी से प्राप्त विवरण पर विचार करने के बाद वास्तविक निवेश पैटर्न भिन्न होगा।

(ix) निम्नलिखित भुगतान भावी वर्षों में निर्धारित हितलाभ योजना के अपेक्षित प्राक्कलन हैं:

(₹ करोड़ में)

निधि/नियोजक से नकदी प्रवाह अनुमान	उपदान वित्त–पोषित	पीआरएमएस वित्त–पोषित	पुनर्स्थापना भत्ता गैर वित्त पोषित गैर वित्त पोषित	अनुग्रह राशि गैर वित्त पोषित	सम्मान गैर वित्त पोषित
अगले 12 महीनों के भीतर	**273.06**	**358.01**	**6.40**	**48.80**	**29.56**
	299.75	*335.46*	*7.10*	*50.26*	*27.94*
1 से 5 वर्षों के बीच	**941.00**	**1,561.18**	**19.96**	**143.09**	**125.02**
	985.71	*1,461.03*	*21.27*	*150.48*	*120.61*
6 से 10 वर्षों के बीच	**964.41**	**2,230.87**	**26.81**	**92.39**	**179.65**
	1,030.27	*2,082.67*	*28.94*	*100.44*	*176.17*

टिप्पणी–37: प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिकताएं

क. पट्टे

(क) पट्टेदार के रूप में

ग्रुप ने विभिन्न सामग्री पट्टा व्यवस्था (सार पट्टे की व्यवस्था सहित) की है जैसे अपने संयंत्रों, सुविधाओं, कार्यालयों, रिटेल आउटलेट आदि के प्रयोजनार्थ भूमि और भवन, पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए भंडारण टैंकेज सुविधा, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के तटीय परिवहन के लिए समय चार्टर व्यवस्था, पेट्रोलियम उत्पादों के सड़क मार्ग द्वारा परिवहन के लिए विशेष टैंक ट्रकों की व्यवस्था, भंडारण सुविधा प्रदान करने और ल्यूब की हैंडलिंग, उपयोगिताओं की आपूर्ति जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पानी तथा पत्तन सुविधाओं के लिए सीएफए के साथ हैंडलिंग व्यवस्था।

ऐसी कोई महत्वपूर्ण बिक्री और पट्टा वापसी के लेनदेन और ग्रुप द्वारा किए गए पट्टा समझौते नहीं हैं जिनमें चालू रिपोर्टिंग अवधि तक पट्टाकर्ता द्वारा लगाए गए कोई महत्वपूर्ण प्रतिबंध या अनुबंध शामिल नहीं हैं।

ग्रुप द्वारा किए गए महत्वपूर्ण पट्टों का विवरण (सार पट्टों सहित) निम्नानुसार है;

1. टैंकेज सुविधा, जल सेवन सुविधा, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, रिफाइनरियों में उपयोगिता गैसों की आपूर्ति के लिए संयंत्रों के लिए 10-25 वर्षों की अवधि के लिए बीओओ/बीओओटी आधार पर विभिन्न व्यवस्थाएं। बीओओटी संविदाओं के मामले में, पट्टादाता संविदा अवधि के अंत में शून्य/नाममात्र मूल्य पर आईओसीएल को स्वामित्व हस्तांतरित करेगा।
2. 30 से 90 वर्ष की अवधि के लिए संयंत्रों, सुविधाओं और कार्यालयों के प्रयोजन के लिए सरकार से ली गई पट्टाधारित भूमि।
3. कंपनी के कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए समर्पित समय वाले चार्टर जहाजों को किराए पर लेने के लिए पोत मालिकों के साथ करार, इन्हें परिवहन उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
4. कंपनी के पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए समर्पित टैंक ट्रक उपलब्ध कराने हेतु टैंक ट्रक ऑपरेटरों के साथ समझौता।
5. पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के संबंध में खुदरा दुकानों के संचालन के लिए भूमि पट्टे/समर्पित भंडारण टैंक की व्यवस्था, पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए टर्मिनल/बॉटलिंग संयंत्र/ल्यूब ब्लेंडिंग संयंत्र की स्थापना/एलपीजी की बॉटलिंग/ल्यूब विनिर्माण।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–37: प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिकताएं (जारी..)

6. ल्यूब संबंधी कार्य करने के लिए विशेष भंडारण सुविधा देने के लिए सीएफए के साथ सीएफए हैंडलिंग व्यवस्था

7. सीपीसीएल (सहायक कंपनी) की कावेरी बेसिन रिफाइनरी में कर्मचारी टाउनशिप का निर्माण एक ट्रस्ट से पांच वर्ष के नवीकरणीय आधार पर पट्टे पर ली गई चौंतीस एकड़ और उनतालीस सेंट भूमि पर किया गया।

लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित राशि या किसी दूसरी परिसंपत्ति की वहनीय राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024–25		2023–24	
मूल्यह्रास स्वीकृत		3,249.07		2,932.10
पट्टा देयताओं पर ब्याज		952.76		878.60
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (30 दिनों से अधिक लेकिन 12 महीने से कम अवधि के पट्टे)*		843.01		953.41
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों से संबंधित व्यय, कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर		37.20		32.40
पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किए गए परिवर्तनीय पट्टा भुगतान		10,461.42		10,140.92
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के उप–पट्टे से आय				
– परिचालन पट्टे से किराये की आय के रूप में	18.10		19.04	
– आरओयू परिसंपत्ति के वित्तीय पट्टे से वित्तीय आय के रूप में	0.24	18.34	0.25	19.29
पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह		4,040.94		4,914.46
वर्ष के दौरान आरओयू में वृद्धि		3,623.72		3,294.03
बिक्री और लीज़बैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि		–		–
वर्ष के अंत में आरओयू की शुद्ध वहन राशि		10,472.64		10,096.71
विवादित, लीव एंड लाइसेंस, पिछले वर्ष की अतिरिक्त देनदारियों का प्रत्यावर्तन, पट्टा देनदारियों पर विनिमय दर में उतार–चढ़ाव आदि सहित अन्य।		349.43		324.99

*इसमें वे पट्टे भी शामिल हैं जिनके लिए अभी समझौता होना बाकी है या जिनका नवीकरण होना है।

अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग द्वारा पट्टाकर्ता के रूप में धारित पीपीई (टिप्पणी 2) में शामिल आरओयू परिसंपत्ति के विवरण नीचे दिए गए हैं –

2024–2025

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति का वर्ग	01 अप्रैल, 2024 को निवल वहनीय मूल्य	वर्ष के दौरान आरओयू परिसंपत्ति में परिवर्धन**	वर्ष के दौरान निर्धारित मूल्यह्रास**	31 मार्च, 2025 को निवल वहनीय मूल्य
पट्टाधारित भूमि	4,341.91	881.26	395.96	4,827.21
भवन, सड़कें आदि	312.23	58.03	39.87	330.39
संयंत्र व उपकरण	3,211.82	157.09	324.09	3,044.82
परिवहन उपकरण	2,230.75	2,528.93	2,489.46	2,270.22
रेलवे साइडिंग	–	–	–	–
कुल	10,096.71	3,625.31	3,249.38	10,472.64

2023–24

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति का वर्ग	01 अप्रैल, 2023 को निवल वहनीय मूल्य	वर्ष के दौरान आरओयू परिसंपत्ति में परिवर्धन**	वर्ष के दौरान निर्धारित मूल्यह्रास**	31 मार्च, 2024 को निवल वहनीय मूल्य
पट्टाधारित भूमि	4,225.25	461.98	345.31	4,341.91
भवन, सड़कें आदि	326.58	42.03	56.38	312.23
संयंत्र व उपकरण	3,420.54	95.35	304.07	3,211.82
परिवहन उपकरण	1,762.37	2,695.07	2,226.69	2,230.75
रेलवे साइडिंग	0.01	–	0.01	–
कुल	**9,734.75**	**3,294.43**	**2,932.46**	**10,096.71**

** वर्ष के दौरान आरओयू परिसंपत्ति में वृद्धि, उप–पट्टे पर दी गई आरओयू परिसंपत्तियों या वर्ष के दौरान किए गए संशोधनों और निरस्तीकरणों, यदि कोई हो, को घटाकर घटाई गई है।
** इसमें वृद्धि में एफसीटीआर अंतर के कारण ₹ 1.59 करोड़ (2024: ₹ 0.40 करोड़) और मूल्यह्रास के तहत ₹ 0.31 करोड़ (2024: ₹ 0.36 करोड़) शामिल हैं।

मानक की आवश्यकता के अनुसार, लीज देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण तरलता जोखिम–नोट 41: वित्तीय उपकरण और जोखिम कारक के अंतर्गत अन्य वित्तीय देनदारियों के परिपक्वता विश्लेषण से अलग दिखाया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–37: प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिकताएं (जारी..)

भावी नकदी बहिर्वाह की मदों का विवरण, जिन्हें ग्रुप ने पट्टेदार के रूप में उजागर किया है, लेकिन पट्टे की देयताओं के मापन में परिलक्षित नहीं होती है, इस प्रकार है;

(i) परिवर्ती पट्टा भुगतान

परिवर्ती पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं,को पट्टे की देयता के मापन में शामिल किया जाना है,फिर चाहे प्रारंभिक तिथि पर भुगतान क्यों न किया हो। उद्योग की सामान्य प्रथा के अनुसार,ग्रुप ऐसे विभिन्न परिवर्ती पट्टा भुगतान करता है जो किसी सूचकांक या दर पर आधारित नहीं होते हैं (पूरे किए गए कि.मी. या बिक्री आदि के % के आधार पर परिवर्ती) और लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं और पट्टे की देयता माप में शामिल नहीं होते हैं। ग्रुप द्वारा की गई कुछ व्यवस्थाओं का विवरण जिसमें परिवर्तनीय पट्टा भुगतान शामिल हैं,इस प्रकार हैं;

1. पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और गैस उत्पादों सड़क मार्ग द्वारा परिवहन के लिए विभिन्न ऑपरेटरों के साथ विशेष टैंक ट्रकों के लिए किलोमीटर की संख्या के आधार पर परिवहन व्यवस्था।
2. बिक्री की मात्रा के आधार पर खुदरा आउटलेट की भूमि का पट्टा।
3. दैनिक आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों के लिए स्टोरेज टैंकों का किराया।
4. उपकरण के कार्य–निष्पादन के आधार पर वीटीएस साफ्टवेयर और वीसैट उपकरण का भुगतान।
5. उपकरणों के निष्पादन के आधार पर एसडी वैन उपकरण और सॉफ्टवेयर का भुगतान

(ii) विस्तार व टर्मिनेशन विकल्प

कंपनी की लीज़ व्यवस्था में केवल परिचालन लचीलापन प्रदान करने के लिए विस्तार विकल्प शामिल हैं। कंपनी प्रत्येक लीज़ प्रारंभ पर यह आकलन करती है कि क्या विस्तार विकल्पों का प्रयोग करना उचित रूप से निश्चित है और आगे यह पुनः आकलन करती है कि क्या उसके नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर विकल्पों का प्रयोग करना उचित रूप से निश्चित है। हालांकि, जहां कंपनी के पास संविदा को बढ़ाने करने का एकमात्र विवेक है, वहां पट्टे की ऐसी अवधि को पट्टे की देयताओं की गणना के उद्देश्य से शामिल किया जाता है।

रिटेल आउटलेट के लिए लीज़ समझौते के मामले में कंपनी के पास लीज़ को समाप्त करने का एकमात्र विवेकाधिकार है। हालांकि, कंपनी संस्था के संचालन में रिटेल के महत्वपूर्ण सुधार और प्रमुख महत्व को देखते हुए इस विकल्प का प्रयोग न करने के लिए यथोचित रूप से आश्वस्त है। तदनुसार, समाप्ति के किसी भी प्रभाव के बिना ऐसी लीज़ अवधि को लीज़ देनदारियों की गणना के उद्देश्य से माना जाता है।

(iii) अवशिष्ट मूल्य की गारंटी

ग्रुप ने ऐसे विभिन्न बूट करार किया है जिसमें लीज़ अवधि के अंत में पट्टे की परिसंपत्तियां ग्रुप को नाममात्र मूल्य पर हस्तांतरित की जाएंगी, जिसका पट्टे की देयताओं के मापन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

(iv) प्रतिबद्ध पट्टे जो अभी शुरू होने बाकी हैं

1. समूह ने विभिन्न रिफाइनरियों में टैंकेज सुविधा और उपयोगिताओं की आपूर्ति के लिए 15–20 वर्षों की अवधि के लिए BOO/BOOT आधार पर 4 पट्टा समझौते किए हैं। आईओसीएल ने संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि को उप–पट्टे पर दिया है। संयंत्र के चालू होने के बाद पट्टा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

2. समूह ने औरंगाबाद और मुंबई में रिटेल आउटलेट्स के लिए 30 वर्षों की अवधि हेतु भूमि हेतु एमएसआरडीसी को ₹19.70 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया है। भूमि अभी समूह को सौंपी जानी है, इसलिए यह राशि पूंजीगत अग्रिम के रूप में पड़ी है और पट्टा शुरू होने के बाद आरओयू परिसंपत्तियों का हिस्सा बन जाएगी।

3. समूह ने विभिन्न विक्रेताओं से तीन वर्षों की अवधि के लिए (आईओसीएल की इच्छा पर विस्तार का विकल्प सहित) ₹1,200–1,650/माह की दर से और एक विक्रेता के लिए ₹ 2,450/माह की दर से ई–लॉक प्राप्त करने के लिए पट्टा समझौता किया है। 31 मार्च, 2025 तक, 4,111 ई–लॉक की आपूर्ति अभी बाकी है। हालाँकि, ये कम मूल्य की वस्तुएँ हैं।

4. समूह ने आंध्र प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ विशाखापत्तनम में एक रिटेल आउटलेट के लिए 20 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 20,000 रुपये मासिक किराये पर, हर तीन वर्षों में 10% की वृद्धि के साथ, भूमि का पट्टा समझौता किया है। भूमि का कब्ज़ा अभी तक नहीं दिया गया है और मामला न्यायालय में लंबित है।

5. समूह ने आईओसीएल की आवश्यकताओं के अनुरूप पीओएल ट्रकों हेतु वीटीएस सॉफ्टवेयर हेतु ₹ 373 रुपये प्रति माह के किराए के भुगतान हेतु मेसर्स ट्रिम्बल के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए केंद्रीकृत पट्टा समझौता किया है। 31 मार्च, 2025 तक, ₹ 19,039 वीटीएस सॉफ्टवेयर अभी स्थापित किए जाने हैं। हालाँकि, भुगतान परिवर्तनशील पट्टा भुगतान के रूप में है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–37: प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिकताएं (जारी..)

6. समूह ने एलपीजी ट्रकों के वीटीएस सॉफ्टवेयर के लिए विभिन्न विक्रेताओं के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 108-256 रुपये प्रति माह के किराए पर पट्टा समझौता किया है। 31 मार्च, 2025 तक, 14,020 वीटीएस स्थापित किए जाने बाकी हैं। हालाँकि, भुगतान परिवर्तनशील पट्टा भुगतान के रूप में है।

7. समूह ने मेसर्स सेवन आइलैंड्स शिपिंग लिमिटेड के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए टाइम चार्टर जहाजों को किराए पर लेने के लिए पट्टा समझौता किया है, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2025 से होगी।

8. समूह ने प्रबंधित सेवाओं सहित दोहरे नेटवर्क कनेक्टिविटी समाधान (एसडी-डब्ल्यूएएन समाधान) की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए ओपेक्स मॉडल पर 5 वर्षों की अवधि के लिए किराये के आधार पर पट्टा समझौता किया है, जिसका मासिक किराया ₹ 2,113/- रुपये है। चयनित आरओ में से 1103 आरओ का कमीशनिंग कार्य लंबित है। हालाँकि, भुगतान परिवर्तनशील पट्टा भुगतान के रूप में है।

(ख) पट्टाकर्ता के रूप में

(i) प्रचालनीय पट्टा

संबंधित करार में बताए गए किराये के अनुसार इन विवरणों में आय के रूप में निर्धारित पट्टे का किराया:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
वर्ष के दौरान आय के रूप में निर्धारित पट्टे का किराया	151.31	284.75
- परिवर्ती पट्टा	58.07	166.29
- अन्य	93.24	118.46

ये गैर-ईंधन व्यवसाय, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भंडारण टैंकेज सुविधाएं, छुट्टी और लाइसेंस मॉडल के लिए उप-पट्टे पर दी गई भूमि /भवन, पट्टे पर दिए गए मशीनरी और कार्यालयीन उपकरणों से संबंधित हैं। परिसंपत्ति के वर्गवार विवरण टिप्पणी 2- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत दिए गए हैं।

रिपोर्टिंग की तारीख के बाद प्राप्त होने वाले डिस्काउंट रहित पट्टा भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
एक वर्ष से कम	33.88	26.87
एक से दो वर्ष	14.64	15.74
दो से तीन वर्ष	11.67	3.33
तीन से चार वर्ष	9.71	1.79
चार से पांच वर्ष	4.47	0.75
पांच वर्षों से अधिक	16.68	1.49
कुल	91.05	49.97

(ii) वित्तीय पट्टा

समूह ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण वित्तीय पट्टा व्यवस्थाएँ की हैं:

(i) मूल कंपनी ने इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पट्टा समझौता किया है जिसके तहत मूल कंपनी ने ₹ 16.65 करोड़ रुपये के एकमुश्त अग्रिम भुगतान पर भूमि पट्टे पर दी है।

जिन पट्टा अनुबंधों में समूह पट्टादाता के रूप में कार्य करता है, उनसे प्राप्त पट्टा आय निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
विक्रय लाभ/(हानि)	-	-
पट्टे में शुद्ध निवेश पर वित्तीय आय	0.24	0.25

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वित्तीय पट्टे में सकल निवेश	16.65	20.89
घटाएँ: अनर्जित वित्तीय आय	-	-
घटाएँ: प्राप्त वित्तीय आय	-	0.29
घटाएँ: प्राप्त न्यूनतम पट्टा भुगतान	16.65	20.35
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन	-	0.25
आज तक वित्तीय पट्टे में शुद्ध निवेश	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–37: प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिकताएं (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वित्तीय पट्टे में आरंभिक शुद्ध निवेश	-	0.74
जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़े गए नए पट्टे	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्राप्त न्यूनतम पट्टा भुगतान का मूल्य (PV)	-	0.49
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन	-	0.25
वित्तीय पट्टे में समापन शुद्ध निवेश	-	-

रिपोर्टिंग तिथि के बाद प्राप्त होने वाले बिना छूट वाले पट्टा भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष	-	-
दो से तीन वर्ष	-	-
तीन से चार वर्ष	-	-
चार से पाँच वर्ष	-	-
पाँच वर्ष से अधिक	-	-
बिना छूट वाला पट्टा भुगतान	-	-
घटाएँ: अनर्जित वित्तीय आय	-	-
आज की तिथि तक वित्तीय पट्टे में शुद्ध निवेश	-	-

ख. आकस्मिक देयताएं

ख. 1 ग्रुप के विरुद्ध किए गए दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया

समूह के विरुद्ध ₹12,056.60 करोड़ (2024: ₹ 9,098.38 करोड़) के ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे इस प्रकार हैं:

ख.1.1 ₹ 1,375.20 करोड़ (2024: ₹ 702.08 करोड़) केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क/सेवा कर/ प्राधिकारियों द्वारा की गई माँगें हैं, जिनमें 767.72 करोड़ (2024: ₹ 262 करोड़) का ब्याज शामिल है।

ख.1.2 ₹ 39.84 करोड़ (2024: ₹ 39.84 करोड़) राज्य सरकारों से प्रवेश कर की माँगों के संबंध में हैं, जिनमें ₹ 9.44 करोड़ (2024: ₹ 9.44 करोड़) का ब्याज शामिल है।

ख.1.3 वैट/बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई माँगें: ₹ 767.16 करोड़ (2024: ₹ 821.24 करोड़), जिनमें 265.89 करोड़ (2024: ₹ 268.93 करोड़) का ब्याज शामिल है।

ख.1.4 आयकर माँगों के संबंध में: ₹ 1,146.96 करोड़ (2024: ₹ 2,595.55 करोड़), जिनमें ₹ 125.23 करोड़ (2024: ₹ 228.00 करोड़) का ब्याज शामिल है।

ख.1.5 परियोजनाओं के लिए ₹ 8,431.78 करोड़ (2024: ₹ 4,771.12 करोड़), जिनमें ₹ 4,118.17 करोड़ (2024: ₹ 4,033.35 करोड़) शामिल हैं, जिनके लिए न्यायालयों में मुकदमे दायर किए गए हैं या मध्यस्थ के पास मामले लंबित हैं। इसमें ₹ 1,054.37 करोड़ (2024: ₹ 197.95 करोड़) का ब्याज शामिल है।

ख.1.6 ₹ 44.99 करोड़ (2024: ₹ 75.11 करोड़) के ब्याज सहित अन्य दावों के संबंध में ₹ 295.66 करोड़ (2024: ₹ 168.55 करोड़)।

समूह ने उन विवादित मांगों/दावों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में नहीं माना है, जिनके लिए संसाधनों के बहिर्वाह को दूरस्थ माना गया है। समूह को इन कार्यवाहियों के परिणाम से अपनी वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। संयुक्त संचालन से संबंधित आकस्मिक देनदारियों का खुलासा नोट 34 में किया गया है।

ख.2 वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटी

*ख.2.1 समूह ने इंडियनऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड (आईओएजीपीएल) की ओर से, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा आईओएजीपीएल को प्रदान की गई प्रदर्शन बैंक गारंटी सुविधा के अंतर्गत, बाद की कंपनी के दायित्वों की सीमा तक, कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। 31 मार्च, 2025 को, इस दायित्व में समूह का हिस्सा ₹ 3,472.15 करोड़ रुपये (2024: ₹ 3,472.15 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

*ख.2.2 समूह ने ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (मूल कंपनी की सहायक कंपनी, आईओसीएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) की ओर से अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के पक्ष में मूल कंपनी गारंटी जारी की है ताकि संयुक्त उद्यम कंपनी के भुगतान और न्यूनतम कार्य योजना के निष्पादन संबंधी भविष्य के दायित्वों को पूरा किया जा सके। निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कुल राशि 149.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस दायित्व की अनुमानित राशि (भुगतान की गई राशि को घटाकर) ₹ 564.08 करोड़ अमेरिकी डॉलर - 65.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2024: ₹ 144.30 करोड़ अमेरिकी डॉलर - ₹ 17.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–37: प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिकताएं (जारी..)

ख.2.3 समूह ने वेनेजुएला गणराज्य के साथ सिग्रेचर बोनस समझौता किया है, जो विभिन्न परियोजनाओं की समय-सीमा पूरी होने पर देय होगा। इस दायित्व की अनुमानित राशि ₹ 483.81 करोड़ (2024: ₹ 472.37 करोड़) है।

* समूह ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) से इन्हें वित्तीय गारंटी मानने के संबंध में राय मांगी है। ईएसी की राय मिलने पर, यदि आवश्यक हो, तो लेखा पुस्तकों में उचित प्रभाव डाला जाएगा।

ख.3 अन्य धन जिसके लिए समूह आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है

ख.3.1 सरकार का निर्णय लंबित होने तक, अधिग्रहित की गई कुछ भूमि के लिए भूमि मालिकों और सरकार को देय अतिरिक्त मुआवजे, यदि कोई हो, के संबंध में कोई देयता निर्धारित और प्रावधानित नहीं की जा सकती।

ख.3.2 31.03.2025 तक, मूल कंपनी के पास वेयरहाउस विनियमन (एमओडब्ल्यूआर) योजना में विनिर्माण और अन्य संचालन के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क के प्रति ₹ 1,452.03 करोड़ (2024: ₹ 967.81 करोड़) की आकस्मिक देयता है, जिसके खिलाफ मूल कंपनी ने ₹ 4,356.09 करोड़ (2024: ₹ 2,903.43 करोड़) की राशि के बांड निष्पादित और उपयोग किए हैं, जो सीमा शुल्क का तीन गुना है। इस तरह के सीमा शुल्क के लिए फर्म देयता निपटान के समय प्रवेश के एक्स-बॉन्ड बिल दाखिल करने के समय शर्तों (सीमा शुल्क की दर / निर्यात करने के लिए कंपनी का निर्णय, आदि) पर आकस्मिक होगी। यदि मूल कंपनी ऐसे पूंजीगत सामानों का निर्यात करने का फैसला करती है, तो संबंधित लागत महत्वपूर्ण नहीं होगी।

ग. प्रतिबद्धताएं

ग.1 पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ

पूँजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि, जिसके लिए करों सहित ₹ 41,946.62 करोड़ (2024: ₹ 61,201.75 करोड़) का प्रावधान नहीं किया गया है।

ग.2 अन्य प्रतिबद्धताएँ

पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर ईपीसीजी लाइसेंस योजना के अंतर्गत प्राप्त रियायती शुल्क दर के कारण समूह पर ₹ 219.05 करोड़ (2024: ₹ 219.05 करोड़) की निर्यात बाध्यता है और निर्यात के माध्यम से इसकी पूर्ति की उम्मीद है।

टिप्पणी – 38: संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण

इंड ए.एस.-24 "संबंधित पक्ष के प्रकटन" द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटन नीचे किए गए हैं:

1. क) संस्थानों के साथ संबंध आईओसीएल और उसकी सहायक कंपनियों के संयुक्त उद्यमों (जेवी) / एसोसिएट कंपनियों के विवरण

आईओसीएल के संयुक्त उद्यम और सहयोगी	
1) इंडियनऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड	19) इंडियनऑयल - अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
2) लुब्रीज़ोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	20) मुंबई एविएशन फ्यूल फ़ार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
3) पेट्रोनेट वीके लिमिटेड	21) कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड
4) इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड	22) हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड$
5) एवीआई-ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	23) रत्नागिरी रिफ़ाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
6) पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड*	24) इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
7) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	25) उज्ज्वला प्लस फ़ाउंडेशन^^
8) ग्रीन गैस लिमिटेड	26) आईएचबी लिमिटेड
9) पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड@	27) इंडियनऑयल एचडब्ल्यूबी प्राइवेट लिमिटेड
10) इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड	28) आईओसी फ़िनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
11) इंडियनऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड	29) पारादीप प्लास्टिक पार्क लिमिटेड
12) सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	30) कावेरी बेसिन रिफ़ाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड@@
13) दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	31) इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
14) इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड	32) जीएच4इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
	33) आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (21.06.2024 को निगमित)
15) इंडियनऑयल रुचि बायोफ्यूल्स एलएलपी#	34) इंडोफ़ास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (15.07.2024 को निगमित)
16) एनपीसीआईएल- इंडियनऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	35) एलपीजी उपकरण अनुसंधान केंद्र
17) जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड	36) इंडियन ऑयल फाउंडेशन
18) जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 38: संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण (जारी..)

आईओसीएल की सहायक कंपनियों के संयुक्त उद्यम और सहयोगी	
37) इंडियन एडिटिव्स लिमिटेड	45) इंडोइल नीदरलैंड बी.वी.
38) नेशनल एरोमैटिक्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	46) भारत एनर्जी ऑफिस एलएलसी
39) तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	47) ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल (प्राइवेट) लिमिटेड
40) वैंकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	48) मेर रूज ऑयल स्टोरेज टर्मिनल लिमिटेड
41) सीलोन पेट्रोलियम स्टोरेज टर्मिनल्स लिमिटेड	49) कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड@@
42) फाल्कन ऑयल एंड गैस बी.वी.	50) आई.ओ.एम.एल. हुलास ल्यूब प्राइवेट लिमिटेड
43) ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड	51) सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (27.06.2024 से कार्यरत)
44) बेक्सिमको आईओसी पेट्रोलियम एंड एनर्जी लिमिटेड	52) सीपीसीएल एजुकेशनल ट्रस्ट

ख) आईओसीएल की सहायक कंपनियों से लेकर संयुक्त उद्यमों का विवरण:

1) आईएवी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लिमिटेड	9) आईएवी बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड
2) आईएवी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	10) पेट्रोनेट एलएनजी फाउंडेशन (गारंटी द्वारा सीमित)
3) आईओटी उत्कल एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	11) पेट्रोनेट एनर्जी लिमिटेड
4) आईएवी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	12) कज़ाकिस्तान कैस्पीशेल्फ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5) जेएससी कजाकिस्तान कैस्पीशेल्फ	13) पेट्रोनेट एलएनजी सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
6) इंडियन ऑयलटैंकिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एलएलसी ओमान	14) आईओएसएल नोएडा प्राइवेट लिमिटेड
7) आईओटी विटो मुहेंदिसलिक इंसात वे ताहुत ए.एस.	15) आईएवी उत्कर्ष लिमिटेड
8) इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड	16) आईएवी ऊर्जा सर्विसेज लिमिटेड
	17) आईएवी उड़ान लिमिटेड (19.04.2024 को निगमित)

*पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड, इंडियनऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आरआईएल, एनईएल, आईएलएंडएफएस, एसबीआई और आईसीआईसीआई का एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी का समापन हो रहा है और मामला 2018 से आधिकारिक परिसमापक के पास लंबित है।

@पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड, इंडियनऑयल, पीआईएल, आरआईएल, एनईएल और बीपीसीएल का एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी का समापन हो रहा है और मामला 2006 से आधिकारिक परिसमापक के पास लंबित है।

#इंडियनऑयल ने संयुक्त उद्यम, इंडियनऑयल रुचि बायोफ्यूल्स एलएलपी (मेसर्स आईओआरबी) से 26 दिसंबर, 2018 को अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार अर्थात रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (मेसर्स रुचि) के साथ-साथ एलएलपी को भी एलएलपी से बाहर निकलने की सूचना देकर यह कहा है कि वह 15 दिसंबर, 2018 से एलएलपी से बाहर हो जाएगा। 25 जनवरी, 2019। मेसर्स रुचि द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रपत्र दाखिल करके निकास संबंधी औपचारिकताएँ पूरी करने की समय-सीमा समाप्ति अवधि के 30 दिनों के भीतर (अर्थात 24 फ़रवरी, 2019 तक) थी, हालाँकि यह अभी भी लंबित है और इंडियनऑयल का नाम कंपनी रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर उक्त एलएलपी में भागीदार के रूप में दिखाई दे रहा है। यह सूचित किया गया है कि मेसर्स रुचि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन थी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने उसका अधिग्रहण कर लिया है। आईओआरबी एलएलपी से इंडियनऑयल के बाहर निकलने से संबंधित औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए मेसर्स रुचि को सभी आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध करा दिए गए हैं।

$इंडियनऑयल के बोर्ड ने 23.11.2022 को आयोजित अपनी बैठक में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के विनिवेश को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी दे दी है।

^^इंडियनऑयल के बोर्ड ने 14.03.2023 को आयोजित अपनी बैठक में उज्ज्वला प्लस फाउंडेशन को बंद करने के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है।

@@इंडियनऑयल के बोर्ड ने 28.03.2024 को आयोजित अपनी बैठक में इंडियनऑयल की 75% इक्विटी और सीपीसीएल की 25% इक्विटी के साथ सीबीआरपीएल की पूंजी संरचना में संशोधन के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है। इंडियनऑयल द्वारा शेष 50% इक्विटी शेयर प्राप्त करने पर, सीबीआरपीएल इंडियनऑयल की एक सहायक कंपनी बन जाएगी।

ग) संयुक्त उद्यम (जेवी)/आईओसीएल की सहयोगी कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों, आईओसीएल की सहायक कंपनियों की जेवी और आईओसीएल की सहायक कंपनियों और उनके संबंधित पक्षकारों के साथ व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान निम्नलिखित लेनदेन किए गए:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
1 उत्पादों/सेवाओं की बिक्री इसमें इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 2,849.78 करोड़ (2024: ₹ 2,615.22 करोड़), हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को ₹1,024.13 करोड़ (2024: ₹1,514.26 करोड़) और इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड को ₹768.64 करोड़ (2024: ₹609.31 करोड़) की बिक्री शामिल है	5,440.23	5,201.00
2 प्राप्त ब्याज इसमें इंडियनऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड से ₹1.22 करोड़ (2024: ₹1.23 करोड़) और इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त ब्याज शामिल है - शून्य (2024: ₹219.18 करोड़)	1.24	221.89
3 अन्य परिचालन राजस्व/लाभांश/अन्य आय इसमें अन्य परिचालन शामिल हैं इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड से राजस्व/लाभांश/अन्य आय ₹137.52 करोड़ (2024: ₹121.03 करोड़), फाल्कन ऑयल एंड गैस बी वी ₹47.55 करोड़ (2024: ₹115.16 करोड़), वेंकोर इंडिया पीटीई लिमिटेड शून्य (2024: ₹125.74 करोड़) और तास इंडिया पीटीई लिमिटेड शून्य (2024: ₹55.48 करोड़)	247.19	496.00

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 38: संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण (जारी..)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2024-25	2023-24
4	**उत्पादों की खरीद** इसमें पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से ₹10,944.61 करोड़ (2024: ₹10,685.34 करोड़) उत्पादों की खरीद शामिल है	12,964.39	12,185.90
5	**कच्चे माल/अन्य की खरीद** इसमें पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से कच्चे माल/अन्य की खरीद ₹4,391.12 करोड़ (2024: ₹4,417.16 करोड़) और फाल्कन ऑयल एंड गैस बी.वी. से ₹2,658.63 करोड़ (2024: ₹2,717.76 करोड़) शामिल है	7,755.55	7,818.71
6	**ब्याज का भुगतान** आईओटी उत्कल एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को ₹153.67 करोड़ (2024: ₹181.75 करोड़) का ब्याज शामिल है	153.67	181.75
7	**भुगतान किए गए/(वसूली की गई) व्यय (शुद्ध)** इसमें इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड को ₹294.30 करोड़ (2024: ₹329.51 करोड़) और इंडियनऑयल स्काई टैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड को ₹201.04 करोड़ का ब्याज शामिल है (2024: ₹196.33 करोड़), इंडियन ऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड ₹139.68 करोड़ (2024: ₹120.05 करोड़) और आईओटी उत्कल एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ₹95.46 करोड़ (2024: ₹91.41 करोड़)	929.23	932.01
8	**वर्ष के दौरान किए गए/(बेचे गए) निवेश (निवेश के लिए अग्रिम सहित)** इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में किए गए निवेश शामिल हैं ₹185.01 करोड़ (2024: शून्य), कोच्चि सेलम पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड ₹112.50 करोड़ (2024: ₹76.99 करोड़), आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड ₹54.15 करोड़ (2024: शून्य)	1,248.63	701.12
9	**वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/(वापस लिखें)** जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड में किए गए प्रावधान/(वापस लिखित) ₹ 95.24 करोड़ (2024: शून्य) शामिल हैं	95.24	-

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1	**बकाया प्राप्य/ऋण** इसमें इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड से बकाया प्राप्य/ऋण ₹ 1,055.99 करोड़ (2024: ₹ 1,056.21 करोड़) और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से बकाया प्राप्य/ऋण ₹195.92 करोड़ (2024: ₹226.63 करोड़) शामिल हैं	2,497.74	2,237.10
2	**बकाया देय राशि (पट्टा दायित्व सहित)** आईओटी उत्कल एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को देय बकाया राशि ₹1,388.45 करोड़ (2024: ₹1,683.84 करोड़) और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड को देय बकाया राशि ₹1,166.98 करोड़ (2024: ₹1,009.93 करोड़) शामिल है	2,812.30	2,975.16
3	**आज की तारीख तक संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों में निवेश**	21,549.16	19,373.87
4	**गारंटियाँ**		
	वित्तीय गारंटी इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को दी गई वित्तीय गारंटी शामिल है ₹224.00 करोड़ (2024: ₹132.00 करोड़)	224.00	132.00

नोट:

1) प्रत्येक प्रकार के कुल संबंधित पक्ष लेन-देन के 10% से अधिक के लेन-देन का खुलासा ऊपर किया गया है।

2) इस अवधि के दौरान गठित/अधिग्रहित संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के मामले में, गठन/अधिग्रहण की तिथि से लेन-देन का खुलासा किया गया है।

3) इस अवधि के दौरान बंद/विनिवेशित संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के मामले में, केवल बंद/विनिवेश की तिथि तक के लेन-देन का खुलासा किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 38: संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण (जारी..)

2. सरकार से संबंधित संस्थाएँ जहाँ महत्वपूर्ण लेनदेन हुए

ऊपर बताए गए लेनदेन के अलावा, समूह ने अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ भी लेनदेन किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

सरकार का नाम:	भारत सरकार (केंद्र और राज्य सरकार)
लेनदेन की प्रकृति:	↗ उत्पादों और सेवाओं की बिक्री ↗ उत्पादों की खरीद ↗ कच्चे माल की खरीद ↗ हैंडलिंग और माल ढुलाई शुल्क, आदि

ये लेन-देन समूह के व्यवसाय के सामान्य क्रम में उन शर्तों पर किए जाते हैं जो अन्य संस्थाओं के साथ किए जाने वाले लेन-देन के समान हैं जो सरकार से संबंधित नहीं हैं।

3) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क. पूर्णकालिक निदेशक/कंपनी सचिव	ख. स्वतंत्र निदेशक	ग. सरकार द्वारा नामित निदेशक
1) श्री अरविंदर सिंह साहनी (13.11.2024 से)	1) डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह	1) डॉ. सुजाता शर्मा (11.05.2024 से प्रभावी)
2) श्री वी.सतीश कुमार	2) डॉ. (प्रो.) आशुतोष पंत (23.11.2024 तक)	2) श्री सुनील कुमार (07.05.2024 तक)
3) श्री एन. सेंथिल कुमार	3) डॉ. दत्तात्रेय राव सिरपुरकर (23.11.2024 तक और 28.03.2025 से पुनः नियुक्त)	
4) श्री अनुज जैन	4) श्री प्रसेनजीत विश्वास (23.11.2024 तक और 28.03.2025 से पुनः नियुक्त)	
5) डॉ. आलोक शर्मा	5) श्री सुदीप्त कुमार रे (23.11.2024 तक)	
6) सुश्री रश्मि गोविल	6) श्री कृष्णन सदगोपन (23.11.2024 तक और 28.03.2025 से पुनः नियुक्त)	
7) श्री अरविंद कुमार (17.07.2024 से)	7) श्री दिलीप गोगोई लालुंग (23.11.2024 तक)	
8) श्री सुमन कुमार (26.02.2025 से)		
9) श्री एस.एम. वैद्य (31.08.2024 तक)		
10) श्री सुजय चौधुरी (31.08.2024 तक)		
11) सुश्री शुक्ला मिस्त्री (30.04.2024 तक)		
12) श्री रंजन कुमार महापात्र (02.05.2023 तक)		
13) डॉ. एस.एस. रामकुमार (31.07.2023 तक)		
14) श्री डी.एस. नानावरे (30.06.2023 तक)		
15) श्री संजय कौशल (09.10.2023 तक)		
16) श्री कमल कुमार ग्वालानी		

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 38: संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण (जारी..)

घ) उपर्युक्त मद संख्या 4कऔर 4ख में संदर्भित कर्मियों से संबंधित विवरण– 31 मार्च, 2025

(₹ करोड़ में)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	सेवानिवृत्ति के बाद के हितलाभ	अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	कुल पारिश्रमिक	सिटिंग शुल्क	बकाया ऋण (सकल)/ अग्रिम प्राप्तियाँ
क. पूर्णकालिक निदेशक/कंपनी सचिव						
1) श्री अरविन्दर सिंह साहनी	0.23	0.03	–	0.26	–	0.07
2) श्री वी.सतीश कुमार	0.76	0.09	–	0.85	–	–
3) श्री एन. सेंथिल कुमार	0.73	0.09	0.22	1.04	–	0.02
4) श्री अनुज जैन	0.73	0.08	0.10	0.91	–	0.17
5) डॉ. आलोक शर्मा	0.75	0.09	–	0.84	–	–
6) सुश्री रश्मि गोविल	0.85	0.09	0.11	1.05	–	–
7) श्री अरविन्द कुमार	0.46	0.07	0.11	0.64	–	0.04
8) श्री सुमन कुमार	0.05	0.01	–	0.06	–	0.12
9) श्री एस.एम.वैद्य	0.34	0.05	0.21	0.60	–	–
10) श्री सुजय चौधुरी	0.39	0.91	0.12	1.42	–	–
11) सुश्री शुक्ला मिस्त्री	0.14	0.92	0.22	1.28	–	–
12) श्री कमल कुमार ग्वालानी	0.79	0.09	0.10	0.98	–	0.20
ख. स्वतंत्र निदेशक						
1) डॉ.(प्रो.) राम नरेश सिंह	–	–	–	–	0.07	–
2) डॉ.(प्रो.) आशुतोष पंत	–	–	–	–	0.05	–
3) डॉ.दत्तात्रेय राव सिरपुरकर	–	–	–	–	0.06	–
4) श्री प्रसेनजीत विश्वास	–	–	–	–	0.08	–
5) श्री सुदीप्त कुमार रे	–	–	–	–	0.06	–
6) श्री कृष्णन सदगोपन	–	–	–	–	0.05	–
7) श्री दिलीप गोगोई लालुंग	–	–	–	–	0.04	–
कुल	**6.22**	**2.52**	**1.19**	**9.93**	**0.41**	**0.62**

2023-24

(₹ करोड़ में)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	सेवानिवृत्ति के बाद के हितलाभ	अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	कुल पारिश्रमिक	सिटिंग शुल्क	बकाया ऋण (सकल) / अग्रिम प्राप्तियाँ
क. पूर्णकालिक निदेशक/कंपनी सचिव						
1) श्री वी.सतीश कुमार	0.71	0.08	0.11	0.90	–	–
2) श्री एन. सेंथिल कुमार	0.39	0.05	0.17	0.61	–	0.03
3) श्री अनुज जैन	0.22	0.04	–	0.26	–	0.19
4) डॉ. आलोक शर्मा	0.13	0.02	0.11	0.26	–	–
5) सुश्री रश्मि गोविल	0.03	0.01	–	0.04	–	0.08
6) श्री एस.एम.वैद्य	0.74	0.90	0.01	1.65	–	–
7) श्री सुजय चौधुरी	0.73	0.08	0.10	0.91	–	–
8) सुश्री शुक्ला मिस्त्री	0.67	0.08	–	0.75	–	–
9) श्री रंजन कुमार महापात्र	0.14	–	–	0.14	–	–
10) डॉ. एस.एस.वी. रामकुमार	0.29	0.72	0.11	1.12	–	–
11) श्री डी. एस. नानावरे	0.50	0.80	0.11	1.41	–	–
12) श्री संजय कौशल	0.41	0.04	0.01	0.46		
13) श्री कमल कुमार ग्वालानी	0.67	0.08	–	0.75	–	0.23

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 38: संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण (जारी..)

(₹ करोड़ में)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	सेवानिवृत्ति के बाद के हितलाभ	अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	कुल पारिश्रमिक	सिटिंग शुल्क	बकाया ऋण (सकल) / अग्रिम प्राप्तियाँ
ख. स्वतंत्र निदेशक						
1) डॉ. (प्रो.) राम नरेश सिंह	–	–	–	–	0.06	–
2) डॉ.(प्रो.)आशुतोष पंत	–	–	–	–	0.11	–
3) डॉ.दत्तात्रेय राव सिरपुरकर	–	–	–	–	0.11	–
4) श्री प्रसेनजीत विश्वास	–	–	–	–	0.14	–
5) श्री सुदीप्त कुमार रे	–	–	–	–	0.11	–
6) श्री कृष्णन सदगोपन	–	–	–	–	0.10	–
7) श्री दिलीप गोगोई लालुंग	–	–	–	–	0.08	–
कुल	**5.63**	**2.90**	**0.73**	**9.26**	**0.71**	**0.53**

टिप्पणियां –

1) इसमें सेवानिवृत्ति लाभ/दीर्घकालिक योजनाओं के बीमांकिक मूल्यांकन पर किए गए प्रावधान और सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए इस अवधि के दौरान किए गए प्रावधान का प्रभाव शामिल नहीं है, क्योंकि इन्हें व्यक्तिगत निदेशकों के लिए अलग से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

2) इस अवधि के दौरान केएमपी को कोई शेयर आधारित कर्मचारी लाभ नहीं दिया गया।

3) इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को ₹ 2,000/- रुपये प्रति माह के भुगतान पर निगम की कार का निजी उद्देश्यों के लिए प्रति वर्ष 12,000 किलोमीटर तक उपयोग करने की अनुमति भी है।

4) केएमपी के लिए पारिश्रमिक और ऋण शेष को कार्यकाल की अवधि के लिए केएमपी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

4) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदार और उनके साथ वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन का प्रकार:

1) श्री सिद्धार्थ श्रीकांत वैद्य (सहायक प्रबंधक (उत्पादन), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड): श्री एस.एम. वैद्य के पुत्र, जो 31.08.2024 तक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक थे।

2) श्री विनायक श्रीकांत वैद्य (उत्पादन इंजीनियर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड): श्री एस.एम. वैद्य के पुत्र, जो 31.08.2024 तक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक थे।

उपर्युक्त पक्षों से संबंधित विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
1 **पारिश्रमिक**[^]		
श्री सिद्धार्थ श्रीकांत वैद्य	0.10	0.23
श्री विनायक श्रीकांत वैद्य	0.07	0.16
2 **बकाया प्राप्य/ऋण**[^]		
श्री सिद्धार्थ श्रीकांत वैद्य	0.10	0.12
श्री विनायक श्रीकांत वैद्य	–	–

[^]केएमपी के रिश्तेदार के लिए पारिश्रमिक और ऋण शेष केएमपी की कार्यकाल अवधि के लिए रिपोर्ट किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 38: संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण (जारी..)

5) कर्मचारी लाभ ट्रस्ट

एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रबंधित रोजगारोत्तर लाभ योजनाओं के साथ लेनदेन:

(₹ करोड़ में)

	ट्रस्ट का नाम	नियोजन के बाद की हितलाभ योजना	नियोक्ता का अंशदान 2024-25	बकाया प्राप्य/ (देय) 31 मार्च, 2025	नियोक्ता का अंशदान 2023-24	बकाया प्राप्य/ (देय) 31 मार्च, 2024
1	आईओसीएल (रिफाइनरी प्रभाग) कर्मचारी भविष्य निधि	भविष्य निधि	274.99	(39.85)	264.97	8.64
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (असम ऑयल प्रभाग) कर्मचारी भविष्य निधि	भविष्य निधि	16.24	0.41	17.42	(0.23)
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि	भविष्य निधि	244.13	(49.46)	244.48	(1.43)
4	आईओसीएल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि	पेंशन योजना	87.72	12.37	108.75	2.25
5	आईओसीएल कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना	368.37	64.74	546.37	70.45
6	आईओसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट	ग्रेच्युटी	59.74	49.41	–	39.96
7	सीपीसीएल कर्मचारी भविष्य निधि	भविष्य निधि	25.26	2.11	25.00	2.07
8	सीपीसीएल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि	पेंशन योजना	9.12	–	10.25	–

टिप्पणी – 39– खंडवार (सेगमेंट) सूचना

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंड-एएस 108 के अनुसार प्रचालनीय खंडवार रिपोर्टिंग निम्नानुसार है–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25 पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रो-रसायन	गैस	अन्य व्यवसाय	उन्मूलन	कुल	2023-24 पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रो-रसायन	गैस	अन्य व्यवसाय	उन्मूलन	कुल
राजस्व												
बाह्य राजस्व	7,84,078.82	27,981.71	42,210.70	5,091.50	–	8,59,362.73	8,14,954.18	26,186.80	35,215.42	4,879.05	–	8,81,235.45
अंतर-खंड राजस्व	19,738.20	48.79	130.74	59.37	(19,977.10)	–	18,515.49	46.89	7.78	61.11	(18,631.27)	–
कुल राजस्व	8,03,817.02	28,030.50	42,341.44	5,150.87	(19,977.10)	8,59,362.73	**8,33,469.67**	**26,233.69**	**35,223.20**	**4,940.16**	**(18,631.27)**	**8,81,235.45**
परिणाम												
विनिमय लाभ/(हानि) को छोड़कर खंड परिणाम	20,476.22	(445.96)	1,405.12	293.19	–	21,728.57	60,441.93	(351.49)	500.72	731.74	–	61,322.90
खंडीय विनिमय लाभ/ (हानि)	(1,531.59)	5.67	21.63	0.62	–	(1,503.67)	(893.44)	7.35	25.29	2.32	–	(858.48)
खंड परिणाम	18,944.63	(440.29)	1,426.75	293.81	–	20,224.90	**59,548.49**	**(344.14)**	**526.01**	**734.06**	**–**	**60,464.42**
घटाएँ: अविभाज्य व्यय												
– वित्तीय लागत						9,261.93						7,825.65
– वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि हानि – निवेश से संबंधित						46.14						2.38
– विनिमय हानि – (शुद्ध)						809.64						396.48
– अन्य गैर-परिचालन व्यय						48.68						–
जोड़ें: अविभाज्य आय												
– ब्याज और लाभांश आय						3,268.11						3,244.25

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 39– खंडवार (सेगमेंट) सूचना (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25 पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रो-रसायन	गैस	अन्य व्यवसाय	उन्मूलन	कुल	2023-24 पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रो-रसायन	गैस	अन्य व्यवसाय	उन्मूलन	कुल
– डेरिवेटिव पर लाभ						61.96						84.09
– एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय साधनों पर उचित मूल्य लाभ						0.70						92.37
– अन्य गैर-परिचालन आय						75.72						81.24
– संयुक्त उद्यम और सहयोगियों में लाभ का हिस्सा						1,760.43						1,545.93
असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/ (हानि)						15,225.43						**57,287.79**
असाधारण मदें (नोट 48, क्रम संख्या 2 देखें)						1,838.02						–
कर से पहले लाभ/ (हानि)						17,063.45						**57,287.79**
घटाएँ: आयकर (आस्थगित कर सहित)						3,274.62						14,126.64
कर के बाद लाभ/ (हानि)						13,788.83						**43,161.15**

1. समूह निम्नलिखित व्यावसायिक खंडों में कार्यरत है:

   क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री

   ख) पेट्रोकेमिकल्स की बिक्री

   ग) गैस की बिक्री

   घ) निगम के अन्य परिचालन खंडों में शामिल हैं: तेल एवं गैस अन्वेषण गतिविधियाँ, विस्फोटक एवं क्रायोजेनिक व्यवसाय, तथा पवन चक्की एवं सौर ऊर्जा उत्पादन। उत्पादों एवं सेवाओं की प्रकृति तथा विभिन्न जोखिमों एवं प्रतिफलों को ध्यान में रखते हुए खंडों की पहचान की गई है और उनकी रिपोर्ट तैयार की गई है।

2. खंड राजस्व में निम्नलिखित शामिल हैं:

   क) कारोबार (उत्पाद शुल्क सहित)

   ख) एसएससी का शुद्ध दावा/(समर्पण)

   ग) सरकारों से प्राप्त सब्सिडी/अनुदान

   घ) अन्य परिचालन राजस्व

3. अंतर-खंड मूल्य निर्धारण आर्म्स लेंथ आधार पर हैं।

4. कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 39– खंडवार (सेगमेंट) सूचना (जारी..)

अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025					31 मार्च, 2024				
	पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रोलियम रसायन	गैस	अन्य व्यवसाय	कुल	पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रोलियम रसायन	गैस	अन्य व्यवसाय	कुल
खंड परिसंपत्तियाँ	3,63,006.64	39,172.38	15,079.10	14,662.16	4,31,920.28	3,46,448.69	35,187.89	13,866.19	14,799.92	4,10,302.69
कॉर्पोरेट परिसंपत्तियाँ										
समेकन पर सद्भावना					1.04					1.04
निवेश (चालू और गैर-चालू)					67,218.50					65,541.90
निवेश के लिए अग्रिम					1,558.43					1,604.67
आयकर / चालू कर परिसंपत्तियाँ					2,314.78					1,828.80
निवेश / बैंक जमा पर अर्जित ब्याज					0.50					–
ऋण					3,852.20					3,079.92
डेरिवेटिव परिसंपत्तियाँ					1.32					2.98
कुल परिसंपत्तियाँ					5,06,867.05					**4,82,362.00**
खंड देयताएँ	1,35,635.46	1,998.61	3,344.88	1,665.48	1,42,644.43	1,34,714.99	1,750.00	3,372.41	1,429.54	1,41,266.94
कॉर्पोरेट देनदारियाँ										
आयकर / वर्तमान कर देनदारियाँ					39.97					954.37
उधार (अल्पकालिक और दीर्घकालिक)					1,42,559.90					1,23,453.57
पट्टा दायित्व (अल्पकालिक और दीर्घकालिक)					9,710.66					9,173.99
आस्थगित कर देनदारी					20,664.96					18,960.70
उधार पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज					–					28.37
डेरिवेटिव देनदारियाँ					222.47					361.08
कुल देनदारियाँ					3,15,842.39					**2,94,199.02**
नियोजित पूंजी										
खंडवार	2,27,371.18	37,173.77	11,734.22	12,996.68	2,89,275.85	2,11,733.70	33,437.89	10,493.78	13,370.38	2,69,035.75
कॉर्पोरेट					(98,252.23)					(80,873.81)
कुल नियोजित पूंजी					1,91,023.62					**1,88,161.94**
पूंजीगत व्यय	32,911.93	3,489.60	901.32	1,357.07	38,659.92	33,137.92	5,708.93	1,487.03	1,541.62	41,875.50
मूल्यह्रास और परिशोधन	13,906.87	1,394.79	426.55	1,049.13	16,777.34	13,220.66	1,258.03	587.75	799.67	15,866.11

भौगोलिक जानकारी

(₹ करोड़ में)

	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	
	2024-25	2023-24	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
भारत	8,14,976.16	8,34,350.03	2,89,569.09	2,64,275.08
भारत के बाहर	44,386.57	46,885.42	17,047.23	15,803.50
कुल	8,59,362.73	**8,81,235.45**	3,06,616.32	**2,80,078.58**

प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
मोटर स्पिरिट (एमएस)	1,98,519.62	1,96,193.13
हाई स्पीड डीज़ल (एचएसडी)	3,82,278.61	4,06,028.48
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	91,080.60	1,02,693.67
विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ)	42,098.13	44,576.67
अन्य	1,45,385.77	1,31,743.50
कुल बाह्य राजस्व	8,59,362.73	**8,81,235.45**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: उचित मूल्य का मापन

I. उचित मूल्य मापन के अनुक्रम के साथ-साथ कंपनी के वित्तीय लिखतों की वहन राशियों और उचित मूल्य के वर्ग की तुलना नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वहनीय मूल्य		उचित मूल्य		उचित मूल्य का मापन, अनुक्रम स्तर
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	
वित्तीय पूंजी					
क. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई):					
उद्धृत इक्विटी शेयर	30,464.01	32,966.25	30,464.01	32,966.25	स्तर 1
अउद्धृत इक्विटी उपकरण	5,497.42	4,688.41	5,497.42	4,688.41	स्तर 3
उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियाँ	9,516.68	9,530.90	9,516.68	9,530.90	स्तर 1
डेरिवेटिव हेजिंग					
कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स – मार्जिन हेजिंग	0.62	2.98	0.62	2.98	स्तर 2
ख. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल):					
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर व्युत्पन्न उपकरण	0.70	–	0.70	–	स्तर 2
यूनिट ट्रस्ट निवेश	229.26	412.17	229.26	412.17	स्तर 1
पीएमएस के माध्यम से निवेश	622.97	436.79	622.97	436.79	स्तर 1
ग. परिशोधित लागत:					
कर्मचारियों को ऋण	2,544.33	2,199.72	2,572.19	2,092.71	स्तर 2
पीएमयूवाई ऋण (अधिक जानकारी के लिए नोट-48 का बिंदु 1 देखें)	305.45	356.45	317.40	359.87	स्तर 3
वित्तीय देनदारियाँ					
क. परिशोधित लागत:					
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	16,996.93	17,723.38	17,598.45	18,246.54	स्तर 2
तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) से सावधि ऋण	–	24.70	–	25.38	स्तर 2
तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड (एसआईपीसीओटी) से सावधि ऋण	158.12	–	162.66	–	स्तर 2
ओडिशा सरकार से ऋण	2,780.19	2,351.95	3,027.71	2,456.80	स्तर 2
ख. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल):					
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर डेरिवेटिव उपकरण	180.65	360.83	180.65	360.83	स्तर 2
ग. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई):					
डेरिवेटिव हेजिंग					
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध- ऋण	33.07	0.25	33.07	0.25	स्तर 2
विदेशी मुद्रा विनिमय	8.29	–	8.29	–	स्तर 2
कमोडिटी वायदा अनुबंध- मार्जिन हेजिंग	0.46	–	0.46	–	स्तर 2

टिप्पणी:

1. प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएं, नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक शेष और बैंक जमा, ऊपर उल्लिखित के अलावा ऋण (सुरक्षा जमा सहित), अल्पावधि उधार (दीर्घावधि उधार की वर्तमान परिपक्वता सहित), फ्लोटिंग दर उधार, पट्टा देयताएं, अन्य गैर व्युत्पन्न चालू/गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां और अन्य गैर डेरिवेटिव चालू/गैर-चालू वित्तीय देयताएं उनके वहन राशि के अनुमानित उचित मूल्य हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: उचित मूल्य का मापन (जारी..)

विधियाँ और मान्यताएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया:

क. स्तर 1 पदानुक्रम:

(i) **उद्धृत इक्विटी शेयर:** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, इज़राइल और, नैस्डैक न्यूयॉर्क में उद्धृत समापन मूल्य (असमायोजित)

(ii) **उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियाँ**: क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रकाशित समापन मूल्य (असमायोजित)

(iii) **यूनिट ट्रस्ट निवेश/पीएमएस:** ट्रस्ट बुलेटिन/समाचार पत्र/पीएमएस में उपलब्ध विशिष्ट निवेश के लिए समापन एनएवी

ख. स्तर 2 पदानुक्रम:

(i) **एफवीटीपीएल पर डेरिवेटिव उपकरण:** बाज़ार अवलोकनीय इनपुट का उपयोग करके समान उपकरणों के लिए संस्थानों द्वारा उद्धृत प्रतिस्थापन लागत।

(ii) **एफवीटीओसीआई पर हेजिंग डेरिवेटिव उपकरण:** बाज़ार अवलोकनीय इनपुट का उपयोग करके समान उपकरणों के लिए संस्थानों द्वारा उद्धृत प्रतिस्थापन लागत।

(iii) **कर्मचारियों को ऋण:** समान शर्तों, ऋण जोखिम और शेष परिपक्वताओं पर वस्तुओं के लिए वर्तमान में उपलब्ध दरों का उपयोग करके भविष्य के नकदी प्रवाह को भुनाना, ऐसे ऋण से संबंधित विशिष्ट महत्वहीन अप्राप्य इनपुट जैसे मूलधन और ब्याज चुकौती के लिए समायोजित किया जाता है ताकि कर्मचारी को संबंधित ऋण योजनाओं के अनुसार पुनर्भुगतान में अधिक लचीलापन मिल सके।

(iv) **गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, ओडिशा सरकार से ऋण:** समान शर्तों, ऋण जोखिम और शेष परिपक्वताओं पर वस्तुओं के लिए वर्तमान में उपलब्ध दरों का उपयोग करके भविष्य के नकदी प्रवाह को भुनाना (फ्लोटिंग रेट उधार को छोड़कर)।

(v) **तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) और तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड (एसआईपीसीओटी) से सावधि ऋण:** भारतीय लेखा मानक 113 के अनुसार निकास मॉडल का उपयोग करते हुए समान प्रकार के उधारों (ओआईडीबी उधार दर) के लिए वर्तमान में उपलब्ध दरों का उपयोग करके भविष्य के नकदी प्रवाह को भुनाना।

ग. स्तर 3 पदानुक्रम:

(i) **अनकोटेड इक्विटी उपकरण:** अनकोटेड इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्यों का आकलन बाहरी मूल्यांकनकर्ता की सहायता से मूल्यांकन तकनीकों के बाज़ार दृष्टिकोण या आय दृष्टिकोण का उपयोग करके किया गया है। बाज़ार दृष्टिकोण तकनीक के अनुसार मूल्यांकन कंपनी के लेखांकन अनुपातों की तुलना उसी प्रकृति और आकार की अन्य कंपनियों के लेखांकन अनुपातों से करके निर्धारित किया जाता है, जिन्हें मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि आय, नकदी प्रवाह, बही मूल्य, या समान प्रकृति के विभिन्न व्यवसायों की बिक्री। आय दृष्टिकोण तकनीक के अनुसार मूल्यांकन भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट दर का उपयोग करके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर निर्धारित किया जाता है। इन मूल्यांकनों के लिए प्रबंधन को मॉडल में अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिनमें से महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट नीचे दी गई तालिकाओं में प्रकट किए गए हैं।

(ii) **पीएमयूवाई ऋण:** पीएमयूवाई ऋणों का उचित मूल्य बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर लागू अनुमानित ब्याज दरों का उपयोग करके भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर अनुमानित किया जाता है, जिसमें उपभोग पैटर्न, सब्सिडी दर की धारणा आदि जैसे विशिष्ट गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों को शामिल करते हुए नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने में अप्राप्य इनपुट के महत्वपूर्ण उपयोग के लिए विधिवत समायोजित किया जाता है।

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 तक मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण के साथ उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 के भीतर वर्गीकृत उचित मूल्य मूल्यांकन में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट नीचे दिखाए गए हैं:

विवरण	मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट	रेंज (भारित औसत)	उचित मूल्य के प्रति इनपुट की संवेदनशीलता
I **अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स –** हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर (वहन मूल्य के लिए नोट-4 देखें)	बाजार दृष्टिकोण –ईबीआईटीडीए मल्टीपल	राजस्व गुणक	31.03.25: 0.18x – 0.58x (0.38x)	राजस्व गुणक में 0.1x वृद्धि/(कमी) के परिणामस्वरूप उचित मूल्य में वृद्धि/(कमी) होगी: 31.03.25: ₹96.9 करोड़/ ₹(96.9) करोड़
		ईबीआईटीडीए गुणक	31.03.24: 7.6x – 8.0x (7.8x)	ईबीआईटीडीए गुणक में 0.1x वृद्धि/(कमी) के परिणामस्वरूप उचित मूल्य में वृद्धि/(कमी) होगी: 31.03.24: ₹ 5.4 करोड़/ ₹ (5.5) करोड़

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: उचित मूल्य का मापन (जारी..)

विवरण	मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट	रेंज (भारित औसत)	उचित मूल्य के प्रति इनपुट की संवेदनशीलता
II **अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स** – इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर वारंट (वहन मूल्य के लिए नोट-4 देखें)	आय दृष्टिकोण – वर्तमान मूल्य मापन	छूट दर	31.03.25:14.3% – 18.3% (16.3%) 31.03.24: 14.6% – 18.6% (16.6%)	छूट दर में 1% की वृद्धि/(कमी) के परिणामस्वरूप उचित मूल्य में (कमी)/वृद्धि होगी: 31.03.25: ₹ (205.2) करोड़/ ₹ 219.9 करोड़ 31.03.24: ₹ (216.2) करोड़/ ₹ 234.6 करोड़
III **अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स** सीलोन पेट्रोलियम स्टोरेज टर्मिनल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर (वहन मूल्य के लिए नोट-4 देखें)	बाज़ार दृष्टिकोण – राजस्व गुणक	राजस्व गुणक	31.03.25: 0.8x – 1.0x (0.9x) 31.03.24: 1.1x – 1.3x (1.2x)	राजस्व गुणक में 0.1x वृद्धि/(कमी) के परिणामस्वरूप उचित मूल्य में वृद्धि/(कमी) होगी: 31.03.25: ₹ 15.8 करोड़/ ₹ (15.8) करोड़ 31.03.24: ₹ 12.9 करोड़/ ₹ (13.0) करोड़
IV **अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स** पेट्रोकाराबाबो एस.ए. और कैराबोबो इंजीनिएरिया वाई कॉन्स्ट्रुक्शंस एस.ए. (वहन मूल्य के लिए नोट-4 देखें)	आय दृष्टिकोण – वर्तमान मूल्य मापन	छूट दर	31.03.25: 27.8% – 31.8% (29.8%) 31.03.24: 30.5% – 34.5% (32.5%)	छूट दर में 1% की वृद्धि/(कमी) के परिणामस्वरूप उचित मूल्य में (कमी)/वृद्धि होगी: 31.03.25: ₹ (2.1) करोड़/ ₹ 2.1 करोड़ 31.03.24: ₹ (0.7) करोड़/ ₹ 0.7 करोड़

एफवीटीओसीआई में रखे गए अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निम्नलिखित निवेश शामिल हैं जिनके लिए संवेदनशीलता प्रकटीकरण का खुलासा नहीं किया गया है:

विवरण	वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड	15.48	13.36
ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड	3.96	2.72
वसीटर्स प्राइवेट लिमिटेड	0.77	0.77
बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड	0.10	0.10
इंटरनेशनल कोऑपरेटिव पेट्रोलियम एसोसिएशन, न्यूयॉर्क	0.02	0.02
एमआरएल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी	0.01	0.01

उचित मूल्य माप के स्तर 3 पदानुक्रम के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य माप का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एफवीटीओसीआई संपत्तियां
	अनकोटेड इक्विटी शेयर
प्राप्तियाँ तक शेष राशि	**4,688.41**
अतिरिक्त	1.24
उचित मूल्य परिवर्तन	800.86
विनिमय अंतर	6.91
31 मार्च 2025 तक शेष राशि	5,497.42

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 40: उचित मूल्य का मापन (जारी..)

II. प्रारंभिक निर्धारण में उचित मूल्य और लेनदेन के मूल्य के बीच के अंतर के निर्धारण के संबंध में प्रकटन

निम्नलिखित मामलों में, कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों/ वित्तीय देयता के प्रारंभिक निर्धारण पर लाभ या हानि में किसी लाभ/हानि को निर्धारित नहीं किया है, इसके बजाय, ऐसी लाभ/हानि को नीचे उल्लिखित लेखा नीति के अनुसार आस्थगित कर निर्धारित किया गया।

वित्तीय परिसंपत्तियां

1. कर्मचारियों को ऋण

सेवा की शर्तों के अनुसार, समूह ने अपने कर्मचारियों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण दिया है। लेन-देन मूल्य उचित मूल्य नहीं है क्योंकि कर्मचारियों के लिए लागू बाजार दरों पर ऋण नहीं दिया जाता है। चूंकि निहित लाभ कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं के आधार पर है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है और ऋण अवधि के दौरान कर्मचारी अनुलाभ व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

2. पीएमयूवाई ऋण

पीएमयूवाई ऋण बर्नर और पहली रिफिल की लागत के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों को दिया जाने वाला ब्याज मुक्त ऋण है। यह ऋण ब्याज मुक्त होता है, इसलिए लेनदेन का मूल्य उचित मूल्य पर नहीं है। उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच के अंतर को आस्थगित खर्चों में संचित किया जाता है और लाभ व हानि के विवरण में सीधी रेखा पद्धति आधार पर ऋण की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

3. प्रतिभूति जमा

भूमि के पट्टे के संबंध में भूस्वामी को प्रतिभूति राशि का भुगतान किया जाता है। प्रतिभूति जमा ब्याज मुक्त होता है, इसलिए लेनदेन का मूल्य उचित मूल्य नहीं है। उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच का अंतर आस्थगित खर्चों में संचित होता है और इंड ए.एस. 116 की शुरूआत से पहले 31 मार्च, 2019 तक लाभ और हानि के विवरण में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर ऋण अवधि में परिशोधित होता है।

वित्तीय देयताएं

1. प्रतिभूति जमा

(आर2 विकल्प) के तहत मृत कर्मचारियों को देय कुछेक जमा और कुछेक राजस्व व्यय संविदाओं के संबंध में प्राप्त प्रतिभूति जमा के मामले में, लेनदेन के मूल्य को उचित मूल्य नहीं माना जाता है क्योंकि ऐसी जमा राशियां ब्याज मुक्त होती हैं। उचित मूल्य और लेन-देन मूल्य के बीच का अंतर आस्थगित आय में संचित होता है और लाभ व हानि के विवरण में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रतिभूति जमा की अवधि में परिशोधित होता है।

आस्थगित लाभ/हानि का समाधान जिन्हें अब तक लाभ और हानि के विवरण में निर्धारित नहीं किया गया है, इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान परिशोधित	वर्ष के दौरान समायोजित	अंतिम शेष
2024-25					
आस्थगित व्यय					
कर्मचारियों को ऋण	1,049.61	211.38	80.41	–	1,180.58
पीएमयूवाई ऋण	204.45	–	27.19	2.64	174.62
आस्थगित आय					
सुरक्षा जमा	1.62	–	0.91	(0.73)	1.44
2023-24					
आस्थगित व्यय					
कर्मचारियों को ऋण	864.33	266.19	80.95	(0.04)	1,049.61
पीएमयूवाई ऋण	236.24	–	30.26	1.53	204.45
आस्थगित आय					
सुरक्षा जमा	3.08	0.05	1.51	–	1.62

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 41 : वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक

वित्तीय जोखिम कारक

डेरिवेटिव्स के अलावा, ग्रुप की प्रमुख वित्तीय देयताओं में, उधार, व्यापार और अन्य देय, प्रतिभूति जमा, कर्मचारी देयताएं और पट्टा दायित्व शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके प्रचालनों को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। ग्रुप की प्रमुख वित्तीय परिसंपतियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य, अल्पकालिक जमा और वे नकद / नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। ग्रुप एफ़वीटीओसीआई निवेश भी रखती है और डेरिवेटिव लेनदेन में करती है।

ग्रुप ब्याज दर, कमोडिटी की कीमतों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों और इक्विटी मूल्य, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम से संबंधित बाजार जोखिम सहित वित्तीय साधनों के उपयोग के साथ-साथ प्राकृतिक व्यापार जोखिमों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों हेतु एक्सपोज है।

वरिष्ठ प्रबंधन वाली जोखिम प्रबंधन समिति इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करती है। ग्रुप के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम प्रबंधन अनुपालन बोर्ड द्वारा समर्थित किया जाता है जो ग्रुप के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन संरचना पर सलाह देता है। जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड को यह आश्वासन प्रदान करती है कि कंपनी के जोखिम उचित नीतियों और प्रक्रियाओं से शासित होते हैं और यह कि जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन ग्रुप की नीतियों, जोखिम उद्देश्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार किया जाता है।

ग्रुप की कच्चे तेल की आवश्यकता को इसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और इष्टतमीकरण विभाग के माध्यम से संचालित एकीकृत प्रकार्य के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए सभी डेरिवेटिव गतिविधियाँ विशेषज्ञ टीमों द्वारा की जाती हैं जिनके पास उपयुक्त कौशल, अनुभव और पर्यवेक्षण होता है। ग्रुप की नीति के अनुसार, डेरिवेटिव अनुबंध केवल ग्रुप के सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों से बचने के लिए किए जाते है न कि सट्टा उद्देश्य के लिए।

निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की देखरेख करता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

क. बाजार ज़ोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय लिखतों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम के प्रमुख घटक ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, वस्तु मूल्य जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम अर्थात इक्विटी शेयर आदि है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में उधार, जमा, एफ़वीटीओसीआई निवेश और व्युत्पादित वित्तीय लिखत शामिल हैं।

निम्नलिखित अनुभागों में संवेदनशीलता विश्लेषण 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 की स्थिति से संबंधित है।

विश्लेषण में ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद के अन्य दायित्वों, प्रावधानों, और अन्य गैर-वित्तीय संपत्तियों और विदेशी परिचालनों की देनदारियों के मूल्यों पर बाजार वेरिएबल्स में संचलनों के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

1. ब्याज दर जोखिम

ग्रुप इस संभावना से ब्याज दर जोखिम के लिए एक्सपोज है कि ब्याज दरों में परिवर्तन एक वित्तीय लिखत, मुख्य रूप से वित्तीय ऋण के भविष्य के नकदी प्रवाह को प्रभावित करेगा। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति ग्रुप का जोखिम मुख्य रूप से अल्पकालिक ब्याज दरों के साथ ग्रुप के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

ग्रुप नकदी, लागत प्रभावी लिखतों की उपलब्धता और बाजार/नियामक बाधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए रुपये और विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए स्थिर और अस्थायी दरों के बीच मिश्रण को बनाए रखने का प्रबंधन करता है। ग्रुप अस्थायी ब्याज दर ऋण के, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए ब्याज दर स्वैप कांट्रेक्ट का भी उपयोग करता है। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी की लगभग 37% उधार एक स्थिर ब्याज दर पर है (31 मार्च 2024: 38%)।

यूएसडी लिबोर बेंचमार्क को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के अनुसरण में, इसके प्रकाशन की अंतिम तारीख 30 जून, 2023 थी। इस बीच, समूह ने मौजूदा यूएसडी लिबोर से जुड़े उपकरणों को वैकल्पिक बेंचमार्क में बदलने का काम पूरा कर लिया है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 41 : वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

ऋण और उधार के उस हिस्से पर ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, अन्य सभी चरों को स्थिर रखते हुए, आईएनआर और यूएसडी अस्थायी दर उधार पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार है। अन्य सभी मुद्रा उधारों के लिए ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति समूह का जोखिम महत्वपूर्ण नहीं है।

उधार की मुद्रा	आधार अंकों में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आधार अंकों में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
भारतीय रुपया	+50	(62.34)	+50	(48.94)
अमेरिकी डॉलर	+50	(383.04)	+50	(313.72)
भारतीय रुपया	-50	62.34	-50	48.94
अमेरिकी डॉलर	-50	383.04	-50	313.72

2. विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी निवेश के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव हो सकता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति समूह का जोखिम मुख्यतः समूह की परिचालन गतिविधियों (जब राजस्व या व्यय विदेशी मुद्रा में अंकित हो) और उधारी से संबंधित है।

समूह अपने विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन प्राकृतिक हेजिंग, अनिवार्य हेजिंग और पूर्व-निर्धारित ट्रिगर्स की स्थिति में की जाने वाली हेजिंग के संयोजन के माध्यम से करता है। हेजिंग मुख्यतः वायदा अनुबंधों के माध्यम से की जाती है।

31 मार्च, 2025 तक समूह के पास ₹ 2,634.68 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2024: ₹ 1,810.72 करोड़ रुपये) का बकाया अग्रिम अनुबंध है, जो उधारी और अन्य वित्तीय देनदारियों के प्रति जोखिम को कम करने के लिए किया गया है।

अमेरिकी डॉलर/ भारतीय रुपया विनिमय दरों में किसी भी संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, अन्य सभी चरों को स्थिर रखते हुए, समूह के कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव गैर-निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव सहित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है। नीचे दी गई मुद्राओं के अलावा अन्य सभी मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनों के प्रति समूह का जोखिम महत्वपूर्ण नहीं है।

उधार की मुद्रा	% में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	% में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
वायदा अनुबंध - अमेरिकी डॉलर	+5%	131.73	+5%	90.54
	-5%	(131.73)	-5%	(90.54)
अन्य जोखिम - अमेरिकी डॉलर	+5%	(6,105.36)	+5%	(5,314.28)
	-5%	6,105.36	-5%	5,314.28
क्रॉस करेंसी - अमेरिकी डॉलर बनाम भारतीय रुपया	+5%	(323.11)	+5%	(333.18)
	-5%	323.11	-5%	333.18

अधिकांश विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव व्यवसाय परिचालन परिणामों में समाहित हो जाते हैं, जिनकी भरपाई लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में परिवर्तन, बाजार समायोजन में देरी तथा अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे इन्वेंट्री आदि के लिए दरों में परिवर्तन के कारण हो जाती है। इस कारण से, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का कुल प्रभाव समूह के रिपोर्ट किए गए परिणामों में अलग से पहचाना नहीं जा सकता है।

3. कमोडिटी मूल्य जोखिम

समूह को विभिन्न कमोडिटी मूल्य संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जैसे रिफाइनरी मार्जिन (पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल की कीमतों के बीच का अंतर), इन्वेंट्री मूल्यांकन में उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल के आयात के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आदि। स्वीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, समूह स्वीकृत सीमाओं के भीतर जोखिम को कम करने के लिए ओटीसी बाजार के साथ-साथ घरेलू एक्सचेंजों में स्वैप, विकल्प और वायदा के माध्यम से रिफाइनरी मार्जिन हेजिंग, इन्वेंट्री हेजिंग और कच्चे तेल की कीमतों की हेजिंग कर सकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 41 : वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया कमोडिटी डेरिवेटिव लेनदेन के बारे में श्रेणीवार मात्रात्मक डेटा नीचे दिया गया है:

मात्रा (लाख बीबीएल में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
मार्जिन हेजिंग फॉरवर्ड अनुबंध	3.75	2.25

31 मार्च, 2025 तक बकाया कमोडिटी हेजिंग स्थिति पर क्रूड बेंचमार्क मूल्य अंतर/रिफाइनरी मार्जिन में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता:

विवरण	% में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	% में वृद्धि/कमी	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
मार्जिन हेजिंग	+10%	(5.25)	+10%	(3.55)
	-10%	5.25	-10%	3.55

4. इक्विटी मूल्य जोखिम

संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों और सहायक कंपनियों में निवेश के अलावा, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों में समूह का निवेश, निवेशित प्रतिभूतियों के भविष्य के मूल्यों के बारे में अनिश्चितताओं से उत्पन्न बाजार मूल्य जोखिम के प्रति संवेदनशील है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, उचित मूल्य पर गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश ₹ 4,993.54 करोड़ रुपये था। इन निवेशों का संवेदनशीलता विश्लेषण नोट 40 में दिया गया है।

उचित मूल्य पर सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश ₹ 30,464.01 करोड़ रुपये था। शेयर मूल्य में 5% की वृद्धि/कमी से समूह के ओसीआई और इक्विटी पर लगभग ₹ 1,523.20 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ सकता है। इन परिवर्तनों का लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. डेरिवेटिव और हेजिंग

(i) डेरिवेटिव का वर्गीकरण

जैसा कि ऊपर बताया गया है, समूह अपने चालू व्यावसायिक कार्यों से संबंधित कुछ बाज़ार जोखिमों के प्रति संवेदनशील है।

डेरिवेटिव का उपयोग केवल आर्थिक हेजिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है, सट्टा निवेश के रूप में नहीं। हालाँकि, जहाँ डेरिवेटिव हेज लेखांकन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लेखांकित किया जाता है। समूह द्वारा उपयोग किए गए और वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया डेरिवेटिव के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य वित्तीय देयताएं	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य वित्तीय देयताएं
हेजिंग उपकरण के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए गए डेरिवेटिव				
विदेशी मुद्रा विनिमय	0.70	180.65	-	360.83
हेजिंग उपकरण के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव				
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध - ऋण	-	33.07	-	0.25
विदेशी मुद्रा विनिमय	-	8.29	-	-
कमोडिटी वायदा अनुबंध - मार्जिन हेजिंग	0.62	0.46	2.98	-

(ii) हेजिंग गतिविधियाँ

डेरिवेटिव उपकरणों के माध्यम से प्रबंधित किए जाने वाले प्राथमिक जोखिम कमोडिटी मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम हैं।

कमोडिटी मूल्य जोखिम

इंडियनऑयल अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों से जुड़े कच्चे तेल की खरीद और पेट्रोलियम उत्पाद बेचता है और ये बेंचमार्क कीमतें एक साथ नहीं चलती हैं। इससे इंडियनऑयल को रिफाइनिंग मार्जिन में बदलाव का जोखिम होता है, जिसे मार्जिन हेजिंग द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 41 : वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित बिक्री लेनदेन में पेट्रोलियम उत्पादों के रिफाइनिंग मार्जिन में गिरावट के जोखिम को क्रैक स्प्रेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से हेज किया जाता है। समूह मार्जिन की प्राप्ति को सुरक्षित रखना चाहता है और इसलिए इस जोखिम को कम करने के लिए, समूह भविष्य में अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित बिक्री पर मार्जिन को हेज करने के लिए ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है। जोखिम प्रबंधन गतिविधियाँ ओटीसी बाज़ार में की जाती हैं, अर्थात ये पंजीकृत प्रतिपक्षकारों के साथ द्विपक्षीय अनुबंध हैं।

इन सभी हेज को नकदी प्रवाह हेज के रूप में दर्ज किया जाता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

जैसा कि ऊपर क2 में बताया गया है, समूह विभिन्न विदेशी मुद्रा जोखिमों से ग्रस्त है। समूह की विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, समूह को अल्पकालिक विदेशी मुद्रा ऋणों (रिवॉल्विंग लाइन्स और पीसीएफसी ऋणों को छोड़कर) और बाजार की स्थितियों के आधार पर दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋणों के कम से कम 50% की पूर्ण हेजिंग करनी आवश्यक है।

ऋणों की अनिवार्य हेजिंग के अलावा, समूह बाजार की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर कच्चे तेल/उत्पाद देनदारियों के पुनर्भुगतान हेतु मुद्रा खरीद के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध भी करता है। उपरोक्त हेजिंग वितरण आधारित वायदा अनुबंधों के माध्यम से की जाती है।

इन सभी हेज को नकदी प्रवाह हेज के रूप में दर्ज किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम

जैसा कि ऊपर क1 में बताया गया है, समूह को अस्थिर दर वाले उधारों पर ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ता है। समूह, बाज़ार की स्थितियों के आधार पर समूह की ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार ब्याज दर स्वैप लेकर ब्याज दर जोखिम से बचाव करता है। समूह विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित अस्थिर दर वाले उधारों के लिए ब्याज भुगतान के जोखिम से बचाव हेतु ब्याज दर डेरिवेटिव का उपयोग करता है।

इन सभी हेज को नकदी प्रवाह हेज के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

हेजिंग प्रभावशीलता

हेज की गई मदों और हेजिंग उपकरणों के बीच एक आर्थिक संबंध होता है क्योंकि विदेशी मुद्रा और कमोडिटी वायदा अनुबंधों की शर्तें हेजिंग मदों की शर्तों से मेल खाती हैं। समूह ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेजिंग अनुपात स्थापित किया है क्योंकि विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और कमोडिटी वायदा अनुबंधों का अंतर्निहित जोखिम हेजिंग जोखिम घटकों के समान है। हेजिंग प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए, समूह हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों की तुलना हेजिंग जोखिमों के कारण हेजिंग मदों के उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से करता है। ब्याज दर स्वैप के मामले में, चूँकि ब्याज दर स्वैप अनुबंधों और उनके संगत हेजिंग मदों की महत्वपूर्ण शर्तें समान हैं, समूह प्रभावशीलता का गुणात्मक मूल्यांकन करता है और यह अपेक्षा की जाती है कि ब्याज दर स्वैप अनुबंधों का मूल्य और संगत हेजिंग मदों का मूल्य अंतर्निहित ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार व्यवस्थित रूप से विपरीत दिशा में बदलेगा।

हेज अप्रभावीता का स्रोत

वस्तु मूल्य जोखिम के मामले में, समूह ने अप्रभावीता के निम्नलिखित स्रोतों की पहचान की है, जिनके महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है:

- हेज की गई वस्तुओं और हेजिंग उपकरणों के नकदी प्रवाह के समय में अंतर
- हेज की गई वस्तुओं और हेजिंग उपकरणों के हेज जोखिम से जुड़े विभिन्न सूचकांक
- प्रतिपक्षों का ऋण जोखिम हेजिंग उपकरणों और हेज की गई वस्तुओं के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करता है
- हेज की गई वस्तुओं और हेजिंग उपकरणों के नकदी प्रवाह की अनुमानित राशि में परिवर्तन

विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के मामले में, हेज अप्रभाविता का मुख्य स्रोत प्रतिपक्ष और समूह के अपने क्रेडिट जोखिम का हेज अनुबंधों के उचित मूल्य पर प्रभाव है, जो हेज की गई वस्तुओं के उचित मूल्य में परिलक्षित नहीं होता है। इसका प्रभाव भौतिक होने की उम्मीद नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 41 : वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

नकदी प्रवाह हेज लेखांकन के प्रभावों का प्रकटीकरण

हेजिंग उपकरण

समूह के पास निम्नलिखित हेजिंग उपकरण हैं:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2025 तक	परिपक्वता					
	एक महीने से कम	1 से 3 महीने	3 से 6 महीने	6 से 12 महीने	12 महीने से अधिक	कुल
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध– ऋण						
नाममात्र राशि	–	859.56	–	1,775.12	–	2,634.68
औसत वायदा दर (₹)	–	85.96	–	88.76	–	
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध– कच्चा तेल/उत्पाद देयताएँ						
नाममात्र राशि	–	–	–	–	–	–
औसत वायदा दर (₹)	–	–	–	–	–	
विदेशी मुद्रा स्वैप						
नाममात्र राशि	–	–	2,533.02	–	–	2,533.02
वस्तु वायदा अनुबंध– मार्जिन हेजिंग						
नाममात्र मात्रा (मात्रा लाख बैरल में)	–	–	–	1.25	2.50	3.75
नाममात्र राशि	–	–	–	17.75	34.92	52.67
औसत वायदा दर ($/ बैरल)	–	–	–	16.62	16.34	–

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2024 तक	परिपक्वता					
	एक महीने से कम	1 से 3 महीने	3 से 6 महीने	6 से 12 महीने	12 महीने से अधिक	कुल
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध– ऋण						
नाममात्र राशि	–	1,670.24	–	–	–	1,670.24
औसत वायदा दर (₹)	–	83.51	–	–	–	
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध– कच्चा तेल/उत्पाद देयताएँ						
नाममात्र राशि	140.48	–	–	–	–	140.48
औसत वायदा दर (₹)	83.35	–	–	–	–	
वस्तु वायदा अनुबंध– मार्जिन हेजिंग						
नाममात्र मात्रा (मात्रा लाख बैरल में)	–	0.50	0.75	1.00	–	2.25
नाममात्र राशि	–	8.55	12.82	17.10	–	38.47
औसत वायदा दर ($/ बैरल)	–	20.50	20.50	20.50	–	

बैलेंस शीट पर हेजिंग उपकरणों का प्रभाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	विदेशी मुद्रा स्वैप		विदेशी मुद्रा अग्रिम अनुबंध– ऋण		विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध– कच्चा तेल/ उत्पाद देयता		ब्याज दर स्वैप		कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स– मार्जिन हेजिंग	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
नाममात्र राशि	2533.02	–	2634.68	1670.24	–	140.48	–	–	52.67	38.47
वहन राशि	(8.29)	–	(33.07)	(0.25)	–	–	–	–	0.15	2.98
बैलेंस शीट में वह पंक्ति मद जिसमें हेजिंग उपकरण शामिल हैं	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ / अन्य चालू वित्तीय देयताएँ									
अवधि के लिए अप्रभावीता मापने के लिए प्रयुक्त उचित मूल्य में परिवर्तन – लाभ (हानि)	(8.45)	–	(33.07)	(0.25)	–	–	–	60.40	18.75	80.86

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 41 : वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

हेज मदें

बचाव मदों का बैलेंस शीट पर प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	विदेशी मुद्रा स्वैप		विदेशी मुद्रा अग्रिम अनुबंध– ऋण		विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध– कच्चा तेल/ उत्पाद देयता		ब्याज दर स्वैप		कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स– मार्जिन हेजिंग	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
निरंतर हेजिंग के लिए वर्ष के अंत में नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में शेष (निवल कर)	(4.34)	–	–	–	–	–	–	–	0.10	2.22
अवधि के लिए अप्रभाविता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली हेज्ड वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन	8.45	–	33.07	0.25	–	–	–	(60.40)	(18.75)	(80.86)

लाभ–हानि और अन्य व्यापक आय विवरण में नकदी प्रवाह बचाव का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	विदेशी मुद्रा स्वैप		विदेशी मुद्रा अग्रिम अनुबंध– ऋण		विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध– कच्चा तेल/ उत्पाद देयता		ब्याज दर स्वैप		कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स– मार्जिन हेजिंग	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्ष की शुरुआत में नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व	–	–	–	–	–	–	–	41.14	2.22	97.53
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल हेजिंग लाभ/(हानि)	(8.45)	–	(14.63)	(34.50)	2.74	1.37	–	6.05	15.76	(50.11)
उपर्युक्त पर आयकर	0.00	–	3.68	8.68	(0.69)	(0.34)	–	(1.52)	(3.97)	12.61
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त अप्रभाविता	(4.11)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लाभ या हानि विवरण में पंक्ति मद जिसमें मान्यता प्राप्त अप्रभावशीलता शामिल है	अन्य खर्चों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ओसीआई से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत राशि	(4.11)	–	(14.63)	(34.50)	2.74	1.37	–	60.40	18.59	77.88
उपरोक्त पर आयकर	–	–	3.68	8.68	(0.69)	(0.34)	–	(14.73)	(4.68)	(20.07)
वर्ष के अंत में नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व	(4.34)	–	–	–	–	–	–	–	0.10	2.22
लाभ या हानि विवरण में पंक्ति मद जिसमें पुनर्वर्गीकरण समायोजन शामिल हैं	अन्य खर्चों	अन्य खर्चों	अन्य खर्चों	अन्य खर्चों	अन्य खर्चों	अन्य खर्चों	वित्तीय लागत	वित्तीय लागत	परिचालन से राजस्व	परिचालन से राजस्व

ख. क्रेडिट जोखिम

व्यापार प्राप्तियां

ग्राहक क्रेडिट जोखिम ग्रुप की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित नियंत्रण के अधीन प्रत्येक व्यावसायिक यूनिट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ग्राहक की क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन एक विस्तृत क्रेडिट रेटिंग स्कोर कार्ड के आधार पर किया जाता है और इस आकलन के अनुसार व्यक्तिगत क्रेडिट सीमाएं परिभाषित की जाती हैं। बकाया ग्राहक प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और प्रमुख ग्राहकों पर किसी भी शिपमेंट्स को आम तौर पर क्रेडिट पत्र, बैंक गारंटी या क्रेडिट बीमा के अन्य रूपों द्वारा कवर किया जाता है, जहां कहीं भी आवश्यकता होती है।

प्रमुख ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक हानि विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में मामूली प्राप्यों को समरूप समूहों में बांटा गया है और सामूहिक रूप से हानि के लिए मूल्यांकन किया गया है। कंपनी की लेखा नीति के अनुसार व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करने के लिए ग्रुप सरलीकृत दृष्टिकोण लागू करता है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम एक्सपोजर वित्तीय एक्सपोजर के प्रत्येक वर्ग का वहन मूल्य है जिसका खुलासा टिप्पणी 10 में किया गया है। ग्रुप व्यापार प्राप्तियों के संबंध में जोखिम की एकाग्रता का मूल्यांकन कम के रूप में करता है, क्योंकि इसके ग्राहक कई अधिकार क्षेत्रों व उद्योगों में स्थित हैं और बड़े पैमाने पर स्वतंत्र बाजारों में काम करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 41 : वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल के	देय नहीं है	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष	कुल
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष								
सकल वहन राशि	37.56	11,742.04	5,326.35	615.84	739.06	142.01	407.65	19,010.51
अपेक्षित हानि दर	0.32%	0.33%	2.69%	2.57%	4.18%	2.19%	2.57%	
अपेक्षित ऋण हानियाँ	(0.12)	(39.20)	(143.11)	(15.84)	(30.91)	(3.11)	(10.49)	(242.78)
विशिष्ट प्रावधान	(0.65)	(1.86)	(2.25)	(4.37)	(8.83)	(8.63)	(190.18)	(216.77)
वहन राशि	36.79	11,700.98	5,180.99	595.63	699.32	130.27	206.98	18,550.96

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल के	देय नहीं है	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष	कुल
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष								
सकल वहन राशि	40.52	9,101.50	3,998.40	264.29	216.02	197.34	371.81	14,189.88
अपेक्षित हानि दर	0.37%	0.42%	1.92%	2.01%	2.37%	1.59%	2.96%	
अपेक्षित ऋण हानियाँ	(0.15)	(38.43)	(76.91)	(5.32)	(5.12)	(3.14)	(10.99)	(140.06)
विशिष्ट प्रावधान	–	–	–	(55.56)	(0.50)	(0.55)	(161.76)	(218.37)
वहन राशि	**40.37**	**9,063.07**	**3,921.49**	**203.41**	**210.40**	**193.65**	**199.06**	**13,831.45**

अन्य वित्तीय उपकरण और नकद जमा

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को बैलेंस शीट के घटकों के लिए समूह का अधिकतम ऋण जोखिम जोखिम, नोट 4, 5, 6, 11 और 12 में दी गई वहन राशि है। समूह अपनी लेखा नीति के अनुसार इन मदों पर अपेक्षित ऋण हानियाँ प्रदान करने के लिए सामान्य दृष्टिकोण अपनाता है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास शेष राशि से उत्पन्न ऋण जोखिम का प्रबंधन समूह के कोष विभाग द्वारा समूह की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष निधियों का निवेश केवल अनुमोदित प्रतिपक्षकारों के साथ और प्रत्येक प्रतिपक्षकार को निर्दिष्ट ऋण सीमाओं के भीतर किया जाता है। प्रतिपक्षकार ऋण सीमाएँ समूह के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होती हैं। ये सीमाएँ जोखिमों के संकेंद्रण को न्यूनतम करने और इस प्रकार प्रतिपक्षकार द्वारा भुगतान करने में संभावित विफलता के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए निर्धारित की जाती हैं।

समूह ने पीएमयूवाई (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) के ग्राहकों को ऋण दिए हैं, जिन्हें नोट–5 में ऋण के अंतर्गत दर्शाया गया है। भारत सरकार की योजना के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के लिए पीएमयूवाई ऋण दिए जाते हैं, जिसके तहत तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जारी करती हैं। इस योजना के अनुसार, तेल विपणन कंपनियाँ पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को बर्नर और पहली रिफिल की लागत के लिए ब्याज मुक्त ऋण का विकल्प प्रदान कर रही हैं, जिसकी वसूली ऐसे ग्राहकों द्वारा रिफिल बुक करने पर उन्हें देय सब्सिडी राशि से की जाएगी।

कुछ पीएमयूवाई ऋणों के मामले में, मूल कंपनी ने यह निर्धारित किया है कि ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मूल कंपनी ऋण की प्रारंभिक पहचान पर चूक की संभावना पर विचार करती है और यह भी कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निरंतर आधार पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह सामूहिक आधार पर चूक की संभावना निर्धारित करने के लिए पिछले अनुभव और अंतिम रिफिल के बाद से बीते समय को ध्यान में रखती है। मूल कंपनी ने उन पीएमयूवाई ऋणों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और अंतिम रिफिल के बाद के समय अंतराल के आधार पर चूक की संभावना को ध्यान में रखा है। अंतिम रिफिल के बाद 6 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से अधिक न होने पर 70% (2024: @70%) की दर से ईसीएल प्रदान किया जाता है, अंतिम रिफिल के बाद 12 महीने से अधिक लेकिन 18 महीने से अधिक न होने पर 80% (2024: @80%) की दर से, 18 महीने से अधिक लेकिन 24 महीने से अधिक न होने पर 90% (2024: @90%) की दर से और उन उपभोक्ताओं के लिए जिन्होंने 24 महीने से अधिक समय से कोई रिफिल नहीं लिया है, @100% (2024: @100%) की दर से ईसीएल प्रदान किया जाता है। ईसीएल उन ऋणों के लिए प्रदान किया जाता है जहाँ रिफिल पिछले 6 महीनों (2024: 6 महीने) के भीतर लिया गया हो, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 6 महीने (2024: 6 महीने) से अधिक के अनुभव अनुपात के आधार पर। यदि ग्राहक ने पिछले 24 महीनों (2024: 24 महीने) से कोई रिफिल नहीं लिया है, तो महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, पीएमयूवाई ऋणों को रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट बिगड़ा हुआ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, कुछ ऋण क्षीणता के मामले होते हैं, जो मुख्य रूप से चूक या दिवालियापन कार्यवाही के कारण अनुबंध के उल्लंघन के कारण होते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 41 : वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

वर्ष के दौरान परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए हानि भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

2024-25	प्रारंभिक शेष-क	वर्ष के दौरान सृजित ईसीएल -ख	पुन:लेखित ईसीएल -ग	बट्टे खाते में डाला गया ईसीएल / पुनर्वर्गीकरण -घ	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ)
व्यापार प्राप्य					
अपेक्षित ऋण हानियाँ	140.06	104.56	(1.83)	–	242.79
विशिष्ट प्रावधान	218.38	57.65	(58.68)	(0.57)	216.78
कुल	**358.44**	**162.21**	**(60.51)**	**(0.57)**	**459.57**
ऋण					
12 महीने का ईसीएल	274.61	–	(12.14)	–	262.47
जीवनकाल ईसीएल- ऋण क्षीण नहीं	190.02	–	(25.20)	–	164.82
जीवनकाल ईसीएल- ऋण क्षीण	1,088.75	104.92	(0.15)	–	1,193.52
कुल	**1,553.38**	**104.92**	**(37.49)**	**–**	**1,620.81**
प्रतिभूति जमा					
12 महीने का ईसीएल	–	–	–	–	–
जीवनकाल ईसीएल- ऋण क्षीण नहीं	–	–	–	–	–
जीवनकाल ईसीएल- ऋण क्षीण	1.39	–	(0.02)	–	1.37
कुल	**1.39**	**–**	**(0.02)**	**–**	**1.37**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
12 महीने का ईसीएल	–	–	–	–	–
जीवनकाल ईसीएल- ऋण क्षीण नहीं	–	–	–	–	–
जीवनकाल ईसीएल- ऋण क्षीण	281.78	15.05	(20.61)	(41.57)	234.64
कुल	**281.78**	**15.05**	**(20.61)**	**(41.57)**	**234.64**

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्रारंभिक शेष-क	वर्ष के दौरान सृजित ईसीएल -ख	पुन:लेखित ईसीएल -ग	बट्टे खाते में डाला गया ईसीएल / पुनर्वर्गीकरण -घ	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ)
व्यापार प्राप्य					
अपेक्षित ऋण हानि	308.56	10.43	(178.95)	–	140.04
विशिष्ट प्रावधान	213.59	10.23	(2.69)	(2.76)	218.37
कुल	**522.15**	**20.66**	**(181.64)**	**(2.76)**	**358.41**
ऋण					
12 महीने का ईसीएल	241.53	33.08	–	–	274.61
जीवनकाल ईसीएल- ऋण क्षीण नहीं	108.75	81.27	–	–	190.02
जीवनकाल ईसीएल- ऋण क्षीण	809.97	278.72	(0.02)	0.06	1,088.73
कुल	**1,160.25**	**393.07**	**(0.02)**	**0.06**	**1,553.36**
प्रतिभूति जमा					
12 महीने का ईसीएल	–	–	–	–	–
जीवनकाल ईसीएल- ऋण क्षीण नहीं	–	–	–	–	–
जीवनकाल ईसीएल- ऋण क्षीण	1.36	0.03	–	–	1.39
कुल	**1.36**	**0.03**	**–**	**–**	**1.39**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
12 महीने का ईसीएल	–	–	–	–	–
जीवनकाल ईसीएल- ऋण क्षीण नहीं	–	–	–	–	–
जीवनकाल ईसीएल- ऋण क्षीण	240.11	51.39	(9.28)	(0.44)	281.78
कुल	**240.11**	**51.39**	**(9.28)**	**(0.44)**	**281.78**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 41 : वित्तीय लिखतें और जोखिम कारक (जारी..)

ग. तरलता जोखिम

समूह तरलता नियोजन उपकरण का उपयोग करके धन की कमी के अपने जोखिम की निगरानी करता है। समूह अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों प्रकार के ऋण बाजारों तक पहुँच बनाए रखकर अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन करना चाहता है। इसके अतिरिक्त, समूह ने बैंकों से ऋण सुविधाएँ भी प्राप्त की हैं।

समूह का उद्देश्य बैंक ओवरड्राफ्ट, वाणिज्यिक पत्रों, बैंक ऋणों, डिबेंचर और पट्टों के उपयोग के माध्यम से वित्तपोषण की निरंतरता और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाए रखना है। समूह ने अपने ऋणों के पुनर्वित्त के संबंध में जोखिम के संकेंद्रण का आकलन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह कम है। समूह के पास वित्तपोषण के पर्याप्त विविध स्रोतों तक पहुँच है।

नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों के आधार पर समूह की वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल का सारांश प्रस्तुत करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मांग पर	3 महीने से कम	3 से 12 महीने	1 से 5 साल	> 5 साल	कुल
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष						
उधार	6,185.39	41,506.83	43,111.93	46,317.68	5,438.07	1,42,559.90
पट्टा दायित्व	–	1,294.39	1,837.62	3,022.10	3,556.55	9,710.66
व्यापार देय राशि	6,563.99	53,961.55	9.41	–	–	60,534.95
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	32,814.56	17,012.79	1,232.38	197.87	1.56	51,259.16
डेरिवेटिव	–	214.18	8.29	–	–	222.47
	45,563.94	**1,13,989.74**	**46,199.63**	**49,537.65**	**8,996.18**	**2,64,287.14**
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष						
उधार	8,068.16	22,516.00	46,076.51	38,191.53	8,601.37	1,23,453.57
पट्टा दायित्व	–	1,293.05	1,548.95	3,281.02	3,050.97	9,173.99
व्यापार देय राशि	9,395.18	50,019.82	39.10	–	–	59,454.10
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	32,786.21	15,660.40	1,784.65	224.63	8.48	50,464.37
डेरिवेटिव	–	361.08	–	–	–	361.08
	50,249.55	**89,850.35**	**49,449.21**	**41,697.18**	**11,660.82**	**2,42,907.11**

घ. अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

संकेन्द्रण तब उत्पन्न होता है जब कई प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में संलग्न होते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएँ ऐसी होती हैं कि आर्थिक, राजनीतिक या अन्य परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों से संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता समान रूप से प्रभावित होती है। संकेन्द्रण किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों के प्रति समूह के प्रदर्शन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाता है।

जोखिम के अत्यधिक संकेन्द्रण से बचने के लिए, समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं में विविधीकृत पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने हेतु विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के पहचाने गए संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

ङ. कोलेटरल

चूँकि समूह को विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा निवेश श्रेणी की रेटिंग दी गई है, इसलिए डेरिवेटिव अनुबंधों की बुकिंग के लिए कोई संपार्श्विक जमा करने की आवश्यकता नहीं है। समूह केवल उन्हीं प्रतिपक्षकारों के साथ डेरिवेटिव अनुबंध करता है जिनकी क्रेडिट रेटिंग आंतरिक रूप से स्वीकृत सीमा से ऊपर हो। तदनुसार, समूह अपने प्रतिपक्षकारों से कोई संपार्श्विक नहीं मांगता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–42: पूंजी प्रबंधन

समूह के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है। पूंजी में निर्गमित इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम और अन्य सभी इक्विटी रिज़र्व शामिल हैं, जो समूह के पूंजी प्रबंधन के प्रयोजन से इक्विटी शेयरधारक के लिए स्रोतजन्य हो।

समूह अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन तथा आवश्यकता के अनुसार समायोजन करता है। समूह वार्षिक परिचालन योजनाओं और दीर्घकालिक तथा अन्य रणनीतिक निवेश योजनाओं के आधार पर पूंजी की आवश्यकता निर्धारित करता है। ग्रुप शेयरधारकों के लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है या नए शेयर जारी कर सकता है। ग्रुप ऋण इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करता है, जो कि इक्विटी से विभाजित की गई उधार है। ग्रुप का प्रयास ऋण इक्विटी अनुपात को 1:1 के आसपास रखना है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
उधार	1,42,559.90	1,23,453.57
इक्विटी शेयर पूंजी	13,771.56	13,771.56
आरक्षित और अधिशेष	1,77,253.10	1,74,391.42
इक्विटी	1,91,024.66	1,88,162.98
ऋण इक्विटी अनुपात	0.75 : 1	0.66 : 1

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

टिप्पणी–43: सरकारी अनुदानों पर प्रकटीकरण

क. राजस्व अनुदान

1 एसकेओ (पीडीएस) और एलपीजी (घरेलू) की बिक्री पर सब्सिडी

भारत में एसकेओ (पीडीएस) और एलपीजी (घरेलू) की बिक्री पर ₹ 33.03 करोड़ रुपये (2024: ₹ 93.80 करोड़ रुपये) की सब्सिडी और भूटान में ग्राहकों को एसकेओ और एलपीजी की बिक्री पर ₹ 15.39 करोड़ रुपये (2024: ₹ 5.80 करोड़ रुपये) की सब्सिडी की गणना सरकारों द्वारा अधिसूचित योजनाओं के अनुसार की गई है।

2 एमईआईएस दावों/आरओडीटीईपी योजना/शुल्क वापसी योजना के अंतर्गत अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात

समूह ने भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात योजना (एमईआईएस)/निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी)/शुल्क वापसी योजना के अंतर्गत अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात पर ₹ 31.01 करोड़ रुपये (2024: ₹ 37.62 करोड़ रुपये) को लाभ–हानि विवरण में राजस्व अनुदान के रूप में मान्यता दी है।

3 एनएटीएस/एनएपीएस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को वजीफा

मानव संसाधन विकास एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार, प्रशिक्षुओं के लिए वजीफे और बुनियादी प्रशिक्षण लागत का एक हिस्सा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत सरकार द्वारा नियोक्ता को प्रतिपूर्ति किया जाएगा, जो निर्धारित सीमा के अधीन है। समूह ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के अंतर्गत नियुक्त प्रशिक्षुओं को दिए जाने वाले वजीफे के संबंध में ₹ 0.31 करोड़ रुपये (2024: ₹ 8.44 करोड़ रुपये) के अनुदान को राजस्व अनुदान के रूप में मान्यता दी है।

4 अनुसंधान परियोजनाओं हेतु राजस्व व्यय हेतु अनुदान

वर्ष के दौरान, समूह को विभिन्न एजेंसियों के साथ किए गए अनुसंधान परियोजनाओं हेतु मानवशक्ति, उपभोग्य सामग्रियों, यात्रा एवं आकस्मिक व्यय आदि जैसे राजस्व व्ययों को पूरा करने के लिए शून्य (2024: ₹ 0.47 करोड़) का राजस्व अनुदान प्राप्त हुआ है।

5 बिजली की बिक्री पर प्रोत्साहन

समूह को पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से प्रति यूनिट उत्पादित बिजली पर 0.50 पैसे की दर से प्रोत्साहन मिल रहा है। समूह को चालू वर्ष के दौरान ₹ 0.01 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है (2024: ₹ 1.46 करोड़ रुपये)।

6 ईपीसीजी अनुदान

केंद्र सरकार की ईपीसीजी योजना के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर शुल्क माफी के संबंध में स्वीकृत अनुदान। यह योजना उत्पादन–पूर्व और उत्पादन–पश्चात के लिए पुर्जों सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद शून्य शुल्क पर करने की अनुमति देती है, बशर्ते कि खरीदे गए पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्क का 6 गुना निर्यात दायित्व हो। 31 मार्च, 2025 तक अशोधित अनुदान राशि ₹ 12.54 करोड़ (2024: ₹12.54 करोड़) है। वर्ष के दौरान, समूह ने लाभ–हानि विवरण में राजस्व अनुदान के परिशोधन के रूप में ₹ 1.84 करोड़ (2024: शून्य) की राशि को मान्यता दी है। समूह निर्यात दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षा रखता है और इसलिए समतुल्य आस्थगित अनुदान को देयता नहीं माना गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–43: सरकारी अनुदानों पर प्रकटीकरण (जारी..)

7 पूर्वोत्तर में उत्पाद शुल्क लाभ

उत्तर पूर्वी रिफाइनरियों में निर्मित और निर्गत वस्तुओं के 50% पर उत्पाद शुल्क छूट को राजस्व में पूर्ण मूल्य पर और मउत्पाद शुल्कफ (भुगतान किए गए शुल्क की सीमा तक) के अंतर्गत व्यय में शुद्ध आधार पर शामिल किया गया है। चालू वर्ष के लिए वित्तीय प्रभाव ₹ 3,885.58 करोड़ रुपये (2024: ₹ 3,816.73 करोड़ रुपये) है।

8 व्यवहार्यता अंतराल निधि (वीजीएफ)

समूह को ओडिशा सरकार से 15 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अनुदान प्राप्त हुआ है। 31 मार्च, 2025 तक अशोधित अनुदान राशि ₹ 3,100.61 करोड़ रुपये (2024: ₹ 2,901.21 करोड़ रुपये) है। वर्ष के दौरान, समूह ने अनुदानों के परिशोधन के रूप में लाभ–हानि विवरण में ₹ 273.26 करोड़ रुपये (2024: ₹ 241.15 करोड़ रुपये) की राशि को मान्यता दी है।

9 तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम (एस आई पीसीओटी) से संरचित पैकेज प्रोत्साहन

सहायक कंपनी (सीपीसीएल) ने तमिलनाडु औद्योगिक नीति, 2014 के अंतर्गत आरईएसआईडी उन्नयन परियोजना के संबंध में तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उसमें निर्धारित पूंजी निवेश संबंधी दायित्वों को पूरा कर लिया गया है। सहायक कंपनी (सीपीसीएल) आरईएसआईडी परियोजना के चालू होने से 12 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 2,407.82 करोड़ रुपये (अर्थात आरईएसआईडी परियोजनाओं की पात्र अचल संपत्तियों का 80%) तक के सॉफ्ट लोन के रूप में संरचित सहायता पैकेज प्राप्त करने के लिए पात्र है, बशर्ते कि उत्पादन/बिक्री में वृद्धि हो। ऋण पर 0.1% प्रति वर्ष की ब्याज दर लागू है, जो संवितरण की तिथि से 12 वर्षों की अवधि के बाद चुकाया जा सकेगा। चालू वर्ष के दौरान, इस योजना के अंतर्गत ₹ 173.42 करोड़ (10 मई 2024) और ₹ 196.98 करोड़ (31 मार्च 2025) की ऋण राशि प्राप्त हुई है। 31 मार्च, 2025 तक अशोधित पूँजी अनुदान राशि ₹ 209.39 करोड़ (2024: शून्य) है। वर्ष के दौरान, सहायक कंपनी (सीपीसीएल) ने अनुदानों के परिशोधन के रूप में लाभ–हानि विवरण में ₹ 7.77 करोड़ (2024: शून्य) को मान्यता दी है।

ख. पूंजी अनुदान

1 एसकेओ (पीडीएस) के वितरण को सुदृढ़ करने के लिए ओआईडीबी सरकारी अनुदान

समूह को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पीडीएस केरोसिन के वितरण को सुदृढ़ करने के लिए ओआईडीबी (तेल उद्योग विकास बोर्ड) से सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग 20 किलोलीटर भूमिगत टैंक, यांत्रिक वितरण इकाइयों और बैरल शेड के निर्माण में किया जाएगा। 31 मार्च 2025 तक अशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 0.20 करोड़ रुपये (2024: ₹ 0.31 करोड़ रुपये) है। वर्ष के दौरान, समूह ने पूंजी अनुदानों के परिशोधन के रूप में लाभ–हानि विवरण में ₹ 0.11 करोड़ रुपये (2024: ₹ 0.15 करोड़ रुपये) की राशि को मान्यता दी है।

2 उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और जीएसटी छूट के संबंध में पूंजी अनुदान

समूह को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा जारी प्रमाण पत्र के तहत भारत में स्थानीय निर्माताओं से माल की खरीद पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क छूट, उत्पाद शुल्क छूट और जीएसटी छूट के संबंध में अनुदान प्राप्त हुआ है। 31 मार्च, 2025 तक अशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 38.81 करोड़ रुपये (2024: ₹ 49.48 करोड़ रुपये) है। स्थानीय निर्माताओं से आयातित या प्राप्त माल को स्थापना तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक हस्तांतरित या बेचा नहीं जाएगा। वर्ष के दौरान, समूह ने लाभ–हानि विवरण में पूंजी अनुदान के परिशोधन के रूप में ₹ 10.67 करोड़ रुपये (2024: ₹ 11.93 करोड़ रुपये) को मान्यता दी है। हालाँकि, डीएसआईआर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के तहत स्थानीय निर्माता से माल की खरीद पर जीएसटी रियायत की योजना 18.07.2022 से बंद कर दी गई है और तदनुसार इस संबंध में उसके बाद कोई नया अनुदान मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है।

3 अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में पूंजी अनुदान

समूह को अनुसंधान परियोजनाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद/स्थापना के संबंध में विभिन्न एजेंसियों से पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है। 31 मार्च, 2025 तक अशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 66.68 करोड़ रुपये (2024: ₹ 7.64 करोड़ रुपये) है। वर्ष के दौरान, समूह ने लाभ–हानि विवरण में पूंजी अनुदानों के परिशोधन के रूप में ₹ 32.67 करोड़ रुपये (2024: ₹ 1.75 करोड़ रुपये) की राशि को मान्यता दी है।

4 ओडिशा सरकार से प्रवेश कर छूट के संबंध में पूंजी अनुदान

पारादीप रिफाइनरी परियोजना के लिए ओडिशा सरकार से प्राप्त प्रवेश कर छूट को पूंजी अनुदान के रूप में मान्यता दी गई है और संबंधित परिसंपत्तियों के साथ जोड़ दिया गया है। 31 मार्च, 2025 तक अशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 84.22 करोड़ (2024: ₹ 89.55 करोड़) है। वर्ष के दौरान, समूह ने लाभ–हानि विवरण में पूंजी अनुदान के परिशोधन के रूप में ₹ 5.33 करोड़ (2024: ₹ 5.34 करोड़) की राशि को मान्यता दी है।

5 प्रदर्शन इकाई के संबंध में पूंजी अनुदान

पानीपत रिफ़ाइनरी में रिफ़ाइनरी से निकलने वाली गैसों/लिग्नोएलुलोसिक बायोमास से इथेनॉल उत्पादन हेतु इकाइयाँ स्थापित करने हेतु ओआईडीबी/सीएचटी/यूएसटीडीए से प्राप्त अनुदान। 31 मार्च, 2025 तक अशोधित पूंजी अनुदान राशि 308.92 करोड़ हंड्रेड (2024: 305.42 करोड़ हंड्रेड) है। वर्ष के दौरान, समूह ने पूंजी अनुदानों के परिशोधन के रूप में लाभ–हानि विवरण में 11.50 करोड़ हंड्रेड (2024: 6.50 करोड़ हंड्रेड) की राशि को मान्यता दी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–43: सरकारी अनुदानों पर प्रकटीकरण (जारी..)

6 स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके इकाइयों के निर्माण के संबंध में पूंजी अनुदान

मूल कंपनी की अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) द्वारा विकसित तकनीक का उपयोग करके गुवाहाटी रिफाइनरी में एक प्रदर्शन इकाई स्थापित करने के लिए ओआईडीबी से अनुदान प्राप्त हुआ। 31 मार्च, 2025 तक अशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 53.85 करोड़ रुपये (2024: ₹ 57.57 करोड़ रुपये) है। वर्ष के दौरान, समूह ने पूंजी अनुदानों के परिशोधन के रूप में लाभ-हानि विवरण में ₹ 3.72 करोड़ रुपये (2024: ₹ 3.72 करोड़ रुपये) की राशि को मान्यता दी है।

7 ब्याज सब्सिडी के संबंध में पूंजी अनुदान

समूह को तेल एवं प्राकृतिक गैस विकास बैंक (ओआईडीबी) से लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के संबंध में पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है। 31 मार्च, 2025 तक अशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 9.85 करोड़ रुपये (2024: ₹ 10.99 करोड़ रुपये) है। वर्ष के दौरान, समूह ने लाभ-हानि विवरण में पूंजी अनुदान के परिशोधन के रूप में ₹ 1.14 करोड़ रुपये (2024: ₹ 1.14 करोड़ रुपये) की राशि को मान्यता दी है।

8 सौर ऊर्जा उत्पादन के संबंध में पूंजी अनुदान

समूह को विद्युत उत्पादन हेतु सौर पैनलों की खरीद और स्थापना के संबंध में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूंजीगत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। 31 मार्च 2025 तक अशोधित पूंजी अनुदान राशि ₹ 3.19 करोड़ (2024: ₹ 3.38 करोड़) है। वर्ष के दौरान, समूह ने लाभ-हानि विवरण में पूंजीगत अनुदानों के परिशोधन के रूप में ₹ 0.19 करोड़ (2024: ₹ 0.19 करोड़) की राशि को मान्यता दी है।

9 नेपाल सरकार से पूंजी अनुदान

समूह को नेपाल सरकार से नेपाल में स्थानीय रूप से खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं पर स्थानीय करों और नेपाल में आयातित वस्तुओं/सेवाओं पर आयात शुल्क में छूट के रूप में अनुदान प्राप्त हुआ है। समूह ने लाभ-हानि विवरण में ₹1.48 करोड़ (2024: ₹1.14 करोड़) की पहचान की है। अशोधित शेष ₹15.46 करोड़ (2024: ₹ 13.29 करोड़) है।

10 खुदरा दुकानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित करने हेतु पूंजी अनुदान

समूह को मार्च 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम) इंडिया योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत खुदरा दुकानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशनों (ईवीसीएस) की स्थापना, उन्नयन/स्थापना हेतु भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) से अनुदान प्राप्त हुआ है। कुल स्वीकृत राशि ₹ 389.27 करोड़ में से ₹ 272.49 करोड़ अग्रिम प्राप्त हो चुके हैं और शेष राशि सभी ईवीसीएस के चालू होने पर प्राप्त होगी। चूँकि 31.03.2025 तक कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वर्ष के दौरान लाभ-हानि विवरण में कोई राशि अंकित नहीं की गई है। 31 मार्च, 2025 तक अशोधित शेष ₹ 389.17 करोड़ (2024: ₹ 389.28 करोड़) है। वर्ष के दौरान, समूह ने पूंजी अनुदान के परिशोधन के रूप में लाभ और हानि विवरण में ₹ 0.11 करोड़ (2024: शून्य) को मान्यता दी है।

टिप्पणी–44: ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

ग्रुप तेल और गैस के व्यवसाय में है और यह प्राथमिक रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोरसायनों, गैस, ई एंड पी तथा अन्य की बिक्री से राजस्व कमाता है। राजस्व निर्धारण तब किया जाता है जब वस्तुएं और सेवाएं उपभोक्ता को हस्तांतरित कर दी जाती हैं।

आम तौर पर, ग्रुप ग्राहकों के साथ अनुबंध करती है;

क. खुदरा बिक्री, एलपीजी और विमानन के मामले में सुपुर्दगी के आधार पर।

ख. ल्यूब और उपभोक्ताओं के मामले में पूर्व मार्केटिंग इंस्टालेशन के साथ-साथ सुपुर्दगी आधार पर।

ग. निर्यात बिक्री के मामले में अनुबंध की शर्तों के आधार पर एफओबी या सीआईएफ आधार पर।

ग्रुप की अधिकांश बिक्री खुदरा श्रेणी में होती है जो ज्यादातर नकद और वहन के आधार पर होती है। ग्रुप एक वर्ष से कम समय के लिए संस्थागत व्यवसायों (आईबी), ल्यूब, एविएशन को क्रेडिट पर आपूर्ति भी निष्पादित करता है।

उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए, ग्राहक आमतौर पर ग्रुप के पास अग्रिम राशि जमा करते हैं, जिनके लिए ग्राहकों द्वारा उत्पादों की खरीद के आदेश दिए जाते हैं। इन आदेशों के आधार पर, ग्रुप द्वारा आपूर्ति को बनाए रखा जाता है और राजस्व निर्धारित किया जाती है अब ग्राहकों से लिए अग्रिम को समायोजित करते हुए ग्राहक को सामान वितरित कर दिया जाता है। सुपुर्दगी बिक्री से संबंधित निष्पादन दायित्व के मामलों में, चिह्नित और वास्तविक वस्तुओं की सुपुर्दगी के आधार पर समय पर राजस्व निर्धारित किया गया और इसमें कोई उल्लेखनीय निर्णय शामिल नहीं है।

ग्रुप उत्पादों के उत्थान के लिए अनुबंध से अनुबंध के आधार पर अपने ग्राहकों को वॉल्यूम/स्लैब आधारित छूट भी प्रदान करता है और इसे अनुबंध की शर्तों के अनुसार राजस्व में समायोजित किया जाता है। ग्रुप अपने खुदरा और थोक ग्राहकों के लिए निष्ठा कार्यक्रम और प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाता है। ग्रुप के आउटलेट पर लेन-देन करने पर ग्राहकों द्वारा लॉयल्टी पॉइंट उत्पन्न और संचित किए जाते हैं जिन्हें बाद में ग्रुप के आउटलेट से ईंधन की खरीद के लिए भुनाया जा सकता है। इन निष्ठा बिंदुओं और प्रोत्साहन योजनाओं के शुद्ध पर राजस्व निर्धारित किया जाता है।

इसके अलावा, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, ग्रुप जमा आधार पर निर्माण अनुबंध भी करता है। लागत के आधार पर इनपुट पर इन अनुबंधों के लिए राजस्व की पहचान की जाती है। इसी तरह अनुपात आधार पर रिटेल आउटलेट्स (आरओ) से प्राप्त गैर-वापसी योग्य जमाराशियों को समय के साथ राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी–44: ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व (जारी..)

भारतीय लेखा मानक की आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व और राजस्व के अन्य स्रोतों में कुल राजस्व का विभाजन नीचे दिया गया है;

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
कुल राजस्व (क+घ)	8,59,362.73	8,81,235.45
ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व (क)	8,57,498.76	8,79,365.25
पिछले वर्ष के अनुबंध देयता शेष से मान्यता प्राप्त (ख)	2,452.38	3,052.58
चालू वर्ष में शुरू किए गए अनुबंधों से मान्यता प्राप्त (ग)	8,55,046.38	8,76,312.67
अन्य अनुबंधों/अन्य से प्राप्त राजस्व (घ)	1,863.97	1,870.20

प्राप्य राशियों पर क्षति हानि के कारण ₹ 158.34 करोड़ (2024: ₹ 15.31 करोड़) की राशि को लाभ-हानि विवरण के मुखपृष्ठ पर वित्तीय आस्तियों पर क्षति हानि शीर्षक के अंतर्गत मान्यता दी गई है।

समूह भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार नोट 39 - खंडीय सूचना के अंतर्गत रिपोर्ट योग्य खंड पर जानकारी प्रकट करता है। ₹ 684.29 करोड़ (2024: ₹ 655.20 करोड़) की राशि को ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व के अंतर्गत समय के साथ मान्यता दी गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्ति	अनुबंध दायित्व
अथशेष	13,831.45	-	5,299.51
अंत शेष	18,550.96	-	5,495.22

ग्रुप ने डिलीवरी की बिक्री के मामले में इंड ए.एस. 115 के अनुसार समीचीन व्यवहार अपनाया है, ग्राहकों से अग्रिम जहां प्रदर्शन दायित्व अनुबंध का हिस्सा है और मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है और निर्माण अनुबंध/जमा कार्यों के मामले में जहां ग्रुप को ग्राहक से विचार करने का अधिकार है जो ग्राहक के लिए पूर्ण की गई संस्थान के कार्य-निष्पादन के मूल्य के साथ सीधे मेल खाता है।

टिप्पणी – 45: सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरणों की प्रमुख बातों का विवरण (फार्म एओसी – I)

भाग "क"– सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सहायक कंपनी का नाम	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	इंडियनऑयल (मॉरीशस) लिमिटेड	लंका आईओसी पीएलसी	आईओसी मध्य पूर्व एफजेडई	आईओसी स्वीडन एबी	आईओसीएल (यूएसए) इंक.	इंडऑयल ग्लोबल बी.वी.	आयोसीएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड	मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड	टेरा क्लीन लिमिटेड
सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तिथि	29.03.2001	24.10.2001	29.08.2002	19.04.2006	26.02.2010	01.10.2012	25.02.2014	13.05.2016	17.05.2023	03.06.2024	31.05.2024
रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रुपया	मॉरीशियाई रुपया	श्रीलंकाई रुपया	संयुक्त अरब अमीरात दिरहम	यूरो	अमेरिकी डॉलर	कनाडाई डॉलर	अमेरिकी डॉलर	अमेरिकी डॉलर	भारतीय रुपया	भारतीय रुपया
विनिमय दर (भारतीय रुपया):											
31 मार्च, 2025 को समापन दर	-	1.8747	0.2887	23.2650	91.9974	85.4800	59.6496	85.4800	85.4800	-	-
औसत दर 2024-25	-	1.8290	0.2841	23.0223	90.8392	84.5911	60.7977	84.5911	84.5911	-	-
शेयर पूँजी	148.91	75.67	250.54	5.71	183.47	336.32	6,185.26	9,005.34	660.25	0.10	50.00
अन्य इकिटी	8,057.75	381.42	2,117.32	33.72	(108.42)	95.83	(2,348.71)	594.22	(29.15)	(49.74)	(4.41)
देनदारियाँ	8,858.34	322.39	1,041.84	6.76	14.57	14.45	5,155.55	1,659.56	1,892.20	174.29	2.86
कुल देनदारियाँ	17,065.00	779.48	3,409.70	46.19	89.62	446.60	8,992.10	11,259.12	2,523.30	124.65	48.45
कुल संपत्तियाँ	17,065.00	779.48	3,409.70	46.19	89.62	446.60	8,992.10	11,259.12	2,523.30	124.65	48.45
निवेश	280.10	17.42	1,030.65	-	87.49	-	428.29	6,816.12	626.49	-	-
कारोबार	70,962.94	2,741.96	7,849.32	19.05	-	204.48	860.27	2,280.55	-	-	-
कर पूर्व लाभ	248.66	63.10	430.82	(1.86)	(0.52)	199.16	(147.38)	522.82	(42.40)	(13.66)	(4.41)
कर प्रावधान	34.57	3.15	77.14	-	-	(36.11)	(1.49)	233.96	0.40	(82.30)	-
कर पश्चात लाभ	214.09	59.95	353.68	(1.86)	(0.52)	235.27	(145.89)	288.86	(42.80)	68.64	(4.41)
प्रस्तावित लाभांश	74.46	9.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरधारिता का प्रतिशत	51.89%	100.00%	75.12%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

संक्षिप्त रूप:

INR	भारतीय रुपया	LKR	श्रीलंकाई रुपया
MUR	मॉरीशियाई रुपया	AED	संयुक्त अरब अमीरात दिरहम
		USD	अमेरिकी डॉलर
		CAD	कनाडाई डॉलर

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 45: सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरणों की प्रमुख बातों का विवरण (फार्म एओसी – I) (जारी..)

भाग "ख"– संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स

(₹ करोड़ में)

1	सहयोगियों / संयुक्त उद्यमों का नाम	इंडियनऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड	लुब्रिजोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड	ग्रीन गैस लिमिटेड	इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड
2	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की तिथि	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025
3	वह तिथि जिस दिन सहयोगी या संयुक्त उद्यम संबद्ध या अधिग्रहित हुआ था	28.08.1996	01.04.2000	03.12.1998	07.10.2005	21.08.2006
4	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यम के शेयर					
	i. संख्या	500972175	499200	134000000	25292250	25950000
	ii. सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	739.96	61.71	134.00	51.15	73.28
	iii. धारण क्षमता का विस्तार %	50.00%	26.00%	50.00%	49.99%	50.00%
5	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण
6	सहयोगी/संयुक्त उद्यम का समेकन न होने का कारण	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित
7	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	974.81	245.39	905.98	289.60	129.74
8	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद)	198.03	141.68	328.44	8.07	70.45
	i. समेकन में विचार किया गया	99.01	36.84	164.22	4.03	35.22
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	99.02	104.84	164.22	4.04	35.23

(₹ करोड़ में)

1	सहयोगियों / संयुक्त उद्यमों का नाम	इंडियनऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड	इंडियन ऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड #	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड
2	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की तिथि	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025
3	वह तिथि जिस दिन सहयोगी या संयुक्त उद्यम संबद्ध या अधिग्रहित हुआ था	04.10.2013	09.10.2014	22.01.2015	29.05.2015	15.06.2016
4	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर					
	i. संख्या	718365000	52918750	670125000	4500	2642985000
	ii. सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	718.37	52.92	670.13	–	2642.99
	iii. धारण क्षमता का विस्तार %	50.00%	25.00%	50.00%	45.00%	29.67%
5	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण
6	सहयोगी/संयुक्त उद्यम का समेकन न होने का कारण	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित
7	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	764.77	126.52	646.33	(504.21)	3274.48
8	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद)	40.61	75.96	(5.13)	190.65	1382.07
	i. समेकन में विचार किया गया	20.31	18.99	(2.57)	85.79	410.06
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	20.30	56.97	(2.56)	104.86	972.01

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

1	सहयोगियों / संयुक्त उद्यमों का नाम	सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड	एनपीसीआईएल – इंडियनऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	इंडियनऑयल टोटल प्राइवेट लिमिटेड
2	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की तिथि	31.12.2021	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2025	31.03.2025
3	वह तिथि जिस दिन सहयोगी या संयुक्त उद्यम संबद्ध या अधिग्रहित हुआ था	09.05.2006	28.03.2010	06.07.2010	06.04.2011	29.03.2013	29.03.2013	10.08.2018	07.10.2020
4	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यम के शेयर								
	i. संख्या	2500000	60680000	222861375	260000	157820000	579605012	230560000	30000000
	ii. सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	0.05	60.68	222.86	0.26	157.82	579.61	241.76	30.00
	iii. धारण क्षमता का विस्तार %	25.00%	37.00%	50.00%	26.00%	26.00%	26.00%	20.00%	50.00%
5	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण
6	सहयोगी/संयुक्त उद्यम का समेकन न होने का कारण	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित
7	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	(225.59)	81.48	631.04	0.43	82.04	441.10	233.57	48.89
8	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद)	–	(19.60)	375.80	0.08	(8.05)	(265.32)	(16.93)	28.25
	i. समेकन में विचार किया गया	–	(7.25)	187.90	0.02	(2.09)	(68.98)	(3.39)	14.12
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	–	(12.35)	187.90	0.06	(5.96)	(196.34)	(13.54)	14.13

(₹ करोड़ में)

1	सहयोगियों / संयुक्त उद्यमों का नाम	रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	आईएचबी लिमिटेड	आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	पारादीप प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	जीएच4इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की तिथि	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2023	31.03.2025	लागू नहीं	31.03.2025	31.03.2025
3	वह तिथि जिस दिन सहयोगी या संयुक्त उद्यम संबद्ध या अधिग्रहित हुआ था	22.09.2017	09.07.2019	19.02.2021	09.03.2021	06.01.2023	02.06.2023	25.08.2023	21.06.2024
4	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर								
	i. संख्या	100000000	1529000000	14937500	32720000	12500	48050000	1000000	54150000
	ii. सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	100.00	1529.00	14.94	32.72	0.01	48.05	1.00	54.15
	iii. धारण क्षमता का विस्तार %	50.00%	50.00%	50.00%	49.00%	25.00%	50.00%	33.33%	50.00%
5	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण
6	सहयोगी/संयुक्त उद्यम का समेकन न होने का कारण	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित
7	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	50.67	1505.02	8.11	57.27	0.01	46.67	–	53.22
8	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद)	(5.63)	(32.70)	(8.44)	(1.46)	(0.01)	(2.75)	–	(1.86)
	i. समेकन में विचार किया गया	(2.81)	(16.35)	(4.22)	(0.72)	–	(1.37)	–	(0.93)
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	(2.82)	(16.35)	(4.22)	(0.74)	(0.01)	(1.38)	–	(0.93)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 45: सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरणों की प्रमुख बातों का विवरण (फार्म एओसी – I) (जारी..)

(₹ करोड़ में)

1	सहयोगियों / संयुक्त उद्यमों का नाम	इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	एवी-ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	पेट्रोनेट वीके लिमिटेड	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड
2	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की तिथि	लागू नहीं	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2024	
3	वह तिथि जिस दिन सहयोगी या संयुक्त उद्यम संबद्ध या अधिग्रहित हुआ था	15.07.2024	04.11.1993	21.05.1998	02.04.1998	26.05.1997
4	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यम के शेयर					
	i. संख्या	185010000	4500000	50000000	187500000	18000000
	ii. सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	185.01	4.50	26.02	98.75	0.18
	iii. धारण क्षमता का विस्तार %	50.00%	25.00%	50.00%	12.50%	18.00%
5	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण	संयुक्त नियंत्रण
6	सहयोगी/संयुक्त उद्यम का समेकन न होने का कारण	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित	समेकित
7	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	139.71	31.52	–	2490.36	0.47
8	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद)	(90.61)	31.05	–	4021.71	–
	i. समेकन में विचार किया गया	(45.30)	7.76	–	502.71	–
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	(45.31)	23.29	–	3519.00	–

इंडियन ऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश का मूल्य ₹ 45000 है।

निम्नलिखित सहयोगी या संयुक्त उद्यमों ने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है:

i) एनपीसीआईएल – इंडियनऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ii) रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

iii) इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड

iv) आईएचबी लिमिटेड

v) आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

vi) पारादीप प्लास्टिक पार्क लिमिटेड

vii) कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

viii) इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

ix) जीएच4 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

x) आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड

निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में इक्विटी समेकन नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन ने इन कंपनियों से बाहर निकलने का निर्णय लिया है और निवेश के मूल्य में पूर्ण कमी का प्रावधान किया है:

i) पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड

ii) इंडियनऑयल रुचि बायोफ्यूल्स एलएलपी

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 46: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- III के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त सूचना

संस्थान का नाम	निवल परिसंपत्तियां		कर के बाद लाभ (हानि) में हिस्सा		अन्य समग्र आय में हिस्सा		कुल समग्र आय में हिस्सा	
	कुल का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल का %	राशि (₹ करोड़ में)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	95.81%	1,78,676.86	95.32%	12,961.57	157.72%	(1,359.41)	91.10%	11,602.16
सहायक कंपनियाँ:								
भारतीय								
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.40%	8,206.66	1.57%	214.09	1.08%	(9.35)	1.61%	204.74
मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड	(0.03%)	(49.64)	0.50%	68.64	0.00%	–	0.54%	68.64
टेरा क्लीन लिमिटेड	0.02%	45.59	(0.03%)	(4.41)	0.00%	–	(0.03%)	(4.41)
विदेशी								
इंडियनऑयल (मॉरीशस) लिमिटेड	0.25%	457.09	0.44%	59.95	(1.32%)	11.37	0.56%	71.32
लंका आईओसी पीएलसी	1.27%	2,367.86	2.60%	353.68	(7.67%)	66.14	3.30%	419.82
आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई	0.02%	39.43	(0.01%)	(1.86)	(0.11%)	0.96	(0.01%)	(0.90)
आईओसी स्वीडन एबी	0.04%	75.05	0.00%	(0.52)	16.82%	(144.98)	(1.14%)	(145.50)
आईओसीएल (यूएसए) इंक.	0.23%	432.15	1.73%	235.27	(0.79%)	6.81	1.90%	242.08
इंडऑयल ग्लोबल बीवी.	2.06%	3,836.55	(1.07%)	(145.89)	1.85%	(15.98)	(1.27%)	(161.87)
आईओसीएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	5.15%	9,599.56	2.12%	288.86	(76.25%)	657.19	7.43%	946.05
आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड	0.34%	631.10	(0.31%)	(42.80)	(1.91%)	16.49	(0.21%)	(26.31)
घटाएँ: सभी सहायक कंपनियों में अल्पसंख्यक हित	2.43%	4,537.35	1.40%	190.99	(1.39%)	11.96	1.59%	202.95
संयुक्त उद्यम:								
भारतीय								
इंडियनऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड	0.52%	974.81	0.73%	99.01	8.68%	(74.83)	0.19%	24.18
लुब्रीज़ोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.13%	245.39	0.27%	36.84	0.03%	(0.24)	0.29%	36.60
इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड	0.49%	905.98	1.21%	164.22	0.00%	(0.04)	1.29%	164.18
ग्रीन गैस लिमिटेड	0.16%	289.60	0.03%	4.03	0.00%	0.01	0.03%	4.04
इंडियनऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड	0.07%	129.74	0.26%	35.22	0.03%	(0.22)	0.27%	35.00
दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	0.04%	81.48	(0.05%)	(7.25)	0.00%	–	(0.06%)	(7.25)
इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड	0.34%	631.04	1.38%	187.90	0.00%	0.03	1.48%	187.93
इंडियनऑयल रुचि बायोफ्यूल्स एलएलपी	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–
एनपीसीआईएल – इंडियनऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00%	0.43	0.00%	0.02	0.00%	–	0.00%	0.02
जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड	0.04%	82.04	(0.02%)	(2.09)	0.00%	(0.04)	(0.02%)	(2.13)
जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	0.24%	441.10	(0.51%)	(68.98)	0.02%	(0.13)	(0.54%)	(69.11)
इंडियनऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	0.41%	764.77	0.15%	20.31	0.00%	0.02	0.16%	20.33
मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	0.07%	126.52	0.14%	18.99	0.00%	–	0.15%	18.99
कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड	0.35%	646.33	(0.02%)	(2.57)	0.00%	–	(0.02%)	(2.57)
इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड	(0.27%)	(504.21)	0.63%	85.79	0.01%	(0.05)	0.67%	85.74
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	1.83%	3,418.07	3.02%	410.06	0.22%	(1.93)	3.20%	408.13
रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	0.03%	50.67	(0.02%)	(2.81)	0.00%	–	(0.02%)	(2.81)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 46: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची– III के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त सूचना (जारी..)

संस्थान का नाम	निवल परिसंपत्तियां		कर के बाद लाभ (हानि) में हिस्सा		अन्य समग्र आय में हिस्सा		कुल समग्र आय में हिस्सा	
	कुल का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल का %	राशि (₹ करोड़ में)
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	0.13%	233.57	(0.02%)	(3.39)	0.00%	–	(0.03%)	(3.39)
आईएचबी लिमिटेड	0.81%	1,505.02	(0.12%)	(16.35)	0.00%	–	(0.13%)	(16.35)
इंडियनऑयल टोटल प्राइवेट लिमिटेड	0.03%	48.89	0.10%	14.12	0.00%	(0.01)	0.11%	14.11
आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	0.00%	8.11	(0.03%)	(4.22)	0.00%	–	(0.03%)	(4.22)
पारादीप प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	0.03%	57.27	(0.01%)	(0.72)	0.00%	–	(0.01%)	(0.72)
कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	0.00%	0.01	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–
इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	0.03%	46.67	(0.01%)	(1.37)	0.00%	–	(0.01%)	(1.37)
जीएच4इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–
आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड	0.03%	53.22	(0.01%)	(0.93)	0.00%	–	(0.01%)	(0.93)
इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	0.07%	139.71	(0.33%)	(45.30)	0.00%	–	(0.36%)	(45.30)
विदेशी								
सुंटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	(0.12%)	(225.59)	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–
सहयोगी:								
इंडियन								
एवी-ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.02%	31.52	0.06%	7.76	0.01%	(0.10)	0.06%	7.66
पेट्रोनेट वीके लिमिटेड	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	1.34%	2,490.36	3.70%	502.71	0.13%	(1.11)	3.94%	501.60
पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड	0.00%	0.47	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–
अंतर-समूह परिसमापन	**(13.92%)**	**(25,966.54)**	**(11.98%)**	**(1,628.76)**	**0.06%**	**(0.55)**	**(12.79%)**	**(1,629.31)**
कुल	**100.00%**	**1,86,487.36**	**100.00%**	**13,597.84**	**100.00%**	**(861.92)**	**100.00%**	**12,735.92**

टिप्पणियाँ

1. नोट 34 में उल्लिखित संयुक्त परिचालनों के संबंध में आंकड़े इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए हैं और सहायक कंपनियों के अन्य संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के संबंध में, उन्हें संबंधित सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।
2. निम्नलिखित कंपनियों को समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन ने इन संस्थाओं से बाहर निकलने का निर्णय लिया है और निवेश के मूल्य में पूर्ण कमी का प्रावधान किया है:

   क) पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड

   ख) इंडियन ऑयल रुचि बायोफ्यूल्स एलएलपी
3. पेट्रोनेट वीके लिमिटेड में समूह का लाभ हिस्सा ₹ 2.86 करोड़ (2024: ₹ 6.27 करोड़ का घाटा) है, जिसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि कंपनी को 31.03.2025 तक संचित घाटा हुआ है। 31 मार्च 2025 तक समूह का बेहिसाब संचित घाटा ₹ 68.32 करोड़ (2024: ₹ 71.18 करोड़) है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 47: अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामकीय जानकारी

ऐसी कंपनियों के साथ संबंध, जिनका नाम कंपनी रजिस्टर से हटा (स्ट्रक-ऑफ) दिया गया है

(₹ करोड़ में)

हटाई गई कंपनी का नाम	हटाई गई कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
3आई कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	11,300	11,300
आदित्य इंकजेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	1,892	1,892
एडवांटेक सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
एके फेलिक्स पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
एलायंस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
एमस्टार इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	1,690	1,690
अनुराग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
एओए एनर्जी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	देय	52,900	52,900
एप्सेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	13,99,373	8,26,281
आर्का सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
आर्गस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
बनलता होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
भारती इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	52	52
बॉम्बे स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड	देय	11,966	11,966
केप वैलोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	31,81,569	31,81,569
चौहान ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	देय	1,81,296	1,81,296
सीआईजी सॉफ्टटेक इंडिया लिमिटेड	देय	(40,500)	(40,500)
सिटी कंप्यूटर क्लिंक प्राइवेट लिमिटेड	देय	1,04,405	–
देवा एंटरप्राइजेज लिमिटेड	देय	–	5,673
ड्यूपॉइंट शिपिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
डायप्रिक्स वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	21,564	22,118
डीएलएस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
एलीट ऑक्टेन मोटरिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय	(1,20,510)	(30,510)
एन्सिवल मोरेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	2,000	2,000
फर्स्ट ऑफिस सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	14,100	14,100
ग्रैंड मार्शल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	12,537	12,537
गुप्ता एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
होटल डायनेस्टी प्राइवेट लिमिटेड	देय	7,680	7,680
इंफॉर्मेटिक्स ई-टेक (इंडिया) लिमिटेड	देय	15,139	15,139
जय के मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
कामरूपिन्ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	(6,57,101)	(6,57,101)
कांति एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	(3,402)	(3,402)
काश्वी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
केडीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
कृष्णा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	99,015	1,30,620
कृति अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
लीनियर पॉइंट सर्वेज़ प्राइवेट लिमिटेड	देय	(1,440)	(1,440)
एम.पी. मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
मैक्सटेल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	31,903	6,055
माइक्रोसिस टेक्नोवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	(6,078)
मूर्ति इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	2,541	2,541
नीलम प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
पैसिफिक लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
पडवी इंजीनियर्स एंड प्रेशर वेसल्स लिमिटेड	देय	–	34,545
पांवटा टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	5,520	5,520

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 47: अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामकीय जानकारी (जारी..)

(₹ करोड़ में)

हटाई गई कंपनी का नाम	हटाई गई कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
परिहत वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
प्रभात एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
राज कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
राज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	38,564
आरबीसी बियरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
आरजीएम साइन्स एंड डिस्प्लेज़ प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
रिस्कनॉलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	6,900	6,900
रुद्रांश एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	24,411	9,477
एसआर लैब इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	4,931	4,931
एस.एस. कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	6,76,364	2,08,349
एस.एस. ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
साई एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	(8,924)	(5,000)
संधू ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	7,85,377
शा हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	28,940	–
श्री साई आईपी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड	देय	1,63,720	1,63,720
श्री सालासर रेंट ए कार प्राइवेट लिमिटेड	देय	35,871	35,871
शुभगायत्री वेंचर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	देय	6,22,655	6,22,655
सिरियस ट्रांसटेक प्राइवेट लिमिटेड	देय	28,570	28,570
एसकेपीईआई इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	2,35,898	2,35,898
सोशल बज़ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
स्पेसस्केप डिज़ाइन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	1,08,550	1,08,550
स्पेक्टैक्युलर एडवरटाइजिंग एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	10,931	10,931
टेक्ट्रिक्स कंट्रोल्स चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड	देय	26,213	7,314
द रॉयल पार्क होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	18,017	18,017
त्रिशूल एंड ओम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	देय	40,200	60,000
वैलेस रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	9,58,949
वर्मा एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	–	–
विधू इंडस्ट्रियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	देय	2,107	2,107
वारी एमएम पेट्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड	देय	2,21,798	2,21,798
अपराजिता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	(1,395)	(1,395)
आर्क ट्रायड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	23,854	23,854
बारानगर जूट फैक्ट्री कंपनी लिमिटेड	प्राप्तियां	(3,54,087)	(2,48,051)
बीरेंद्र नाग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	(900)	(900)
धर्मवीर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	(6,332)	(6,332)
गणपति सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	–	(1,22,348)
गुडविल कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	(949)	(949)
हरे कृष्णा पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	(9,001)	(1,71,295)
इधा ई टेल आर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	–	65
खज़िना डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	(3,00,000)	(3,00,000)
माहेश्वरी पॉली प्रोडक्ट्स एलएलपी	प्राप्तियां	–	(900)
पालीमार फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	20,674	20,674
रुद्र पार्वती इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	(2,523)	(2,523)
सलाई एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	(4,47,642)	(4,36,511)
शुभम एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	–	–
द नेशनल शुगर मिल्स लिमिटेड	प्राप्तियां	46,758	38,641

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 47: अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामकीय जानकारी (जारी..)

मूल कंपनी में इक्विटी शेयर धारत करने वाले हटा दिए गए निवेशकों का विवरण:

हटाई गई कंपनी का नाम	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	धारित शेयरों की सं.	चुकता शेयर पंजी (₹ में)	धारित शेयरों की सं.	चुकता शेयर पंजी (₹ में)
आकिल लीज़िंग लि.	120	1,200	120	1,200
हरेश एक्सट्रुज़न कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	1188	11,880	1188	11,880
हरमोइन फिनांशियल साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	–	–	600	6,000
जेएसके फिनवेस्ट प्रा.लि.	–	–	648	6,480
कोठारी इंटरग्रूप लि.	42	420	42	420
मार्केट प्रोब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	30	300	30	300
रघुकुल शेयर्स इंडिया प्रा.लि.	3	30	3	30

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) में इक्विटी शेयर रखने वाले हटाए गए निवेशकों का विवरण:

हटाई गई कंपनी का नाम	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	धारित शेयरों की सं.	चुकता शेयर पंजी (₹ में)	धारित शेयरों की सं.	चुकता शेयर पंजी (₹ में)
इनग्राम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	2000	20,000	2000	20,000
यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड	–	–	1278	12,780
सिस्टम्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	–	–	100	1,000
एस्थेटिक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	2700	27,000	–	–
सलासर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	200	2,000	–	–

नोट: कंपनी का ऊपर उल्लिखित हटाई गई कंपनियों के साथ कोई संबंध नहीं है।

टिप्पणी– 48: अन्य प्रकटन

1 बीपीएल परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)' को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को डएउउ-2011 (ग्रामीण) डेटाबेस के अनुसार मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जारी करती हैं। यह योजना 1 मई, 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कार्ड धारक के लिए कनेक्शन शुल्क (वापसी योग्य जमा) की प्रारंभिक लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना को अन्य लाभार्थियों तक भी विस्तारित किया है। इस योजना के अनुसार, तेल विपणन कंपनियाँ पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को बर्नर और पहली रिफिल की लागत के लिए ईएमआई/ ऋण का विकल्प प्रदान करेंगी। ऋण राशि, प्रत्येक रिफिल की बिक्री पर सरकार द्वारा ग्राहकों को देय सब्सिडी राशि से वसूल की जाएगी। वर्ष के दौरान, ऋण की छूट, वर्ष में औसत रिफिल की धारणा और सब्सिडी बकेट की संबंधित श्रेणी के अंतर्गत प्रति सिलेंडर औसत सब्सिडी दर के आधार पर की गई है।

31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार से पीएमयूवाई नकद सहायता दावे के लिए बकाया राशि ₹ 62.74 करोड़ (2024: ₹ 279.69 करोड़) है और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को ऋण ₹ 2,180.76 करोड़ (2024: ₹ 2,367.12 करोड़) (सब्सिडी के माध्यम से वसूली के बाद) है। उपरोक्त ऋण के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 तक ₹ 1,226.99 करोड़ (₹ 1,159.40 करोड़) की राशि के संदिग्ध ऋणों का प्रावधान उन लाभार्थियों के लिए किया गया है जिन्होंने अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल और 6 महीने से कम की श्रेणी के ऋणों पर 6 महीने से अधिक समय तक संदिग्ध प्रावधान के अनुभव अनुपात के आधार पर अनुभव कारक लागू करने के आधार पर 6 महीने से अधिक समय तक कोई रिफिल नहीं लिया है। (नोट 40 के अंतर्गत ऋण जोखिम भी देखें)

समूह ने संशोधित अनुमानित भावी संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख पर पीएमयूवाई ऋण की सकल वहन राशि को पुनः मापा है, जिसके परिणामस्वरूप पीएमयूवाई ऋणों में ₹ 107.24 करोड़ (2024: ₹ 336.61 करोड़ की वृद्धि) की वृद्धि हुई है, जिसे "अन्य आय" शीर्षक के तहत नोट-24 में लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया गया है।

2 चालू वित्त वर्ष के दौरान, समूह ने गुजरात वैट अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैट इनपुट टैक्स क्रेडिट के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और गुजरात वैट ट्रिब्यूनल के अनुकूल आदेशों के परिणामस्वरूप, पिछले वर्षों में किए गए ₹ 1,838.02 करोड़ (जिसमें ₹ 1,203.72 करोड़ की वैट आईटीसी राशि और ₹ 634.30 करोड़ की ब्याज राशि शामिल है) के प्रावधान को उलट दिया है। तदनुसार, पूर्व-जमा को "जमा" (नोट-18) से "वसूली योग्य दावे" (नोट-8) में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। प्रावधान के उलटाव को इसकी प्रकृति और आकार को देखते हुए "असाधारण मद" माना गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी- 48: अन्य प्रकटन (जारी..)

3 प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पीसीडीए) और भारतीय वायु सेना ने जनवरी 2022 से मार्च 2023 के बीच की गई आपूर्तियों पर मूल्य अंतर के कारण नियमित आपूर्ति से क्रमशः ₹ 621.25 करोड़ रुपये और ₹ 68.78 करोड़ रुपये की कटौती की है। मूल कंपनी इस दावे का सीधे और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के माध्यम से विरोध कर रही है। इसलिए इसे विवादित व्यापार प्राप्य के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसे अच्छा माना जाता है (नोट-10)। मामला अभी भी विचाराधीन है, और यदि कोई वित्तीय प्रभाव पड़ता है, तो समस्या का समाधान हो जाने पर उसका समाधान किया जाएगा।

4 कुछ छोटे तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल की खरीद को संबंधित पक्षों के साथ समझौतों के अंतिम रूप दिए जाने तक अस्थायी रूप से हिसाब में लिया गया है। प्रबंधन का अनुमान है कि इन समझौतों के अंतिम रूप दिए जाने पर कोई महत्वपूर्ण समायोजन नहीं होगा।

5 मूल कंपनी और भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें समूह द्वारा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहित मूल कंपनी के लिए विभिन्न प्रदर्शन मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मूल कंपनी, सहायक कंपनी द्वारा प्रमुख पूंजीगत परियोजनाओं और अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण पर पूंजीगत व्यय की राशि और उसके संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों द्वारा समान पूंजीगत व्यय में आनुपातिक हिस्सेदारी नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

कंपनी/सहायक कंपनी का नाम	कुल पूंजीगत व्यय	आईओसीएल शेयर (%)	आईओसीएल शेयर
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	39,259.78		39,259.78
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	680.82	51.89%	353.28
इंडियन ऑयल (मॉरीशस) लिमिटेड	16.47	100.00%	16.47
लंका आईओसी पीएलसी	39.85	75.12%	29.94
आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई	0.02	100.00%	0.02
आईओसीएल (यूएसए) इंक	39.24	100.00%	39.24
इंड ऑयल ग्लोबल बीवी	1,143.89	100.00%	1,143.89
आईओसी सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड	580.88	100.00%	580.88
आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड	-	100.00%	-
मर्केंटर पेट्रोलियम लिमिटेड	1.40	100.00%	1.40
टेरा क्लीन लिमिटेड	1.62	100.00%	1.62
नोट 33बी में सूचीबद्ध संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों द्वारा आनुपातिक पूंजीगत व्यय	2,930.85		2,930.85
आईओसीएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा कुल पूंजीगत व्यय और संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों का आनुपातिक हिस्सा	**44,694.82**		**44,357.37**

6 मूल कंपनी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य व्यक्तिगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों से बनी सेवानिवृत्त अधिकारी कल्याण समिति ने वर्ष 2017 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी कि जिस तरह से वर्ष 1987 में स्थापित, परिभाषित लाभ के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ निधि के माध्यम से स्व-अंशदायी पेंशन योजना को मूल कंपनी द्वारा वर्ष 2011 में पूर्वव्यापी रूप से, 01.01.2007 से समाप्त कर दिया गया, वह मनमाना है। अप्रैल 2025 में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं की मासिक पेंशन एक परिभाषित लाभ योजना के तहत पुनर्निर्धारित की जाए और बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जाए। विभिन्न संभावित परिदृश्यों को देखते हुए न्यायालय के आदेश का प्रभाव निश्चित नहीं है।

बाहरी कानूनी राय के आधार पर, प्रथम दृष्टया मूल कंपनी, ट्रस्ट नामक एक अलग स्वतंत्र और कानूनी इकाई द्वारा तैयार, प्रबंधित और संचालित स्व-अंशदायी एवं आत्मनिर्भर योजना के लिए उत्तरदायी नहीं है। मूल कंपनी उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। प्रबंधन को विश्वास है कि मूल कंपनी पर कोई दायित्व नहीं आएगा और इसलिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

7 उपरोक्त प्रकटित घटनाओं के अलावा, कोई अन्य महत्वपूर्ण अनुवर्ती घटनाएं नहीं हैं जिनके लिए बैलेंस शीट तिथि पर वित्तीय विवरणों में समायोजन या प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी- 48: अन्य प्रकटन (जारी..)

8 जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप, पुनः समूहीकृत प्रमुख मदें निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	से पुनर्समूहित	पुनः समूहित	राशि
1	समूह द्वारा धारित प्राकृतिक गैस स्टॉक को बिक्री और स्वयं उपभोग के अनुपात के आधार पर कच्चे माल और स्टॉक-इन-ट्रेड में विभाजित किया गया है।	व्यापार में स्टॉक - हाथ में (नोट 9)	कच्चा माल - हाथ में (नोट 9)	175.15
		व्यापार में स्टॉक - पारगमन में (नोट 9)	कच्चा माल - हाथ में (नोट 9)	117.08
		व्यापार में स्टॉक की खरीद (लाभ और हानि विवरण)	खरीद (नोट 25)	292.23
		समापन स्टॉक - व्यापार में स्टॉक (नोट 26)	अंतिम स्टॉक - कच्चा माल (नोट 25)	292.23
		प्रारंभिक स्टॉक - व्यापार में स्टॉक (नोट 26)	प्रारंभिक स्टॉक - कच्चा माल (नोट 25)	233.05
2	ब्याज का संबंधित वित्तीय लागत शीर्षों में पुनर्वर्गीकरण	वित्तीय मदों पर ब्याज भुगतान - बांड/डिबेंचर (नोट 28)	वित्तीय मदों पर ब्याज भुगतान - बैंक उधार (नोट 28)	511.04

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
ए एस साहनी	**अनुज जैन**	**कमल कुमार ग्वालानी**
अध्यक्ष	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
DIN-10652030	DIN-10310088	ACS-13737

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	**कृते के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी**	**कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. नं. 105049W	फर्म रजि. नं. 006591N/ N500377	फर्म रजि. नं. 02014E/ W101061	फर्म रजि. नं. 001420S/ S200034
हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
नवीन जैन	**अम्बर जैस्वाल**	**नरेंद्र खंडाल**	**नागेंद्रनाथ ताड़ीकोंडा**
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
स.सं. 511596	स.सं. 550715	स.सं. 065025	स.सं. 226246

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30 अप्रैल 2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा उनके द्वारा 17 जुलाई 2025 की संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है, जो उनकी 30 अप्रैल 2025 की पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखा परीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है। लेखापरीक्षा के बाद, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ जारी की गईं, जिनमें नकदी प्रवाह विवरण और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कमियों की ओर इशारा किया गया।

टिप्पणियों के आधार पर, कंपनी ने नकदी प्रवाह विवरण के नीचे नोट-1 (ग) और नोट-3 जोड़े। इसके अतिरिक्त, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' के पैरा (iii)(क) को संशोधित करके अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधन भी किया।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रस्तुत किया जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(तनुजा मित्तल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)

दिनांक: 06 अगस्त 2025
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) सहपठित धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 सहपठित धारा 129(4) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा उनके द्वारा 30 अप्रैल 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। हमने "**अनुलग्नक-क**" में उल्लिखित सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया, लेकिन उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए "**अनुलग्नक-ख**" में उल्लिखित सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ए) "**अनुलग्नक-ग**" में उल्लिखित सहायक/संयुक्त उद्यम पर लागू नहीं होती हैं, जो अपने वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु संबंधित कानूनों के अंतर्गत विदेशी देशों में निगमित निजी संस्थाएं/संस्थाएं हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इन कंपनियों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा की। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतः वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है। लेखा-परीक्षा के बाद, टिप्पणियाँ जारी की गईं, जिनमें नकदी प्रवाह विवरण में कमियों की ओर इशारा किया गया।

टिप्पणियों के आधार पर, कंपनी ने नकदी प्रवाह विवरण के नीचे नोट-1(ग) और नोट-3 जोड़े।

मेरे अनुपूरक लेखा-परीक्षण के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रस्तुत किया जा सके।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(तनुजा मित्तल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)

दिनांक: 06 अगस्त 2025
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक-क

कंपनी/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का नाम जिनकी पूरक लेखापरीक्षा की गई है

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार
1. मुंबई एविएशन फ्यूल फ़ार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
2. कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
3. जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
4. आईएचबी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
5. मार्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड	सहायक कंपनी
6. इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

अनुलग्नक-ख

कंपनी/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी कंपनियों का नाम जिनकी अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की गई है:

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार
1. दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
2. एनपीसीआईएल-इंडियनऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
3. रत्नागिरी रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
4. पेट्रोनेट वीके लिमिटेड	सहयोगी
5. आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड	सहायक
6. ग्रीन गैस लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
7. पारादीप प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
8. टेरा क्लीन लिमिटेड	सहायक
9. इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
10. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सहायक
11. हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
12. जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

अनुलग्नक-ग

उन सभी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी कंपनियों की सूची जिन पर कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ए) लागू नहीं होती हैं

(i) संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार
1. एवी-ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी
2. पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	सहयोगी
3. पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड	सहयोगी
4. इंडियनऑयल अदानी वेंचर्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
5. इंडियनऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
6. लुब्रीज़ोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
7. इंडियनऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
8. इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
9. इंडियनऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
10. इंडियनऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
11. इंडियनऑयल एचडब्ल्यूबी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
12. आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
13. कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
14. जीएच4इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
15. आईओसी जीपीएस रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
16. इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

(ii) भारत के बाहर निगमित संस्थाएँ

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार
1. इंडियनऑयल (मॉरीशस) लिमिटेड	सहायक
2. लंका आईओसी पीएलसी	सहायक
3. आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई	सहायक
4. आईओसी स्वीडन एबी	सहायक
5. आईओसीएल (यूएसए) इंक.	सहायक
6. इंडऑयल ग्लोबल बी.वी.	सहायक
7. आईओसीएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड	सहायक
8. सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

IndianOil

इंडियनऑयल की खेल भावना

समावेशी. प्रेरणादायी. अविश्वसनीय.

ओलंपिक मैदानों से लेकर गांवों के खेल मैदानों तक, इंडियनऑयल पूरे देश में खेलों को बढ़ावा दे रहा है।

क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और बॉक्सिंग से लेकर पैरा-स्पोर्ट्स, शतरंज और टेनिस तक, इंडियनऑयल 20 से ज़्यादा खेलों में 300 से अधिक खिलाड़ियों की मदद कर रहा है।

हमारा खेलों को समर्थन पदक जीतने से भी बढ़कर है।

'परिवर्तन' (जेलों में बंद लोगों के लिए खेल सिखाने की पहल) और 'नई दिशा' (किशोर कैदियों के लिए खेल कार्यक्रम) जैसे प्रयासों के ज़रिए, इंडियनऑयल खेलों के माध्यम से ज़िंदगियों को बेहतर बना रहा है और समाज में बदलाव ला रहा है।

www.iocl.com @IndianOilCorpLimited @indianOilcl @indianoilcorp @IndianOilCorporationLimited @indian-oil-corp-limited

IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

[सीआईएन – L23201MH1959GOI011388]

पंजीकृत कार्यालय इंडियनऑयल भवन, जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

टेलीफोन - 022-26447327, ईमेल आईडी - investors@indianoil.in, वेबसाइट - www.iocl.com

सूचना

एतद्वारा **सूचना** दी जाती है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''**इंडियनऑयल**'' /''**कंपनी**'') के सदस्यों की 66वीं वार्षिक आम बैठक ''**एजीएम**'') **शनिवार, 30 अगस्त, 2025 को सुबह 10:00 (आईएसटी)** बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ''**वीसी / ओएवीएम**'') के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी। एजीएम की कार्रवाई कंपनी के पंजीकृत कार्यालय इंडियनऑयल भवन, जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 में हुई मानी जाएगी।

साधारण कार्य

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों तथा उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और स्वीकार करना।

2. वर्ष 2023-2024 के लिए 3 रु. प्रति ईक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना।

3. श्री अनुज जैन (डीआईएन - 10310088) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

4. डॉ आलोक शर्मा (डीआईएन - 10453982) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

विशेष कार्य

5. श्री अरविंदर सिंह साहनी (डीआईएन – 10652030) को पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नियुक्त करना और उन्हें कंपनी का अध्यक्ष पदनामित करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 152 और 161 (1) तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उनके तहत अधिसूचित नियम (किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन:अधिनियमन सहित जो वर्तमान में लागू है), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं), विनियम, 2015 के विनियम 17 (सूचीबद्धता के विनियम) तथा सूचीबद्धता विनियमों के अन्य लागू प्रावधान तथा कंपनी के अंतर्नियों के अनुसार, श्री अरविंदर सिंह साहनी (डीआईएन - 10652030) जिन्हें दिनांक 13.11.2024 को निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया और अध्यक्ष पदनामित किया गया और जो इस एजीएम की तारीख तक पदभार ग्रहण करते हैं और जिनके संबंध में कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया जाए और कंपनी का अध्यक्ष पदनामित किया जाए और एतद्वारा कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया जाता है और कंपनी का अध्यक्ष पदनामित किया जाता है जो रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

6. श्री सुमन कुमार (डीआईएन – 09724749) को कंपनी का निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) नियुक्त करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 152 और 161 (1) तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उनके तहत अधिसूचित नियम (किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन:अधिनियमन सहित जो वर्तमान में लागू है), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताएं), विनियम, 2015 के विनियम 17 (सूचीबद्धता के विनियम) तथा सूचीबद्धता विनियमों के अन्य लागू प्रावधान तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, श्री सुमन कुमार (डीआईएन - 09724749) जिन्हें दिनांक 26.02.2025 को निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया और अध्यक्ष पदनामित किया गया और जो इस एजीएम की तारीख तक पदभार ग्रहण करते हैं और जिनके संबंध में कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) नियुक्त किया जाए और और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।''

7. श्री प्रसेनजीत बिस्वास (डीआईएन – 09398565) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 149, 152 और 161 (1) के प्रावधान जिन्हें अधिनियम की अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उनके तहत अधिसूचित नियम (किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन:अधिनियमन सहित जो वर्तमान में लागू है), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताएं), विनियम, 2015 के विनियम 17 (सूचीबद्धता के विनियम) जिन्हें विनियम 25(2ए) के साथ पढ़ा जाना है तथा सूचीबद्धता विनियमों के अन्य लागू प्रावधान तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, श्री प्रसेनजीत बिस्वास (डीआईएन - 09398565) जिन्हें दिनांक 28.03.2025 को निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त किया गया और जो इस एजीएम की तारीख तक पदभार ग्रहण करते हैं और जिनके संबंध में कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो 1 (एक) वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए या एमओपी एंड एनजी से आगे के आदेश प्राप्त होने तक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

8. श्री कृष्णन सदगोपन (डीआईएन – 09397902) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर पुन: नियुक्त करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 149, 152 और 161 (1) के प्रावधान जिन्हें अधिनियम की अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उनके तहत अधिसूचित नियम (किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन:अधिनियमन सहित जो वर्तमान में लागू है), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताएं), विनियम, 2015 के विनियम 17 (सूचीबद्धता के विनियम) जिन्हें विनियम 25(2ए) के साथ पढ़ा जाना है तथा सूचीबद्धता विनियमों के अन्य लागू प्रावधान तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, श्री कृष्णन सदगोपन (डीआईएन - 09397902) जिन्हें दिनांक 28.03.2025 को निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त किया गया और जो इस एजीएम की तारीख तक पदभार ग्रहण करते हैं और जिनके संबंध में कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो 1 (एक) वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए या एमओपी एंड एनजी से आगे के आदेश प्राप्त होने तक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

9. डॉ दत्तात्रेय राव सिरपुरकर (डीआईएन – 09400251) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर पुन: नियुक्त करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 149, 152 और 161 (1) के प्रावधान जिन्हें अधिनियम की अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उनके तहत अधिसूचित नियम (किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन:अधिनियमन सहित जो वर्तमान में लागू है), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताएं), विनियम, 2015 के विनियम 17 (सूचीबद्धता के विनियम) जिन्हें विनियम 25(2ए) के साथ पढ़ा जाना है तथा सूचीबद्धता विनियमों के अन्य लागू प्रावधान तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, डॉ दत्तात्रेय राव सिरपुरकर (डीआईएन - 09400251) जिन्हें दिनांक 28.03.2025 को निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त किया गया और जो इस एजीएम की तारीख तक पदभार ग्रहण करते हैं और जिनके संबंध में कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो 1 (एक) वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए या एमओपी एंड एनजी से आगे के आदेश प्राप्त होने तक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

10. सुश्री ईशा श्रीवास्तव (डीआईएन – 08504560) को कंपनी के सरकार द्वारा नामित निदेशक के पद पर नियुक्त करना –

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 152 और 161 (1) तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उनके तहत अधिसूचित नियम (किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन:अधिनियमन सहित जो वर्तमान में लागू है), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताएं), विनियम, 2015 के विनियम 17 (सूचीबद्धता के विनियम) तथा सूचीबद्धता विनियमों के अन्य लागू प्रावधान तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, सुश्री ईशा श्रीवास्तव (डीआईएन - 08504560) जिन्हें दिनांक 20.06.2025 को निदेशक मंडल द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया गया और जो इस एजीएम की तारीख तक पदभार ग्रहण करती हैं और जिनके संबंध में कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होंगी।''

11. मे. ढोलकिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव, मुंबई को कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त करना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधान जिन्हें कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एव पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताएं), विनियम, 2015 के विनियम 24ए तथा अन्य लागू कानून, नियमों और विनियमों (किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन:अधिनियमन सहित जो वर्तमान में लागू है) के साथ पढ़ा जाना है तथा लेखापरीक्षा समिति तथा कंपनी के निदेशक मंडल की संस्तुति के आधार पर, मे. ढोलकिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं. पी2014एमएच034700) को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक यानी पांच (5) वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त करने के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाए और एतद्वारा प्राप्त की जाती है।''

''**आगे संकल्प लिया जाता है कि** वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए, मे. ढोलकिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं. पी2014एमएच034700) को रु. 1,00,000 (रु. एक लाख मात्र) तथा लागू कर का भुगतान करने को अनुमोदन प्रदान किया जाए और एतद्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।''

''**आगे संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा करने तथा इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, वांछित या अत्यावश्यक ऐसे सभी कार्य, कृत्य आदि करने के लिए मै. ढोलकिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव, मुंबई को देय शुल्क सहित, उनकी नियुक्ति के निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

12. **वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इंडियनऑयल की सहायक कंपनी, लंका आईओसी पीएलसी के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया गया कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 23(4) के प्रावधानों, अन्य लागू कानूनों और संशोधनों, संशोधनों या पुन: अधिनियमन, यदि कोई हो और कंपनी की 'संबंधित पक्षवारों की महत्ता तथा संबंधित पक्षवारों के लेनदेनों से संव्यवहार' की नीति, जो लागू हो, के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, इंडियनऑयल की सहायक कंपनी, लंका आईओसी पीएलसी के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन (चाहे वैयक्तिक लेनदेन हो या एक साथ किए गए हों या लेनदेन की श्रृंखला हो या अन्यथा हो) जो पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी की समेकित बिक्री के 10% की सीमा के अधीन होगी, के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाए और एतद्वारा प्राप्त की जाती है।''

''**आगे संकल्प लिया गया कि** मंडल को कंपनी के निदेशकों की किसी समिति तथा / या निदेशकों तथा / या अधिकारियों को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उसके द्वारा प्राधिकृत हैं, को अपनी सभी या कोई शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए और ऐसे सभी कार्य और कृत्य करने के लिए जो मंडल अपने विवेक पर आवश्यक समझता है, जिनमें निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप देना, विधियां और माध्यम, आवश्यक दस्तावेज जिनमें संविदाएं, योजनाएं, व्यवस्थाएं तथा ऐसे अन्य आवश्यक कागज़ात, दस्तावेज शामिल हैं, को अंतिम रूप देना और उन्हें निष्पादित करना, संबंधित दस्तावेज दाखिल करना और अभ्यावेदन देना, संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना, कंपनी की ओर से उक्त संकल्प को लागू करना और ऐसे सभी मुद्दे, प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों को दूर करना जो इस आशय के लिए सदस्यों की अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता बिना पैदा हो सकते हैं कि सदस्यों को इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त रूप से उनकी सहमति दी गई मानी जाएगी, शामिल है, पर यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

13. **वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया गया कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 23(4) के प्रावधानों, अन्य लागू कानूनों और संशोधनों, संशोधनों या पुन: अधिनियमन, यदि कोई हो और कंपनी की 'संबंधित पक्षवारों की महत्ता तथा संबंधित पक्षवारों के लेनदेनों से संव्यवहार' की नीति, जो लागू हो, के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन (चाहे वैयक्तिक लेनदेन हो या एक साथ किए गए हों या लेनदेन की श्रृंखला हो या अन्यथा हो) जो पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित बिक्री के 10% की सीमा के अधीन होगी, के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाए और एतद्वारा प्राप्त की जाती है।''

''**आगे संकल्प लिया गया कि** मंडल को कंपनी के निदेशकों की किसी समिति तथा / या निदेशकों तथा / या अधिकारियों को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उसके द्वारा प्राधिकृत हैं, को अपनी सभी या कोई शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए और ऐसे सभी कार्य और कृत्य करने के लिए जो मंडल अपने विवेक पर आवश्यक समझता है, जिनमें निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप देना, विधियां और माध्यम, आवश्यक दस्तावेज जिनमें संविदाएं, योजनाएं, व्यवस्थाएं तथा ऐसे अन्य आवश्यक कागज़ात, दस्तावेज शामिल हैं, को अंतिम रूप देना और उन्हें निष्पादित करना, संबंधित दस्तावेज दाखिल करना और अभ्यावेदन देना, संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना, कंपनी की ओर से उक्त संकल्प को लागू करना और ऐसे सभी मुद्दे, प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों को दूर करना जो इस आशय के लिए सदस्यों की अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता बिना पैदा हो सकते हैं कि सदस्यों को इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त रूप से उनकी सहमति दी गई मानी जाएगी, शामिल है, पर यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

14. **वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प लिया गया कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 23(4) के प्रावधानों, अन्य लागू कानूनों और संशोधनों, संशोधनों या पुन: अधिनियमन, यदि कोई हो और कंपनी की 'संबंधित पक्षवारों की महत्ता तथा संबंधित पक्षवारों के लेनदेनों से संव्यवहार' की नीति, जो लागू हो, के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन (चाहे वैयक्तिक लेनदेन हो या एक साथ किए गए हों या लेनदेन की श्रृंखला हो या अन्यथा हो) जो पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित बिक्री के 10% की सीमा के अधीन होगी, के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाए और एतद्वारा प्राप्त की जाती है।''

''**आगे संकल्प लिया गया कि** मंडल को कंपनी के निदेशकों की किसी समिति तथा/या निदेशकों तथा/या अधिकारियों को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उसके द्वारा प्राधिकृत हैं, को अपनी सभी या कोई शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए और ऐसे सभी कार्य और कृत्य करने के लिए जो मंडल अपने विवेक पर आवश्यक समझता है, जिनमें निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप देना, विधियां और माध्यम, आवश्यक दस्तावेज जिनमें संविदाएं, योजनाएं, व्यवस्थाएं तथा ऐसे अन्य आवश्यक कागज़ात, दस्तावेज शामिल हैं, को अंतिम रूप देना और उन्हें निष्पादित करना, संबंधित दस्तावेज दाखिल करना और अभ्यावेदन देना, संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना, कंपनी की ओर से उक्त संकल्प को लागू करना और ऐसे सभी मुद्दे, प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों को दूर करना जो इस आशय के लिए सदस्यों की अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता बिना पैदा हो सकते हैं कि सदस्यों को इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त रूप से उनकी सहमति दी गई मानी जाएगी, शामिल है, पर यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

15. **वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, आईएचबी लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया गया कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 23(4) के प्रावधानों, अन्य लागू कानूनों और संशोधनों, संशोधनों या पुन: अधिनियमन, यदि कोई हो और कंपनी की 'संबंधित पक्षवारों की महत्ता तथा संबंधित पक्षवारों के लेनदेनों से संव्यवहार' की नीति, जो लागू हो, के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, आईएचबी लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन (चाहे वैयक्तिक लेनदेन हो या एक साथ किए गए हों या लेनदेन की श्रृंखला हो या अन्यथा हो) जो पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित बिक्री के 10% की सीमा के अधीन होगी, के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाए और एतद्वारा प्राप्त की जाती है।''

''**आगे संकल्प लिया गया कि** मंडल को कंपनी के निदेशकों की किसी समिति तथा / या निदेशकों तथा / या अधिकारियों को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उसके द्वारा प्राधिकृत हैं, को अपनी सभी या कोई शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए और ऐसे सभी कार्य और कृत्य करने के लिए जो मंडल अपने विवेक पर आवश्यक समझता है, जिनमें निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप देना, विधियां और माध्यम, आवश्यक दस्तावेज जिनमें संविदाएं, योजनाएं, व्यवस्थाएं तथा ऐसे अन्य आवश्यक कागज़ात, दस्तावेज शामिल हैं, को अंतिम रूप देना और उन्हें निष्पादित करना, संबंधित दस्तावेज दाखिल करना और अभ्यावेदन देना, संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना, कंपनी की ओर से उक्त संकल्प को लागू करना और ऐसे सभी मुद्दे, प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों को दूर करना जो इस आशय के लिए सदस्यों की अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता बिना पैदा हो सकते हैं कि सदस्यों को इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त रूप से उनकी सहमति दी गई मानी जाएगी, शामिल है, पर यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

16. **वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, इंडियनऑयल अडानी गैस प्रा. लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया गया कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 23(4) के प्रावधानों, अन्य लागू कानूनों और संशोधनों, संशोधनों या पुन: अधिनियमन, यदि कोई हो और कंपनी की 'संबंधित पक्षवारों की महत्ता तथा संबंधित पक्षवारों के लेनदेनों से संव्यवहार' की नीति, जो लागू हो, के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, इंडियनऑयल अडानी गैस प्रा. लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन (चाहे वैयक्तिक लेनदेन हो या एक साथ किए गए हों या लेनदेन की श्रृंखला हो या अन्यथा हो) जो पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित बिक्री के 10% की सीमा के अधीन होगी, के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाए और एतद्वारा प्राप्त की जाती है।''

''**आगे संकल्प लिया गया कि** मंडल को कंपनी के निदेशकों की किसी समिति तथा / या निदेशकों तथा / या अधिकारियों को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उसके द्वारा प्राधिकृत हैं, को अपनी सभी या कोई शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए और ऐसे सभी कार्य और कृत्य करने के लिए जो मंडल अपने विवेक पर आवश्यक समझता है, जिनमें निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप देना, विधियां और माध्यम, आवश्यक दस्तावेज जिनमें संविदाएं, योजनाएं, व्यवस्थाएं तथा ऐसे अन्य आवश्यक कागज़ात, दस्तावेज शामिल हैं, को अंतिम रूप देना और उन्हें निष्पादित करना, संबंधित दस्तावेज दाखिल करना और अभ्यावेदन देना, संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना, कंपनी की ओर से उक्त संकल्प को लागू करना और ऐसे सभी मुद्दे, प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों को दूर करना जो इस आशय के लिए सदस्यों की अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता बिना पैदा हो सकते हैं कि सदस्यों को इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त रूप से उनकी सहमति दी गई मानी जाएगी, शामिल है, पर यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

17. **वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, इंडियनऑयल पेट्रोनास प्रा. लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया गया कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 23(4) के प्रावधानों, अन्य लागू कानूनों और संशोधनों, संशोधनों या पुन: अधिनियमन, यदि कोई हो और कंपनी की 'संबंधित पक्षवारों की महत्ता तथा संबंधित पक्षवारों के लेनदेनों से संव्यवहार' की नीति, जो लागू हो, के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, इंडियनऑयल पेट्रोनास प्रा. लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन (चाहे वैयक्तिक लेनदेन हो या एक साथ किए गए हों या लेनदेन की श्रृंखला हो या अन्यथा हो) जो पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित बिक्री के 10% की सीमा के अधीन होगी, के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाए और एतद्वारा प्राप्त की जाती है।''

''**आगे संकल्प लिया गया कि** मंडल को कंपनी के निदेशकों की किसी समिति तथा / या निदेशकों तथा / या अधिकारियों को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उसके द्वारा प्राधिकृत हैं, को अपनी सभी या कोई शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए और ऐसे सभी कार्य और कृत्य करने के लिए जो मंडल अपने विवेक पर आवश्यक समझता है, जिनमें निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप देना, विधियां और माध्यम, आवश्यक दस्तावेज जिनमें संविदाएं, योजनाएं, व्यवस्थाएं तथा ऐसे अन्य आवश्यक कागज़ात, दस्तावेज शामिल हैं, को अंतिम रूप देना और उन्हें निष्पादित करना, संबंधित दस्तावेज दाखिल करना और अभ्यावेदन देना, संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना, कंपनी की ओर से उक्त संकल्प को लागू करना और ऐसे सभी मुद्दे, प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों को दूर करना जो इस आशय के लिए सदस्यों की अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता बिना पैदा हो सकते हैं कि सदस्यों को इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त रूप से उनकी सहमति दी गई मानी जाएगी, शामिल है, पर यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

18. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इंडियनऑयल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पेट्रोनेट एलएनजी लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया गया कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 23(4) के प्रावधानों, अन्य लागू कानूनों और संशोधनों, संशोधनों या पुन: अधिनियमन, यदि कोई हो और कंपनी की 'संबंधित पक्षवारों की महत्ता तथा संबंधित पक्षवारों के लेनदेनों से संव्यवहार' की नीति, जो लागू हो, के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, पेट्रोनेट एलएनजी लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन (चाहे वैयक्तिक लेनदेन हो या एक साथ किए गए हों या लेनदेन की श्रृंखला हो या अन्यथा हो) जो पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित बिक्री के 10% की सीमा के अधीन होगी, के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाए और एतद्वारा प्राप्त की जाती है।''

''**आगे संकल्प लिया गया कि** मंडल को कंपनी के निदेशकों की किसी समिति तथा / या निदेशकों तथा / या अधिकारियों को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उसके द्वारा प्राधिकृत हैं, को अपनी सभी या कोई शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए और ऐसे सभी कार्य और कृत्य करने के लिए जो मंडल अपने विवेक पर आवश्यक समझता है, जिनमें निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप देना, विधियां और माध्यम, आवश्यक दस्तावेज जिनमें संविदाएं, योजनाएं, व्यवस्थाएं तथा ऐसे अन्य आवश्यक कागज़ात, दस्तावेज शामिल हैं, को अंतिम रूप देना और उन्हें निष्पादित करना, संबंधित दस्तावेज दाखिल करना और अभ्यावेदन देना, संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना, कंपनी की ओर से उक्त संकल्प को लागू करना और ऐसे सभी मुद्दे, प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों को दूर करना जो इस आशय के लिए सदस्यों की अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता बिना पैदा हो सकते हैं कि सदस्यों को इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त रूप से उनकी सहमति दी गई मानी जाएगी, शामिल है, पर यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

19. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इंडियनऑयल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, लुब्रिजोल इंडिया प्रा. लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया गया कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 23(4) के प्रावधानों, अन्य लागू कानूनों और संशोधनों, संशोधनों या पुन: अधिनियमन, यदि कोई हो और कंपनी की 'संबंधित पक्षवारों की महत्ता तथा संबंधित पक्षवारों के लेनदेनों से संव्यवहार' की नीति, जो लागू हो, के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, लुब्रिजोल इंडिया प्रा. लि. के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन (चाहे वैयक्तिक लेनदेन हो या एक साथ किए गए हों या लेनदेन की श्रृंखला हो या अन्यथा हो) जो पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित बिक्री के 10% की सीमा के अधीन होगी, के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाए और एतद्वारा प्राप्त की जाती है।''

''**आगे संकल्प लिया गया कि** मंडल को कंपनी के निदेशकों की किसी समिति तथा / या निदेशकों तथा / या अधिकारियों को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उसके द्वारा प्राधिकृत हैं, को अपनी सभी या कोई शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए और ऐसे सभी कार्य और कृत्य करने के लिए जो मंडल अपने विवेक पर आवश्यक समझता है, जिनमें निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप देना, विधियां और माध्यम, आवश्यक दस्तावेज जिनमें संविदाएं, योजनाएं, व्यवस्थाएं तथा ऐसे अन्य आवश्यक कागज़ात, दस्तावेज शामिल हैं, को अंतिम रूप देना और उन्हें निष्पादित करना, संबंधित दस्तावेज दाखिल करना और अभ्यावेदन देना, संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना, कंपनी की ओर से उक्त संकल्प को लागू करना और ऐसे सभी मुद्दे, प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों को दूर करना जो इस आशय के लिए सदस्यों की अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता बिना पैदा हो सकते हैं कि सदस्यों को इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त रूप से उनकी सहमति दी गई मानी जाएगी, शामिल है, पर यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

20. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इंडियनऑयल के संबंधित पक्षकारों के साथ, इंडियनऑयल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएसी लि. (''आईजीसीएमआईएल'') के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया गया कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 23(4) के प्रावधानों, अन्य लागू कानूनों और संशोधनों, संशोधनों या पुन: अधिनियमन, यदि कोई हो और कंपनी की 'संबंधित पक्षवारों की महत्ता तथा संबंधित पक्षवारों के लेनदेनों से संव्यवहार' की नीति, जो लागू हो, के अनुसार, इंडियनऑयल के निम्नलिखित संबंधित पक्षकारों (आरपी) के साथ (जहां इंडियनऑयल पक्षकार नहीं है) जिसके साथ व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित विवरणों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में किए जाने वाले लेनदेन रु. 1,000 करोड़ से अधिक हो सकते हैं, प्रत्येक आरपी के साथ किए जाने वाले लेनदेन पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित बिक्री के 10% की सीमा के अधीन, इंडियनऑयल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएसी लि. (''आईजीसीएमआईएल'') के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन (चाहे वैयक्तिक लेनदेन हो या एक साथ किए गए हों या लेनदेन की श्रृंखला हो या अन्यथा हो) करने के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाए और एतद्वारा प्राप्त की जाती है–

क्र. सं.	संस्था का नाम	इंडियनऑयल के साथ संबंध	आरपीटी की प्रकृति
1	इंडियन ऑयल अडानी गैस प्रा. लि.	इंडियनऑयल की जेवीसी	आईजीसीएमआईएल से ऋण सुविधा प्राप्त करती है
2	इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि.	इंडियनऑयल की जेवीसी	– यथोक्त –
3	इंडियनऑयल अडानी वेंचर्स लि.	इंडियनऑयल की जेवीसी	– यथोक्त –
4	हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड	इंडियनऑयल की जेवीसी	– यथोक्त –
5	फाल्कन ऑयल एंड गैस बी.वी.	इंडऑयल ग्लोबल बी.वी., नीदरलैंड की जेवीसी, इंडियनऑयल का डबल्यूओएस	– यथोक्त –

''**आगे संकल्प लिया गया कि** आईजीसीएमआईएल के मंडल को कंपनी के निदेशकों की किसी समिति तथा / या निदेशकों तथा / या अधिकारियों को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उसके द्वारा प्राधिकृत हैं, को अपनी सभी या कोई शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए और ऐसे सभी कार्य और कृत्य करने के लिए जो मंडल अपने विवेक पर आवश्यक समझता है, जिनमें निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप देना, विधियां और माध्यम, आवश्यक दस्तावेज जिनमें संविदाएं, योजनाएं, व्यवस्थाएं तथा ऐसे अन्य आवश्यक कागज़ात, दस्तावेज शामिल हैं, को अंतिम रूप देना और उन्हें निष्पादित करना, संबंधित दस्तावेज दाखिल करना और अभ्यावेदन देना, संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना, आईजीसीएम आईएल की ओर से उक्त संकल्प को लागू करना और ऐसे सभी मुद्दे, प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों को दूर करना जो इस आशय के लिए सदस्यों की अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता बिना पैदा हो सकते हैं कि सदस्यों को इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त रूप से उनकी सहमति दी गई मानी जाएगी, शामिल है, पर यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

21. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इंडियनऑयल के संबंधित पक्षकारों के साथ, इंडियनऑयल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएसी लि. ('आईजीसीएमआईएल') के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

''**संकल्प लिया गया कि** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 23(4) के प्रावधानों, अन्य लागू कानूनों और संशोधनों, संशोधनों या पुन: अधिनियमन, यदि कोई हो और कंपनी की 'संबंधित पक्षवारों की महत्ता तथा संबंधित पक्षवारों के लेनदेनों से संव्यवहार' की नीति, जो लागू हो, के अनुसार, इंडियनऑयल के निम्नलिखित संबंधित पक्षकारों (आरपी) के साथ (जहां इंडियनऑयल पक्षकार नहीं है) जिसके साथ व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित विवरणों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में किए जाने वाले लेनदेन रु. 1,000 करोड़ से अधिक हो सकते हैं, प्रत्येक आरपी के साथ किए जाने वाले लेनदेन पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित बिक्री के 10% की सीमा के अधीन, इंडियनऑयल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएसी लि. ('आईजीसीएमआईएल') के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन (चाहे वैयक्तिक लेनदेन हो या एक साथ किए गए हों या लेनदेन की श्रृंखला हो या अन्यथा हो) करने के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाए और एतद्वारा प्राप्त की जाती है–

क्र. सं.	संस्था का नाम	इंडियनऑयल के साथ संबंध	आरपीटी की प्रकृति
1	हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड	इंडियनऑयल की जेवीसी	आईजीसीएमआईएल से ऋण सुविधा प्राप्त करना
2	इंडियन ऑयल अडानी गैस प्रा. लि.	इंडियनऑयल की जेवीसी	– यथोक्त –
3	आईएचबी लि.	इंडियनऑयल की जेवीसी	– यथोक्त –
4	इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि.	इंडियनऑयल की जेवीसी	– यथोक्त –
5	इंडियनऑयल अडानी वेंचर्स लि.	इंडियनऑयल की जेवीसी	– यथोक्त –
6	टास इंडिया प्रा. लि.	आईओसीएल सिंगापुर प्रा. लि. की जेवीसी, इंडियनऑयल का डबल्यूओएस	आईजीसीएमआईएल को ऋण सुविधा प्रदान करना
7	वैनकोर इंडिया प्रा. लि.	आईओसीएल सिंगापुर प्रा. लि. की जेवीसी, इंडियनऑयल का डबल्यूओएस	– यथोक्त –

''**आगे संकल्प लिया गया कि** आईजीसीएमआईएल के मंडल को कंपनी के निदेशकों की समिति तथा/या निदेशकों तथा/या अधिकारियों अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अपनी सभी या कोई शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए तथा आईजीसीएमआईएल के मंडल द्वारा अपने विवेक से आवश्यक समझे गए कार्य, कृत्य आदि करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसमें निबंधन व शर्तों, विधियों और तरीकों को अंतिम रूप देना, अनुबंधों, योजनाओं, समझौतों और ऐसे अन्य कागजात, दस्तावेजों सहित आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देना और निष्पादित करना, किसी प्रासंगिक दस्तावेज को दाखिल करना और अभ्यावेदन करना, संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना, आईजीसीएमआईएल के लिए और उसकी ओर से पूर्वोक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाना और ऐसे सभी मुद्दों, प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों को निपटाना, जो उत्पन्न हो सकते हैं, सदस्यों की आगे की सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना, इस आशय से कि सदस्यों को इस प्रस्ताव के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी गई मानी जाएगी।

22. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना –

'**संकल्प लिया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों तथा कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014, उनके किसी सांविधिक संशोधन या पुन:अधिनियमन सहित जो वर्तमान में लागू हैं, के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी की विभिन्न यूनिटों के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों को देय रु. 24.50 लाख का कुल पारिश्रमिक तथा लागू कर और फुटकर व्यय का अनुसमर्थन किया जाए और एतद्दवारा किया जाता है।''

23. इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी इंडोफास्टस्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बैंकिंग सुविधाओं के लिए 481 करोड़ रुपये तक की कॉर्पोरेट गारंटी जारी करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना -

''**संकल्प लिया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, इसके संशोधनों सहित, कंपनी की अंतर्नियमावली, लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अन्य सभी प्रावधान और ऐसे अनुमोदन, सहमति, शास्तियों और अनुमतियों के अधीन, जो आवश्यक हो सकते हैं, कंपनी के निदेशक मंडल को (जिसके अर्थ में उसकी समिति भी शामिल मानी जाएगी) इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी, इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को बैंककारी सुविधाओं के लिए 481 करोड़ रु. तक की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

''इसके अलावा यह संकल्प लिया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल या उसकी समिति या उनके किसी प्रतिनिधि को एतद्वारा ऐसे सभी कार्य, मामले, विलेख और बातें करने या करवाने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा किया जाता है, जिसमें ऐसे विलेखों, समझौतों, दस्तावेजों और लेखों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें निष्पादित करना और ऐसी फाइलिंग करना शामिल है, जो उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।''

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता/-
(कमल कुमार ग्वालानी)
कंपनी सचिव
(एसीएस - 13737)

पंजीकृत कार्यालय -
इंडियनऑयल भवन,
जी-9, अली यावर जंग मार्ग,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
दिनांक - 6 अगस्त, 2025

टिप्पणियां

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 जिसे इस विषय पर जारी पूर्व के परिपत्रों (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पढ़ा जाना है तथा सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्तूबर, 2024 जिसे इस विषय पर पूर्व में सेबी द्वारा जारी परिपत्रों (''सेबी परिपत्र'') के साथ पढ़ा जाना है, कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इसलिए, इन परिपत्रों का अनुपालन करते हुए कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की गणना एजीएम के लिए कोरम के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

3. एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए परोक्षी नियुक्त करने का हकदार है और परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। हालांकि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए छूट प्रदान करते हुए परोक्षी नियुक्त करने की आवश्यकता से भी छूट प्रदान की है। इसलिए इस एजीएम के लिए, सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। तदनुसार, परोक्षी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और आयोजन स्थल का रूटमैप भी इस नोटिस के साथ प्रदान नहीं किया गया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने स्थानों से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से एजीएम में भाग लें।

4. सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 के अनुपालन में, बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों को आम बैठक की कार्यवाही के लाइव वेबकास्ट की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत वेबकास्ट की आवश्यकता का अनुपालन किया जा रहा है।

5. संस्थागत/कॉर्पोरेट सदस्यों को अपने बोर्ड या शासी निकाय के संकल्प/प्राधिकार आदि की एक स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप में) भेजनी होगी, जिसमें उनके प्रतिनिधि को उनकी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। उक्त संकल्प/ प्राधिकार को सदस्य के पंजीकृत ई-मेल आईडी से ई-मेल द्वारा pawaskarus@rediffmail.com पर संवीक्षक को भेजा जाना चाहिए और उसकी एक प्रति को evoting@nsdl.co.in पर भेज जाना चाहिए। वे अपने लॉगिन पेज में ''ई-वोटिंग'' टैब के अंतर्गत प्रदर्शित ''अपलोड बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र'' पर क्लिक करके बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकरण पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) और उसके तहत अधिसूचित नियमों (''अधिनियम'') के अनुसरण में एजीएम में किए जाने वाले विशेष कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला विवरण यहां संलग्न है। इस एजीएम में पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों के संबंध में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सूचीबद्धता विनियमों और सचिवीय मानक के विनियम 36(3) के अनुसार संबंधित विवरण भी संलग्न हैं।

7. अधिनियम की धारा 170 के तहत बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मियों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, और अधिनियम की धारा 189 के तहत की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशक इच्छुक हैं, एजीएम के दौरान सदस्यों के निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ इस नोटिस के परिचालन की तारीख से लेकर एजीएम की तारीख यानी 30 अगस्त, 2025 तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य ioclagm@indianoil.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।

8. कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2024-25 के लिए प्रति ईक्विटी शेयर रु. 3/- के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। **कंपनी ने एजीएम में मंजूरी मिलने पर लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 को मरिकॉर्ड तिथि,** निर्धारित किया है। आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, पात्र सदस्यों को अंतिम लाभांश का भुगतान घोषणा के 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भीतर किया जाएगा।

9. लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा जिनके अद्यतन बैंक खाते का विवरण उपलब्ध है। सेबी ने 01 अप्रैल, 2024 से यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रतिभूति धारकों (जो शेयरों को भौतिक रूप में धारित करते हैं) को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। ऐसा भुगतान पैन, नामांकन की पसंदगी, मोबाइल नंबर सहित संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूने के हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा।

10. सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 का अधिदेश है कि किसी कंपनी द्वारा अदा किया गया या वितरित लाभांश पर सदस्यों को कर देना होगा। इसलिए कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर ('' टीडीएस'') काटने की आवश्यकता होगी। हमें लागू टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 10 अगस्त, 2025 तक संबंधित दस्तावेज जमा करें। लाभांश पर टीडीएस के संबंध में विस्तृत पत्र-व्यवहार https://iocl.com/pages/notices-overview लिंक पर किया गया है।

कृपया ध्यान दें कि 10 अगस्त, 2025 के बाद सदस्यों से टीडीएस के संबंध में कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. यथा संशोधित सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, प्रतिभूतियों के प्रभावी हस्तांतरण के अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को निक्षेपागार के पास डीमैट रूप में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा, प्रतिभूतियों का अंतरण या हस्तांतरण केवल डीमैट रूप में ही प्रभावी होगा। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी हिस्सेदारी को डीमैट रूप में परिवर्तित करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

12. केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण निर्धारित प्रपत्रों अर्थात आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3 या एसएच-13 में कंपनी के रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिन) को इस पते पर जमा करें - केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिन), यूनिट - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032; टोल फ्री नंबर 1800 309 4001; ई-मेल एड्रेस einward.ris@kfintech.com इसे अपडेट करने का फॉर्म https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx पर उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के पास अपने पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण, यदि कोई हो, को जमा करा दें।

13. सेबी ने भारतीय प्रतिभूतियों में होने वाले विवादों का समाधान करने के लिए एक सामान्य ऑनलाइन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन पोर्टल (''ओडीआर'') शुरु किया है। आरटीए / कंपनी के साथ सीधे तथा मौजूदा स्कोर्स प्लेटफार्म द्वारा अपनी शिकायत का निपटाना करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग करने के बाद, निवेशक इस ओडीआर पोर्टल यानी https://smartodr.in/login द्वारा विवाद निपटान की पहल कर सकते हैं।

14. अधिनियम की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार, जो लाभांश 7 वर्षों की अवधि तक बकाया/दावे के रहता है, उसे उसे 7वें वर्ष के अंत में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (''**आईईपीएफ**'') में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17तक घोषित सभी बकाया/दावा न किए गए लाभांश और वर्ष 2017-18 के लिए बकाया/दावा न किए गए अंतरिम लाभांश को संबंधित नियत तिथियों पर आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 124 (6) में प्रावधान है कि वे सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक दावा नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। कंपनी ने ऐसे सभी सदस्यों, जिनका लाभांश लगातार 7 वर्षों की अवधि के लिए बकाया/बिना दावे के रह गया था, को लाभांश का दावा करने के अनुरोध के साथ अनुस्मारक पत्र भेजा था, जिसमें विफल रहने पर शेयरों को नियत तिथि पर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद, ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसे शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.iocl.com. पर डाला गया है।

कृपया ध्यान दें कि, 7 वर्ष पूरे होने पर, कंपनी 30 अक्तूबर, 2025 को या उससे पहले वित्तीय वर्ष 2017-18 (अंतिम लाभांश 2017-18) के अदत्त/अदावी लाभांश हस्तांतरित कर देगी। इसके अलावा, जिन शेयरों के संबंध में लाभांश लगातार 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त/अदावी है, उन्हें भी 30 अक्तूबर, 2025 को या उससे पहले आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसे अदत्त/अदावी लाभांश के साथ-साथ आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.iocl.com. पर डाले गए हैं।

अधिनियम की धारा 125 में प्रावधान है कि जिस सदस्य का लाभांश/शेयर आईईपीएफ को हस्तांतरित किया गया है, वे वहां से वापसी का दावा करने का हकदार होगा। आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गये बकाया लाभांश और शेयरों का दावा करने की प्रक्रिया निम्नलिखित लिंक :http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html पर दी गई है।

अदत्त लाभांश/ईक्विटी शेयरों के हस्तांतरण से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित पते पर आरटीए को या कंपनी को अदत्त/अदावी लाभांश का दावा करने के लिए पत्र लिखें।

15. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सूचीबद्धता विनियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 101 और 136 के अनुसरण में, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है जिनका ई-मेल पता पंजीकृत है और भौतिक रूप में उन सदस्यों को भेजा जानी चाहिए जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। हालांकि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ-साथ सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनका ई-मेल पता कंपनी/निक्षेपागार के साथ पंजीकृत है, और जब तक कि किसी सदस्य ने इसकी भौतिक प्रति के लिए अनुरोध नहीं किया है। माननीय सदस्यगण, इस बात पर ध्यान दें कि नोटिस और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 कंपनी की वेबसाइट www.iocl.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर https://www.evoting.nsdl.com की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

16. ई-वोटिंग और एजीएम में शामिल होने के अनुदेश इस प्रकार हैं-

i. अधिनियम की धारा 108 के प्रावधान जिन्हें कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर संशोधित के नियम 20 के साथ पढ़ा जाना है और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 के अनुपालन में, सदस्यों को इस नोटिस में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिये सुविधा प्रदान की जाती है। ई-वोटिंग के लिये अनुदेश नीचे दिए गए हैं।

ii. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होने की निर्दिष्ट तिथि शनिवार, 23 अगस्त, 2025 है।

iii. सदस्यों का मतदान अधिकार निर्दिष्ट-तिथि अर्थात्: 23 अगस्त, 2025 को कंपनी की चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों के अनुपात में होंगे। एक व्यक्ति जो निर्दिष्ट-तिथि को सदस्य नहीं है, उनसे अनुरोध है कि इस नोटिस को केवल सूचनार्थ हेतु माना जाए।

iv. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को शाम 5 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी।** इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जो सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेना चाहते हैं और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाल सके और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे इस एजीएम के दौरान ईवोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

v. कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए उमेश पावस्कर एंड कंपनी के सीएस उमेश एस पावस्कर, जो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव हैं, को नियुक्त किया है।

vi. जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालते हैं, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

vii. भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत सदस्य, जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और निर्दिष्ट-तिथि को शेयर रखते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य पहले से ही दूरस्थ ईवोटिंग के लिये एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो ऐसे सदस्य ईवोटिंग के लिये मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते है। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड'' अथवा ''फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड'' विकल्प का उपयोग करके या नंबर 022-48867000 पर कॉल करके इसे रीसेट किया जा सकता है।

viii. डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य, जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और निर्दिष्ट-तिथि के अनुसार शेयर रखता है, नीचे उल्लिखित चरणों का पालन कर सकता है।

ix. एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और मतदान के लिये प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है-

चरण 1 – एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुँच

ए) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा के बारे में सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है-

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारक	ए. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक करें। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी तैयार करनी होगी। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान **वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग** वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। बी. मौजूदा IDeAS प्रयोक्ता अपने पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट यानी https://eservices.nsdl.com देखें। ई-सर्विस के होम पेज पर, ''लॉगिन'' के अंतर्गत ''बेनेफिशियल ओनर'' आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएएस' सेक्शन में उपलब्ध है। यह आपको अपना मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए को कहेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्यवर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएं देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत ''एक्सेस टू ई-वोटिंग'' पर क्लिक करें, आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, यानी एनएसडीएल, पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
	सी. यदि आप IDeAS के ई-सर्विसेस पर पंजीकृत नहीं हैं तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। ''IDeAS पोर्टल के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करें'' चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। डी. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर https://www.evoting.nsdl.com/ URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, मशेयरधारक/सदस्यफ सेक्शन में ''लॉगिन'' आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। ई. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप ''NSDL Speede'' सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारक	1. यूजर जिन्होंने Easi/Easiest का विकल्प चुना है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। यूजर के लिए Easi/Easiest में लॉगिन करने वाले यूजर से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और नए सिस्टम My Easi टैब पर क्लिक करें और फिर मौजूदा My Easi यूजर नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफल लॉगिन के बाद, Easi/Easiest यूजर उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग जारी है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, यूजर दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि यूजर सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि यूजर Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम My Easi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, यूजर होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज www.cdslindia.com तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर यूजर को प्रमाणित करेगी। सफल प्रमाणीकरण के बाद, यूजर ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंच सकेंगे।
अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले)	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल /सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर, आपको ई-वोटिंग विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, यानी एनएसडीएल, पर क्लिक करें, आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट – जो सदस्य अपने यूजर आईडी/पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध ''फॉरगॉट यूजर आईडी'' और ''फॉरगॉट पासवर्ड'' विकल्पों का उपयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दों के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले प्रत्येक सदस्य	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले प्रत्येक सदस्य	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टॉल फ्री नंबर 1800-21-09911पर संपर्क कर सकते हैं।

बी) ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना।

एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉगिन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल फोन पर निम्नलिखित यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होमपेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' के अंतर्गत उपलब्ध ''लॉगिन'' आइकन पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसिस अर्थात IDeAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDeAS लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं। जब आप अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके एनएसडीएल ई- सर्विसिस में लॉगिन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारण करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक रूप में	आपका यूजर आईडी है –
ए) उन सदस्यों के लिए जिनके पास एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर हैं	8 अक्षर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12******* है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी IN300***12******* होगी
बी) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	16 डिजिट की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12********** होगी
सी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद एलएफ संख्या उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगी

5. शेयर होल्डर के अलावा अन्य सदस्यों के पासवर्ड का विवरण नीचे दिया गया है –

   ए) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

   बी) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको वे 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।

   सी) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?

   (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल को अपने मेलबॉक्स में पता लगाएं। .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड NSDL खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, CDSL खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फ़ोलियो नंबर है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'यूज़र आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

   (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन सदस्यों के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

6. यदि आप ''प्रारंभिक पासवर्ड'' प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अथवा आपको प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो –

   ए) ''यूज़र विवरण/फॉरगॉट पासवर्ड?'' पर क्लिक करें। (यदि आप अपने डीमैट खाते में एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास शेयर रखते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

   बी) भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड करें? (यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

   सी) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, अपना पैन, नाम और अपना पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

   डी) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर अपना वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड डालने के बाद चेक बॉक्स पर चयन करके ''नियम एवं शर्तों से सहमत'' पर टिक करें।
8. अब, आपको ''लॉगिन'' बटन पर क्लिक करना होगा।
9. ''लॉगिन'' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होमपेज खुल जाएगा।

चरण 2 – एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कैसे करें और सामान्य बैठक में कैसे शामिल हों

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कैसे करें और सामान्य बैठक में कैसे शामिल हों

1. निम्नलिखित चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों की ''EVEN'' देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका वोटिंग चक्र सक्रिय स्थिति में है।
2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान और आम बैठक के दौरान जिस कंपनी के लिए आप वोट डालना चाहते हैं, उसका ''EVEN'' चुनें। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको ''जॉइन मीटिंग'' के अंतर्गत दिए गए ''वीसी/ओएवीएम'' लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उचित विकल्प चुनकर अपना वोट डालें, जैसे सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत मिलने पर ''सबमिट'' और '' कन्फर्म'' पर क्लिक करें।
5. कन्फर्म होने पर, संदेश, ''वोट कास्ट सक्सेसफुली'' संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप कंफर्मेशन पेज पर ''प्रिंट'' विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई-वोटिंग के दिशा-निर्देश

1. आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको, पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ''यूजर विवरण / फॉरगॉट पासवर्ड?'' अथवा या ''फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड?'' पूरा करना होगा।
2. यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं या ई-वोटिंग पर अपनी शिकायतों के समाधान के लिए निर्दिष्ट ईमेल आईडी – evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश इस प्रकार हैं –

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक एक्सेस के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, सदस्य कंपनी के नाम के सामने ''जॉइन जेनरल मीटिंग'' मेनू के अंतर्गत रखे गए ''वीसी/ओएवीएम लिंक'' पर क्लिक कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा।

   कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिए ऊपर उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

   सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ आधार पर 1,000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

2. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले अथवा उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं या श्री अमित विशाल, उप उपाध्यक्ष, एनएसडीएल अथवा श्री अभिजीत गुंजल, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल evoting@nsdl.co.in से संपर्क कर सकते हैं।

3. जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए ioclagm@indianoil पर अपना अनुरोध **25 अगस्त, 2025 से 28 अगस्त, 2025** तक भेजकर वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कराएं। जिन सदस्यों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

अन्य अनुदेश –

1. ए जी एम में मतदान के समापन के तुरंत बाद, संवीक्षक पहले ए जी एम के दौरान डाले गए इलेक्ट्रॉनिक वोटों की गणना करेगा और उसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों की गणना करेगा, अनब्लॉक करेगा और और एक समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट बनाएगा और उसे अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा। परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर घोषित कर दिया जाएगा।
2. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.iocl.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर तुरंत डाला जाएगा। कंपनी परिणामों को एक साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को अग्रेषित करेगी, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशक का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है –

मद सं. 3 — **श्री अनुज जैन (डीआईएन – 10310088) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।**

54 वर्षीय श्री अनुज जैन वाणिज्य स्नातक हैं और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। उन्होंने आईसीएआई से व्यवसाय वित्त में स्नातकोत्तर भी किया है।

श्री अनुज जैन ने वर्ष 1996 में इंडियनऑयल में कार्यग्रहण किया था और उन्हें तेल एवं गैस उद्योग के वित्त, कराधान और वाणिज्यिक पहलुओं के क्षेत्र में 29 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है। उन्होंने कॉर्पोरेट वित्त, कोषागार एवं निधि प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन, मूल्य निर्धारण, शिपिंग, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान, सैप और ईआरपी प्रणाली आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है।

वे श्रीलंका में इंडियनऑयल की सूचीबद्ध सहायक कंपनी, लंका आईओसी पीएलसी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) के पद पर भी कार्यरत रहे, जहां उन्होंने वित्त विभाग का नेतृत्व किया। वे श्रीलंका की एक रणनीतिक पेट्रोलियम कंपनी, सीलोन पेट्रोलियम स्टोरेज टर्मिनल्स लिमिटेड (सीपीएसटीएल) के बोर्ड सदस्य और लेखापरीक्षा समिति के सदस्य भी थे।

श्री अनुज जैन भारत के ऊर्जा क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में कंपनी के परिवर्तन के लिए विभिन्न व्यावसायिक रणनीतियों की पहचान और निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

वर्ष 2024-2025 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या	11
सूचीबद्ध कंपनियों सहित और विदेशी कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	02
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	450
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे श्री अनुज जैन ने पिछले 3 वर्षों से इस्तीफा दिया	कोई नहीं
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटन	कोई नहीं

मद सं. 4 — **डॉ आलोक शर्मा (डीआईएन – 10453982) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं**

59 वर्षीय डॉ. आलोक शर्मा आईआईटी-दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर इंजीनियर और गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। डॉ. शर्मा को डाउनस्ट्रीम ऊर्जा क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है और उन्होंने प्रक्रिया, परियोजनाओं और उत्पादन में भारतीय रिफाइनिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इंडियनऑयल में अपने करियर के दौरान, उनकी विभिन्न उपलब्धियों में गुजरात रिफाइनरी में भारत की पहली हाइड्रोक्रैकर इकाई के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास केंद्र में हाइड्रोप्रोसेसिंग लैब और रेसिड ब्लॉक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। वैकल्पिक ऊर्जा में इंडियनऑयल की महत्वाकांक्षाओं को उत्प्रेरित करने की दूरदर्शिता के साथ, उन्होंने हाइड्रोजन, गैसीकरण, सौर, CO_2 कैप्चर और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास प्रयासों का नेतृत्व किया। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में कॉम्पैक्ट रिफॉर्मिंग एचसीएनजी समाधानों का सफल विकास, रिफाइनरी में अखाद्य तेलों का सह-प्रसंस्करण, दिल्ली में देश का पहला एचसीएनजी परीक्षण, ईंधन सेल और हरित हाइड्रोजन पहल के अलावा कार्बन कैप्चर और इथेनॉल प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण योगदान शामिल हैं।

डॉ. शर्मा नीति आयोग, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की विभिन्न समितियों में तेल एवं गैस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा संघ (आईएएचई) के सदस्य और भारतीय हाइड्रोजन संघ (एचएआई) के संस्थापक सदस्य भी हैं।

वर्ष 2024-2025 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या	11
सूचीबद्ध कंपनियों सहित और विदेशी कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	कोई नहीं
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	कोई नहीं
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे श्री शर्मा ने पिछले 3 वर्षों से इस्तीफा दिया	कोई नहीं
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटन	कोई नहीं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विशेष कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाने वाला विवरण

मद सं. 5 — **श्री अरविंदर सिंह साहनी (डीआईएन- 10652030) को कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करना और उन्हें कंपनी का अध्यक्ष पदनामित करना।**

55 वर्षीय श्री अरविंदर सिंह साहनी, एचबीटीआई, कानपुर से केमिकल इंजीनियर हैं और रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उनके पास इंडियनऑयल की नौ में से पांच रिफाइनरियों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। इंडियनऑयल में उन्होंने 15 एमएमटीपीए पारादीप रिफाइनरी सहित प्रमुख रिफाइनरी इकाइयों को चालू करने और उनके अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे भारत की रिफाइनिंग क्षमता और ऊर्जा सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से पहले, उन्होंने इंडियनऑयल के पेट्रोकेमिकल विभाग का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने विभिन्न पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं की अवधारणा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पारादीप में आगामी मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जो इस क्षेत्र में इंडियनऑयल के प्रभाव का महत्वपूर्ण विस्तार करने वाला है। .

जन-केंद्रित नेतृत्व में दृढ़ विश्वास रखने वाले, श्री साहनी ने विकास और स्थिरता के प्रेरक के रूप में नवाचार और डिजिटल परिवर्तन में महारथ हासिल की है। उनकी रणनीतिक दृष्टि और परिचालन उत्कृष्टता ने इंडियनऑयल को वैश्विक ऊर्जा की अग्रणी कंपनी बनाया है, जो देश की उभरती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है।

वर्ष 2024-2025 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या	04
सूचीबद्ध कंपनियों सहित और विदेशी कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	03
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	4,650
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे श्री साहनी ने पिछले 3 वर्षों से इस्तीफा दिया	कोई नहीं
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटन	कोई नहीं

कंपनी ने श्री अरविंदर सिंह साहनी से अपेक्षित सहमति प्राप्त कर ली है। वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं हैं और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश के कारण निदेशक के पद पर नियुक्त होने से विवर्जित हैं।

अधिनियम की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को एक सदस्य से लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें निदेशक पद के लिए एक उम्मीदवार के रूप में श्री साहनी के नाम का प्रस्ताव करने के उनके आशय को दर्शाया गया है।

श्री साहनी को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा / या उनके रिश्तेदार इस संकल्प में इच्छुक या उससे संबंधित नहीं हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस नोटिस में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 6 — **श्री सुमन कुमार (डीआईएन – 09724749) को कंपनी का निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) नियुक्त करना**

57 वर्षीय श्री सुमन कुमार एमआईटी मुजफ्फरपुर से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने अग्रणी भारतीय विश्वविद्यालय से एमबीए, एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम और व्यवसाय विकास में विभिन्न विशिष्ट पाठ्यक्रम भी पूरे किए हैं। उनके पास इंडियनऑयल में एलपीजी संचालन, बिक्री, ऊर्जा संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन और शमन आदि जैसे विभिन्न कार्यों में 3 दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है, जिसमें से 14 वर्ष से अधिक का समय व्यवसाय विकास और रणनीतिक योजना में रहा है।

निदेशक (योजना और व्यवसाय विकास) के पद पर अपनी पदोन्नति से पहले, श्री सुमन कुमार अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) खंड का नेतृत्व कर रहे थे, जिसकी भारत के अलावा 9 देशों में भी परिसंपत्तियां हैं। उन्होंने गैस व्यवसाय के प्रमुख के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं जिसमें उन्होंने एलएनजी की सोर्सिंग, नई परियोजनाओं की कल्पना आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने इंडियनऑयल में पेट्रोकेमिकल व्यवसाय, नगर गैस वितरण व्यवसाय तथा अक्षय ऊर्जा व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष 2024-2025 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या	01
सूचीबद्ध कंपनियों सहित और विदेशी कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	कोई नहीं
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	16,458
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे श्री सुमन कुमार ने पिछले 3 वर्षों से इस्तीफा दिया	कोई नहीं
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटन	कोई नहीं

कंपनी ने श्री सुमन कुमार से अपेक्षित सहमति प्राप्त कर ली है। वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं हैं और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश के कारण निदेशक के पद पर नियुक्त होने से विवर्जित हैं।

अधिनियम की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को एक सदस्य से लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें निदेशक पद के अभ्यर्थी के रूप में श्री सुमन कुमार के नाम का प्रस्ताव करने के उनके आशय को दर्शाया गया है।

श्री सुमन कुमार को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा / या उनके रिश्तेदार इस संकल्प में इच्छुक या उससे संबंधित नहीं हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस नोटिस में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 7 श्री प्रसेनजीत बिस्वास (डीआईएन – 09398565) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक (योजना एवं व्यवसाय विकास) पुन:नियुक्त करना

श्री प्रसेनजीत बिस्वास (डीआईएन - 09398565) को 28 मार्च 2025 से इंडियनऑयल के मंडल में स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त किया गया। श्री बिस्वास इससे पहले 24 नवंबर 2021 से 23 नवंबर 2024 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए इंडियनऑयल के मंडल में स्वतंत्र निदेशक थे।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते इंडियनऑयल में निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 28.03.2025 के माध्यम से श्री प्रसेनजीत बिस्वास को एक वर्ष की अवधि के लिए या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अगले आदेश तक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के पद पर पुन:नियुक्त किया।

67 वर्षीय श्री बिस्वास जो एफआरआई डीम्ड विश्वविद्यालय, देहरादून से एम.एससी. (वानिकी) उपाधि प्राप्त हैं, वर्ष 1993 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। वे वर्ष 2018 में भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में वे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के रबर बोर्ड के सदस्य हैं।

उन्हें प्राकृतिक एवं वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है, जिसमें समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों का उत्थान और उनका सशक्तीकरण एवं कौशल विकास, राज्य सरकार की नीतियों का मसौदा तैयार करना, वन्य जीवन संसाधनों का प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे, आईटी एवं जीआईएस आधारित प्रौद्योगिकियां आदि शामिल हैं।

वर्ष 2024-2025 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या	08
सूचीबद्ध कंपनियों सहित और विदेशी कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	कोई नहीं
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	कोई नहीं
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे श्री बिस्वास ने पिछले 3 वर्षों से इस्तीफा दिया	कोई नहीं
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटन	कोई नहीं

कंपनी ने श्री बिस्वास से अपेक्षित सहमति और घोषणा प्राप्त की है जिसमें यह पुष्टि भी शामिल है कि वे उनके अधिनियम की धारा 149(6) और सूचीबद्धता के विनियमों के विनियम 16(1)(बी) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं हैं और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश के कारण निदेशक के पद पर नियुक्त होने से विवर्जित हैं।

अधिनियम की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को एक सदस्य से लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें निदेशक पद के लिए एक उम्मीदवार के रूप में श्री प्रसेनजीत बिस्वास के नाम का प्रस्ताव करने के उनके आशय को दर्शाया गया है।

श्री प्रसेनजीत बिस्वास को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा / या उनके रिश्तेदार इस संकल्प में इच्छुक या उससे संबंधित नहीं हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस नोटिस में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 8 श्री कृष्णन सदगोपन (डीआईएन – 09397902) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त करना

श्री कृष्णन सदगोपन (डीआईएन - 09397902) को 28 मार्च 2025 से इंडियनऑयल के मंडल में स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त किया गया। श्री सदगोपन इससे पहले 24 नवंबर 2021 से 23 नवंबर 2024 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए इंडियनऑयल के मंडल में स्वतंत्र निदेशक थे।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते इंडियनऑयल में निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 28.03.2025 के माध्यम से श्री कृष्णन सदगोपन को एक वर्ष की अवधि के लिए या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अगले आदेश तक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया था।

58 वर्षीय श्री सदगोपन ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.आई.टी.), अन्ना विश्वविद्यालय से बी.टेक और सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुंबई से एम.ई. किया है। आईसी इंजन में अपने तीव्र रुचि को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियों जैसे बजाज ऑटो लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में, वे अशोक लीलैंड लिमिटेड में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (इंजन विकास) के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे तकनीकी संघों सहित व्यावसायिक नेतृत्व कार्यक्रमों और परिषदों के माध्यम से रणनीतिक पहल करते हैं। श्री कृष्णन को परियोजना प्रबंधन, उत्पाद विकास, जोखिम प्रशमन और मार्गदर्शन में विशेषज्ञता प्राप्त है। श्री कृष्णन ने व्यापक यात्राएं की हैं और विभिन्न व्यावसायिक मंचों पर शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं।

वर्ष 2024-2025 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या	08
सूचीबद्ध कंपनियों सहित और विदेशी कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	कोई नहीं
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	कोई नहीं
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे श्री कृष्णन ने पिछले 3 वर्षों से इस्तीफा दिया	कोई नहीं
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटन	कोई नहीं

कंपनी ने श्री कृष्णन सदगोपन से अपेक्षित सहमति और घोषणा प्राप्त की है जिसमें यह पुष्टि भी शामिल है कि वे उनके अधिनियम की धारा 149(6) और सूचीबद्धता के विनियमों के विनियम 16(1)(बी) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं हैं और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश के कारण निदेशक के पद पर नियुक्त होने से विवर्जित हैं।

अधिनियम की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को एक सदस्य से लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें निदेशक पद के लिए एक उम्मीदवार के रूप में श्री कृष्णन सदगोपन के नाम का प्रस्ताव करने के उनके आशय को दर्शाया गया है।

श्री कृष्णन सदगोपन को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा / या उनके रिश्तेदार इस संकल्प में इच्छुक या उससे संबंधित नहीं हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस नोटिस में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 9 डॉ दत्तात्रेय राव सिरपुरकर (डीआईएन – 09400251) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त करना

डॉ. दत्तात्रेय राव सिरपुरकर (डीआईएन - 09400251) को 28 मार्च 2025 से इंडियनऑयल के मंडल में स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त किया गया। डॉ. सिरपुरकर इससे पहले 24 नवंबर 2021 से 23 नवंबर 2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए इंडियनऑयल के मंडल में स्वतंत्र निदेशक थे।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते इंडियनऑयल में निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 28.03.2025 के माध्यम से डॉ. दत्तात्रेय राव सिरपुरकर को एक वर्ष की अवधि के लिए या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अगले आदेश तक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक पुन:नियुक्त किया था।

67 वर्षीय डॉ. सिरपुरकर ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में स्नातक (बी.ए.एम.एस) और आयुर्वेद शल्य में एम.डी. की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने मनोविज्ञान में एम.एससी. और पुणे विश्वविद्यालय से चिकित्सा में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है।

डॉ. सिरपुरकर एस.वी. मेडिकल कॉलेज (यूएचएस), तिरुपति से शल्य (आयुर्वेद) के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें शल्य विभाग में दो दशकों से अधिक का शिक्षण अनुभव है और वे क्षारसूत्र के गहन अभ्यासी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शल्य पर कई लेख प्रकाशित किए हैं। उन्हें क्षारसूत्र तकनीक के अखिल भारतीय विशेषज्ञ के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्हें श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा डी.एससी. की उपाधि भी प्रदान की गई है। डॉ. सिरपुरकर के नाम कई शोध पत्र हैं।

वर्ष 2024-2025 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या	08
सूचीबद्ध कंपनियों सहित और विदेशी कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	कोई नहीं
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	कोई नहीं
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे डॉ सिरपुरकर ने पिछले 3 वर्षों से इस्तीफा दिया है	कोई नहीं
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटन	कोई नहीं

कंपनी ने डॉ सिरपुरकर से अपेक्षित सहमति और घोषणा प्राप्त की है जिसमें यह पुष्टि भी शामिल है कि वे उनके अधिनियम की धारा 149(6) और सूचीबद्धता के विनियमों के विनियम 16(1)(बी) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं हैं और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश के कारण निदेशक के पद पर नियुक्त होने से विवर्जित हैं।

अधिनियम की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को एक सदस्य से लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें निदेशक पद के लिए एक उम्मीदवार के रूप में डॉ सिरपुरकर के नाम का प्रस्ताव करने के उनके आशय को दर्शाया गया है।

डॉ सिरपुरकर को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा / या उनके रिश्तेदार इस संकल्प में इच्छुक या उससे संबंधित नहीं हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस नोटिस में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 10 सुश्री ईशा श्रीवास्तव (डीआईएन – 08504560) को कंपनी में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त करना

सुश्री ईशा श्रीवास्तव (डीआईएन - 08504560) 2004 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) में संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) के पद पर कार्यरत हैं। सुश्री श्रीवास्तव लेडी श्रीराम कॉलेज, नई दिल्ली की पूर्व छात्रा हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एम.फिल की डिग्री भी प्राप्त की है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक विजेता भी रही हैं।

एमओपी एंड एनजी में नियुक्ति से पहले, उन्होंने नवंबर 2016 से जनवरी 2019 तक थिम्पू स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्य किया है। इससे पहले, वे विदेश मंत्रालय में तैनात थीं। उन्होंने कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग, पेरिस स्थित भारतीय दूतावास और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल में भी कार्य किया है।

वर्तमान में वे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के मंडल में नामित निदेशक हैं। वे गेल (इंडिया) लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड के मंडल में नामित निदेशक थीं।

वर्ष 2024-2025 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या	लागू नहीं
सूचीबद्ध कंपनियों सहित और विदेशी कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	02
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	कोई नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	कोई नहीं
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे सुश्री ईशा ने पिछले 3 वर्षों से इस्तीफा दिया है	01
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटन	कोई नहीं

कंपनी ने सुश्री ईशा श्रीवास्तव से अपेक्षित सहमति प्राप्त कर ली है। वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं हैं और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश के कारण निदेशक के पद पर नियुक्त होने से विवर्जित हैं।

अधिनियम की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को एक सदस्य से लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें निदेशक पद के लिए एक उम्मीदवार के रूप में सुश्री ईशा के नाम का प्रस्ताव करने के उनके आशय को दर्शाया गया है।

सुश्री ईशा श्रीवास्तव को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा / या उनके रिश्तेदार इस संकल्प में इच्छुक या उससे संबंधित नहीं हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस नोटिस में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 11 मे. ढोलकिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी,पेशेवर कंपनी सचिव, मुंबई को कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त करना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सेबी सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 24ए और अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पठित धारा 204 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013, (''अधिनियम'') के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, निदेशक मंडल ने 30 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, मेसर्स ढोलकिया एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों की समकक्ष समीक्षित फर्म (फर्म पंजीकरण संख्या - P2014MH034700) की 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2030 तक लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है।

मंडल ने उद्योग के अनुभव, लेखापरीक्षा टीम की सक्षमता, लेखापरीक्षा संचालन में दक्षता, स्वतंत्रता आदि जैसे विभिन्न कारकों का मूल्यांकन और विचार करने के बाद मेसर्स ढोलकिया एंड एसोसिएट्स, एलएलपी को सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त करने को मंजूरी दी है।

ढोलकिया एंड एसोसिएट्स ने पुष्टि की है कि फर्म अयोग्य नहीं है और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 24ए के अनुसार सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है। ढोलकिया एंड एसोसिएट्स, एलएलपी द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/P/2024/185 दिनांक 31 दिसंबर, 2024 के साथ पठित उक्त विनियम की परिधि में हैं।

वर्ष 2025-26 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा से संबंधित शुल्क 1,00,000/- रु. (मात्र एक लाख रुपये) तथा लागू कर होगा। उनके कार्यकाल के बाद के वर्षों के लिए, शुल्क कंपनी और मेसर्स ढोलकिया एंड एसोसिएट्स के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार होगा।

कंपनी के कोई भी निदेशक तथा / या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा / या उनके रिश्तेदार इस सूचना में निर्धारित संकल्प में इच्छुक या उससे संबंधित नहीं हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस नोटिस में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 12 से 19 वर्ष 2026-27 के लिए इंडियनऑयल की समूह कंपनियों के साथ इंडियनऑयल के महत्वपूर्ण पक्षकार लेनदेनों का अनुमोदन

अधिनियम की धारा 188 के अनुसार, संबंधित पक्षकार लेनदेन (आरपीटी) जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का निपटान या पट्टा, किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और कंपनी की प्रतिभूतियों / व्युत्पन्नी की सदस्यता की हामीदारी के लिए सदस्यों की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन निर्धारित राशि से अधिक हो जाता है। इसके अलावा, ऐसे लेनदेन को सदस्यों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी जाती है, यदि वे व्यवसाय के सामान्य क्रम में और स्वतंत्र लेनदेन के आधार पर हैं।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') अन्य बातों के साथ-साथ, जो आरपीटी को एक ओर सूचीबद्ध स्वत्व या उसकी किसी सहायक कंपनी और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के किसी संबंधित पक्ष के बीच लेनदेन के रूप में परिभाषित करता है। सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 23 में प्रावधान है कि सभी आरपीटी के लिए लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। विनियम 23 में महत्वपूर्ण आरपीटी के लिए सदस्यों की पूर्व स्वीकृति से संबंधित प्रावधान भी शामिल है, भले ही ऐसा लेनदेन व्यवसाय के सामान्य कामकाज में और स्वतंत्र संव्यवहार के अंतर्गत किया गया हो।

सूचीबद्धता के विनियमों के अनुसार, आरपी के साथ एक आरपीटी को महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला लेनदेन या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेनों को मिलाकर, 1,000 करोड़ रु. या कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो। सेबी ने आगे स्पष्ट किया है कि महत्वपूर्ण आरपीटी के लिए सदस्यों की पूर्व स्वीकृति वार्षिक आधार पर लेनी होगी।

तदनुसार, इंडियनऑयल की किसी भी समूह कंपनी के साथ महत्वपूर्ण आरपीटी के लिए तथा इंडियनऑयल की किसी भी समूह कंपनी के साथ सहायक कंपनियों के आरपीटी के लिए, जहां इंडियनऑयल आरपीटी का पक्षकार नहीं है, सदस्यों की पूर्व स्वीकृति वार्षिक आधार पर आवश्यक है।

2026-27 के दौरान आरपी के साथ महत्वपूर्ण आरपीटी

चूंकि वर्ष 2026-27 के दौरान मद संख्या12 से 19 में उल्लिखित आरपी के साथ लेनदेन का अपेक्षित मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है, महत्वपूर्ण आरपीटी के लिए सदस्यों का अनुमोदन लिया जा रहा है। लेखापरीक्षा समिति और कंपनी के बोर्ड ने महत्वपूर्ण आरपीटी की समीक्षा की है और इसके लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने की सिफारिश की है।

आरपीटी के संबंध में सूचीबद्ध विनियमों के अंतर्गत आवश्यक जानकारी का सारांश, जिसके वर्ष 2026-27 के दौरान रु. 1,000 करोड़ से अधिक होने की संभावना है और जिसके लिए सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है, इस प्रकार है:

मद सं. 12 लंका आईओसी पीएलसी, श्रीलंका के साथ महत्वपूर्ण आरपीटी

i.	आरपी का नाम	लंका आईओसी पीएलसी, श्रीलंका (एलआईओसी)
ii.	संबंध की प्रकृति	इंडियनऑयल की सहायक कंपनी
iii.	व्यवसाय की प्रकृति	खुदरा व्यापार, टर्मिनलिंग और बंकरिंग
iv.	आरपीटी का प्रकार	↗ माल व सेवाओं की बिक्री व खरीद ↗ प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति
v.	महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें	↗ एलआईओसी द्वारा जारी निविदा के निबंधन व शर्तों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पाद जैसे गैसआइल, गैसोलीन, बेस ऑयल, मैरीन गैसआइल आदि की बिक्री। ↗ उत्पादों की खरीद प्रचलित बाजार दरों पर होगी ↗ लागत-दर-लागत आधार पर प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति
vi.	2026-27 के लिए आरपीटी का अपेक्षित मूल्य	1,300 करोड़ रु.
vii.	आरपीटी का कार्यकाल	एक वर्ष यानी 2026-27 के लिए
viii.	आरपी के साथ आरपीटी का औचित्य स्थापन	कंपनी के व्यावसायिक हित को आगे बढ़ाने हेतु
ix.	वर्ष 2024-25 के लिए इंडियनऑयल के 8,59,363 करोड़ रु. के समेकित कारोबार के % के रूप में आरपीटी का मूल्य	0.15%
x.	वर्ष 2024-25 के लिए एलआईओसी के 7,854.49 करोड़ रु. के कारोबार के प्रतिशत के रूप में आरपीटी का मूल्य	16.55%
xi.	2026-27 के दौरान आरपीटी का अधिकतम मूल्य	किसी भी प्रकार के आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित कारोबार का 10%

मद सं. 13 कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण आरपीटी

i.	आरपी का नाम	कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (सीबीआरपीएल)
ii.	संबंध की प्रकृति	इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी)
iii.	व्यवसाय की प्रकृति	नागापट्टिनम, तमिलनाडु में 9 एमएमटीपीए की रिफाइनरी की स्थापना
iv.	आरपीटी का प्रकार	↗ शेयर वारंट का अभिदान ↗ आईएस (सैप) सेवाएं प्रदान करना
v.	महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें	↗ शेयर वारंट का अभिदान जारी दस्तावेजों के अनुरूप निबंधन व शर्तों के अनुसार होगा ↗ लागत-दर-लागत आधार पर सैप सेवाएं प्रदान करना
vi.	2026-27 के लिए आरपीटी का अपेक्षित मूल्य	1,600 करोड़ रु.
vii.	आरपीटी का कार्यकाल	एक वर्ष यानी 2026-27 के लिए
viii.	आरपी के साथ आरपीटी का औचित्य स्थापन	कंपनी के व्यावसायिक हित को आगे बढ़ाने हेतु
ix.	वर्ष 2024-25 के लिए इंडियनऑयल के 8,59,363 करोड़ रु. के समेकित कारोबार के % के रूप में आरपीटी का मूल्य	0.19 %
x.	2026-27 के दौरान आरपीटी का अधिकतम मूल्य	किसी भी प्रकार के आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित कारोबार का 10%

मद सं. 14 हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण आरपीटी

i.	आरपी का नाम	हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)
ii.	संबंध की प्रकृति	इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी)
iii.	व्यवसाय की प्रकृति	सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी में उर्वरक संयंत्र स्थापित करना
iv.	आरपीटी का प्रकार	↗ माल व सेवाओं की बिक्री व खरीद ↗ प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति
v.	महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें	↗ आपूर्ति की तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्यों पर समझौते/स्पॉट आधार पर दीर्घकालिक आधार पर आरएलएनजी की बिक्री ↗ आपूर्ति की तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री ↗ लागत-दर-लागत आधार पर प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति
vi.	2026-27 के लिए आरपीटी का अपेक्षित मूल्य	2,000 करोड़ रु.
vii.	आरपीटी का कार्यकाल	एक वर्ष यानी 2026-27 के लिए
viii.	आरपी के साथ आरपीटी का औचित्य स्थापन	कंपनी के व्यावसायिक हित को आगे बढ़ाने हेतु
ix.	वर्ष 2024-25 के लिए इंडियनऑयल के 8,59,363 करोड़ रु. के समेकित कारोबार के % के रूप में आरपीटी का मूल्य	0.23%
x.	2026-27 के दौरान आरपीटी का अधिकतम मूल्य	किसी भी प्रकार के आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित कारोबार का 10%

मद सं. 15 आईएचबी लि. के साथ महत्वपूर्ण आरपीटी

i.	आरपी का नाम	आईएचबी लि.
ii.	संबंध की प्रकृति	इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी)
iii.	व्यवसाय की प्रकृति	कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) तक एलपीजी पाइपलाइन बिछाना, निर्माण, संचालन या विस्तार करना
iv.	आरपीटी का प्रकार	↗ माल व सेवाओं यानी ईपीएमसी सेवाएं की बिक्री ↗ आरपी में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति ↗ वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, अर्थात् आरओयू साझाकरण ↗ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, अर्थात् एलपीजी का परिवहन ↗ सेवाएँ प्रदान करना और अन्य (एएमसी सहायता सेवा, एसएपी उपयोगकर्ता लाइसेंस, बीमा व्यवस्था आदि के लिए भुगतान)।
v.	महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें	↗ ईपीएमसी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क इंडियनऑयल द्वारा ली जाने वाली शुल्क सीमा के समान है। ↗ लागत-दर-लागत आधार पर आरपी में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति ↗ आरओयू शेयरिंग इनवॉयसिंग अनुमोदित नीति के अनुसार की जाएगी जो अन्य ओएमसी पर भी लागू है। ↗ एलपीजी के परिवहन का शुल्क पीएनजीआरबी बोली में आईएचबी लिमिटेड द्वारा लगाई गई परिवहन शुल्क बोली के आधार पर लिया जाएगा।
vi.	2026-27 के लिए आरपीटी का अपेक्षित मूल्य	1,700 करोड़ रु.
vii.	आरपीटी का कार्यकाल	एक वर्ष यानी 2026-27 के लिए
viii.	आरपी के साथ आरपीटी का औचित्य स्थापन	कंपनी के व्यावसायिक हित को आगे बढ़ाने हेतु
ix.	वर्ष 2024-25 के लिए इंडियनऑयल के 8,59,363 करोड़ रु. के समेकित कारोबार के % के रूप में आरपीटी का मूल्य	0.20 %
x.	2026-27 के दौरान आरपीटी का अधिकतम मूल्य	किसी भी प्रकार के आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित कारोबार का 10%

मद सं. 16 इंडियनऑयल अडानी गैस प्रा. लि. के साथ महत्वपूर्ण आरपीटी

i.	आरपी का नाम	इंडियनऑयल अडानी गैस प्रा. लि. (आईओएजीपीएल)
ii.	संबंध की प्रकृति	इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी)
iii.	व्यवसाय की प्रकृति	सिटी गैस वितरण
iv.	आरपीटी का प्रकार	↗ प्राकृतिक गैस की खरीद / बिक्री / अदला-बदली ↗ आईओएजीपीएल को पीएनजीआरबी के प्रति अपनी वित्तीय और परिचालन संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए ↗ वित्तीय और अन्य गारंटी प्रदान करने हेतु शुल्क की प्राप्ति प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति ↗ अन्य आय (विभिन्न प्रभार) ↗ अन्य (व्ययों की प्रतिपूर्ति आदि)
v.	महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें	↗ आरएलएनजी की बिक्री अल्पकालिक/दीर्घकालिक/स्पॉट आधार पर होती है। आरएलएनजी का बिक्री समझौता आईओएजीपीएल के साथ किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक शर्तें भी शामिल हैं जो कंपनी द्वारा अन्य असंबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए अनुबंध के समान हैं। ↗ आईजीएक्स पोर्टल ऑन आईजीएक्स के माध्यम से स्पॉट आधार पर आरएलएनजी की खरीद, क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से अपरिचित होते हैं और व्यापार के समय प्रतिपक्ष का विवरण ज्ञात नहीं होता है और मूल्य के आधार पर आईजीएक्स द्वारा व्यापार मिलान किया जाता है। ↗ कंपनी द्वारा अन्य असंबद्ध पक्षों के साथ निष्पादित अनुबंध के समान निबंधन व शर्तों के अनुसार सीएनजी की खरीद ↗ लागत-दर-लागत आधार पर प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति
vi.	2026-27 के लिए आरपीटी का अपेक्षित मूल्य	3,000 करोड़ रु.
vii.	आरपीटी का कार्यकाल	एक वर्ष यानी 2026-27 के लिए
viii.	आरपी के साथ आरपीटी का औचित्य स्थापन	कंपनी के व्यावसायिक हित को आगे बढ़ाने हेतु
ix.	वर्ष 2024-25 के लिए इंडियनऑयल के 8,59,363 करोड़ रु. के समेकित कारोबार के % के रूप में आरपीटी का मूल्य	0.35%
x.	2026-27 के दौरान आरपीटी का अधिकतम मूल्य	किसी भी प्रकार के आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित कारोबार का 10%

मद सं. 17 इंडियनऑल पेट्रोनास प्रा. लि. के साथ महत्वपूर्ण आरपीटी.

i.	आरपी का नाम	इंडियनऑल पेट्रोनास प्रा. लि. (आईपीपीएल)
ii.	संबंध की प्रकृति	इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी)
iii.	व्यवसाय की प्रकृति	ट्रर्मिनलिंग सर्विस तथा एलपीजी का समांतर विपणन
iv.	आरपीटी का प्रकार	↗ एलपीजी/ ब्यूटेन / प्रोपेन की बिक्री ↗ बोतलबंदी सहायता और जॉब वर्क के लिए आरपी को सेवा शुल्क का भुगतान ↗ अन्य (किराया, संरक्षा चौकसी प्रभार आदि का भुगतान) ↗ प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति
v.	महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें	↗ महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें समझौते आधारित होती हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक शर्तें भी शामिल होती हैं जो बाजार से जुड़ी हैं या निविदा या आपसी वार्ता के माध्यम से प्राप्त की गई हैं। ↗ लागत-दर-लागत आधार पर प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति
vi.	2026-27 के लिए आरपीटी का अपेक्षित मूल्य	3,900 करोड़ रु.
vii.	आरपीटी का कार्यकाल	एक वर्ष यानी 2026-27 के लिए
viii.	आरपी के साथ आरपीटी का औचित्य स्थापन	कंपनी के व्यावसायिक हित को आगे बढ़ाने हेतु
ix.	वर्ष 2024-25 के लिए इंडियनऑयल के 8,59,363 करोड़ रु. के समेकित कारोबार के % के रूप में आरपीटी का मूल्य	0.45%
x.	2026-27 के दौरान आरपीटी का अधिकतम मूल्य	किसी भी प्रकार के आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित कारोबार का 10%

मद सं. 18 पेट्रोनेट एलएनजी लि. के साथ महत्वपूर्ण आरपीटी

i.	आरपी का नाम	पेट्रोनेट एलएनजी लि. (पीएलएल)
ii.	संबंध की प्रकृति	इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी)
iii.	व्यवसाय की प्रकृति	एलएनजी आयात/वितरण और पुनर्गैसीकरण
iv.	आरपीटी का प्रकार	↗ पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की खरीद ↗ पुनर्गैसीकृत सेवाएं ↗ अन्य आय, खर्चों की प्रतिपूर्ति
v.	महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें	↗ आरपी के साथ दीर्घकालिक समझौता किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाज़ार से जुड़ी वाणिज्यिक शर्तें भी शामिल होती हैं और पीएलएल द्वारा अन्य ऑफ-टेकर्स के साथ किए गए अनुबंध के समान होती हैं। ↗ स्पॉट अनुबंध निविदाओं के माध्यम से किए जाते हैं। किराये की आय अन्य असंबद्ध पक्षकारों से प्राप्त किराये के समान है ↗ अन्य माल व सेवाओं की बिक्री (एलएनजी/एलसीएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशन के डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग सहित)
vi.	2026-27 के लिए आरपीटी का अपेक्षित मूल्य	19,000 करोड़ रु.
vii.	आरपीटी का कार्यकाल	एक वर्ष यानी 2026-27 के लिए
viii.	आरपी के साथ आरपीटी का औचित्य स्थापन	कंपनी की रिफाइनरियों में प्रोसेसिंग के लिए प्राकृतिक गैस की खरीद के साथ-साथ कंपनी के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य ग्राहकों को बिक्री
ix.	वर्ष 2024-25 के लिए इंडियनऑयल के 8,59,363 करोड़ रु. के समेकित कारोबार के % के रूप में आरपीटी का मूल्य	2.21%
x.	2026-27 के दौरान आरपीटी का अधिकतम मूल्य	किसी भी प्रकार के आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित कारोबार का 10%

मद सं. 19 **लुब्रिज़ोल इंडिया प्रा. लि. के साथ महत्वपूर्ण आरपीटी**

i.	आरपी का नाम	लुब्रिज़ोल इंडिया प्रा. लि.
ii.	संबंध की प्रकृति	इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी)
iii.	व्यवसाय की प्रकृति	ल्यूब एडिटिव्स का निर्माण
iv.	आरपीटी का प्रकार	↗ माल व सेवाओं की खरीद और बिक्री यानी एडिटिव्स जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की अधिप्राप्ति ↗ पेट्रोलियम उत्पादों/बेस ऑयल/ल्यूब्स की बिक्री ↗ परीक्षण व विश्लेषण सेवाएं प्राप्त करना
v.	महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें	↗ निविदा में दी गई दर के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों जैसे एडिटिव्स की खरीद. ↗ पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री बाज़ार की प्रचलित दरों के अनुसार की जाती है। ↗ लागत-दर-लागत आधार पर परीक्षण व विश्लेषण सेवाएं प्राप्त करना
vi.	2026-27 के लिए आरपीटी का अपेक्षित मूल्य	1,100 करोड़ रु.
vii.	आरपीटी का कार्यकाल	एक वर्ष यानी 2026-27 के लिए
viii.	आरपी के साथ आरपीटी का औचित्य स्थापन	कंपनी के व्यावसायिक हित को आगे बढ़ाने हेतु
ix.	वर्ष 2024-25 के लिए इंडियनऑयल के 8,59,363 करोड़ रु. के समेकित कारोबार के % के रूप में आरपीटी का मूल्य	0.13%
x.	2026-27 के दौरान आरपीटी का अधिकतम मूल्य	किसी भी प्रकार के आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के समेकित कारोबार का 10%

नीचे दिए को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार मद संख्या 12 से 19 में उल्लिखित प्रस्तावों में किसी भी तरह से इच्छुक या संबंधित नहीं हैं -

↗ श्री अरविंद कुमार, इंडियनऑयल के निदेशक (रिफाइनरीज), जो कावेरी बेसिन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के मंडल में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं,

↗ श्री ए. एस. साहनी, इंडियनऑयल के अध्यक्ष, जो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के मंडल में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस में दिए गए सामान्य संकल्पों की अनुशंसा करता है।

मद सं. 20 और 21 **इंडियनऑयल के आरपी के साथ आईजीसीएमआईएल (इंडियनऑयल की डबल्यूओएस) का महत्वपूर्ण आरपीटी जहां इंडियनऑयल वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए पक्षकार नहीं था**

आईजीसीएमआईएल इंडियनऑयल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) है जो आईएफएससी, गिफ्ट सिटी, गुजरात में एक वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी को 17 मई 2023 को एक वित्त कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें इंडियनऑयल समूह की कंपनियों के लिए विभिन्न ट्रेजरी गतिविधियों/सेवाओं के लिए ग्लोबल/रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी सेंटर (जीआरसीटीसी) है। इन गतिविधियों में समूह की कंपनियों को दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था करना, कार्यशील पूंजी सुविधा प्रदान करना, व्यापार वित्तपोषण, मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्त करना आदि शामिल हैं। अनिवासी स्थिति और विभिन्न कर छूटों के साथ, आईजीसीएमआईएल को निधि प्रबंधन के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। आईजीसीएमआईएल संस्थाओं की अधिशेष निधि को संयोजित करते हुए और इसे अन्य समूह संस्थाओं को उधार देकर इंडियनऑयल की विभिन्न समूह कंपनियों की वित्तपोषण आवश्यकताओं में तालमेल की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मद संख्या 20 और 21 में उल्लेख किए अनुसार वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान आईजीसीएमआईएल द्वारा इंडियनऑयल के आरपी के साथ आरपीटी का मूल्य, जिसमें इंडियनऑयल पक्षकार नहीं है, महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है यानी यह 1,000 करोड़ रु. से अधिक होगा, इसलिए, महत्वपूर्ण आरपीटी के लिए सदस्यों की मंजूरी मांगी जा रही है। समूह कंपनियों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण आरपीटी आईजीसीएमआईएल द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान समूह कंपनियों की निधि आवश्यकता के समय और संबंधित अनुमोदन के आधार पर किया जाएगा। यदि प्रस्तावित आरपीटी 2025-26 के दौरान साकार नहीं होता है, तो इसे अगले वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 के दौरान बढ़ाया जा सकता है। तद्नुसार, कुछ आरपी का नाम वर्ष 2025-26 के साथ-साथ वर्ष 2026-27 में भी दिखाई दे रहा है कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और मंडल ने महत्वपूर्ण आरपीटी की समीक्षा की है और इसके लिए सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करने की सिफारिश की है।

मद स. 20 **2025-26 के दौरान इंडियनऑयल के आरपी के साथ आईजीसीएमआईएल के आरपीटी का सारांश, जो 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है**

क्र. सं.	विवरण	इंडियन ऑयल अडानी गैस प्रा. लि. (आईओएजीपीएल)	इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि. (आईएनजीईपीएल)	इंडियनऑयल अडानी वेंचर्स लि. (आईएवीएल)	हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)	फाल्कन ऑयल एंड गैस बी.वी. (एफओजीबीवी)
1	संबंध की प्रकृति	इंडियनऑयल की जेवीसी	इंडियनऑयल की जेवीसी	इंडियनऑयल की जेवीसी	इंडियनऑयल की जेवीसी	इंडियनऑयल बी.वी., नीदरलैंड, इंडियनऑयल की डबल्यूओएस की जेवीसी
2	आरपीटी का प्रकार	आईजीसीएमआईएल से ऋण सुविधा प्राप्त करना				
3	महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें	लेन-देन आम तौर पर उद्योग में प्रचलित निबंधन व शर्तों पर होगा				
4	2025-26 के लिए आरपीटी का अपेक्षित मूल्य (रु. करोड़)	2,000	2,000	2,000	4,000	4,000
5	आरपीटी का कार्यकाल	2025-26	2025-26	2025-26	2025-26	2025-26
6	प्रस्तवित लेनदेनों के सिलसिले निधियों के स्रोत का विवरण	आईजीसीएमआईएल बैंकों/समूह कंपनियों से उधार लेगा और अपने आंतरिक स्रोतों का उपयोग करेगा				
7	जहां ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता होगी -					
	ऋणग्रस्तता की प्रकृति	ईसीबी मीयादी ऋण	ईसीबी मीयादी ऋण	ईसीबी मीयादी ऋण	ईसीबी मीयादी ऋण	मीयादी ऋण
	निधियों की लागत तथा	8%-9.50%	8%-9%	8%-9%	7%-8%	4.5%-6%
	अवधि	अधिकतम 15 वर्षों तक	अधिकतम 15 वर्षों तक	अधिकतम 15 वर्षों तक	अधिकतम 15 वर्षों तक	अधिकतम 10 वर्षों तक
8	लागू शर्तें, जिनमें प्रसंविदा, अवधि, ब्याज दर और चुकौती अनुसूची शामिल हैं, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति	- अवधि - अधिकतम 15 वर्षों तक - ब्याज - अस्थिर दर - अरक्षित - संरचित चुकौती अनुसूची	- अवधि - अधिकतम 15 वर्षों तक - ब्याज - अस्थिर दर - अरक्षित - संरचित चुकौती अनुसूची	- अवधि - अधिकतम 15 वर्षों तक - ब्याज - अस्थिर दर - अरक्षित - संरचित चुकौती अनुसूची	- अवधि - अधिकतम 15 वर्षों तक - ब्याज - अस्थिर दर - अरक्षित - संरचित चुकौती अनुसूची	- अवधि - अधिकतम 10 वर्षों तक - ब्याज - अस्थिर दर - अरक्षित/ मूल कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी - संरचित चुकौती अनुसूची
9	उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधि के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधि का उपयोग किया जाएगा	धनराशि का उपयोग व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने में किया जाएगा।				
10	आरपी के साथ आरपीटी का औचित्य-स्थापन	आईजीसीएमआईएल स्वत्वों की अधिशेष निधियों का संयोजन करते हुए और समूह के अन्य स्वत्वों को उधार देते हुए इंडियनऑयल की विभिन्न समूह कंपनियों की वित्तपोषण संबंधी ज़रूरतों में तालमेल की खोज करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिसके कारण इन समूह स्वत्वों को उल्लेखनीय बचत होती है।				
11	वर्ष 2024-25 के लिए इंडियनऑयल के 8,59,363 करोड़ रु. के समेकित कारोबार के % के रूप में आरपीटी का मूल्य	0.23%	0.23%	0.23%	0.47%	0.47%
12	2026-27 के दौरान आरपीटी का अधिकतम मूल्य	आईओएजीपीएल के साथ आईजीसीएम आईएल के सभी आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित कारोबार का 10%	आईएनजीईपीएल के साथ आईजीसीएम आईएल के सभी आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित कारोबार का 10%	आईएवीएल के साथ आईजीसीएमआईएल के सभी आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित कारोबार का 10%.	एचयूआरएल के साथ आईजीसीएम आईएल के सभी आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित कारोबार का 10%	एफओजीबीवी के साथ आईजीसीएमआईएल के सभी आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित कारोबार का 10%

मद सं. 21: 2026-27 के दौरान इंडियनऑयल के आरपी के साथ आईजीसीएमआईएल के आरपीटी का सारांश, जो 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना

क्र. सं.	विवरण	हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)	इंडियन ऑयल अडानी गैस प्रा. लि. (आईओएजीपीएल)	आईएचबी लि. (आईएचबी)	इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि. (आईएनजीईपीएल)	इंडियनऑयल अडानी वेंचर्स लि. (आईएवीएल)	टास इंडिया प्रा. लि. (टीआईपीएल)	वैनकोर इंडिया प्रा. लि. (वीआईपीएल)
1	संबंध की प्रकृति	इंडियनऑयल की जेवीसी	इंडियनऑयल की जेवीसी	इंडियनऑयल की जेवीसी	इंडियनऑयल की जेवीसी	इंडियनऑयल की जेवीसी	आईओसीएल सिंगापूर प्रा. लि., इंडियनऑयल की डबल्यूओएस की जेवीसी	आईओसीएल सिंगापूर प्रा. लि., इंडियनऑयल की डबल्यूओएस की जेवीसी
2	आरपीटी का प्रकार	आईजीसीएमआईएल से ऋण सुविधाएं प्राप्त करना					आईजीसीएमआईएल को ऋण प्रदान करना	
3	महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें	लेन-देन आम तौर पर उद्योग में प्रचलित निबंधन व शर्तों पर होगा						
4	2025-26 के लिए आरपीटी का अपेक्षित मूल्य (रु. करोड़)	2,000	3,000	3,000	2,000	2,000	5,000	5,000
5	आरपीटी का कार्यकाल	2026-27	2026-27	2026-27	2026-27	2026-27	2026-27	2026-27
6	प्रस्तवित लेनदेनों के सिलसिले निधियों के स्रोत का विवरण	आईजीसीएमआईएल बैंकों/समूह कंपनियों से उधार लेगा और अपने आंतरिक स्रोतों का उपयोग करेगा					लागू नहीं	लागू नहीं
7	जहां ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता होगी -							
	ऋणग्रस्तता की प्रकृति	क्रेता की क्रेडिट सुविधा	ईसीबी मीयादी ऋण	ईसीबी मीयादी ऋण	ईसीबी मीयादी ऋण	ईसीबी मीयादी ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं
	निधियों की लागत तथा	5%-6%	8%-9.50%	8%-9%	8%-9%	8%-9%	लागू नहीं	लागू नहीं
	अवधि	अधिकतम 1 वर्ष तक	अधिकतम 15 वर्षों तक	अधिकतम 15 वर्षों तक	अधिकतम 15 वर्षों तक	अधिकतम 15 वर्षों तक	लागू नहीं	लागू नहीं
8	लागू शर्तें, जिनमें प्रसंविदा, अवधि, ब्याज दर और चुकौती अनुसूची शामिल हैं, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति	अवधि, 1 वर्ष तक, अनेक किस्तों मैं ब्याज - अस्थिर दर अरक्षित परिपक्वता पर चुकौती	अवधि - अधिकतम 15 वर्षों तक ब्याज - अस्थिर दर अरक्षित संरचित चुकौती अनुसूची	अवधि - अधिकतम 15 वर्षों तक ब्याज - अस्थिर दर अरक्षित संरचित चुकौती अनुसूची	अवधि - अधिकतम 15 वर्षों तक ब्याज - अस्थिर दर अरक्षित संरचित चुकौती अनुसूची	अवधि - अधिकतम 15 वर्षों तक ब्याज - अस्थिर दर अरक्षित संरचित चुकौती अनुसूची	अवधि - अधिकतम 2 वर्षों तक ब्याज - अस्थिर दर अरक्षित	अवधि - अधिकतम 2 वर्षों तक ब्याज - अस्थिर दर अरक्षित
9	उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधि के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधि का उपयोग किया जाएगा	धनराशि का उपयोग व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने में किया जाएगा।						
10	आरपी के साथ आरपीटी का औचित्य-स्थापन	आईजीसीएमआईएल स्वत्वों की अधिशेष निधियों का संयोजन करते हुए और समूह के अन्य स्वत्वों को उधार देते हुए इंडियनऑयल की विभिन्न समूह कंपनियों की वित्तपोषण संबंधी ज़रूरतों में तालमेल की खोज करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिसके कारण इन समूह स्वत्वों को उल्लेखनीय बचत होती है।						
11	वर्ष 2024-25 के लिए इंडियनऑयल के 8,59,363 करोड़ रु. के समेकित कारोबार के % के रूप में आरपीटी का मूल्य	0.23%	0.35%	0.35%	0.23%	0.23%	0.58%	0.58%
12	2026-27 के दौरान आरपीटी का अधिकतम मूल्य	एचयूआरएल के साथ आईजीसीएम आईएल के सभी आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित कारोबार का 10%	आईओएजीपीएल के साथ आईजीसीएम आईएल के सभी आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित कारोबार का 10%	आईएचबी के साथ आईजीसीएम आईएल के सभी आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित कारोबार का 10%	आईएनजीईपीएल के साथ आईजीसीएम आईएल के सभी आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित कारोबार का 10%	आईएवीएल के साथ आईजीसीएमआईएल के सभी आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित कारोबार का 10%	टीआईपीएल के साथ आईजीसीएमआईएल के सभी आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित कारोबार का 10%	वीआईपीएल के साथ आईजीसीएम आईएल के सभी आरपीटी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में इंडियनऑयल के समेकित कारोबार का 10%

नीचे दिए को छोड़कर, इंडियनऑयल के साथ-साथ आईजीसीएमआईएल का कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार मद संख्या 20 और 21 में उल्लिखित प्रस्तावों में किसी भी तरह से इच्छुक या संबंधित नहीं हैं -

↗ श्री अनुज जैन, इंडियनऑयल के निदेशक (वित्त), जो आईजीसीएमआईएल के मंडल में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस में दिए गए सामान्य संकल्पों की अनुशंसा करता है।

मद सं. 22 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की विभिन्न यूनिटों के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए रु. 24.50 लाख के कुल पारिश्रमिक तथा लागू कर व फुटकर व्यय पर निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है -

क्र. सं.	लागत लेखापरीक्षक का नाम	लेखापरीक्षा शुल्क (रु.)
1.	बलविंदर एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	5,40,000/-
2.	डीजीएम एंड एसोसिएट्स, कोलकाता	3,20,000/-
3.	केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	4,20,000/-
4.	आर जे गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली	3,50,000/-
5.	दीवानजी एंड कंपनी, वडोदरा	1,40,000/-
6.	एस एस सोनथालिया एंड कंपनी, भुबनेश्वर	1,70,000/-
7.	मणि एंड कंपनी, कोलकाता	2,70,000/-
8.	विवेकानंदन उन्नी एंड एसोसिएट्स, चेन्नई	2,40,000/-
	कुल	**24,50,000/-**

अधिनियम की धारा 148 के प्रावधान जिन्हें कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुसमर्थन कंपनी के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए।

तदनुसार, मंडल द्वारा यथा अनुमोदित 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए एक साधारण संकल्प पारित करते हुए सदस्यों की सहमति मांगी जाती है।

कंपनी के कोई भी निदेशक तथा / या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा / या उनके रिश्तेदार इस सूचना में निर्धारित संकल्प में इच्छुक या उससे संबंधित नहीं हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस में दिए गए सामान्य संकल्पों की अनुशंसा करता है।

मद सं. 23 इंडियनऑयल की संयुक्त उद्यम कंपनी इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बैंकिंग सुविधाओं के लिए 481 करोड़ रु. तक की कॉर्पोरेट गारंटी जारी करना।

इंडियनऑयल और सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (एसएमएस) ने भारत में बैटरी स्वैपिंग व्यवसाय करने के लिए दिनांक 15.07.2024 को 'इंडोफास्ट स्वैप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड' (आईएसईपीएल) नामक 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है।

31 मार्च, 2025 को आईएसईपीएल ने अपने क्रिक इंटरचेंज स्टेशनों (क्यूआईएस) के नेटवर्क का उल्लेखनीय विस्तार किया है और अपने प्लेटफ़ॉर्म पर पर्याप्त संख्या में वाहन शामिल किए हैं। मंडल ने वर्ष 2025-26 के लिए व्यावसायिक योजना को मंज़ूरी दी है, जिसमें बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना का और विस्तार और बैटरी पैक्स की तैनाती शामिल है, जिसके लिए पूंजीगत व्यय निधि की आवश्यकता होगी। कंपनी का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपने वाहन ऑनबोर्डिंग और अवसंरचना दोनों की तैनाती को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है।

अपनी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रवर्तकों से इक्विटी निवेश के विकल्प के अलावा, आईएसईपीएल आवश्यक ऋण वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ भी संपर्क कर रहा है। चूंकि आईएसईपीएल भारत में अपने प्रमाणित वित्तीय कार्य-निष्पादन के बिना अपने परिचालन के प्रारंभिक विकास चरण में है, परियोजना वित्तपोषण के विकल्प सीमित हैं। बैंकों ने संकेत दिया है कि उन्हें प्रवर्तकों से कॉर्पोरेट गारंटी (सीजी) के रूप में ठोस प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।

आईएसईपीएल के मंडल ने 50:50 के अनुपात में इंडियनऑयल और एसएमएस से 962 करोड़ रुपये के लिए सीजी प्राप्त करने (यानी इंडियनऑयल द्वारा 481 करोड़ रुपये की सीजी) को मंजूरी दी है, ताकि संबंधित प्रमोटरों की नीति के अनुसार सीजी शुल्क के भुगतान के साथ-साथ एक या अधिक बैंकों से उधार ली जाने वाली धनराशि को सुरक्षित किया जा सके।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के अनुसार, यदि इंडियनऑयल बोर्ड का कोई निदेशक आईएसईपीएल, जो एक निजी लिमिटेड कंपनी है, के बोर्ड का भी निदेशक है, तो इंडियनऑयल, सामान्य बैठक में एक विशेष संकल्प पारित करते हुए केवल इंडियनऑयल के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आईएसईपीएल की ओर से बैंकों को ऋण प्रदान कर सकता है या सीजी जारी कर सकता है। आईएसईपीएल की गतिविधियों में अनुमानित वृद्धि और ईवी चार्जिंग व्यवसाय के तेज़ी से बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, इंडियनऑयल के कार्यात्मक निदेशक को आईएसईपीएल के बोर्ड में नामित किया जा सकता है।

तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 के तहत की गई अपेक्षानुसार, आईएसईपीएल की ओर से बैंकों को भविष्य में 481 करोड़ रुपये की सीमा तक सीजी प्रदान करने के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन मांगा गया है।

कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों / उनके रिश्तेदारों में से कोई भी इस संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा इच्छुक या संबंधित नहीं है।

बोर्ड सदस्यों द्वारा अनुमोदन हेतु इस नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

पंजीकृत कार्यालय –
इंडियनऑयल भवन,
जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051
दिनांक - 6 अगस्त, 2025

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता/-
(कमल कुमार ग्वालानी)
कंपनी सचिव
(एसीएस - 13737)

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो

सेबी के 02 जुलाई, 2025 के परिपत्र के अनुसार, जिन सदस्यों ने 01 अप्रैल, 2019 से पहले भौतिक शेयरों के अपने हस्तांतरण विलेख जमा किए थे, जिन्हें दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी के कारण अस्वीकार कर दिया गया/वापस कर दिया गया/कार्यवाही नहीं की गई या अन्यथा उन्हें 06 जनवरी, 2026 तक हस्तांतरण अनुरोध पुनः जमा करने का एक और अवसर दिया गया है। अन्य दस्तावेजों के साथ हस्तांतरण विलेख निम्नलिखित पते पर भेजे जाएं:

केफिन टेक्नालाजीस लिमिटेड
यूनिट - इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड,
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद - 500 032
तेलंगाना

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियनऑयल भवन, जी–9, अली यावर जंग मार्ग,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051, महाराष्ट्र

/IndianOilCorpLimited | /indianOilcl | /indianoilcorp | /indian-oil-corp-limited | /IndianOilCorporationLimited